सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४६

(अप्रैल-जून १९३१)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

इस खण्डमे १६ अप्रैलसे १७ जून, १९३१ तक की सामग्री दी जा रही है। अस्थायी समझौतेपर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे। अब इस अवधिमे हम गाधीजीको बढती हुई कठिनाइयोसे जूझते हुए, उस समझौतेको पारस्परिक विश्वास और सहयोगकी उसी भावनासे क्रियान्वित करानेको प्रयत्नशील देखते है जिस भावनासे समझौतेपर हस्ताक्षर किये गये थे। लेकिन, जैसा कि सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे उनके पत्रोसे ज्ञात होता है, "अफसरोकी काहिली, अनिच्छा और . . . विरोध" (पृष्ठ ९२)के कारण उन्हे यह "सघर्ष अत्यन्त कठिन" (पृष्ठ ५२) लग रहा था। विप्लववादियोकी प्रवृत्तियोके कारण उनकी कठिनाई और भी बढ गई थी, इसलिए गांधीजीने बडे धैर्यके साथ उन लोगोको भारतके सन्दर्भमें हिंसाकी निरर्थकता समझानेकी कोशिश की। लेकिन उनकी कठिनाईका अन्त यही नही होता। हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच आपसमे सहमति न होनेके कारण सविधान बनानेकी समस्या और भी उलझ गई थी, जिससे गाधीजीके मनमे लन्दनमे होनेवाली आगामी गोलमेज परिषद्मे शामिल होनेकी उपयोगिताके बारेमे शका उठ रही थी। उन्हे यह भी डर था कि उनके बाहर रहनेसे समझौता कही टूट न जाये। इससे परिषद्मे शामिल होनेकी उनकी अनिच्छा और भी बढ गई। १९३०मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करनेसे पहले भी उनका मन इसी तरह दुविधाग्रस्त हो गया था और तब उन्होने जिस तरह अपनी अन्तरात्माकी आवाजको अपना सवल बनाया था उसी तरह अब भी उसीका सहारा लिया। जब एक मित्रने उन्हे परिषद्मे शामिल होनेका निर्णय करनेके बारेमे जल्दी न करनेको आगाह किया तो उनसे गाधीजीने कहा: "मै ऐसी अटकलबाजीमे नही पडता। ईश्वर मुझे जहाँ भी ले जायेगा, वहाँ मै इसी विश्वासके साथ जाऊँगा कि उसके निर्देशित मार्गपर चलनेसे सब-कुछ ठीक ही होगा" (पृष्ठ ५५)।

इस खण्डका प्रारम्भ "हिंसावादिता"की तीव्र भर्त्सनाके साथ होता है। गाधीजीने इस बातपर गहरा दुख प्रकट किया कि भगतसिहके सम्बन्धमे काग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावका, जैसा सोचा गया था, उससे ठीक उलटा असर हुआ और वह मानो लोगोको राजनीतिक हत्याकी "बेखटके प्रशसा करनेका अधिकार" देनेवाली सनद बनकर रह गया (पृष्ठ १)। उन्होंने कहा: "मै फिरसे अपना निश्चित और भली-भाँति सोचा-समझा यह मत दोहराता हूँ कि हिन्दुस्तानमे तो राजनैतिक हत्या देशको नुकसान ही पहुँचा सकती है" (पृष्ठ १)। उनका दावा था कि "भारतमे वर्तमान असाधारण लोक-जागृति केवल अहिंसक रीतिसे ही हुई है, जिसमे स्त्रियोकी जागृति भी शामिल है" (पृष्ठ २)। विप्लववादियो द्वारा अपनाये गये हिंसा-मार्गको उन्होने निरर्थक, हानिकर और भारतीय परम्पराके विरुद्ध बताया, और इसकी पुष्टिके

प्रमाण-स्वरूप "ठोस तथ्य" देते हुए निष्कर्ष रूपमें कहा, "... पूरा-पूरा शान्त वातावरण मिला होता तो हम अब तक अपने ध्येय तक पहुँच चुके होते" (पृष्ठ ३०)। इस प्रश्नपर गांधीजीकी स्थितिका बंगालमें अकसर गलत अर्थ लगाया गया, इतना ही नही, विभिन्न प्रान्तोके साथ उनके व्यवहारको पक्षपातपूर्ण तक बताया गया (३७९-८२)। किन्तु, गाधीजीका स्पष्ट उत्तर था: "मुझे जितना पंजाब प्रिय है उतना ही बंगाल भी प्रिय है। और बंगालसे युवावस्थामें मुझे जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए तो मैं उसका खास तौरपर ऋणी हूँ" (पृष्ठ ३८१) लेकिन "बंगाल पर या किसी प्रान्तके युवकोपर मेरा प्रभुत्व कायम रहे या न रहे, मुझे तो उच्च स्वरमें अपनी धार्मिक श्रद्धाका ऐलान करना ही होगा। भारतवर्षके भूखो मरनेवाले करोडोकी मुक्ति सत्य और अहिंसा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है" (पृष्ठ ३८२)।

भारतमें हिंसावादियोकी सख्या सर्वथा नगण्य थी, लेकिन वातावरणमें उनका जो असर था, उसकी उनकी संख्यासे कोई तुलना ही नही थी। गाधीजीने स्पष्ट देखा कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जनसाधारण कर्मसे तो अहिंसक बना रहा था, लेकिन साथ ही "राजनैतिक हत्याको ... बडे पैमानेपर, ... अविवेकपूर्ण समर्थन" (पृष्ठ १२७) मिल रहा था और सत्याग्रही लोग भी अक्सर विचार और वाणीसे हिंसा करनेके दोषी थे। कराचीमे एक आदमीने कुछ बेरोजगार तथा अन्य श्रमिकोको एकत्र करके वहाँके व्यापारियो और पैसेवाले लोगोके साथ जबरदस्ती करनेकी कोशिश की थी। इस "सनकी आदमी"की करतूतोका हवाला देते हुए गाधीजीने लोगोको चेतावनी दी: "जो लोग अबतक अज्ञान और अनियन्त्रित सत्ताके" वशीभूत होकर "घोर नीदमें सोये पडे थे, उन्ही सर्वसाधारणकी जागृति आसानीसे व्यवस्था तथा सामाजिक सगठनका सर्वनाश कर सकती है।" अत गाधीजीके विचारसे अनुशासनका पालन समयकी आकुल आवश्यकता थी। उन्होने कहा: "तूफान और बाढें तो हमेशा ही आती रहेगी। परन्तु तूफान और बाढकी रोकके लिए जो काम बाँध वगैरासे होता है, अव्यवस्थाको रोकनेमें अनुशासनका वही उपयोग है" (पृष्ठ १४७)। इसी दृष्टिसे उन्होने कार्यकर्त्ताओको सलाह दी कि अगर धरना देनेमें पूरी शान्तिका पालन सम्भव न हो तो यह प्रवृत्ति बन्द कर दी जाये (पृष्ठ १००)। उन्होंने काग्रेसियोको पचायती व्यवस्थाको पुनरुज्जीवित करनेमें जल्दबाजी न करनेकी सलाह दी, क्योकि पूरी सावधानीसे काम न लेनेपर इस व्यवस्थाके भी शोषणका एक साधन बनकर रह जानेका खतरा था। गांधीजीके ही शब्दोमें, "किसी पचायतको जुर्माना करनेका अधिकार नही होना चाहिए; नैतिक अधिकार," विशुद्ध निष्पक्षता "और दोनों पक्षोका स्वेच्छापूर्ण आज्ञापालन ही उसकी दीवानी डिग्रियोकी स्वीकृतिका आधार होना चाहिए" (पृष्ठ २५६)। इसी प्रकार उन्होने सामाजिक बहिष्कारके प्रति भी अपनी असहमति प्रकट की, क्योकि "गाँवमें सिद्धान्तहीन मनुष्योके हाथोमें पडकर सामाजिक बहिष्कार एक भयकर हथियार सिद्ध हुआ है" (पृष्ठ २५७)।

किन्तु इस अवधिमें गाधीजीको सबसे अधिक चिन्ता उस समझौतेको टूटनेसे बचानेकी थी। उनके विचारसे वह समझौता "सज्जनोका करार" था, और उन्होने

भारत सरकारके गृहसचिव एच० डब्ल्यू० एमर्सनको आश्वस्त किया कि "मै लॉर्ड इर्विनको वचन दे चुका हूँ कि समझौता भंग न होने देनेकी दृष्टिसे मै ऐसा कोई भी काम, जिसे करना मेरे लिए अशोभनीय हो, नही करूँगा" (पृष्ठ ४९)। उदारदलीय नेता चि० य० चिन्तामणिको लिखे उनके पत्रसे ज्ञात होता है कि ऐसे कई प्रसंग आये जब वे स्थानीय अधिकारियोसे वार्ता बन्द कर सकते थे, लेकिन गम्भीर विचार किये बिना हलके मनसे संघर्ष छेड देना उनके लिए अशक्य था। "उससे लॉर्ड इर्विनको जो मार्मिक दु.ख पहुँचता" उसका विचार-मात्र उन्हे "वैसा कोई कदम उठानेसे पहले हजार बार सोच लेनेके लिए बाध्य" करता था (पृष्ठ २८४)। लेकिन इस आत्मसयमके कारण उनके मनको कभी-कभी गहरी व्यथा भी भोगनी पडी। अधिकारी तो जनतापर मनमाने ढंगसे अपना हुक्म चलानेके अभ्यस्त हो गये थे, इसलिए उस समझौतेमे पारस्परिक विश्वास और सहयोगपर आधारित जिस सम्बन्धकी अवधारणा थी, उससे अपने मनका सामंजस्य बैठा पाना उन्हे असम्भव लग रहा था। गांधीजीने राजगोपालाचारीको लिखे पत्रमे उन्हे बताया कि स्पष्ट है, प्रान्तीय सरकारोको समझौता अच्छा नही लगा है। "उनसे समझौतेपर अमल कराना अत्यन्त ही दुष्कर है, शेरकी दाढ निकालने-जैसा" (पृष्ठ १७१)। उदाहरणके लिए, उत्तरी-मण्डलका आयुक्त गांधीजीके इस दृष्टिकोणको स्वीकार करनेको तैयार नही था कि चूँकि काग्रेस "जनताका प्रतिनिधित्व करती है," इसलिए समझौतेसे सम्बन्धित बातोमे उसे "सरकार और जनताके बीच सम्पर्क-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली" संस्थाके रूपमे मान्य किया जाये (पृष्ठ २०)। गांधीजीके लिए यह अत्यन्त "महत्त्वपूर्ण प्रश्न" था (पृष्ठ २०), और उन्होने गृहसचिवको सूचित किया कि "जहाँतक गुजरातका सम्बन्ध है, समझौता लगभग टूटने-जैसी स्थितिमे आ पहुँचा है" (पृष्ठ २४)। गुजरातमे यह स्थिति यो उत्पन्न हुई कि वहाँकी सरकारने गाधीजीसे कोई बातचीत किये बिना लोगोको यह धमकी दे दी कि उनसे लगानकी बकाया रकमे वसूल करनेके लिए, जरूरत पडी तो, कानूनी कार्रवाही और कुर्की-जब्ती भी की जायेगी। मगर ऐसी कोई समस्या अकेले गुजरातमे ही खडी हुई हो, सो बात नही थी। देशके अन्य हिस्सोमे भी इस तरहके असख्य प्रश्न उठ खडे हुए। स्थिति विकट हो गई। निदान गांधीजीको शिमलामे गृह-सचिवसे विस्तृत बातचीतके लिए आमन्त्रित किया गया। गृह-सचिवने गाधीजीके सामने सरकारके समक्ष उपस्थित "संवैधानिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, वित्तीय, कृषीय और आतकवादी आन्दोलनसे सम्बन्धित" समस्याएँ रखी और उनसे अनुरोध किया कि उनके समाधानके लिए सबको एक-जुट होकर काम करना चाहिए (पृष्ठ ४४५)। वार्ताके अन्तमे श्री एमर्सनने अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि गाधीजी "समझौतेका पूरा-पूरा पालन करानेके लिए पहलेसे अधिक चिन्तित है" (पृष्ठ ४४७)। लेकिन गांधीजी समझौतेके बारेमे सरकारकी सदाशयताके प्रति कुछ आश्वस्त भले ही हो गये हो, उसके भविष्यके सम्बन्धमे उनकी शकाएँ पूरी तरहसे मिट नही पाई थी। इग्लैड जानेमे वे अब भी झिझक रहे थे, क्योकि "समझौतेकी कार्यान्वितिके सिलसिलेमे इतनी झंझटे होते हुए" वे "भारतसे बाहर

कदम कैसे रख" सकते थे? (पृष्ठ २०८)। समस्याएँ ज्यों-की-त्यों बनी हुई थीं, इसलिए उन्हें लाचार होकर यह सुझाव देना पड़ा कि "दोनों पक्षों द्वारा समझौतेकी शर्तोंपर 'पूरा-पूरा अमल करानेके लिए स्थायी मध्यस्थ मण्डल नियुक्त कर दिया जाये" (पृष्ठ ४०५-६)।

साम्प्रदायिक समस्याका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया था। दोनों सम्प्रदायोंके नेता पर्देके पीछे गम्भीर वार्ता चला रहे थे और गांधीजीको इस प्रश्नपर इस बीच मौन साधे रहनेकी सलाह दी गई थी (पृष्ठ १२५-२६)। उन्होंने प्रारम्भमें ही स्पष्ट कर दिया था कि जबतक इस समस्याका समाधान नहीं निकलता, वे गोलमेज परिषद्में शामिल नहीं होंगे। आगे भी जब-कभी उनके सामने बात उठाई गई, उन्होंने यही कहा। डॉ० मु० अ० अन्सारीको अपनी स्थिति समझाते हुए उन्होंने लिखा, "यदि मेरे अपने ही देशमें यहाँ परस्पर फूट रहेगी तो मैं क्या माँगें रख पाऊँगा और राष्ट्रीय माँगको बहुत दृढ़ताके साथ कैसे पेश कर पाऊँगा?" (पृष्ठ २३९)। किन्तु जान पड़ता है, इस सम्बन्धमें पक्के तौरपर कुछ तय कर पाना गांधीजीको बहुत कठिन लग रहा था। चि० य० चिन्तामणिको उन्होंने लिखा: "इस मामलेमें भी मैं अभी अपना रास्ता टटोल रहा हूँ और यदि मुझसे बन पड़ा तो मैं परिषद्में अवश्य भाग लूँगा। मैंने अबतक बिलकुल ही निश्चित कोई निर्णय नहीं किया है" (पृष्ठ २८५)। स्थिति जैसी विकट हो गई थी, उसको देखते हुए वे लन्दन जाकर, सम्मेलनमें भाग लिये बिना, जिम्मेवार ब्रिटिश राजनयिकों और साधारण जनोंको कांग्रेसकी स्थिति समझाने और "थोड़ा-बहुत प्रचार-कार्य" (पृष्ठ २९३) करने तककी सम्भावनापर विचार करने लग गये थे। लेकिन ऐसा करनेको भी वे तभी तैयार थे जब वे देख लेते कि देशमें समझौतेका निर्वाह एक न्यूनतम सीमा तक हो रहा है। सी०एफ० एन्ड्रयूजको लिखे पत्रमें उन्होंने बताया: "मेरी इच्छा तो वहाँ जानेकी है, पर अन्दरसे आवाज आती है—'नहीं'; और बाहरी वातावरण अन्तरकी आवाजके मार्गदर्शनका ही समर्थन करता है" (पृष्ठ २९३)।

कांग्रेस और सरकारके बीच जिन बातोंपर मतभेद था, उनमें से अधिकांशके सम्बन्धमें तो उनका रुख समझौतेका था, किन्तु विदेशी वस्तुओंके बहिष्कारके सन्दर्भमें वे अपनी स्थितिसे तनिक भी डिगनेको तैयार न थे। कार्यक्रमके इस हिस्सेका ब्रिटेनके आर्थिक हितोंपर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और वहाँके सूत, कपड़े आदिके उद्योगकी स्थिति बिगड़ चली थी। इस तरह यह एक ऐसी चीज थी जिसके कारण कांग्रेसकी नीतिके गलत समझे जाने और उसे गलत रूपमें पेश किये जानेकी बहुत अधिक सम्भावना थी। समझौतेके परिणामस्वरूप कांग्रेसने ब्रिटिश मालका बहिष्कार तो बन्द कर दिया, क्योंकि उसे विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यसे अपनाया गया था, किन्तु "भुखमरीसे पीड़ित करोड़ों लोगोंकी आर्थिक आवश्यकता" के रूपमें ब्रिटिश वस्त्र-सहित सभी विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार कायम रखा गया (पृष्ठ १०६)। इस आन्दोलनके विरुद्ध इंग्लैंडमें अकारण ही जो कटुतापूर्ण बवाल खड़ा कर दिया गया था, उसके सम्बन्धमें 'यंग इंडिया' में लिखते हुए गांधीजीने अंग्रेजों और खासकर

लंकाशायरके मिल-मालिकोसे इस सीधे-साधे तथ्यको समझनेका अनुरोध किया कि "पीढियोसे चली आनेवाली कगाली या भुखमरीसे मुक्त होनेके लिए हिन्दुस्तानको" विदेशी कपडेके लिए — चाहे वह "विलायती हो या जापानी" या किसी अन्य देशका — सदाके लिए अपने द्वार बन्द कर लेने हैं। "सभी विदेशवासी यह समझ ले कि यह वहिष्कार-आन्दोलन एक लोकव्यापी, लोकहितकारी आन्दोलन है। . . . इस आन्दोलनके राजनैतिक परिणाम अवश्य हैं, परन्तु वस्तुतः यह आन्दोलन शुद्ध रूपमे आर्थिक और लोकोपकारी है, इसलिए तमाम दुनियाकी इसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए" (पृष्ठ २६)। उन्होने यह स्वीकार किया कि सक्रमण कालमे लकाशायरके कारीगरोको कठिनाई झेलनी पड सकती है। लेकिन क्या इसीलिए भारतके करोडो लोग भूखो मरते रहे? — यह था उनका बहुत ही माकूल सवाल। और वास्तविकताको साहसपूर्वक उजागर करते हुए उन्होने कहा · "लकाशायरने भारतके कुटीर उद्योगोंका गला घोटकर एक अन्याय किया। अब . . . लकाशायरको चाहिए कि वह अपने लिए कोई अपेक्षाकृत कम हानिकर उद्योग तलाश ले" (पृष्ठ ३४६)। फिर भी, इस प्रश्नपर ब्रिटेनकी भावनाकी तीव्रताको समझते हुए गाधीजीने गोलमेज परिषद्के सिलसिलेमे इग्लैड जानेका सयोग आनेपर लकाशायर जाकर वहाँके लोगोको यह समझानेका निमन्त्रण बडी तत्परतासे स्वीकार किया कि "मेरे और काग्रेसके मनमे लकाशायरके प्रति किसी भी तरहकी कोई दुर्भावना नही है और काग्रेस लकाशायरकी भरसक सहायता करेगी" (पृष्ठ २२५)।

लेकिन साथ ही गाधीजी भारतीय जनताको भी "वहिष्कार आन्दोलनका सच्चा प्रयोजन और वास्तविक अर्थ" समझाकर आन्दोलनको सही दिशा देना आवश्यक मानते थे। उन्होने राष्ट्रका आह्वान किया कि वह इस कार्यक्रमको "इस ढगसे क्रियान्वित" करे जिससे इसका "अधिकाश लाभ गाँवोके लोगोको पहुँचे" और इस कामको इस ढगसे करनेका एक ही रास्ता था कि "राष्ट्र . . देशी वस्त्रोमे खादीको ही सवसे ऊँचा स्थान" दे (पृष्ठ ६०)।

इसलिए उन्होने जनतासे अनुरोध किया कि वह वस्त्रोके सम्बन्धमे अपनी रुचि वदले। इस सम्वन्धमे लोगोके मनकी दुविधा उनसे छिपी नही थी। उन्होने कहा: "वुद्धि विदेशी कपडेके त्यागको स्वीकार अवश्य करती है, परन्तु हृदय तो विदेशसे आनेवाले भाँति-भाँतिके कपडोके लिए ही तरसता रहता है। देश-प्रेमकी अपेक्षा — या कहो कि करोडो अधभूखोके प्रेमकी अपेक्षा — अपना सुख ही अधिक प्रबल सिद्ध होता है" (पृष्ठ १४८)। कुछ हलकोमे इस आन्दोलनपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि इसका "एकमात्र लक्ष्य जनताको हानि पहुँचाकर मिलोको लाभ पहुँचाना है।" इस आरोपका खण्डन करते हुए गांधीजीने कहा कि "भारतीय मिलोका काम यही है कि वे खादीकी अनुपूरक वने। . . . लेकिन यदि भारतीय मिले खादीका विरोध भी करे तो वहिष्कार जारी ही रहेगा।" उनका विचार था कि एक बार जव विदेशी कपडे रास्तेसे हट जायेगे तो "देशी मिले बडी तत्परतासे या तो अपने वस्त्रोके मूल्य और उसके उत्पादनको खादीके अनुरूप वना लेगी या फिर विदेशी

मिलोंकी भाँति उनको भी बहिष्कारका खतरा उठाना पड़ेगा" (पृष्ठ ३२९)। खादीके मानवीय पक्षपर जोर देते हुए उन्होंने कहा: "खादी दरिद्रनारायणकी हुण्डी है। इसे सकारनेवाले शहरके नागरिक होने चाहिए" (पृष्ठ ३६३)। उनका कहना था कि "ग्रामीण अर्थशास्त्र उद्योग-प्रधान अर्थशास्त्रसे भिन्न" है; जड़ वस्तुओंके उपयोगका अर्थशास्त्र एक चीज है, लेकिन मानवीय अर्थशास्त्र बिलकुल दूसरी।

गांधीजीके विचारसे, नैतिक दृष्टिसे तो खादी उस सार्वभौम स्वदेशी धर्मका ही एक अंग थी जो अपने अनुयायियोंसे "अपने आसपास रहनेवालोंकी सेवामें लीन हो जाने" की अपेक्षा रखता है। इससे ऐसा भ्रम होना सम्भव था कि यह तो सेवाका बहुत ही संकुचित और सृष्टिकी एकताके बोधके विपरीत दृष्टिकोण है। किन्तु गांधीजी का कहना था कि "स्वदेशीकी शुद्ध सेवा करनेसे परदेशीकी भी शुद्ध सेवा होती है। . . . दूरवालोंकी सेवा करनेका मोह करनेसे वह सधती भी नहीं और पड़ोसीकी सेवा भी नहीं हो पाती" (पृष्ठ २७२)। मगर साथ ही उन्होंने स्वदेशीको कोई विकृत रूप देनेके खिलाफ भी लोगोंको आगाह करते हुए कहा: "जो चीजें स्वदेशमें न बनती हों या बहुत कठिनाईसे ही बन सकती हों, उन्हें विदेशी वस्तुओंसे द्वेषके कारण यदि देशमें बनाने बैठ जायें तो वह स्वदेशी-धर्म नहीं है" (पृष्ठ २७४)। स्वदेशीका मर्म स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, "यह संकीर्ण धर्म नहीं है। यह तो प्रेम और अहिंसासे उत्पन्न एक सुन्दर धर्म है" (पृष्ठ २७४)।

इधर गांधीजीकी लँगोटी फिरसे आलोचकोंके बीच चर्चाका विषय बन गई थी और इस बार तो इसमें चर्चिल-जैसे गण्यमान्य राजनयिक भी शामिल थे। इन आलोचकोंको उत्तर देते हुए गांधीजीने बताया कि यह चीज भी उनके लिए "करोड़ों अधनंगे लोगोंके रहन-सहनके अधिक समीप होकर उनसे अपनेको जोड़ सकने" का एक साधन थी। लेकिन उसका महत्त्व यहीं तक सीमित नहीं था। "जिस हदतक लँगोटी सादगीकी निशानी है, उस हदतक वह भारतीय संस्कृतिकी प्रतीक भी मानी जा सकती है।" उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि यूरोपीय सभ्यतामें "जो अच्छा और ग्राह्य हो" उसे भारतको अपनाना चाहिए किन्तु "शारीरिक सुखोंकी दृष्टिसे अविरत शोध और उनकी वृद्धि" का उन्होंने विरोध किया, और कहा कि यूरोपीय लोग "जिन भोगोंके वे गुलाम बने जा रहे हैं, यदि वे उनके भारसे दबकर तबाह न होना चाहते हों, तो स्वयं उन्हें भी अपनी जीवन-दृष्टिको नया रूप देना पड़ेगा।" औरोंके लिए चाहे जो हो, लेकिन "भारतवर्षका इस सोनेके हिरनके पीछे दौड़ना निश्चय ही मौतको गले लगाना है" (पृष्ठ ५८)।

इसी दौरान गांधीजीको एक और विवादमें उलझना पड़ा था। बात यह हुई थी कि भारतमें विदेशी मिशनरियोंके कार्यकलापके सम्बन्धमें गांधीजी द्वारा व्यक्त किये गये कुछ विचारोंको एक अखबारने तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित कर दिया था। इसपर कई अखबारों और अनेक पत्र-लेखकोंने गांधीजीकी बड़ी तीव्र आलोचना की। एक लेखमें इन आलोचनाओंका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा: "हरएक राष्ट्र अपने धर्मको दूसरे किसी राष्ट्रके धर्म-जितना ही अच्छा समझता है। भारतवासी जिन

महान् धर्मोमे आस्था रखते हैं, वे निश्चय ही उनके लिए पर्याप्त हैं। भारतको एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनानेकी कोई "आवश्यकता नही है" (पृष्ठ २८)। उन्होंने धर्मान्तिरणकी आधुनिक पद्धतिपर आपत्ति करते हुए कहा कि आज तो इसने भी "और वस्तुओकी भाँति एक व्यापारका रूप ग्रहण कर लिया है।" "मानव-दयाकी आड़मे किया गया धर्म-परिवर्तन" उनके विचारसे "हानिकर" था और उन्होंने सच्ची स्थितिपर प्रकाश डालते हुए बताया, "धर्म पार्थिव चीजोंकी तरह नही दिया जाता। . . . यदि मनुष्यमे कोई जीवित धार्मिक आस्था है, तो वह गुलावके फूलकी तरह अपनी सुगन्ध फैलाती है" (पृष्ठ २८)।

"गिरि-प्रवचनोंको श्रद्धासे पढ़नेसे" उन्हें जो लाभ हुआ था, उसे उन्होंने उदारतापूर्वक स्वीकार किया, और ईसा मसीहकी गणना "संसारके महानतम शिक्षकोमे" की, किन्तु ईसाको "एकमात्र अवतारी पुरुष" माननेवाली कट्टरपंथी ईसाई विचारधाराको स्वीकार करना उन्होंने असम्भव पाया। जहाँ उन्होंने धर्मान्तिरणके उस रूपपर दु:ख प्रकट किया जिसमें आदमीको एक धर्मसे विमुख करके दूसरेमें दीक्षित किया जाता है, वही "आत्मशुद्धि और आत्मसाक्षात्कारके अर्थमे धर्म-परिवर्तन" को उन्होंने स्पृहणीय बताया। उनका दावा था कि भारतके धर्म भारतके लिए सभी दृष्टियोंसे पूर्ण और पर्याप्त हैं, लेकिन विभिन्न धर्मोके अनुयायी एक-दूसरेसे काफी-कुछ सीख सकते हैं और उन्हे सीखना भी चाहिए। यदि विभिन्न धर्मोके बीच "सहानुभूतिपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो जाये और एक-दूसरेके कुचक्रोंकी कोई आशंका न हो, तो प्रत्येक धर्म शेष अन्य धर्मोसे बहुत-कुछ सीख सकता है।" गांधीजीका विरोध किसी धर्मसे नही, केवल धर्मान्तिरणके विचारसे था (पृष्ठ २५५)।

सावरमती आश्रमसे गांधीजीका सम्बन्ध पूर्ववत् कायम था और वे आश्रम-वासियोंको, उस अहिंसक क्रान्तिका उपयुक्त वाहन बननेके लिए तैयार कर रहे थे जो वे देशमे लाना चाहते थे। इसलिए वे जहाँ-कही रहते थे, वहाँसे वे पत्रों द्वारा आश्रमवासियोसे निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखते थे। लेकिन २६ जनवरीको रिहा होनेके वादसे वे इतने व्यस्त थे कि इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता था। इसलिए उन्होंने नारणदाससे कहा कि वे आश्रमवासियोंको 'गीता,' 'भजनावली' और 'रामायण' पर भरोसा रखनेकी सलाह दे। उन्होंने लिखा, "उनका पारायण मेरे पत्रसे या सहवाससे भी ज्यादा शक्तिप्रद है, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि दूसरे सब लोग भी ऐसा ही माने" (पृष्ठ २४७)। गांधीजीका विचार था कि जिसमे नैतिक शक्ति नही है वह लोक-सेवाके योग्य नही है। इसीलिए उनका विशेष आग्रह था कि सेवकजन खादीके नियमका पूरा-पूरा पालन करें। इस नियमके बन्धनके कारण सेवकोंकी संख्यामें कमी आ जानेकी भी उन्हें कोई परवाह नही थी। उनका विचार था कि ऐसा चरित्र-बल प्राप्त करनेके लिए अपने ऊपर बराबर चौकसी रखना आवश्यक है। "मनुष्य-स्वभाव कठिनाइयोंका सामना" करनेसे कतराता है। "वह आसान रास्तेकी खोजमें रहता है। आसान रास्ता नीचे ले जाता है, मुश्किल रास्ता ऊपर उठाता है। जो नियम भौतिक शास्त्रके लिए सही

है, वही अध्यात्मपर भी लागू होता है" (पृष्ठ ३९)। गांधीजीकी मानसिक शान्ति उनके मित्रोंके लिए ईर्ष्याका विषय थी। इस शान्तिका रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा, "ऐसी मानसिक शान्ति ईश्वर और उसकी कृपापर परम आस्था रखनेसे प्रतिफलित होती है। इस आस्थासे ही मुझे परिणाम या फलकी चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहकर अपना नियोजित कर्म विनम्रतापूर्वक करते रहनेकी सामर्थ्य मिलती है" (पृष्ठ ३११)।

इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजीके राजनीतिक विचार और संघर्षके तरीके सच्चे अर्थोंमें क्रान्तिकारी थे। लेकिन उनका यह दावा भी उतना ही सच था कि वे जितने अतिवादी हैं उतने ही मध्यममार्गी भी। लोगोंको अक्सर उनमें वैचारिक अन्तर्विरोधका भ्रम हो जाया करता था। इस भ्रमका निवारण करते हुए उन्होंने बताया कि इसका कारण यह था कि वे सेवाको ही सेवाका एकमात्र और पूर्ण पुरस्कार मानते थे। उन्हें अपनी सेवाओंके लिए जनताकी प्रशस्तिकी आवश्यकता नहीं, अन्तरात्माके मूक अनुमोदनकी जरूरत थी। सेवा-धर्मके प्रति अपनी इसी निष्ठाके कारण उन्हें वैसे हर व्यक्ति और हर संस्थासे एकताकी अनुभूति होती थी जो इस धर्ममें निरत हो। इस तरह उन्होंने सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीके एस० जी० वझेको लिखा: "हमारे विचार चाहे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हों . . . पर मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि हमारे दिल एक हैं, क्योंकि हम एक ही गुरु [गोपाल कृष्ण गोखले]के शिष्य हैं।" (पृष्ठ २०५)

जनताकी सराहनाकी चिन्ता न करनेका यह मतलब नहीं कि उनके मनमें अयोग्य स्वामीका योग्य सेवक होनेका कोई अभिमान था। सच तो यह है कि आम जनतामें उनकी आस्था अगाध थी। तभी तो उन्होंने वयस्क-मताधिकारका विरोध करनेवाले एक व्यक्तिको लिखा: "हर प्रकारके मताधिकारका दुरुपयोग हो सकता है, पर वयस्क मताधिकारका कमसे-कम होता है" (पृष्ठ ४७) जनसाधारणकी सामान्य प्रामाणिकताके प्रति अपनी इसी श्रद्धाके कारण वे बराबर चाहते थे कि कांग्रेसका सारा हिसाब-किताब जनताकी निगाहमें रहे। वे चाहते थे कि प्रान्तीय समिति जिला स्तरकी समितियोंके वित्तकी व्यवस्था न करे, बल्कि जिला स्तरकी समितियाँ ही प्रान्तीय समितिके वित्तकी व्यवस्था करें। वित्त-व्यवस्थाके केन्द्रीकरणको वे "पैरोंसे चलनेके बजाय नटकी तरह सिरके बल चलने" के समान मानते थे (पृष्ठ १६८)।

आभार

प्रस्तुत खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके प्रकाशको तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी है :

सस्थाएँ : साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्ली, भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया), नई दिल्ली, नेहरू स्मारक सग्रहालय, तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली और स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया।

व्यक्ति : डा० ओल्डफील्ड, श्री कनुभाई मशरूवाला, श्री किशनसिंह चावडा; श्री घनश्यामदास बिडला, कलकत्ता, श्री जमनादास गाधी; श्री नारणदास गाधी, राजकोट, श्री प्रभुदास गाधी; श्री बालकृष्ण भावे, श्री रसिक देसाई, श्री वालजी देसाई, पूना; श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर; श्रीमती गगाबहन वैद्य, बोचासण; श्रीमती प्रेमाबहन कटक, सासवड; श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद; श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत; श्रीमती शारदाबहन शाह, बढवान।

पुस्तकें : 'पाचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो : छगनलाल जोशीने,' 'बापुना पत्रो : नारणदास गाधीने,' 'बापुना पत्रो: प्रभावती बहनने,' 'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री'।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'नवजीवन', 'बोम्बे क्रॉनिकल', 'यग इडिया', 'स्टेट्समैन' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स'।

इनके अतिरिक्त अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका पुस्तकालय; इडियन कौसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय; सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली, भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया); श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र है। कागज-पत्रोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे सहायता देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी है।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजीके स्वाक्षरोमे मिली है, उसे अविकल रूपमे दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख-आदिमे हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके है, हमने उनका मूलसे मिलान और सशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमे संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है, जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दिये गये अश सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण-आदिका जो अश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है। भाषणो और भेटकी रिपोर्टोके उन अंशोमे जो गांधीजीके नही है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमे दी गई है और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधार पर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज-पत्रोका, और एम० एम० यू० गाधी स्मारक निधि और संग्रहालयके मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिटमे उपलब्ध कागज-पत्रोका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध परिशिष्ट तथा अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

परिशिष्ट

१. हिंसावादिता

सिख लीगकी सभामे श्री पेडीको[1] हत्या और श्रीमती कर्टिसके[2] हत्यारेका वीरके रूपमे गुणगान किये जानेसे इस दु:खद सत्यपर बडी ही स्पष्ट प्रकाश पडता है कि आज भी हिंसावादके बहुत-से पुजारी पडे हुए है। हत्यारोकी हदसे ज्यादा प्रशसा की जा रही है। अगर हम हर हत्यारेका गुणगान इसलिए करते है कि हत्या करनेमे उसका हेतु राजनैतिक था तो हम इस कामकी प्रशसा करते-करते स्वय भी वैसे काम करने लगेगे। सज्जनसिहको वीर कहकर उनकी प्रशसा किये जानेसे मुझे यह सदेह हो रहा है कि काग्रेसमे भगतसिहके बारेमे मेरे द्वारा प्रस्तावका[3] रखा जाना बुद्धिमानीकी बात थी या नही? मेरा हेतु तो बहुत स्पष्ट था। उस कार्यकी निन्दा और उसमे निहित वीरता और त्यागकी भावनाकी प्रशसा की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि यह प्रस्ताव हमे कार्य और उसके हेतुमे भेद कर सकनेमे मदद पहुँचायेगा। और हम आखिरकार राजनैतिक हत्या-जैसे कृत्योसे घृणा करना सीखेगे, फिर चाहे उसका हेतु कितना ही ऊँचा क्यो न हो। परन्तु काग्रेसके प्रस्तावका असर शायद बिलकुल उलटा ही पडा। लगता है मानो उसने लोगोको बेखटके हत्याकी ही प्रशसा करनेका अधिकार दे दिया। मै फिरसे अपना निश्चित और भली-भाँति सोचा-समझा यह मत दोहराता हूँ और कहता हूँ कि अन्य देशोके बारेमें वस्तुस्थिति चाहे जो हो, कम-से-कम हिन्दुस्तानमे तो राजनैतिक हत्या देशको नुकसान ही पहुँचा सकती है। यह बात उस हालतमे और भी ठीक है, जब यहाँ शान्तिपूर्ण उपायोसे स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक ऐसा बडा प्रयोग किया जा रहा है जैसा अभीतक की दुनियामे अभूतपूर्व ही है। आँखोवाले देख सकते है कि प्रयोग आशातीत रूपसे उपयोगी सिद्ध हुआ है और अब सफल होने ही वाला है। मै दावेके साथ कहता हूँ कि अगर इस प्रयोगके दरम्यान राजनैतिक हत्याओ और मनमे समाई हुई तथा उससे कुछ कम भाषणोमें तथा उससे कुछ कम असहयोगियोके कामोमे प्रतिबिम्बित हिंसाने खलल न डाला होता, तो अबतक भारत स्वतन्त्र हो चुका होता।

अहिंसा दुर्बलका नही, बलवानका शस्त्र है। अहिंसाका अर्थ है अपराधको क्षमा करना और बदला न लेना। सस्कृतमे एक वचन है "क्षमा वीरस्य भूषणम्"। इस गुणका परिचय युधिष्ठिरके उस समयके व्यवहारसे प्रकट होता है जब विराटने हदसे अधिक उत्तेजित हो उठनेका कारण दिये जानेपर भी उन्होने विराटको क्षमा कर दिया, इतना ही नही अपने भाई अर्जुनके क्रोधसे उसकी रक्षाके लिए भी

१. मिदनापुरके जिला मजिस्ट्रेट जिनकी ७ अप्रैलको गोली मारकर हत्या की गई थी।
२. एक अंग्रेज अफसरकी पत्नी, इनकी हत्या १३ जनवरीको लाहौरमें की गई थी।
३. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३८५।

असाधारण प्रयत्न किया। अगर वे ऐसा न करते तो महाराज युधिष्ठिरका अर्जुनने अपमान करने और उन्हें चोट पहुँचानेके अपराधमें विराटको मार डाला होता।

अहिंसा कोई यान्त्रिक क्रिया नही है। यह हृदयका सर्वोत्तम गुण है और उसे प्रयत्न पूर्वक पा लेनेपर ऐसा मालूम होता है कि वह स्वाभाविक गुण है, सचमुच वह वैसा ही है; और प्राप्त हो जानेपर व्यक्तिको आश्चर्य होता है कि उसे पानेमें उसे किसी प्रकारका भी कष्ट् क्यो उठाना पड़ा। हमारे भीतरका पशु कहता है कि घूँसेके बदले घूँसेसे बढकर स्वाभाविक और क्या है? और हमारे अन्दर बैठा हुआ मनुष्य कहता है कि घूँसा मारनेवालेको क्षमा करनेसे बढ़कर अधिक स्वाभाविकता तथा अधिक मानवता और क्या है? आघात करनेवाला अज्ञानी था और उस समय वह अपने आपेमे नही था, तो आहत भी अज्ञानी क्यो बने और अपने-आपको क्यो भूले? कोई पूछ सकता है कि तब क्या वे तमाम पत्नियाँ मानवीयतासे भरपूर हैं, जो अपने पशुतुल्य पतियोंके अत्याचार सहकर भी उन्हे क्षमा कर देती हैं। अच्छा तो यह हो कि वे क्षमा तो कर दे किन्तु उन्हे खुश करनेका प्रयत्न न करे, बल्कि उन्हीके हितके विचारसे उनसे असहयोग ठान ले।

परन्तु यहाँ मैं इस विषयकी गहराईमे नही उतरना चाहता। जो अहिंसाको मानते हैं वे उसकी शक्तिको पहचाने और मन, वचन, कर्मसे अहिंसक बनें। और जिन्हे अबतक न अहिंसक रीतिकी उपयोगितामे विश्वास है, और जो न हिंसाकी अचूकतामें ही विश्वास करते हैं, वे नीचे लिखी बातोपर विचार करे:

१. भारतके करोडो लोग हिंसक तरीकोंके आदी नही हैं।

२. देशके ग्रामोके निवासियोंने कभी सगठित होकर किसी बडे पैमानेपर हिंसा का उपयोग नही किया है।

३. उनके सामने भारतको एक-राष्ट्रके रूपमे समझकर उसकी स्वतन्त्रताकी कोई निश्चित कल्पना नही है।

४. इसके विपरीत यूरोपमे लोगोने हिंसक तरीकोसे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की; और यह इसलिए कि उन्हे कम या ज्यादा अशोमे हथियार चलानेका अभ्यास था।

५. यूरोपकी जनताने स्वतन्त्रता अन्य शासनारूढ सत्तासे अधिक हिंसाका प्रयोग करके प्राप्त की।

६. फिर भी इसमे तो सन्देह है कि उन्हे, जिनमे अंग्रेज भी शामिल हैं, सच्ची स्वतन्त्रता मिली है या नही। वहांकी आम जनता आज भी यह महसूस करती है कि धनवान वर्गके लोग उन्हे कुचल रहे हैं। क्योकि शासनकी बागडोर उनके हाथोमे है। उनकी अनेक और नित्य अधिकाधिक उलझनपूर्ण होती जानेवाली समस्याओंपर विचार कीजिए।

७. दूसरी ओर हम जानते है कि भारतमे वर्तमान असाधारण लोक-जागृति केवल अहिंसक रीतिसे ही हुई है, जिसमे स्त्रियोकी जागृति भी शामिल है।

८. यह तो हमारे सामने साबित हो चुका है कि जहाँ लोगोने गलती की है, और हिंसक हो उठे हैं, वहाँ उनकी हार हुई है; क्योकि उनका नैतिक बल टूट गया और वे दबा दिये गये।

अगर मै पिछले बारह महीनोके बारेमे और अधिक विचार करूँ, तो इस सूचीमे और भी बाते जोड सकता हूँ। पर मेरा आशय स्पष्ट करनेके लिए इतना पर्याप्त है।

जिन लोगोका हिंसक तरीकोमे पूरा और पक्का विश्वास है, उनसे मै कहूँगा कि देशप्रेमका जितना दावा आप अपने बारेमे करते है, उतना ही मुझे भी करने दे। अगर मेरा यह दावा आपको मजूर है, तो आपको मेरी इस बातपर विश्वास कर लेना चाहिए कि अपने तरीकोको मेरे तरीकोके साथ मिलाकर आप देशके कष्टोको कायम रखनेमे मदद पहुँचाते है। मै जानता हूँ कि आपमे से कुछ यह मानते है कि इक्के-दुक्के किसी अफसरकी हत्या कर देना ध्येय प्राप्तिमे सहायक है। पर यह विश्वास बिलकुल निराधार है। इसके विपरीत मै तो यह जानता हूँ कि उनमे से एक-एक हत्याने मेरे मार्गमे रोडे अटकाये है। मै जानता हूँ कि मेरी ही तरह आप भी, शायद आप कहेगे, तमाम राजनैतिक कैदियोके छुटकारेके लिए, मुझसे ज्यादा आतुर है। पर आपको यह मानना चाहिए कि आतक फैलानेवाले तरीकोसे उनकी मुक्तिका दिन दूर ही हट सकता है। इस सरकारका जैसा सगठन है—सभी सरकारोका ऐसा ही होता है—उसे देखते हुए यह साफ है कि जबतक राजनैतिक हिंसा होती रहेगी, वे उन राजबन्दियोको नही छोडेगे, जिनपर हिंसाका आरोप सिद्ध हो चुका है। अतएव इन सब बातोका विचार करके यदि आपने मेरी सलाह और प्रार्थनाको माना और मान कर अपने कार्योको सारे राष्ट्र द्वारा मेरे प्रयोगकी परीक्षा किये जानेकी इस अवधिमे मुल्तवी रखा, तो बड़ा अच्छा होगा।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-४-१९३१

२. एक अंग्रेजकी परेशानी

भारतवासी उन अग्रेज सज्जनको पहचानते है, जो मेरे पत्रवाहक बनकर ११ शर्तोवाला पत्र वाइसरायको देने गये थे, और जिन्होने गत वर्षके सत्याग्रह युद्धके दिनोमे इग्लैडमे बड़ी-बडी कठिनाइयोका सतत सामना किया है। अब [उन्ही] श्री रेजीनाल्ड रेनॉल्ड्सने नीचे लिखा दर्दभरा पत्र भेजा है.[1]

कौटुम्बिक और निजी बातोके सिवा मैने इस पत्रमे कुछ काँट-छाँट नही की है। श्री रेनाल्ड्सकी इच्छासे मै यह पत्र छाप रहा हूँ, और ऐसा करते हुए मुझे आनन्द होता है, क्योकि मै जानता हूँ कि मुझपर आश्चर्यजनक विश्वास रखनेके

१. यहाँ नही दिया जा रहा है। श्री रेनॉल्ड्सने गांधीजी द्वारा गोलमेज परिषद्में भाग लिये जानेकी स्वीकृतिको असंगत कहा था और पूछा था कि तब फिर पूर्ण स्वतन्त्रता सम्बन्धी लाहौरके प्रस्तावका अर्थ ही क्या बच रहता है। उन्होंने यह भी कहा था कि शासनारूढ़ दल भारतके साथ कदापि न्याय नहीं करेगा; करेगा तो उसे अपनी सत्तासे हाथ धोने पड़ेंगे, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सत्ताका 'हृदय-परिवर्तन' हो गया है; इसलिए गांधीजीका परिषद्में भाग लेना अपने जन्मसिद्ध अधिकारसे समझौता करना है।

कारण कांग्रेसने समझौता[1] स्वीकार कर लिया है। तथापि कुछ ऐसे भारतीय भी हैं, जो इन्हीं बहादुर अंग्रेज सज्जन जैसे विचार रखते हैं और चाहे जितने कम क्यों न हों, कुछ अंग्रेज भी ऐसे होंगे, जो मेरी नरमी और इस असंगतिसे रेनाल्ड्सकी तरह मन ही मन खीझ रहे होंगे। इसलिए रेनाल्ड्स तथा उन लोगोंके विचारसे मुझे इन शिकायतोंका जवाब देनेकी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हिन्दुस्तानको अभी कई वर्षोंतक उन सबकी सक्रिय सहायता और सहानुभूतिकी जरूरत रहेगी।

नरमीका आरोप मुझे कबूल कर लेना चाहिए। मुझे जाननेवाले मित्रोंका कहना है कि मैं जितना गरम हूँ, उतना ही नरम हूँ, और जितना प्रगतिवादी हूँ उतना ही रूढिवादी भी। शायद इसी कारण मुझे इन दोनों ही वर्गोंमें आत्यन्तिक दृष्टिकोण रखनेवाले मित्र पानेका सौभाग्य प्राप्त है। किन्तु मैं मानता हूँ कि इन दोनों तत्त्वोंको एक-साथ मित्र-रूपमें मेरे पानेका कारण अहिंसा विषयक मेरा दृष्टिकोण है।

असंगति तो आभासमात्र है। मैं अपनेको संयोगोंके परिवर्तनके अनुकूल बना लेता हूँ, इस कारण मित्रगण असंगतिका अनुभव करते हैं, यों तो प्रकट संगति और असंगति, दोनों ही बातें निरी हठधर्मी भी हो सकती है।

किन्तु मुख्य बात तो यह है कि लोक-सेवकको तो नरमी या उग्रता या असंगतिके आरोपोंका कोई विचार ही नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ एक बातकी चिन्ता रखनी चाहिए, और वह है उसकी अन्तरात्माकी स्वीकृति। अपनी अन्तरात्माके अचूक आश्वासनको छोड़कर जो जनताको खुश करनेके लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त करनेका प्रयत्न करता रहता है, उसकी दशा बिना पतवारकी नौकाके समान होती है। सेवाका एकमात्र पुरस्कार सेवा ही होना चाहिए। इसलिए मैं जो दलीलें और तथ्य पेश करूँगा, वे पुरअसर हों या न हों, पाठकोंके लिए इतना जान लेना काफी होना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि रेनाल्ड्सके लिए भी इतना ही काफी होगा, कि सुलह करने और उसे मंजूर करनेकी सलाह देनेमें मैंने अपनी मतिके अनुसार उचित ही नहीं, जो कर्त्तव्यरूप था, वही किया है।

अब तथ्यों और दलीलोंको लीजिए। रेनाल्ड्स और उनके-जैसे विचार रखनेवालोंकी परेशानीका कारण यह है कि उन्होंने इसे ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं देखा। कई बार एक ही नई बातमें सारी परिस्थितिके बदल जानेकी सम्भावना हो जाती है। रेनाल्ड्सने चार बातें सामने रखी हैं[2] (१) १९२९के नवम्बरकी दिल्ली वाली विज्ञप्ति,[3] (२) ग्यारह शर्तें,[4] (३) श्री० स्लोकॉम्बको दी गई शर्तें[5] और (४) गांधी-नेहरू शर्तें।[6]

१ गांधी-इर्विन-समझौता, देखिए खण्ड ४५, परिशिष्ट ६।

२. रेनाल्ड्सके अनुसार समझौता इन चारों चीजोंसे असंगत है।

३. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ८६-८७।

४. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ४४९।

५. देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ४३७-३८।

६. देखिए खण्ड ४४, पृष्ठ ८२-८४।

दिल्लीकी विज्ञप्ति लॉर्ड इर्विनकी प्रसिद्ध विज्ञप्तिका जवाब थी और इस कारण उसकी मर्यादा उस विज्ञप्तितक ही थी।

ग्यारह शर्तोंवाला पत्र सविनय अवज्ञाके आरम्भसे पहले लिखा गया था, और उसमे यह बताया गया था कि किन शर्तोंपर सविनय अवज्ञा टाली जा सकती है, इसलिए उसका नवम्बरकी विज्ञप्तिसे भिन्न होना आवश्यक था।

सत्याग्रहके आरम्भके बाद शीघ्र ही श्री स्लोकॉम्बको शर्ते बताई गई थी इस लिए उनमे ११ शर्तोंकी अपेक्षा कुछ फर्क तो था; परन्तु कोई शर्त कम नही की गई थी।

गाधी-नेहरू शर्तें युद्धके मध्यकालमे उस समय सामने रखी गई थी, जब हम सब कैदमे थे, दुनियासे कटे हुए थे और असुविधापूर्ण स्थितिमे थे। इन चारो स्थितियो तक न गोलमेज परिषद्‌की बैठक हुई थी और न सरकारने अपनी कोई नीति ही जाहिर की थी।

मौजूदा सुलह पहली स्थितिका स्वाभाविक विकास है। भिन्न-भिन्न स्थितियोके दरम्यान शर्तोंमे जो हेरफेर हुए है, उनका श्रेय प्रत्येक सम्बन्धित परिस्थितिके हेरफेर-को है। पहली चार स्थितियोमे जो नही था और अब है, वह यह है कि पाँचवी स्थितिके पहले अर्थात् समझौता होनेसे पहले गोलमेज परिषद् हो चुकी थी और सरकारकी नीति प्रकट कर दी गई थी।

दूसरे किसी भी समय गोलमेज परिपद्‌के साथ सहयोग करना शक्य न था, क्योकि ब्रिटिश सरकार अपनी नीति जाहिर करना नही चाहती थी, और परिषद्‌के प्रतिनिधियोके मशाका किसीको पता न था। परन्तु गत मार्चमे दिल्लीमे परिषद्‌के प्रतिनिधियोकी मॉग जाहिर हो चुकी थी और सरकारी नीतिकी भी घोषणा हो चुकी थी। यह मॉग औपनिवेशिक स्वराज्यकी थी और ब्रिटिश नीति प्राय इस माँगकी स्वीकृतिके घोषणापत्र-जैसी थी।

भारतीय प्रतिनिधियोकी औपनिवेशिक स्वराज्यकी मॉग और ब्रिटिश विज्ञप्ति, इन दोमे से एक भी काग्रेसकी आवश्यकताको पूरा करते हो, सो नही है, और इसका खास कारण यह है कि उसके इर्दगिर्द तथाकथित सरक्षणोकी जो बाड लगा दी गई है, काग्रेसके विचारमे वह ऐसी है ही नही कि उससे भारतका हित हो सके।

फिर भी इसमे सन्देह नही कि भूतकालकी अनिश्चितताके मुकाबले इस बार परिस्थिति एक कदम आगे बढी है। जब इस बातका विश्वास हो गया कि काग्रेस को अपने मतका सम्पूर्ण आग्रह रखनेकी स्वतन्त्रता रहेगी, उस समय ऐसा लगा कि अगर काग्रेस गोलमेज परिषद्‌मे अपनी माँगे पेश करने और उन्हे मंजूर करानेका आग्रह करनेसे इनकार करेगी, तो वह उसके लिए अनुचित होगा। ब्रिटिश सरकारने जैसी घोषणा की है, उसके बाद काग्रेसको आगे-पीछे कभी-न-कभी तो अपने हकोकी चर्चा उससे करनी ही पडती। सम्मानपूर्ण शर्तो पर समझौतेका मौका सत्याग्रही कभी हाथसे नही खोता, खो नही सकता। यह तो एक सदासे मानी हुई बात है कि समझौतेके टूट जानेपर वह लडाईके लिए भी हमेशा तैयार रहता है। उसे पहलेसे तैयारी कर रखनेकी जरूरत नही होती। उसका तो सारा खेल हमेशा खुला हुआ

होता है। उसके लिए युद्धका रुकना या जारी रहना, दोनों बराबर हैं। वह जो लड़ता है, या विश्राम करता है, सो सिर्फ एक ही ध्येयकी प्राप्तिके लिए। वह अपने विरोधियोंपर सदा अविश्वास करनेकी धृष्टता न करे; बल्कि जब और जहाँ कोई छोटा भी निमित्त मिले, तब मित्रतापूर्वक बढ़ाये गये हाथको अपने हाथमें लेना उसका कर्त्तव्य ही है। यहाँ अभूतपूर्व एकताके साथ पेश की गई भारतीय माँग, अधूरा होते हुए भी ब्रिटेनका दिया हुआ उत्तर, और लॉर्ड इर्विनके साथ हुई सारी चर्चामें ओतप्रोत हृदयकी स्वच्छता इस समझौतेके निमित्त-रूप बने।

मैंने कभी इस बातका दावा नहीं किया कि राजसत्ताका हृदय-परिवर्तन हो गया है। वह होना तो अभी बाकी है। जब वह होगा तब केवल अस्थायी ही नहीं, पूरी तरह स्थायी सन्धि हो जायेगी। उस समय सत्याग्रही सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करेगा; क्योंकि हृदय-परिवर्तनका अर्थ है भारतीय माँगोंको सम्पूर्ण और अत्यन्त साफ दिलसे मानना।

अन्तिम बात यह है कि इन सब स्थितियोंके दरम्यान हमने झंडा एक बार भी नहीं झुकने दिया है। सन् १९२९ की २३ दिसम्बरको[1] औपनिवेशिक दर्जेका स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस) का त्यागकर दिया गया था और अब वह पूर्ण स्वराज्य (कम्प्लीट इंडिपेंडन्स) अर्थात् हो सके तो ब्रिटिशोंके साथ बराबरीके दर्जेका सम्बन्ध और दोनों पक्षोंको उसे स्वेच्छापूर्वक तोड़नेके अधिकारका रूप ले चुका है। अभी बिलकुल मुमकिन है कि यह सम्पूर्ण स्वतन्त्रता परिषद् द्वारा न मिले; और यह भी बहुत सम्भव है कि तथाकथित संरक्षण जैसे हैं, उस रूपमें वे बन्धनकारक हों। यदि ऐसा हुआ तो परिषद्की असफलताके लिए कांग्रेस जिम्मेदार न होगी; उलटे उसकी तो नैतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, और वह अपनी माँगोंको पूरी तरह पेश करके यह साबित कर देगी कि वे माँगें इसी कारण सर्वथा उचित हैं। यह सच है कि सब राजनैतिक कैदी रिहा नहीं हुए हैं। यह सम्भव नहीं था कि अस्थायी समझौतेकी शर्तोंमें उनकी रिहाईकी शर्तें भी रखी जातीं। यह स्थायी समझौता हुआ तो वे रिहा हो जायेंगे। यदि समझौता नहीं हुआ, तो जो इस वक्त बाहर हैं, वे अन्दर जा बैठेंगे और राजबन्दियोंकी सेनामें वृद्धि करेंगे। सत्याग्रहीको जेल-जीवन न शक्तिहीन बनाता है न दुःख देता है। उसके लिए तो जेल मुक्तिका द्वार है।

अन्तमें मैं यह बताना चाहता हूँ कि कांग्रेसकी दृष्टिमें पूर्ण स्वराज्यका अर्थ क्या है। इस सम्बन्धमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण स्वराज्य अर्थात् करोड़ों श्रमजीवियोंका सम्पूर्ण आर्थिक स्वातन्त्र्य। पूर्ण स्वराज्य उन्हें चूसनेके लिए किसी भी प्रकारके स्वार्थके साथ अन्यायपूर्ण साझेका नाम तो कदापि नहीं है। किसी भी साझेदारीका अर्थ उन लोगोंकी मुक्ति तो होना ही [चाहिए]।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-४-१९३१

१. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ३५२-५५।

३. टिप्पणियाँ

मालवीयजी और कार्य-समिति

एक पाठक पूछते हैं :

> आपने कराचीमें विषय-समितिको दक्षिण भारतके सदस्योंको कार्य-समितिमें न रखनेका कारण तो समझाया, पर यह नहीं बताया कि मालवीयजीको क्यों अलग रखा गया।[1]

बात इतनी स्पष्ट थी कि किसीने कुछ पूछा ही नही। इसमें मालवीयजीके अपमानका तो कोई सवाल हो ही नही सकता। वे अपमानसे परे हैं। कोई भी संस्था उन्हे अपना सदस्य बनाकर उनकी स्थिति या उनके महत्वको बढा नही सकती। हाँ, उनकी सदस्यतासे सस्थाकी प्रतिष्ठा बढ सकती है। कार्यसमितिने जान-बूझकर उन्हे अलग रखा है, ताकि समय पडनेपर उनकी स्वाधीनता और कार्य-स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे। सदस्य न होते हुए भी वे, जबसे नेता लोग छूटे हैं, बराबर कार्य-समितिकी बैठकोमे उपस्थित रहे हैं और उसकी कार्यवाहियोमे सक्रिय भाग लेते रहे है। कार्य-समितिमे उनका योग मूल्यवान रहा है; इसलिए सदस्योने सोचा कि उन्हे समितिके अनुशासनमे रखना कही उनके लिए कष्टप्रद न सिद्ध हो। डाक्टर अन्सारी तो मालवीयजीको समितिमे रखनेके लिए इतने उत्सुक थे कि उनके लिए स्वयं हट जाना चाहते थे। पर जिस विचारका मैंने अभी जिक्र किया है, जमना-लालजीने उसे ऐसे प्रभावशाली ढगसे समितिके सामने रखा कि डाक्टर अन्सारीको भी इस बातके लिए राजी होना पड़ा कि मालवीयजीको मुक्त ही रखा जाये। इस व्यवस्थासे समिति अपनी कार्यवाहियोमे मालवीयजीकी सलाहसे लाभ उठा सकेगी और साथ ही उनकी कार्य-स्वतन्त्रतामे भी किसी प्रकारकी बाधा नही पडेगी। गोलमेज सम्मेलनमे उन्हे अलगसे निमन्त्रित करके सरकारने भी समाजमें उनकी अद्वितीय स्थिति स्वीकार की है।

खादी द्वारा बहिष्कार

पिछले साल सारे देशमें खादीके उत्पादन और उसकी बिक्रीमे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसका प्रधान कारण यह था कि सघर्षसे प्रोत्साहन पाकर इसकी जनतामें असाधारण माँग बढ गई और खादी एकदम सघर्षका प्रतीक बन गई। उत्पादनके मुकाबले बिक्री इतनी बढ़ गई कि एकाएक बढ़ी हुई माँगको पूरा करना कार्यकर्ताओके लिए मुश्किल हो गया।

राष्ट्रीय जागृतिके वर्षमें इस प्रकार जो प्रगति हुई है, उसे व्यर्थ नही जाने देना चाहिए; बल्कि और भी अधिक प्रसारका आधार बनाना चाहिए। अगर इस

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ४००-२।

कामके फलको खोना नही है तो सुलहके दौरान भी लड़ाईके वक्तकी-सी सरगर्मीके साथ काम जारी रखना चाहिए। पहले स्वदेशी मिलोको बहिष्कार-कार्यक्रमका एक अंग माना गया था, पर खादीके सम्बन्धमें काग्रेसका रुख पूर्ववत् ही है। इसका अर्थ खादीका ह्रास नही होना चाहिए। जहाँ खादी बिलकुल प्राप्त न हो सके, वहाँ मिलका कपडा उसकी कमी पूरी करेगा। पर अभी तो जितनी भी खादी माँगी जाये, मिल सकती है। विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-कार्यक्रममे खादीका स्थान प्रधान है। खादी-उत्पादनकी विशाल सम्भावनाओको कार्यमे परिणत किये बिना, विदेशी वस्त्रका प्रभावशाली बहिष्कार सम्भव नही है। यही नही, बल्कि राष्ट्रीय बहिष्कारके फलोका लाभ यदि इने-गिने धनवानोको न पहुँचाकर करोडो देहातियोको पहुँचाना हो तो इसका केवल यही उपाय है कि जीवनदाता चरखेका अधिकसे-अधिक प्रचार किया जाये। इसी कारण काग्रेसने कराचीमे बहिष्कार-कार्यक्रममें खादीके अद्वितीय स्थानको जोर देकर दोहराया है और तमाम "काग्रेस-सस्थाओं और उनसे सम्बद्ध समितियोमे प्रार्थना की है कि वे खादी-प्रचारको बढाकर विदेशी वस्त्र-बहिष्कारको और तीव्र करे।" पिछले सालके अनुभवने यह बता दिया है कि माँग चाहे कितनी ही क्यो न बढ जाये, खादीके उत्पादनसे उसे शीघ्र पूरा किया जा सकता है। हमे मौजूदा कामको ही कायम नही रखना है, बल्कि कताईके कामको और बढाना है। कम-से-कम हमे इतना तो करना ही चाहिए कि यदि हम पिछले सालसे आगे न बढ सके, तो उसके बराबर तो अवश्य पहुँच जाये।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-४-१९३१

४. पत्र : प्रभावतीको

१८ अप्रैल, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र मिलते रहते है। लगता है कि तू वहाँ नाहक ही गई। तो भी दुखी होकर अपना स्वास्थ्य मत बिगाडना। देखता हूँ कि जब गई ही है तो शिष्टताके नाते ही सही फिलहाल तो रहना पड़ेगा। हरसूबाबूके स्वस्थ हो जानेपर आ जाना। आज बम्बईमे हूँ। कल अहमदाबाद वापस चला जाऊँगा। अभी तो थोडे दिन वहाँ रहना होगा। घबराना नही। मै ठीक हूँ।

मीराबहन आ गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९८) की फोटो-नकलसे।

५. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

बम्बई
१८ अप्रैल, १९३१

हाल ही में कुछ पत्रोंमें प्रकाशित शिकायतके बारेमें, जिसका संकेत अवकाश-प्राप्त वाइसरायने भी मिल-मालिक संघसे प्राप्त मानपत्रके उत्तरमें दिया था, गांधीजी ने पत्रकारोंके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए घोषणा की :

लडना मेरे स्वभावमे नही है। मेरी प्रवृत्ति इस समय तो शान्तिमुखी ही है। मै यह प्रवृत्ति बनाये रखने और देशमे स्थायी शान्ति स्थापित करनेके लिए यथा सम्भव सभी प्रयत्न करूँगा। इस दिशामे मेरे सहयोगी भी कार्य कर रहे है।

आगे चलकर उन्होंने अपना यह विचार पुनः दुहराया कि साम्प्रदायिक समस्याका हल खोजे बगैर वे गोलमेज सम्मेलनमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा अभी तो मैंने साम्प्रदायिक समस्याके न सुलझनेपर गोलमेज सम्मेलनमें शामिल होनेका विचार छोड़ दिया है।

अगले कार्यक्रमके बारेमें पूछे जानेपर उन्होंने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। जबतक मुझे साम्प्रदायिक समस्याका कोई हल नजर नहीं आता मैं कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं कर सकता।

प्रश्न : क्या साम्प्रदायिक समस्याके बारेमें आप कुछ कहेंगे?

उत्तर : इससे अधिक मै कुछ भी कहनेमे असमर्थ हूँ कि मै पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और सफलताके लिए प्रार्थना करूँगा। मै जानता हूँ कि प्रार्थनासे बडे-बडे काम बन जाते है।

क्या आप पृथक् निर्वाचक मण्डलके विरुद्ध हैं?

मै ऐसी किसी व्यवस्थाके विरुद्ध नही हूँ जिससे साम्प्रदायिक समस्या सुलझाई जा सके।

क्या पृथक् निर्वाचक मण्डल बननेसे सम्प्रदायोंके बीचकी खाई और चौड़ी नहीं होगी?

यह बात मेरे सोचनेकी नही है।

क्या आप मुसलमानोंके प्रत्येक वर्गको सन्तुष्ट कर सकनेकी आशा रखते हैं?

मै सभी वर्गोको सन्तुष्ट कर सकनेकी आशा रखता हूँ।

श्री शौकतअलीने अपने हालके बयानमें कहा है कि भारतीय राजनीतिके लिए आप एक खतरा हैं। इस बारेमें आपकी क्या राय है?

वे मेरे पुराने मित्र है, इसलिए मेरे बारेमे जो-कुछ उन्होने कहा है, ठीक ही है।

आंग्ल-भारतीय समाचारपत्रोंमें छपी इस शिकायतके बारेमें कि कांग्रेस सन्धिकी शर्तोंका पालन नहीं कर रही है, आपको क्या कहना है?

इक्के-दुक्के मामलोंको छोड़कर, मैं इसका जोरोंके साथ प्रतिकार करता हूँ। श्री वेनका उत्तर पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ है। गुजरातमें इसकी प्रगति सन्तोषजनक रही है। उदाहरणार्थ, बारडोलीमें किसान, जितनी जल्दी हो सकता है, बकाया रकम चुका रहे हैं। १६ तारीख तक बारडोली और वालोडके लोगोंने १,१६,६५८ रु० जमा करा दिये थे, जब कि जलालपुरमें अस्थायी समझौतेकी घोषणाके बाद १,९६,४५३ रु० जमा कराये गये हैं। इसे मैं अच्छी रकम मानता हूँ और यह कहने पर मजबूर हूँ कि सरकारको बहुत गलत जानकारी दी गई है। तीसरे-हाथ-बिकी जमीनके सम्बन्धमें कुछ पूछे जानेपर उन्होंने कहा कि वे जमीनके खरीदारोंसे, बहुत ही विनम्रताके साथ उन जमीनोंको लौटानेकी प्रार्थना करेंगे और उन्हें विश्वास है कि प्रत्येक इंच जमीन लौटा दी जायेगी।

यह पूछे जानेपर कि क्या वे देशको दुविधाकी स्थितिमें नहीं रख रहे हैं, उन्होंने कहा, देश यह जानता है कि स्थायी शान्तिके लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। और यदि ऐसी शान्ति स्थापित नहीं होती है तो देशको कष्ट झेलनेके लिए तैयार रहना चाहिए।

इस प्रश्नके उत्तरमें कि क्या बातचीत द्वारा स्थायी शान्ति स्थापित करना सम्भव है, गांधीजीने कहा कि उनका यह निश्चित विश्वास है कि ऐसी बातचीत द्वारा जिसके पीछे वास्तविक शक्तिका समर्थन हो, स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है। विदेशी कपड़ेको बाहर भेज देनेके सम्बन्धमें उन्होंने बताया कि इस योजनाको[1] अमलमें लाया जा रहा है। श्री जाफरी कारवेटसे इस बारेमें उनकी बातचीत हुई है, इस समाचारका उन्होंने प्रतिवाद किया।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १९-४-१९३१

१. मिल-मालिकोंके साथ गांधीजी की एक भेंटमें यह तय हुआ था कि "विदेशी कपड़ेके बाहर भेजनेकी योजनापर तेजीसे अमल करनेके लिए" कार्यकारी समिति नियुक्त की जायेगी। (बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-४-१९३१)।

६. भाषण : बम्बई नगर निगमके मानपत्रके उत्तरमें[1]

[१८ अप्रैल, १९३१][2]

आपके मानपत्र और उसमे व्यक्त की गई आपकी सुन्दर भावनाओके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। एक बार पहले भी आप मुझे अपनी मुहब्बतसे शराबोर कर चुके है। मै मानता था कि सिर्फ एक ही मानपत्र काफी होगा; पर हम देखते है कि दुनियामे प्रेमकी कही कोई सीमा नही है, यही बात आपपर लागू होती है। परन्तु मै मोहमे पड़कर यह तो नही मान सकता कि यह प्रेम आपने एक मनुष्यके प्रति व्यक्त किया है; इस प्रकारकी आत्म-वचना मेरे लिए सम्भव नही है। मै मानता हूँ कि १९२४की[3] ही तरह आज भी गरीबोके प्रति मेरे प्रेमके कारण आपने मुझे मानपत्र दिया है। मै यह दावा करता हूँ कि मै दरिद्रनारायणके लिए जीता हूँ। स्वराज्यका अर्थ हिन्दुस्तानके नर-कंकालोकी मुक्ति है। ये गूँगे जब बोलने लगेगे और जब ये लँगडे-लूले चलने लगेगे, तभी यह कहा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य मिल गया। ऐसा स्वराज्य हम किसीको डरा-धमकाकर नही ले सकते, वरन् संगठन और एकतासे ही ले सकते है। आपने इन बातोको अपना लिया है, आपके दोनो मानपत्रोका मै यही अर्थ करता हूँ, और ऐसा करनेका मुझे हक है।

आपने हिन्दुस्तानके अस्पृश्योद्धारके बारेमे मेरे प्रयत्नोकी तरफ इशारा किया है। हम अस्पृश्योके सब अधिकारोकी रक्षा करना चाहते है, पर स्वराज्यकी पहली शर्त यह है कि हिन्दूधर्मसे हिन्दू, अस्पृश्यताके कलकको धो डाले।

हम यह कहते और सुनते आये है कि हिन्दुस्तान शहरोमे नही, गाँवोमे बसता है। परन्तु यदि शहर इस बातको साबित करना चाहते हो कि उनकी हस्ती और आबादी भारतके गरीब देहातियोके लिए है, तो उन्हे अपने साधनोका अधिक-से-अधिक उपयोग गरीबोकी हालत सुधारने और उनके साथ भाईचारेका व्यवहार करनेमे करना चाहिए। अर्थात् शहरियोके लिए यह उचित नही कि वे गाँववालोके मालिक बन बैठे। हम तो यह चाहते है कि शहरवाले गाँववालोके मालिक न बनकर, सेवक बने। जब शहर यह मानेगे कि गरीबोकी सेवाके लिए ही उनकी हस्ती है, तब कही वे अपने महलो और अपने रहन-सहनके ढंगकी थोडी-बहुत तुलना गाँवोके साथ करेगे। आज दूसरी बार आपका मानपत्र लेते समय भी क्या आप मुझे यह आशा नही करने देगे कि आप गरीबोकी अधिकाधिक सहायता करते रहेगे? आप ऐसा करे तो उसकी निशानीके तौरपर शहरके हजारो मजदूरोको अपनाये; उन्हे यह अनुभव करने दें कि यह नगर निगम जैसा अमीरोका है, वैसा ही उनका भी है। जो शहर

१. महादेव देसाईके "साप्ताहिक पत्र" से उद्धृत; गांधीजी गुजरातीमें बोले थे।
२. हिन्दू, १९-४-१९३१ से।
३. देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ५५-५६।

सुन्दर माना जाता है, सुन्दर काम करनेमें ही उसकी शोभा है। बम्बई हिन्दुस्तान-भरमें अव्वल नम्बरका शहर है, और इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ वह पारसी कौम रहती है, जिसका उदारतामें पहला स्थान है, और उस कौमके सर फीरोजशाह मेहता ने इस शहरकी असाधारण सेवा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप गरीबोंकी सेवाके काम करते रहें।

आपने यह इच्छा प्रकट की है कि हमारे देशमें कौमी इत्तफाक कायम हो। हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब अपनेको हिन्दुस्तानी मानकर रहें। भले सबके धर्म भिन्न हों, परन्तु पेड़के असंख्य पत्ते जिस तरह भिन्न होते हुए भी एक ही पेड़के होते हैं, उसी तरह आपकी महत्वाकांक्षा यह मानकर चलनेकी होनी चाहिए कि हम सब हिन्दुस्तान-रूपी एक पेड़के पत्ते हैं। आपने मेरे प्रयत्नकी सफलताके लिए आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। पर वह काम मुझ अकेलेसे नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस दिशामें प्रयत्न करें।

मैंने जो विनती की है, यदि वह आपको मंजूर हो तो बम्बईमें आप जिन ८०,००० बालक और बालिकाओंको शिक्षा देते हैं, गाँवोंसे उनका सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए उनसे सूत कतवाना शुरू कर दीजिये। उनमें से हरएकके हाथमें एक-एक तकली दे दीजिए। तकलीके गुण आज मैं आपको नहीं बताऊँगा। पर एक बात है कि तकली कम-से-कम खर्चमें शुरू की जा सकती है। और एक बार इसके दाखिल होने पर उसके साथ खादी भी दाखिल हो जायेगी। कातकर और खादी पहनकर गरीबोंको अपनाया जा सकता है, यदि बालक इस बातको समझने लगें तो इससे बढ़कर तालीम और क्या हो सकती है? ईश्वर करे, नगर निगमकी दिन-दूनी उन्नति हो, और वह आपको बुद्धि तथा शक्ति दे, जिससे आप हिन्दुस्तानके गरीबों और लाचारोंकी सेवा कर सकें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १८-४-१९३१

७. सत्याग्रही किसानोंसे

खेडा, सूरत और भड़ौच जिलोके बहुत-से सत्याग्रही किसानोकी जमीने गई, फसले बरबाद हुई, घर लुटे, वे बेघरबार हुए और कइयोके घर जला दिये गये, समझौता इस सबकी एवजमे कुछ मिले बिना हुआ, और यह तय हुआ कि जो लोग लगान दे सके, वे दे दे, और मानो इतना काफी नही था, इसलिए अभीतक कुछ पटेल-पटवारी तो अपना काम भी नही सँभाल सके है,— इस तरहके विचार रखने वालोको कभी सन्तोष नही हो सकता।

पर दूसरा ढग विचार करनेका यह है। किसानोकी शिकायत करनेकी कोई वजह ही नही है। क्योकि जब वे मैदानमे कूदे थे तभी उन्होने अपने खेत-खलिहान, घरबार, ढोर-डगर और जानमाल तक गँवानेका सकल्प कर लिया था। स्वराज्यके लिए वे सब-कुछ खोनेको तैयार बैठे थे। इसलिए आज उन्हे यदि कुछ वापस मिलता है तो यह मानना चाहिए कि उतना अनायास ही मिल रहा है। इस दृष्टिसे तो उनकी शिकायतका कोई कारण ही नही रहता। कोई उतावलीमे पूछेगा कि स्वराज्य मिले बिना नुकसानकी भरपाईसे सन्तोष कैसे हो सकता है? इसका जवाब यह है कि यह तो लडाईके दरम्यान हुआ समझौता है, लडाईकी पूर्णाहुति नही है। सब कुछ दाँवपर लगा देनेके बाद जो बच गया, सो बच गया। स्वराज्य पानेतक यदि सर्वस्व दाँव पर लगा देनेका सौभाग्य मिले तो उसे शुभ समझना चाहिए। इसलिए नुकसानसे किसीके निराश होनेका कोई कारण ही नही है। समझौता नुकसानकी भरपाईके लिए नही किया गया, बल्कि वह तो स्वराज्यकी दिशामे एक कदम है। समझौतेमे अनावश्यक बरबादीसे बचनेका भाव जरूर है। और वह उद्देश्य तो पूरा हो रहा है। नुकसानकी भरपाईसे जो मिल जाये, उसे ही काफी समझना चाहिए। इत नी बात समझनेवाले अधीर नही होगे, फिर सम्भव है, जिनपर मुकदमे चल रहे है, वे देरसे छूटे, जब्त हुई जमीनें वापस मिलनेमे देर हो और इस्तीफा देकर अलग हो जानेवाले पटेल वगैराको फिरसे अपना काम सँभालनेमे देर लगे। हो सकता है कि इन सब मामलोमे सरकारकी ओरसे समझौता भग हो रहा हो, इसे भी हम सहन कर ले, और हमे जिन शर्तोका पालन करना है, उनका पालन करते रहे। ऐसा करनेसे हर तरहसे हमारी ताकत बढेगी।

फिलहाल सरकारसे हमारा असहयोग नही चल रहा है, इसलिए हम सरकारी अफसरोसे मिल सकते है और जो शिकायत करनी हो, सो कर सकते हैं।

एक बहुत बडी शिकायत बिकी हुई जमीनोके बारेमे रह जाती है। इस बारेमे धीरज रखनेकी जरूरत है। जमीनोके मालिक यह विश्वास रखे कि आखिरकार उनकी जमीन उन्हे मिलने ही वाली हैं। पर वे हमे सीधे रास्तेसे प्राप्त करनी है, जोर-जबरदस्तीसे नही। जिन्होने जमीने ली है, उनसे प्रार्थना करने, उन्हे समझानेका हमे हक है। मै मानता हूँ कि हम उन्हे विनम्रतासे समझा सकेगे। परन्तु मान लीजिए

कि हम नाकामयाव हुए, तो भी क्या हुआ? इससे कोई यह न माने कि वह जमीन उसे वापस नही मिलेगी। हमे इस वातका आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम थोड़े ही समयमे स्वराज्य हासिल करनेवाले है। स्वराज्यकी सरकारका पहला काम यही होना चाहिए कि वह ऐसे अन्यायोको दूर करे। मैं यह वात किसी सुदूर भविष्यकी नही, वल्कि निकट भविष्यकी कहता हूँ। मान ले कि निकट भविष्यमे स्वराज्य न मिला। उस हालतमे हमारे सामने फिरसे घर-वार और जमीने छोड़नेका मौका आयेगा और सरदार, मै तथा दूसरे सव लोग जेल-महलमे मौज करते होगे। इसलिए जिनकी जमीनें विक चुकी है, वे धीरज रखे।

परन्तु मैने खुद तो जमीन खरीदनेवालोको समझा सकनेकी आशा छोड़ी ही नही है। खरीदार हमारे ही भाई है। जैसा कि सुना है, उनमे पारसी है, मुसलमान है और धाराला ठाकुर है। उन सवके हृदय है। वे जानते है कि उन्होने जमीने मिट्टीके भाव मोल ली है। उसके लिए वे भी शर्माते तो होगे ही। स्वराज्यके लिए दु:ख उठानेको तैयार लोगोकी जमीनें उन्होने ली है। मै मानता हूँ कि इस वातको समझते ही वे जमीने जरूर लौटा देगे। धाराला ठाकुरोके प्रति पाटीदारोका विशेष कर्त्तव्य है। भूतकालमे उनके साथ यदि कुछ अन्याय हुआ हो तो पाटीदारोको चाहिए कि वे उसे दूर करे और धारालाओको अपनायें। 'वे समझेगे ही नही', यह सोचकर निराश होना स्वराज्यवादीको शोभा नही देता। चाहे जो हो, हम उनके विरुद्ध कोई आन्दोलन न करे। उनसे झगडेके तमाम मौकोसे हम वचे। इस वरसातमे खेत न जुते, तो उतना नुकसान उठाना हमारा कर्त्तव्य है। जिसे आत्मविश्वास है वह इतना सहन कर ही लेगा।

अव दो शब्द लगान देनेके वारेमे। जो लगान दे सकते है, लगान देना उनका कर्त्तव्य है। कोई इसे उल्टा न्याय न माने कि एकने लगान जमा कराया है, इसलिए सवको जमा कराना ही चाहिए और न कोई यही सोचे कि एकने नही दिया, इसलिए कोई भी न दे। सीधा न्याय तो वही है, जो मैने वताया है। जो दे सके, वे जरूर दें। मै कर्ज लेकर देनेकी वात नही कहता। वात तो अपनी ही गाँठसे देनेकी है। खुद तकलीफ उठाकर भी समझौतेकी शर्तोका पालन करनेमें हमारी भलमनसाहत है और उसीमे हमारी शक्ति है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-४-१९२१

८. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

साबरमती
१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय अगद,[1]

जैसा कि तुम चाहते थे, मैंने 'यग इडिया' मे[2] तुम्हारे पत्रकी चर्चा की है। इससे तुम्हे सन्तोष हुआ हो तो सूचित करना। मेरे इस कदमसे अगर तुम अभी सहमत नही हो तो कुछ समय बाद हो जाओगे। सघर्ष उद्देश्य-प्राप्ति तक जारी रहे, यही अभीष्ट है। इसलिए तुम इस कार्यको अथवा मुझे छोड़ना नही।

समझौतेकी जोशीली आलोचनाकी अपेक्षा मै तुम्हारा अपना हाल जाननेमे अधिक रुचि रखता हूँ। आखिर सगाई फिर क्यो टूट गई? अब क्या कर रहे हो? अगर वहाँ चैन नही है तो यहाँ क्यो नही आ जाते? आश्रम तो तुम्हारा दूसरा घर ही है।

अपनी रिहाईके[3] बाद आज पहली बार मैंने अनुभव किया है कि मेरे पास थोड़ा समय है।

सस्नेह,

बापू

अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५४०) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया

१. शान्ति दूतके अर्थमें; गांधीजीका २ मार्च, १९३० का अन्तिम चेतावनीवाला पत्र लॉर्ड इर्विनके पास रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स ले गये थे। देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ १९१ की पा० टि० २ भी।

२. देखिए "एक अंग्रेजकी परेशानी", १६-४-१९३१।

३. गाधीजी २६ जनवरी, १९३१ को यरवदा जेलसे रिहा हुए।

९. पत्र : साहबजी महाराजको

अहमदाबाद
१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

बकाया पड़े पत्रोंके उत्तर लिखनेके लिए थोड़ा-सा अवकाश आज ही निकाल पाया हूँ। आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री साहबजी महाराज
दयालबाग
आगरा

अंग्रेजी (जी० एन० २१५८) की फोटो-नकलसे।

१०. पत्र : डा० सैयद महमूदको

१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय डाक्टर महमूद,

मैंने सैयद हसन इमामको पत्र लिखनेके लिए दो बार कलम उठाई और दोनों बार हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा और अब भी लगता है कि मुझे किसी मुसलमान दोस्तको राष्ट्रवादी मुस्लिम दृष्टिकोणके पक्षमें करनेके लिए पत्र नहीं लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं सैयद हसन इमामको पत्र लिखनेका अपना वचन पूरा कर सकता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० सैयद महमूद
स्वराज्य भवन
इलाहाबाद

अंग्रेजी (जी० एन० ५०७७) की फोटो-नकलसे।

११. पत्र : गोकीबहनको

विद्यापीठ
१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय बहन,

तुम्हे लक्ष्मीदासने लिखा तो है ही कि चि० लक्ष्मीका विवाह चि० जीवनदाससे तुरन्त कर देनेका निश्चय किया गया है। उसने शायद तिथि न लिखी हो। इस विचारसे मै यह पत्र लिख रहा हूँ। विवाह-विधि अगले मगलवारको शामके सवा सातसे आरम्भ होगी। मै जानता हूँ कि उस अवसरपर तुम्हारे आनेकी आशा तो नही करनी चाहिए। किन्तु वर-वधूको तुम्हारा आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। यह पत्र तुम्हे कल अर्थात् सोमवारको मिल जाना चाहिए। यदि मिल जाये तो पत्र द्वारा भेजा आशीर्वाद मिल जायेगा। लेकिन हो सकता है कि पत्र तुम्हे मगलवारको मिले। तब तारसे आशीर्वाद भेज देना। इतनी जल्दी शादी करे या न करे, इसके बारेमे सबके मनमे दुविधा थी। तुम्हारा दुख हम सबका दुख है, ऐसा होनेपर विवाह कर देनेके निर्णयमे कुछ अविवेक हो, तो उसका दोष और जोखिम मेरे सिर है। अपने स्वभावानुसार लक्ष्मीदासने तो अपने सिर कोई जिम्मेदारी ली नही। अभी तक तो लक्ष्मीदास यहाँ आया भी नही है। कल आयेगा। विवाह फौरन कर देनेके विचारके पीछे मेरे मनमे एक ही कारण था। विवाहको मै भोगकी वस्तु नही मानता, उसे तो मै केवल धार्मिक विधि मानता हूँ। और चाहे जैसा शोकका समय हो तो भी हम धार्मिक क्रियाको नही रोक सकते। लक्ष्मी और जीवनदास दोनोकी इच्छा थी कि विवाह जल्दी हो सके तो अच्छा है। और लक्ष्मीका आग्रह था कि विवाह मेरी उपस्थितिमे ही हो। मेरा यहाँ रहना बहुत अनिश्चित है इसलिए मैने जल्दी-से-जल्दी प्राप्त मुहूर्तको पसन्द किया। यह सब तुम्हे बता देना जरूरी था, अपनी इस इच्छाको तुम्हारा आशीर्वाद माँगते हुए पूरा कर रहा हूँ। पत्र या तार आश्रमके ही पतेसे भेजना। विवाह आश्रमके समीप स्थित डॉ० मेहताके बँगलेमे सम्पन्न होगा। मणिको मेरे आशीर्वाद कहना। उससे तो तुम्हे पूरी तरह सन्तोष मिलता होगा। उसे पत्र लिखनेके लिए भी कहना।

मोहनदासके जय श्रीकृष्ण

गुजराती (एस० एन० ९८१२) की फोटो-नकलसे।

१२. पत्र : जे० एच० गेरेटको[1]

२० अप्रैल, १९३१

मैं इसके साथ बोरसदके मामलतदारकी ओरसे एक नोटिसके रूपमें जारी किये गये पत्रका अनुवाद संलग्न कर रहा हूँ। आपकी बातचीतसे मुझे ऐसा लगा था कि जिन मामलोंके बारेमें हम दोनों चर्चा कर चुके हैं, आप उनकी जाँच-पड़ताल करेंगे और उसके बाद मुझे बतलायेंगे कि आप उनके सिलसिलेमें क्या करना चाहते हैं। लगता है कि नोटिसमें हमारी बातचीतकी और सरकार तथा जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमें कांग्रेसकी उपेक्षा की गई है। यदि सरकार आखिरकार ऐसा ही रुख अपनानेवाली हो, तो मेरी रायमें वह समझौतेका स्पष्ट उल्लंघन होगा।

सरदार वल्लभभाई और मैं स्थानीय कार्यकर्त्ताओंसे सलाह-मशविरा करनेके बाद इन निष्कर्षोंपर पहुँचे हैं :

१. रास इतना विपद-ग्रस्त है कि वह अदायगी बिलकुल कर ही नहीं सकता।

२. शेष गाँव एक वर्षकी बकाया राशिकी यथाशक्ति अदायगी करनेकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं इसके सम्बन्धमें एक विस्तृत विवरण तैयार कर रहा हूँ।

३ तकावी और बकायाकी वसूली मुल्तवी की जानी चाहिए। पिछले ११ मार्चके सरकारी नोटिसके जरिए सभी प्रकारकी मुल्तवी की गई बकाया वसूलीको फिरसे मुल्तवी किया गया है। यदि उस वसूलीको फिरसे मुल्तवी करना जरूरी समझा गया है तो स्पष्ट ही है कि आन्दोलनसे प्रभावित गाँवोंको राहत पहुँचाना और भी कितना जरूरी हो जाता है? सरकार कहती है कि इन गाँवोंने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। लेकिन समझौतेके बाद ऐसा कोई भी तर्क सर्वथा असंगत हो जाता है।

४. समझौतेमें बिलकुल स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि चौकीदारोंके खर्च, जब्ती और नोटिस देनेकी फीसकी वसूली रद कर दी जाये। इसलिए इनकी वसूलीकी कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

मैं आपका उत्तर मिलनेपर ही जनतासे कहूँगा कि वह उपर्युक्त प्रस्तावके अनुसार अदायगी कर दे।

मैं २१ तारीखको १० बजकर ५५ मिनटकी पैसेंजर गाड़ीसे अहमदाबादसे बारडोलीके लिए रवाना होऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

१. उत्तरी विभागके तत्कालीन कमिश्नर।

१३. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

अहमदाबाद
२० अप्रैल, १९३१

चि० मणिलाल और सुशीला,

कल और आज पूरे दिन-भर तुम्हे याद करता रहा हूँ। लम्बा पत्र लिखने लायक समय कहाँसे निकालूँ? तुम तीनो पूर्वी आफ्रिकामे खूब फलो-फूलो। सब काम हर तरहसे रागरहित होकर करो। ऊब न लगे तो 'अनासक्तियोग'[1] की प्रस्तावना समय-समयपर पढ़ते रहो। तुम उसकी जितनी गहराईमें जाओगे, तुम्हे कर्त्तव्यकी उतनी ज्यादा समझ आयेगी और आत्म-सन्तोष मिलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७८३) की फोटो-नकलसे।

१४. हरि गणेश फाटकको[2] लिखे पत्रका अंश

[२० अप्रैल, १९३१के बाद][3]

काग्रेस किसी भी सीलको तोडनेकी अनुमति नही दे सकती। ब्रिटिश कपडेसे, मै समझता हूँ, आपका मतलब विदेशी कपड़ेसे है। नियमके अनुसार काग्रेस ब्रिटेन

१. देखिए खण्ड ४१।

२. स्वदेशी सभा, पूनाके सभापति।

३. हरि गणेश फाटकके दिनांक २० अप्रैल, १९३१ के पत्रके उत्तरमें, जो इस प्रकार था : "हम लोग एक बहुत ही जरूरी मामला आपके परामर्शके लिए यहाँ लिख रहे है। पिछले दिसम्बरमें पूनाके कपड़ा व्यापारियोंने स्वदेशी सभासे एक समझौता किया था जिसमें यह तय हुआ था कि कपड़ा-व्यापारी अपने ब्रिटिश कपड़ेको सील बन्द करके रखेंगे, विदेशी कपड़ा बाहरसे नही मँगायेंगे और उन मिलोंसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे जिनका नाम काग्रेसकी काली सूचीमें है। सभासे उन्होंने यह वायदा करा लिया था कि उनकी दुकानोंपर धरना नही दिया जायेगा। ये शर्तें कुछ दबावमें ही तय हुई थी। बिना अपवाद, सभी व्यापारियोने इस समझौतेको स्वीकार कर लिया था। गाधी-इर्विन समझौता होनेतक लगभग ८० दुकानोंमें रखा ब्रिटिश कपड़ा सील कर दिया गया। अभी ५० दुकानें शेष हैं। हमने दुकानोंमें रखे कपड़ेपर सील लगाना बन्द कर दिया, क्योंकि हमने सोचा कि यह समझौतेकी शर्तोंके विपरीत होगा। किन्तु चूँकि उक्त शर्तें गाधी-इर्विन समझौतेके पूर्व तय हुई थी और अब उनपर अमल करना ही शेष रहता है, इसलिए हम यह नही मानते कि उक्त शर्तोंपर अमल करनेसे गाधी-इर्विन समझौतेपर किसी प्रकारकी आँच नही आयेगी। हमें मालूम है कि दिल्लीमें गाधी-इर्विन समझौतेसे पहले तय हुई शर्तोंको बरकरार रखा गया है। अगर हमारा समझौता कायम रहा

और किसी अन्य देशके बने कपड़ेमें अन्तर नहीं कर सकती और अन्य देशोंके कपड़ेको तरजीह नहीं दे सकती।

अंग्रेजी (एस० एन० १७००६) की माइक्रोफिल्मसे।

१५. पत्र : जे० एच० गैरेटको

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
२१ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री गैरेट,

विस्तारसे लिखे आपके उत्तरके[1] लिए धन्यवाद।

अभी मुख्य विचारणीय बात समझौतेमें कांग्रेसकी स्थितिकी है। अगर आप यह मानते हैं कि समझौता कांग्रेस व सरकारके बीच हुआ है और जनतासे सम्बन्धित उसकी शर्तोंको अमलमें लानेका भार कांग्रेसपर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेसको सरकार और जनताके बीच सम्पर्क-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली ऐसी संस्था स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जनताका प्रतिनिधित्व करती है। अगर यह बात नहीं है तो मैं समझता हूँ कि समझौतेसे सम्बन्धित कई मामलोंपर मुझे आपसे मिलने, पत्र-व्यवहार करने या आपका उत्तर प्राप्त करनेका कोई अधिकार नहीं रहता। आपका पत्र इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उठाता है और समझौतेके सम्बन्धमें मेरी कार्यवाही इसके उत्तरपर ही निर्भर होगी। इस बीच मैं आपके पत्रमें सविस्तर उल्लिखित बातोंपर विचार स्थगित कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एच० गैरेट
अहमदाबाद

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

तो सतर्कता-समिति पूनामें एक इंच भी विदेशी वस्त्र नहीं आने देगी। फिर भी हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हम अपना काम आगे बढ़ायें अथवा छोड़ दें, और व्यापारियोंको कपड़ेपर लगाई सील तोड़नेकी अनुमति दें या नहीं? यह सवाल बहुत जरूरी है और हमें आशा है कि आप इसपर शीघ्र ध्यान देंगे।"

१. देखिए परिशिष्ट १।

१६. पत्र : बालकृष्ण भावेको

२१ अप्रैल, १९३१

चि० बालकृष्ण,

इतने दिन तो मुझे समय ही नही मिला कि तुम्हे पत्र लिख सकूँ। किन्तु खबर रोज पूछ लेता था और याद करता रहता था। मेरी सलाह है कि अब शान्त होकर जो कुछ हो रहा है, होने दो। सबसे अच्छा इलाज तो निम्नलिखित है.

१. पन्द्रह-पन्द्रह मिनटके बाद जितना बने उतना गरम पानी पियो।

२. रोज एनिमा लो।

३. भूख लगे तो नारगी, अनार, अन्नानास और हरे अगूरोका रस लो।

४. रामनाम सबसे बादमे लिखा है, पर उसे सर्वोत्तम औषधि मानता हूँ। पहली तीन बाते इसके जपके साथ जुडी है।

अभी कुछ समय और जीना होगा तो इतना काफी है और यदि नही जीना है तो चाहे जैसे सारे उपचार मिथ्या है। इस विषयमे मुझे शका ही नही है।

तुम्हारा मन तो शान्त है ही, ऐसा मानता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०४) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : बालकृष्ण भावे

१७. भाषण : साबरमती आश्रम, अहमदाबादमें

२१ अप्रैल, १९३१

साबरमती आश्रमके निकट डॉ० प्राणजीवनदासके बँगलेमें आयोजित, खादी कार्यकर्त्ता लक्ष्मीदास गांधीकी बेटी लक्ष्मीके विवाहमें गांधीजी सम्मिलित हुए। विवाह बहुत सादगी तथा संक्षिप्त रीतिसे सम्पन्न हुआ। गांधीजीने विवाहकी शपथ दिलाई।

इस विवाहके पूर्व गांधीजी आश्रममें गये। और उन्होंने सायंकालीन प्रार्थना-सभामें भाग लिया। दांडी-कूचके बाद वे आश्रममें पहली बार आये थे। आश्रमवासियोंकी इस छोटी-सी सभाको सम्बोधित करते हुए महात्मा गांधीने कहा कि इतनी जल्दी आश्रममें लौट सकनेकी उन्हें आशा न थी। यों वे शान्ति स्थापनाका काम पूरा करके नहीं लौटे है। वे तो एक विशेष कार्यवश, अर्थात् एक लड़कीके विवाहमें सम्मिलित होने आये है, जिसका लालन-पालन आश्रममें हुआ था। आश्रमसे सम्बन्धित

लोगोंका विवाह, वह भी तब, जब हम संघर्षरत हैं, आश्चर्यका कारण हो सकता है। परन्तु इस विवाहको उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। जो लोग विवाह किए बिना नहीं रह सकते, उन्हे विवाह करनेकी छूट है। आश्रमवासियोके लिए अविवाहित रहनेकी भी एक शर्त थी, किन्तु वह शर्त अनिवार्य नहीं थी। जो लोग अविवाहित जीवन नहीं बिता सकते, वे आश्रम छोड़ भी सकते हैं।

संघर्ष पुनः कब छिड़ जाये यह कहा नहीं जा सकता। किन्तु यदि छिड़ा तो भयंकर होगा। इसलिए आश्रमवासियोको सावधान रहना है और अपनी शक्ति बढ़ानी है। जन-मानसमें साहस और पवित्रताकी भावनाका उदय पूरी तरह हो चुका है। अगर संघर्ष छिड़ा तो करोड़ों लोग उसमें भाग लेगें। लेकिन उन सबके हिम्मत हार जाने अथवा संघर्षसे अलग रहनेकी स्थितिमें आश्रमवासियोको ही उदाहरण प्रस्तुत करना होगा और अगुवाई करनी होगी।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २३-४-१९३१

१८. पत्र: प्रभावतीको

२२ अप्रैल, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र मिलते रहते हैं। तू वहाँ पहुँचते ही बीमार हो गई; ऐसा क्यो? क्या अब वहाँसे छूटकर वापस नही आ सकती? यदि वहाँ किसी कामके लिए तेरी जरूरत न हो तो तुझे वापस आ जाना चाहिए। यह बारडोली जाते हुए सूरतमें लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि बारडोलीमें आठेक-दिन तो रहना ही पडेगा। मै ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९९) की फोटो-नकलसे।

१९. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको[1]

बारडोली
२२ अप्रैल, १९३१

मैं इसके साथ अपने और उत्तरी डिवीजनके कमिश्नरके बीच हुए ताजा पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ सलग्न कर रहा हूँ। यदि काग्रेसकी मध्यस्थताके बारेमें वाइसराय महोदयका भी वही दृष्टिकोण है जो श्री गैरेटने अपनाया है, तो मुझे लगता है सारे समझौतेका ही कोई अर्थ नही रहता। काग्रेस और सरकारके बीच समझौता तभी हुआ था जब भारत सरकार और ब्रिटिश सरकारने मान लिया था कि कांग्रेस वास्तवमे जनताका प्रतिनिधित्व करती है। जनता और सरकारके बीच कांग्रेसको मध्यस्थके रूपमे स्वीकार करनेसे इनकार करना समझौतेको नकारना है।

इस असाधारण परिणतिने उन सभी मामलोको सर्वथा गौण बना दिया है जिनके बारेमे मैंने १७ तारीखको शिकायत की थी। लेकिन यह दिखानेके लिए कि समझौतेको कार्यान्वित करनेमे अब तक सरकारकी ओरसे कितनी कसर रह गई है मै कुछ खास-खास मुद्दोको फिर लिख रहा हूँ।

१. शोलापुरके कुछ उन बन्दियो और ऐसे अनेक अन्य बन्दियोको अबतक रिहा नही किया गया है, कांग्रेस मानती है कि जिनकी रिहाई समझौतेके अनुसार हो जानी चाहिए थी।

२. ऐसे कई मुकदमे अबतक चालू हैं।

३. विदेशीव्यक्ति अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले सविनय अवज्ञा करनेवालो पर से अबतक प्रतिबन्ध नही हटाया गया है।

४. सविनय अवज्ञाकारियोंके विरुद्ध दायर किये गये 'वतन और इनाम'[2] के मामले अबतक वापस नही लिये गये हैं।

५. सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान त्यागपत्र देनेवाले पटेलो आदि कर्मचारियोंको अबतक बहाल नही किया गया है, हालाँकि मेरी जानकारीके मुताबिक उनके स्थानोपर नये कर्मचारियोकी नियुक्ति अस्थायी रूपसे या 'अगले आदेशतक' ही की गई थी और उनमेंसे कई पटेल अवाछनीय किस्मके व्यक्ति हैं।

६. जब्तशुदा चल और अचल सम्पत्तिको किसी न किसी बहाने अबतक नही लौटाया गया।

७. अधिकारियोको जानकारी रहनेपर भी मद्य-विक्रेता बिना लाइसेन्सके अपना धन्धा चला रहे हैं।

१. बम्बईके कार्यवाहक गवर्नरके निजी सचिव।
२. सरकारकी ओरसे माफीमें मिली जमीनें।

८ जब्तशुदा जमीनोंके बारेमें अबतक यह जानकारी नही दी गई है कि वे कब, कितने मूल्यमें और किस ढगसे बेची गई थी।

९. सरकारने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान 'असहयोग'के आधार पर अहमदाबाद नगरपालिकाको शिक्षा और सफाईकी मदके लिए अनुदानोकी राशियां नही दी हैं; और एक अस्पताल तथा प्रसूतिगृहके काम आनेवाली भूमिके लगानकी बकाया राशि अबतक माफ नही की है। यद्यपि समझौतेमें इस मामलेका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नही है, लेकिन यह मामला उसके क्षेत्राधिकारमे ही आता है।

मैं इन सभी मुद्दोंके बारेमें सरकारका अन्तिम निर्णय जानना चाहता हूँ। मैंने खण्ड १ और ४ के अन्तर्गत आनेवाले मामलोका ब्यौरा श्री कॉलिन्सको भेजनेका वायदा किया था। ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। पर मेरा ख्याल है कि इन सभी मामलोंके बारेमें एक सामान्य आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन यदि कांग्रेसको बाकायदा एक मध्यस्थके रूपमें मान्यता नही दी जायेगी तो फिर और सभी बातोका कोई महत्त्व नही रहता।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

२०. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको[2]

बारडोली
२२ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपको फिर कष्ट देते हुए मुझे दु.ख हो रहा है। लेकिन जहांतक गुजरातका सम्बन्ध है, समझौता लगभग टूटने जैसी खतरनाक स्थितिमें आ पहुँचा है। बम्बई सरकार और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारकी नकल साथ भेज रहा हूँ। मैं इस बातकी जी-तोड कोशिश कर रहा हूँ कि समझौता टूटने न पाये। समझाने-बुझानेकी जितनी भी शक्ति मुझमें है, मैं उसका पूरा-पूरा उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन अब यह बोझ असह्य लगने लगा है।[3]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

गृह विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० एस० १९३१। सौजन्य : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. आर० एम० मैक्सवेल्के उत्तरके लिए, देखिए परिशिष्ट २।
२. भारत सरकारके तत्कालीन गृहसचिव।
३. एच० डब्ल्यू० एमर्सनके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

२१. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

वारडोली
२२ अप्रैल, १९३१

प्रिय सर तेज,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मै अच्छा हो रहा हूँ।

साम्प्रदायिक उलझनका मै अपने ढगसे समाधान खोज रहा हूँ। अगर कोई समाधान नही निकला तो मै लन्दन जानेकी हिम्मत नही करूँगा। यही मैंने लॉर्ड ईर्विनसे भी कहा है। नये वाइसरायसे[1] मै वम्वईमे नही मिला। गोलमेज सम्मेलन सम्वन्धी सामग्रीकी मैं प्रतीक्षा करूँगा। मै समझता हूँ ऐसी सामग्री थोडी-वहुत तो छप भी गई होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर तेज वहादुर सप्रू
१९, अल्वर्ट रोड,
इलाहावाद

अंग्रेजी (जी० एन० ७५९१) की फोटो-नकलसे।

२२. तार : लक्ष्मीदत्तको[2]

[२२ अप्रैल, १९३१ को अथवा उसके वाद]

उनकी कलई खोल दो।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१४) की माइक्रोफिल्मसे।

१. लॉर्ड विलिंगडन।

२. इन्दौरसे भेजे गए लक्ष्मीदत्तके दिनांक २२ अप्रैल १९३१ के तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था: "विदेशी कपड़ा व्यापारियोंने वायदा-खिलाफी की है। कृपया वतायें क्या करें। लक्ष्मीदत्त स्वदेशी प्रचारक-मण्डल।"

२३. विदेशी कपड़ा और दूसरी विलायती चीजें

हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि अंग्रेज और खासकर लकाशायरके मिल-मालिक यह अनुभव करें कि पीढ़ियोसे चली आनेवाली कगाली या मुफलिसीसे मुक्त होनेके लिए हिन्दुस्तान विदेशी कपडेका, फिर वह विलायती हो या जापानी, सदाके लिए बहिष्कार कर सकें। यह एक ऐसी आर्थिक आवश्यकता है, जो भारत द्वाराके सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनेपर भी बनी रहेगी। लोकतन्त्रका, स्वराज्यकी सरकारका यह निश्चय ही सबसे पहला काम होगा कि वह विदेशी कपडोके आयातको बिल्कुल बन्द कर दे।

और विदेशी कपड़ेका स्थान देशी मिलोका कपड़ा नही लेगा, बल्कि हिन्दुस्तानके ७,००,००० गाँवोमे कती और बुनी खादी उसका स्थान ग्रहण करेगी। यद्यपि यह निःसन्देह सच है कि विदेशी वस्त्र-बहिष्कारसे स्वभावत. देशी मिलोको [भी] फायदा होता है, फिर भी कांग्रेस तो इस बहिष्कारमे अपनी मुख्य शक्ति खादीके लिए ही, करोड़ों मेहनत-मजदूरी करनेवालोंके लिए ही खर्च कर रही है। सभी विदेशवाले यह समझ ले कि यह बहिष्कार-आन्दोलन एक लोकव्यापी, लोक-हितकारी आन्दोलन है। यदि इस आन्दोलनकी व्यापकता और पवित्रताको विदेशी वस्त्र-व्यवसायी पहचाने तथा इसका अनुभवकरे तो अन्तमे उनका और उनके काममे लगे हुए अन्य लोगोंका ही हित होगा। इस आन्दोलनके राजनैतिक परिणाम अवश्य हैं, परन्तु वस्तुतः यह आन्दोलन शुद्ध रूपसे आर्थिक और लोकोपकारी है, इसलिए तमाम दुनियाकी इसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए।

फिर भी विलायतमे विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके विरोधने बिना किसी कारणके अनावश्यक कटु आन्दोलन खड़ा कर दिया गया है। विलायती चीजोके बहिष्कारको उठा लेनेसे इंग्लैंडको जो जबर्दस्त फायदा पहुँचा है, उसपर ध्यान ही नही दिया गया है। यह इन्साफकी बात नही है। इस इतने अधिक महत्वकी वस्तुस्थितिको दबानेसे भारतीय समस्याका निपटारा, जो पहलेसे ही काफी मुश्किल है, और बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। क्या अग्रेज प्रजा यह जानती है कि विलायती वस्तुओ के बहिष्कारका आन्दोलन तीस साल पुराना है? क्या वे यह मानते हैं कि पिछले युद्धमे विदेशी वस्तुओका बहुत अधिक बहिष्कार किया गया था और इसे विदेशी वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलनके जितनी ही सफलता भी मिली थी? यह तय है कि यदि सदा नही तो अभी बहुत समयतक हिन्दुस्तानको विदेशोकी कुछ चीजोंकी जरूरत रहेगी। आजका समझौता अस्थायी है। पर मान लीजिए कि कल स्थायी सुलह हो जाये और हिन्दुस्तान और इंग्लैंडमे बराबरीके हिस्सेदारोका नाता कायम हो जाये तो हिन्दुस्तान इंग्लैंडसे व्यापार करते हुए अपनी जरूरतकी जो चीजें मगवायेगा, क्या उससे इंग्लैंडकी उस क्षतिकी आवश्यकतासे अधिक पूर्ति नहीं हो जायेगी, जो उसे भारतके साथ कपड़ो और सूतके व्यवसायको बन्द कर देनेसे उठानी पड़ेगी?

समझनेकी बात तो यह है कि अब हिन्दुस्तानके माथे वे सब चीजें, फिर वे इंग्लैंडकी हों या विदेशोंकी, जिनकी उसे जरूरत न हो नहीं लादी जा सकती। लूट-खसोटका जमाना बीत चुका। सम्भव है, हम कौमी एकता कायम करनेमें कामयाब न हों। नाकामयाब होनेपर मुमकिन है, हम जल्दी ही आजादी हासिल न कर सकें। पर दुनिया देखेगी कि वे सब हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी, जो हिन्दुस्तानको अपना घर मानते हैं, एक होकर अपने मुल्कके साधनोंकी उस लूटका विरोध करेंगे, जो विदेशियोंके हितकी दृष्टिसे की जाती है। वे उस साल-दर-साल की जानेवाली लगातार लूटका कसकर विरोध करेंगे जो तमाम कौमों और जातियोंको समान भावसे कठोरतापूर्वक कंगाल और दाने-दानेको मुहताज बना रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२४. विदेशी मिशनरी

विदेशी मिशनरियोंके सम्बन्धमें जो बातें पत्र-प्रतिनिधियोंने मेरे मुँहसे कहलाई हैं, उनके बारेमें पत्र-लेखकोंने क्रोध या आश्चर्यमें आकर मेरे नाम अखबारोंकी कतरनें अथवा अपनी टीकाएँ भेजी हैं।[1] मेरी बात ठीक-ठीक छपी है या नहीं, इसकी पूछताछका कष्ट सिर्फ एक पत्र-लेखकने उठाया है। जॉर्ज जोजेफ तक, जो पहले मेरे साथी थे और मदुरामें मुझे प्रेमसे अपने घर ठहराते थे, अखबारोंकी रिपोर्टकी जाँच करानेकी कृपा किये बिना ही, बेहद नाराज हो गये हैं। यह चोट सबसे कठोर है।

एक पत्रकारने मेरे मुँहसे ये बातें कहलाई हैं:

> यदि वे मानव-दयाके कार्य और गरीबोंकी भौतिक सेवातक सीमित रहनेकी बजाय, डाक्टरी सहायता, शिक्षा आदिसे धर्म-परिवर्तन करेंगे, तो मैं उन्हें जरूर यहाँसे चले जानेके लिए कहूँगा। हर राष्ट्रका अपना धर्म दूसरे किसी धर्म जितना ही अच्छा होता है। भारतके धर्म उसके लोगोंके लिए पर्याप्त हैं। हमें आध्यात्मिक परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

समाचारपत्रोंसे मेरी इतनी अधिक भेंटें हुई हैं, कि इस कथनका समय, अवसर या प्रसंग याद नहीं आ रहा है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि जो बात मैं हमेशा कहता और मानता आया हूँ, उसका यह विपर्यास है। विदेशी धर्म-प्रचारक मण्डलोंके सम्बन्धमें मेरे विचार किसीसे छिपे नहीं हैं। धर्म-प्रचारकोंके सामने ही मैं अनेक बार उन्हें स्पष्ट कर चुका हूँ। इसलिए मेरे विचारोंकी विकृत रिपोर्टसे भड़क उठनेवाली इस क्रोधाग्निका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।

1. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३३७-९।

उक्त कथनकी भाषाको बदलकर मैं इस ढंगसे रखना चाहूँगा :

यदि वे केवल शिक्षा, गरीबोंकी डाक्टरी सेवा, और ऐसे ही मानव-दयाके कामोंतक सीमित रहनेकी बजाय, अपने इन कामोंका उपयोग धर्म-परिवर्तनके लिए करेंगे, तो मैं अवश्य ही यह चाहूँगा कि वे चले जायें। हरएक राष्ट्र अपने धर्मको दूसरे किसी राष्ट्रके धर्म जितना ही अच्छा समझता है। भारतवासी जिन महान् धर्ममें आस्था रखते हैं, वे निश्चय ही उनके लिए पर्याप्त हैं। भारतको एक धर्मसे दूसरे धर्ममें परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इस संक्षिप्त कथनको अब मैं विस्तारसे समझाऊँगा। मैं मानता हूँ कि मानव-दयाकी आड़में किया गया धर्म-परिवर्तन यदि और कुछ नहीं तो हानिकर अवश्य है। यहाँके लोगोंको इससे निश्चय ही चिढ़ है। धर्म आखिर एक अत्यन्त व्यक्तिगत चीज है; वह हृदयमें सम्बन्धित है। किसी ईसाई डाक्टरने मेरे रोगका इलाज करके मुझे स्वस्थ कर दिया, सिर्फ इसीलिए मुझे अपना धर्म क्यों बदलना चाहिए? या जब मैं उस डाक्टरका इलाज करा रहा हूँ, तब खुद वह मेरे धर्म-परिवर्तन करनेकी अपेक्षा क्यों करे या वह मुझे ऐसी सलाह क्यों दे? डाक्टरी सहायता क्या अपने आपमें सार्थक नहीं है और क्या उतनेसे ही चिकित्सकको सन्तोष नहीं हो जाता? या यदि मैं किसी मिशनरी शिक्षा-संस्थामें पढ़ रहा हूँ, तो मुझपर ईसाई धर्मकी शिक्षा क्यों थोपी जाये? मेरी रायमें तो इन तरीकोंसे उन्नति नहीं होती; और यदि गुप्त विरोध नहीं, तो ये सन्देह अवश्य पैदा करते हैं। धर्म-परिवर्तनकी रीतियोंमें 'सीजरकी रानीकी तरह सन्देहकी जरा भी गुंजाइश' नहीं होनी चाहिए। धर्म पार्थिव चीजोंकी तरह नहीं दिया जाता। वह तो हृदयकी भाषा द्वारा दिया जाता है। यदि मनुष्यमें कोई जीवित धार्मिक आस्था है, तो वह गुलाबके फूलकी तरह अपनी सुगन्ध फैलाती है। अदृश्य होनेके कारण, फूलकी पखुड़ियोंकी रंगीन छटाकी अपेक्षा उसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है।

अतः मैं धर्म-परिवर्तनका विरोधी नहीं हूँ, परन्तु उसकी वर्तमान रीतियोंका विरोधी हूँ। धर्म-परिवर्तनने आजकल और वस्तुओंकी भाँति एक व्यापारका रूप ग्रहण कर लिया है। जहाँतक मुझे याद है, एक मिशनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, जिसमें धर्म-परिवर्तनका प्रति व्यक्ति खर्च बताकर 'अगली फसल' के लिए बजट पेश किया गया था।

मैं बेशक यह कहता हूँ कि भारतवर्षके लिए उसके महान् धर्म पर्याप्त हैं। ईसाई और यहूदी धर्मोके सिवा, हिन्दूधर्म और उसकी शाखाएँ, इस्लाम और पारसी धर्म, ये सब जीवित धर्म हैं। संसारका कोई भी एक धर्म सम्पूर्ण नहीं है। और सब धर्म उनके अपने-अपने अनुयायियोंको एक-से प्रिय हैं। इसलिए जरूरत आज इस बातकी नहीं है कि हर सम्प्रदाय अपने धर्मको दूसरे सब धर्मोंसे श्रेष्ठ सिद्ध करनेका निरर्थक प्रयत्न करे और इस प्रकार विरोध पैदा करे, बल्कि इस बातकी है कि जगत्के महान धर्मोंके अनुयायियोंमें सजीव और मैत्रीपूर्ण सम्पर्क पैदा किया जाये। इस प्रकारके मैत्रीपूर्ण सम्पर्कसे हम सब अपने-अपने धर्मोकी त्रुटियों और दोषोंको दूर कर सकेंगे।

ऊपर मैंने जो कहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतको ऐसे धर्म-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नही है। आत्मशुद्धि, आत्म-साक्षात्कारके अर्थमे धर्म-परिवर्तन इस जमानेकी सबसे वडी आवश्यकता है। पर यह वह चीज कदापि नही है, जो धर्मपरिवर्तनके नामसे जानी जाती रही है। जो भारतवर्षका धर्म-परिवर्तन करना चाहते है, उनसे यही कहा जा सकता है कि हकीमजी पहले अपना इलाज कीजिये न?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२५. 'अनेकोंमें से एक' (?)

'अनेकोमे से एक'का लिखा हुआ खुला पत्र स्वर्गीय सुखदेवका पत्र है। श्री सुखदेव भगतसिंहके साथी थे। यह पत्र उनकी मृत्युके बाद मुझे दिया गया था, किन्तु समयाभावके कारण मै इसे इसके पहले प्रकाशित न कर सका। वह बिना किसी परिवर्तनके ही अन्यत्र दिया गया है।[1]

लेखक 'अनेकोमे से एक' नही है। राजनैतिक स्वतन्त्रताके लिए फाँसीको गले लगानेवाले अनेक नही होते। राजनैतिक हत्याएँ चाहे जितनी निन्द्य क्यो न हो, तो भी जिस देश-प्रेम और साहसके कारण ऐसे भयानक काम किये जाते है, उनके लिए मनमे प्रशसाका भाव आये बिना नही रह सकता। इसके साथ ही हम यह आशा भी रखते है कि राजनैतिक हत्या करनेवालोका सम्प्रदाय बढ़ नही रहा है। यदि भारतवर्षका प्रयोग सफल हुआ, और उसका सफल होना निश्चित ही है, तो राजनैतिक हत्या करनेकी बात सदाके लिए समाप्त हो जायेगी। मै स्वय तो इसी श्रद्धासे काम कर रहा हूँ।

लेखक यह कहकर मेरे साथ अन्याय करते है कि क्रान्तिकारियोसे उनका आन्दोलन बन्द कर देनेकी भावुकतापूर्ण प्रार्थनाएँ करनेके सिवा मैंने और कुछ नही किया, जब कि मेरा दावा ही यह है कि मैंने उनके सामने ठोस तथ्य रखे है और यद्यपि वे इन स्तम्भोमे भी कई बार प्रस्तुत किये जा चुके है, फिर भी वे दोहराये जा सकते है :

१. क्रान्तिकारी आन्दोलनने हमे हमारे ध्येयके समीप नही पहुँचाया।

२. वह देशके फौजी खर्चमे वृद्धिका कारण बना है।

३. उससे लाभ तो किसी भी प्रकारका नही हुआ; उसने केवल सरकारको दमनका अवसर ही दिया है।

४. जब-जब क्रान्तिकारियोने खून किये है, तब-तब कुछ समयके लिए सम्बन्धित स्थानोके लोगोका नैतिक वल टूटा है।

५. उसने जन-जागृतिमे किसी भी तरह हाथ नही बँटाया।

६. लोगोपर उसका दोहरा दुष्प्रभाव पडा है; एक तो यह कि उनपर आखिरकार अधिक खर्चका भार आया और उन्हे सरकारी क्रोधके अप्रत्यक्ष फल भोगने पडे।

[1] देखिए परिशिष्ट ४।

७. क्रान्तिकारी हत्याएँ भारत-भूमिमें नही फूल-फल सकती, क्योकि इतिहास इस बातका साक्षी है कि भारतीय परम्परा राजनैतिक हिंसाके लिए प्रतिकूल है।

८ अगर क्रान्तिकारी लोक-समूहको, अपनी पद्धतिकी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो उन्हे उसके लोगोमें फैलने और उसके द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी पडेगी।

९. अगर हिंसाकी पद्धति कभी लोकप्रिय भी हुई तो जैसा दूसरे देशोंमें हुआ है, वह उलटकर खुद हमारा ही सहार किये बिना न रहेगी।

१०. क्रान्तिकारी इसके विपरीत दूसरी पद्धति अर्थात् अहिंसाकी शक्तिका स्पष्ट प्रदर्शन देख चुके है। उनकी छुट-पुट हिंसा और अहिंसाके उपासक कहलानेवाले लोगोके द्वारा समय-असमयकी हिंसाके बावजूद अहिंसाकी पद्धति चलती रही है।

११. जब मै क्रान्तिकारियोसे कहता हूँ कि उनके आन्दोलनसे अहिंसाके आन्दोलनको कुछ भी लाभ नही पहुँचा, इतना ही नही, उसने इस आन्दोलनको नुकसान पहुँचाया है, तो उन्हे मेरी बातको मजूर करना चाहिए। दूसरे शब्दोमें, मैं यो कहूँगा कि अगर उसे पूरा-पूरा शान्त वातावरण मिला होता, तो हम अब तक अपने ध्येय तक पहुँच चुके होते।

मैं दावेके साथ कहता हूँ कि ये ठोस तथ्य है, भावुकता-प्रधान मिन्नत नही। प्रस्तुत लेखक तो क्रान्तिकारियोसे मेरी प्रकट प्रार्थनाओ पर एतराज करते है और कहते है कि इस तरह मैं उक्त आन्दोलनको कुचल डालनेमें नौकरशाहीकी मदद करता हूँ। नौकरशाहीको उस आन्दोलनका मुकाबला करनेके लिए मेरी मददकी तो जरा भी जरूरत नही है। वह तो क्रान्तिकारियोकी ही तरह मेरे विरुद्ध भी अपनी हस्तीके लिए लड रही है। वह हिंसक आन्दोलनकी अपेक्षा अहिंसक आन्दोलनसे अधिक भयभीत है। हिंसक आन्दोलनका मुकाबला करना वह जानती है। अहिंसाके सामने उसकी अक्ल गुम हो जाती है, और अहिंसाने उसकी नीव हिला दी है।

दूसरे, राजनैतिक खून करनेवाले अपनी भयानक प्रवृत्तिका आरम्भ करनेसे पहले ही उसकी कीमत कूत लेते है। मेरे किसी भी कामसे उनके भविष्यके और अधिक खराब होनेका खतरा हो ही नही सकता।

और चूँकि क्रान्तिकारी दलको गुप्त रीतिसे काम करना पडता है, मेरे सामने उसके अज्ञातवास करनेवाले सदस्योके प्रति सार्वजनिक रूपसे प्रार्थना करनेके सिवा दूसरा मार्ग ही नही है। मैं साथ ही यह भी कह देना चाहता हूँ कि मेरी प्रकट प्रार्थनाएँ एकदम व्यर्थ नही हुई है। जो पहले क्रान्तिकारी थे, ऐसे अनेक सज्जन आज मेरे सहयोगी बन गये है।

इस खुली चिट्ठीमें यह शिकायत भी की गई है कि सत्याग्रही कैदियोके सिवा दूसरे कैदी नही छोडे गये। इन दूसरे कैदियोके छुटकारेका आग्रह करना अशक्य क्यो था, सो तो मैं इन पृष्ठोमें समझा चुका हूँ। मैं स्वय तो चाहता हूँ कि उनमें से हरएक छूट जाये। मैं उन्हे छुटानेकी भरसक कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि उनमें से कई तो बहुत पहले ही छूट जाने चाहिए थे। काग्रेसका इस सम्बन्धमें प्रस्ताव भी

है। कार्यसमितिने श्री नरीमानको इस तरहके सभी कैदियोकी नामावली तैयार करनेका काम सौपा है। सब नामोकी सूची तैयार होते ही उन कैदियोको छुडानेके लिए कार्रवाई की जायेगी। पर जो बाहर हैं, उन्हे क्रान्तिकारी हत्याएँ बन्द करवानेमे मदद करनी चाहिए। दोनो काम साथ-साथ नही चल सकते हैं। किसी भी हालतमे जिनकी मुक्ति होनी ही चाहिए, ऐसे राजनैतिक कैदी जरूर हैं। मै तो उन सभीको, जिनका इन बातोसे सम्बन्ध है, इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि इस ढिलाईका कारण इच्छाका अभाव न होकर शक्तिकी कमी है। यह याद रहे कि अगर कुछ ही महीनोमे अन्तिम सुलह न हुई, तो इस समय जो तमाम राजनैतिक कैदियोको छुड़ानेकी कोशिश मे लगे हैं, वे खुद ही जेलोमे जा बैठेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२६. वडपल्ली गोलीकांड

जनताको नीचे उद्धृत विवरणकी[१] ओर ध्यान देना और इसके सिलसिलेमे कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने जेलसे अपनी रिहाईके बादसे दक्षिण भारतमे पुलिसके अत्याचारोकी अनेक कहानियाँ सुनी है। मेरे दिमागपर उनकी यह छाप पडी है कि अत्याचारका सबसे वीभत्स रूप दक्षिण भारतमे और दक्षिणमे भी आन्ध्रमे ही देखनेमे आया है। जाँचके बाद सच पाये गये इस उदाहरणसे शायद पहलेके साक्ष्यकी पुष्टि ही होती है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२७. धरनेके विरोधमें

दक्षिण भारतके एक सेवा-निवृत्त अफसर लिखते है:[२]

> मद्रासके 'हिन्दू' अखबारसे मुझे पता चला है कि आपने 'यंग इंडिया'[३] में शराब और विदेशी कपड़ेकी दूकानोंपर धरना देनेके कुछ नये तरीके प्रकाशित किये हैं, और अपने पाठकोंसे आपने यह प्रार्थना भी की है कि अगर वे कोई नये नियम भेज सकते हों तो अवश्य भेजें। क्या मैं इस सिलसिलेमें 'पंच' अखबारकी 'मत करो'[४] नामक मशहूर सलाह सुझानेका साहस करूँ? समझौते

१. यहाँ नही दिया जा रहा है। विवरणमें राजमहेन्द्रीसे १५ मील दूर स्थित वडपल्लीमें ३० मार्चको रथ-यात्राके दौरान किया गया पुलिस-गोलीकाण्डका अनौचित्य दिखाया गया था।

२. अंशतः उद्धृत।

३. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३०९।

४. 'अमुकसे विवाह करूँ या न करूँ' पूछे जाने पर एक नवयुवककी दी गई सलाह।

> की शर्तोको समझाते हुए पत्रकारोके सामने आपने जो अत्यन्त सुन्दर वक्तव्य[1] दिया था, उसमें और वातोके साथ आपने यह भी कहा था कि अगर स्वराज्यमें गलती करनेकी ही नहीं, वल्कि पाप तक करनेकी स्वतन्त्रता न हो, तो वह हासिल करने योग्य आजादी नहीं है; और आपने यह भी कहा था कि जब सर्वशक्तिमान परमात्माने अपने अदना-से-अदना प्राणीको पापतक करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दी है, तव मैं नहीं सोच पाता कि आदमी अपने किसी साथीको वैसी ही पूर्ण स्वतन्त्रता देनेसे इनकार करनेका साहस कैसे कर सकता है। इसपर मैं निहायत अदवके साथ आपसे यह पूछना चाहूँगा कि तव फिर आप लोगोको शराब पीने और विदेशी कपड़ा पहननेसे रोकनेके लिए रात-दिन इतनी मेहनत क्यों करते हैं। . . . अगर धरना देना कानून-सम्मत हो जाये, या जिस ढंगके धरनेकी आप हिमायत करते हैं, वह कानून-सम्मत मान लिया जाये, तो कई वातोंमें उसका प्रयोग किया जा सकता है; और उसके परिणाम बड़े ही परेशानी पैदा करनेवाले सिद्ध हो सकते हैं? आशा है, आप इस विषयपर पूरी गम्भीरतासे विचार करेंगे और भली-भाँति यह देख लेंगे कि कहीं किसी रूपमें धरनेको उत्तेजना देकर आप 'हवा वोकर तूफान पैदा करनेवाली'[2] बात तो नहीं कर रहे हैं।

लेखककी दलीलें आकर्षक तो है, पर ठोस नही हैं। वे भूल जाते हैं कि धरना उतना ही पुराना है, जितनी कि दुनिया। उसे कानून-सम्मत करनेकी जरूरत नही है। ऐसा नही है कि वह समझौतेसे पहले गैर-कानूनी था, और अव कानून-सम्मत हो गया है। धरना तो सुधारकका वह हक है, जिसे वह तभी छोड सकता है जब वह सुधार-कार्यको छोड़ दे।

लेखकने भ्रमवश यह सोचनेकी गलती की है कि आदमीको भूल करने या पाप करनेकी स्वतन्त्रता है, इसलिए पापके विरोधमें किसी प्रकारकी भी चेतावनी देना उसकी स्वतन्त्रतामें अक्षम्य दस्तन्दाजी होगी। हकीकत तो यह है कि व्यक्तिकी पाप करनेकी स्वतन्त्रताके साथ जनताको भी यह स्वतन्त्रता होती है कि वह उसे पापसे हटानेकी कोशिश करे और वैसा करनेके लिए कानूनतक वनाये। 'पापका परिणाम मृत्यु है।' पाप या गलती करके कोई उसके फलसे वच नही सकता। मैंने जिस वातका विरोध किया है और दुनिया हमेशासे जिसका विरोध करती आई है, वह है, सत्ताधारियोका वह निरकुश और ऊपरसे भलमनसाहत वरतनेका झूठा रुख, जिसके वलपर वे जनताको उसकी इच्छाके विरुद्ध 'सदाचारी' वनानेका दावा करते हैं, और उसके भले-वुरेके वारेमे निर्णय करनेकी अपनी शक्तिको अचूक मानते हैं। शान्तिमय धरना तो उस व्यसनके खिलाफ एक दोस्ताना चेतावनी है, जिसे सुधारक वुरा समझता है। यदि वह इस सीमाको लाँघकर हिंसापर आमादा हो जाये, तो उसपर कानून

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ २६५-७०।

२. अंग्रेजी कहावतका अभिप्राय।

लागू हो जाता है, और तब वह उसे किसी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतामे दखल देनेसे रोकता है। लेखकने कुछ हालतोमे धरना देनेसे होनेवाले खतरोका जिक्र किया है, पर हमें उनकी कोई मिसाले नही मिली। मन्दिरोपर अबसे पहले धरने दिये जा चुके हैं। इतना ही कि वह कोशिश बेकार हुई, और छोड दी गई। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को अनुशासित रहकर पालता है और लोकापवादसे नही डरता, तो इस तरहका धरना देनेसे उसे कोई रोक नही सकता। शराब, नशीली चीजो और विदेशी कपड़ोकी दुकानोपर धरना देना सम्भव और अधिकतर सफल इसलिए हुआ है कि लोकमत इनके विरुद्ध है। इसलिए काग्रेसके सामने 'हवा बोकर तूफान' मे फँसनेका कोई खतरा नही है। चूँकि धरना अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है, उसका लोक-शिक्षणके एक स्थायी तत्त्वके रूपमे हमारे बीच स्थान बन चुका है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२८. एक चतुराईसे भरी सलाह

कौमी सवालको सुलझानेके लिए एक सवाददाताने नीचे लिखी चतुराईसे भरी सलाह भेजी है:

> हर प्रान्तमें हिन्दू और मुस्लिम कौमोंको समान संख्यामें मतका अधिकार रहना चाहिए। कौमी मताधिकारकी समस्याको सुलझानेकी दृष्टिसे स्पष्ट ही वह व्यवस्था बहुमतवाली कौमके लिए अन्यायपूर्ण है। पर इसमें विचार कौमी मताधिकारको सुलझानेका नहीं हैं, बल्कि उसे व्यर्थ बनानेका है। मेरी सलाहको मंजूर कर लेनेका नतीजा यह होगा कि जब कभी किसी सवालपर दोनों कौमोंका मत एक-दूसरेसे भिन्न होगा तो निर्णयके समय उस सवालका फैसला दूसरी (अल्पमतवाली) कौमोंके मतसे होगा। यहाँ यह मान लिया गया है कि इन दूसरी कौमोंको उनकी संख्याके प्रमाणमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

मै इसपर कुछ भी टीका सिर्फ इसी कारण ही नही करता कि अगर यह वात सम्बन्धित कौमोको भी मजूर है, तो वह मुझे मजूर होगी। क्या मुसलमान इस पर राजी हो जायेंगे? और सिख इसपर क्या कहेंगे?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२९. पत्र : रामभाऊ खरेको

२३ अप्रैल, १९३१

चि० रामभाऊ,

तुम तो इतने आलसी बन गये दिखते हो कि मुझे पत्रतक नही लिखते, ऐसा क्यो ? अब तो तुम्हे आलस्य त्याग देना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। नही तो वहाँ जाना, न जाना बराबर हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

३०. तार : डेली 'हेरॉल्ड' को

[२३ अप्रैल, १९३१के बाद][1]

सम्पादक
'डेली हेरॉल्ड'
लन्दन

विदेशी मिशनरियोके बारेमें भेजी रिपोर्टमे मेरे विचारोको तोडा-मरोडा गया है। अपने विचार स्पष्ट करनेके लिए मैंने 'यग इडिया' में एक पूरा लेख दिया है। धर्म-परिवर्तनके लिए अस्पताल, स्कूल आदि सस्थाओके उपयोगके मैं निस्सन्देह विरुद्ध हूँ। यह स्वस्थ परम्परा नही है और यह निश्चय ही कटु विरोधको जन्म देती है। धर्म-परिवर्तन हृदयकी बात है और यह धर्म-प्रचारकोके शुद्ध चरित्र और आचरणके मूक प्रभावपर ही आधारित होना चाहिए। धर्म-परिवर्तनकी सच्ची प्रेरणा तो गुलाबकी अदृश्य सुगन्धके समान मिलती है। इस प्रकार मैं धर्म-परिवर्तनके विरुद्ध नही हूँ, लेकिन वर्तमान तरीकोंके निश्चय ही विरुद्ध हूँ। धर्म-परिवर्तनको रुपया-पैसा कमानेके व्यापारिक तरीकोतक नही गिराना चाहिए। मेरा यह भी विश्वास है कि सभी महान धर्म सम्बन्धित राष्ट्रो या अनुयायियोके लिए समान रूपसे महत्त्वपूर्ण है। भारतमें इस प्रकारके धर्म-परिवर्तनकी, जिसका मैंने उल्लेख

१. "विदेशी मिशनरी" शीर्षकसे २३-४-१९३१ के यंग इंडियामें प्रकाशित लेखके उल्लेखके आधारपर।

किया है, कोई आवश्यकता नही है। स्वराज्यमें तो सभीको अपने धर्म-पालनकी छूट होगी। व्यक्तिगत रूपसे मै चाहता हूँ कि धर्मप्रचारक अभीसे अपने मौजूदा तौर-तरीके छोड़ दें। धर्म-परिवर्तन विश्वासपर आधारित हो, विवशतापर नही।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२७) की फोटो-नकलसे।

३१. पत्र : वसुमती पण्डितको

बारडोली
२४ अप्रैल, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए काम करना। सभी कामोमे धीरज रखना। सेवा करके ही सन्तोष करना, चाहे उसका परिणाम कैसा ही क्यो न हो। वहाँ और कौन है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२२) की फोटो-नकलसे।

३२. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२४ अप्रैल, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। सन्तोककी दाढ दिखानेके लिए रणछोडभाई उसे रॉबिन्सन के पास ले जाये।

लीलाबहन जाना चाहती हो तो चली जाये, किन्तु उससे कह देना कि दुबारा आनेका विचार न करे।

जमनाको दवा माफिक आ गई है न? यदि कुसुमको भी माफिक आये तो राधाको बुला लेना। वह अभीतक पूरी तरह स्वस्थ नही हुई।

व्रतके[1] बारेमे समय मिला तो लिख डालूँगा। जो थोड़ा समय मिला है उसे पिछले पत्रोको निपटानेमे ही लगा रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक चल रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० १ से।

१. स्वदेशी व्रतके बारेमें। यरवदा जेलमें और व्रतोंपर लिखनेके समय गांधीजीने इसे छोड़ दिया था। देखिए "स्वदेशी व्रत", ३१-५-१९३१।

३३. पत्र : धीरजलाल रतिलाल मेहताको

२४ अप्रैल, १९३१

चि० धीरजलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी गृहस्थी निर्मल और सुखी बने और तुम दोनों सच्ची सेवामें तन्मय रहो। कभी मुझसे मिलने आ जाना।

जीवनलालभाईकी मुझे ठीक-ठीक याद है।

मोहनदासके आशीर्वाद

चि० धीरजलाल
रतिलाल मेहता
भागाका तालाव भावनगर

गुजराती (जी० एन० १०८४९) की फोटो-नकलसे।

३४. सलाह : बारडोलीके किसानोंको

२४ अप्रैल, १९३१

आज तीसरे पहर गांधीजीने करीब एक घंटे बारडोली ताल्लुकेके उन किसानोंसे अनौपचारिक बातचीत की जिनकी जब्त जमीनें सरकारने किसी तीसरे व्यक्तिको बेच दी है।

ऐसा समझा जाता है कि गांधी जीने उन्हे सलाह दी है कि वे उन जमीनोंपर खरीदनेवालोंके कब्जे और उनके खेतीके काममें रुकावट न डालें। गांधी जीने कहा है कि किसानोंको यह विश्वास रखना चाहिए कि वे शीघ्र ही अपनी जमीनें पुनः प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल वे यही समझें कि उन्हे अपनी जमीनें आजादीकी लड़ाईमें खोनी पड़ी हैं।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २५-४-१९३१

३५. प्रतिज्ञा-भंग

एक मित्र लिखते है:[१]

मेरा दृढ विश्वास है कि आश्रम न लौटनेकी अपनी प्रतिज्ञापर मैं आज भी डटा हुआ हूँ और वह बिलकुल भग नही हुई है। आश्रममे न जानेका मतलब है, वहाँ स्थायी रूपसे न रहना। मौका पडनेपर बीमारको देखने भी न जाना, ऐसा अर्थ न कभी था और न होना चाहिए। दूसरे, लडाईके ही सिलसिलेमे वहाँ जाना पड़े, तो भी न जाया जाये, ऐसा भी अर्थ नही था और न है। मै अपनी सुविधाके लिए, अपने स्वार्थके लिए अवश्य वहाँ नही जा सकता।

मेरे लिए आश्रम सब-कुछ है। वह मेरी कृति है और उसके प्रति मुझे मोह है। मेरे लिए वह अपने आदर्शोको परिपूर्ण करनेका स्थान है। वह मेरी प्रेरणा-भूमि है। मै जबसे देशमे आया हूँ, तबसे मैंने जो नये-नये काम किये है, उनमे सबके लिए नही, तो बहुत-से कामोके लिए मैंने वहीसे प्रेरणा प्राप्त की है। आश्रमवासियोकी मार्फत यह आखिरी लडाई छेडनेके फलस्वरूप शायद ऐसा घोर दमन हो कि सब हिम्मत हार बैठे; किन्तु तब भी मै आशा करता हूँ आश्रममे कोई ऐसा मिल जायेगा, जो आखिरतक जूझेगा। जब चारो ओर हिंसा फैली होगी, तब आश्रममे से कोई-न-कोई अहिंसाका साक्षी निकलेगा; मुझे आश्रमसे ऐसी आशा है, ऐसा मोह है। हो सकता है कि इस आशाका कोई आधार न हो। जिससे आशा हो, वह निराश करे, स्वप्नमे भी जिससे आशा न की हो, वह आशातीत काम कर जाये। कुछ भी हो, मै तो अपना मोह प्रकट करता हूँ; अपनी आशा कहाँ है, सो बताता हूँ। मेरी प्रार्थना तो यह है कि देशमे अनेक अहिंसक, सत्याचारी, बलिदानी वीर पैदा हो। पर ऐसी प्रार्थना सफल न हो तो भी मुझे इतना मोह तो है कि आश्रम कुछ-न-कुछ ऐसे नर पैदा करेगा। इसलिए आश्रमका त्याग मेरे लिए बहुत भारी बात है। पर यह त्याग मै स्वार्थत्यागके लिए ही करूँगा, इसमे सेवा करनेके अवसरका त्याग नही होगा। जिस हेतुसे त्याग किया है वह त्याग उस हेतुको हानि पहुँचानेवाला न होगा।

लाल बँगलेके विरोधमे तो मुझे कोई सार नही दिखाई देता। लाल बँगलेका दोष इतना ही है कि वह आश्रमके पडोसमे है। वह आश्रमसे बिलकुल अलग है। आश्रमका कोई काम हो, परन्तु वहाँ रहना न हो, तो मै लाल बगलेमे क्यो न रहूँ? अगर विद्यापीठमे रहनेमे दोष नही है, अम्बालाल भाईके घर रहनेमे दोष नही है, तो लाल बगलेमे क्यो नही रहा जा सकता?

सच तो यह है कि मै अहमदाबाद आते-जाते आश्रममे ठहरूँ, तो उसे भी मै प्रतिज्ञा-भग नही मानूँगा। पर इससे लोगोमे बुद्धिभ्रम पैदा होगा, इसलिए वहाँ

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने गाधीजीकी स्वराज्य मिलनेके पूर्व आश्रममें न लौटनेकी प्रतिज्ञाका उल्लेख किया था। देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ६४-६५ तथा खण्ड ४५, पृष्ठ ४४८ भी।

रहनेका विचार छोड़ दिया, और अब अनुभवसे पता चलता है कि मैंने ऐसा करके ठीक ही किया।

प्रतिज्ञाका अर्थ करनेमें हमें लकीरका फकीर नहीं बनना चाहिए। अक्षरपर जोर देनेके बजाय उसकी भावनाकी परीक्षा करनी चाहिए। प्रतिज्ञाका अर्थ करनेका स्वर्ण नियम यह है: एकसे अधिक अर्थ निकलते हों तो अपने लिए सुविधाजनक अर्थका त्याग करना और कष्टदायक अर्थ निकलता हो तो कष्ट सहकर भी उस अर्थ पर डटे रहना। इसलिए सेवाका लाभ उठानेके लिए आश्रममें रहना ठीक नहीं है; वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहिए। भूख लगी हो, और आश्रम पास हो, इस कारण मैं वहाँ खाने के लिए नहीं जा सकता। जबतक कहीं दूसरी जगहसे खानेको न मिले उस वक्त तक भूखको सहन किया जाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

३६. शारदा ऐक्ट[1]

एक पत्र-लेखक पूछते हैं:[2]

मेरी मतिके अनुसार इनका जवाब क्रमशः इस प्रकार है:

१. शिकायत लिखवाई जा सकती है।

२. सच्चे पुरोहित धमकी या दबावसे कदापि न डरें।

३. अच्छा काम करते हुए जोखिम उठानी ही पड़ती है, इसलिए जहाँ कोई काम करना स्पष्ट कर्त्तव्य मालूम पड़े, वहाँ जानमालको खतरेमें डालकर भी कर्त्तव्यका पालन करना उचित है। इस प्रकार जानमालको जोखिममें कब डाला जाये, इसका निर्णय प्रसंगानुसार सबको स्वयंकर लेना चाहिए।

४. कांग्रेस सिर्फ राजनैतिक काम ही नहीं करती। जिससे लोगोंकी उन्नति हो, ऐसे सब काम करती है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए सब राष्ट्रसेवक या राष्ट्र-सेविकाएँ अपने कर्त्तव्यके बारेमें निर्णय कर लें। निर्णय करनेका काम हमेशा सहज नहीं होता। बहुतेरे सुधार ऐसे हैं जिन्हें देशकी व्यापक उन्नतिकी खातिर छोड़ देना पड़ता है। इसलिए सवाल हमेशा यह उठता है कि इस सुधार-कार्यमें लगकर मैं अपनी व्यापक उपयोगिताको बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ। यदि जवाबमें कम करनेकी सम्भावना दिखे तो उस सुधार-कार्यको अपनानेसे हिचकिचाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

१. इसके अनुसार विवाहके समय लड़केकी आयु १८ और लड़कीकी १४ वर्ष होनी चाहिए।

२. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

३७. स्वयंसेविकाएँ और खादी

नड़ियादमे एक स्वयसेविका मण्डल है; वहाँ एक सवाल पैदा हो गया है। कुछ लोग कहते है कि स्वयसेविकाएँ देशी मिलकी साडी वगैरा पहनकर धरना दे सकती है, अब काग्रेसका काम करनेवालेके लिए खादी पहननेकी आवश्यकता नही है। यह विचार दोषपूर्ण है और देशी मिलकी साड़ी वगैराका उपयोग अवैध है। काग्रेसका नियम करीव आठ सालसे चला आ रहा है। उसपर कई बार आक्रमण हुए, वार्षिक अधिवेशनोमे उसपर जी-भरकर चर्चा हुई। फिर भी कांग्रेसके प्रतिनिधियोने खादीकी धाराको वदलनेसे इनकार किया। इसलिए अब तो खादीकी रूढ़ि पुरानी हो गई है। इस नियम और रूढ़िको तोड़नेका अधिकार काग्रेसके किसी भी सदस्यको नही है। इसलिए मेरे विचारसे तो उपर्युक्त प्रश्न उठना ही नही चाहिए था।

पर मुझे यह बताया गया है कि अगर खादीकी शर्तको नरम न बनाया गया तो स्वयसेविकाओकी संख्या बहुत कम हो जायेगी और शायद खेड़ा जिलेमें एक भी स्थानीय स्वयंसेविका ऐसी नही मिलेगी जो खादी पहननेको तैयार हो। अगर यह बात सच है, तो खेदजनक है। फिर भी खादीशास्त्रके प्रणेताके नाते मैं यह दु:ख सहनेको तैयार हूँ। अगर खादीमे सचमुच शक्ति होगी और उसके पीछे तपश्चर्या होगी, तो खादीपर आई हुई यह नई आपत्ति भी टल जायेगी।

दुनियामे जहाँ-जहाँ लोगोने सत्यका मार्ग छोडा है, वहाँ वे ऐसी कठिनाइयोसे मुक्त हो गये हैं। सत्यका मार्ग छोड़नेमे कुछ आनन्द नही है। पर मनुष्य-स्वभाव कठिनाइयोका सामना नही करता। वह आसान रास्तेकी खोजमे रहता है। आसान रास्ता नीचे ले जाता है, मुश्किल रास्ता ऊपर उठाता है। जो नियम भौतिक-शास्त्रके लिए सही है, वही आध्यात्मपर भी लागू होता है। चीज बड़े वेगसे नीचे गिरती है जब कि उसे ऊँचे ले जानेमें दम निकल जाता है। इसलिए विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करनेकी उतावलीमें खादीको भूलना सत्य-मार्गको छोड़नेके समान है। प्रत्येक स्वयसेवक और स्वयसेविकाको याद रखना चाहिए कि इस मार्गको छोड़ देनेसे बहिष्कार कभी सफल होगा ही नही; और यदि हो सकता हो, तो उसमें कोई रस नही। विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको हम धर्म समझते है, क्योकि उससे हमे कम या ज्यादा अंशोमे करोडोकी भूख बुझती दिखाई देती है; और चरखा इसका उपाय है। चरखा अर्थात् खादी। इसलिए कांग्रेसका कोई स्वयंसेवक या स्वयसेविका खादीको छोड़कर और कोई कपड़ा न तो पहन सकता है, न इस्तेमाल कर सकता है।

तो फिर मिलके कपड़ेका क्या हो? बिना सोचे-समझे ऐसा प्रश्न पूछनेवाले पड़े है। बहिष्कार आन्दोलनका जन्म देशी मिलोके लिए नही हुआ है। खादी रूपी महा-वृक्षकी छायामे मिलोका भी पोषण अवश्य हो जाता है। खादीकी चाल बीरबहूटीकी चालसे भी धीमी है। खादी अभीतक व्यापक नही बनी है। गाँव-गाँव और मुहल्ले-मुहल्लेमें अभी खादी नही मिलती। ऐसी स्थितिमें देशी मिलें आसानीसे अपना माल

खपा सकती है। परन्तु अगर वे खादीके साथ स्पर्धा करेंगी, तो वे और खादी दोनो नही रहेगी। खादीको विज्ञापनकी सहायताकी, प्रदर्शनियोकी आवश्यकता है, देशी मिलोको नही। खादी-आन्दोलनसे सहज ही देशी मिलोकी रक्षा हो जाती है।

इस वस्तुस्थितिको समझनेवाली स्वयसेविका बहिष्कारका प्रचार करते हुए खादी पहननेको ही कहेगी, मिलके कपड़ेका इस्तेमाल करनेको कभी नही कहेगी। जो खादी पहननेसे इनकार करे, उनके भी मिलके कपडे इस्तेमाल करनेका समर्थन नही करेगी। खादी-विरोधी दलीलोका वह धैर्य और प्रेमके साथ खडन करेगी और अन्ततक खादी पहननेकी ही सलाह देगी। वह निधडक और निश्चयपूर्वक यही कहेगी कि "देशी मिलका कपड़ा आपके लिए नही — बल्कि जिन्होने कांग्रेसका सन्देश नही सुना है, उनके लिए है।"

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

३८. जानने योग्य प्रश्नोत्तर

एक साथीने उनसे पूछे गये नीचे लिखे प्रश्न भेजे हैं:

> कांग्रेसने विदेशी कपड़े और सूतके बहिष्कारकी सूचना निकाली है; परन्तु विदेशी रुई-जैसे कच्चे मालकी छूट रखी है। इस छूटके पीछे कौन-सा सिद्धान्त है? हमारे देशमें काफी रुई पैदा होती है और उससे ४० नम्बर तकके सूतका काफी महीन कपड़ा बन सकता है; ऐसी दशामें विदेशोसे रुई मँगानेकी छूट क्यों होनी चाहिए?

मै नही जानता कि विदेशी रुईकी छूट रखी गई है। वैसे मै स्वय यह मानता हूँ कि महीन कपडा तैयार करनेके लिए विदेशी रुईकी जरूरत पडे तो उसे मँगानेमें कोई हानि नही है। जिस कच्चे मालका उपयोग हम कर सकते हो, उसे परदेशसे मँगानेमें मुझे कोई हानि दिखाई नही देती। हमारा अनुभव है कि अपने देशका कच्चा माल, जिसका हम उपयोग कर सकते हो, बाहर भेजनेमे बहुत नुकसान है, परन्तु जिस प्रकार जितने मालका हम उपयोग नही कर सकते, उतना बाहर भेजनेमे लाभ है उसी प्रकार बाहरसे आवश्यकतानुसार कच्चा माल मँगानेमें भी लाभ हो सकता है।

> विदेशी रुईकी छूटमें कच्चे विदेशी रेशमकी छूट भी शामिल है न? रेशम तो हमारे देशमें काफी मात्रामें पैदा नहीं होता, और वह पुराने जमानेसे चीन-जापानसे काफी परिमाणमें आता रहा है। और फिर इस कच्चे रेशमका ताना-बाना बनानेसे पहलेकी अनेक क्रियाएँ हमारे देशमें ही होती हैं। तो क्या कच्चा विदेशी रेशम मँगानेकी भी मनाही है?

कच्ची रुईकी तरह ही अगर कच्चा रेशम भी बाहरसे आता हो तो मँगाया जा सकता है। कच्चा रेशम यानी कोया। कोये बाहरसे आते हो और कोई उन्हे

मँगाये तो आर्थिक दृष्टिसे इसमे कोई आपत्ति नही होगी। हाँ, अहिंसाकी दृष्टिसे मुझे यह व्यापार पसन्द नही।

बढ़िया किस्मके ऊनी कपड़ेके लिए स्वदेशी मिलें ऊनके 'टाप्स' परदेशसे मँगाती है। ये 'टाप्स' लगभग पूनीकी हालतमें तैयार होकर आते हैं। कांग्रेस की नीतिके अनुसार रुईकी तरह क्या ये 'टाप्स' मँगानेकी छूट हो सकती है?

ऊनके 'टाप्स' के बारेमे मै नही जानता। पर उपर्युक्त नियमके अनुसार जिस प्रकार हम विदेशी सूत या रेशमी धागा नही मँगा सकते, उसी प्रकार ऊनी 'टाप्स' भी नही मँगाये जा सकते। परन्तु इस सम्बन्धमे कोई अपवाद माना गया हो तो मै नही जानता।

कांग्रेसने विदेशी सूतके बहिष्कारकी सलाह दी है, इस सूतका ज्यादातर उपयोग हाथ-बुनाईमें किया जाता है, इसलिए अगर विदेशी सूतका बहिष्कार किया जाये और उसके बदले स्वदेशी सूत न मिले तो हाथ-करघोंपर बुननेवाले जुलाहोंमें बहुत अधिक बेकारी फैल जानेकी सम्भावना है, और कुछ जगहोंमें इसके स्पष्ट चिह्न भी उभरने लगे हैं। विदेशी सूत ज्यादातर ४० नम्बरसे ऊपरका आता है। हमारी मिलें या चरखें इतना महीन सूत शीघ्र ही पर्याप्त मात्रामें उत्पादन कर सकनेमें असमर्थ हैं। अतएव जबतक जुलाहोंतक ऐसा स्वदेशी सूत पहुँचानेकी पूरी व्यवस्था न हो जाये, तबतक सूतके बहिष्कारको रोके रखना आवश्यक है?

गुलामीमे फसे हुए, कँगाल देशमे, इस सबसे मुक्त होनेकी कोशिश करते हुए किसी को कुछ तकलीफ ही न उठानी पडे, यह कैसे हो सकता है? इतिहासमे कही इस तरहका दृष्टान्त नही मिलता। जो जुलाहे आज विदेशी सूत बुनते हैं, एक जमाना था जब उनसे कही अधिक सख्यामे जुलाहे हाथ-कता सूत बुनते थे। मेरी बात माने तो मै फिलहाल इन बेकार जुलाहोसे हाथका सूत ही बुनवाऊँ। ऐसी कठिनाइयोके बारेमे इतना समझ लेना काफी है कि जिन्होने विदेशी सूतका उपयोग किया है या उसका व्यापार किया है, उन्हे आज नुकसान हो या परेशानी उठानी पडे तो यह उनके आजतकके दोषोका प्रायश्चित्त है।

विदेशी सूतकी अपेक्षा विदेशी रेशमी सूत (स्पनसिल्क), जिसे 'गुल' कहा जाता है, और ऊनी सूतका प्रश्न कठिन इसीलिए अधिक है कि ये दोनों प्रकारके सूत देशमें तो तैयार ही नहीं होते और विदेशोंसे ही आते हैं। इनपर हजारों हाथ-करघे निर्भर हैं, इसलिए इनके बन्द होते ही बड़ी संख्यामें कारीगर लोग बेकार होने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि इनसे बननेवाले कपड़ेकी कीमतका ६० से ७५ फीसदी हिस्सा देशमें रहता है। ऐसी दशामें क्या इस उद्योगको नष्ट करनेसे स्वदेशीको फायदेके बजाय नुकसान न होगा? और यदि नुकसान हो तो क्या जरूरी नहीं है कि इस सूतका बहिष्कार न किया जाये?

ऊपर इसका जवाब आ चुका है। महान् आन्दोलनोंमें बारीक बनियागिरीके हिसाब नहीं किये जाते। ऐसे हिसाबसे प्रचण्ड भावनाओंको धक्का पहुँचता है।

आप कहते हैं कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार खादी द्वारा ही हो सकता है; परन्तु पिछले साल जब यह बहिष्कार बहुत बड़े पैमानेपर शुरू हुआ तो खादी करीब-करीब खत्म हो चुकी थी, और बादमें जब खादी काफी तादादमें मिलने लगी तब बहिष्कार आन्दोलन बहुत आगे बढ़ चुका था। बहिष्कारकी इस सफलताके दो मुख्य कारण थे। एक तो हाथ तंग होनेसे और श्रीयुत विट्ठलभाई पटेलकी सलाहसे लोगोंने कपड़ेकी आवश्यकता कम की, और दूसरी ओर मिलोंने अपना उत्पादन खूब बढ़ाया। इस तरह मिलके कपड़ेने अधिकतर विदेशी कपड़ेका स्थान ले लिया — इससे क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि खादी उत्पादनकी अपेक्षा मिल कपड़ेकी वृद्धि और जनताकी घटी हुई आवश्यकता, इन दो साधनों द्वारा बहिष्कार विशेष रूपसे आसान हो सकता है?

जो सफलता मिली है, उसका श्रेय खादीकी भावना और गरीबोंकी सहायता करनेकी भावनाको है। देशी मिलें चाहे जितना अधिक उत्पादन करें, किन्तु अगर भावना न हो तो बहिष्कार नहीं हो सकता। नया कपड़ा न खरीदनेकी सलाह बिना भावनाके अपनाई ही नहीं जा सकती। खादीका अभाव तो एक-दो महीनेतक रहा। एक-दो महीनोंके बाद तो खादीका ढेरों उत्पादन होने लगा। यदि माँग हो तो चाहे जितनी खादीका उत्पादन थोड़े ही समयमें हो सकता है। क्योंकि खादीके लिए जो साधन तैयार हैं, वे देशी मिलोंमें कपड़ा उत्पादनके लिए उपलब्ध हो ही नहीं सकते। कुदरत खादीके अनुकूल है। देशी मिलों वगैराको कुदरतके खिलाफ जाकर श्रम करना पड़ता है; इसे मैं दोष नहीं गिनता। कुदरतके खिलाफ चलनेके लिए मनुष्यको बहुत कुछ करना पड़ता है, और कुछ हृदतक वह जरूरी भी होता है। आज तो कुदरतको बीचमें डालकर और यह बताकर कि वह खादीके अनुकूल है, मैं वस्तुस्थितिका ही दर्शन करा रहा हूँ। हमने अनुभवसे यह देखा है कि खादीयुग आनेके बाद ही हम विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको सम्भव मानने लगे और उसके बाद ही लोक-जागृति हुई। खादी हो तभी हम मिल-मालिकोंको कुछ हृदतक स्वार्थके पंजेसे मुक्त रख सकते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

३९. पत्र : जे० एच० गैरेटको

बोरसद
२६ अप्रैल, १९३१

आपका २४ तारीखका पत्र मिल गया।

मेरे पत्रके एक वाक्यको[1] उसके सन्दर्भसे काटकर इस तरह पेश करना कि उस अलग-थलग वाक्यका अर्थ अपने सन्दर्भमे निहित मूल अर्थसे कही व्यापक लगने लगे उचित नही कहा जा सकता। यदि आप काग्रेसकी हैसियत समझौतेमे शामिल एक प्रतिनिधिकी मानते हैं तो यह कहाँतक उचित है कि मामलतदार, प्रतिनिधियोसे सलाह किये बिना ही उस नोटिसके स्थानपर ऐसा नोटिस जारी कर दे जिसके सम्बन्धमें मैंने शिकायत की थी?

मुझे कहना पड रहा है कि हमारी भेटके फलस्वरूप मुझे आपसे जिस मैत्रीपूर्ण सहयोगकी आशा थी, वह मुझे कही दिखाई नही दे रहा है। मै फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि समझौतेके प्रति वही भावना रखिए, जिससे प्रेरितहोकर लॉर्ड इर्विनने समझौता किया था। आप जो मार्ग अपना रहे हैं वह झगड़ा बढानेवाला है। मै आपको आश्वस्त करता हूँ कि मै समझौतेपर यथासम्भव अधिक-से-अधिक मैत्रीपूर्ण भावनासे अमल करना चाहता हूँ। क्या आप भी अपना हाथ आगे नही बढायेंगे?

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

४०. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

स्थायी पता,
बोरसद
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

इस महीनेकी २४ तारीखके आपके पत्रके[2] लिए धन्यवाद। मै श्री गैरेटके नाम इसी महीनेकी २० तारीखके अपने पत्रकी एक प्रति आपको नही भेज पाया; इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मै अब उस त्रुटिकी पूर्ति करते हुए इसके साथ आपको उसकी एक प्रति तथा उल्लिखित परिपत्रका अनुवाद भी भेज रहा हूँ। इस प्रतिसे आप देख सकेंगे कि मैंने ऐसा दावा तो कभी नही किया कि सरकार और जनतामे

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. देखिए परिशिष्ट २।

परस्पर सीधा कोई व्यवहार हो ही नही सकता और वह केवल कांग्रेसके माध्यमसे ही होना चाहिए। मैंने तो मामलतदारके उस नोटिसको लेकर आपत्ति की थी जो श्री गेरेट और मेरे बीच चल रही बातचीतके दौरान ही मुझसे बिना पूछे जारी कर दिया गया था। आप देखेंगे कि श्री गेरेटने यह दो टूक उत्तर दिया था:

> आप सरकार और जनताके बीच एक मध्यस्थकी हैसियतसे कांग्रेसका उल्लेख करते हैं। जिन बातोंपर समझौता किया गया था उनमें यह विषय शामिल नहीं है और इसलिए मैं आपके सुझावसे सहमत होनेमें असमर्थ हूँ।

आपके जिस पत्रका मैं उत्तर दे रहा हूँ, उसमें आपने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह इससे भिन्न है और उससे भी भिन्न है, जो श्री गेरेटने अपने सबसे ताजा पत्रमें अपनाया है; उसकी एक प्रति मैं सलग्न कर रहा हूँ। उन्होंने इसी महीनेकी २४ तारीखको लिखा है:

> आप लिखते हैं कि "कांग्रेस जनताका प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस को सरकार और जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिए।" मुझे समझौतेकी शर्तोंमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके आधारपर इसका औचित्य ठहराया जा सके। जनताको क्या करना चाहिए, इसके सम्बन्धमें उसे अपनी सलाह देनेसे कांग्रेसको कोई नहीं रोकता, और न सरकारी अधिकारियोंके कर्त्तव्य-पालनपर ही ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है कि वे सम्बन्धित लोगोंसे सीधा सम्पर्क और व्यवहार न रखें।

आप देखेंगे कि मेरे पत्रके एक वाक्यको उसके सन्दर्भसे काटकर अलग-थलग पेश किया गया है और उसे एक ऐसा अर्थ दे दिया गया है जो अपने सन्दर्भमे उसके मूल अर्थसे कही व्यापक हो गया है। श्री गेरेटने अपना पत्र मामलतदारोंकी ओरसे दूसरा कुछ बदला हुआ एक नोटिस जारी कर देनेका आदेश भेजनेके बाद लिखा है और यह नोटिस भी मूल नोटिससे कुछ ज्यादा भिन्न नही है।

मेरा कहना है कि नया नोटिस भी समयसे पहले और अधूरे किस्मका है और उसे किसी भी हालतमे स्थानीय कार्यकर्त्ताओंसे बात किये बिना जारी नही किया जाना चाहिए था। ऐसे नोटिस जारी करनेकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब यह बात स्पष्ट हो जाये कि उससे प्रभावित होनेवाले लोग जान-बूझकर अदायगी नही कर रहे है। और इस मामलेमे ऐसा नही है, यह इसी तथ्यसे प्रकट हो जाता है कि सरकार द्वारा कई मामलोमे समझौतेका पूरा-पूरा पालन न किये जानेपर भी लोग यथासम्भव शीघ्रतासे अदायगी करते रहे हैं। इसलिए यह काम समझौतेकी शर्तोंसे मेल नही खाता, क्योकि समझौतेमे तो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो और पारस्परिक विश्वास पैदा करनेकी बात कही गई है। यहाँ मुझे स्वीकार करना पडता है कि गुजरातमे तो पारस्परिक विश्वासका अभाव ही नही, बल्कि एक ऐसा दुराव–छिपाव और अविश्वास भी मौजूद है जो सम्बन्धोंमें तनाव आ जानेपर ही पैदा होता है। आशा है कि गवर्नर महोदय इसकी ओर अविलम्ब ध्यान देंगे। इतनी बडी शिकायतके बावजूद, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनता अपनी ओरसे समझौतेके

प्रति अपना दायित्व यथासम्भव पूरी तौरपर निभाये, मैं इसके लिए पूरी तरह प्रयत्नशील हूँ।

यदि कार्यवाहक गवर्नर महोदय समझे कि परस्पर चर्चा करनेसे कोई लाभ हो सकता है, तो वे जब भी ठीक समझे मुझे बुला सकते है।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल स० १६-बी, १९३१

सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय; यंग इंडिया, २०-८-१९३१से भी।

४१. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

बारडोली
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

बडी सख्यामे पत्र आकर पडे थे; उनके उत्तर लिखनेका काम काफी समयसे पिछडा हुआ था। अब मुझे एक आशुलिपिकका सहयोग प्राप्त हो गया है। आशा है, मैं बकाया काम शीघ्र ही पूरा कर सकूंगा। हाँ, आजकल की तरह कुछ और दिन शान्तिपूर्वक बितानेके लिए मिलना जरूरी है। तुम्हारे पत्र शिक्षाप्रद होते हैं। मैं तुम्हारी इस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जबतक वातावरण स्वच्छ नही हो जाता, तुम धरना देनेका कार्य मुलतवी रखो। इसके कारण तुम्हारे सम्बन्धमे कोई भ्रान्ति पैदा होनेकी सम्भावना नही है। तुम्हारे इस विचारसे भी मैं सहमत हूँ कि तुम्हे सभी दलोसे बचकर चलना चाहिए। कृपया डॉ० रायको मेरा स्नेह दे। मैं आशा करता हूँ कि वे पूरी तरह ठीक हो गये होगे। उन्हे अभी बहुतसे सेवा-कार्योका सचालन करना है। 'राष्ट्रवाणी[1]'का प्रकाशन आरम्भ करते हुए तुम्हे इस सुनहरे नियमको नही भूलना चाहिए कि पत्रिकाको आत्म-निर्भर होना चाहिए।

आजकल क्या खाते हो और वजन कितना बढा लिया है? यह सम्भव है कि मैं अभी कुछ दिन गुजरातमे ही रहूँ।

क्या श्री मुजीबुर्रहमानसे मिले थे? अगर मिले थे तो क्या हुआ?

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
१५, कालेज स्क्वेअर
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१७) की माइक्रोफिल्मसे।

१. बंगला साप्ताहिक।

४२. पत्र: ई० स्टेनले जोन्सको

वारडोली
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

आपकी खुली चिट्ठी पाकर मुझे गहरा धक्का लगा। दुःख इसलिए भी ज्यादा हुआ कि इस तरहके समाचारकी सचाईपर स्वय आपको यकीन नही था। और गलत-बयानीके कारण आपको स्वय ही कष्ट भोगना पड़ा। यदि आप इतनी लम्बी चिट्ठी लिखनेके पूर्व केवल एक लाइन लिख देते तो आप और मैं ईश्वरका दिया कितना कीमती समय बचा पाते। जो कुछ हुआ है, उसके लिए 'गीता'की भाषामे कहे तो आप चोरीके अपराधी हैं और आपके इस व्यवहारसे एक मित्रका अहित हुआ है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीन अनजान मित्रोने अधिक सावधानी से काम लिया। उन्होने लिखकर पूछा कि क्या वह समाचार मेरे विचारोको सही ढगसे प्रस्तुत करता है। भविष्यमे जब कभी आप कुछ ऐसी बात सुने जिससे आपके मनमे बनी मेरी आकृति बिगडती हो तो इस तरह खुली अथवा निजी चिट्ठी भेजनेकी अपेक्षा कृपया पहले मुझसे पूछताछ कर ले। अन्तमे मैं यह कहूँगा कि यदि आपने कभी मुझे अपना स्नेह दिया है, मैं जानता हूँ कि आपने स्नेह दिया है, तो आपकी खुली चिट्ठीके बारेमें 'यंग इडिया'मे प्रकाशित मेरे लेखको[1] पढनेके बाद आपको यह लगेगा कि मेरे प्रति अपनी भावना बदलनेकी आपको कोई आवश्यकता नही है। और यदि आपके अनुसार मैं भूल भी करूँ, तो भी आप मुझे अपना स्नेह क्यो नही देगे? क्या स्नेहके लिए भी किसी तरहका सोच-विचार जरूरी होता है?

हृदयसे आपका

रेवरेड ई० स्टेनले जोन्स
सतताल आश्रम, सतताल (जिला नैनीताल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१५) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "विदेशी मिशनरी", २३-४-१९३१।

४३. पत्र : सरदार सुरेन्द्रसिंहको[1]

बारडोली
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्र तथा सिख लीगमे पढ़े जानेवाले आपके भाषणकी[2] प्रति मिली। इसके लिए धन्यवाद। आपके पत्रके कुछ अंशोसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यदि हम साम्प्रदायिकताकी छायासे भी दूर रह पाते तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा लगता है कि यदि निकट भविष्यमे कोई समझौता हुआ तो उसमे कुछ न कुछ अंशोमे साम्प्रदायिकताकी भावना रहेगी।

मैं उस व्यक्तिकी राष्ट्रीयताको समझ नही पाता जो राष्ट्रवादी केवल तभी रहता है जब अन्य सभी लोग राष्ट्रीय भावनाका पालन करे। ऐसा न हो तो उसकी भावना कट्टर साम्प्रदायिकतामे परिवर्तित हो जाती है।

आपको वयस्क मताधिकारसे जो डर है, वह मुझे नही है। हर प्रकारके मताधिकारका दुरुपयोग हो सकता है, पर वयस्क मताधिकारका कमसे-कम होता है। फिर मेरे पास एक प्रभावकारी तरीका भी है, जो कुछ अंशोमे इस शरारतको रोक सकेगा। परन्तु इस समय उसके सविस्तार वर्णनकी आवश्यकता नही है।

मैं आपके इस विचारसे भी सहमत हूँ कि हमे जनताके लिए बड़े पैमानेपर शिक्षाकी सुविधाएँ जुटानी चाहिए। बच्चोकी अपेक्षा उन वयस्क पुरुषो व स्त्रियोकी शिक्षा अधिक जरूरी है जो अच्छा या बुरा कर सकनेकी शक्ति प्राप्त करने जा रहे है। मैं सोचता हूँ कि यह शिक्षा कांग्रेसने चाहे सदा सफलताके साथ और सदा ठीक ढंगसे न दी हो, पर कुल मिलाकर तो सफलताके साथ और ठीक ढंगसे दी है।

कार्यकुशलता तथा सार्वजनिक ईमानदारीका सम्बन्ध बड़े वेतनोंके साथ जोडनेको मैं शासकोका फैलाया एक मोह-जाल मानता हूँ। इस मोह-जालसे हम जितनी जल्दी छुटकारा पा सके उतना ही अच्छा होगा। आजकलके सरकारी अफसरोको प्रभावित किया जा सकता है और यह तो खुले आम रिश्वत लेनेसे अधिक घातक है। मैं देशके आज प्रशासनको कुशल नही मानता। हाँ, इससे यूरोपवासियोके प्राणोकी बन्दूककी नोकसे रक्षा जरूर होती है, पर सामान्य जनताकी नही। मैं समझता हूँ, इस देशमे ऐसे देशभक्त स्त्री-पुरुषोकी कमी नही है जो, स्वतन्त्रता मिलनेपर, गुजारे लायक वेतन पर खुशीसे सेवा करेंगे। वह वेतन लाखो मेहनतकश, भूखे लोगोको औसत आयसे बहुत अधिक नही होगा। अगर अज्ञान गरीबीका कारण है तो उसका उतना ही बड़ा कारण वह निर्मम शोषण भी है जिसकी कही मिसाल नही मिलती।

१. तत्कालीन कृषि विभागके एक सदस्य।

२. सिख लीगकी बैठक ८ अप्रैलको अमृतसरमें हुई थी।

इस प्रकार यद्यपि हमारा मतभेद है फिर भी मैं आपके पत्र तथा उनके साथ भेजे भाषणकी कद्र करता हूँ। उन्हें मैंने पर्याप्त रुचिसे पढ़ा है। इसलिए अगर आप भविष्यमें कोई महत्वपूर्ण बात मुझे लिखना चाहें तो अवश्य लिखनेकी कृपा करें।

हृदयसे आपका,

सरदार सुरेन्द्रसिंह
पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट
लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१६) की फोटो-नकलसे।

४४. भाषण: अकोटीके ग्रामीणोंके बीच

२७ अप्रैल, १९३१

गांधीजी जब यहाँ आये तो गाँवके लोगोंने उन्हें बताया कि उनकी लगभग ५०,००० रुपयेकी धानकी फसल, जो गाँवकी प्रमुख उपज है, जब्त करके एक पारसीको १४०० रुपयेमें बेच दी गई है। उनके पास जीवन-निर्वाहका और कोई साधन नहीं है। कांग्रेससे मिलनेवाली सहायतापर ही वे गुजर कर रहे हैं। इसपर भी मामलतदार उन्हें लगान जमा करानेको कह रहे हैं।

गांधीजीने कहा कि उनकी दशाको देखते हुए, समझौतेके अधीन उन्हें लगान जमा करानेके लिए कुछ समयकी मोहलत मिल सकती है। गांधीजीने उन्हें तथा गुजरातके अन्य किसानोंको सलाह दी कि अगर सम्भव हो तो वे लगान जमा करा दें। किन्तु यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें लगान देनेसे इन्कार करनेसे डरना नहीं चाहिए तथा जो भी नतीजा निकले उसे शान्तिपूर्वक सहनेको तैयार रहना चाहिए। . . .

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-४-१९३१

४५. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, बोरसद
२७ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं अपने पिछले पत्रके साथ एक महत्त्वपूर्ण पत्रकी[1] प्रति नहीं भेज पाया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब उसे भेज रहा हूँ। इनके बाद और भी पत्र व्यवहार हुआ है। मनमे शंका उत्पन्न करनेवाली कुछ और भी बाते है; किन्तु उनका अभी उल्लेख करना जरूरी नही है।

आपको याद होगा कि भारत सरकारने बम्बई सरकारके प्रतिवेदनके आधार पर दमनकारी कदम उठानेकी छूट दे दी थी। उस प्रतिवेदनकी एक प्रति आपने मुझे दी थी। मैं आपको बतला ही चुका हूँ कि वह प्रतिवेदन कितना भ्रामक था और मेरी रायमे जनताने इस तथ्यके बावजूद कि स्थानीय अधिकारियोने कई मामलो-मे समझौतेकी शर्तोको अबतक पूरा नही किया है, कितनी सदाशयताके साथ अदायगी की है। मै साथमे एक सूची सलग्न कर रहा हूँ; उससे मेरे कथनकी पुष्टि हो जाये-गी। ये दमनकारी नोटिस देनेके बजाय इन लोगोके साथ कोई अच्छा बरताव किया जाना चाहिए था। आपका ध्यान मैंने जिन विषयोकी ओर दिलाया है, यदि वे स्पष्ट न हो और यदि आप आवश्यकता महसूस करते हो, तो मुझे शिमला बुला सकते है और यदि आप मुझे शिमला बुलाते है, तो आवश्यक है कि कम-से-कम हमारी बात होनेतक तो सारी दमनकारी कार्रवाइयाँ आप बन्द करा दे।

समझौतेको भंग न होने देनेमें मुझे आपकी सहायताकी जरूरत है। मै लॉर्ड इर्विनको वचन दे चुका हूँ कि समझौता भंग न होने देनेकी दृष्टिसे मैं ऐसा कोई भी काम, जिसे न करना मेरे लिए अशोभनीय न हो, नही करूँगा। लेकिन ताली दोनो हाथोसे ही बजती है। मै यह मानते हुए आश्वस्त हूँ कि आप भी यदि आपसे बन पड़ा तो अपनी ओरसे इस समझौतेको, जिसे आपने बिलकुल ही उचित सज्ञा देते हुए, सज्जनोका करार, कहा है, भंग नही होने देगे।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह-सचिव, भारत सरकार, शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल सख्या १६-बी, १९३१ से; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, यंग इंडिया, २०-८-१९३१ से भी।

१. देखिए "पत्र : जे० एच० गेरेटको", २०-४-१९३१।

४६. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बोरसद
२८ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

नमक-कानूनोंमें समझौतेकी शर्तोंके अनुसार ढिलाई करनेके लिए जारी की गई सरकारी हिदायतोंकी एक प्रति मुझे मेरे एक मित्रने दी है, लेकिन मैंने सरकारके इस निश्चयके बारेमें समाचारपत्रोंमें कुछ नहीं पढ़ा है। अपने साथियों या आम जनताको इस सम्बन्धमें कुछ सुझाने-समझानेका कार्य मैंने जान-बूझकर रोक रखा है; क्योंकि श्री एमर्सनने मुझे यह बताया था कि नमक-प्रशासनसे सम्बन्धित हिदायतें सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित की जायेंगी। कृपया मुझे सूचित करें कि क्या बम्बई सरकार इस सम्बन्धमें सार्वजनिक रूपसे कोई निश्चित आदेश जारी करनेवाली है, ताकि मामलेसे सम्बन्धित लोग अपनी ठीक-ठीक स्थिति जान सकें। इस सम्बन्धमें मुझसे कई लोगोंने पूछताछ की है।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एम० मैक्सवेल,
बम्बईके गवर्नर महोदयके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६—पी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४७. तार : ठाकुरदास खुशालदासको[1]

[२८ अप्रैल, १९३१ के बाद]

अगर लोग तर्कयुक्त बात नहीं मानते तो आप फिलहाल उन्हें उनकी मर्जीके मुताबिक कार्य करने दें।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या ३—ए, १९३१
सौजन्य. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. जिला कांग्रेस कमेटी, मिरपुरखास, (सिन्ध) के मन्त्री, उन्होंने अपने दिनांक २८ अप्रैलके पत्रमें मीरपुर खासके कपड़ा-व्यापारियोंके कांग्रेसकी हिदायतोंके विरुद्ध सील लगे विदेशी कपड़ेको बेचनेके निर्णय और उसके उत्तरमें भूख-हड़ताल और धरना शुरू करनेके सत्याग्रहियों द्वारा लिए निर्णयके सम्बन्धमें गांधीजीकी राय माँगी थी।

४८. खेड़ा जिलेके किसानोंसे

[२९ अप्रैल, १९३१][1]

मैंने 'नवजीवन'[2] मे लगान देनेके बारेमे लिखा है कि कर्ज लेकर लगान भरनेके लिए किसान[3] बाध्य नही है। यह टिप्पणी उस विषयको और भी अधिक स्पष्ट करनेके विचारसे लिख रहा हूँ।

(१) हिजरतमें गया हो या न गया हो, जिस सत्याग्रही किसानको सत्याग्रहमें भाग लेनेके कारण अच्छा खासा नुकसान हुआ हो, वह ब्याजपर कर्ज लेकर लगान अदा करनेके लिए बाध्य नही है।

(२) मेरी राय है कि जिन्होने सत्याग्रहमे भाग लिया ही नही और जिनको सत्याग्रहमें भाग लेनेपर भी नुकसान नही हुआ, उन दूसरे सभी किसानोका कर्त्तव्य है कि वे अबतक जैसा करते आये है, उसी तरह ब्याजपर भी पैसा लेकर फौरन लगान अदा कर दे।

(३) जिन किसानो पर पहली बात लागू होती है उन्हे जानना चाहिए कि उनकी रक्षा समझौतेके अनुसार चलनेमें है। मेरी ऐसी मान्यता होनेके कारण उनका लगान अगले वर्षतक मुल्तवी करानेका मै पूरा प्रयत्न करूँगा। किन्तु यदि मेरा प्रयत्न निष्फल हो जाये तो सम्भव है कि उनको बहुत कष्ट उठाना पडे। इसलिए यह सुझाव उन लोगोके लिए नही है जो यह कष्ट सहन करनेके लिए तैयार न हो।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३-५-१९३१

४९. पत्र: चारुप्रभा देवीको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

प्रिय चारुप्रभा,

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। निश्चय ही अहिंसाके विषयमें तुम्हारे या मेरे विचारोसे मतभेद रखनेवाले तरुणोके साथ काम करनेसे तुम्हें इन्कार नही करना चाहिए। बल्कि तुम्हे आशा यह करनी चाहिए कि तुम अपने स्नेहके बलपर और उससे भी कही अधिक अपने नित्य-प्रतिके आचरणमें अपने तरीकेसे कार्य-साधकता

१. ३०-४-१९३१ के हिन्दूके अनुसार।
२. १९-४-१९३१ के अंकमें, देखिए १३-१४।
३. गृह-विभागकी राजनीति सम्बन्धी फाइलमें उपलब्ध अनुवादमें इस शब्दकी जगह 'खातेदार' है।

सिद्ध करके उनका हृदय-परिवर्तन कर सकती हो। मुझसे लम्बे-चौडे पत्रोंकी आशा न रखना। अशुद्ध अंग्रेजीके लिए क्षमा-याचनाकी कोई आवश्यकता नही है। किसी विदेशी भाषामे गलती करनेपर हमें लज्जाका अनुभव किसलिए हो? फिर भी मैं इतना अवश्य चाहूँगा कि तुम हिन्दी सीख लो और हिन्दीमें लिखने लगो। हिन्दी तुम बहुत जल्दी सीख सकती हो।

बापू

चारुप्रभा देवी
राजबाडी (बगाल)

अंग्रेजी (जी० एन० ८७०१) की फोटो-नकलसे।

५०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

[स्थायी पता] साबरमती[1]
२९ अप्रैल, १९३१

आपके कई पत्र[2] मिले। ऊपरसे ऐसा लग सकता है कि मैंने आपकी उपेक्षा की है। सच तो यह है कि मुझे समय ही नही मिला। कराचीने मुझे थका डाला और बिलकुल ही त्रस्त कर दिया। थकावट अभीतक पूरी तरह नही गई है। मुझे दिनमे दो या तीन बार सोना पडता है, ताकि मैं आवश्यक कामोको पूरा करनेके लिए तरोताजा हो सकूँ।

आशा है, आपकी बहन अगर पूरी तरह नही, तो कम-से-कम पहलेसे तो स्वस्थ है। उसे मेरा स्नेह दें।

आपने यह मान लिया है कि मैं लन्दन जा ही रहा हूँ। मैं जानेकी बात निश्चयपूर्वक नही कह सकता, और इतना निश्चित है कि यदि हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान न हुआ तो मैं लन्दन नही जाऊँगा। अभी ऐसी सम्भावना नजर नही आती। इसके अलावा गुजरातमें तो खुद समझौतेके ही पूरी तरह भग हो जानेका जबर्दस्त खतरा है। यो, मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँका अधिकारी वर्ग समझौतेका पालन करे। लेकिन सघर्ष अत्यन्त ही कठिन है। आप जानते ही हैं कि अधिकारी लोग राजस्वके मामलोमें कितनी मुश्किलसे थोडा-सा भी सुननेको तैयार होते हैं। पर यदि मैं वहाँ आया और अपने मनकी कर सका तो मैं म्यूरियल लेस्टरका निमन्त्रण स्वीकार करना चाहूँगा। अगर आप समझते हो कि यह ठीक नही होगा और घनश्यामदासके होस्टलमें रहना ही ज्यादा ठीक रहेगा, तो आप उनसे मिल लेनेकी कृपा अवश्य करे।

१. गांधीजी ११ मई तक बोरसदमें थे फिर शिमला चले गये थे। इस पत्रमें और अन्य पत्रोंमें भी यह पता केवल उत्तर प्राप्त करनेकी सुविधा की दृष्टिसे दिया था।
२. इंग्लैंड और अमेरिकासे लिखे गये पत्र।

और अब ट्रान्सवालकी समस्या। यह समस्या तो दिनोंदिन कठिन बनती जा रही है। मेरी समझमे भारत जबतक स्वाधीनता प्राप्त नही कर लेता, तबतक इस समस्याका निकट भविष्यमें कोई समाधान नही निकल सकेगा। हाँ, वहाँ रहनेवाले भारतीयोको जैसे-तैसे अपना अस्तित्व तो बनाये ही रखना पड़ेगा। उनमें सूझबूझ तो बहुत है, परन्तु उनको गरीबीमे ही दिन काटने पड़ेगे। फिर भी जो-कुछ हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस सिलसिलेमें सबसे अधिक योगदान आपको ही करना है। इस दिशामे कुछ करनेकी मुझमें तो जैसे क्षमता ही नही रह गई है। किन्तु भेट होनेपर हम लोगोंको इस परिस्थितिपर चर्चा अवश्य करनी चाहिए और हो सकता है, मैं इस परिस्थतिसे निबटनेका कोई कारगर उपाय भी सुझा सकूँ।

आशा है, 'यंग इडिया'की प्रति आपको ठीक-ठीक मिल रही होगी। मेरा यह पत्र उस साप्ताहिक पत्रका एक परिशिष्ट-मात्र है।

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज

अग्रेजी (एस० एन० १७०२४) की फोटो-नकलसे।

५१. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

घनश्यामदास बिडलाने कहा था कि कुछ पक्तियाँ ही क्यों न हों, मैं आपको पत्र अवश्य लिखूँ। पर मैं लिख नही पाया; रोज ही काफी बड़ी सख्यामें आनेवाले पत्रोको पिछले सप्ताहतक तो मैंने देखना लगभग छोड़ ही रखा था। प्यारेलाल और महादेवने उन पत्रोंके उत्तर अपनी इच्छाके अनुसार दिये थे और मैं जानता था कि आप भी मेरी इतनी अधिक व्यस्ततामे मुझसे पत्र की आशा नही रखेंगे। अब जाकर कुछ पत्र लिखवानेकी फुरसत मुझे मिली है; तो सवाल है कि मैं आपको क्या लिखूँ? आप यह क्यो समझते हैं कि यदि आपके तार या पत्रोकी प्राप्ति-स्वीकृति नही पहुँची तो उनपर विचार भी नही किया गया? विचार उनपर किया गया था। दुर्भाग्यकी बात यह है कि आपका सुझाव स्वीकार नही किया जा सका। सर तेज बहादुर सप्रू-जैसे विधि विशेषज्ञने सजाओकी[1] वैधताके बारेमे वाइसरायके साथ बारीकीसे बातचीत की थी और आप जानते ही है कि उनका वाइसरायपर कितना प्रभाव है। लेकिन वह सब भी निष्फल ही रहा। इसलिए काग्रेसके सामने एक ही चारा रह गया था; और फिर उसे वैसा ही रुख

१. भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरुकी।

अपनाना पडा। अतः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसका दु.ख न मानें। याद रखिए, अब कांग्रेसपर नई पीढीके लोगोका प्रभुत्व है। ये लोग कानूनी तौर-तरीको की परवाह नही करते। उन्होंने अपने अनुभवसे देखा है कि आजादी प्राप्त करनेके लिए ये कानूनी तौर-तरीके कितने प्रभावहीन सिद्ध हुए है और अपने कटु अनुभवो द्वारा उन्होने यह भी जान लिया है कि आजादीको मर्यादित करनेमें ये कानूनी फदे कितने शक्तिशाली रहे है। इसलिए यह मानकर कि ये नौजवान, स्त्री-पुरुष कुल मिलाकर एक सही दिशामें जा रहे है, आप इन्हे आशीर्वाद देकर ही सन्तोष क्यो नही करते? लेकिन इसका अर्थ यह भी नही कि आप कांग्रेसको — विशेषकर मुझे अपनी बहुमूल्य सलाहसे वंचित रखें। आप यह मानकर अवश्य न चले कि आपकी हर सलाहपर अमल किया ही जायेगा। मैं आशा करता हूँ कि वृद्धावस्थाके प्रभावके बावजूद आप चगे है, और देशमें होनेवाले भारी परिवर्तनोको समझते चल रहे है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० विजयराघवाचारियर
आराम
सेलम

प्रतिलिपि: घनश्यामदास बिड़लाको

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२२)की फोटो-नकलसे।

५२. पत्र: आर० बी० ग्रेगको

[स्थायी पता] साबरमती
२९ अप्रैल, १९३१

प्रिय गोविन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने उसे मीराको भी पढकर सुनाया। मीराको लिखे अपने पत्रमें तुमने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उसे समझता हूँ और ठीक भी मानता हूँ। मैं नही जानता कि मेरा लन्दन जाना होगा भी या नही। अगर मुझे साफ तौरपर यह नही लगता कि मैं वहाँ पहुँचकर अपनी बात लोगोको समझा सकूँगा, तो मैं बिलकुल नही जाऊँगा। मुझे शुरूसे ही लगता रहा है कि अभी इस समय मेरी बात स्वीकार किये जानेकी कोई सम्भावना नही है। फिर भी यदि कांग्रेस सुलहकी शर्तोंपर चर्चा करनेका प्रस्ताव स्वीकार न करती, तो अपनेको गलत स्थितिमें डाल लेती। लेकिन उसे स्वीकार करनेसे अब हम सब ओरसे सुरक्षित है। अगर वार्ता द्वारा स्थायी शान्तिकी स्थापना हो सकती है तो यह बहुत अच्छी और शानदार बात होगी। इसलिए मैं इसे पानेके लिए कोशिश करनेमें कोई कसर नही रहने दूँगा। वार्ता निष्फल रही, तो भी स्थिति उतनी ही अच्छी और शानदार रहेगी। वह स्थिति

भारतकी कसौटी होगी और तब उसे कही अधिक कष्ट सहन करनेकी अपनी क्षमताका परिचय देना होगा। भोज या अन्य प्रकारके स्वागत-समारोहोमे मेरे आमन्त्रित किए जानेका सवाल ही पैदा नही होता। मैं कुछ खा नही सकता और मेरी लँगोटीके कारण मुझे बर्नमकी प्रदर्शनीकी[1] किसी शानदार चीजकी भाँति प्रदर्शित भी नही किया जा सकता। इसलिए यदि मैं लन्दन गया तो केवल ठोस कामके लिए और वहाँ कतिपय गिने-चुने मित्रोंके हार्दिक स्नेहका रसपान करनेके लिए ही जाऊँगा। वहाँ क्या होगा — मैं ऐसी अटकलबाजीमे नही पडता। ईश्वर मुझे जहाँ भी ले जायेगा, वहाँ मैं इसी विश्वासके साथ जाऊँगा कि अपने निर्देशित मार्गपर चलनेसे सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

मेरी अमेरिका-यात्राके सम्बन्धमे फैली अफवाहोपर विश्वास मत कीजिए। मनमे उस महान देशकी यात्रा करनेकी इच्छा तो बहुत है, परन्तु मैं जानता हूँ कि अभी उसका समय नही आया। मैं वहाँ चार दिनके लिए एक अजूबा बनने ही नही आना चाहता।

तुमको और राधाको स्नेह।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

श्री आर० बी० ग्रेग
५४३, बायल्स्टन स्ट्रीट
बोस्टन, मैसाच्युसेट्स

अंग्रेजी (जी० एन० ४६६३)की फोटो-नकल तथा एस० एन० १७०२३से भी।

५३. पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

चि० जमनादास,

तू तो बिलकुल पत्र नही लिखता, ऐसा क्यो? मैं तुझे पत्र लिख नही सकता, किन्तु तेरा खयाल तो आता ही रहता है। तेरी मानसिक दशा कैसी है? माता-पिता कैसे है? पाठशाला कैसी चल रही है? जेलका कोई अनुभव लिखना। नया राजा कैसा है? पुरुषोत्तमको पत्र लिखनेको कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९१)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : जमनादास गाधी

१. १८५१ के आसपास इंग्लैंडमें बर्नम प्रदर्शनियाँ अपने प्रदर्शनोंके अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनोंके लिए प्रसिद्ध थीं।

५४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपके दो पत्र मीले है। विजयराघवाचारीजीको पत्र[1] लिखा है उसका नकल भेजता हुँ।

हिंदु-मुस्लीम बारेमें क्या लिखुं? नवाबसाहब भोपाल काम कर रहे है। जब मौका मिले तब कोई भी मुसलमान मिले उसकी सेवा करना। सेवाका मतलब आर्थिक सहाय नहि है। योग्य गरीब मुसलमान मिल जावे उसे आर्थिक सहाय देना वह तो है हि। और हिंदुमें जो गुंडाबाजी पैदा हुई है उसको दूर करनेकी चेष्टा करना भी कर्त्तव्य है। जो अत्याचार कानपुरमें और काशीमें हिंदुसे हुए उससे हिंदु धर्मको लाभ नहि हुवा है, हानि अवश्य हुई है।

मेरा विलायत जाना होगा या नहि कुछ पता अब तक तो नहि है। यहाका मामला गभीरसा है।

आप अमेरीका अवश्य जाइये। जानेसे कुछ लाभ हि होगा।

विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके बारेमें जो कुछ शक्य हो करो।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

बापू

सी० डब्ल्यू० ७८८५ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

५५. मेरी लँगोटी

दिल्लीमें व्यापार मण्डलकी सभाके सामने मैंने कहा था कि भारतीय संस्कृतिको हमें पश्चिमी सभ्यताके हमलेसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। इस कथनसे एक आलोचक बिगड़ उठे हैं। उन्होंने पहले तो भारतीय संस्कृति और लंगोटीको अभिन्न मान लिया है और फिर उसकी निन्दा की है। चर्चिलने सारी दुनियामें मेरी लँगोटीका विज्ञापन करनेकी अयोचित कृपा की है। इसलिए, उक्त टीकाकारकी तरह उसका मजाक उड़ानेका रिवाज-सा पड़ गया है। ऐसी हालतमें उसका अर्थ समझा देना ठीक होगा।

१. देखिए पृष्ठ ५३-५८।

सन् १९२१ में मौलाना मुहम्मद अली और मै दक्षिण भारतकी यात्रा कर रहे थे कि वालटेरमे मौलाना गिरफ्तार कर लिये गये।[1] पर उनकी बेगम हमारे साथ थी। मौलानाको इस तरह उनसे जुदा कर दिया गया। मेरे दिलपर इसका गहरा असर पडा। बेगम साहिबाने बहादुरीके साथ इसे सहा और वे मद्रासकी सभाओंमे हाजिर रही। उन्हे मद्रासमें छोड़कर मै मदुरा गया। मैने रास्तेमें देखा कि डिब्बोमे लोगोकी जो भीड थी, उसपर इस घटनाका कोई असर नही है। लगभग सभी रग-बिरगे विदेशी कपडे पहने हुए होते थे। चूँकि अलीभाइयोको छुडानेके लिए मेरे पास खादीके सिवा और कोई रास्ता न था, इसलिए उनमेसे कुछके साथ मैने बातें की, और उनसे खादी पहननेके लिए कहा। उन लोगोंने तो सिर हिलाकर कहा — हम इतने गरीब है कि खादी नही खरीद सकते, खादी तो बहुत महँगी है। इस बातके मूलमे छिपे हुए सत्यको मै पहचान गया। मैं कुर्त्ता, टोपी और पूरी धोती पहने था। ये लोग जब इस अर्द्ध-सत्यका उच्चारण कर रहे थे, तभी चार इच चौड़ी और करीब चार फुट लम्बी लगोटीको छोडकर, जो करोडो लोग विवशताके कारण नगे ही रहते हैं मानो अपने खुले शरीरके द्वारा इस नग्न सत्यका उच्चारण कर रहे थे। मुझे लगा कि सभ्यताका त्याग किये बिना यदि मै अनावश्यक एक-एक इच कपडेका त्याग कर सकूँ, तो उन करोड़ो अधनगे लोगोके रहन-सहनके अधिक समीप होकर उनसे अपनेको जोड़ सकूँगा। इसके सिवा और अधिक पुरअसर जवाब मै उन लोगोको क्या दे सकता था? फलतः यह परिवर्तन मैने मदुराकी सभाके बाद दूसरे दिन[2] सवेरे ही कर डाला।

इसलिए इसमे लँगोटीवाली सभ्यताका तो सवाल ही नही है। लँगोटी पहननेके सिवा मेरे पास और कोई चारा ही न था। परन्तु जिस हदतक लँगोटी सादगीकी निशानी है, उस हदतक वह भारतीय संस्कृतिका प्रतीक भी मानी जा सकती है। भारतीय संस्कृति सस्कृतियोका मिश्रण है। ये सस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न धर्मोंसे निकलकर भौगोलिक तथा दूसरे जिस प्रकारके भिन्न वातावरणमे पहुँची है उनके कारण उनका रूपान्तर हो गया है। इस प्रकार मुसलमानी सभ्यताका रूप, अरब, तुर्की, मिस्र और हिन्दुस्तानमे एक ही नही है, बल्कि उसपर विभिन्न सम्बन्धित देशोकी परिस्थितियोका असर पड़ा है। इसी अर्थमे भारतीय संस्कृति भारतीय ही है। वह न सम्पूर्णतया हिन्दू संस्कृति है, न इस्लामी और न कोई दूसरी। वह सब सस्कृतियोका मिश्रण है और सच्चे अर्थोमे पूर्वकी सस्कृति है। मेरे मनमे तब भारतीय सस्कृतिका यही अभिप्राय था। अपनेको भारतीय कहलानेवाले हरएक स्त्री-पुरुषका धर्म है कि वह इस सस्कृतिको अपनाये, इसका रक्षक बने और इसपर होनेवाले आक्रमणोका सामना करे।

निस्सन्देह यूरोपकी सभ्यता यूरोपीयनोके लिए अनुकूल है, फिर भी अगर हम उसकी नकल करेगे, तो उसका परिणाम हिन्दुस्तानका नाश ही होगा। इस बातका यह अर्थ नहीं है कि उनमे जो अच्छा और ग्राह्य हो वह भी न ले; उसी प्रकार

१. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १००-१०१।

२. २२ सितम्बर, १९२१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १६३-६४।

इसका यह अर्थ भी नही है कि उनमें जो खराब बातें घुस गई है, स्वय यूरोपियनोको भी उनका त्याग नही करना पडेगा। शारीरिक सुखोकी दृष्टिसे अविरत शोध और उनकी वृद्धि एक ऐसी ही बुरी प्रवृत्ति है, और मेरा ख्याल है कि जिन भोगोंके वे गुलाम बने जा रहे है यदि वे उनके भारसे दबकर तबाह न होना चाहते हो, तो स्वय उन्हे भी अपनी जीवन-दृष्टिको नया रूप देना पडेगा। हो सकता है कि मेरा यह ख्याल गलत हो, पर इतना तो मैं जानता हूँ कि भारतवर्षका इस सोनेके हिरनके पीछे दौडना निश्चय ही मौतको गले लगाना है। 'सादा जीवन और उच्च विचार', एक पश्चिमी तत्त्ववेत्ताके इस सूत्रको हमें अपने हृदय-पटपर लिख रखना चाहिए। आज यह तो स्पष्ट है कि करोडो लोगोको उच्च रहन-सहनकी प्राप्ति असम्भव है, और हम मुट्ठी-भर लोग जो जन-साधारणके लिए विचार करनेका दावा करते है — उच्च रहन-सहनकी मिथ्या खोजमें उच्च विचारको खो बैठनेका जोखिम उठा रहे है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५६. मरकर अमर हुए

श्रीयुत जी० वी० केतकरने महान् वीरताकी एक घटनाका हाल भेजा है, जो यहाँ उल्लेखनीय है:

> श्री पुरुषोत्तम, जो बापू गायधनीके नामसे अधिक पहचाने जाते है, नासिक के एक नौजवान कार्यकर्त्ता थे। पिछले कुछ वर्षोसे वह नासिककी गुलालवाड़ी सार्वजनिक व्यायामशालाके सहायक मन्त्रीका काम कर रहे थे। वे समय-समय पर कांग्रेस और स्वदेशी प्रचारके कामोमें भी हाथ बँटाया करते थे। ४ अप्रैलको नासिकमें एक मकानमें आग लगी। बापू गायधनी आग बुझानेमें जुट गये और यह मालूम होनेपर कि मकानमें बालक रह गये है, परिणामकी तनिक भी चिन्ता न करके, वे मकानमें घुस पड़े और बच्चोंको निकाल लाये। वे फिर एक बार ढोरोंको बचानेके लिए घरमें घुसे। बदकिस्मतीसे इस वक्त तक आग चारों ओर फैल चुकी थी। एक जलता हुआ शहतीर अर्राकर उनके सरपर गिर पड़ा। वे बुरी तरह जल गये और सारे शरीरपर चोटें भी आई। घायल दशामें वे अस्पताल पहुँचाये गये, वहाँ ११वीं अप्रैलको उनका स्वर्गवास हो गया।

अगर बापू गायधनीके माता-पिता जीवित है तो उन्हे अपने ऐसे बहादुर पुत्र पर गर्व होना चाहिए। बापू गायधनी ऐसी भव्य मृत्यु पाकर अमर हो गये है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५७. गुजरातका किसान

'कुत्तेको पागल कहकर उसे गोली मार दो।' इसी तरह यह कहकर कि गुजरातका किसान सरकारी आज्ञाका अनादर करता है, उसे तबाह कर डालो। कुछ दिन पहले पत्र-प्रतिनिधियोसे बातचीत करते हुए मैने कहा था[1] कि श्री बेननें भ्रमित होकर जो यह कहा है कि गुजरातका किसान वचनका पालन नही कर रहा है, यह दुर्भाग्यकी बात है। दूसरे शब्दोमें, वह लगान नही दे रहा है। जब पहली बार यह बात मेरे सामने आई तो मै चौक उठा, क्योकि मुझे विश्वास था कि अभावोसे ग्रस्त होनेपर भी गुजरातका किसान, समझौतेकी शर्तोंका अपने सामर्थ्यके अनुपातमें पूरी तरह पालन करेगा। समझौतेमें इससे अधिककी आशा भी नही रखी गई है।

दिल्लीमे मुझसे शिकायत की गई कि २८ फरवरीसे पहले बारडोली और वालोड तहसीलोमे बड़ी-बड़ी रकमें जमा हुई थी; किन्तु १५ मार्चको खत्म होनेवाले सप्ताहमें सिर्फ ३,२१२ ही जमा हुए। अभिप्राय यह था कि समझौतेके बाद बहुत कम लगान जमा किया गया।

७ मार्चके दिन समझौतेकी घोषणा हुई थी। सरदार वल्लभभाईके साथ मै १४ मार्चके दिन बारडोली पहुँचा था। यह जाहिर है कि हमारे बारडोली पहुँचनेके पहले किसानोसे किसी भी बातकी आशा नही की जा सकती थी, क्योंकि हमारे द्वारा परिस्थितिसे वाकिफ हुए बिना और अपने घरोंको लौटे बिना वे रकमें जमा कैसे कर सकते थे। अस्तु; नीचे अबतक जमा की गई रकमोंके आँकड़े दिये जा रहे है:[2]

मै दावेके साथ कहता हूँ कि बारडोलीके किसानोने बहुत ही अच्छी तरह अपना वचन निबाहा है; और यह भी उस हालतमें जब कि जब्त की हुई जमीनें अबतक लौटाई नही गई है, उनमे से कुछ बेची जा चुकी है, पुराने पटेल और पटवारी फिरसे नौकरीपर नही लिये गये है, सारेके-सारे लोग अभी जेलसे नही छोड़े गये है, और उनके विरुद्ध मामलोका फैसला अभीतक मुल्तवी पडा है।

पर मुझे अपनी बात यही खत्म कर देनी चाहिए। मै कहूँगा कि स्थानीय अधिकारियोंके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार स्थापित करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड रहा है। नतीजा यह हुआ है कि कई बाते जो सरकारकी तरफसे बहुत पहले

१. देखिए "भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको", १८-४-१९३१।

२. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। आँकडोंमें दिखाया गया था कि १५ मार्च तक बारडोलीमें और वालोडमें क्रमशः २,५०० और २०,००० रुपये जमा हो चुके थे और फिर उसके बाद विभिन्न तारीखोंमें बारडोली तथा वालोडमें जमा रकमोंकी तफसील थी। उसके अनुसार २६ अप्रैल तक बारडोलीमें १,५४,४०७ रु० और वालोडमें ८३,५२८ रु० १२ आ० २ पाई जमा हो चुके थे। (विस्तृत तालिकाके लिए देखिए अंग्रेजी संस्करण)

हो जानी चाहिए थी, अबतक नही हुई है, और यद्यपि लोग लगान जमा करनेको राजी है, दमनकी धमकियाँ उनके सिरपर कच्चे धागेसे बँधी तलवारकी तरह लटक रही है। इसका आरम्भ खेडा जिलेसे हुआ है। अधिकारी यह अनुभव करते दिखाई नही पडते कि अस्थायी ही सही, इस वक्त सरकार और जनतामे सन्धि हो गई है और इस बातकी कोशिश की जा रही है कि जो सुलह आज क्षणिक और अस्थायी है, वह स्थायी हो जाये।

हमारे रास्तेमे जबर्दस्त कठिनाइयाँ है। किन्तु मै लॉर्ड इर्विनको यह वचन दे चुका हूँ कि एक मनुष्यके किए जितना हो सकता है, मै उस हदतक सुलहको भग होनेसे रोकूँगा। इस समझौतेको भलेमानसोका इकरारनामा कहा गया है। मै जानता हूँ कि लॉर्ड इर्विन सच्चे दिलसे इस बातके लिए चिन्तित थे कि सरकारी हाकिमो द्वारा समझौतेका पूरा पालन हो; और जैसा कि उन्होने कई बार कहा था, काग्रेससे समझौतेका पूरा पालन करानेकी जिम्मेदारी मेरी है।

लोगोंके सामने इतना कहते हुए भी मुझे दु:ख तो होता है; पर मै देखता हूँ कि मै इस हकीकतको अधिक समय तक नही छिपाये रह सकता कि वायुमण्डल मे तूफानके आसार दिखाई पड रहे है। सत्याग्रहीके पास लोकमत और कष्ट-सहनके सिवा और कोई हथियार नही होता। पाठक इस लेखका उतना ही अर्थ लगायें, जितना मोटे तौरपर इसके शब्दोसे निकलता है। मै आशा और प्रार्थना करता हूँ कि अगले हफ्तेमें मै यह कह सकूँगा कि ये डरानेवाले बादल बिखर चुके है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५८. ग्रामवासियोंके प्रति हमारा कर्त्तव्य

पिछले वर्षके तीव्र राजनीतिक सघर्षने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सघर्षमें विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारका महत्त्व और भी उभारकर सामने रख दिया है। विदेशी वस्त्रोंके आयातमे आई गिरावट इस बातका प्रमाण है कि बहिष्कारका कार्यक्रम एक हदतक कारगर सिद्ध हुआ है। परिणाम सन्तोषजनक तो है, पर हमे इतनी सफलता प्राप्त करके और सन्तुष्ट होकर बहिष्कार आन्दोलनका सच्चा प्रयोजन और उसका वास्तविक अर्थ नही भुला देना चाहिए। हमे याद रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र गाँवोकी लाखो-करोडो झोपडियोमे बसता है और बहिष्कार आन्दोलनका सच्चा और बुनियादी लक्ष्य तबतक पूरा नही होगा जबतक उसे इस ढगसे क्रियान्वित नही किया जायेगा कि उसका अधिकाश लाभ गाँवोके लोगोको ही पहुँचे। उनको इससे लाभ तभी हो सकता है जब राष्ट्र हर प्रकारके देशी वस्त्रोमें खादीको ही सबसे ऊँचा स्थान देने लगे।

ऐसा करनेके लिए जरूरी है कि हम अपनी रुचिमें तब्दीली करे। हमें मोटी, खुरदरी खादी अपनानी चाहिए। भारतमे पैदा होनेवाला कपास अधिकांशतया छोटे

रेशेका होता है, जिससे कम नम्बरका सूत ही तैयार हो सकता है। हमारे यहाँके कातनेवाले अधिकतर अपनी ही जरूरत या पासपडौसकी जरूरतोके लायक सूत ही कातते रहे है और अधिकाश क्षेत्रोमे वे मोटा सूत कातनेके अभ्यस्त हो गये है, इसलिए एकाएक उनके लिए अधिक महीन सूत कातने लगना मुश्किल है। लगभग समूचे उत्तर भारतमे यही हालत है। पजाब, राजस्थान, यू० पी०, बिहार और बगालमें जहाँ लाखोकी तादादमे चरखे बेकार पड़े है या कुछ ही समयके लिए चल पाते है, वहाँ सिर्फ मोटी खादी ही तैयार की जा रही है। दक्षिण भारतमे महीन और मध्यम दर्जेकी खादी एक सीमित मात्रामे उपलब्ध हो जाती है; पर वहाँ भी खादी ज्यादातर मोटे सूतसे ही बनाई जाती है। अखिल भारतीय चरखा सघके तत्वावधानमे कुछ काम हो रहा है। काम काफी व्यापक भी हो रहा है, पर इन प्रान्तोमे उत्पादनके लिए जितनी भी ज्ञात और सर्वथा निश्चित सुविधाएँ सुलभ है, सघ उसके दसवे भागको भी संगठित नही कर पाया। मोटी खादीके उत्पादनकी सम्भावनाएँ लगभग असीमित है और यदि देश समझ-बूझकर मोटी खादीको अपना ले, उसे तरजीह देने लगे तो निश्चय ही खादी उस स्थानपर विराज सकती है जहाँ अबतक विदेशी वस्त्र आसीन थे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रमका लाभ देशकी जनताके विशाल समुदायको मिलेगा, केवल मुट्ठी-भर धनवानोको नही।

चालू वर्ष और गत वर्षके दौरान देशकी आर्थिक स्थितिकी एक विशेषताने बहिष्कारकी दृष्टिसे खादीके आग्रहको और अधिक सबल बना दिया है। कपासकी कीमत असाधारण रूपसे कम हो जानेके कारण, बल्कि देखा जाये तो सभी कृषीय उत्पादनोंकी कीमते बहुत ज्यादा गिर जानेके कारण गाँव एक बड़ी विपत्ति मे ही पड़ गये है। कई चीजोकी कीमते तो इतनी गिर गई है कि उनसे खेतीकी लागत और अन्य खर्च भी नही निकल पाते। इसीलिए अपेक्षाकृत छोटे पैमानेपर कपासका उत्पादन करनेवालोने अपने ही घरोमे एक-दो चरखे चलवाकर अपनी कपाससे थोड़ी कुछ अधिक आय प्राप्त करनेकी कोशिश की है। इसी प्रकार और चीजोकी खेती करनेवालोने भी कताईके जरिए अपनी आय कुछ बढानेकी कोशिश की है। नतीजा यह हुआ है कि देशके अनेक भागोमे आसपासके गाँवोसे लोग एक बडी सख्यामे अपने पासके खादी भण्डारमे सूत बेचने पहुँच जाते है। गत वर्षके पहले भी हाथ-कता सूत इतनी मात्रामे सुलभ रहता था कि मौजूदा खादी-भण्डारोको उसकी बुनाईका प्रबन्ध कर पाना मुश्किल लगता था। लेकिन अब तो स्थिति और भी कठिन बन गई है। खादी-भण्डारोके पास पूजी थोड़ी-सी ही रहती है, इसलिए वे सारा-का-सारा सूत खपा नही पाते और इसलिए उन्हे अनेक कतैयोको निराश करना पड़ता है। यदि खादीकी माँग बढाई जा सके तो खपत बढनेपर खादी-भण्डारोसे कतैयोको कही अधिक राहत पहुँचाई जा सकती है। उस दशामे निजी पूँजी भी अधिक मात्रामें खादीकी ओर आकर्षित होगी; गत वर्ष एक सीमातक ऐसा हुआ भी था। इसलिए बहिष्कार आन्दोलन और वर्तमान सकटमे फौरी राहत —इन दोनों ही दृष्टियोसे देशका स्पष्ट कर्त्तव्य है कि वह खादीको प्राथमिकता दे और उसे अधिक अपनाये।

मोटी होनेके कारण खादीकी धोती या साड़ी पहननेमे जिन लोगोको कठिनाई अनुभव होती है, यदि वे भी एक बड़ी सख्यामे अपनी अन्य आवश्यकताओके लिए — तौलियो, कमीजो, कोटो, चादरो, दरियो और इसी तरहकी अन्य जरूरतोंके लिए खादीका प्रयोग शुरू कर दे तो यही नही कि आज तैयार होनेवाला सारा-का-सारा हाथ-कता सूत खप सकता है, वल्कि उसकी खपत वर्तमान उत्पादनसे भी कई गुनी अधिक वढ जायेगी। खादीकी सारी सम्भावनाओको समझनेके लिए केवल ठीक सूझवूझसे काम लिया जाना है। यदि हम अपना पहनावा देशकी जलवायु और गाँवके लोगोके साधनोके अनुकूल वना ले, तो हम स्वय कई तरह की पोशाकोका पहनना त्याग देगे, धोती या साडीकी लम्वाई घटा देगे, साफेकी जगह टोपियाँ काममे लाने लगेगे। इस सवसे आजकी अपेक्षा हमे ज्यादा आराम भी मिलेगा और एक सुथरापन भी हासिल होगा, इसके सिवा वस्त्रोके खर्चमे जो वचत होने लगेगी, वह तो अलग ही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५९. सच क्या है?

कारवाडके श्री एस० डी० नाडकर्णीके एक पत्रका कुछ अश नीचे देता हूँ:

> अभी-अभी मैंने पढ़ा है कि आपको लिखे गये एक पत्रमें, जो अखवारोंमें छप चुका है, सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलनके एक नेता श्री मुशीर हुसैन किदवईने मिस्रकी अल्पमतवाली कौमके सवालके वारेमें लिखते हुए कहा है कि, "मेरी रायमें मिस्रमें जगलुलने जो रुख अख्तियार किया था, वही यहांके हिन्दुओका होना चाहिए; यानी उन्हें आँख वन्द करके अल्पमतवाली कौमकी माँगोपर दस्तखत कर देना चाहिए . . . .।
>
> श्री किदवईके उक्त पत्रकी अन्य किसी वातका जिक्र किए विना मैं सिर्फ उसी वातकी सचाईकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ उन्होने मिस्रकी राजनीतिका एक दृष्टान्त देते हुए तुलना की है। मैं १५ अगस्त १९२९ के 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' के अग्रलेखकी कतरन साथमें भेजता हूँ। उसमें लेखकने उन्हीं दिनों सर इब्राहीम रहमतुल्लाकी एक ऐसी ही वातके जवावमें जो-कुछ लिखा है, उससे पता चल जायेगा कि मिस्र, जहाँ मुसलमानोकी कौम वहुसंख्यक है, और कॉप्ट कही जानेवाली वहांके ईसाइयोंकी अल्पसंख्यकोकी स्थितिके वारेमें श्री किदवई जिसे तथ्यके रूपमें आपके सामने रख रहे हैं, वस्तु-स्थिति उसके विलकुल विपरीत है।

मुझे विश्वास है कि इस उद्धरणकी एक-एक बातकी सत्यता वर्तमान इतिहासकी किसी भी पुस्तक अथवा किसी भी प्रामाणिक सन्दर्भ-ग्रन्थको देखनेसे सिद्ध हो सकती है।

श्री नाडकर्णी द्वारा भेजे गये उद्धरणके आवश्यक अंश नीचे देता हूँ:

स्पष्ट है कि सर इब्राहीमने इतिहासको ठीक तरहसे नहीं पढ़ा। उदाहरणके लिए, मिस्रके बारेमें उन्होंने जो कहा है, उसीको लीजिए। बड़ी कौमको छोटी कौमोंके साथ उदारतापूर्वक पेश आना चाहिए, इसकी हिमायत करते हुए उन्होंने मिस्रके ईसाइयोंके साथ जगलुलपाशाके व्यवहारका उदाहरण दिया है। मालूम होता है, सर इब्राहीम यह मानते है कि अपने हित और हकूकके बारेमें जगलुलकी सूक्ष्म भावनाओंको देखकर ही कॉप्ट लोग मुसलमानोंका शासन स्वीकार करनेको तैयार हो गये थे। परन्तु हकीकत तो ठीक इससे उलटी है। कॉप्ट लोगोंने अपने भाग्यको मिस्रके राष्ट्रवादियोंके साथ पूरी तरह एक बना लिया था और इसीकी वजहसे मुसलमान उनके साथ उदारताका व्यवहार करनेको प्रेरित हुए। उससे पहले कॉप्ट लोग जुल्मोंसे पूरी तरह मुक्त नहीं थे। उनकी हालतके सुधर जानेका एकमात्र कारण यह था कि वे देशकी आजादीके जंगमें उसके विरोधी या उसके प्रति लापरवाह तो नहीं ही रहे, उन्होंने वफ्दमें बहुत ही आगे बढ़कर काम भी किया। कॉप्ट लोगोंका यह काम बहुत बुद्धिमानीपूर्ण था, और यही वजह है कि वहांके मन्त्रिमण्डलमें कॉप्ट लोगोंको भी स्थान दिया गया।

इन उद्धरणके मूलकी जाँच पाठक करेंगे। इस उद्धरणमे कही गई बातकी अथवा जिस कथनका यह जवाब है, उसकी सचाईके बारेमे मैंने कोई छानबीन नही की है। साथ ही, मुझे सत्यकी सेवाके अतिरिक्त इसमे किसी प्रकारकी दिलचस्पी भी नही है।

मुझे तो सत्याग्रहीकी हैसियतसे सम्पूर्ण आत्मसमर्पणकी परमशक्तिमे श्रद्धा है। सख्याकी दृष्टिसे हिन्दू कौम बडी है। इसलिए मिस्रकी बहुसख्यक कौमके कार्यका विचार किए बिना, अल्पसख्यक कौमे जो माँगे, सो वे उन्हे दे दे। लेकिन यदि हिन्दू सख्यामे कम होते तो भी, एक सत्याग्रहीके और हिन्दूके नाते मैं यही कहता कि आखिरकार सम्पूर्ण आत्मसमर्पणसे हिन्दुओका कोई नुकसान नही होगा।

इस दलीलके जवाबमे बिना विचारे कहा जाता है कि, तो फिर आप भारतवर्षको अग्रेजोकी शरणमे बने रहनेकी सलाह क्यो नही देते? वे हुकूमत चाहते है; उन्हे हुकूमत करने दे और चैनसे रहे। इस बिना सोची हुई बातको कहते हुए लोग एक महत्वकी बात भूल जाते है और वह यह है कि मैंने बन्दूकका भय मानकर दिन काटनेकी सलाह कभी नही दी है। सत्याग्रहीके शास्त्रमे पशुबलके सामने झुक जानेकी कोई गुजाइश ही नही है। अथवा कहिए, समर्पण बन्दूक चलानेवालेकी इच्छापर नही, बल्कि अपनी ही दु ख सहनेकी शक्तिपर निर्भर होगा। सत्याग्रहीका आत्मसमर्पण उसकी कमजोरीका नही, वरन् उसकी शक्तिका परिणाम होना चाहिए। मैंने इज्जतके त्यागकी

नही, बल्कि पार्थिव वस्तुओके त्यागकी सलाह दी है। धनोपार्जनकी जगहो और ओहदोका त्याग करनेमे थोड़ी भी अप्रतिष्ठा नही है। उनके लिए सोदाबाजी करनेमें अप्रतिष्ठा है। यदि अंग्रेज बन्दूकका त्याग करके हमारे साथ मित्र बनकर रहे, तो मै उनकी भी हिमायत करूँगा। आत्म-समर्पण और कष्ट-सहनका नियम सर्वव्यापी है, और उसमे अपवादकी थोडी भी गुंजाइश नही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

६०. पत्र : पद्माको

वोरसद
३० अप्रैल, १९३१

चि० पद्मा,[1]

तेरा पत्र मिला। मै भूला तो बिलकुल नही था, लेकिन क्या करूँ? तू गीता जबानी याद कर रही है, यह अच्छा है। मगन चरखेपर एक घंटेमे कितने तार कात लेती है? लगातार कितने घंटेतक कात पाती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६११८) की फोटो-नकलसे।

६१. भेंट : 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज'के प्रतिनिधिको

वोरसद
[३० अप्रैल, १९३१][2]

चलचित्र बनानेके लिए 'फाक्स मूवीटोन न्यूज' और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकाके प्रतिनिधिने महात्मा गांधीसे वोरसदमें भेंट की जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है। 'बॉम्बे क्रॉनिकल'का कथन है कि भेंटका यह वर्णन प्रकाशित होनेके पूर्व गांधीजी द्वारा ठीक कर दिया गया है।

गांधी जीने नीचे लिखी टिप्पणीके साथ अपनी भेंट-वार्ता आरम्भ की :

मैं यह सब पसन्द नही करता, लेकिन यदि कुछ मिनट ही देनेकी बात है तो मै इसके लिए अपने मनको तैयार कर लूँगा, यद्यपि मै जानता हूँ कि इस सबमे आपका विज्ञापन होगा और यही आपका मुख्य लक्ष्य भी है। लेकिन इस बहानेमें

१. सीतलासहायकी पुत्री।
२. हिन्दू, १-५-१९३१ से।

अपने उद्देश्य — अर्थात् भारतकी आजादीका भी प्रचार कर सकूँगा। प्रचारके महत्त्वको मै बिलकुल नगण्य नही मानता। मेरी गिनती तो ससारके सबसे बडे प्रचारकोमे की गई है। हो सकता है मै इस प्रशंसाके सचमुच योग्य होऊँ। लेकिन प्रचारका मेरा ढंग सामान्य ढगसे भिन्न है। मेरा मार्ग सत्यवादिताका है और सत्य स्वय-प्रचारी होता है। वह कृत्रिमताको सहन नही करता।

इसलिए आप मुझे अपने-अपने केमरेके सामने बैठनेके लिए सहमत न होनेपर क्षमा करेंगे। ऊपर बताये कारणोके अलावा एक कारण यह भी है कि इस प्रकार चित्र आदि न खिचानेके लिए मैने १९०५मे ही शपथ ले ली थी।

इसलिए उन्होंने चित्रके लिए उपयुक्त खुली जगह बैठनेसे इनकार कर दिया। भेंट उनके कमरेमें ही हुई।

प्रश्न: श्री गांधी, 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' और 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका'के प्रतिनिधिके रूपमें हम सात समुद्र पार, न्यूयार्कसे भारत आये हैं। इन दोनों संस्थाओंका काम संसार-भरमें करोड़ों लोगोंतक पहुँचता है। हम चाहते हैं कि 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' के माध्यमसे आप अमेरिकाके लोगोंके नाम मित्रता और सौहार्दका सन्देश दें। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिकाके निवासी भारतके स्वाधीनता-संघर्षमें बड़ी रुचि और सहानुभूति रखते आये हैं। इसका कारण यह है कि १५० वर्ष पूर्व अमेरिकाके लोगोंको भी इसी प्रकारसे स्वाधीनता पानेके लिए संघर्ष करना पड़ा था।

उत्तर: अमेरिकाके लोगोने हमारे सघर्षके प्रति जो रुचि और सहानुभूति प्रदर्शित की है, मै उसकी कद्र करता हूँ। मुझे आशा है कि इस सघर्षके अन्त तक हम अमेरिकाके लोगोके हृदयमे अपने प्रति सद्भावना और मित्रता बनाये रखेंगे।

आप कब अमेरिका आनेकी बात सोचते है?

आपके महान् देशकी यात्रा करनेकी मेरी इच्छा तो बहुत है, परन्तु इस सम्बन्धमें अभी इसके अलावा कुछ नही कह सकता कि मै तबतक अमेरिका जाना पसन्द नही करूँगा जबतक कि भारतके स्वतन्त्रता-सग्रामको स्पष्ट रूपसे सफलता मिलती नही दिखने लगती।

आप दूसरे गोलमेज सम्मेलनके लिए कब लन्दन जानेकी सोचते है?

इस सम्बन्धमे भी, मै कुछ नही कह सकता। इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जबतक हिन्दू-मुसलमानोकी साम्प्रदायिक समस्याका कोई सन्तोषजनक हल नही मिलता, मै लन्दन जानेकी बात नही सोच सकता। और यदि वर्तमान समझौतेका उल्लघन हुआ, तब तो मै लन्दन बिलकुल ही नही जाऊँगा।

क्या आपने लॉर्ड इर्विनको इंग्लैंडके प्रधान मन्त्रीके नाम कुछ लिखकर भेजा है?

लॉर्ड इर्विनके हाथ श्री मैकडोनाल्डको मेरे द्वारा कुछ लिखकर दिये जानेकी बात बिलकुल गलत है।

क्या आप यह आशा रखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलनमें इंग्लैंड आपकी सभी माँगें पूरी कर देगा?

मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता।

लेकिन क्या आपको सचमुच ऐसी आशा है कि इस बार इंग्लैंड आपकी माँगें पूरी कर देगा?

मैं इतना भर कह सकता हूँ कि मैं आशावादी हूँ।

आप जो चाहते हैं, अगर इंग्लैंड वह सब नहीं देता तो आप कौन-सा रास्ता अपनायेंगे?

सविनय अवज्ञा और सत्याग्रहके अन्य सभी तरीके अपनानेका अधिकार तो सदा हमारा है ही। लेकिन इन अस्त्रोंका प्रयोग हम तुरन्त ही आरम्भ कर देंगे अथवा कोई और तरीका अपनायेंगे, यह इस समय स्पष्ट परिस्थिति सामने आये बिना बताना कठिन है।

अगर इंग्लैंड आपकी माँगें स्वीकार नहीं करता, तो क्या आप फिर जेल जानेके लिए तैयार हैं?

भारतकी आजादीकी खातिर मैं हमेशा ही जेल जानेको तैयार हूँ।

क्या इस उद्देश्यके लिए आप प्राण देनेको तैयार हैं?

यह कोई अच्छा प्रश्न नहीं हुआ।

यदि इंग्लैंड आपकी माँगें स्वीकार कर ले, तो क्या आप नए भारतमें पूर्ण मद्य-निषेध लागू करना चाहेंगे?

जी हाँ, मैं आशा करता हूँ कि नए भारतीय राज्यमें पूर्ण मद्य-निषेध दृढ़तासे लागू किया जायेगा।

नया भारतीय राज्य स्थापित होनेपर क्या आप बाल-विवाह समाप्त कराना चाहेंगे?

मैं तो चाहूँगा कि बाल-विवाहकी प्रथा इसके बहुत पहले ही समाप्त कर दी जाये।

क्या आप सोचते हैं कि नए भारतीय राज्यमें देशके छः करोड़ लोगोंको तथा-कथित अछूत माननेवाली वर्तमान जाति-प्रथाकी कपाल-क्रिया कर दी जायेगी?

निश्चय ही।

क्या आप भारतीय विधवाओं द्वारा पूर्ण एकान्त तथा ब्रह्मचर्यपूर्ण कठोर जीवन अपनानेकी वर्तमान प्रथाको समाप्त करा देना चाहेंगे?

अगर विधवाएँ चाहे तो पुनर्विवाह करनेसे उनको रोकनेवाली कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह यह कहना भी पूरी तरह गलत है कि भारतीय विधवाएँ आम तौरसे एकान्तवास करती हैं।

मैंने विधवाओंको पर्देमें रखनेकी प्रथाकी ओर इशारा किया था।

पर्देकी प्रथा वास्तवमे मध्यम श्रेणीके थोडे-से लोगोतक ही सीमित है और सो भी सारे भारतमे नही।

क्या आप समझते है कि नए भारतीय राज्यमें हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें सामाजिक रूपसे पूर्ण साम्प्रदायिक एकता और मैत्री बनी रहेगी ?

निश्चय ही, मै आशा करता हूँ कि नये भारतमे भारतीय परिवारके इन दोनो, सबसे बडे सम्प्रदायोमे सामाजिक मैत्री और एकता स्थापित हो जायेगी।

यदि आप गोलमेज सम्मेलनमें जायें और इंग्लैंडका सम्राट् आपको बकिंघम पैलेसमें दावतके लिए बुलाये, तो क्या आप ठेठ भारतीय ढंगके वस्त्र पहनेंगे अथवा यूरोप-वालोंकी तरह ?

अगर मै अपनी नित्यकी भारतीय वेशभूषाके अलावा किसी और तरहकी पोशाक पहनूं, तो वह सम्राट्के प्रति अशिष्टता होगी। अगर मौसम ठीक रहा तो मै इग्लैडमें वही पोशाक पहनूँगा जो भारतमें पहनता हूँ अर्थात् घुटनो तककी धोती।

श्री गांधी, आप अक्सर कहते आये हैं कि ब्रिटेनवासियोंमें बहुत-से लोग आपके बड़े अच्छे मित्र और समर्थक हैं। 'ब्रिटिश मूवीटोन न्यूज' के माध्यमसे ब्रिटिश साम्राज्य-भरमें जिसके असंख्य श्रोता बिखरे पड़े हैं, क्या आप अपने उन मित्रों और ब्रिटेनकी महान जनताके अन्य लोगोंके नाम कोई संक्षिप्त सन्देश देनेकी कृपा करेंगे ?

मुझे यह कह सकनेपर हर्ष है कि ब्रिटेनमें मेरे मित्रोकी सख्या बढ रही है। दूसरी कोई बात हो भी नही सकती, क्योकि वर्तमान सत्याग्रह आन्दोलन उन लोगोंके साथ जिनके विरुद्ध हम सघर्ष करते जान पडते है, सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेके एक आन्दोलनके अतिरिक्त कुछ है ही नही, भले ही इस आन्दोलनको विदेशी वस्त्रोंके प्रश्नके साथ जोडकर काफी हदतक भ्रान्ति पैदा की जा रही हो। इसलिए इस आन्दोलनके अन्तिम परिणामके बारेमें मेरे मनमे कोई आशका नही है।

क्या संसारकी वर्तमान परिस्थिति और उसकी आवश्यकताओंको देखते हुए आप [हजरत मूसाकी भाँति] लौकिक धर्मके नये 'दशानुशासन' (टेन कमान्डमेन्ट्स) देंगे ?

यह तो एक बहुत बडी अपेक्षा है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-५-१९३१

६२. तार: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१ मई, १९३१

श्री एमर्सन
गृह सचिव
शिमला

चारसद्दावाले अब्दुल गफ्फार खानके विरुद्ध प्रचार आन्दोलनके पीछे मुझे कोई बाहरी हाथ दिखाई देता है। कराचीमें मेरे मनपर उनकी यह छाप पड़ी थी कि वे अहिंसाका प्रतिपादन सच्चे हृदयसे करते हैं। उनके खिलाफ कोई शिकायतें हों तो मैं चाहूँगा कि वे मुझे बतला दी जायें ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूँ। भरोसा है कि वे उचित बातको माननेके लिए तैयार रहते हैं। मुझे उनका स्पष्टीकरण पानेका अवसर दिये बिना अगर उनको गिरफ्तार किया गया, तो उलझन पैदा हो जायेगी। मैं सीमाप्रान्त न जाऊँ, लार्ड इर्विनकी इस इच्छाने मेरी चिन्ता और बढ़ा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ मेरी उपस्थितिसे तनावमें कमी अवश्य होगी। जहाँतक पंजाबके गवर्नरके भाषणका[1] सम्बन्ध है, क्या आप उन भाषणों, लेखों अथवा उन अन्य कार्यवाहियोंका ब्यौरा भेज सकेंगे जिनको ध्यानमें रखकर गवर्नरने सार्वजनिक रूपसे वह चेतावनी दी थी?

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल-संख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. भगतसिंहकी फाँसीके विरोधमें होनेवाले आन्दोलन तथा श्रीमती कर्टिसकी हत्याके समर्थनको ध्यानमें रखकर पंजाबके गवर्नरने २५ अप्रैल, १९३१ को चेतावनी दी थी कि कांग्रेसियों तथा अन्य लोगोंके खिलाफ भी हिंसाकी उत्तेजनासे सम्बन्धित सामान्य कानूनोंको और अधिक सख्तीसे लागू किया जायेगा।

६३. पत्र : जी० एन० कॉलिन्सको

[१ मई, १९३१][1]

प्रिय श्री कॉलिन्स,

आशा थी कि जो विभिन्न मामले मेरे सामने हैं उनके सिलसिलेमें मैं आपको लिख पाऊँगा। परन्तु खेद है कि मैं अबतक उसकी तैयारी पूरी नही कर पाया हूँ। इस-लिए मैं फिलहाल केवल श्री राजवाडेके मामलेके बारेमे ही लिख रहा हूँ।

आपने कहा था कि इनकी रिहाई न होनेका कारण यह है कि उन्होंने लोगोको हिंसाके लिए उकसाया था। अब मेरे पास मुकदमेका प्रमाणित विवरण और वह लेख भी आ गया है जिसको मुकदमेका आधार बनाया गया था। आरोप-पत्रमें जो आरोप लगाया है वह तो यह है कि उन्होंने सुव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षामें बाधा डालनेवाला काम किया और गिरफ्तार होनेसे बचनेकी कोशिश की। इसमे हिंसाकी तो कोई बात नही है।

मैंने उनका मूल मराठी लेख पढ लिया है। उसमें कोई भी रंग चढाये बिना घटनाओंका ठीक-ठीक विवरण दिया गया है। उस विवरणमें कम-से-कम मुझे तो हिंसाके लिए उकसानेकी झलकतक दिखाई नही दी। इसलिए मेरी रायमें यह मामला स्पष्ट ही समझौतेकी हदमे आ जाता है।

यदि न्यायालयके सामने उनका दूसरा कोई लेख भी पेश किया गया हो, तो कृपया उसे मेरे पास भेज दें। पर यदि इसके अलावा कोई और लेख न हो, तो आशा है कि श्री राजवाडे अविलम्ब रिहा कर दिये जायेंगे।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६–सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. जी० एन० कॉलिन्सके बम्बई सरकारके गृह मन्त्रालयकी ओरसे दिये गये ९ मईके पत्रके उत्तरसे।

६४. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको

बोरसद
१ मई, १९३१

भाई लक्ष्मीनारायणजी,[1]

आपका पत्र मिला है। रामानदजीको सहाय की उसके लिए अनुग्रह मानता हूँ। उनका कार्य देखा है?

विदेशी कापडके व्यापारके हाल लिखो।

काग्रेस कमिटिका झगडा किस वारेमे है?

वापू

जी० एन० ५६१७ की फोटो-नकलसे।

६५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

बोरसद
२ मई, १९३१

एक भी पटेल ऐसा नही था जिसने कामपर आनेकी इच्छा व्यक्त न की हो; और निष्ठापूर्वक काम करनेका आश्वासन देनेका तो सवाल ही नही रह गया था। ऐसा आश्वासन तो कामपर उनके लौट आनेमें निहित था ही। समझौतेके बिलकुल प्रारम्भिक दौरमें इस प्रकारकी शर्तें पटेलोके सामने रखी गई थी और वे मेरे द्वारा शिकायत करनेपर हटा ली गई थी।

भू-स्वामियो द्वारा लगानकी अदायगी न करनेके कारण जब्त की गई भूमि का २५ प्रतिशत भाग उनको वापस न करना समझौतेकी धारा १७ (ख)का स्पष्ट उल्लघन है। इसलिए कि जवतक यह माननेके लिए उचित आधार न हो कि भूमिवर किसी दुराग्रहपर अडा है, तवतक जब्तशुदा भूमि तो लौटानी ही पडेगी। और यह तो स्पष्ट ही है कि वारडोली अथवा अन्य प्रभावित जिलोमें ऐसे दुराग्रहका कोई सवाल ही नही उठता।

यह कहना बिलकुल गलत है कि काग्रेसके किसी भी शिविरमें अनुशासन नही है। मैंने जवसे प्रत्येक काग्रेसी कार्यकर्त्तासे इस वातका वडा आग्रह किया है कि वे समझौतेकी शर्तोंका पालन उसी तत्परताके साथ करे जो उन्होने सघर्षमें दिखाई थी,

१. दिल्लीके एक प्रसिद्ध व्यापारी।

२. बम्बईके एक समाचारपत्रमें प्रकाशित कुछ समाचारोंके खण्डनके लिए।

तबसे एक भी ऐसा अवसर कभी नही आया कि मुझे किसी कार्यकर्त्ताकी [विरोधी-वृत्ति देखकर] भर्त्सना करनी पडी हो।

इसके विपरीत मुझे तो यह जानकर हर्ष हुआ है कि कार्यकर्त्ताओंने सभी हिदायतोका पूरी तरह पालन किया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण मामलेको छोड़कर, मैं यह कह सकता हूँ कि किसी भी कार्यकर्त्ताको काग्रेस सगठनसे — विशेषकर सूरत और खेड़ा जिलेमें, जिनकी ओर मैं और वल्लभभाई पटेल पूरा ध्यान दे रहे हैं — काग्रेस फडके गबनके लिए सस्थासे नही निकाला गया है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-५-१९३१

६६. तार: हरिभाऊ उपाध्यायको

बोरसद
२ मई, १९३१

हरिभाऊ
'त्यागभूमि'
अजमेर

आपका तार मिला। मेरे उदयपुर[1] तार भेजनेसे कुछ होनेका भरोसा नही। जमनालालजी या मालवीयजीको हस्तक्षेप करने दीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४९) की माइक्रोफिल्मसे।

६७. पत्र: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईके प्रबन्धकको

बोरसद
२ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे नही मालूम कि आपका सुझाव मान लेनेसे श्री एन्ड्रचूजकी पुस्तकोपर[2] कितना असर पडेगा। व्यक्तिगत तौरपर तो मुझे इसपर कोई आपत्ति नही कि आप चुने हुए उद्धरणोको एक पुस्तकके रूपमे प्रकाशित कर दें। पहली कठिनाईके बारेमे तो शायद आप मुझसे कही अधिक जानते है और जहाँतक

१. देखिए "पत्र: हरिभाऊ उपाध्यायको, ६-५-१९३१।
२. महात्मा गांधीज आइडियाज (१९२९) और महात्मा गांधी: हिज ओन स्टोरी (१९३०)।

प्रस्तावित पुस्तककी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सुझावके बारेमें थोड़ा और खोलकर लिखें जिससे कि मैं उसके बारेमें हर पहलूसे और अच्छी तरह विचार कर सकूं।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

प्रबन्धक
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० ५६८५) की फोटो-नकलसे।

६८. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

बोरसद
२ मई, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि श्री वाडियाको[1] कोई काम दिया जाना चाहिए। आपके विचारार्थ एक और पत्र भेज रहा हूँ। आशा है, आपके काममें निरन्तर और एक-सी प्रगति हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रतिवेदन[2] उस विषयपर एक पाठ्य-पुस्तकके दर्जेका हो।

बापू

सलग्न : १

श्री जे० सी० कुमारप्पा
संयोजक
आंग्ल-भारतीय वित्तीय समझौता सम्बन्धी कांग्रेस प्रवर समिति
६५, एस्प्लेनेड रोड, बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १००९३) की फोटो-नकलसे।

१. प्रोफेसर पी० ए० वाडिया।
२. देखिए "बहादुरजी कमेटीकी रिपोर्ट", २३-७-१९३१।

६९. पत्र : शैलेन्द्रनाथ घोषको[1]

[स्थायी पता] साबरमती
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। निर्वासितका जीवन कैसा होता है, यह मैं स्वयं अपने और अन्य लोगोंके भी अनुभवसे जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा अपना निर्वासित जीवन उतना महत्त्व नहीं रखता, जितना कि आपका; और उसका सीधा-सा कारण यही है कि मैंने स्वेच्छासे निर्वासित जीवन अपनाया था। परन्तु गणितके सामान्य नियमके आधारपर मैं अनुमान कर सकता हूँ कि यदि स्वयं स्वीकार किया निर्वासन भी मुझे इतना कठिन लगा, तो फिर आप-जैसे मित्रोंके लिए एक थोपा गया निर्वासन कितना असह्य होगा। अगर बात ठीक ढंगसे बनती गई तो देशसे निर्वासित लोगोंको एक वर्षसे अधिक समय बाहर नहीं बिताना होगा। मेरे वहाँ आनेकी खबरमें कुछ सार नहीं है, इसलिए उसपर आगे चर्चा करनेकी जरूरत नहीं। जबतक यहाँके प्रयोग सफल सिद्ध नहीं हो जाते, मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री शैलेन्द्रनाथ घोष
३१ यूनियन स्क्वेयर
न्यूयार्क सिटी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४६)की फोटो-नकलसे।

१. अमेरिकाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न्यूयार्क सिटीके अध्यक्ष।

७०. पत्र : मार्टिन सी० मिलरको

[स्थायी पता] साबरमती
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। आपके प्रश्नके उत्तरमें मुझे यही कहना है कि 'गिरि-प्रवचनो' को श्रद्धासे पढ़नेसे मुझे तो यथेष्ट लाभ ही हुआ है। मैं ईसाको संसारके महानतम शिक्षकोंमें गिनता हूँ। एकमात्र अवतारी पुरुष तो मैं उनको नहीं मानता।

हृदयसे आपका,

श्री मार्टिन सी० मिलर
द क्लेवलेंड ग्रेफाइट ब्रोन्ज कम्पनी
क्लीवलेंड (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४७)की फोटो-नकलसे।

७१. पत्र : अप्टन क्लोजको

[स्थायी पता] साबरमती
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपके दो पत्र मिले। आखिरी पत्र ८ अप्रैलका था। मेरे अमेरिका आनेकी बात अभीतक अफवाह ही समझी जानी चाहिए। और अमेरिका आनेपर क्या होगा, इसके सम्बन्धमें आपके अनुमानने तो मुझे और भी अधिक डरा दिया है। इसलिए इस समय तो मुझे *अस्थायी* तौरपर भी ऐसी घटनासे सम्बन्धित किसी प्रबन्धकी बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए जिसकी निकट भविष्यमें घटनेकी कोई सम्भावना नजर नहीं आती।

हृदयसे आपका,

श्री अप्टन क्लोज
न्यूयार्क (अमेरिका)

अँग्रेजी (एस० एन० १७०४८)की फोटो-नकलसे।

७२. पत्र : करमचन्दानीको

बोरसद
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[1] मिला। गढवाली बन्दियोके बारेमे आपकी भावनाओसे मै सहमत हूँ और यदि मै आज ही उनकी रिहाई करा सकता, तो अवश्य करा लेता। इसलिए हमारे पारस्परिक विचारो पर बहस करनेकी मुझे कोई जरूरत नही दिखाई पडती। लेकिन मैं एक मोटे तौरपर इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि किसी व्यक्तिका अन्त.करण उसे कुछ अनुदेशो या आदेशोकी अवज्ञा करनेके लिए प्रेरित करे तो निश्चय ही उसे अवज्ञा करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है; साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह उसके परिणाम भुगतनेके लिए तैयार रहेगा। आपके पत्रका उत्तर देनेमें जो विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री करमचन्दानी
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५०)की माइक्रोफिल्मसे।

७३. पत्र : लालजी परमारको

२ मई, १९३१

चि० लालजी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। धीरज रखना। मै जाँच कर रहा हूँ। यहाँ आना हो तो आ जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३२९१)की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें कारावासका दण्ड पाये जिन गढ़वाली सैनिकोंने सैनिक आदेशोंकी अवज्ञा की थी, उनकी हिमायत की गई थी।

७४. बीसवीं सदीकी सती (?)[1]

घाटकोपरसे एक बहन लिखती हैं :

'बम्बई समाचार' के २३ अप्रैल, १९३१ के अंकमें प्रकाशित बीसवीं सदीकी लुहाणा जातिकी सतीकी बात सच हो तो उस बहनकी पतिभक्ति वन्दनीय है। इस सम्बन्धमें यदि आप अपनी राय 'नवजीवन' द्वारा व्यक्त करेंगे तो विशेष जानकारी हासिल होगी।

मुझे आशा है, यह समाचार सच नहीं है। अगर उक्त बहन मरी है तो किसी रोग या आकस्मिक घटनासे मरी है, आत्महत्या करके नहीं। बीसवीं या किसी भी अन्य शताब्दीमें सतीके लक्षण एक ही प्रकारके होने चाहिए। सती स्त्री वह है जो पतिके जीवित रहते और मृत्युके बाद सत्यपरायणा रहकर सेवा करे और मन, वचन तथा कर्मसे निर्विकार रहे। पतिके लिए आत्महत्या करनेमें ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ऐसा करनेमें बड़ा अज्ञान तो आत्माके गुणके विषयमें है। आत्मामात्र अमर है, वह सर्वव्यापक है, एक देह छूटनेपर दूसरी देहका निर्माण करती है और यों करते-करते अन्तमें देहातीत हो सकती है। यह बात सच है, अनुभवसिद्ध है और आज अनुभवगम्य है। ऐसी दशामें पत्नीका पतिके साथ मरना क्यों ठीक माना जाये?

फिर विवाह भी शरीरका नहीं, आत्माका है। अगर विवाह शरीरका ही हो तो पतिके मरनेपर मोमके पुतले या चित्रसे ही सन्तोष क्यों न कर लिया जाये? अगर विवाह एक शरीर-विशेष जीवके साथका ही सम्बन्ध माना जाये तो उस शरीरके नष्ट होनेपर उस सम्बन्धका भी अन्त हो जाता है और आत्महत्या करनेसे तो शरीर पुनः नहीं मिल सकता। तब फिर एकके शरीर-नाशपर दूसरे शरीरके नाश करनेमें क्या सार है?

विवाह शरीर द्वारा आत्माका होता है, और एक आत्माकी भक्तिसे अनेक आत्मा अर्थात् परमेश्वरकी भक्ति सिद्ध करनेकी कला सीखनेका भेद विवाहमें छिपा हुआ है। इसी कारण अमर मीराने गाया है:

"मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई।"

इसलिए सती स्त्रीकी दृष्टिमें विवाह, वासनाको तृप्त करनेका साधन नहीं होता बल्कि 'एकको दूसरेका सहारा' इस न्यायसे पतिमें लीन होकर सेवाकी शक्तिको बढ़ानेका साधन है। इसलिए सच्ची सती अपना सतीत्व सप्तपदीके समयसे ही सिद्ध करती है। वह साध्वी बनती है, तपस्विनी बनती है, पति, कुटुम्ब और देशकी सेवा करती है, वह घरगृहस्थीमें फँस जाने और भोग भोगनेके बजाय अपना ज्ञान बढ़ाती है, त्यागशक्ति बढ़ाती है और पतिमें लीन होकर जगत-मात्रमें लीन होना सीखती है।

१. देखिए "फिर भी वही राय", १७-५-१९३१ भी।

ऐसी सती स्त्री पतिकी मृत्युपर शोक नही मनायेगी, दु:खसे पागल नही बनेगी; बल्कि पतिके समस्त सद्गुणोको वह अपनेमे प्रगट करेगी और उन्हे अमर बनायेगी। और यह जानकर कि सम्बन्ध आत्मासे था, वह फिरसे ब्याह करनेका विचारतक न करेगी।

पाठक देखेगे कि मेरी कल्पनाकी सती विवाहके आरम्भसे ही निर्विकार है, इसलिए वह सन्तान उत्पन्न नही करेगी, विषयभोग नही करेगी। यदि कोई यह प्रश्न करे कि ऐसी सती विवाह-बन्धनमे बँधे ही क्यों, तो प्रश्न उचित होगा। परन्तु हिन्दू-जगत मे विवाहके बारेमे स्त्री या पुरुषकी पसन्दका कोई सवाल ही नही होता। और आज-कलके गये-बीते सुधारोके इस युगमे कुछ लोग सयमके खयालसे विवाह करते है। मै स्वीकार करता हूँ कि इसके मूलमे सूक्ष्म मूर्छा, मोह, है। फिर भी कुछ ऐसे लोग पाये जाते है जो निर्विकार रहनेका निश्चय करके सम्बन्ध जोडते है। ऐसा एक उदाहरण मुझे अपने अनुभवसे इस समय याद आ रहा है। विवाह करते समय भोग की इच्छा थी, परन्तु बादमे सयमवृत्तिके प्रबल होते ही निर्विकार जीवन बितानेका प्रयत्न करनेवाले दम्पतीके एकाधिक उदाहरण इस समय मेरी आँखोके सामने तैर रहे है। अत: पाठक यह न समझे कि मेरी कल्पनाको हकीकतमे कही स्थान ही नही है।

परन्तु यदि साधारण विवाहका विचार करे तो सती स्त्रीकी जिन शक्तियोको ऊपर गिना चुका हूँ, उनमे प्रजापालनकी शक्तिको बढाना होगा। यानी सती स्त्री मर्यादामें रहकर सन्तानकी उत्पत्तिके कार्यमे भाग लेगी और बालक या बालकोका ठीक प्रकारसे लालन-पालन करके उन्हे सुशिक्षित बनाकर देशके सेवा-धनमे वृद्धि करेगी।

जो बाते ऊपर मैं सती स्त्रीके विषयमें कह चुका हूँ, वे सत्पतिपर भी लागू होती है। अगर स्त्रीको पतिके प्रति सतीत्व सिद्ध करना उचित है तो पतिके लिए भी अपना सत्व सिद्ध करना आवश्यक है और हमने स्त्रीके साथ पतिको जलते हुए नही सुना, इसलिए हम यह मान लेते है कि पतिके साथ पत्नीके जल मरनेकी प्रथा चाहे जब शुरू हुई हो, किन्तु वह अज्ञान मूलक है। और यदि ऐसा साबित हो सके कि किसी समय उसमे कुछ रहस्य था, तो भी इन दिनो तो उसमे घोर अज्ञान ही है, इस सम्बन्धमे कोई भी बहन अपने मनमें सन्देह न रखे। स्त्री पतिकी दासी नही, उसकी सहचारिणी है, अर्द्धांगिनी है, मित्र है, इसलिए उसीके साथ समान अधिकार का उपभोग करनेवाली है, उसकी सहधर्मिणी है। इस कारण एक दूसरेके प्रति और जगत्के प्रति दोनोके कर्त्तव्य समान है।

अतएव, अगर उक्त लुहाणा बहनने इस प्रकार अपने प्राण दिये हो, तो यह व्यर्थकी आत्महत्या ही है। वह बिलकुल अनुकरणीय नही है। कोई कहेगा कि उसके मरनेकी क्षमताकी स्तुति तो करे! किन्तु मेरा मन वैसा करनेसे भी इनकार करता है। क्योकि दुष्ट कर्म करनेवालेमे भी मरनेकी शक्ति हम देखते है; परन्तु उस शक्तिकी स्तुति करनेका कर्त्तव्य हम स्वीकार नही करते, ऐसी दशामे इस अज्ञानी बहनके मरनेकी शक्तिकी स्तुति करके भ्रममे पड़ी हुई बहनोको अनजाने भी भ्रममे

डालनेका पाप मैं क्यों अपने सिर लूं? सतीत्वका अर्थ है पवित्रताकी पराकाष्ठा। यह पवित्रता आत्महत्या करके सिद्ध नहीं की जा सकती, जीकर उसका कठोर पालन किया जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-५-१९३१

७५. टिप्पणियाँ

पत्र-लेखकोंसे[1]

मुझ पर पत्रोंकी बारिश हो रही है। बिलकुल तन्दुरुस्त होऊँ तो भी मैं इन सब चिट्ठियोंको न तो तत्काल पढ़ सकता हूँ, न उन सबके जवाब ही दे सकता हूँ। फिर मेरी मौजूदा कमजोर हालतमें समझौतेकी शर्तोंके प्रति सावधान रहना 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'के लिए लिखना और दूसरे काम करनेके साथ-साथ इन सबके उत्तर देना अशक्य ही है। इसलिए मेरे सामने चुने हुए पत्र ही रखे जाते हैं, और उनमें से जितनोंका जवाब तत्काल दे सकता हूँ, दे देता हूँ और बाकी पत्रोंका जवाब धीरे-धीरे देता रहता हूँ। मुझे यह स्थिति पसन्द नहीं है। मैं जानता हूँ कि पत्र लिखनेवाले समयपर उत्तरकी आशा रखते ही हैं। पर मेरी लाचारीकी दलील मेरे पक्षमें है। पत्र-लेखक मेरी और मेरे साथियोंकी मदद कर सकते हैं। वे कृपा कर इतनी शर्तोंका पालन करें:

१. बिना कारण कभी पत्र न लिखें।
२. पेंसिलसे न लिखें।
३. लम्बे पत्र न लिखें।
४. बारबार एक ही बात न कहें।
५. जहाँतक हो सके, तर्क बिलकुल ही न दें।
६. अक्षर मोतीके दानों जैसे लिखें।

ये नियम सरल हैं, और इन सबके मूलमें अहिंसा है। मेरे अक्षर बहुत खराब हैं। उन्हें पढ़नेमें पढ़नेवालेको कितना कष्ट होता है, मुझे इसका पूरा अनुभव है। जिससे किसीको कष्ट हो, ऐसा काम करना हिंसा है। इसलिए सभी इतना समझ सकते हैं कि खराब अक्षर लिखना हिंसा है। दूसरी शर्तोंके सम्बन्धमें भी यही बात लागू होती है। उक्त नियम सदा उपयोगी हैं। मेरी मौजूदा हालतमें उनकी उपयोगिता दूनी है। कुछ भी क्यों न हो, पर मुझे पत्र लिखनेवाले, जवाब न मिलनेपर यह तो कभी न मानें कि मेरे अविनयके कारण ऐसा होता है।

१. यंग इंडिया, ७-५-१९३१ में भी "टिप्पणियाँ"के अन्तर्गत "निजी और वैयक्तिक पत्र-लेखकोंसे" नामसे एक मिलती-जुलती टिप्पणी प्रकाशित हुई थी।

एकताकी बुनियाद ही नहीं है

'खून क्यो नही खौल उठता?' प्रश्नके[1] पूछनेवालेका दूसरा प्रश्न यह है:[2]

इस प्रश्नके मूलमें जो विचारश्रेणी है, वह अधूरी है। जो भेद बताये गये है, अन्य कारणोंसे वे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरा देशोंमें भी हैं; फिर भी वहाँ राजनैतिक एकता है और उक्त भेदोमें से भी कई तो सिर्फ शहरोंमें ही होते हैं। गाँवोमें वैसे भेद है ही नही। जरूरत मदरसों, अखाड़ों या खेलोकी एकताकी नही है, एकता हृदयकी अपेक्षित है। वह प्राप्त न हो तो दूसरी एकता निरर्थक है, वह प्राप्त हो जाये, तो दूसरी अनावश्यक है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-५-१९३१

७६. पत्र : खेड़ा जिलेके कलेक्टरको[3]

३ मई, १९३१

हम दोनों ही चाहते है कि लोग अपनी पूरी सामर्थ्यके अनुसार लगानकी अदायगी करें। मै जानता हूँ कि 'सामर्थ्य' शब्दकी परिभाषाके बारेमें हमारे बीच मतभेद हो सकता है या जैसा कि आपके पत्रसे पता चलता है, इसपर मतभेद है। मैं सोचता था कि हमारी बातचीतके दौरान आप इस बातपर राजी हो गये थे कि बकाया लगानकी अदायगीके लिए किसीको कर्ज लेनेकी जरूरत नही है। मै उसी स्वस्थ सिद्धान्तको आधार बनाकर चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पहले कभी इस सिद्धान्त पर अमल नही हुआ था और भविष्यमें भी शायद न हो। जो भी हो, मैं समझता हूँ कि इस असाधारण वर्षमे तो इसका पालन किये बिना काम चल नही पायेगा। आशा है कि मैं इसे यथासमय पूरी तौर पर सिद्ध कर दिखाऊँगा। जाहिर है, इसका यह अर्थ नही कि जो लोग कर्ज लेकर लगानकी अदायगी करना चाहते हों, मैं उनको उससे रोकने लगूँगा। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि ऐसा करनेके लिए उनसे आग्रह करनेका काम मुझे न करना पड़े।[4]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-१०-१९३१

१. देखिए "अहिंसाकी शक्ति", ७-५-१९३१।

२. नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने हिन्दू और मुसलमानोंके अलग-अलग मोहल्लों, अखाड़ों आदिके विरोधमें गांधीजीसे जोर देनेका आग्रह किया था।

३. श्री पेरी।

४. पेरीने उत्तर दिया था: "ब्याजपर रुपया लेनेके सम्बन्धमें आपकी बातसे मैं सहमत हूँ। मित्रों अथवा ऐसे ही अन्य किसी स्थानसे हो सकनेवाली व्यवस्थाको हम इसमें शामिल नहीं करते।"

७७. पत्र : जेम्स टी० रत्नम्को

बोरसद
३ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं आपका पत्र तथा उसका संक्षिप्त उत्तर 'यंग इंडिया'[1] के आगामी अंकमें प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको तथा उन मित्रोंको जिनके मनमें मेरे दृष्टिकोणके सम्बन्धमें कुछ आशंकाएँ हैं, इस उत्तरसे सन्तोष हो जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्री जेम्स टी० रत्नम्
सेंट जेवियर्स
नुवारा इलिया (श्रीलंका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२८) की माइक्रोफिल्मसे।

७८. पत्र : हरिदास टी० मजूमदारको

साबरमती
३ मई, १९३१

प्रिय हरिदास,[2]

२६ मार्चका आपका पत्र[3] और आपकी डायरीका उद्धरण देखकर आश्चर्य हुआ। मेरे कार्य-कलापके बारेमें जान-बूझकर तोड़े-मरोड़े गये एक समाचारका या मेरे कार्य-विशेषके बारेमें ईमानदारीसे पेश किये गये किसी ऐसे समाचारका ही तार पाकर जिसे आप समझ न पाये हों यदि आपके हृदयपर इतनी प्रतिक्रिया हो कि आप अपने

१. देखिए "फिर विदेशी मिशनरी", ७-५-१९३१।

२. डा० हरिदास टी० मजूमदार; गांधी द एपोस्टल, (१९२३), गांधी वर्सेज द एम्पायर, (१९३२); गांधी ट्रायम्फेंट, (१९३९), महात्मा गांधी: पीसफुल रिवोल्युशनरी, १९५२; महात्मा गांधी: ए प्रोफेटिक वॉयस, (१९६३); द ग्रामर ऑफ सोशिओलाजी: मैन इन सोसाइटी १९६६ के लेखक; ये १९२९ में लाहौर कांग्रेसके अवसरपर भारत आये थे और गांधीजीके साथ जनवरी-मार्च १९३० के दौरान साबरमतीमें ठहरे थे। वे दाण्डी यात्रामें और गोलमेज परिषद्में भी उनके साथ थे।

३. उपलब्ध नहीं। उसमें मजूमदारने बहुत ही आवेशमें गांधीजीपर यह आरोप लगाया था कि पुलिसकी बर्बरताकी निष्पक्ष जाँच कराये बिना गोलमेज परिषद्में शामिल होनेपर सहमत होकर उन्होंने जनताके साथ विश्वासघात किया है।

द्वारा दिये गये पहलेके प्रमाणपत्रको ही गलत कह दे, तो फिर आपके किसी प्रमाण-पत्रका कोई मूल्य नही रह जाता। आप देखेंगे कि इससे एक अत्यन्त ही कटु निष्कर्ष यह निकलता है कि आपकी इस रायका आधार भी वैसा ही जल्दबाजीमे किया गया अनुमान है जैसे अनुमान पर आपका पहलेवाला प्रमाणपत्र आधारित था? परन्तु इससे भी कही आश्चर्यजनक है, आपका यह आग्रह कि आपकी व्यक्ति-परक-निष्ठा उतनी ही गहन, उतनी ही तीव्र और हार्दिक तथा दृढ है, जितनी कि वह एक वर्ष पहले थी। क्या आप महसूस नही करते कि आपके इस कथन और मेरे बारेमे हालमे दी गई आपकी अपनी रायके बीच एक बहुत ही स्पष्ट विरोध है? निश्चित है कि आपकी निष्ठाका केवल एक ही आधार था — आपकी दृष्टिसे किया गया मेरा मूल्यांकन, मेरे बारेमे आपकी राय और जब इसमे आपको परिवर्तन करना पड़ गया तो आपकी निष्ठा आधार रहित हो गई। यदि आपने अपने पत्रोकी प्रतियाँ अपने पास रख छोडी हो तो उनसे क्या-क्या निष्कर्ष निकलते है यह तो मेरे बतलानेकी अपेक्षा आप स्वय कही अच्छी तरह समझ सकते है। खैर, मै तो यह सोचकर धीरज रख सकता हूँ कि आपने जो आघात पहुँचाया है उससे कही बड़े आघात मै सह चुका हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री हरिदास टी० मजूमदार
सम्पादक 'इडिया टुडे ऐड टुमारो'
२०, वैसी स्ट्रीट, न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५३)की फोटो-नकलसे।

७९. पत्र : ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

बोरसद
३ मई, १९३१

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारे खत आते रहते हैं। मेरी तबीयत अच्छी, प्रोग्राम अनिश्चित है। कब कहां जाना होगा मै नहिं जानता हुं। मेरा खानेका दूध खजुर और जो स्थानिक फल मिले सके वह। दूध १॥ रतलसे ज्यादा नहि ले सकता हुं। वजन १०३ रतल है।

तुमारा शरीर कैसे रहता है? बनोईके हाल क्या है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३८९की फोटो-नकलसे।

८०. तार: फ्रामरोज बी० गरदाको

बोरसद
४ मई, १९३१

सरदार फ्रामरोज गरदा[1]
नवसारी

सुनता हूँ आपने जिस भूमिको कृपापूर्वक लौटा दिया था भूमिधरोको उसका कब्जा अभी तक नही मिला। खेतीका काम प्रारम्भ होनेका समय आ ही गया है। इसलिए मै चाहूँगा कि तत्काल कब्जा दे दे। मुकदमे भी अवतक वापिस नही लिये गये। आशा है यह विलम्ब अदायगीकी तयशुदा राशिको जमा न कर पानेके कारण नही है। आप जानते ही है कि अदायगी बिलकुल भी सदिग्ध नही। अगर आपको कोई शिकायते हो तो बड़ी खुशीसे उनकी जाँच करूँगा। कृपया तार द्वारा उत्तर दे।

गाधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९३१
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

८१. पत्र: डॉ० सैयद महमूदको

बोरसद
४ मई, १९३१

प्रिय डा० महमूद,

मै आपके पत्रकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा था। श्री हसन इमामको[2] पत्र लिखनेसे आपने मुझे छुटकारा दिलाया, इसका मै आभार मानता हूँ। मै अपनेको आपको हलचलोसे वाकिफ रखे हूँ, जबतक इस कामका कुछ एक निश्चित रूप उभर कर सामने नही आता, मै आपको मुक्तकण्ठसे बधाई देनेवाला नही हूँ। अगर इस कार्यक्रमको स्थायी बनाना है, तो इसे जनताका कार्यक्रम बनाना होगा। यह कार्यक्रम तबतक जनतातक नही पहुँच सकता, जबतक आप ये दो शर्तें पूरी नही करते:

१. आपका प्रचार-कार्यक्रम इस प्रकारका होना चाहिए कि वह मुसलमान जनताको प्रभावित कर सके, उसको जँच जाये। इसलिए कार्यक्रम उनके हितमे होना चाहिए।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", ७-५-१९३१ का उपशीर्षक "किसानोंकी बिकी हुई जमीनें"।
२. देखिए "पत्र: डॉ० सैयद महमूदको", १९-४-१९३१।

२. इसे अमलमे लानेके लिए आपके पास कार्यकर्त्ताओकी एक बडी टोली होनी चाहिए।

आप यह क्यो कहते है कि मैंने करार तोडा है। क्या मैंने इस सवालको लेकर कोई ऐसी बात कही या लिखी है जो करारका उल्लघन करती हो। नवाव भोपालकी सद्भावनापूर्ण पहलको बिलकुल ठुकरा देना तो मुझे शोभा नही देता। और आखिर उनको इस सिलसिलेमे सम्भावनाओकी चर्चा करनेके लिए आपको बुलाना ही पडता। बम्बईमे हुई मुलाकातके बाद मुझे उनका कोई सन्देश नही मिला। और बडे भाईसे[1] भी बम्बईमे आधे घटेकी भेटके बाद फिर मेरी कोई भेंट नही हो सकी। श्रीमती नायडू उनको ले आई थी। और मै पहलेकी तरह ही उनसे सोत्साह मिला था। इससे अधिक मैंने अगर कुछ किया है तो बस प्रार्थना-भर की है जिसके बारेमे मैंने एक पत्र-प्रतिनिधिको बताया भी था। हाँ, मै उन्हीके अनुरोधपर मुल्लाजीसे भी मिला था। क्या यह मैंने गलत किया?

हाँ, वृद्धा-विधवाकी[2] हालत तो करुणाजनक होगी, यद्यपि वह बहुत बहादुर महिला है। मेरा ख्याल है कि आप उनसे रोज मिल लेते होगे। कृपया उनसे मेरा सस्नेह अभिवादन कहिए। क्या सरूप[3] वही है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च]

इस माह ११ तारीखके करीब मुझे शायद शिमला जाना पडे।

अंग्रेजी (जी० एन० ५०८०)की फोटो-नकलसे।

८२. पत्र : तान युन-शानको[4]

[स्थायी पता] साबरमती
४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आप जब भी ठीक समझे फिरसे अवश्य पधारें।

चीनी विद्यार्थियोको मेरा यह सन्देश है :

१. शौकत अली।

२. मोतीलाल नेहरूकी विधवा पत्नी।

३. विजयलक्ष्मी पडित।

४. तान युन-शान बारडोलीमें गांधीजीसे मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे चीनी विद्यार्थियोंको अपने आशीर्वाद सहित एक सन्देश दें। गांधीजीका सन्देश चीनकी लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओंमें व्यापक रूपसे प्रकाशित हुआ था और न केवल विद्यार्थियोंने बल्कि सभी लोगोंने इसकी सराहना की थी।

"ध्यान रखिए कि चीनकी मुक्ति शुद्ध अहिंसासे ही होगी – ऐसी अहिंसा जिसमें कोई मिलावट न हो।"

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्रेजी (जी० एन० ९६७३) की फोटो-नकलसे तथा सिनो-इडियन जर्नलके "गाधी स्मृति अक," खण्ड १, भाग २, पृष्ठ ३७ से भी।

८३. पत्र : दलाई लामाको[1]

[स्थायी पता] साबरमती
४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके उपहारके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी भाषा नही समझ सकता। मेरी इच्छा और आशा है कि तिब्बतके लोग भगवान बुद्ध द्वारा दिये अहिंसाके पवित्र सन्देशको समझे और उसपर अमल करे।

आपका मित्र,
मो० क० गांधी

महाविभव लामा
तिब्बत

अग्रेजी (जी० एन० ९६७४) की फोटो-नकलसे भी; तथा सी० डब्ल्यू० ६२०८ सौजन्य . मीराबहन

१. तान युन-शान तिब्बतके १३ वें दलाई लामाका पत्र लाये थे। पत्र तिब्बती भाषामें था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। गाधीजीने कहा था कि वे पत्रकी प्राप्ति स्वीकृति गुजराती भाषामें करेंगे ताकि दलाई लामा उसे समझे बिना पत्रका आनन्द ले सकें। मीराबहनकी टिप्पणीके अनुसार यह पत्र मूल गुजरातीका अंग्रेजी अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

८४. पत्र : नारणदास गांधीको

४ मई, १९३१

चि० नारणदास,

तुमपर एक बोझ और बढ जायेगा। जमनादास रतिलालकी[1] बात करेगा। जब वह आये उसे बगलेमे रखना। ऊधम करे तो उसे बाँधकर रखनेके सिवा कोई चारा नही है। डॉ० कानूगा और डॉ० हरिभाईको बुलाना। उनको फीस दे देना और वे जो कहे, वही करना। डॉ० हरिभाई अपने अस्पतालमे रखें तो वहाँ, नही तो पागलखानेमे रखे। सम्भव है, वह ठीक हो जाये, फिर भी उसके बारेमें हमे सावधान तो रहना ही चाहिए। उसके पास छुरी आदि न रहने पाये। किसी व्यक्तिको उसकी देखरेखके लिए नियुक्त करना पडे तो कर देना। नया व्यक्ति रखना ही हो तो वेतन देकर भी रख लेना। मै नही चाहता कि इसमे तुम्हारा ज्यादा समय जाये। फिर भी उसकी जिम्मेदारी लिए बिना छुटकारा नही। शायद उसे प्रेमसे वशमें किया जा सके। यदि चम्पा[2] भी आये तो मुझे लगता है कि वह उसके साथ नही रह सकती। वह आये तो आश्रममे रहे। यदि उसमे स्वय रतिलालके साथ रहनेकी हिम्मत हो तो दूसरी बात है।

दूसरा सवाल लक्ष्मीका[3] है। लक्ष्मीका लालन-पालन इस रीतिसे हुआ है कि किसी अन्त्यजको सौपनेसे वह सुखी नही रह सकती। मुझे अनायास ही मारुतिका विचार आया। लक्ष्मीदासका पत्र पढ लेना और अपनी राय लिखना। धर्मदृष्टिसे भी यह कदम उचित और आवश्यक लगता है। फिर भी तुम्हारी निष्पक्ष राय जानना चाहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

१. डा० प्राणजीवन मेहताके पुत्र जो कि पागल हो गये थे।

२. रतिलालकी पत्नी।

३. दूधाभाईकी लड़की जिसे गांधीजी अपनी पुत्री मानते थे।

८५. पत्र : किशनसिंह चावड़ाको

बोरसद
४ मई, १९३१

भाई किशनसिंह,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। उसमे मुझे कोई नई दलील नही दिखाई देती। तुमने जो विरोध व्यक्त किया है, उस सबका जवाब कई बार 'यग इडिया' तथा 'नवजीवन' मे दिया जा चुका है। इसलिए अब तो तुम जब किसी दिन मिलोगे तो इस प्रश्नपर थोडी-सी चर्चा करनेको तैयार रहूँगा। इसके लिए जूनसे पहले समय नही मिल सकता। इस बीच मेरी सलाह है कि मै जो-कुछ लिख चुका हूँ, उसपर पुन विचार करो।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९५)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य · किशनसिंह चावडा

८६. पत्र : जमनादास गांधीको

४ मई, १९३१

चि० जमनादास,

साथके दोनो पत्र [यथास्थान] भिजवा देना। डाक्टरको लम्बा तार किया है। पत्र भी लिखा है। मुझे पत्र लिखते रहना। तुम डाक्टरको लिखो तो अच्छा रहे। मैंने उसके तार और पत्रमे तुम्हारा उल्लेख किया है।

मनुके बारेमे पूरी बातोका पता लगाकर लिखना। केलीसे मिल चुके होओ तो उसके बारेमे भी लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२०)से।
सौजन्य · जमनादास गाधी

८७. पत्र: शारदाबहन चि० शाहको

बोरसद
४ मई, १९३१

चि० शारदा,

क्या खुद मुझे लिखे बिना मुझसे पत्र पानेकी तुम्हारी अपेक्षा उचित है? फिलहाल मै न लिखूँ तो भी तुम सब तो मुझे लिख सकती हो।

आनन्दी यहाँ नही है। तेरे कौन-कौनसे पाँच वर्ग चल रहे है और पढाता कौन है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९००)से।
सौजन्य: शारदाबहन चोखावाला

८८. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

बिहारके सम्बन्धमे लगाये गये जिन विभिन्न आरोपोकी प्रतियाँ आपने भेजनेकी कृपा की थी, उनका उत्तर प्राप्त करनेमे मुझे थोडा समय लग गया। बाबू राजेन्द्र-प्रसादने सभी आरोपोकी जाँच कराई थी और उनके ही द्वारा तैयार किया गया, उस जाँचका सक्षिप्त सार मै आपको भेज रहा हूँ। पूरी रिपोर्ट भेजकर मै आपकी व्यस्तता नही वढाना चाहता, लेकिन यदि आप सारको पढकर आगे कुछ जानना चाहेगे तो मै आपके पास पूरी रिपोर्ट सहर्ष भेज दूँगा।

बाबु राजेन्द्रप्रसादने समझौतेकी बहुत-सी धाराओको स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यान्वित न किये जानेकी शिकायत की है। उसकी एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मै जानता हूँ कि वकीलोके मामलेमे सरकारको औपचारिक रूपसे दोषी नही ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी सवाल उठानेके और तरीके तो है ही।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह सचिव, भारत सरकार
शिमला

[५ मई, १९३१]

[पुनश्च :]

यह पत्र मैंने कल बोलकर लिखवाया था। आज मेरा मौनव्रत है। इसी महीनेकी २ तारीखका आपका कृपापत्र मिला। बिहारका पहला विवरण गलतीसे मेरे टाइपिस्टको नहीं दिया गया था, इसलिए मैं मूल विवरण ही भेज रहा हूँ। कृपया लौटा दें।

आपने मेरे शिमला आनेकी तारीख ११ के आसपास रखी है। ११ तारीखको सोमवार है। अगर मैं १३ तारीखको शिमला पहुँचूं तो क्या यह ठीक होगा? कृपया नई तारीखकी सूचना तारसे भेजें। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं खेडाके मामलेको जितना मुझसे बन सके निबटा देना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरी उपस्थिति और भी जल्दी आवश्यक हो तो मैं अपने कुछ काम रोक दूंगा।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी, फाइल-संख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

८९. पत्र : फ्लोरेंस रोजनब्लाटको

[स्थायी पता] साबरमती
५ मई, १९३१

मेरी युवा मित्र,

तुम्हारा सुन्दर पत्र मिला। तुम्हें अपनी आत्माको शान्त बनाये रखना चाहिए। मेरे जीवनकी जो भी बात तुमको अच्छी लगी हो, उसे तुम वहाँ रहकर भी अपना सकती हो और इस हदतक जिस हदतक यह मिलने पर सम्भव है, बल्कि ऐसा करना मिलनेसे भी अच्छा रहेगा। तुम भारतके लिए प्रभावकारी ढंगसे जो कर सकती हो सो तो यही है कि जहाँ भी कहीं कोई भारत अथवा यहाँके निवासियोंकी बुराई करे, वहाँ तुम इस देशकी तारीफमें कुछ ठीक शब्द कह दो। भारतकी प्रशंसामें विश्वासके साथ कुछ कहनेके लिए तुम्हें भारतीय संघर्षके सम्बन्धमें अध्ययन करनेके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। तभी तुम साधिकार कुछ कह सकोगी।

हृदयसे तुम्हारा,

फ्लोरेंस रोजनब्लाट
ब्रूकलिन, न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२९) की फोटो-नकलसे।

९०. पत्र : वी० टी० कृष्णमाचारीको

बोरसद
५ मई, १९३१

प्रिय दीवान साहब,

बीजापुरमे 'उद्योगालय' नामक एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है। आपके पहले जो दीवान थे, मुझे उनकी कृपासे, विशेषकर महिलाओ द्वारा कताई-बुनाईके केन्द्रकी स्थापनाके लिए जमीनका एक टुकडा प्राप्त हुआ था। उस जमीनका पट्टा एक महिला कार्यकर्त्रीके नामपर दिया गया था। अब उन्होने इस कार्यसे अवकाश ग्रहण कर लिया है। जहाँतक उनका सम्बन्ध है, उन्होने जमीनका वैधानिक अधिकार सत्याग्रह-आश्रमके न्यासियोको सौप दिया है। एक न्यासी तो उद्योगालयमे काम भी कर रहा है। उसने जमीनका पट्टा सत्याग्रह-आश्रमके न्यासियोंके नाम करानेके लिए प्रयत्न भी किया था। काफी समयतक प्रतीक्षा करानेके बाद सम्बन्धित अधिकारीने जमीनकी दाखिल-खारिजकी अर्जी नामजूर कर दी। जहाँतक मेरी जानकारी है, अधिकारीने इसका कोई कारण नही बताया। एक बार यह भी सुननेमे आया था कि यदि प्रतिष्ठान इस बातको लिखकर दे दे कि उसका राजनीतिसे कुछ सम्बन्ध नही रहेगा, तो जमीनके हस्तान्तरणमे कोई परेशानी नही होगी। मेरा ख्याल है कि इसके बाद अधिकारीकी बदली हो गई। नि.सन्देह, मेरी कार्य-प्रणालीके अनुरूप इस सस्थाका भी अन्य देशी राज्योमे चल रहे प्रतिष्ठानोकी तरह आरम्भसे ही राजनीतिके साथ बिलकुल कोई सम्बन्ध नही रहा। पिछले सघर्षके दौरान भी यही बात रही। जैसा कि आप जानते है, अखिल भारतीय चरखा सघके माध्यमसे बडौदा राज्यको अपने ग्रामोके पुनर्गठनमे चरखेसे बडा सहयोग मिलता रहा है। बीजापुरमे चल रहा कार्य भी इसी प्रकारका है। क्या आप इस मामलेको देखनेका कष्ट करेगे और यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्योसे आप सन्तुष्ट हो, तो उपर्युक्त न्यासियोके नाम जमीनका पट्टा कर देनेके आदेश जारी कर देगे? राज्यने यह जमीन आजकल तो बहुत थोड़े किराए पर कुछ लोकसेवाके कार्योके लिए दे रखी है; लेकिन यदि राज्यको कोई आपत्ति न हो तो मै इस जमीनको खरीद लेना चाहूँगा। पहले भी ऐसा प्रस्ताव किया गया था। मै यहाँ यह भी बतला दूं कि हमने इस जमीनपर १२,००० रुपयेकी लागत की एक इमारत बना ली है। इस सस्थाके माध्यमसे कताईका काम देकर हम बीजापुरकी बहुत-सी गरीब महिलाओ तथा बुनकरो और धुनियोकी एक बस्तीके लिए निर्वाहका साधन जुटा रहे है। इसके अतिरिक्त इस प्रतिष्ठानका कोई और कार्यक्रम नही है। मुझे दु.ख है कि इस छोटे-से मामलेको लेकर मुझे आपको कष्ट देना

पड़ा। पर मेरे लिए यह बात छोटी नहीं हैं, क्योंकि मुझपर अनेक लोगोंके हितोंकी देखरेखकी जिम्मेवारी है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री वी० टी० कृष्णमाचारी
बड़ौदाके दीवान
बड़ौदा

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३०) की फोटो-नकलसे।

९१. पत्र : बॉयड टुकरको

बोरसद
५ मई, १९३१

प्रिय बॉयड,

आपका पत्र पाकर और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतके मैदानी इलाकोंकी भीषण गर्मीसे आपको थोड़ी राहत मिल गई है। मेरी अमेरिका-यात्राकी अफवाहमें कोई सार नहीं। लेकिन जैसे ही यह समाचार विदेशोंमें फैला, मुझे श्री पेज, डॉ० शेरवुड एडी, रेवेरेंड होम्स, डॉ० वार्ड और अन्य लोगोंके हस्ताक्षरसे एक तार मिला, जिसमें मुझे विलकुल निश्चित और एक स्वरसे अमेरिकाकी यात्राके विरुद्ध आगाह किया गया था।[1] उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि आप गये तो लोग आपकी यात्रासे अनुचित लाभ उठानेकी कोशिश करेंगे; आप अमेरिकी जनताके बीच जानेकी अपेक्षा यहाँ दूर रहकर अपने उद्देश्यकी सेवा कहीं अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। ध्यान रखिए यह सब एक ही तारमें लिखा गया है। इसी डाकसे मेरे किसी अपरिचित अमेरिकी मित्रका एक पत्र भी आया है, जिसमें मेरे कार्य और सन्देशको तो उचित बताया गया है, पर मुझे साग्रह समझानेकी कोशिश की गई है कि मैं अमेरिका न जाऊँ। मुझे भी विलकुल ऐसा ही लग रहा है। इसलिए यदि मैं लन्दन गया और मेरे पास कुछ सप्ताहोंका समय हुआ, तो भी अपने सम्माननीय मित्रोंकी इन चेतावनियोंको ध्यानमें रखते हुए मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा। और अधिक सोच-विचारके बाद क्या आपकी भी लगभग यही राय नहीं बन जायेगी?

अब रही लन्दनकी बात। जबतक हिन्दू-मुसलमानोंकी समस्या हल नहीं हो जाती, मेरे वहाँ जानेकी कोई सम्भावना नहीं है। यदि मैं वहाँ गया भी तो मैं आपके समाजको पूर्ण सम्मान देते हुए भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि आपकी सेवाओंका

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-५-१९३१ का उपशीर्षक "अमेरिका जानेकी अफवाह"।

मैं क्या उपयोग कर सकूँगा। फिर एन्ड्रयूज वहाँ मौजूद ही हैं जो हर तरहसे मुझे अपनी गिरफ्तमें ले लेंगे; यह आप जानते ही हैं। उनका एक पत्र मेरे पास आया है, जिसमें उन्होंने मेरी लन्दन-यात्राको सर्वथा निश्चित मान लिया है और अपने-आपको मेरी सेवामें नियुक्त कर लिया है और यह भी लिख दिया है कि मुझे कहाँ ठहरना है। हेनरी पोलक भी वहाँ हैं, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें वर्षों मेरे कार्यालयमें काम किया है। फिर वहाँ म्यूरियल लेस्टर इनके सिवा हैं। इसलिए अगर आप मेरे साथ लन्दन चलें भी, तो सचिवकी हैसियतसे नहीं। फिर मुझे मीराका भी ख्याल रखना होगा। वह तो मेरे साथ होगी ही। लेकिन यह सब अभीतक अटकलबाजी ही है। मैंने सोच लिया था कि यदि जाना निश्चित हुआ तो कार्यक्रमकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आप कराचीमें मेरे साथ थे; उससे मुझे खुशी हुई थी। दुख तो इस बातका रहा कि मैं आपके साथ फुरसतसे बैठकर बातचीत नहीं कर पाया। यह जरूर एक बुरी बात रही कि आपसे कोई-न-कोई चीज गुम होती ही रहती थी, लेकिन मैं उसे ऐसी अयोग्यता नहीं मानता कि वह आपको साथ ले चलनेमें बाधक बने। मुझे आपसे अपने असबाबकी निगरानी की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा काम ले सकना चाहिए।

श्री बॉयड टुकर
द्वारा पोस्ट मास्टर,
श्रीनगर (कश्मीर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३१) की फोटो-नकलसे।

९२. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

बोरसद
५ मई, १९३१

प्रिय राजेन्द्र बाबू,

समय बचानेकी दृष्टिसे मैं यह पत्र बोलकर लिखा रहा हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीके नाम आपका पत्र तथा आपके दो वक्तव्योंकी प्रतियाँ मैंने सरकारको भेज दी हैं और मुझे आशा है कि मैं अगले सप्ताह शिमला जाऊँगा, जहाँ अन्य बातोंके साथ-साथ बिहारकी स्थितिकी भी चर्चा करूँगा, इसलिए शिमला-यात्राके बाद ही आपको पत्र लिखूँगा। आशा है, आप स्वस्थ होंगे। व्रजकिशोर बाबू कैसे हैं?

श्री राजेन्द्रप्रसाद
सदाकत आश्रम
जिला पटना

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३२) की फोटो-नकलसे।

९३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

[स्थायी पता,] साबरमती
५ मई, १९३१

यह पत्र रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सके बारेमे जानकारी देनेके लिए लिख रहा हूँ। उनका पता है टर्नर्स कोर्ट, बेनमन, आक्सफोर्डके समीप। उनको समझौतेसे निराशा हुई है। जिस लडकीसे उनका विवाह होनेवाला था, उससे उनकी सगाई टूट गई है। उनकी आर्थिक दशा खराब है। मेरी उनके साथ हार्दिक सहानुभूति है। मै नही समझता कि उनके पत्रके 'यग इडिया' मे प्रकाशित मेरे उत्तरसे[1] उनको कोई सन्तोष हुआ है। मै चाहूँगा कि वे इतना समझ ले कि सब-कुछ ठीक चल रहा है और समझौतेके लिए सिद्धान्तका होम नही किया गया है। मै चाहूँगा कि आप उसके पास जाकर इस विषयसे सम्बन्धित पूरी बात उनको समझा दे; और अन्यथा भी उनकी सहायता करके उनका एकाकीपन दूर करे। वह तो सोने-जैसे खरे और अत्यन्त ही वीर व्यक्ति है। लगता है, जो-कुछ मैंने आपको लिखा है, सब अनावश्यक ही है और आप इससे पहले ही उनसे मिल चुके होगे तथा मैंने जितना-कुछ उनके बारेमें कहा है उससे ज्यादा आप स्वय जान गये होगे। लेकिन मै भी आपको लिखे बिना नही रह सका, आप इन बातोमे मेरे प्रति सहानुभूतिका भाव रखेंगे ही, क्यो कि आप इस तरहके काम मुझसे कही अधिक कई बार कर चुके है। मै अब भी गुजरातकी समस्यामे व्यस्त हूँ, इतना व्यस्त कि और किसी कामके लिए समय ही नही रहता। अफसरोकी काहिली, अनिच्छा और यहाँतक विरोधके रहते हुए समझौतेको लागू कराना बडा कठिन काम है। यह तो मेरा भी धैर्य डिगा देता लेकिन आशा है, मुझे यह परिस्थिति पस्त नही कर पायेगी। वातावरण अब जरा साफ हो गया है। अगले सप्ताहमे शिमला जानेका विचार कर रहा हूँ, वहाँ समझौतेसे सम्बन्धित इस तथा अन्य मामलोपर और गोलमेज परिषद्के सम्बन्धमे भी बातचीत करूँगा। हिन्दू-मुस्लिम समस्याका हल निकलनेके पहलेसे ज्यादा अच्छे आसार दिखाई नही पडते। जबतक यह रोडा रास्तेसे नही हटता, मेरे लन्दन जानेका सवाल ही पैदा नही होता।

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज

अग्रेजी (एस० एन० १७०३३) की फोटो-नकलसे।

[1] देखिए "एक अंग्रेजकी परेशानी", १६-४-१९३१।

९४. पत्र : नानीबहन झवेरीको

बोरसद
५ मई, १९३१

चि० नानीबहन,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा स्वास्थ्य किसी भी तरह सुधर जाये तो वही काफी है। गगाबहन कहाँ है? कैसी है?

पुस्तकें तो तुमने बहुत-सी पसन्द कर ली है। अमृतलाल मणियारकी पुस्तकोमे पढ़ जाने लायक बातें है।

पन्नालालके प्रश्नोका समाधान न हुआ हो तो वह मुझे लिखता रहे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३११२) की फोटो-नकलसे।

९५. पत्र : महावीर गिरिको

५ मई, १९३१

चि० महावीर,

तुम्हारा पत्र मिला। विभक्ति-प्रत्यय नामसे अलग नही[2] लिखा जा सकता। समासके पद भी अलग-अलग नही लिखे जा सकते। इसलिए 'चरण कमल' में नही; 'चरणकमलमे' लिखा जायेगा। क्या दैनन्दिनी लिखते हो? 'गीता' आदि जबानी याद कर रहे हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२८) की फोटो-नकलसे।

१. आश्रम-दुग्धालयके प्रबन्धक पन्नालाल झवेरीकी पत्नी।

२. विभक्तियोंको संज्ञासे हटाकर और सटाकर लिखनेमें विकल्प है। समस्त पदोंमें विकल्प नही हैं; उन्हें अलग-अलग नहीं लिख सकते।

९६. सन्देश : भूटानवासियोंको[1]

बोरसद
५ मई, १९३१

आपसे मिलकर खुशी हुई। आशा है, भूटानवासी सत्य और अहिंसाका सन्देश पूरी तरह समझकर उसके अनुरूप आचरण करेंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३१

९७. सन्देश : खादीका[2]

बोरसद
५ मई, १९३१

लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं खादीके पीछे दीवाना क्यों बना हुआ हूँ। गाँवोंकी सख्या सात लाख है। इन गाँवोंकी एक बडी सख्या लगभग भुखमरीकी अवस्थामें दिन काट रही है। वहाँ वर्षमें लगभग छ महीने लोगोंके पास काम नही रहता। इनके लिए कोई अनुपूरक धन्धा ढूँढना जरूरी है। हमें उनके लिए कोई ऐसा धन्धा खोजना चाहिए जिसे वे पहले करते रहे हो। हाथ-कताई इसी प्रकारका एक धन्धा है। अगर गाँवोंमें हाथकी कताईका प्रचार करना है तो लोगोंसे खादी पहननेकी अपेक्षा रखना स्वाभाविक ही है। इसलिए मैं खादीके पीछे दीवाना हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३१

९८. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

बोरसद
६ मई, १९३१
सुबहकी प्रार्थनाके तत्काल बाद

भाई हरिभाऊ,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। तुम्हे मैंने जो तार[3] भेजा था, उसकी पहुँच अभीतक नही मिली। मिल जानी चाहिए थी। तारमें इतना ही था कि मैं उदय-

१. भूटान-नरेशके भाई द्वारा सोने और चाँदीकी दो छोटी मंजूषाएँ और हाथसे बुना कपड़ा भेंट किये जानेके अवसरपर यह सन्देश गांधीजीने हिन्दीमें दिया था।

२. यह सन्देश एक भारतीय फिल्म कम्पनीको पहले हिन्दी, फिर अंग्रेजीमें दिया था।

३. देखिए "तार : हरिभाऊ उपाध्यायको", २-५-१९३१।

पुरमे किसीको तार नही दे पाऊँगा। मै वहाँ किसीको नही जानता। मालवीयजी और जमनालाल तार दे सकते है। तुमने रामको तो लिखा ही है। यह ठीक किया। मणिलाल कहाँ है, इसकी भी मुझे खबर नही। उसको एक तार दिया था, जवाब नही मिला।

तुम्हारी स्थिति विषम है। सम्भव है कि रियासत तुम्हारी बात न सुने। ट्रेंचको[1] तुमने पत्र लिखा है; शायद वह उसकी परवाह न करे। पर लिखकर अच्छा किया है। उससे नुकसान नही होगा। यदि लोगोका दु:ख दूर न किया गया हो तो तुम्हे स्वय सीमाको पार करके जेलमे जाना चाहिए, क्योकि तुमने उनका मुखिया बनना स्वीकार किया है। यदि किसान अहिंसाका पूरा-पूरा पालन करेगे तो जीत उनको मिलेगी ही। जमीनका कब्जा लेनेमे अहिंसाकी रक्षा कहाँतक हो सकती है, यह प्रश्न तो रहेगा ही। रियासतके सिपाही कब्जा छीनने आ जाये तब लोग क्या करेगे? विरोध करेगे? बैठे रहेगे? कई प्रश्न उठते है। ऐसे मामलोमे स्थूल अहिंसाका पालन ही देखनेमे आता है। आसपासकी हकीकत देखने-विचारनेके बाद जैसा तुम्हे ठीक लगे वैसा करना। फिर बादमे भले ही जिसे तुम अहिंसा मानो, वह मुझे हिंसा ही क्यो न लगे। शुद्ध भावसे व्यवहार करनेके सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता ही नही है। मुझे सब बाते दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई दे रही होती तो मै यह निर्णय तुमपर न लादता। क्योकि [वहाँकी] रियासतोमे जो हो रहा है, वह देशकी दूसरी रियासतोमे भी हो रहा है; और अग्रेजी राज्यके अचलोमे भी वही हो रहा है। उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जो सघर्ष पहले हुआ, उसका प्रभाव तात्कालिक था, ज्यादा देरतक टिकनेवाला नही था। अहिंसाका वह प्रयोग बडे पैमानेपर किया गया था, किन्तु वह इतना शुद्ध नही था या रह नही पाया। वह लाचारोकी अहिंसा थी। इसका शोक नही है। इतना ही कर पाना सम्भव था। जो-कुछ हुआ, उसके सच्चे स्वरूपको ठीक ढगसे देखना ही ऊपरकी टीकाका उद्देश्य है।

'त्यागभूमि' के बारेमें समझ गया हूँ। विज्ञापनोके बारेमे भी समझ गया हूँ। जो हो सके सो करना।

रामनारायणको कही जाकर पूरी तरह आराम जरूर करना चाहिए। उसे काम न करने देना। अलमोडा जाना शायद आसान रहेगा। जहाँ जायेगा, वहाँ सेवा-कार्य तो मिलेगा ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०७३) से।
सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

१. उदयपुर राज्यके राजस्व आयुक्त।

९९. तार : फ्रामरोज़ बी० गरदाको[1]

बोरसद
६ मई, १९३१

सरदार फ्रामरोज गरदा
नवसारी

आश्चर्यजनक तार मिला। क्या मै यह मान लूं कि आपने समझौता अस्वीकृत कर दिया है। मैंने कहा था कि जिस तरह तग किया जा रहा है, उसके स्पष्ट ठोस उदाहरण बतलाइए।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१००. तार : सर कावसजी जहाँगीरको

[६ मई, १९३१][2]

सर कावसजी जहाँगीर
नेपियन सी रोड
बम्बई

सरदार गरदाका तार है कि अस्पष्ट आरोप लगाकर समझौतेको एक तरहसे तिलांजलि ही दी जा रही है और तग करना जारी है। उन्हे सुस्पष्ट उदाहरण जुटानेको कहा है। बोनेका समय आ रहा है।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल-संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय, तथा पुस्तकालय

१. फ्रामरोज बी० गरदाके तारके उत्तरमें, जो इस प्रकार था: "खेद है, इस सम्बन्धमें कुछ नहीं हो सकता। समझौतेके बाद भी लोगोंका व्यवहार अत्यधिक परेशानी पैदा करनेवाला है।"

२. देखिए पिछला शीर्षक।

१०१. पत्र : अब्बास तैयबजीको

बोरसद
६ मई, १९३१

प्रिय भुर्रर,[१]

विद्यापीठके पतेपर भेजा आपका पत्र मुझे नही मिला। आशा है, कुछ समय बाद मिल जायेगा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका ऑपरेशन सफल रहा। आशा है, इसके बाद अब ऑपरेशनकी जरूरत कभी नही पड़ेगी। अस्पतालमें आपको कबतक रखेंगे? मै कमसे-कम सोमवारतक तो बोरसदमें रहूँगा ही। फिर मुझे शिमला जाना पड़ सकता है।

मुझे विद्यापीठवाला आपका पत्र अभी मिला। मै गायकवाड़को लिख रहा हूँ। लगता है, कही जरूरतसे ज्यादा विलम्ब न हो गया हो। मुझे अभी बड़ौदा बिलकुल नही जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
बापू

श्रीयुत अब्बास तैयबजी
के० ई० एम० अस्पताल
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० ९५७५)की फोटो-नकलसे।

१०२. पत्र : यूसुफ हुसैनको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

मेरे नौजवान दोस्त,

१० मार्चका आपका खत पाकर बहुत खुश हुआ। उसका उत्तर जल्दी न लिखनेके लिए आप मुझे माफ करेंगे। मै इस बीच बहुत ही व्यस्त रहा और सफरमें होनेके कारण कही अधिक नही रह पाया। तरुण विद्यार्थी देशके लिए बेशक बहुत काफी काम कर सकते है। सबसे पहली बात तो यह कि वे खादी पहनकर उन गरीबोकी मदद करें जो घरोंमें बैठकर कताई-बुनाई करते है। वे खुद भी हाथ-कताई और बुनाई कर सकते है। इस तरह वे मुल्ककी दौलत बढ़ा सकेंगे और पढाई पूरी

१. गांधीजी और तैयबजी द्वारा आपसमें अपनाया गया अभिवादनका प्रकार।

करनेके बाद गाँवोमें काम करनेके लायक भी बन जायेंगे। विद्यार्थी दूसरी जातिके नौजवानोंके साथ दोस्ती करके और विभिन्न प्रकारो एक-दूसरेकी सेवा करके और तनाव के दिनोंमें खतरेमें पडे लोगोकी सहायता करने और उन्हें बचानेके लिए अपनी जान तककी बाजी लगाकर दोनो जातियोमें नेकनीयतीको बढावा भी दे सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री यूसुफ हुसैन
मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३५)की माइक्रोफिल्मसे।

१०३. पत्र : एच० हरकोर्टको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। उत्तर देनेमें विलम्बके लिए मुझे क्षमा करें, पर मैं लाचार था। मैं नही कह सकता कि गोलमेज परिषद्के फलस्वरूप दोनो देशोंके बीच स्थायी तौरपर सद्भावना स्थापित हो गई है। तथापि दोनो देशोके प्रतिनिधि आपसमें समझौता करनेको कृत-सकल्प हो तो परिषद्से बहुत लाभ हो सकता है। मैं यह भली-भाँति समझता हूँ और इस बातके लिए बडा आभारी हूँ कि ब्रिटिश द्वीप-समूहमें मेरे प्रति अनेक अपरिचित सज्जनकी मित्रताका भाव रखते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री एच० हरकोर्ट, लन्दन, दक्षिण पूर्व १९

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३६) की फोटो-नकलसे।

१०४. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

. [स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

कोयम्बटूरके चिन्नापावुका एक पत्र भेज रहा हूँ। उन्होने अपने पत्रमें आपका उल्लेख किया है। उनके और उनके कामके बारेमें कृपया मुझे पूरी-पूरी जानकारी दे। मै चाहता हूँ कि आप ही इस पत्रके सिलसिलेमें उन्हे लिखें। उन्होने सिंगानाल्लूरमे आदि-द्रविडोके साथ व्यवहारके बारेमें जो लिखा है, क्या वह सच हो सकता है?

सलग्न : १

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७०३७) की फोटो-नकलसे।

१०५. पत्र : रुनहम ब्राउनको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके ४ फरवरीके पत्रके लिए धन्यवाद। इसकी प्राप्ति सूचना पहले न भेज पानेके लिए मुझे क्षमा करे। वह किसी तरह सम्भव ही नही हो पाया। मेरा ख्याल है कि प्रो० आइन्स्टीनका सुझाव सर्वथा तर्कसगत है। और यदि युद्धमे विश्वास न करनेवालोके लिए युद्ध सम्बन्धी सेवाओमे शामिल होनेसे इन्कार करना उचित माना जाता है, तो इससे अनिवार्य निष्कर्ष यही निकलता है कि युद्धका प्रतिरोध करनेवालोको कमसे-कम उनके साथ सहानुभूति तो रखनी ही चाहिए; भले ही उनमें अपने अन्त.करणकी खातिर कष्ट-सहन करनेवाले लोगोंके उदाहरण पर स्वय अमल कर सकने जितना साहस न हो।

हृदयसे आपका,

श्री एच० रुनहम ब्राउन
११, एबे रोड, एन्फील्ड
मिडिल सेक्स (इंग्लैंड)

अग्रेजी (एस० एन० १७०३८) की फोटो-नकलसे।

१०६. पत्र : खानचन्द देवको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय लाला खानचन्द,

आपका पत्र मिला। मैं इन सभी मामलोंके सिलसिलेमें सरकारसे लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ और सम्भव है कि इन सबके बारेमें चर्चा करनेके लिए मैं शिमला भी जाऊँ। इसलिए इस समय तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि वहाँ जो कुछ भी हो, उसकी खबर मुझे देते रहें। मेरी यह भी सलाह है कि आप धरने देना शुरू न करें और यदि पूर्ण शान्ति न रख सकें तो जो धरने चल रहे हों उनको भी बन्द कर दें। किसी भी तरहका उत्पात नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि पंजाबके गवर्नरके इस आरोपमें कितनी सचाई है कि तरह-तरहके उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये गये हैं। क्या आप पंजाबके समाचारपत्रोंको नियन्त्रणमें रख सकते हैं? मैं जानता हूँ कि अक्सर हिंसात्मक लेख लिखे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेससे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति हिंसात्मक भाषण दे या लेख लिखे। इस प्रकारके भाषणों और लेखोंसे हमारा पक्ष कमजोर होता है।

हृदयसे आपका,

लाला खानचन्द देव
पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
ब्रैडलॉ हॉल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३९) की माइक्रोफिल्मसे।

१०७. पत्र : गुलजारीलाल नन्दाको

बोरसद
६ मई, १९३१

प्रिय गुलजारीलाल,

श्री गिडनीसे तुम दृढ़तापूर्वक कह दो कि किसी तरहकी भी जोर-जबर्दस्ती नहीं की जा रही है। परन्तु सदस्यताकी कुछ शर्तें निश्चित करनेका तुमको पूरा अधिकार है। समझौतेकी यही अपेक्षा है कि धरने नितान्त शान्तिपूर्ण रहें, सब मानते हैं कि वे शान्तिपूर्ण ही हैं। सरकार किसी भी सूरतमें शराब सम्बन्धी कानूनके प्रत्यक्ष उल्लंघनोंकी ओरसे आँखें नहीं मूँद सकती। मुझे शायद सरकार और जनताकी ओरसे किये गये समझौतेके तथाकथित उल्लंघनोंके सिलसिलेमें अगले सप्ताह शिमला जाना

पड़े। इसलिए कोशिश करके सारा विवरण जुटा दिया जाये। तुमने जो धाराएँ भेजी थी, मेरे पास हैं।

श्री गुलजारीलाल नन्दा
सूती वस्त्र श्रमिक संघ
मजदूर कार्यालय
लाल दरवाजा, अहमदाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४०) की माइक्रोफिल्मसे।

१०८. पत्र : कोंडा वेंकटप्पैयाको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय वेंकटप्पैया,

कृपया संलग्न पत्र पढ़ जाइए। नीडूके[1] बारेमें आप जो भी जानते हों सब मुझे लिख भेजिए या पूछताछ करके मुझे बतलाइए। क्या इस सारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है? मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, भले ही अन्नपूर्णाकी[2] स्मृति ही इसका कारण हो। पर आपको इसमें मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा।

संलग्न : २

श्री कोंडा वेंकटप्पैया
गुन्टूर (मद्रास प्रेसीडेन्सी)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४१) की माइक्रोफिल्मसे।

१. मगन्ती बापी नीडू; देखिए अगला शीर्षक।
२. नीडूकी पत्नी, जिसकी मृत्यु, १९२७में हुई थी; देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ २०२-३।

१०९. पत्र : मगन्ती बापी नीडूको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय नीडू,

तुम्हारे इस सकटमे मेरे हृदयकी सारी सहानुभूति तुम्हारे साथ है; पर यदि तुम शान्तचित्त होकर ठीक तरहसे जूझो तो सफल हो जाओगे। सुख-समृद्धि नही, बल्कि दु.ख और विपत्ति ही मनुष्यको बनाते है, समृद्धि तो उसे बिगाड देती है। और फिर तुम यदि भूखसे पीड़ित वर्गके हो, तो तुम अपनेको लाखो-करोडोमें से एक समझो। परन्तु मै जानता हूँ कि यह दार्शनिकता कितनी ही सही क्यो न हो तुमको सान्त्वना नही दे सकेगी। इसलिए मैं कोई स्पष्ट सुझाव तभी दे सकूँगा, जब तुम मुझे यह बतला दो कि तुम्हारी न्यूनतम अपेक्षाएँ क्या है। न्यूनतम अपेक्षाएँ निश्चित करते समय तुमको अपने पिछले जीवन-स्तरका नही, बल्कि भावी उचित जीवन-स्तरका ही ध्यान रखना चाहिए। सच तो यह है कि यह निश्चित करते समय तुमको साहससे काम लेना पडेगा, भले ही ऊपरसे वह हृदयहीनता-जैसी लगने लगे। तुमने लिखा है कि तुमको अपने और अन्नपूर्णाके [पिता-पक्षके] परिवारका भी भरण-पोषण करना है। यह निरर्थक बात है। तुमको केवल उन लोगोका भरण-पोषण करना है, जो शरीरसे अपग या लाचार होनेके कारण अपना निर्वाह आप करनेमें समर्थ नही है। दोनो ही परिवारोमें ऐसा एक भी व्यक्ति नही है। उनको जरूरतसे ज्यादा लाड-प्यार भी नही देना चाहिए। उन सबको — स्त्री हो या पुरुष — अपनी रोजी आप कमानेके लिए काम करना चाहिए। यदि वे ऐसा करने लगे तो तुम देखोगे कि समस्या सन्तोषजनक तथा सम्मानपूर्ण ढगसे हल हो जायेगी। अब तुम समझ गये होगे कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। पूरे ब्योरेके साथ पत्र लिखना। उसपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा।

तुम्हारा,
बापू

श्रीयुत मगन्ती बापी नीडू
एल्लोर (पश्चिम गोदावरी जिला)
मद्रास प्रेसीडेंसी

अग्रेजी (जी० एन० ८८२६) की फोटो-नकल तथा एस० एन० १७०४२से भी।

११०. पत्र : के० केलप्पन नायरको

साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय केलप्पन,

आपका पत्र मुझे मिल गया है। आपको जो भी अनियमितताएँ दिखाई पड़ें, उनका पूरा-पूरा विवरण भेजते रहनेकी कृपा करे। इन सब चीजोके बारेमे चर्चाके लिए मुझे शायद शिमला जाना पड़े। इस बीच आप अपनी पूरी व्यवहार-कुशलतासे काम लेते रहे।

हृदयसे आपका,

श्री के० केलप्पन नायर
केरल प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
'मातृभूमि' बिल्डिंग्स
कालीकट

अग्रेजी (एस० एन० १७०४३)की माइक्रोफिल्मसे।

१११. भाषण : बोचासणमें

६ मई, १९३१

आप लोगोंने इस विद्यालयके शिलारोपणका सम्मान मुझे दिया है, इसके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। इस विद्यालयका नाम 'वल्लभ विद्यालय' रखा गया है। इसलिए विद्यालयके जो वर्तमान सचालक है, और जो आगे होगे, और जो विद्यार्थी यहाँ विद्या प्राप्त करेगे उन सबका यह कर्त्तव्य है कि सरदार वल्लभभाईमे जो गुण है, उन्हे वे अपने और दूसरोके जीवनमे उतारें। वल्लभभाई अर्थात् त्यागकी मूर्ति, वल्लभभाई अर्थात् बहादुरी, वल्लभभाई अर्थात् वीरता, वल्लभभाई अर्थात् ऊँच-नीचका भेद मिटानेवाला; वल्लभभाईकी दृष्टिमें कोई पाटीदार होनेसे उच्च नही हो जाता और दूसरा भगी या बारिया या पाटणवाडिया[1] होनेसे नीच नही। और यह साबित करनेके लिए कि ऐसा कोई भेद है ही नही — इस विद्यालयकी नीव मेरे हाथ रखवाई गई है।

भाई नरहरिने[2] निवेदनमे कहा है कि इस 'वल्लभ विद्यालय'में खासकर धाराला ठाकुर[3] और पाटणवाडियोके बच्चे शिक्षा प्राप्त करेगे। मै अपना काम छोड़कर यहाँ इसी आशासे आया हूँ कि धाराला ठाकुरोसे मिलूँ। आपके साथ जबसे मेरा परिचय हुआ है, तबसे मैंने आपको ठाकुरके रूपमें ही जाना है। आपमें से जो

१. और ३. गुजरातकी पिछड़ी कौमोंके नाम।
२. नरहरि परीख।

भाई वडतालकी विराट् सभा[1] मे आये होगे उन्हे याद होगा कि उस वक्त मैंने आप सबको धाराला ठाकुर ही कहा था। जैसे कालीपरज[2], रानीपरज बने, वैसे ही धाराला ठाकुरके रूपमे जाने गये। इस बडे सघर्षमें आपने लाभ ही उठाया है। आपमे से कुछने लोगोकी जमीनें भले ही ली हो, लोगोके साथ बेवफाईकी हो, उन्हे सताया हो, पर क्या यह भूलनेकी बात है कि बोचासणमे सब बारियाभाई लोगोके साथ ही रहे? यो तो इस बातका भी दावा नही किया जा सकता कि सौ फीसदी पाटीदार भी जनताके साथ थे। यहाँ सब मुसलमान भाइयोने साथ नही दिया, तो देशके दूसरे हिस्सोमें वे लोगोके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर खडे रहे।

हमारी लडाई जोर-जबरदस्तीकी लडाई नही है; हमारी लडाई तो स्वयस्फूर्त है। अब भविष्यमें भी जब कभी हमें लडना पड़ेगा तो सब उसमें साथ-साथ जूझेंगे। मै चाहता हूँ कि सरकारके साथ जो अस्थायी समझौता हुआ है, वह स्थायी हो। इस समझौतेके अन्तमे हम पूर्ण स्वराज्य ले ले। पूर्ण स्वराज्यका तात्पर्य है, वह राज्य जिसमे अपना राजकाज हम स्वयं चलाते हो। मेरा, सरदार वल्लभभाईका और मेरे अन्य अनेक साथियोका, जो काम कर रहे हैं, सपना साकार हुआ तो वह राज्य पाटीदारो, धाराला ठाकुरभाइयो और भगियोका भी होगा। मुसलमान भाइयोका भी होगा ही। यह राज्य किसी खास कौमका नही बल्कि हिन्दुस्तानमे जितने स्त्री-पुरुष और बालक-बालिकाएँ हैं, उन सबका होगा। इसीका नाम पूर्ण स्वराज्य है। इससे रहित राज्य स्वराज्य नही है। कोई यह न समझे कि हमारा ही राज्य होगा और भगी या मुसलमानोका न होगा। वह तो हिन्दुस्तानके तीस करोड लोगोका राज्य होगा। उसमे यदि इन सबके साथ इन्साफ न हो, तो वह स्वराज्य ही नही है। इसीलिए विद्यापीठको यह ख्याल आया कि यदि पिछडी हुई कौमोकी सेवा नही करेगे तो काम अधूरा रह जायेगा। मुझसे मिलनेके लिए धाराला ठाकुरभाई आते हैं; उन्हे दस्तखत करना भी नही आता। लेकिन मुझे इस बातकी फिक्र नही है कि उन्हे दस्तखत करना नही आता; फिर भी स्वराज्य किसे कहते हैं, उन्हे इसका मतलब मालूम होना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि जनताके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है, हम क्यो कातें, खादी ही क्यों पहनें, और अपनी देशी मिलोका कपडा भी क्यो न पहनें। यदि आप यह सब नही जानते तो यह बडी शर्म और बडे दुःखकी बात है। यदि आप इतना भी न जानें तो हमारा शासन कैसे चल सकता है? हमारे शासनमें धाराला ठाकुरभाई और भगी वगैरा सब कौमे हाथ बँटा सकती हैं। इसीलिए तो शामलभाई यहाँ बैठे हैं। आप कहेगे कि पाटीदारोंने सतानेमे तो कसर नही छोड़ी। शायद इसमें थोडी-बहुत सचाई भी होगी। मुमकिन है, सब जगह पाटीदारों और धाराला ठाकुरोमें एकता न हो। लेकिन पाटीदारोमें से नौजवानोका एक ऐसा दल निकला है जिसने आपकी सेवा करना ही अपना कर्त्तव्य मान लिया है। वे मानते है कि पहले दूसरोकी सेवा फिर अपनी सेवा।

१. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ २५६-६२।
२. गुजरातकी एक आदिम जाति।

आप जो थोड़े-से धाराला ठाकुरभाई यहाँ आये है वे मेरे सन्देशको सव लोगो तक घर-घर पहुँचायें। पाटीदार और हम दुश्मन नही है। यदि हम परस्पर एक-दूसरेको दुश्मन समझते हों तो उसे भुला दे। पाटीदार और धाराला, दोनो मित्र है। अभी-अभी सूत भेट करनेवाले एक भाईका परिचय मुझे दिया गया है, जो पहले शराव पीते थे और दूसरोंको भी पिलाते थे। लेकिन अव उन्होने शराब छोड दी है, और दूसरोसे छुड़वाते है। हरएक आदमी शराव तो छोड़े ही, चोरी और लूटमार करना भी छोड ही दे। क्या इस दुनियामें चोरको किसी दिन करोड़पति वनते देखा है? चोरी करके कोई साहूकार नही वना। और यदि कभी वना भी हो तो आखिरकार वह भिखारीका-भिखारी ही रहा। चोरी करके व्यापारीकी तरह करोडपति नही वना जाता। चोरी, लूटपाट, मारकाट वगैरा करनेसे कोई फायदा नही। परन्तु यदि दुनियामे — ईश्वरके दरबारमे, हमे अच्छे वनकर जाना हो तो निश्चय मानिए कि हमारे हाथ, पैर, आँख, कान और हृदय साफ होने चाहिए। नही तो हम उसके दरबारमे जवाब देने लायक न रहेगे। 'वल्लभ विद्यालय'की स्थापना इसीलिए की गई है कि यह सब हो सके। मै तो यह आशा करता हूँ कि शामलभाई मेरे पास यह शिकायत लेकर आये कि पाटणवाडिया और धाराला ठाकुरभाइयोके लड़के इतनी अधिक संख्यामे आते है कि विद्यालय छोटा पडता है। इस विद्यालयमे उन छात्रोको भोजन और बस्त्र देनेका विचार है जिनके पास पैसे नही है। परन्तु कोई इसका दुरुपयोग न करे। मै चाहता हूँ कि जिनके पास पैसे हो वे फीस देकर भी पढे। और मुझे इस वातका मौका मिले कि आप जितनी कहे उतनी शालाएँ मै कायम कर दूं। आप याद रखिये कि पढ़ानेवालोकी तो मेरे पास कमी नही है, और मै उन्हे चाहे जहाँ पैदा कर लूंगा। हम लड़कोको और धीरे-धीरे लड़कियोंको भी पढायेंगे। परन्तु यह सब इस बातपर निर्भर है कि इस 'वल्लभ विद्यालय'को आप कितना प्रोत्साहन देते है।

आपने मुझसे आशीर्वाद माँगा है। मेरा आशीर्वाद तो है ही। पर आशीर्वादकी शर्त यह है कि आप इस विद्यालय और उसके नामको चमकायेंगे। पाटीदार भी इससे नसीहत ले और 'वल्लभ विद्यालय' और मेरे नामको बदनाम न होने दें। मै ऐसी पाठशाला नही चाहता जो हमारे गलेकी तौक-जैसी वनकर भार-रूप वन जाये। विद्या तो वह है, जो हमें छुड़ाये, वन्धन-मुक्त करे, शोभा बढ़ाये, देशके धनकी वृद्धि करे, जिससे हमारा चारित्रिक धन वढ़े और हमारे लड़के-लड़कियाँ कुशल वनें। इसीलिए यह विद्यालय स्थापित किया गया है। यह फूले-फले। जिन्होने इस विद्यालयके लिए दान दिया है; चूने, मजदूरी और दूसरी तरहसे मदद की है, उन सवका मै उपकार मानता हूँ और उन्हे धन्यवाद देता हूँ। अपनी गाँठके पैसे खर्च करके किया गया काम जितना शोभायमान होता है, उतना वम्बईके सेठोसे धन लेकर करने पर नही होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-५-१९३१

११२. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

बोरसद
६ मई, १९३१

मैन्चेस्टर रायल एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत प्रस्तावके सम्बन्धमें 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान, महात्मा गांधीने कहा :

मैनचेस्टर रायल एक्सचेजका प्रस्ताव कुछ अशोमे तो मिथ्याभय पर आधारित है। मौजूदा आन्दोलनमे ब्रिटेनके प्रति ऐसा कोई वैमनस्य नही है, बल्कि काग्रेसके लोग मौजूदा परिस्थितियोमें बहुत-सी कठिनाइयोके बावजूद यथासम्भव सद्भावना बढानेका ही प्रयत्न कर रहे है। लोग पूरी तरह नही समझ पाते कि काग्रेसने ब्रिटिश मालके बहिष्कारको खत्म करके कितना साहसपूर्ण कदम उठाया है।

विदेशी-वस्त्र बहिष्कारको ब्रिटिश मालके बहिष्कारके साथ गड्डमड्ड नही करना चाहिए। विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारको बहिष्कार कहना ही उसे गलत सज्ञा देना है। इसलिए दिल्ली समझौतेमे इस शब्दको जान-बूझकर नही आने दिया गया है। विदेशी वस्त्रोके त्यागके लिए भी मै 'बहिष्कार' शब्दका प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल यह शब्द काफी आम हो गया है। फिर भी इसके उद्देश्यको समझनेमें किसीको भ्रान्ति नही होती। विदेशी वस्त्रोको त्यागनेके कुछ राजनीतिक परिणाम तो अवश्य निकलेगे, पर यह मुख्य रूपसे आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम ही है और यह भुख-मरीसे पीडित करोडो लोगोकी आर्थिक आवश्यकता है। इसलिए यदि लकाशायरके बड़े-बडे लोग आर्थिक उत्थानके इस स्थायी आन्दोलनकी खिलाफत करनेकी अपेक्षा अपने उत्पादनको अन्य देशोमे, जहाँ उनकी जरूरत हो, बेचनेका प्रयत्न करे, तो वे अपना काफी समय बचा लेगे और इस प्रकार सचमुच ही दोनो देशोके बीच सद्-भावना बढा सकेगे।

शान्तिपूर्ण धरनोके दमनके प्रयत्नको मै निरर्थक मानता हूँ। यह बिलकुल सही है कि लॉर्ड इर्विनने विदेशी वस्त्रो और शराबकी दूकानोपर दिये जानेवाले धरनोको ठोस कारणोके अभावमे स्वीकार नही किया था, और कोई भी व्यक्ति जो इस प्रश्नको उतनी ही शान्तिके साथ समझनेका प्रयत्न करेगा, जितना उन्होंने किया, वह इसी निष्कर्षपर पहुँचेगा जिसपर लॉर्ड इर्विन पहुँचे थे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ८-५-१९३१

११३. टिप्पणियाँ

किसानोंकी बिकी हुई जमीनें

किसी किसानकी जमीन माटी-मोल बेच देना उसका शरीर काट डालना है। गुजरातकी जब्तशुदा जमीनोकी नीलामी ऐसा ही कारनामा था। समझौतेमे इस बातसे सम्बन्धित धाराको सरदारने विषके घूँटकी तरह पी लिया था। किन्तु उनके इसे चुपचाप पी जानेका कारण यह था कि उन्हे भी मेरी तरह इस बातका यकीन था कि खरीदार किसी लम्बी अवधितक जमीनोके असली मालिकोको उनसे वचित नही रख सकेगे और यदि कुछ भी नही हुआ तो स्थायी समझौता हो जानेपर तो वे लोगोको वापस मिल ही जायेगी। खरीदारोके पक्षमें इतना कहना जरूरी है कि अब वे एकके बाद एक जमीनोको खरीदनेकी अपनी गलतीको समझते जा रहे हैं और उन्हे उनके मूल स्वामियोको लौटाते भी जा रहे हैं। पाठकोको यह तो मालूम हो ही चुका है कि सर कावसजी जहाँगीर, श्री नरीमान, श्री वीमादलाल और श्री मोदी तथा रा० ब० भीमभाईकी मध्यस्थतासे सरदार गरदाने बारडोलीके सत्याग्रही किसानोकी ली हुई जमीने, अपने खर्चकी रकम लेकर, वापस देनेका निश्चय व्यक्त किया है, उसके लिए मै उन्हे धन्यवाद देता हूँ। कुकडवेडाके एक दूसरे पारसीभाई कावसजीने दिये हुए पैसे बिना लिए और बिना किसीके बीच-बचावके जमीन लौटा दी है, और बोरसदके राजपूत भाई खुमानसिंह लक्ष्मणसिंहने भी खर्च हुए पैसे लिए बिना और किसी बीच-बचावके बिना जमीन वापस दे दी है। ये भाई दोहरे धन्यवादके अधिकारी हैं। इसी तरह अभी-अभी बारडोलीमे सेठ वीरचन्द और देहवानके ठाकुर साहबने बोरसदमे किया है। ठाकुर साहबने जो-कुछ देकर जमीन ली थी, उसे वापस भी नही लेना चाहा। उन्होने लगभग अच्छे किस्मकी १२० एकड जमीनके १२०० रु० दिये थे। तीन गरीब धारालोने भी ११ एकड जमीन ४८ रु० मे खरीदी थी। उन्होने भी उसे लौटा दिया है और मुझे पत्र लिखा है कि हमे पैसे वापस माँगनेमे लाज आती है, लेकिन हम लोग गरीब हैं; यो हम समझते हैं कि हमे यह पैसा वापस नही माँगना चाहिए। देशभक्तिके विचारसे इन सारे खरीदारोका जमीने लौटा देना उनकी प्रामाणिकता सूचित करता है। मैंने 'देशभक्ति' शब्दका उपयोग इसलिए किया है क्योकि ऐसा करनेके लिए किसीने धमकी या दबावका उपयोग नही किया था। इसका कारण तो मौन-मूक लोकमत ही था। अभीतक हम लोग पूरी तरह यह नही समझ पाये हैं कि स्वय लोकमतका कितना जबर्दस्त असर पडता है। यो अभीतक परेशानियाँ बनी हैं। कुछ ऐसे पक्के खरीदार हैं जिन्होने अभी मुट्ठी ढीली नही की है। फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि कार्यकर्त्ता धीरज न खो दें और समझौता भंग न हो, तो वे भी लोकमतका आदर करेगे। यदि लोकमत हिंसक और आक्रामक हो जाये तो वह असह्य बात होगी।

मुझे पाठकोको यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि अन्यथा भी, धीरे ही सही, गुजरातमें समझौतेसे सम्बन्धित प्रगति होते दिखाई दे रही है। महादेव देसाईकी 'साप्ताहिक चिट्ठी' से यह बात अंशतः स्पष्ट होती है कि हम लोग गुजरातमें कांग्रेस की ओरसे समझौतेको किस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं।[1]

हम आशा करे कि इसी तरह धीरे-धीरे सब जमीने वापस मिल जायेंगी। इस वक्त तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्याग्रहीका धर्म है कि वह किसीको सताये नही। जो उसके साथ दुश्मनी करे, उनका भी वह भला चाहे। सरदार गरदाको डर है कि किसान उनको सतायेंगे। इसकी वह शिकायत भी करते थे। मैंने उन्हे वचन दिया है कि अगर वह विस्तारसे कोई शिकायत भेजेंगे, तो मैं उसकी जांच करूँगा। मैंने उन्हे विश्वास दिलाया है कि कोई भी सत्याग्रही उन्हे नही सतायेगा। मुझे इसमे शक नही कि किसानोंकी ओरसे दिये गये इस आश्वासनका किसान पूरा सम्मान करेगे। यदि हमें तुरन्त स्वराज्य हासिल करना है, तो सबके साथ मिलकर रहना और सबके मन हर लेना हमारा धर्म है। याद रहे कि इस सबमें हाकिम लोग भी शामिल हैं।

पुलिसका अत्याचार

एक भाई पूछते हैं: "लडाईके दिनोमें पुलिस या दूसरे अधिकारियोने गैर-कानूनी बरताव किया हो तो उसके लिए आप उनपर कानूनन मामला चलानेकी सलाह देंगे?"

सुलहकी शर्तोमें यह शामिल तो है, फिर भी जिन जगहोमें गैर-कानूनी बरताव एक या दूसरे रूपमें अभीतक जारी हो और जहाँ भूतकालके गैर-कानूनी बरतावके सच्चे सबूत पेश किये जा सकते हों, उन जगहोको छोडकर अन्यत्र मुकदमे चलानेकी सलाह मैं नही दे सकता। परन्तु आमतौरपर मैं यही कहूँगा कि जो समझौता हुआ है, उसके ध्यानसे हमें पुरानी बातोको भूल जाने और स्थायी सन्धिकी आशा रखकर उसके लिए काम करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

'कश्मीरी' के नामपर

कश्मीर चरखा-संघके श्री कोटक लिखते हैं:

> लोग अब शुद्ध खादी और नकली खादीका भेद समझने लगे हैं, किन्तु महीन पोतकी ऊनी चीजें सिर्फ कश्मीरसे आती हैं, इसलिए परदेशी ऊनी कपड़ेको 'कश्मीरी' ऊनी वस्त्र कहकर अर्थात् कश्मीरमें हाथसे कते-बुने कपड़ेकी तरह बेचनेका रिवाज-सा चल पड़ा है।
>
> क्या इस ठगीको रुकवानेमें आप कुछ मदद नहीं कर सकते[2]?

महीन ऊनी और रेशमी वस्त्र खरीदनेवाले इस चेतावनीको ध्यानमें रखें। इससे एक नसीहत लेनी चाहिए, और वह यह है कि हर चीजके मूलका पता

१. इससे आगेका अंश नवजीवन, ३-५-१९३१ में प्रकाशित "टिप्पणी" से लिया गया है। पूरे लेखका मिलान भी उस टिप्पणीसे कर लिया गया है।

२. अंशतः उद्धृत।

लगायें। यदि हम अपने पड़ौसमे बनी हुई चीजे ही बेचें तो इस बातका पता लगता रह सकता है। किन्तु हमेशा ऐसा सम्भव नही होता। इसलिए दूसरा रास्ता यह है कि प्रमाणित या जिनके व्यवस्थापकोसे हमारी निजी जान-पहचान हो, ऐसे भण्डारोसे ही चीजे खरीदी जाये। दूसरे सब धर्मोकी तरह स्वदेशी धर्मका पालन भी कठिन है। इसलिए स्वदेशीप्रेमियोको अपने उपयोगमे आनेवाले हरएक कपडेके टुकड़ेका ही नही, बल्कि हर चीजके इतिहासका पता लगानेमें जो कष्ट उठाना पड़े, सो उठाना चाहिए। यह सच है कि खादी स्वदेशीका केन्द्र और परिधि दोनो है, फिर भी इन दोके बीचकी जगहको भरनेवाली दूसरी कई चीजे हैं। जो स्त्री-पुरुष खादी पहननेके बाद अपने लिए दूसरी सब विदेशी चीजे इस्तेमाल करनेका परवाना हासिल कर लेते हैं, वे खादीके मूलमे पडी हुई भावनाको नही समझते, और इसलिए उसे हानि पहुँचाते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१, और **नवजीवन**, ३-५-१९३१

११४. अहिंसाकी शक्ति[1]

मै एक सज्जन द्वारा लिखे गये गुजराती पत्रका नीचे अनुवाद दे रहा हूँ:

> हिन्दुस्तानको दुनियाके लोकमतकी नगण्य सहायता मिली है, तिस पर भी गाधीजी उसे पूरी-पूरी सहायता क्यो कहते हैं? निःशस्त्र शक्ति द्वारा लड़नेवाले राष्ट्रकी दशा एक स्त्रीकी-सी है। उसे शास्त्रधारियोने जिस लाठी प्रहार आदि द्वारा अनेक प्रकारसे, जगहोमे क्रूरतापूर्वक सताया है, यह देखकर दुनियामे जैसा पुण्य-प्रकोप प्रज्वलित होना चाहिए था, वैसा कहाँ हुआ है? इस प्रकोपके अभावका अर्थ तो मानवताका अभाव है। यदि दुनिया आम तौरसे मानवताके अभावका परिचय दे, तो सत्यके शस्त्रकी विजय कैसे होगी? यदि सत्य और अहिंसाकी विजय होनी है, तो निःशस्त्र भारतीय जनताका खून बहते देख दुनियाका खून जैसा खौलना चाहिए, वैसा नही खोला है। गाधीजी इस बातको इसी रूपमे क्यो नही देखते?

दुनियासे पूरी-पूरी सहायता या समर्थन मिलनेकी बात मैंने कही भी कही हो, तो उसे अनजाने की गई अतिशयोक्ति समझना चाहिए। यदि मैंने ऐसी कोई बात कही हो, तो वह मुझे बताई जानी चाहिए। मुझे तो इसकी कोई याद ही नही पडती।

ब्रिटिश सैनिक सत्ताके विरुद्ध लड़नेवाले नि.शस्त्र राष्ट्रकी तुलना किसी बदमाश के सामने खडी निस्सहाय स्त्रीकी दशासे करके लेखकने अहिंसाकी और स्त्रीकी शक्तिकी

१. इसी अभिप्रायका एक लेख **नवजीवन**, ३-५-१९३१ में "उनका खून खोल क्यों नहीं उठा" शीर्षकसे छपा था।

अवगणना की है। यदि पुरुष-वर्गने स्त्रियोको नि.सत्त्व न कर डाला होता, अथवा स्त्री भोगमे फँसकर पुरुषके अधीन न हुई होती, तो वह अपनी अनन्त शक्ति ससारको दिखा सकती थी। गत युद्धमे उसने अपनी शक्तिकी थोड़ी और अपूर्ण झाँकी कराई है। जब वे भी पुरुषोकी बराबरीसे सेवा-कार्यके लिए अवकाश प्राप्त कर लेगी, अपनी सघ-शक्ति बढा लेगी, तब इस देशको और जगत्को उनकी अद्भुत शक्तिके दर्शन होगे।

जिसके हाथमे अहिंसा-रूपी शस्त्र है, वह नि.शस्त्र है यह कहना भी ठीक नही। स्पष्टतः लेखक अहिंसाके सही उपयोगको नही जानता और न उसने उसकी असीम शक्तिको ही पहचाना है। यदि उसने उसका प्रयोग किया भी है तो यन्त्रवत् किया है। किसी और अच्छे साधनके अभावमें उसने काम-भर चलाया है। यदि उसका मन अहिंसाकी भावनासे ओत-प्रोत होता तो वह निश्चय ही जान लेता कि हिंस्र पशु तकको वशीभूत किया जा सकता है, हिंस्र मनुष्यको तो निश्चय ही।

इसलिए यदि पिछले वर्षके अत्याचारोसे दुनियाका खून नही खौल उठा तो इसका कारण दुनियाका अन्यायी या हृदयहीन होना नही है; बल्कि उसका कारण यह है कि हमारी अहिंसा व्यापक और हमारे उद्देश्यके लिए अच्छी भले ही थी तो भी वह शक्तिशाली और कुशल लोगोकी अहिंसा नही थी। वह जीवन्त विश्वाससे प्रेरित न होकर सिर्फ एक नीति थी, एक अस्थायी साधन थी। हमने अपने ऊपर होनेवाले प्रहारोके विरोधमे हाथ भले नही उठाया; किन्तु हमने मनमे क्रोध तो किया। हमारी भाषा और उससे भी बढ़कर हमारे विचार हिंसासे मुक्त नही थे। सामान्यतः हम हिंसापूर्ण कार्योसे दूर रहे; क्योकि हम अनुशासन-बद्ध थे। ससारने अहिंसाके सीमित प्रदर्शनसे भी चकित होकर बिना किसी प्रचारके हमारी पात्रताके अनुपातमे समर्थन और सहानुभूति दी। इसके बाद जो बच रहता है उसपर त्रैराशिकका हिसाब लागू करके देख लेना चाहिए। जब हालके सघर्षमे अहिंसाके सीमित और यन्त्रवत् उपयोगसे हमें इतना समर्थन प्राप्त हुआ है तब यदि हमने अहिंसाका पूर्ण पालन किया होता तो हमे और कितना समर्थन प्राप्त हो सकता था? ऐसा हो तो जरूर दुनियाका खून खौल उठे। मुझे मालूम है कि अभी यह पुनीत दिन बहुत दूर है। हमे कानपुर, बनारस और मिर्जापुरमें[1] अपनी दुर्बलताका आभास हुआ। जब हम अहिंसासे ओत-प्रोत हो जायेगे तब हम सिर्फ अधिकारी-वर्गसे होनेवाले सघर्षमे ही अहिंसाका पालन नही करेगे, बल्कि अपने आपसी झगडोमे भी करेगे। जब हमें अहिंसाकी शक्तिमे जीवन्त श्रद्धा होगी तो वह दिन-प्रतिदिन फैलती चली जायेगी और एक दिन सारे ससारमे उसकी ऐसी व्याप्त हो जायेगी कि ससारने ऐसी जबर्दस्त व्याप्ति कभी न देखी होगी। मै तो इसी विश्वासमे जी रहा हूँ कि हम अहिंसाके इस महान प्रयोगमें सफल होकर रहेगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९२१

१. अभिप्राय उक्त स्थानोंमें हुए साम्प्रदायिक दंगोंसे है।

११५. लोकतन्त्रके खतरे[1]

कोई भी मानव-सस्था ऐसी नही है जिसके अपने खतरे न हो। सस्था जितनी बडी होती है, उसके दुरुपयोगकी सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक रहती है। लोकतन्त्र एक महान सस्था है और इसीलिए उसके दुरुपयोगकी सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक है। इसलिए इलाज यही है कि दुरुपयोगकी सम्भावना कम-से-कम कर दी जाये, यह नही कि लोकतन्त्र ही न बनाये जायें।

काग्रेस एक विशाल लोकतान्त्रिक सस्था बन चुकी है। पिछले बारह महीनोके दौरान वह उत्कर्षकी एक ऊँची मजिलतक पहुँच गई है। लाखोकी तादादमें लोग बाकायदा सदस्योमे नाम लिखाये बिना ही काग्रेसमे शामिल हो गये है और इस तरह उन्होने उसकी शोभामे चार चाँद लगा दिये है। लेकिन साथ ही कांग्रेसमे गुडा-शाही भी इतनी बढ़ गई है जितनी पहले कभी नही थी। यह अनिवार्य ही था। स्वयसेवकोको चुननेके लिए निश्चित किये गये सामान्य नियमोको संघर्षके अन्तिम दौरमे मानो ताकपर ही रख दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि कुछ स्थानो पर गुडाशाही साफ दिखाई देने लगी है। कुछ काग्रेसियोको तो धमकियाँ तक दी गई है कि यदि वे माँगी गई राशि नही देंगे तो उनपर मुसीबत टूट पडेगी। जाहिर है कि पेशेवर गुडे भी इस माहौलसे फायदा उठाकर अपना धन्धा चालू कर सकते है।

ताज्जुबकी बात तो यह है कि इतने बड़े जन जागरणके अनुपातमें इस तरहके जितने मामले मेरे सामने आये है वे सख्यामे उससे तो कम ही है जितनेकी आशका की जाती थी। मेरा अपना विश्वास तो यह है कि इस सुखद स्थितिका कारण काग्रेस द्वारा अपनाया अहिंसाका सिद्धान्त है, भले ही हमने उसपर बड़े मोटे तौरपर अमल किया हो। लेकिन गुडाशाही इतनी तो अवश्य हुई है कि हम समय रहते चेते और उसकी रोकथामके लिए उपाय करे और आगेसे सावधानी रखे।

स्वभावतः मुझे जो उपाय सूझता है वह यही है कि शास्त्रीय पद्धतिसे तथा अधिक समझदारी और अनुशासित ढगसे अहिंसाके सिद्धान्तपर निश्चित रूपसे अमल किया जाये। पहली बात तो यह है कि हमने अहिंसाका जितनी दृढ़तासे पालन किया है, यदि उससे अधिक दृढता दिखाई होती तो एक भी ऐसे स्त्री-पुरुषको स्वयंसेवक न बनाया जाता जो स्वयसेवकोकी भर्तीके नियमोकी कसौटीपर बिलकुल खरे न उतरते। इसके विरुद्ध यह तो कोई दलील ही नही हुई कि तब उस स्थितिमे संघर्षके अन्तिम दौरके लिए कोई स्वयसेवक रह ही नही जाता और सघर्ष बिलकुल ही असफल हो जाता। मेरा अनुभव मुझे बिलकुल दूसरी ही सीख देता है। अहिंसक संघर्ष तो केवल एक ही सत्याग्रहीके बलपर भी चल सकता है; और लाखों गैर-सत्या-

१. नवजीवन, ३-५-१९३१ में भी इसी विषयपर एक लेख "घर फूटे घर जाये" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

यही साथ होनेपर भी नही चलाया जा सकता। फिर मैं तो शुद्ध अहिंसाके मार्ग पर चलते हुए, उससे किंचित् भी भटककर एक संदिग्ध किस्मकी सफलता प्राप्त करनेकी अपेक्षा, नितान्त असफलताको ही गले लगाना ज्यादा पसन्द करूँगा। जहाँतक अहिंसाका सम्बन्ध है, मुझे लगता है कि इसमे एक बिलकुल ही गैर-समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाये बिना, तनिक भी न झुकनेका सकल्प किये बिना, अन्तमें विपत्तिके अतिरिक्त कुछ हाथ नही लग सकेगा। और यह इसलिए कि यदि ऐसा किया गया तो हो सकता है कि संकटके निर्णायक क्षणोमें हम अपने-आपको अहिंसाकी कसौटीपर खरा सिद्ध न कर पाये और तब सम्भव है कि हम अपने विरुद्ध अव्यवस्था फैलानेवाली एकाएक खड़ी हो जानेवाली शक्तियोका सामना करनेके लिए अपने-आपको बिलकुल ही अप्रस्तुत और असमर्थ पाये।

पर अन्धाधुन्ध भर्तीकी यह गलती कर चुकनेके बाद, अब उससे हुई हानिकी पूर्ति करनेका अहिंसक उपाय क्या है? अहिंसाका अर्थ है उच्च कोटिका साहस और इसीलिए कष्ट-सहनके लिए तैयार रहना। इसलिए डराने-धमकाने, धोखा-धडी करने या इससे भी बुरी हरकतोके सामने हमें सिर नही झुकाना है, भले ही उसके कारण हममें-से कुछको अपनी बेशकीमत जाने गँवानी पड़े। धमकी-भरे पत्र लिखनेवालोको यह महसूस करा देना चाहिए कि उनकी धमकियोकी कोई परवाह नही की जायेगी। साथ ही, हमें उनको लगी बीमारीका ठीक-ठीक निदान करके उनका उचित उपचार करना चाहिए। गुंडे भी तो आखिर हमारे समाजके ही अग है और इसलिए उनका उपचार भी पूरी सहृदयता तथा सहानुभूतिके साथ किया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग गुडाशाही इसलिए नही किया करते कि उनको यही पसन्द है। यह वास्तवमें हमारे समाजमे व्याप्त एक किसी गहरे रोगका लक्षण है। हम शासन-तन्त्रमे व्याप्त गुडाशाहीके साथ अपने सम्बन्धोपर जिस नियमको लागू करते है, ठीक वही नियम समाजकी अन्दरूनी गुंडाशाहीके साथ हमे लागू करना चाहिए। और यदि हमे विश्वास हो गया है कि उस अत्यन्त ही सगठित किस्मकी गुडाशाहीसे अहिंसक ढगसे निबटनेकी सामर्थ्य हमारे अन्दर मौजूद है तो अन्दरूनी गुंडाशाहीसे इसी तरीकेसे निबटनेके लिए तो हमे अपने अन्दर कही अधिक सामर्थ्य महसूस करनी चाहिए।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस विराम-सन्धिके दौरान हालाँकि कांग्रेसी भी, अन्य सभी नागरिकोकी भाँति, पुलिसकी सहायता लेनेके लिए स्वतन्त्र है, फिर भी हमे इस रोगसे निबटनेके लिए पुलिसकी सहायता नही लेनी चाहिए। मैंने जो उपाय सुझाया है वह सुधार, हृदय-परिवर्तन और प्रेमका उपाय है। पुलिसकी सहायता लेना तो दण्ड, भय और यदि सचमुच अश्रद्धा नही तो श्रद्धाके अभावका मार्ग तो है ही। इसलिए हम दोनो तरीकोको एक साथ लेकर नही चल सकते। सुधारका मार्ग किसी-न-किसी मंजिलपर कठिन तो लगता है, पर वास्तवमे वह है सबसे अधिक सरल।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१

११६. अनुयायियों के लिए

एक मित्र लिखते हैं :

आपके अनुयायी जब राजनैतिक वाद-विवादमें भाग लें, तो उन्हें किस प्रकारका बरताव करना चाहिए। कृपया इस बारेमें कुछ सलाह दें। वह बहुत सहायक होगी। खासकर नीचे लिखी बातोंपर आपकी सलाह जरूरी है :

(१) प्रतिपक्षीकी ऐसी निन्दा करना, जिससे वह लोगोंकी नजरोंसे गिर जाये, उचित है या नहीं ?।

(२) प्रतिपक्षीकी कैसी टीका उचित कही जा सकती है ?

(३) विरोध किस हदतक किया जाये ?

(४) पद और सत्ता प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाये या नहीं ?

मै इन पृष्ठोमे पहले बतला चुका हूँ कि मै किसीको अपना अनुयायी नही मानता। मै स्वय अपना अनुयायी बनूँ, यही काफी है। यही एक पर्याप्त कष्टसाध्य काम है। लेकिन मै जानता हूँ कि बहुतेरे आदमी अपनेको मेरा अनुयायी बतलाते हैं। इसलिए मेरा उनकी खातिर इन सवालोका जवाब उचित होगा। यदि वे मेरे अनुयायी बननेके बजाय जिस वस्तुको मैं जीवनमे उतारनेका प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके अनुयायी बनेंगे, तो देखेंगे कि सत्य और अहिंसा से इन प्रश्नोके नीचे लिखे उत्तर निकलते है :

(क) विरोधीकी निन्दा कभी की ही नही जा सकती। लेकिन इसका यह मतलब नही कि उसके कार्योंका सच्चा वर्णन नही किया जा सकता। कोई विरोध करनेके कारण ही दुर्जन नही हो जाता। हम अपने लिए जितना भला होनेका दावा करते हैं, वह भी उतना ही भला आदमी हो सकता है; और फिर भी यह सम्भव है कि उसके और हमारे बीच महत्वपूर्ण मतभेद हो।

(ख) इसलिए हमारी टीका तो यह होगी कि अगर हम उसे झूठा मानते है, तो उसके असत्यका सत्यसे, अविवेकका विवेकसे, उद्दण्डताका शान्तिपूर्ण साहससे, हिंसाका सहनशीलतासे, अहकारका नम्रतासे और बुराईका भलाईसे सामना करे। 'मेरा अनुयायी' निन्दा करनेकी नही, बल्कि हृदय-परिवर्तनकी पूरी कोशिश करेगा।

(ग) यह तो सवाल ही नही उठना चाहिए कि विरोध किस हदतक किया जाये। क्योकि विरोध व्यक्तिके साथ न होकर उसके उन कार्योके प्रति होना चाहिए जो सदाचार या समाज-हितके विघातक हो।

(घ) पदो और सत्तासे अलग रहना चाहिए। पर यदि यह स्पष्ट दिखता हो कि उनके माध्यमसे अधिक सेवा हो सकेगी, तो उन्हे स्वीकार किया जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१

११७. फिर विदेशी मिशनरियोंके बारेमें

प्रिय महात्माजी,

. . . मेरे[1] एक मित्रने मुझे 'मद्रास कैथोलिक लीडर'का २६ मार्चका अंक दिया और उसमें आपके द्वारा ये विचार व्यक्त किये जानेके समाचार हैं:–

प्रत्येक राष्ट्रका अपना धर्म अन्य किसी भी राष्ट्रके धर्म जितना ही श्रेष्ठ होता है। निश्चय ही भारतके धर्म उसकी अपनी जनताके लिए पर्याप्त हैं। हमारे यहाँ धर्म-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं।

मैं एक ईसाई हूँ; निश्चय ही मैं इस बातके तो विरुद्ध हूँ कि ईसाइयतको साम्राज्यवादके प्रसारके एक साधनके रूपमें प्रयुक्त किया जाये। परन्तु कौन है जो प्रेम और भाईचारेके एक सन्देशके रूपमें ईसाइयतको भारतीय जीवनमें स्थान देनेसे इनकार करे? स्वराज्यके इस महान आन्दोलनमें क्या हम स्वतन्त्रताके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं–अपनी पसन्दके मुताबिक ईश्वरकी आराधना करनेकी स्वतन्त्रता, जो इच्छुक हो अपने उन साथियोंको अपने विचारोंसे सहमत करनेकी स्वतन्त्रता, या जो हमें विश्वास दिला सकते हों, अपने उन साथियोंसे सहमत होनेकी स्वतन्त्रता। . . . क्या भारतीय जनता इतनी धर्मान्ध हो गई है कि वह सोचती है कि संसारकी समूची विभूतियाँ, ज्ञान और मानव-अनुभूतियों का सारा भण्डार उसके अपने ही देशमें है, अन्य कहीं नहीं? . . .

मेरी मान्यता है कि धर्म और सदाचरण सम्बन्धी धारणा व्यक्तिके अपने क्षेत्रका विषय है। धर्म, चिन्तन और व्यक्ति-परक अनुभूतिके उन विराट् व्यापक क्षेत्रमें रमता है जो राष्ट्रों और राष्ट्र-गत सीमाओंसे परे हैं।...
परन्तु मैं जानना चाहूँगा कि आपने यदि वे विचार प्रगट किये हैं तो उनसे आपका आशय क्या है; क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि यह बात मेरी समझ नहीं आई है।

मैं समझता हूँ कि इस पत्रके[2] उत्तरमें इतना ही काफी है कि मैं पत्र-लेखकका ध्यान 'यंग इंडिया'में प्रकाशित अपने लेखकी[3] ओर आकर्षित कर दूँ। यहाँ शायद यह बतला देना भी ठीक रहेगा कि भारतके धर्मोंमें हिन्दू धर्म, इस्लाम, पारसी धर्म इत्यादिको गिनाते समय मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है कि मैं इनको केवल भारतका धर्म कहूँ या ईसाई धर्मको इनसे अलग कर रखूँ। प्रश्न वास्तवमें इन दो बातोंको

१. जेम्स पी० रत्नम्, सेंट जेवियर्स, जुवारा इल्पिया, श्रीलंका।
२. ११ अप्रैलको लिखे गये इस पत्रके कुछ ही अंश यहाँ दिये गये हैं।
३. देखिए "विदेशी मिशनरी", २३-४-१९३१।

लेकर है: एक यह दावा है कि ईसाई धर्म ही सच्चा धर्म है और दूसरा यह कि और अन्य सभी धर्म मिथ्या है। मैंने इन्ही बातोका खण्डन करते हुए कहा था कि भारतमे ईसाई धर्मके अलावा जिन अन्य महान् विश्वव्यापी धर्मोका प्रचार है, वे भी उतने ही सच्चे धर्म है। इसलिए ईसाई मिशनरियो और उनके प्रचारकोके सामने मेरा यह आग्रहपूर्वक कहना न तो सगत था और न आवश्यक ही कि ईसाई धर्म भी एक सच्चा धर्म है। फिर जब सभी जानते है कि ईसाका गिरि-शिखरपर दिया गया उपदेश मुझे कितना प्रिय है और मै बार-बार कह चुका हूँ कि ईसाको मै मानवताके महानतम शिक्षकोमे लेखता हूँ, तब मै सोच भी नही सकता कि मुझपर ईसाई धर्मका महत्व कम ऑकनेका आरोप भी किसी तरह लगाया जा सकता है। भारतीय ईसाइयोमे तो मेरे अनेक अच्छे मित्र है और मै जहाँ-जहाँ भी गया हूँ मुझे ईसाई जनताके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेमें कभी कोई कठिनाई नही पडी। फिर मेरे मनमे विदेशी मिशनरियोसे अपने सम्बन्ध बिगडनेका कोई भय भी नही है। उनमे मेरे अनेक निजी मित्र है। इसलिए मुझे अपने ऊपर इस आक्षेपको देखकर बडा आश्चर्य हुआ, विशेषकर इसलिए कि वे वही विचार है जो मै १९१६ से व्यक्त करता आ रहा हूँ। उस समय मैंने अपने विचार बहुत ही सोच-समझकर, सावधानीसे लिखे गये एक भाषणमे केवल मिशनरियोके बीच मद्रासमें पढकर सुनाये थे, और उसके बाद मै अनेक ईसाई सभाओमें उनको दोहरा चुका हूँ। हालकी आलोचनाने मेरे मतकी पुष्टि ही की है, क्योकि मुझे मैत्रीपूर्ण ढगसे की गई इस आलोचनामें भी असहिष्णुताकी झलक मिली है। मिशनरी लोग जानते है कि उनके तरीकोकी खुली और स्पष्ट आलोचना करनेके बावजूद भारतकी गैर-ईसाई जनतामे मुझसे अच्छा उनका कोई और मित्र नही है। अपने आलोचकोसे मै कहूँगा कि यदि वे अपने मतसे भिन्न, ईमानदारीसे प्रकट किये गये अन्य किसी मतको सहन तक नही कर सकते, तो उनके तरीकोमे या यदि उनको आपत्ति न हो तो मै कहूँगा खुद उनमे ही, कही कोई दोष जरूर है। मै निस्सन्देह कह सकता हूँ कि भारतमे स्वराज्य आनेपर विदेशी मिशनरियोको जैसा मै मानता हूँ, गलत ढगसे धर्म-परिवर्तन करानेकी स्वतन्त्रता तो बनी रहेगी, परन्तु उनसे यह भी आशा की जायेगी कि तब मेरी भाँति यदि अन्य लोग कहे कि उनके तरीके गलत है तो वे उसको सहन करेगे, उसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१

११८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

इसी महीनेकी ३० तारीखके आपके पत्रके[1] लिए धन्यवाद। सर मालकम हेली जो कहते हैं, मैं उसे भली-भाँति समझ सकता हूँ। मेरे लिए इससे बढकर खुशखबरी दूसरी हो ही नही सकती कि किसानोको जरूरी राहत मिल जानेके कारण अब सर मालकम हेलीसे मुझे मिलनेकी जरूरत ही नही रही।

मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें आपकी जिज्ञासाके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। अब स्वास्थ्यमें कोई खराबी नही है। फिर भी थोडा आराम जरूरी है। मौजूदा परिस्थितियोमे, जितना हो सकता है उतना आराम मैं ले रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह-सचिव, भारत सरकार
शिमला

[अंग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३-११ और के० डब्ल्यू० १९३१
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

११९. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

स्थायी पता, साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

इसी महीनेकी ४ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं आपके अगले पत्रकी प्रतीक्षा करूँगा। आपको याद दिला दूँ कि सशोधित नोटिस जिसकी प्रतिकी पहुँच आपने अपने पत्रमे दी है, वाइसराय महोदयको केवल एक मामलेको निपटानेमें ही सहायक हो सकती है, जब कि मेरे मूल पत्रमें[2] कई विषयोकी चर्चा की गई है, जिनमेंसे एक बिना लाइसेंस शराबकी बिक्रीका मामला अब दिनो-दिन फौरी बनता

१. देखिए परिशिष्ट ५।
२. देखिए "पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको", २२-४-१९३१।

जा रहा है; क्योंकि लगता है कि इस तरहकी शराबकी विक्री बढ़ती जा रही है। वाइसराय महोदय शायद इसे स्वीकार करेंगे कि यह तो समझौतेका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है।

मै एक और मसला उठाना चाहता हूँ। 'यग इडिया'का छापाखाना[1] अबतक भी लौटाया नही गया है। जिला अधिकारीका सुझाव है कि छापेखानेके प्रवन्धकको उन मशीनोको जहाँ वे पडी हैं वहाँसे उठाकर ले जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ मशीनें बम्बईमे और कुछ अहमदावादमे पडी भी है। खेडाके जिला अधिकारीने खेडामे ही कही पडी मोटर और एक साइकिलके सम्बन्धमे यही विधि सुझाई है। समझौतेकी धारा १६ (क) मे यह व्यवस्था स्पष्ट रूपसे रखी गई है कि आन्दोलनके सिलसिलेमे सरकारी कब्जेमे ली गई चल-सम्पत्ति लौटा दी जाये। इसमें यह नही कहा गया है कि कब्जेमे ली गई सम्पत्तिको वापस करानेके लिए सम्बन्धित व्यक्ति प्रार्थनापत्र दे; वह तो लौटाई ही जानी है। यदि असगत न हो तो मै यह उल्लेख भी करना चाहूँगा कि "लौटाना" शब्द बहस-मुबाहिसेके बाद चुना गया था। मैं यह भी लिख दूँ कि यद्यपि 'यग इडिया'के छापेखाने और कब्जेमे ली गई अन्य सम्पत्ति की दशाके बारेमें मुझे कोई जानकारी नही है; लेकिन इतना जानता हूँ कि खेडामें कब्जेमें ली गई मोटर और बाइसिकल निस्सन्देह खराब हालतमें है। और यह तो हम दोनो ही मानते हैं कि कब्जा लेनेके समय वे चालू और अच्छी हालतमें थी। खेड़ाके जिला अधिकारीने मेरे पत्रके उत्तरमें इन वस्तुओके बारेमे यह लिखा है:

> मोटर गाड़ी और साइकिलकी वापसीमें सरकारने आदेश जारी कर दिये हैं कि सामान्यतः अध्यादेशके अन्तर्गत कब्जेमें ली गई सम्पत्तिके मालिकसे उसे वहींसे उठा लेनेके लिए कहा जाये, जहाँ वह पड़ी हो; सरकार उसे यथास्थान पहुँचानेका खर्च नहीं उठा सकती। मेरे पास ऐसी कोई मद नहीं है जिसमें मोटर गाड़ीको ठेलकर पहुँचानेके खर्चकी व्यवस्था की जा सके। मुझे बताया गया है कि मोटर ऐसी हालतमें नहीं है कि उसे चलाकर नडियाद तक ले जाया जा सके। मै कल खेड़ामें रहूँगा और मेरा सुझाव है कि उसका मालिक उसे मेरे दफ्तरसे उठवा ले। अगर वह समझता है कि उसे इस मोटरको वहाँ पहुँचाने तथा उसकी मरम्मत आदिका खर्च सरकारसे वसूल करनेका अधिकार है, तो वह सरकारके नाम अपना बिल भेज दे और सरकार निस्सन्देह इस पूरी परिस्थितिके बारेमें सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करेगी और तभी मामलेमें निर्णय दिया जा सकता है; लेकिन इस समय तो गतिरोध है जिसका परिणाम है कि मोटर गाड़ीकी हालत और भी अधिक खराब होती जा रही है।

१. इसे सन् १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान १९१० के प्रेस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारोंको बहाल करनेके लिए दिनाँक २७ अप्रैलको जारी किये अध्यादेशके अन्तर्गत जमानतका पैसा जमा न करानेके कारण सरकारी कब्जेमें ले लिया गया था। देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", २-६-१९३१ भी।

यहाँ मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि इन वस्तुओंको उसी दशामें लौटाया जाना चाहिए जिस दशामें इन्हें कब्जेमें लिया गया था। मैं नहीं जानता कि सरकारी अधिकारियोंको इन वस्तुओंका उपयोग करनेका कोई अधिकार था या नहीं, लेकिन यदि था भी और यदि उनके उपयोगसे इनमें टूट-फूट हुई है तो लौटाते समय ये वस्तुएँ अच्छी हालतमें तो होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार इन दो मामलों पर तत्काल ध्यान दे। विना लाइसेंसके शराबकी बिक्रीके कारण उन लोगोंपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड रहा है जो धीरे-धीरे शराब पीनेकी आदत छोड रहे थे। इसी प्रकार कब्जेमें लिये गये रोजाना इस्तेमालके सामानको रोक रखनेसे उनके मालिकोंको घाटा उठाना पड रहा है और असुविधा भी।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एम० मैक्सवेल
वम्वईके महामहिम राज्यपालके निजी सचिव
महावलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० कमेटी, फाइल संख्या ४, १९३१, भाग १, पृष्ठ २७-२८।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. मैक्सवेलने १३ मईके अपने उत्तरमें कहा था: "समझौतेकी धारा १६ (क) में उल्लिखित "लौटाना" शब्दका आपने यह अर्थ लगानेकी बात सुझाई है कि सम्पत्तिको उसी स्थानपर वापस पहुँचाया जाये जहाँ वह कब्जेमें ली गई थी"। खुद समझौतेकी शर्तोंमें इस तरहके स्पष्टीकरणके अभावमें सरकार सम्बन्धित शब्दका सामान्यसे हटाकर कोई अन्य अर्थ लगानेमें असमर्थ है; और सामान्य अर्थ है· "वापस दिया जाये।" सरकार समझौतेपर अमल करनेके लिए हमेशा तैयार होते हुए भी यह बात न्यायसंगत नहीं मानती कि कब्जेमें लिये गये सामानको जिन स्थानोंपर वे इस समय हैं, वहाँ से पहलेके स्थानतक ले जानेका खर्च कर-दाताओंपर डाला जाये। मैं यह भी उल्लेख कर दूँ कि आपकी यह धारणा समझौतेकी किसी भी धाराके अधीन नहीं आती कि जब्त मालको उसी हालतमें जिसमें उसे कब्जेमें लिया गया था, लौटानेकी जिम्मेदारी सरकारकी है। इसके विपरीत, समझौतेकी धारा १६ (ग) में स्पष्ट रूपसे उल्लेख है कि "बिगाड आदिके लिए कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा"। "मैं यह उल्लेख कर दूँ कि १९३० के अध्यादेश ९ की धारा ४ (३) में तो यह भी उल्लेख है कि अगर सम्पत्ति जब्त नहीं हुई है पर कब्जेमें ले ली गई है तो उसका उपयोग भी मजिस्ट्रेटके आदेशानुसार किया जा सकता है। मोटरगाडी और साइकिलको तो वस्तुतः जब्त किया गया था और यदि उनको बेचा या नष्ट कर दिया जाता तो उनके पहले मालिकका उसपर कोई अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि समझौतेके खण्ड १६ (क) में कब्जेमें ली गई चल सम्पत्तिको उसी अवस्थामें लौटानेकी व्यवस्था है यदि वह तब भी सरकारके कब्जेमें हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप जब्तशुदा सामानको अविलम्ब अपने कब्जेमें लेनेकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यदि सम्बन्धित व्यक्ति समझौतेकी धारा १६ (क) के अधीन की गई व्यवस्थाका लाभ नहीं उठाते, तो अनिश्चित कालतक इनकी रखवाली करना सरकारके लिए सम्भव नहीं होगा।"

१२०. पत्र : जी० वी० केतकरको[1]

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं कोई निश्चित राय दे सकूँ, इसके लिए मैं यह अवश्य चाहूँगा कि शकररावके विचार भी जान लूँ। उनके विचार मालूम होनेतक मुझे आपकी इस बातसे सहमत होनेमें कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस कमेटियोंमें परस्पर सहमतिसे सभी दलोंको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या फिर गलत किस्मकी किसी खींचतानके बिना, बिलकुल खुला, सीधा-सच्चा चुनाव होना चाहिए। आप अपना पत्र और मेरा उत्तर शकररावको दिखा दें और यदि वे मेरी रायका विरोध करना चाहें तो विरोधमें वे जो भी कहना चाहें, उनको कहने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्रमें दोनों दलोंके[2] बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों, जिससे उनके सम्बन्ध अविच्छिन्न ही न रहें, बल्कि अधिक सशक्त बनते जायें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० वी० केतकर
केसरी और मराठा कार्यालय
५६८, नारायण पेठ
पूना नगर

अंग्रेजी (जी० एन० ७९६२) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ९८१ से भी।
सौजन्य : जी० वी० केतकर

१. लोकमान्य तिलकके नाती।
२. उत्तरदायी सरकारका हामी दल और असहयोगी दल।

१२१. पत्र : खानचन्द देवको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय लाला खानचन्द,

केन्द्रीय सरकारकी ओरसे मेरे पास भेजी गई एक शिकायतकी नकल भेज रहा हूँ। क्या आप इसकी ब्यौरेवार जाँच करके जितना भी शीघ्र हो सके मुझे उसका परिणाम सूचित करनेकी कृपा करेंगे?

हृदयसे आपका,

सलग्न : १

लाला खानचन्द देव
ब्रेडलॉ हाल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५८)की माइक्रोफिल्मसे।

१२२. पत्र : जी० रामचन्द्रन्को

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय रामचन्द्रन्,

इतने लम्बे अर्से बाद आपका पत्र पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। सचमुच मैंने मौखिक रूपसे और पत्रोंके जरिए भी, कितने ही लोगोसे आपके बारेमें पूछताछ की थी। मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि आप किसी जेलखानेमें आराम फरमा रहे हैं। जब भी आप चाहे और आपसे बन पडे मुझसे मिलने जरूर आयें।

श्रीयुत जी० रामचन्द्रन्
नारायणथ हाउस
तैकाड, त्रिवेन्द्रम

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५९)की माइक्रोफिल्मसे।

१२३. पत्र : एच० डब्ल्यू बी० मोरेनोको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिल गया। जैसा कि आप चाहते है, मै 'यग इडिया' के पृष्ठोमें इस विषयके बारेमे अवश्य लिखूंगा और इसीलिए आपको यहाँ ब्यौरेवार उत्तर लिखनेकी जरूरत नही समझता। आपने जिसकी प्रति सलग्न की थी, उसका मूल मेरे पास नही पहुँचा।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनो
प्रधान अध्यक्ष, एग्लो इडियन लीग
९, मार्सडेन स्ट्रीट, कलकत्ता

अग्रेजी (एस० एन० १७०६०)की माइक्रोफिल्मसे।

१२४. पत्र : के० एस० नागराजनको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका ११ मार्चका पत्र इतने सप्ताहोतक मेरी फाइलमें ही रहा, पर उत्तर देनेमे यह विलम्ब अनिवार्य ही था।

आप यदि वास्तवमे पाशविक वृत्तियो — वासनाओसे मुक्त है, तो अपने आपको मुक्त बनाये रखनेका आपको पूरा अधिकार है। आपको अपने विचारो और अपनी मनोदशासे पत्नीको अवगत करा देना चाहिए। और यदि वह अपनी ओरसे अपनी वासनाको सयत नही रख सकती, तो उसे यह समझ लेने दें कि विवाहको वैधानिक मान्यता देनेवाले सहवासके अभावमे विवाह ही पूर्णताको प्राप्त नही हुआ है और इस कारण वह यह माननेके लिए स्वतन्त्र है कि वर्तमान विवाह तो विवाह ही नही है; इस तरह वह अपनी पसन्दका विवाह करनेके लिए बिलकुल स्वतन्त्र है। यदि उसे लोकापवादका भय हो, तो आपको उसे लोकमतकी उपेक्षा करनेमे सहायता देनेका वचन देना और हर तरहसे उसका मार्ग सरल तथा सुगम बनाना चाहिए। मै इस बातसे विल-

१. देखिए "आँगल-भारतीय", १४-५-१९३१।

कुल सहमत हूँ कि यदि आपके मनमें वास्तवमें वैसी कोई इच्छा न हो, तो किसी भी स्थितिमें पत्नीके साथ आपका सह-शयन अपेक्षित नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० एस० नागराजन
२३३, लॉयोला होस्टल
कैथेड्रल डाकखाना, मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १७०६२)की फोटो-नकलसे।

१२५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

बोरसद
७ मई, १९३१

प्रिय जयरामदास,

यह पत्र[1] आपकी जानकारीके लिए है। यदि आपके पास कहनेको कुछ हो, तो मेरा मार्ग-दर्शन करनेकी कृपा कीजिए।

हृदयसे आपका,
गांधी

संलग्न–१

श्री जयरामदास दौलतराम
स्वराज्य आश्रम, बारडोली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१२६. वक्तव्य : धरनेके बारेमें

बोरसद
८ मई, १९३१

यह जानकर आश्चर्य होता है कि श्री ग्रे[2] जैसे जिम्मेदार अंग्रेज भी वास्तविक परिस्थितिसे कितने अनभिज्ञ हैं। मुझे उनपर अनभिज्ञ होनेका दोष इसलिए लगाना पड रहा है कि मैं अपने-आपको यह समझा ही नहीं पाता कि वे जान-बूझकर

१. मीरपुरखास (सिन्ध) जिला कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष वतन जी० गिदवानीसे। उन्होंने किसी ठाकुरदासका उल्लेख किया था, जो अपने-आपको कांग्रेस समितिके मन्त्री बतलाते थे और विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारके सिलसिलेमें किये गये कांग्रेसके निर्णयके विरोधमें वस्त्र व्यापारियोंको विद्रोहके लिए भड़का रहे थे।

२. सूतकार और निर्माता संघके कार्यकारी अध्यक्ष।

वास्तविक परिस्थितिको तोड-मरोडकर पेश कर रहे है। दिल्ली समझौतेमे यह बात बहुत स्पष्ट रूपसे स्वीकार की गई थी कि धरने बिलकुल शान्तिपूर्ण होने ही चाहिए, उनमे किसी भी प्रकारकी धमकी, भय या बल-प्रयोगसे काम नही लिया जायेगा। इस बातपर मेरा बड़ा आग्रह था कि इस शर्तका पालन किया ही जाये और अधिकाश मामलोमे यह हो भी रहा है। अगर आतक, बल-प्रयोग अथवा धमकानेका कोई प्रामाणिक मामला सामने रखा जाये तो मै ऐसे हर मामलेमे नि सकोच धरना स्थगित करनेकी सलाह दूंगा और उसपर आग्रह करूँगा। मैं जानता हूँ कि अपनी दृष्टिसे भी समझौतेको ज्यादा-से-ज्यादा सख्तीके साथ लागू करना कितना महत्व रखता है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-५-१९३१

१२७. तार : कावसजी जहाँगीर (छोटे)को[1]

बोरसद
८ मई, १९३१

सर कावसजी जहाँगीर (छोटे)
नेपियन सी रोड
बम्बई

विस्तृत तारके लिए धन्यवाद। शीघ्र जाँच-पडताल कर रहा हूँ। निश्चित रूपसे आश्वासन दे सकता हूँ, सरदार गरदा या उनके साथियोको (हानि) नही पहुँचाई जायेगी।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सख्या १६-सी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. कावसजी जहाँगीर (छोटे)के तारके उत्तरमें जो इस प्रकार था · "समझौतेके बादसे तग किये जानेके बारेमें गरदाकी शिकायत। २७ तारीखको वखारियाकी जिन फैक्टरीमें कपास के जाते समय उसके आदमियोंको गालियाँ दी गई। २८ तारीखको बावलाके लोगोने मजदूरोंको डराया और झोंपडियों तथा उनमें रहनेवालोंको जला देनेकी धमकियाँ दीं। २९ तारीखको उनके नवसारी स्थित बंगलेके पिछवाड़ेसे पथराव किया गया और ठीक उसी समय एक लारीमें खचाखच भरे हुए व्यक्तियोंने बगलेके सामने से भी पथराव किया जिससे सिद्ध होता है कि कार्य योजनापूर्वक किया गया था। सरभोणमें उनके पुत्रकी हंसी उड़ाई और तिरस्कार-सूचक आवाजें लगाई। इससे जाहिर है कि वे लड़ाईपर आमादा थे। और अधिक सुस्पष्ट उदाहरण जुटानेके लिये गरदाको तार दे रहा हूँ। हार्दिक अनुरोध है कि यदि ये आरोप सही हों तो उनको तग करना तुरन्त बन्द कर दिया जाये। पत्र भी भेज रहा हूँ।"

१२८. पत्र : गंगावहन वैद्यको

सुवहकी प्रार्थनाके वाद, शुक्रवार [८ मई, १९३१][1]

चि० गंगावहन,

तुम्हारा पत्र मिला।

काकु[2] का भाई चल वसा, उसका दुःख मत मानना। ऐसा तो ससारमें होता रहेगा। शरीरको चूडीकी उपमा ठीक ही दी गई है। जितनी देर चूडीको टूटनेमें लगती है, शरीरको टूटनेमे उतनी देर भी नही लगती। यत्नपूर्वक रखें तो कांचकी चूडी हजारो वर्ष टिक सकती है। किन्तु शरीर तो सौ वर्षसे ज्यादा चलता ही नही। और सौ वर्ष भी कोई-कोई व्यक्ति ही जीता है। काकुका भाई गया किन्तु उसके शरीरमे रहनेवाली आत्मा नही गई। उसके तो कोई भाई नही था या उसके सभी भाई थे। इसलिए किसी सम्वन्धीकी मृत्यु हो, तो हम उससे सहिष्णुता, वैराग्य और ज्ञान वढाये, मोहमे न पडे। . .[3] काकु अपने धर्मको भूला, इस वातका उसके भाईकी मौतसे कोई भी सम्वन्ध नही। उसे इस वातकी याद मत कराना। अव काकु चाहे तो वही रहे और कमाये। उसकी सेवा-कार्यमें पड़नेकी इच्छा जव हो तभी उसमे पड़े।

मै सोमवारको शिमला जानेके लिए यहाँसे रवाना होऊँगा। उससे पहले आ जाना। वम्वई जानेकी तो जरूरत नही दिखाई देती। किन्तु मन न माने तो हो आना।

वापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

वापुना पत्रो : ६ : गं० स्वा० गंगावहनने तथा सी० डब्ल्यू० ८७७४से भी।

सौजन्य : गगावहन वैद्य

१. शिमला-यात्राके उल्लेखसे।

२. पुरुषोत्तम डी. सरैया, गगावहनका नाती।

३. मूलके अनुसार।

१२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बोरसद शिविर
८ मई, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा तार मुझे मिल गया था और पिछले महीनेकी ३० तारीखका पत्र भी अब मिल चुका है, लेकिन उससे पहलेका नही मिला। निश्चय ही तुम्हारे अविलम्ब लौटनेकी ऐसी कोई जरूरत नही है। तुम्हारे तारसे मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुमने अपने पत्रमे जिस कड़ी सर्दीका जिक्र किया है, उसके बावजूद तुम सब लोगोका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहा। वार्ता भग होनेके बारेमे तुमने समाचारपत्रोमे जो देखा, वह बिलकुल ही निराधार नही था; लेकिन अभी इस समय तो गुजरातमे उसके भंग होनेका फौरी खतरा नही दिखाई देता। मै अगले सप्ताह कई अनिर्णीत मामलोके बारेमे श्री एमर्सनसे बातचीत करने शिमला जा रहा हूँ और उन्होने अपने पत्रमे लिखा है कि सयोगसे उसी समय गोलमेज परिषद्के बारेमे भी सरकारके साथ बातचीत हो जायेगी। वे चाहते है कि १८ तारीखको या इसके आसपास ही मै नैनीताल भी चला जाऊँ। पता नही, इन दिनो सयुक्त प्रान्तमे कैसा-क्या चल रहा है। लेकिन मेरा नैनीताल जाना ठीक ही रहेगा। हिन्दू-मुसलमान समस्याके बारेमें तुमने इतनी स्पष्टवादितासे अपने विचार लिखकर सचमुच बहुत ही ठीक किया। तुम यदि इतनी स्पष्टवादितासे काम न लेते, तो मेरे दिलको ठेस लगती। मै तुमको गलत न समझ लूं, ऐसी तनिक-सी भी कोई शंका मनमे रखे बिना अपने विचार व्यक्त कर देनेका तुमको पूरा अधिकार है। जाहिर है कि मै तुम्हारा लगाया गया आरोप स्वीकार नही करता। मैंने इस बातका हमेशा काफी एहतियात बरता है कि मै जो भी कह रहा हूँ, वे मेरे अपने विचार हैं। जबतक हम अपनी एक कोई स्पष्ट नीति तय नही कर लेते, तबतक मै अपने व्यक्तिगत विचार ही तो व्यक्त कर सकता हूँ? लेकिन ऐसे अवसर अनेक नही आये। मै तुम्हारी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि डॉ० अन्सारीने अनेक व्यक्तियो द्वारा पच-फैसला करानेका जो प्रस्ताव सुझाया है, वह बडा ही अव्यावहारिक है। और उसका कोई परिणाम भी नही निकला। डॉ० महमूदकी शका नितान्त निराधार है। मैंने उनके कहनेपर नवाब भोपालसे मुलाकात की थी और उनके साथ हिन्दू-मुस्लिम-समस्यापर चर्चा होनेपर मैंने स्वाभाविक तौरपर उनसे कह दिया था कि वे शौकत अली और उनके अन्य मित्रोको बुला सकते है और उनकी रायमे अगर कुछ करनेकी स्थिति हो तो वे मुझे भी भोपाल बुला सकते है। मै उनसे यह नही कह सका कि उनको बिलकुल ही कोई काम नही करना है। श्रीमती नायडू उसी दिन शौकत अलीको लेकर मणिभवन आई थी। नवाब भोपालके साथ हुई अपनी बातचीत मैंने उनको

सुना दी थी। इससे आगे कुछ नही हुआ। मैंने आगे कोई कार्रवाई नही की और इससे अधिक एक पंक्ति भी नही लिखी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ; वह तो मैं सचमुच कर भी रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब डॉ० महमूदने शिकायत की[1] कि मैंने चुप बने रहनेका जो समझौता हुआ था, भंग कर दिया है, तब मैंने उनको भी यही बात लिख दी थी। पूरी तरह स्वस्थ होकर तुम्हारे लौटनेपर हमें कार्यसमितिकी बैठक बुलानी चाहिए और यदि हम उसमें सभी कांग्रेसियोंके मार्ग-दर्शनके लिए कोई नीति-सूत्र निश्चित कर सकें तो मेरे लिए उससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और कोई नही होगी। व्यक्तिगत तौरपर फिलहाल मैं इसी निष्कर्षपर पहुँच रहा हूँ कि मेरा वही विचार ज्यादा सही है जो मैंने तुम्हारे रवाना होनेके दिन या उससे एक दिन पहले तुमको बतलाया था। जाहिर है कि तुम बम्बई पहुँचनेपर सबसे पहला काम यही करोगे कि मेरे ठिकानेका पता लगा लो। ज्यादा सम्भावना इसी बातकी है कि उस समय मैं बारडोली या बोरसदमें रहूँगा।

हिन्दू-मुस्लिम एकताके बिना लदन जाना नही होगा।

तुम सबको प्यार।

बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
नुवारा इलिया
श्रीलंका

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१३०. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको

[स्थायी पता,] साबरमती
८ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके २४ अप्रैलके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिसका जिक्र किया है, वह एक बहुत ही नाजुक मामला है। भगतसिंहका जीवन रूमानियतकी चादर ओढे हुए है। वे बुजदिल नही थे। मैंने जितनी भी पूछ-ताछ की है, उससे यही पता चला है कि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था और वे अपूर्व साहसी थे। कुछ तरुणोंपर उनका प्रभाव बडा गहरा था। किसी-न-किसी तरह उनके मनमें यह विश्वास जम गया था कि राजनीतिक हत्याओंकी अपनी उपयोगिता होती है। भगतसिंह और उनके साथियोंकी फाँसीको अनदेखा करना असम्भव था। मैं समझता हूँ कि उन्हे फाँसी

१. देखिए "पत्र : डॉ० महमूदको", ४-५-१९३१।

देना सर्वथा अविवेकपूर्ण था। फाँसीने उनको शहीद बना दिया। मेरे मनमे तनिक भी सन्देह नही है कि फाँसीने उनके जीवनको एक ऐसे आलोकसे मण्डित कर दिया है जो अन्यथा सम्भव नही था। इसलिए काग्रेसके सामने बस एक ही मार्ग रह गया था। काग्रेस एक ऐसा प्रस्ताव[1] पास करनेपर विवश हो गई थी जिसमे हत्याके प्रयासो और उनपर दी जानेवाली फाँसियोकी भी निन्दा की जाये और साथ ही उनके ऐसे प्रयासोको प्रेरणा देनेवाली वीरता और बलिदान सम्बन्धी उनकी भावनाकी सराहना भी की जाये। पर मै आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि इस प्रस्ताव से राजनीतिक हत्याको किसी बडे पैमानेपर निश्चय ही अविवेकपूर्ण समर्थन मिला है। हममे से अनेक लोग हिंसात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलनका बढाव रोकनेके लिए अपनी ओरसे सभी प्रकारकी कोशिश कर रहे है। उसपर हमने काबू भी पा लिया है; लेकिन यह सही है कि जब-तब हिंसात्मक रूपमे फूट पडनेवाली यह भावना, मै समझता हूँ, तबतक पूरी तरह दम नही तोडेगी जबतक भारत स्वाधीन नही हो जाता। मै आपका पत्र प्रकाशित नही कर रहा हूँ, क्योकि इसके प्रकाशनसे उस उद्देश्यको बल नही मिलेगा जिसे लेकर हम दोनो चल रहे है।

हृदयसे आपका,

सर डार्सी लिडसे
मैडेलियु
केन्स, ए० एम०
[फ्रास]

अग्रेजी (एस० एन० १७०६४) की माइक्रोफिल्मसे।

१३१. पत्र : 'लिविंगस्टन ऐंड डौल' को

[स्थायी पता,] साबरमती
८ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

मै आपके गत ३ मार्चके पत्रके सन्दर्भमे श्री डौलके नाम वकालतनामा करके उसे यथाविधि अपने हस्ताक्षरके साथ सलग्न कर रहा हूँ।

आपका,

सलग्न–१

सर्वश्री लिविंगस्टन ऐंड डौल,
सॉलिसिटर ऐंड नोटरीज
डर्बन, नेटाल

अग्रेजी (एस० एन० १७०६५) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३८५।

१३२. पत्र : अब्दुर्रज्ज़ाक मलीहाबादीको

[स्थायी पता,] साबरमती
८ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सचमुच, मेरी कामना है कि मिस्र-वासियोंको पूर्ण स्वाधीनता और अपने प्राचीन तथा उर्वर देशके अनुरूप समृद्धि प्राप्त हो। मिस्रमें चलनेवाले बहिष्कार आन्दोलनके ठीक-ठीक स्वरूपकी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उसके बारेमें कोई राय देनेकी मेरी असमर्थताके लिए आप मुझे क्षमा करें।

हृदयसे आपका,

अब्दुर्रज्ज़ाक मलीहाबादी साहेब
३०४, न्यु सर्कुलर रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७०६६) की माइक्रोफिल्मसे।

१३३. पत्र : कुसुम देसाईको

८ मई, १९३१

चि० कुसुम,

तेरे दो पत्र मिले। जैसे तुझे स्वयं लिखकर सन्तोष नहीं हुआ, वैसे मुझे भी नहीं हुआ। मैं समझा नहीं कि तू क्या चाहती थी। परन्तु अब इस विषयको ज्यादा नहीं खोदूंगा। थोड़ा-बहुत जितना समझा हूँ उतनेसे सन्तोष कर लूँगा।

अपने घरनेके कामको यन्त्रवत् मत बनाना। मेरा कथन ठीक समझमें आ गया हो, तो उसपर अमल करना। धरनेके द्वारा शराब पीनेवालोंसे घुलना-मिलना। तू यन्त्रवत् काम कब तक करती रहेगी?

[पुनश्च :]

बापूके आशीर्वाद

सोमवारको यहाँसे रवाना होना है।

गुजराती (जी० एन० १८२१) की फोटो-नकलसे।

१३४. पत्र : पन्नालाल झवेरीको

बोरसद
८ मई, १९३१

चि० पन्नालाल,

नानीबहनको लिखा मेरा पत्र मिल गया होगा। मुझे नही लगता कि विद्यापीठका पाठ्यक्रम नानीबहन और गगाबहन [जैसे व्यक्तियो] के लिए है। किन्तु इन दोनो बहनोको इस मोहसे सन्तोष मिलता हो तो ठीक है। मुझे इसमें कोई दोष नही दिखाई देता। अभी दोनोमे आत्मविश्वास नही है। दोनोको किसी चीजकी और जरूरत है। किस चीजकी, सो दोनो नही जानती। इस तरह प्रयत्न करते हुए किसी दिन जान जायेगी; क्योकि दोनो निर्मल स्वभावकी है। मै यहाँसे शिमलाके लिए सोमवारको रवाना होऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री पन्नालाल
थियोसॉफिकल कॉलोनी
जूहू, सान्ताक्रुज, बम्बई

गुजराती (जी० एन० ३११३) की फोटो-नकलसे।

१३५. पत्र : प्रभावतीको

बोरसद
शुक्रवार, ८ मई, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारे बारेमे जयप्रकाशको लिखनेको जी चाहता है। तुम एक बार पूरी बात जी खोलकर कर लो तो अच्छा है। जबतक तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नही हो जाता तबतक तुम्हे मेरे साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारे स्वास्थ्यका तुम्हारी मनोदशासे बहुत निकटका सम्बन्ध है। शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा शरीर और मन दोनो स्थिर हो जायें और तुम जहाँ भी रहना चाहो वहाँ निर्भयतासे रहने लायक बन जाओ। तुम्हे जैसा ठीक लगे वैसा करना।

मैं यहाँसे सोमवारको शिमला जा रहा हूँ। वहाँ पतेकी जरूरत नही। मेरा नाम ही लिख दोगी तो पत्र जल्दी-से-जल्दी मिल जायेगा। कांग्रेस कमेटीकी मारफत भेजनेसे थोडी देरसे मिलेगा। शिमलामें पाँच दिनतक रहनेकी सम्भावना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०९) की फोटो-नकलसे।

१३६. पत्र : नारणदास गांधीको

वोरसद
८ मई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारे दो पत्र मिले है। लक्ष्मी विषयक सुझाव तुम्हे पसन्द आया है, इससे निश्चिन्त हो गया हूँ। काका और वल्लभभाईकी भी यही राय है। विनोवा और किशोरलालकी राय अभी मिली नही है। द्वारकानाथका[1] बिल मुझे जरा भी अच्छा नही लगा। मैंने उसे रोक दिया है और द्वारकानाथको कडा पत्र लिखा है। उसका पत्र आनेपर तुम्हे लिखूंगा। इसलिए फिलहाल तो इसके वारेमें और कुछ करनेकी जरूरत नही रहती। यो बिलके वारेमें तुमने जो सामान्य सुझाव दिया है, उसपर फौरन अमल करनेकी आवश्यकता नही है।

शंकरभाईकी बात समझ गया। तुम्हारा निर्णय विलकुल ठीक लगा है। भगवानजीकी रायकी चिन्ता नही है। पजावी वैद्यको दवाके लिए ३५ रुपये देने पडेंगे। ऐसे लोग इस तरह ही पैसा लेते है। सब ठीक हो जायें तो अखरेगा नही। फिर भी दवाईके पैसे वे किस तरीकेसे लेते है यह जान लेना तो आवश्यक है ही। इसलिए चन्द्रशेखरसे पूछकर ठीक ही किया है। वहुत-से लोगोकी दवा एक साथ न कराना। हरएक रोगीका इलाज वह किस तरह करते है, यह देखते जाओ और आगे बढो। मैं सोमवारको शिमलाके लिए रवाना होऊँगा। वहाँ पतेकी जरूरत नही। प्रागजीको जवाब दे दिया है। रुखी[2] और बनारसी[3] आ गये है। बनारसी आज ही वापस चला जायेगा। रुखी आज तो रहेगी। शायद कल किसी गाडीसे भेज दूंगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० — १से।

१. द्वारकानाथ हरकरे।
२. रुक्मिणी, मगनलाल गांधीकी पुत्री।
३. बनारसीलाला बजाज, रुक्मिणीके पति।

१३७. पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
८ मई, १९३१

चि० जमनादास,

डाक्टरका तार है कि जमनादास और नानालाल रतिलालकी देखभाल कर रहे है, इसलिए जबतक वह ठीक नही हो जाता राजकोटमे रह जाये और आश्रम बादमे जाये। चम्पाको मारा-पीटा गया, यह जानकर अफसोस हुआ। तुम और नानालाल देखभाल करते हो, यह बात डॉक्टरने कैसे सोचली होगी। नानालालभाईको भी यह बता देना। शायद वहाँ भी तार दिया हो। चम्पाको मारा-पीटा गया था, इसके बारेमें विस्तारपूर्वक लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैं सोमवार शामको यहाँसे शिमलाके लिए रवाना होऊँगा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२१) से।
सौजन्य : जमनादास गांधी

१३८. पत्र : जमनालाल बजाजको

बोरसद
८ मई, १९३१

चि० जमनालाल,

कर्नाटकके भाई-बहनोसे कहो[1] कि उन्होने युद्धमे तो अच्छा हिस्सा लिया ही है, वैसा ही अब रचनात्मक कार्यमे भी ले। खद्दरमे बहुत करनेको बाकी है, विदेशी वस्त्रका बहिष्कार खद्दर ही के लिए है। यदि बहिष्कार गरीबोकी सेवा हेतु नही है तो कमसे कम मै तो उसमे ऐसा तन्मय नही बन सकता, जैसा आज हूँ।

कर्नाटक एक अलग सूबा बनना चाहिए, इस बारेमे कुछ कर्नाटकी भाई बहुत फिक्र करते है। वे क्यो करते है? महासभाने तो कन्नड भाषा बोलने वालोका एक सूबा बना ही रखा है और पूर्ण स्वराज्यमें यही होगा।

लिंगायत इ. सब इक्कठे हुए है इसलिए धन्यवाद, और यह होना भी चाहिए।

मोहनदास

पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद

१. जमनालाल बजाजकी अध्यक्षतामें कर्नाटक प्रान्तीय परिषद्का छठा अधिवेशन २६ मई, १९३१ को हुकेरी, जिला बेलगाँवमें हुआ था। सन्देशके लिए देखिए "सन्देश. कर्नाटक प्रान्तीय परिषद्को", १८-५-१९३१।

१३९. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

बोरसद

८ मई, १९३१

बारडोली ताल्लुकेमें सरदार गरदाने जब्तशुदा जमीनें खरीदी थीं। बम्बईके एक पत्रमें समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरदार गरदाने उन जमीनोंको लौटानेसे इनकार कर दिया है। इस सिलसिलेमें श्री गांधीसे भेंट करनेपर उन्होंने कहा कि समाचार सही है; लेकिन साथमें यह भी कहा कि जहाँतक मैं जानता हूँ वहाँके लोगोंने उन खेतोंसे फसल उठानेके काममें जान-बूझकर या किसी भी प्रकारसे कोई बाधा नहीं डाली। उनको ऐसी ही हिदायत दी गई थी और इसका सख्तीसे पालन करनेके लिए कहा गया था। मैंने सरदार गरदा द्वारा की गई सभी शिकायतोंकी जाँच करा ली है। मैंने शिकायतके सुस्पष्ट उदाहरण जुटानेके लिए भी कहा था, किन्तु एक भी पेश नहीं किया गया। इसलिए मुझे इस बातपर दुःख और आश्चर्य भी है कि सरदार गरदाने इतने सोच-समझकर किये गये समझौतेसे बच निकलनेकी कोशिश की है या उससे मुकर गये हैं। मैंने समझौतेके मुख्य मध्यस्थ सर कावसजी जहाँगीरका[1] ध्यान इस स्थितिकी ओर आकर्षित कर दिया है।

गांधीजीसे पूछा गया कि क्या सरदार वल्लभभाई पटेलने बारडोलीकी जनताको अनधिकृत बकाया राशि अदा न करनेकी सलाह दी थी। उन्होंने उत्तर दिया कि सवाल श्री वल्लभभाई द्वारा बकाया राशि अदा न करनेकी सलाहका है ही नहीं; असल बात तो यह है कि जनतामें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह अदायगी कर सके। सच तो यह है कि अनेक लोग तो सचमुच चालू वर्षकी कर-राशि भी मुश्किलसे अदा कर पायेंगे। सूरत और खेड़ा दोनों ही जिलोंके अभावग्रस्त क्षेत्रोंके लोगोंको कहीं-कहीं तो चालू वर्षकी कर-राशिकी अदायगी भी मुलतवी करानेके लिए कहने पर विवश होना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात तो यह है कि करोंकी बकाया राशि निर्ममताके साथ वसूल करनेका आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इस बातको उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि करोंकी अदायगी बन्द करनेका राजनीतिक आन्दोलन पूरी सदाशयताके साथ खत्म कर दिया गया था; और फिर परिस्थितिके अनुसार लोग जितनी भी अदायगी कर सकते थे, उन्होंने की।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ९-५-१९३१

१. देखिए "तार: सर कावसजी जहाँगीरको", ६-५-१९३१।

१४०. सन्देश : हिन्दुस्तानी सेवा दलको

[९ मई, १९३१से पूर्व][1]

कांग्रेस स्वयंसेवकोंके शिविरोंके आयोजनका अर्थ यही होना चाहिए कि स्वयं-सेवक अपने कर्त्तव्यके प्रति और अधिक समर्पणकी भावना और अधिक आत्मशुद्धि, दीनोंकी और अधिक सेवा, हाथ-कताई और धुनाईमें और अधिक कौशल तथा कताई, ओटाई, धुनाई, इत्यादिके लिए अपेक्षित विभिन्न यन्त्रोंकी मरम्मत करनेमें और अधिक कौशल प्राप्त करें और इन सबसे बढ़कर सत्य तथा अहिंसापर अपनी और अधिक श्रद्धाका परिचय दें। कांग्रेस स्वयंसेवकके लिए शिविरमें शामिल होनेका अर्थ यही होना चाहिए कि आसपासके गाँवोंमें सफाईका काम जोरशोरसे चले।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-५-१९३१

१४१. सन्देश : कराचीके मजदूरोंको

बोरसद

९ मई, १९३१

मेरे तईं यह बात बिलकुल साफ है कि श्री गजाधर द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन शरारतसे भरा हुआ और अव्यावहारिक है और इसलिए उसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।[2]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-५-१९३१

१. विवरण इसी तिथिको प्रकाशित हुआ था।

१. देखिए "खतरेके बादल", १४-५-१९३१ भी।

१४२. पत्र : चिमनलाल शाहको

बोरसद
९ मई, १९३१

चि० चिमनलाल,

शारदाको कॉड-लिवर ऑयलसे स्पष्ट फायदा हुआ दिखता है क्या यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है? क्या उसका वजन आदि देखकर यह बात कही जा सकती है? कॉड-लिवर ऑयलकी महिमा डाक्टरोंसे तो बहुत सुनी है, किन्तु मुझे उसका ऐसा अनुभव नहीं हुआ है।

जब अन्नपूर्णाको बुलानेका साहस जुटा लो तब उसे बुला लेना। उसके साथ पत्र-व्यवहार बन्द न करना। वह खराब स्वभावकी निकले तो बादमें क्या होगा, डर यही तो है। यह डर होते हुए भी यदि इस समय उसके सुधरनेके प्रमाण मिल रहे हों तो इस भयको निरर्थक मानना। जोखिम तो सभी कामोंमें रहती है। भर्तृहरिने भयहीन वस्तु केवल वैराग्यको ही माना है। गीताका वैराग्य इसी तरहका सच्चा वैराग्य है। यह वैराग्य फलका मोह त्याग देनेसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी फलके बारेमें डर छोड़कर उसको आने देना कर्त्तव्य हो, तो इस कर्त्तव्यका पालन निर्भयतासे करना।

शकरीबहनके काममें मन लगाने लगेगी, तो अन्तमें उसे शान्ति मिल जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० २४३७१) की फोटो-नकलसे।

१४३. चार लाख धारालाओंका सवाल

यह शीर्षक देकर किसीने 'एक धाराला' के छद्म नामसे निम्न पत्र लिखा है:[1]

यों तो यह पूरा पत्र विष-भरा है फिर भी उसमें कुछ वाक्य तो अत्यन्त विषैले थे; उन्हें मैंने निकाल दिया है। इस पत्रकी लिखावट बहुत जमी हुई है और भाषा तो मँजी हुई है ही। इसलिए मेरा अनुमान है कि उक्त पत्र किसी धाराला ठाकुरका लिखा हुआ नहीं बल्कि पाटीदारोंसे जिसे दुश्मनी है, ऐसे किसी व्यक्तिका है। पत्र चाहे जिसका हो, फिर भी इस पत्रके बहाने कुछ बातोंकी सफाई हो सकती है।

धाराला ठाकुर

यद्यपि पत्रमें पाटीदारोंके प्रति काफी जहर उगला है, फिर भी उसमें लगाये आरोपोंमें कुछ सत्य है। जो दोष सारे हिन्दुस्तानमें पाया जाता है, वह पाटीदारोंमें भी है; अधिक पढ़े लिखे और अधिक धनवान लोग अपढ़ और गरीबोंपर

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

देश-भरमे हुकूमत करते है, और अपने ज्ञान और धनका दुरुपयोग करते है। इसमे ऊँच-नीचका भाव तो है ही। खुशहाल लोग ऐसे लोगोके रक्षक नही बन पाते, जिनकी हालत गिरी हुई है, यह चीज हमारी प्रगति और स्वराज्य-प्राप्तिमे एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन पाटीदारोके विषयमे इस चीजको कबूल करनेके बाद मुझे कहना चाहिए कि इस पत्रमे बहुत अतिशयोक्ति है। कुछ साल पहले करीब पचास हजार धाराला बडतालमे इकट्ठे हुए थे, इसमे पाटीदारोका हाथ था। तबसे उन्हें पाटीदार ठाकुर कहने लगे। आज गुजरातमे जहाँ-तहाँ पाटीदार नौजवान ऊँच-नीचकी भावनाको मिटा रहे है। बूढे पाटीदारोमे से बहुतेरे इस काममे मदद करते है। युवक पाटीदार अनेक प्रकारके सेवा-कार्योमे लगे हुए है। वे पाटीदारो और अन्य लोगोमे भेद नही करते। और उनके इस कार्य-क्षेत्रकी सीमा पूरा हिन्दुस्तान है।

श्री रेवाशंकरकी सेवा

लेखकको यह कबूल करना पडा है कि श्री विट्ठलभाई, दरबार साहब गोपालदास, श्री दादूभाई वगैरा धाराला ठाकुरोके प्रति समभाव रखते है। सरदारके लिए तो सब समान है; यह बात एक नन्हा बालक भी जानता है। उन्हे तो निर्धनमात्रकी सेवा करनी है। फिर भले ही वह भंगी हो या ब्राह्मण, गुजराती हो या मद्रासी। राष्ट्रने उनकी इस विशेषताको पहचाना और इसीलिए उन्हे राष्ट्रपति बनाया है। पत्र-लेखक भाई रविशंकरकी सेवाको नाममात्रकी समझते है। यदि यह त्यागकी मूर्ति नामकी ही सेवा करती है तो कामकी सेवा कौन करता है, यह मै नही जानता।

वल्लभ विद्यालय

इसके बावजूद मै स्वीकार करता हूँ कि धाराला ठाकुर और ऐसी दूसरी कौमोके लिए सबके लिए अभी ब त-कुछ करना बाकी है। परन्तु सेवा-वृत्ति तेजीसे बढ रही है, इसलिए दिन-ब-दिन सब कौमोकी एकता भी बढ़ेगी। बोचासणमें जिस पाठशालाकी नीव अभी हालमे ही रखी गई है[1] और जिसका नाम वल्लभ विद्यालय रखा गया है, वह भी धाराला ठाकुरोके लिए ही है।

इसलिए उक्त पत्र-लेखकको मेरी सलाह है कि वे एक-दूसरेके बीच बैर न बढाकर ऐसे उपाय खोजे और सुझाये, जिनसे आपसमे मित्रता बढे। लेखकके लिखनेके ढगसे मालूम होता है, उनमे शक्ति है। मै उन्हे उसका सदुपयोग करनेको आमन्त्रित करता हूँ।

पाटीदारोंसे

पाटीदारोसे भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। अपने अन्तर्मे गहरे पैठकर जहाँ मैल हो वहाँसे उसे धो डाले। उन्होने खूब बहादुरी दिखाई है, त्याग किया है। अब वे बाकी बचे हुए दोषोको सोचे और उन्हे दूर करे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-५-१९३१

१. देखिए "भाषण: बोचासणमें", ६-५-१९३१।

१४४. टिप्पणियाँ

चुनावके दौरान पाखण्ड

वलसाडमें प्रान्तीय समितिका जो चुनाव हुआ, उसमे मुट्ठी-भर मतदाता थे। दलवन्दी हो जानेके कारण चुनाव आवश्यक हो गया था। मतदाताओको नियमित रूपसे खादीधारी होना चाहिए, परन्तु ये मतदाता कैसे खादीधारी थे, इस बारेमें एक मित्र लिखते है.[1]

एक वर्षके प्रचण्ड युद्धके बाद, और विदेशी वस्त्र-बहिष्कारमें खादीका कितना बडा स्थान है, यह जाननेके बाद काग्रेसके साधारण नियम इस प्रकार दिन-दहाडे तोडे जाये, तो काग्रेसकी क्या इज्जत रहेगी? काग्रेसके ऐसे सदस्य गाढे प्रमगोपर क्या नाम करेगे? ऐसे पाखण्डसे कांग्रेसकी उज्ज्वल कीर्तिमें कलक लगता है। चुनाव ऐसी कहाँकी महत्वपूर्ण चीज है कि उसके लिए मतदाताओको इस प्रकार नियम-पालनका आडम्बर रचना पडे; और फिर वह चाहे जितनी महत्वपूर्ण चीज क्यो न हो, असत्याचरण करके महत्वका काम कैसे किया जा सकता है?

मुमकिन है कि गुजरातके अन्य स्थानोमें और सारे देशमें जहाँ-जहाँ उम्मीदवार ज्यादा रहे होगे, और कशमकश हुई होगी, वहाँ सभी जगह ऐसी कार्रवाई हुई होगी। यदि काग्रेसके नियमोके पालनमें ऐसी शिथिलता हो, ऐसा पाखण्ड हो तो स्वराज्य मिलने पर वह कितना बढ जायेगा, इसका आसानीसे हिसाब लगाया जा सकता है। स्वराज्य प्राप्तिके बाद होनेवाले चुनावोमे अधिक प्रलोभन होगे, क्योंकि तब तो धन-लाभकी बात भी होगी। मैं तो ऐसे व्यवहारको हमारे लिए शर्मनाक और नुकसान-देह मानता हूँ। इसमे न हमारा भला है, न देशका।

यदि हमे खादी पहननेसे नफरत हो, यदि हम खादीको आवश्यक न मानते हो, तो हम काग्रेसके नियमोमे से खादीसे सम्बन्धित नियम निकाल डालनेका आन्दोलन क्यो न करे? पर जबतक वह कायम है, उसपर अमल होना चाहिए। यह नियम पसन्द न हो अथवा इसका पालन करनेके लिए काग्रेसके अधिकाश सदस्य राजी न हो तो आन्दोलन करके उन्हे इस नियमको रद्द करवानेका प्रयत्न करना चाहिए।

नडियाद देश-सेविका संघ और खादी

नडियाद देश-सेविका-सघकी ओरसे श्रीमती काशीबहन और गंगाबहन नडियाद ताल्लुका समितिके मन्त्रीको लिखती है:[2]

१. यहां नहीं दिया जा रहा है। उसमें कहा गया था कि विभिन्न मतदाताओंके पास खादीकी पोशाकें इनी-गिनी थीं और उन्होंने उन्हें बारी-बारीसे पहनकर मत दिये थे।

२. नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें कहा गया था कि गांधीजीकी नवजीवन, २६-४-१९३१ की "स्वयंसेविकाएँ और खादी" टिप्पणीमें प्राप्त सूचनाओंके आधारपर उक्त संस्थाके कुछ दोष गिनाये हैं, वे सूचनाएँ सही नहीं हैं और उसके कारण बड़ी गलतफहमी हुई है।

मेरे लेखसे नडियादकी बहनोंके साथ जो-कुछ अन्याय हुआ हो, उसका परिमार्जन किया जाये। साथ ही मैं एक बातकी ओर ध्यान दिलाता हूँ। इन बहनोंने अपने पत्रमें लिखा है कि पन्द्रह स्वयंसेविकाएँ कांग्रेसका काम करते समय शुद्ध खादी ही पहनती आई हैं, और आज भी पहनती हैं। यदि यह बात है तो प्रश्न उठता है कि कितनी बहनें नियमसे खादी पहनती हैं? खादीमें विश्वास रखनेवालेके लिए खादी सिर्फ सामयिक पोशाक, गणवेश नहीं है, बल्कि रात-दिनकी पोशाक है, और होनी चाहिए। कुछ लोगों द्वारा कुछ समयके लिए खादी पहननेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा, उससे भूखोंकी गरीबी दूर न होगी। वह गरीबी तो तभी दूर होगी जब खादी हरएक घरमें अपना स्थान बना लेगी। इसलिए मैं तो आशा रखता हूँ कि नडियाद ही नहीं, बल्कि दूसरे सब गाँव भी खादी ही पहनेंगे।

चौबीस टोपियाँ और तीन कुर्ते

जो आदमी यह मानता हो कि हिन्दुस्तानके करोड़ों लोग भूखों मरते हैं और उन्हें अर्द्धनग्न रहना पड़ता है, फिर भी यदि वह आदमी अपने सिरपर एक ही समय जैसे-तैसे चौबीस टोपियाँ पहने और एक-पर-एक तीन कुर्ते बदनपर लाद ले तो उसे क्या कहा जायेगा? वह दयावान हो तो भी उसकी दया निरर्थक है, यह तो कहना ही चाहिए न?

फिर भी हम ऐसे बहुतेरे आदमियोंको देखते हैं। यह वाक्य पढ़कर उतावले पाठक ठठाकर हँसेंगे, कुछ मुझे मूर्ख भी कहेंगे। परन्तु इसमें न हँसनेका कोई कारण है, न मुझे मूर्ख माननेकी कोई वजह।

हम काठियावाड़ी पोशाकको ही लें। काठियावाड़ी, धोती, कुर्ता, अंगरखा और साफा पहनते हैं। वहाँकी आबोहवाके लिहाजसे तो इतने कपड़ोंकी बिलकुल जरूरत नहीं है। एक अंगरखेके दो कुर्ते आसानीसे बन सकते हैं। बारह गजके एक साफेकी चौबीस टोपियाँ आसानीसे बन सकती हैं। इसलिए ऐसे आदमीके बारेमें यह कहनेमें कि वह तीन कुर्ते और चौबीस टोपियाँ पहनता है, जरा भी अतिशयोक्ति न होगी, यह तो बिलकुल सच बात है। जो चतुर काठियावाड़ी इस सीधी बातको समझते हैं, जिनके दिलमें दया है, वे मेरी इस परेशानीका जवाब दें।

यह प्रश्न राजदरबारियोंके लिए नहीं है। वे तो अनेक दलीलोंसे मुझे हरानेकी कोशिश करेंगे और 'हमें राजदरबारमें जाना पड़ता है' आदि कहेंगे। न यह प्रश्न 'एजेन्सी'के नौकरोंके लिए है। वे द्रोण और भीष्मकी तरह अपने पेटकी ओर अंगुली दिखायेंगे और भले होंगे तो कवि शामलका छप्पय गाकर सुनायेंगे :

"पेट करावे वेठ, पेट वाजाँ वगडावे"

यह सवाल तो उनके लिए है जो इन बन्धनोंसे मुक्त हैं। वे मुझे सन्तोषजनक जवाब दें, या तेईस टोपियाँ और दो कुर्ते गरीबोंके लिए बचायें।

एक विवाहकी शर्तें

अनाविल जातिमें विवाहके समय कन्याके पिता द्वारा वरके पिताको खासा दहेज अर्थात् धन देनेका चलन है। बारडोली स्वराज्य आश्रममें भाई दयालजी गुलाबभाई

नामक एक सज्जन श्री लक्ष्मीदासके मातहत काम करते हैं। उन्होंने शादी की थी, पर फिर पत्नी जाती रही। यह बहुत पहलेकी बात है। उनके कोई सन्तान नहीं है। उन्होंने फिरसे ब्याह करनेका विचार किया। परन्तु उन्होंने सोचा कि [सरकारसे] संघर्षके दिनोंमें विवाह नहीं करना चाहिए। समझौता होनेके बाद मनमें फिर इच्छा उत्पन्न हुई। भाई दयालजीको आठ सौ रुपये दहेज देकर एक सज्जन अपनी कन्या देनेके लिए तैयार हो गये। किन्तु यह विचार देरतक नहीं टिका और वे आखिर-कार इस लालचसे विमुख होनेमें समर्थ हो गये। अब उनका शान्तावहन नामक सत्रह वर्षकी कन्यासे विवाह होनेवाला है। इस विवाहकी शर्तें बहुत जानने और अनुकरण करने योग्य जान पड़ी; इसलिए नीचे देता हूँ:

वरको दहेज रुपयोंमें नहीं, सूतके रूपमें दिया जायेगा। सूतका वजन ८। रतल होगा। यह सूत परिवारवालोंका ही काता हुआ होना चाहिए।

कन्याकी ओरसे १५ और वरकी ओरसे १० (पुरुष, स्त्री, बच्चे) यों कुल पच्चीस लोगोंसे ज्यादा नहीं बुलाये जायेंगे और यह आवश्यक है कि वे सब शुद्ध खादी ही पहने हों।

सब एक ही भोजनशालामें जीमेंगे और सो भी दाल-भात और शाकका ही। गर्मीके दिन हैं, अतः मट्ठा लेनेमें हर्ज न होगा। ब्राह्मणोंको घीके साथ सीधा देनेका रिवाज उन्होंने एकदम बन्द कर दिया है।

किसी भी रिश्तेदारका टीका या कन्यादान रुपयोंके रूपमें न होकर कोई धार्मिक पुस्तक हो सकती है।

विवाहके बाद उपस्थित भाइयोंको पान-सुपारीके बजाय फल या शरबत या ऐसी ही कोई चीज देनेमें हर्ज न होगा। चाय-पान मना है।

घर-गिरस्तीके सामानमें चर्खा, पींजन, तकली, जाजम, या आसन और ऐसी ही चीजें दी जायें।

लड्डू-पूड़ी या इस तरहका 'भोजन' कदापि न कराया जाये।

वर-कन्या विवाहके अवसरपर अपने-अपने हाथकी कती खादीके कपड़े पहनेंगे। कपड़े खरीदे नहीं जायेंगे। इसी तरह किसीको कुछ भेंट देना हो, तो वह अपना हाथ-कता सूत ही दे सकेगा।

विवाहके अवसरपर कन्याके शरीरपर सुहाग सूचित करनेवाले एक-एक अलंकारके सिवा और अधिक गहने न होंगे। बादमें कोई देना चाहे तो दे सकते हैं।

आने-जानेके दिन मिलाकर तीन दिनमें सारा काम करके सब अपने-अपने घर जायेंगे।

कंकणके बदले हाथ-कते सूतकी चूड़ी पहनाई जायेगी।

विवाह आश्रमकी पद्धतिसे ही होगा, उसमें गांधीजीके विवाह-सम्बन्धी लेख, उनकी बनाई प्रतिज्ञा और प्रवचन पढ़े जायेंगे। ब्राह्मण भी शुद्ध खादीमें होंगे और दक्षिणा नहीं लेंगे।

बैंड-बाजा न होगा। भजन गाये जा सकेंगे, पर गालियाँ कदापि नहीं गाई जा सकेंगी।

इसपर भाई दयालजी और कन्याके पिताके दस्तखत है। १३ तारीखको ब्याह होगा। अनाविल जातिके साधारण व्याह भी खर्चीले होते है, जब कि इस ब्याहमे केवल धर्मविधिको ही स्थान है। वर-कन्या तथा उन्हे आशीर्वाद देनेवाले प्रेक्षकों और पुरोहित ब्राह्मणके लिए खादी अनिवार्य है। यह कोई साधारण निश्चय नही है। घर-गिरस्तीका सामान अर्थात् दहेज। दहेजमे कन्याका पिता घर-गिरस्तीकी सब चीजें देता है, जब कि इस ब्याहमें केवल कताईकी चीजें ही दी जा सकती है। हम आशा रखे कि ऐसे विवाहका अनुकरण सब जातियोमे आम रिवाज बन जायेगा और ऐसे शुभ सयोगोंमे ब्याहे जानेवाले दम्पति शुद्ध सेवक और सेविका बनेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-५-१९३१

१४५. खेड़ामें खादी

पेटलाद, नडियादका खादी प्रवृत्ति सम्बन्धी निम्न विवरण श्री गोपालदास पुरुषोत्तम देसाईने भेजा है:[1]

ऊपरकी टिप्पणी और आँकड़ोंमें कुछ सुधारकी आवश्यकता है। जहाँ वस्तुस्थिति बतानी हो और आँकड़े देना सामर्थ्यसे बाहर न हो, वहाँ अनुमानसे कुछ नही बताना चाहिए। "लगभग ५० से ७५ चरखे चालू है" वाक्यका कुछ भी अर्थ नही निकलता। ५० से कम भी हो सकते है और ७५ से ज्यादा भी हो सकते है। असलमें ५० से शायद कम ही होगे। इसलिए जहाँ आसानीसे गिनती की जा सकती हो वहाँ बिल्कुल ठीक सख्या ही देनी चाहिए; न एक ज्यादा हो न एक कम। फिर पेटलाद, नडियादमे बनी खादी किस किस्म और कितने अककी है, यह भी बतलाया जाना चाहिए। बाहरसे कितनी खादी आई है? आजीविकाके लिए काते गये सूतकी तुलनामें कितना सूत स्वावलम्बी होनेकी खातिर काता जाता है? अपनी जरूरतके लिए कातने-वालोमें कितनी स्त्रियाँ और कितने पुरुष है? वे औसतन कितना सूत कातते है? वे अपने लिए स्वय पीजते है या नही? यह सब बताना चाहिए। कार्यकर्त्ताओंकी सख्या १५१ दी गई है। इसके साथ यह भी बताना चाहिए था कि उनमें से किसने कितना उत्पादन किया और उत्पादनके विभाग भी बताये जाने चाहिए। इन सब तथ्योके बिना यह विवरण शास्त्रीय नही माना जायेगा। इसपरसे कुछ भी अनुमान नही लगाया जा सकता।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

ऊपरके आँकडोंके बारेमे इतना बता दूँ कि उसमें पेटलादके और नडियादके आँकड़े अलग-अलग दिये गये हैं। सामान्य तौरपर कहा जा सकता है कि नडियादके आँकडे पेटलादके मुकाबलेमे आधे बैठते है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब नडियाद ही देगा।

अब लिम्बासीको लेता हूँ। वहाँसे भाई विट्ठलदास यह लिखते हैं:[1]

इसके साथ उन्होने जिनके यहाँ चरखा चलता है उन व्यक्तियोंके नाम दिये है। ऊपरकी आलोचना जहाँतक इस विवरणके बारेमें भी लागू की जा सकती हो वहाँतक लागू करके समझ ली जानी चाहिए। चरखे कम पडते हैं इसका उल्लेख हमारे लिए शर्मनाक है। हममें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम हर जगह चरखे बना सके। बारडोलीसे एक-दो नमूने मँगाकर वैसे चरखे स्थान-स्थानपर बनने लगने चाहिए। फिर जहाँ आश्रमवासी रहते हो, वहाँ तो यह सलाह और भी अधिक लागू होती है। चरखेके लिए लकडी कैसी होनी चाहिए आदि सूचना बारडोलीसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। सब लोग याद रखे कि बारडोलीका कारखाना कमाई करनेके लिए नही है, बल्कि वह तो शिक्षालय है। इसलिए वहाँसे सभी आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। कभी ऐसा समय आयेगा ही जब घर-घर लोग चरखा और तकली माँगेंगे। यदि हम बारडोलीके सत्याग्रह-आश्रमकी ओर नजर लगाकर बैठे रहे तो काममें बाधा पडेगी। बडे-से-बडा कोई भी कारखाना करोडो चरखे नही बना सकता। बना सके यह जरूरी भी नही है, और अगर बना ले तो वह हानिकारक सिद्ध होगा। खादी-प्रवृत्तिका अर्थ और उसकी खूबी यही है कि उसकी प्रत्येक क्रिया हर गाँवमे की जा सकती है। खादी एकका पोषण करनेवाली क्रिया नही बल्कि अनेकोका पोषण करनेवाली है। इसलिए प्रत्येक गाँवमे खादीकी प्रत्येक क्रिया विकसित हो जानी चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-५-१९३१

१४६. पत्र : शान्ता पटेलको

१० मई, १९३१

चि० शान्ता,

तेरा पत्र मिला। वहाँके नियम और काम तुझे भारी लगते है, इससे यह प्रकट होता है कि बाहर तूने नियमोका पूर्णतया पालन नही किया। तू बच्ची बनी रहे यह तो अच्छा है, पर बच्चेका अर्थ आलसी नही होता। बच्चेका अर्थ होता है निर्दोष, निर्विकार। तू निर्विकार तो नही है। पर क्या तू निर्दोष नही है? नही है तो बन। तुझे लडकोसे मिलना-जुलना बहुत अच्छा लगता है, लडकियोंके साथ नहीं; यह तो भयकर बात है। यह बात तुझे किसी दिन नीचे गिरायेगी। तू ससारकी ओर नजर

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

घुमा कर देख; जैसा तू चाहती है वैसा ही सब लड़कियाँ करना चाहे तो किसी लडकीको दूसरी लडकीका साथ ही न मिले। जिस स्वतन्त्रतासे तू किसी लड़कीके साथ खेलकूद सकती है, क्या उसी स्वतन्त्रताके साथ लड़केके साथ खेलकूद सकती है? ईश्वरने जो मर्यादा बनाई है, उसका तू उल्लघन करना चाहे तो यह भयकर वात है। इस पर विचार करना और इसे समझना। प्रेमाबहनको यह पत्र पढाना। उसके साथ सलाह करके मुझे पत्र लिखना। प्रेमाबहनकी आज्ञाका पालन करना और उसकी सहायता करना।

यदि तू न चाहती हो तो कोई तेरा पत्र नही पढेगा। आनन्दी मेरे साथ नही आयेगी। वह तो बारडोलीमें ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०५९)की फोटो-नकलसे।

१४७. पत्र : गंगाशरण सिंहको

बोरसद
१० मई, १९३१

भाई गगाशरण सिंहजी,

आपका पत्र मिला। जहाँ राजेन्द्र बाबु प्रमुख है वहा कार्यसिद्धि हि हो सकती है। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, खद्दर प्रचार और शराब इ० मादक पदार्थोका बहिष्कार हमारे लिये आज बहोत आवश्यक वस्तु है।

आपका,
मोहनदास गाधी

श्री गगाशरणसिह
काग्रेस कमेटी
अमहरा
पो० निहट्टा, जिला पटना, बिहार

जी० एन० ११००८की फोटो-नकलसे।

१४८. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको

१० मई, १९३१

भाई लक्ष्मीनारायणजी,

आपका पत्र मिला।

एलेक्सांडर ड्रुका खत पढा। आपका उत्तर योग्य है। इस नुकसानको मैं लाभ हि समजता हु। कांग्रेस कमेटियोकी हालत हर जगह बुरी हो रही है।

विदेशी वस्त्रके जहाजकी चोकीमें खतरा काफी है। यदि युद्ध फिर हुआ तो देखा जायगा क्या शक्य और योग्य है। सबसे अच्छा तो जनतामें काम करना हि है।

मै कल (सोमवारको) सीमला तरफ रवाना हुगा। दिल्लीमे कुछ तीन घंटे ठहरना होगा। जमनालालजी साथ होंगे।

आपका,
मोहनदास

जी० एन० ५६२१ की फोटो-नकलसे।

१४९. पत्र : नारणदास गांधीको

११ मई, १९३१

चि० नारणदास,

यह पत्र वडौदा स्टेशनसे आधी रातके समय लिख रहा हूँ। चम्पा यही मिलने आई और चली गई। देखता हूँ कि रतिलाल फिलहाल नही आयेगा। मुझे शिमलामें पाँच-एक दिन लग जायेंगे, फिर उतने ही दिन नैनीतालमे। उसके बाद २५ तारीखके आसपास बोरसद पहुँचनेकी आशा है।

बीडजकी जमीन खरीद लेना। हनुमानसिहकी बात खेदजनक है। वह इस हालततक कैसे पहुँचा, क्या इसके बारेमें कुछ सोच पाते हो? वह सामान्य रीतिसे फलाहार ही ले।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

१५०. पत्र : नारणदास गांधीको

[११ मई, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

चि० नारणदास,

तुम्हे कुछ बोझ लगे ऐसी परिस्थिति नही है, इसलिए मै निश्चिन्त ही हूँ। देखता हूँ कि मेहमान तो आते ही रहेगे। जो आये उनकी अच्छी तरह खातिर जरूर करना। जो मेरे साथ आना चाहे, उन्हे विरत करना।

श्री मलिक नगरपालिकाके इजीनियर है। वह आजकलमे वहाँ आकर ज्यादा पानी प्राप्त करनेके बारेमे सलाह देगे। उन्हे चन्द्रभागा भी दिखला देना। मैंने उनसे पारनेरकरकी बात की है। उनसे परिचय बढाना और पारनेरकरसे भी मिलवा देना।

पुरुषोत्तम क्या करता है? क्या वायु-परिवर्तनके लिए जायेगा? उसकी तबीयत अच्छी होती, तो उसे ले ही जाता। मुझसे किसी चीजके बारेमे पूछना हो तो लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो ९ : श्री नारणदास गांधीने तथा सी० डब्ल्यू० ८१८९ से भी।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१५१. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१३ मई, १९३१

'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिने पूछा : "कोई नई बात?" गांधीजी बोले :
मोटर गाडीमे आप जो फूल और मालाएँ देख रहे है, इनके बारेमें लिख सकते है।

चुंगीके पास गाड़ी एक मिनटके लिए रुकी और गृह-सचिव श्री एमर्सनका एक पत्र गांधीजीको दिया गया।

'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' का एक प्रतिनिधि उनकी गाड़ीके पायदानपर खड़ा था। उसके द्वारा पूछाजानेपर गांधीजीने कहा कि उनको वाइसरायकी ओरसे नहीं, गृह-सचिवकी ओरसे आमन्त्रित किया गया है। वे दो या तीन दिनतक या शायद कुछ दिनतक और शिमलामें रुकेंगे और उसके बाद शायद नैनीताल चले जायेंगे।

१. पुरुषोत्तमको साथ ले जानेके उल्लेखसे; अभिप्राय शायद शिमला साथ ले जानेसे है।

प्र०—आप लन्दन जायेंगे?

उ०—मैं अभी कह नहीं सकता।

साम्प्रदायिक समझौता होनेकी कितनी, क्या सम्भावना है?

वोरसदके मामलोंको लेकर मैं इस बीच इतना व्यस्त रहा हूँ कि इस सम्बन्धमें अभी आपको कुछ नहीं बतला सकता।

भोपालमें[1] हुए सम्मेलनकी कार्रवाईकी तो आपको जानकारी होगी?

जी नहीं।

क्या आप संघीय गठन समिति (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी)के भारतीय सदस्योंकी शिमलामें होनेवाली अनौपचारिक बैठकमें शामिल होनेकी उम्मीद करते हैं?

मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १४-५-१९३१

१५२. टिप्पणियाँ

'अरण्य-रोदन'

अपनी फाइलसे एक पत्रका नीचे लिखा वाक्य थोड़े परिवर्तनके साथ यहाँ दे रहा हूँ:

> देशसे विदेशी कपड़े और विदेशी सूतको दूर रखकर स्वदेशी कपड़ेकी रक्षा करना—यह एक गोलमोल बात है, और इसमें सन्देह करनेकी गुंजाइश पैदा होती है। गाँवोंमें रहनेवाले करोड़ों भूखे लोगोंको भारतीय मिलें रोटी नहीं दे सकतीं। पिछले चार महीनोंसे खादीकी माँग बराबर घटती गई है, और मिलके कपड़ेकी बढ़ती गई है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस संस्थाएँ भारतीय मिलोंके कपड़ेका समर्थन कर रही हैं। खादी द्वारा बहिष्कारकी गांधीजीकी पुकार अरण्य-रोदन है। इसलिए खादीके बारेमें कांग्रेसकी नीतिको स्पष्ट करना जरूरी हो गया है।

ऐसी ही एक शिकायत अन्य जगहसे भी मेरे पास आई है। यह बात सच है कि कांग्रेसवाले सोचते हैं कि कांग्रेस मिल-मालिकोंसे मदद लेती है और उनके साथ बातचीत करती है, इसलिए कांग्रेसवालोंको खादीके बजाय मिलका कपड़ा पहननेकी या कमसे-कम दोमें से किसी एकका उपयोग करनेकी छूट मिल गई है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। इस बारेमें कांग्रेसकी नीतिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस

१. १०-११ मईको नवाब भोपालने "अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान दल और अखिल भारतीय मुसलमान परिषद्"के नेताओंको चुनाव-क्षेत्रोंके प्रश्नपर दोनोंकी सहमतिसे एक नीति निर्धारित करनेके लिए आमन्त्रित किया था।

हर ऐसे व्यक्तिसे जो उसकी बात मानता है, यह आशा रखती है कि वह दूसरा कपडा छोडकर केवल हाथ-कती, हाथ-बुनी खादी ही पहने। इसके पालनमें थोड़ी भी शिथिलता आनेसे खादीको और इसलिए गाँवोको अवश्य नुकसान होगा, यही नही, इसकी वजहसे विदेशी कपड़ेके बहिष्कारमें भी शिथिलता आ जायेगी। आगे और पीछे यह साबित हो जायेगा कि आखिर बहिष्कार खादी द्वारा ही सफल हो सकता है। अबतक जो सफलता मिली है, उसका श्रेय खादीको है। इसका यह मतलब नही है कि स्वदेशी मिलोने विदेशी कपडेके विरुद्ध आन्दोलनमे कोई भाग नही लिया है। परन्तु यह जरूर कहा जा सकता है कि मिले इसमे तभी शामिल हुईं; जब मिल-मालिकोने देखा कि खादी अपने उद्देश्यमें सफल हो रही है, उसने रास्ता दिखाया है और जनभावनामे परिवर्तन पैदा कर दिया है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण और याद रखनेकी बात यह है कि यदि विदेशी कपडेके बहिष्कारका उद्देश्य केवल कुछ लाख हिस्सेदारोके लाभाशमे वृद्धि करना ही हो, तो उसके लिए इतनी प्रचण्ड शक्तिका व्यय निरर्थक ही माना जायेगा। यह बहिष्कार राष्ट्रके लिए इसी कारण आवश्यक है कि विदेशी वस्त्रके बहिष्कार द्वारा बचनेवाले करोड़ो रुपये खादी द्वारा लाखो गाँवोमे बँट जायेंगे। इसलिए खादीके प्रयत्नोमे शिथिलता न आने देना काग्रेससे सम्बद्ध स्त्री-पुरुषोका एक आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है।

अमेरिका जानेकी अफवाह

एक अमेरिकी मित्रने ६ अप्रैलके अपने पत्रमें[1] लिखा है:

> **आज शामको नई दिल्लीसे प्राप्त और 'बोस्टन ट्रान्सक्रिप्ट' में प्रकाशित एसोसिएटेड प्रेसकी एक खबरसे पता चलता है कि महात्मा गांधी संयुक्त राज्य अमेरिका आनेका विचार कर रहे हैं। . . . इस समय भारतकी इस महान आत्माके लिए अमेरिका-यात्राकी अपेक्षा और बड़े-बड़े काम पड़े हुए हैं। . . .**

मैं भारतकी आत्माका प्रतिनिधि हूँ या नही, यह विवादास्पद विषय है। लेकिन अमेरिका जानेके बारेमें मेरा वहीं मत है जो मेरे इस अमेरिकन पत्र-लेखकका है। भारतमे मेरे कामका यदि कुछ आत्मिक मूल्य है, तो उसका अमेरिका और दूसरे देशोपर, मेरे खुद वहाँ जानेसे भी ज्यादा असर पड़ेगा। सचमुच अगर आत्मा अशरीरी है, तो शरीर प्राय. सहायक बननेकी अपेक्षा उसके पथमें रोडे अटकानेवाला बन जाता है। जो आत्मा भौतिक पिंजरमें सीमित है उसकी अपेक्षा मुक्त आत्माका अदृश्य प्रभाव लाखो गुना ज्यादा होता है। मन अमेरिका जानेको बहुत करता है, लेकिन भीतरकी आवाज मुझे ऐसा करनेसे रोकती है। यह प्रसन्नताकी बात है कि जिस दिन यह पत्र डाकमे छोडा गया, उसी दिन श्रद्धेय होम्स, श्री करबी पेज, डॉ० शेरवुड एडी, और डॉ० वार्ड आदि मित्रोने भी अमेरिका यात्रा स्थगित रखनेका तार[2] भेजा। उन्होंने सोचा कि इससे इस समय हमारे ध्येयको कोई लाभ नही होगा और मेरी

१. अंशत उद्धृत।
२. देखिए "पत्र: बॉयड टुकरको", ५-५-१९३१ भी।

भारी क्षति होगी। मैं भी यह महसूस कर रहा हूँ कि इन मित्रोंका कहना सही है। इसलिए मैं उन मित्रोसे जो मुझपर वहाँ जानेके लिए जोर डाल रहे हैं, क्षमा मांगता हूँ। अगर उनके महान देशमें मेरा जाना जरूरी ही है, तो वे उसके लिए उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करे। इस बीचमें अगर वे चाहें तो उन गलतफहमियोको दूर कर सकते हैं, जो भारतके विषयमे वहाँ काफी तादादमें फैली है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५३. खतरेके बादल[1]

उस दिन कराचीमें क्या हुआ, सर्वसाधारण इसे नही जानते। मध्यप्रान्तके गजाधर साहू नामक एक मेरे-जैसे थोड़े-से सनकी एक आदमीने, जिसे न कोई मध्यप्रान्तमें जानता है, न कराचीमे, कुछ ही दिनोमें स्वराज्य स्थापित करनेका विचार किया। उसने तमाम बेकारो और दूसरे मजदूरोको इकट्ठा करके उन्हे दो रुपये रोज देनेका वचन दिया और व्यापारियों और धनवानोको यह चेतावनी दी कि उन्हे आयात-निर्यातका व्यापार बन्द कर देना चाहिए, मिलका कपड़ा तैयार करनेसे बाज आना चाहिए, और पन्द्रह दिनमे १ करोड रुपया इकट्ठा करके बेकारोंको चरखे आदिकी मारफत ऐसा काम देना चाहिए, जिससे उन सबको बराबर-बराबर दो रुपये रोजकी आमदनी, जिसकी उन्हे जरूरत है, होने लगे। इसके लिए सभाएँ की गईं और जोरदार प्रस्ताव पास किये गये। तिजोरियोकी तालियाँ तलब की गईं। कराचीके सतत कर्मशील मेयर इन लोगोसे मिले और एक शुभ मुहूर्तमें श्री गजाधर ने कहा कि अगर मै उनके कार्यसे असहमति प्रकट करूँ, तो वे अपना काम बन्द कर देंगे। श्री जमशेद मेहता और उनके मित्रोके लिए इतना ही काफी था। इसी दरम्यान श्री गजाधर, जो अबतक महात्मा बन चुके थे, मेरे पास आये, और बादमें श्री सिधवा और ईश्वरदास भी आ पहुँचे। मैंने देखा कि श्री गजाधर वही पुराने पत्र-लेखक हैं, जो हमेशा लम्बे-लम्बे पत्र और तारतक भेजकर मेरे और मेरे साथियोंके धैर्यकी परीक्षा करते रहते थे। देखते ही हम एक-दूसरेके मित्र बन गये। मुझे लगभग दो घंटे उनसे बातचीत करनी पड़ी। यह समय मैं बड़ी मुश्किलसे निकाल सका। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपना काम बन्द कर देनेका वादा किया, हालांकि मेरी बातसे उन्हें सन्तोष नही हुआ। देखें, वे अपना वादा पूरा करते हैं या नही। यदि उन्होंने वादा पूरा न किया, तो भी आशा है कि कराचीके कार्यकर्त्ता कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो जानेपर उसका सामना सफलताके साथ कर सकेंगे।

परन्तु कराचीकी यह घटना एक अपशुकन है। अगर कांग्रेसवाले अपने काम पूरी दृढता और पूरी सच्चाईसे नही करेगे, तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस और

१. देखिए "सन्देश: कराचीके मजदूरोंको", ९-५-१९३१ भी।

दूसरे तमाम उपयोगी कार्य अनुशासन-रूपी आवश्यक बन्धनोके अभावमें इस चढ़ती हुई बाढके प्रवाहमे बह जाये। तूफान और बाढ़े तो हमेशा ही आती रहेगी। परन्तु तूफान और बाढकी रोकके लिए जो काम बाँध वगैरासे होता है, अव्यवस्थाको रोकनेमे अनुशासनका वही उपयोग है।

जो लोग अबतक अज्ञान और अनियन्त्रित सत्ताके कारण घोर नीदमें सोये पड़े थे, उन्ही जनसाधारणकी जागृति आसानीसे व्यवस्था और साथ ही सामाजिक सगठनका सर्वनाश कर सकती है। सामाजिक ढाँचेको सुधारना, बुराइयोको मिटाना और लोगोको उनका वह पद दिलानेमें मदद करना, जिससे वे बहुत समयसे वचित रखे गये हैं; काग्रेसका काम है, प्रयत्न है।

श्री गजाधर साहूकी सनक-भरी माँगके गर्भमे सत्यका एक अंश मौजूद है। अन्य स्थानोकी तरह कराचीमें बेकारी थी, अब भी है, हिन्दुस्तानके ७,००,००० गाँवोमें भी ऐसी ही बेकारी है। जिस समाजमें बेकारोकी जमात बसती है, या पैदा होती रहती है, वह समाज अधिक कालतक जी नही सकता। ऐसे समाजमें कुछ-न-कुछ दोष अवश्य है। काम करनेकी इच्छा रखनेवालोको हमेशा कोई-न-कोई काम उपलब्ध होना ही चाहिए। कराचीकी उक्त योजनामें चरखेके जरिए काम की माँग की गई थी। दुर्भाग्यसे योजना बनानेवालोको चरखेका शायद सिर्फ नाम ही मालूम था। पर मै मानता हूँ कि अपने व्यापक अर्थमे, जिसमे कपास बीननेसे लेकर बुननेतक और फिर रँगाई, और सिलाई तककी कपास सम्बन्धी सब क्रियाएँ शामिल है। चरखा शहर और देहातके लोगोको स्थायी और अखड काम देनेवाली चीज है। इसका यह मतलब नही है कि दूसरे अन्य धन्धे नही हैं। पर यह एक ऐसी चीज है, जो यत्र-तत्र-सर्वत्र अपनाई जा सकती है।

हमे एक बातपर बडी कडी निगाह रखनी चाहिए और वह है, मुफ्तके भोजनालय चलाना। नि.शुल्क भोजनालय बडी खतरनाक संस्था है, वहाँ मगतोकी जमात तैयार हो जाती है। जहाँ आवश्यकता मालूम पडे, वहाँ सार्वजनिक भोजनालय खोले जा सकते हैं। हरएक आदमी अपना पेट भर लेने योग्य मेहनत कर सकता है और निश्चिन्त होकर साफ-सुथरी जगहमें सस्ता, स्वच्छ भोजन पा सकता है। हमे यह सीख लेना जरूरी है कि जो आदमी थोड़ी भी मेहनतका काम कर सकता है, उसे मुफ्तमें रोटी खिलाना पाप है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५४. 'हृदय-परिवर्तन नहीं'

इस शीर्षकका शासकोके हृदय-परिवर्तनके साथ कोई सम्बन्ध नही है। यह तो एक सिन्धी भाईके नीचे लिखे आरोपके[1] अनुसार हममें जिस हृदय-परिवर्तनका अभाव है, उससे सम्बन्धित है:

मैं मानता हूँ कि विदेशी वस्त्र विषयक शिकायत काफी हदतक सच है। कम-से-कम शहरोमें तो लोगोकी अभिरुचिमें अवतक इतना परिवर्तन नही हुआ है कि लोग विलायत, जापान, फ्रास या दूसरी जगहसे आनेवाले कपडेको हाथ न लगायें। बुद्धि विदेशी कपडेके त्यागको स्वीकार अवश्य करती है, परन्तु हृदय तो विदेशसे आनेवाले भाँति-भाँतिके कपडोके लिए ही तरसता रहता है। देश-प्रेमकी अपेक्षा या कहो कि करोडो अधभूखोके प्रेमकी अपेक्षा अपना सुख ही अधिक प्रवल सिद्ध होता है।

विदेशी वस्त्रकी दूकानोपर धरना देनेका उपयोग मर्यादित है। सच्ची वात तो इस सम्बन्धमे जनसमूहकी शिक्षाकी है। शिक्षासे भी वेहतर चीज है, कार्यकर्त्ताओ द्वारा अपना खादी अपनाना और इससे भी वेहतर स्वय कातकर लोगोको सस्ती खादीका उत्पादन सिखाना। व्यवहारमे तीनो काम एक साथ होने चाहिए। इसलिए लोगोको खादी द्वारा वहिष्कारके अर्थशास्त्रका ज्ञान दिया जाना चाहिए। खादीने गाँवोको किस प्रकार सम्पन्न बनाया है, और वह किस तरह सम्पन्न वना सकती है, भली प्रकार चुने हुए उदाहरणोसे यह वात लोगोको समझानी चाहिए। लोगोको हमेशा खादी ही पहननेवाले सच्चे कार्यकर्त्ताओके ससर्गमें आना चाहिए और अपने ही गाँवोमें अपने लिए किस प्रकार खादी तैयार हो सकती है, यह बात लोगोको बताई जानी चाहिए। इसके लिए काग्रेसके कार्यकर्त्ताओको वहिष्कार और खादी-साहित्यका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उन्हे सचाईके साथ खादी पहननी चाहिए, और कपासकी तमाम क्रियाएँ भली-भाँति जान लेनी चाहिए, जिससे जो सीखना चाहे, उन्हे वे ओटना, धुनना, कातना और वुनना भी सिखा सके।

अत: जो समझते है कि विदेशी कपड़ेका वहिष्कार और खादीका उत्पादन और खपत आर्थिक दृष्टिसे वहुत वड़ी और स्थायी महत्वकी वाते है, वे तो समझौतेका स्वागत करेंगे, क्योकि समझौतेके कारण उन्हे यह जाननेका मौका मिला है कि लोगो ने राष्ट्रीय आदर्शको किस हदतक अपनाया है। जो काम लोग असाधारण समयमें लोकमतके दवाव या उससे भी वुरे किसी डरके दवावमें आकर करते थे, वही काम यदि वे साधारण समयमें करने लगें तो इसीको हमें अपनी शक्ति समझना चाहिए।

१. यहाँ नही दिया जा रहा है। लेखकका कहना था कि विदेशी वस्त्र पहलेकी तरह ही पसन्द किया जाता है और गाधीजीके मनमें भी मिल-मालिकोंके प्रति कोई कोमल भावना पड़ी हुई है। गाधी-इर्विन समझौतेको भी इसका एक कारण बताया गया था। देखिए "विदेशी कपड़ा और दूसरी विलायती चीजें", २३-४-१९३१ भी।

एक शब्द मिलोके सम्बन्धमें। हमारी मिलोके बारेमे मेरे मनमे कोमल भावना नही है। वे अपनी रक्षा भली-भाँति कर सकती है। उन्हे अभी बहुत-सी मर्यादाओमे से गुजरना है। उन्होने अभीतक एजेंटो, मालिको और भागीदारोके स्वार्थकी अपेक्षा राष्ट्रके हितको बड़ा नही माना है; परन्तु इतना कहनेके बाद मै चाहता हूँ कि यह पत्र-लेखक इस बातकी सचाईको परख कर देखें कि बहुत कम ही क्यो न हो, उन्होने इस बार राष्ट्रकी पुकारका जवाब देनेका प्रयत्न किया है। साथ ही आन्दोलनको आर्थिक सहायता देनेकी बात अलग है। यदि उन्होने दर और उत्पत्तिपर अकुश न रखा हो, तो मै उस सहायताका कोई मूल्य नही समझूँगा। पर मै मानता हूँ कि उन्होने इस दिशामें प्रामाणिक प्रयत्न किया है।

तथापि उन्हे अभी बहुत कुछ करना है। अभी उन्होंने राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थामें खादीका जो अग्रस्थान है, उसे खुले दिलसे स्वीकार नही किया है। उन्होने अभी विदेशी कपडेके व्यापारियोको अपना व्यापार छोडकर स्वदेशीका व्यापार करनेके लिए सगठित नही किया है। मिल मजदूरो सहित सारे राष्ट्रकी ओरसे अपनेको उसके धनके रक्षक माननेका अपार महत्व वे अबतक समझ नही सके है। परन्तु यदि काग्रेसी अपना काम भली-भाँति करेगे, तो यह परिवर्तन हुए बिना न रहेगा। जबर्दस्ती नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन हमारा ध्येय होना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५५. आंग्ल-भारतीय

डाक्टर एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनो लिखते है :[1]

मै सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि स्वराज्यके विधानमें हरएक कौम बराबर होगी। मै तमाम छोटी कौमोका ध्यान काग्रेसके मौलिक अधिकारोवाले प्रस्तावकी[2] ओर आकर्षित करता हूँ। उस प्रस्ताव द्वारा छोटी कौमोके अधिकार सुरक्षित रखनेमे जितनी सावधानीसे काम लिया जा सकता था, कार्यसमितिने उतनी खबरदारीसे काम लिया था। प्रस्ताव अधिक जोरदार बनाये जानेके लिए काग्रेस द्वारा नियुक्त एक समितिको सौंपा गया है। जो कुछ उपयोगी सुझाव देना चाहे, वे अपने सुझाव इस समितिके पास विचारार्थ भेजे।

परन्तु मै जानता हूँ कि डाक्टर मौरेनो जिस बातके विषयमें सोच रहे है, वह यह नही है। वे तो आग्ल-भारतीयोको विशिष्ट स्थान देनेकी बातके बारेमें जानना चाहते है। मेरा जवाब है कि उनकी लियाकत उन्हे जिस दर्जेतक ले जायेगी, वह दर्जा

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखक जानना चाहता था कि हिन्दुस्तानके नये राज्य-विधानमें आंग्ल-भारतीयोंको कौन-सा स्थान प्राप्त होगा।

२. देखिए खण्ड ४५, मौलिक पृष्ठ ३९२-३।

उन्हें हासिल होगा। ऐसी कोई रुकावट कदापि न होगी जिससे दूसरे किसी भी भारतीयको मिल सकनेवाला ऊँचे-से-ऊँचा स्थान उन्हे न मिल सके। परन्तु हकीकत तो यह है कि आंग्ल-भारतीयोने एक वर्गकी हैसियतसे राज्यकर्त्ताओंके स्थानका उपभोग किया है, या उसके लिए प्रयत्न किया है। उन्होने जातिकी हैसियतसे राष्ट्रीय आन्दोलनमें हाथ नही बँटाया। अपने प्रति पक्षपातकी स्थितिके कारण वे अकेले पड गये हैं। स्वराज्यमे किसीके प्रति पक्षपातको स्थान होगा ही नही। इसलिए जिस प्रकार अंग्रेजो का समानताके लिए हाय-तोबा मचानेका अभिप्राय इस पक्षपातकी स्थितिको कायम रखनेके लिए है, उसी प्रकार शायद आग्ल-भारतीयोको भी यह दु:ख होता होगा कि यदि स्वराज्यमें उनकी आजकी-सी विशिष्ट स्थिति कायम रहनेका आश्वासन न मिला तो वे पिछड़ जायेंगे।

फिर भी मै आशा करता हूँ कि डाक्टर मोरेनो मनमें ऐसे पक्षपातका ख्याल नही रखेंगे। यदि मैने उन्हे ठीक तरहसे जाना है तो आशा है कि वे [इस पत्रके द्वारा] राष्ट्रके साथ घुल-मिल जानेवाले आंग्ल-भारतीयोके विषयमें कुछ जानना चाह रहे होगे। उनके बारेमें मै विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दूसरी कौमोमें दलित लोगोंके साथ, यदि उनकी कौमके दलित वर्गोकी स्थिति भी आजकी अपेक्षा न सुधरी, तो मुझे आश्चर्य होगा। चाहे जो हो, काग्रेसियोकी काफी संख्या ऐसी है, जो तमाम अन्यायपूर्ण हकोंको और तमाम बनावटी असमानताओको नाबूद करनेके लिए प्रतिज्ञा-बद्ध है। यदि स्वराज्यमे जनसमूहकी स्थितिमें तेजीके साथ सुधार होता हुआ दीख पड़ेगा, तो उसका पूरा-पूरा हिस्सा गरीब आंग्ल-भारतीयोको भी अवश्य ही मिलेगा। काग्रेस किसी एक फिरकेके लिए नही, बल्कि तमाम लोगोके लिए स्वराज्य लेना चाहती है। जबतक यह ध्येय सिद्ध नही होता है, वह बराबर लडती ही रहेगी। इसलिए मै तमाम अल्पसंख्यकोको राष्ट्रीय आन्दोलनमे शामिल होने और उस शुभ दिनके उदयको निकट लानेके लिए न्यौता देता हूँ। उनमे से किसीके सम्बन्धमे यह न कहा जाये कि देशके कठिन दिनोमे वे अलग खडे रहे, और सुख प्राप्त होने पर उसमें हिस्सा लेनेके लिए आ धमके। उस परिस्थितिमें जिस प्रकार जिस व्यक्तिने मेहनत नही की है, उसके सामने भोजन रखनेपर भी वह उसमें रुचिका अनुभव नही कर पाता, उसी प्रकार अल्पसख्यकोको भी उनका हिस्सा तो अवश्य मिलेगा, पर उन्हें उसकी लज्जत न मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५६. अपील : इलाहाबाद कांग्रेस, अस्पतालके लिए

गत वर्ष जूनमें पण्डित मोतीलाल नेहरू बम्बई गये थे। वहाँ उन्होंने कांग्रेस अस्पतालका उम्दा काम देखा। उनपर इसका अच्छा असर पड़ा, और इलाहाबाद लौटकर उन्होंने वैसा ही अस्पताल इलाहाबादमें भी खोलनेकी इच्छा प्रकट की। . . . कुछ मित्रोंकी उदारतासे इस अस्पतालके लिए कुछ रुपया और साधन इकट्ठे हुए। पण्डित मोतीलालजीके जेलसे छूटनेपर स्वराज्य भवनके एक हिस्सेमें इस अस्पतालका विधिपूर्वक आरम्भ किया गया। . . . जो थोड़ा द्रव्य इकट्ठा किया था, वह अब खर्च हो चुका है, इसलिए समितिको यह विचार करना पड़ा कि अस्पताल आगे चलाया जाये या नहीं।

. . . इसलिए आर्थिक सहायताके लिए यह अपील इस आशासे प्रकाशित की जाती है कि उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग दिया जायेगा। स्वराज्य भवनमें स्थायी रूप से अस्पताल रखनेके प्रश्नका निर्णय अभी नहीं हुआ है। परन्तु समिति इतना द्रव्य इकट्ठा करना चाहती है, जिससे कम-से-कम तीन साल तक अस्पताल चल सके। वर्तमान मर्यादित रूपमें यदि अस्पताल चलाया जाये, तो उसके खर्चका अन्दाज प्रतिमास एक हजार रुपयेका है। . . .

११ मई, १९३१

कमला नेहरू
मोहनलाल नेहरू
रमाकान्त मालवीय

मैं आशा रखता हूँ कि तुरन्त ही जनताकी ओरसे इस अपीलकी[1] उचित प्रतिक्रिया होगी। अस्पतालकी व्यवस्थाका काम करनेवालोके अतिरिक्त और किसीने जान-बूझकर ही इसपर दस्तखत नही किये है, क्योकि इसे किसी भी रूपमें राष्ट्रीय स्मारक नही मानना है। परन्तु इसी कारणसे यह अपील कुछ कम महत्त्वकी नही हो जाती। पण्डित मोतीलाल नेहरूकी एक इच्छा पूरी करनेके लिए ३६ हजारकी रकम बहुत मामूली है। इसलिए मै आशा करता हूँ कि श्रीमती कमला नेहरू और उनके साथियोकी इस अपीलपर दान देनेमे किसी भी तरहकी ढिलाई या टालमटोल नही की जायेगी। पाठक जान ले कि अस्पतालके आरम्भ ही से श्रीमती कमला नेहरू उसकी आत्मा रही है। इस अस्पतालको अपीलमें काम-चलाऊ क्यो कहा गया है, इस विषयमे जनताको अवश्य ही आश्चर्य होगा। पहले विचार यह देखनेका है कि संस्था कैसे काम करती है, और अनुभवसे उसको कितने धनकी सच्ची आवश्यकता मालूम पडती है। दूसरे, जब कोई भी चीज केवल अपने गढे जानेकी अवस्थामें ही हो तब

१. अंशतः उद्धृत।

तक कल्पनाके अनुसार तो दैनिक आवश्यकताकी पूर्ति करके ही सन्तोष माननेमें अधिक वुद्धिमानी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५७. दांडीयात्रियोंके लिए

गत १२ मार्च, १९३० को[1] जो साथी दाडी-यात्राके लिए रवाना हुए थे, इस समय वे सब चारों ओर विखरे हुए है और मेरे साथ उनका सतत सम्वन्ध नही रह गया है। इसलिए इन पक्तियो द्वारा उन्हे यह याद दिलाना जरूरी है कि वे आज भी उसी अनुशासनमें हैं और यात्रा शुरू करनेसे पहले और वाद की गई प्रतिज्ञाओंका पालन करनेके लिए वद्ध है। इसलिए उनसे आशा की जाती है कि वे प्रतिदिन अपनी ठीक-ठीक दिनचर्या लिखते रहेगे, दोनो समयकी प्रार्थना करेगे। अपनी आवश्यकताओको कम-से-कम रखेगे, और इसके लिए यथासम्भव सादे-से-सादा भोजन करेगे और प्रतिदिन यज्ञार्थ सूत कातेंगे। जो गाँवोंमे रह रहे हैं वे ग्राम-पाठशाला चला सकते हैं, और वच्चोको लिखना, पढना, हिसाव-किताव सिखानेके सिवा कताई और कपासकी अन्य क्रियाएँ सिखा सकते हैं। वच्चोंसे साफ-सुथरे रहने, गाँवके खेल खेलने और कसरत करनेका आग्रह कर सकते है। स्वय गाँवकी सफाईका काम कर सकते है, साथ ही गाँववालो और उनके वच्चोकी मदद भी ले सकते है और गाँव-वालोके सम्वन्धमे तमाम आवश्यक वातोके आँकड़े इकट्ठा करके उनकी सारिणियाँ तैयार कर सकते हैं। कार्यकर्त्तागण दूसरा काम यह करे कि जो लोग विदेशी कपड़ा, शराव और नशीली चीजोंका उपयोग करते हैं, उनका पता लगायें और उनके घर जाकर, उनसे मित्रभावसे मिलकर उनकी ये दोनों आदतें छुडाये और इस सम्वन्धमें गाँवोमे लोकमत भी तैयार करे। जहाँ मुमकिन और जरूरी हो, वहाँ वे शान्तिपूर्ण धरनेका भी प्रवन्ध करे। अस्पृश्यताको मिटानेका प्रयत्न तो वे करेगे ही। कार्यकर्त्ताओ को हर महीने अपने कामकी रिपोर्ट, अपनी डायरीके सारांशके साथ श्री छगनलाल जोशीके पास भेजनी चाहिए। यहाँ यह कहनेकी तो आवश्यकता न होनी चाहिए कि वे जो पैसा वाहर भेजें और जो प्राप्त करे, उसकी पाई-पाईका ठीक-ठीक हिसाव रखें।

यद्यपि ये सूचनाएँ मूल यात्रियोंके लिए है और अनिवार्य हैं, तथापि गाँवो और शहरोंके राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंके लिए भी ये मार्गदर्शक हो सकती है। शहरोंमें स्वभावत. कुछ परिवर्तन जरूरी होगा। गाँवोमें हिन्दू-मुस्लिम झगडोका नाम नही है, परन्तु शहरोंके राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओको यह महत्त्वकी सेवा भी अपने कार्यक्रममें शामिल कर लेनी होगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१. देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ४७५।

१५८. उनको कैसी शिक्षा दी जाती है

उत्तरी कैरोलीनाके विल्मिंगटनसे, अपना नाम और पता देते हुए, एक पत्र-लेखकने अपने पत्रमे लिखा है:[1]

> समाचारपत्रोंसे उन सब प्रयासोंका पता चलता रहता है जो आप अपने अन्य अनेक देशभाइयोंके साथ मिलकर अपने राष्ट्रको पूर्ण स्वाधीनता दिलानेके लिए कर रहे हैं। यह अपने-आपमें एक अच्छी चीज है। परन्तु समाचार-पत्रोंमें भारतीय जन-जीवनका विवरण भी रहता है और उससे पता चलता है कि स्वाधीनता वास्तवमें क्या है और आरम्भमें उसकी आधार-शिला क्या होती है — इसकी समझ आप लोगोंको नहीं है। . . .
>
> भारत अपने इस अभियानके जरिए ईश्वरीय शासनसे, साथ ही एक ईसाई राष्ट्रके शासनसे स्वाधीन होनेकी कोशिश कर रहा है, जब कि भारतका सबसे बड़ा शत्रु भारतीयोंका अपना विशाल समुदाय ही है, जो न तो ईश्वरकी पवित्र इच्छाको और न अपने ईसाई पड़ोसी इंग्लैंडको ही भली-भाँति समझता है।
>
> जिस प्रकार कि मेरे और आपके भी पतित और पथभ्रष्ट पूर्वजोंको ईश्वरने अपनी उदारता तथा सद्भावनाके कारण ही वस्त्रोंसे भरा-पूरा रखा, इसी प्रकार इंग्लैंड और अन्य राष्ट्र केवल अपनी ईसाई उदारता और सद्भावनाके वशीभूत होकर ही भारतके लिए अधिक वस्त्र जुटानेका प्रयत्न कर रहे हैं। . . .
>
> भारतको सबसे पहले तो ईश्वरकी पवित्र इच्छाके अनुरूप स्वाधीनताकी आधारशिलाके रूपमें वस्त्रों और शिक्षाकी प्रचुरता प्राप्त करनेका ही प्रयास करना चाहिए। पवित्र ग्रन्थ बाइबिलमें इसीको स्वाधीनताकी आधारशिला बतलाया गया है। . . .
>
> भारत जिस शोषण और जिन यन्त्रणाओंका शिकार बन रहा है उसकी अधिकांश जिम्मेदारी इंग्लैंडपर नहीं बल्कि भारतके सबसे बड़े शत्रु — आपके और आपकी जनताके अज्ञान — पर ही है।

पत्रके पाठको पठनकी दृष्टिसे सरल बनानेके लिए मैंने इसमे शायद दो स्थानो पर थोड़ा फेरफार किया है। पत्र-लेखकने मुझे "ईसामसीहके सम्बन्धसे प्रिय मित्र" कहकर सम्बोधित किया है। उनके हृदयकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी उतनी ही साफ दिखाई पडती है जितना कि उनका अज्ञान। मैं इस पत्रको यह दिखानेके लिए ही

१. अंशतः उद्धृत।

प्रकाशित कर रहा हूँ कि प्रबुद्ध पाश्चात्य देशोंकी जनताको भी कैसे उल्टी पट्टी पढ़ाई जा सकती है। इस पत्रसे इतिहासका अज्ञान और मैं तो यह कहनेकी भी धृष्टता कर सकता हूँ कि बाइबिल तकका घोर अज्ञान टपकता है। यह पत्र एक प्रकारकी [विकृत] शिक्षाका नमूना है।

अभी उस दिन न्यूयार्कसे एक पत्र-लेखकने पत्र-पत्रिकाओंकी कुछ कतरनें मेरे पास यह दिखानेके लिए भेजी थी कि भारतमें होनेवाली घटनाओंको वहाँ किस तरह तोड़-मरोड़ कर गलत ढंगसे पेश किया जाता है। पत्र-लेखकने मुझे चेतावनी दी थी कि अमेरिकी पत्रकार इस देशमें मेरी ओर जितना ध्यान देते हैं उससे मुझे इस भ्रममें नहीं पड़ना चाहिए कि अमेरिकाकी समूची जनतामें हमारे प्रति अपार उत्साह और दिलचस्पी है। उनका इशारा था कि वहाँ प्रकाशित होनेवाले प्रत्येक सहानुभूति-पूर्ण सन्देश या लेखके पीछे लगभग निन्यानवे लेख या विवरण ऐसे प्रकाशित होते रहते हैं जिनमें भारत सम्बन्धी हर बातकी खिल्ली उड़ाई जाती है।

रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सने एक तीसरे प्रकारकी शिक्षाका उदाहरण पेश किया है। उनका ख्याल है कि अंग्रेजोंको तो बचपनसे ही भारतके बारेमें सत्यको जानने-समझने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। बालक-बालिकाओंके सामने इतिहासका गलत रूप बार-बार प्रस्तुत किया जाता है। घरोंमें चलनेवाली गपशपमें भी भारतकी उतनी ही गलत तसवीर सामने आती रहती है। इस प्रकारकी शिक्षाका तो हमें भी थोड़ा अनुभव है। हम जानते हैं कि स्कूलोंमें हमें किस प्रकारका इतिहास पढ़ना पड़ता है और हमारे अनुभवसे वह बादमें किस तरह पग-पगपर झूठ सिद्ध होता चलता है। हमको स्कूलोंमें ब्रिटिश शासनके लाभ और उसकी अच्छाइयोंकी कल्पना करना सिखाया जाता है, लेकिन बड़े होनेपर हम पाते हैं कि वस्तु-स्थिति सर्वथा विपरीत है। इस-लिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वह अज्ञान, जो बहुधा जानबूझकर हमारे दिमाग खराब करनेके लिए हमारे बीच फैलाया जाता है। यह तो सही है कि हमें भी अपने मस्तिष्क, अपने विचारोंको झाड़ने-बुहारनेकी जरूरत है, परन्तु उस ढंगसे नहीं जो विल्मिंगटनके पत्र-लेखकने सुझाया है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५९. लिंच-न्यायाधीशका निर्णय[1]

एक पत्र-लेखक लिखते हैं :

मैं 'लिटरेरी डाइजेस्ट' से ली गई एक छोटी-सी कतरन संलग्न करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। खुद कतरनसे ही पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। इस पूरे शर्मनाक काण्डके बारेमें आपके विचारोंका मैं अनुमान-भर लगा सकता हूँ। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि आपके पास ऐसे कई अमेरिकी अतिथि या भेंटकर्ता आते रहते हैं, जो आपसे अक्सर अपने देशके नाम सन्देश माँगते हैं या आपको वहाँ आनेके लिए आमन्त्रित करते हैं। क्या आपसे ऐसा अनुरोध करना कोई ज्यादती करना होगा कि आप उनको यह सन्देश दें कि वे एक अभागी और अश्वेत जातिपर होनेवाले नरमेध-जैसे अत्याचारोंको बन्द करायें।

उन्होंने जिस कतरनका उल्लेख किया है उसका शीर्षक वही है जो ऊपर दिया गया है और उसका पाठ इस प्रकार है :[2]

इसको पढ़कर मन अवसादसे भर आता है। यदि हमें सर्वोच्च ईश्वरीय न्याय पर कोई आस्था न होती, तो कहीं कोई आशा दिखाई ही न देती। मेरे मनमें आस्था है और इसीलिए मुझे आशा है कि ऐसे नरमेध बन्द हो जायेंगे और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होकर रहेगी। पत्र-लेखकने अमेरिकी लोकमतपर मेरा जितना प्रभाव माना है, मैं नहीं समझता कि मेरा उतना प्रभाव है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। पर मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अमेरिकी जनता इस बुराईके प्रति पूरी तरह जागरूक है और अमेरिकी जन-जीवनके इस कलंकको दूर करनेकी भरसक कोशिश कर रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१. स्वनिर्मित गैरकानूनी अदालत जिसमें व्यक्तिपर किसी संगीन अपराधका आरोप लगाकर फौरन प्राण-दण्ड दे दिया जाता है। ऐसी कार्यवाहीको अमेरिकाके कैप्टन विलियम लिंचके कारण लिंच कानून नाम दिया गया है।

२. यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है। उसमें एक नीग्रोको जीवित जला देनेका वर्णन है।

१६०. पत्र : सैयद अजमतुल्लाको

१४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके[1] लिए धन्यवाद। मैं आपको अपनी ओरसे यही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता बढ़ानेके लिए भरसक प्रयत्न करूँगा। मेरा लक्ष्य हृदयोंकी एकता है। पर इससे सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न हल करनेकी बात तो मेरे नहीं, अन्य कई लोगोंके हाथोंमें है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३४) की फोटो-नकलसे।

१६१. पत्र : हेनरी नीलको[2]

१४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका विशिष्ट पत्र मिला।[3] पर मैं अभी हालमें अमेरिका नहीं जा रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७२) की फोटो-नकलसे।

१. सैयद अजमतुल्लाने लिखा था: "आप यदि मुसलमानोंको इतना बतला दें कि यदि पृथक निर्वाचन मण्डलकी माँग त्याग दी जाये तो आप श्री जिन्ना द्वारा रखे गये अन्य तेरह मुद्दोंको स्वीकार कर लेंगे, फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुसलमान लोग अधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपना लेंगे और संयुक्त निर्वाचन मण्डल रखनेके लिये सहमत हो जायेंगे। . . ."

२. न्यायाधीश हेनरी नील, "इंटलेरियन क्लब" के संस्थापक।

३. हेनरी नीलने लिखा था: "मैं आपके स्वाधीनता अभियानमें उपयोगी बनना चाहूँगा; विशेषकर आपके यहाँ आनेपर"।

१६२. पत्र : एस० रंगूरामको

स्थायी पता, साबरमती
१४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरा लन्दन जाना अभी बिलकुल भी निश्चित नही है। अधिक सम्भावना यही दिखती है कि नही जाऊँगा। लेकिन यदि गया तब अपने लिए तो मै कुमारी म्यूरियल लिस्टरका आग्रह स्वीकार करना चाहूँगा। ईस्ट ऐण्डमें कही उनकी एक अपनी सस्था भी है। लेकिन चूँकि मुझे हर बातकी पूरी-पूरी जानकारी नही है, इसलिए मैंने फैसला श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज पर ही छोड दिया है, क्योकि सौभाग्यवश वे अभी वही है और मेरे बारेमें सब-कुछ जानते है। सचमुच आपका आमन्त्रण भी स्वीकार करनेकी मेरे मनमे बडी चाह है, लेकिन मै कुमारी लेस्टरसे पहले ही कह चुका हूँ। यदि राजनीतिक कारणोसे कोई बाधा न पड़ी और वहाँ बनाई जानेवाली स्वागत-समिति आडे न आई तो फिर कार्यक्रमका चुनाव मेरे ही हाथमे रहेगा, और मै उनकी सस्थामें अवश्य ठहरूँगा। और मेरी पसन्द तो आप जानते ही है। आप जो भी करना चाहे श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज या वहाँ बननेवाली स्वागत-समितिके परामर्शसे ही करे।

अपनी पत्रिकाके लिए कुछ लिखनेका आग्रह मुझसे मत कीजिए; फिर चाहे कारण यही मान लीजिए कि पत्रिकाके स्वरूपके बारेमे मुझे कोई जानकारी नही है। लेकिन मुझे इस कारण भी क्षमा कीजिएगा कि नित्यप्रतिके पत्र-व्यवहार तकके लिए मुझे समय नही मिल पाता। इसीलिए मै छोटे-छोटे काम भी अपने ऊपर नही लेता, वे भी नही जिनमे चन्द ही मिनट लगते हो, क्योकि चन्द मिनटोसे मिलकर ही तो समयका पूरा चक्र बनता है।

हृदयसे आपका,

श्री एस० रगूराम
इडियन स्टूडेंट्स सेट्रल एसोसिएशन
लन्दन, साउथ-वेस्ट ३

अग्रेजी (१७०७३)की फोटो-नकलसे।

१६३. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

स्थायी पता, साबरमती
१४ मई, १९३१

प्रिय सुरेश,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे ऐसा कोई लक्षण नही दिखाई पड़ता जिससे आशा बँधे कि गोलमेज परिषद्के फलस्वरूप शान्ति स्थापित हो जायेगी। बल्कि इसके विपरीत मुझे तो लगता है कि प्रकृति हमारे विरुद्ध ही है। मै यह खुले आम कह चुका हूँ। मै इसे लगभग असम्भव ही मानता हूँ कि विभिन्न जातियोमें हार्दिक एकता स्थापित किए बिना हम अपना मन-पसन्द सविधान पा सके। पर निकट भविष्यमें ऐसी एकता स्थापित होते दिखाई नही पड़ती। और भी अनेक चीजें है जो हमारे विरुद्ध पड़ रही है। लेकिन चूँकि ईश्वर मनुष्यकी आशाओको नाकाम बनाकर फिर उसकी निराशाओंके गर्भसे आशाको जन्म प्रदान करता है, इसलिए यह कहना कठिन है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसलिए मै सरसरी तौरपर तुम्हारे प्रश्नका यही उत्तर दूंगा कि आशा अच्छे-से-अच्छे परिणामकी करो, पर बुरे-से-बुरेके लिए तैयार रहो; लेकिन बुरे-से-बुरे और अच्छे-से-अच्छेके लिए अपनेको तैयार करना सत्याग्रहीके लिए सदा एक ही चीज होती है। तुमको अब भी चरखेके सिद्धान्तका ही प्रचार करना है। अब भी जरूरतमन्द बीमारोकी सेवा करते रहना है और गरीब बच्चोकी देखभाल करते रहना है। इस प्रकारके ये काम ही आवश्यकतानुसार सविनय अवज्ञा जैसे-कार्योंकी सबसे अच्छी तैयारीके साधन है। क्या मै अपना आशय तुमको स्पष्ट समझा पाया हूँ? यदि नही, तो मुझे फिर लिखना। तुम्हारे अपने जिम्मे सबसे खास काम यही है कि चंगे हो जाओ। मै एक हजार रुपयेकी अतिरिक्त राशिकी बात सोच रहा हूँ। शेष राशिके बारेमें तुम जमनालालजी से, जब वे कलकत्ता आयें बात कर लेना। वे कुछ दिनोमे कलकत्ता आयेंगे ही। मै शायद इस महीनेके अन्तमें बोरसद लौट जाऊँगा।

डॉ० सुरेशचन्द्र बनर्जी
अभय आश्रम
कोमिल्ला (बगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७४)की फोटो-नकलसे।

१६४. भाषण : सार्वजनिक सभा, शिमलामें

१४ मई, १९३१

आप जानना चाहेंगे कि मैं शिमला क्यों आया हूँ और सरकारके साथ मेरी क्या बात चल रही है। मैं आपको सभी बाते तो नही बतला सकता, पर इतना जरूर बतला सकता हूँ कि मैं लॉर्ड इर्विन और कांग्रेसके बीच हुए समझौतेसे सम्बन्धित अपनी और सरकारकी भी शिकायतोंके बारेमे बातचीत करने आया हूँ। बातचीत अभी चल ही रही है। मैं जोर इस बातपर देना चाहता हूँ कि यदि आप कांग्रेसके स्वयसेवक है और हिन्दुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य है कि भले ही सरकार पालन न करे, आप समझौतेका पालन अवश्य करे।

अपना दायित्व निभा चुकनेके बाद यदि यह देखा जाये कि सरकारने अपना दायित्व नही निभाया तो उस स्थितिमें हम अपना मन चाहा कदम उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो भी समझौता हुआ है, उसके साथ कुछ शर्तें जुडी हुई है और यदि हम समझौतेका उपयोग कुछ काम करनेके लिए कर सके, तो हमें अवश्य वैसा करना चाहिए।

यदि किसी समझौतेके फलस्वरूप हमें सेवा करनेका अवसर मिलता हो तो एक सत्याग्रहीके नाते हमे उसका स्वागत करना चाहिए। इस समझौतेने आपको ऐसा ही एक अवसर दिया है।

कराची कांग्रेसने लगभग सर्वसम्मतिसे उसे स्वीकार किया था। अब हमारा क्या कर्त्तव्य है, यह मैं आपको बतला ही चुका हूँ। ऐसा मत सोचिए कि इस समझौतेके बाद हम लडाईमे कूदना चाहते हैं। बल्कि इसके विपरीत हमारी तो पूरी कोशिश इसी दिशामें होनी चाहिए कि हमे लड़ाईमे न पड़ना पडे और यह समझौता स्थायी बन जाये जिससे कि हम पूर्ण स्वराज्य हासिल कर सके।

गोलमेज परिषद्मे शामिल होनेके लिए लन्दन जानेवाले आपके प्रतिनिधियोपर कांग्रेसने जो शर्तें लगाई है, वे आपको मालूम ही है। लेकिन यदि इस समझौतेके फलस्वरूप हम पूर्ण स्वराज्य हासिल न कर सकें, तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा और यदि कोई स्थायी समझौता करनेके हमारे प्रयत्न निष्फल हो गये तो हमें एक नई लडाईके लिए तैयार रहना चाहिए।

परन्तु मैं इस समझौतेके अलावा दो और बातोपर भी जोर देना चाहता हूँ। यदि हम गोलमेज परिषद्मे अपना अभीष्ट प्राप्त करना चाहते है तो हमें अपने अस्त्रसे भली-भाँति लैस होना चाहिए। हमारा अस्त्र यही है कि हिन्दुस्तानकी सारी जनता, इस देशमें जन्म लेने और इसे अपना घर बना लेनेवाले सभी लोग — हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य सभी लोग एक होकर, एक स्वरसे स्वराज्यकी माँग करे। हम जबतक अपने बीच ऐसी पारस्परिक समझदारी पैदा नही कर लेते,

तवतक मेरे लन्दन जानेसे कोई लाभ नही। इसलिए हम सभीको इस देशकी सभी जातियोमें एकता पैदा करनेके यथा सम्भव सभी प्रयत्न करने चाहिए।

परन्तु मै कागजपर लिखे समझौतेकी शाब्दिक एकता-भर नही चाहता। कागजपर समझौतेका मसौदा लिखकर दस्तखत-भर कर देनेसे एकता पैदा नही हो जाती। मै जो एकता चाहता हूँ वह हार्दिक एकता, दिलोकी एकता है और ऐसी ही एकताके लिए मै ईश्वरसे सदा प्रार्थना करता हूँ। और ऐसी एकता पैदा होनेपर आपके अन्दर इतनी शक्ति पैदा हो जायेगी कि हमें सफलता मिल जायेगी।

मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज आप तक नही पहुँच पा रही है और आप लोग वारिशसे परेशान हैं। ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि वह हमें दूसरी लडाईमें कूदनेकी जरूरतसे बचाये और यह समझौता ही हमें अन्तिम सफलता तक पहुँचा दे।

जहाँतक कामका सवाल है, कांग्रेसका प्रस्ताव आपके सामने है और खद्दरके प्रचार तथा शराबके बहिष्कारके सम्बन्धमें आपके सामने एक व्यापक कार्यक्षेत्र पडा हुआ है। मै आप सबका आभारी हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-५-१९३१

१६५. श्रद्धांजलि: के० टी० पॉलको

शिमला

१५ मई, १९३१

मुझे श्री के० टी० पॉलसे परिचय प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला था। मै उनके जितने निकट गया मेरे हृदयमें उनके लिए उतना ही सम्मान बढता गया। मुझे लगा कि उनकी ईसाइयत उदार और सहिष्णुतापूर्ण थी। इतना ही नही कि वह कभी उनकी राष्ट्रवादिताके आड़े नही आई, बल्कि लगता तो यह था कि ईसाइयतने उनकी राष्ट्रवादिताको और अधिक गहराई दे दी थी। दिवगतको इस बातका श्रेय है और राष्ट्रवादी विचारोके लोग सदा इसे याद करेंगे कि श्री पॉलने आगामी संविधानमें भारतीय ईसाइयोको कुछ खास रियायतें देनेकी माँगका विरोध किया था। और यह इसलिए कि उनका विश्वास था कि चारित्रिक खरेपन और सद्गुणोको केवल सद्व्यवहार ही नही, बल्कि सदा उचित सम्मान भी मिलेगा। विशेषकर राष्ट्रके जीवनके वर्तमान दौरमें उनके उठ जानेसे देशको स्पष्ट ही एक बड़ी हानि पहुँची है।

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७५) की फोटो-नकलसे।

१६६. तार: 'ईवनिंग स्टैंडर्ड' को

[१५ मई, १९३१][1]

'आप लन्दन आ रहे हैं या नहीं?'—'ईवनिंग स्टार' के इस प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीने तार दिया है कि वह कुछ बातों पर निर्भर करता है, जिनमें से दो ये हैं: समझौतेकी सन्तोषप्रद कार्यान्विति और साम्प्रदायिक समस्याका समाधान।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-५-१९३१ और हिन्दू, १६-५-१९३१

१६७. भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको

शिमला
१५ मई, १९३१

महात्मा गांधीने कहा कि बातचीत लाभदायक और अच्छी रही; वे शिमलामें वाइसरायसे अब और नहीं मिलेंगे; तथा गृह-सचिव श्री एमर्सनसे कल एक बार फिर भेंट[2] करके रविवार, १७ तारीखको निश्चित तौरपर शिमलासे नैनीतालके लिए चल देंगे।

महात्मा गांधीने इस प्रश्नका उत्तर देनेसे इनकार कर दिया कि क्या अब उनके लन्दन जानेकी आशा और बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा:

इसके बारेमें अधिक जानकारी प्राप्त करनेके लिए आपको वाइसराय-भवन जाना चाहिए।

सर फजल हुसैनके निवासकी ओर पैदल जाते समय उनसे पूछा गया कि वे क्या स्वराज्य-सरकारका मुख्य कार्यालय शिमलामें रखना पसन्द करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया:

इतनी ऊँचाईसे बहुत काफी नीचे उतरकर हमें मैदानी भागमें जाना होगा, क्योंकि सरकार तो जनताके बीचमें और जनताके लिए ही होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १७-५-१९३१

१. विवरण लन्दनमें इस तिथिको छपा था।

२. देखिए परिशिष्ट ६।

१६८. तार : वल्लभभाई पटेलको

शिमला
१६ मई, १९३१

सरदार वल्लभभाई
बारडोली

जवाहरलालका सन्देश मिल गया हो तो मेरा सुझाव है कि आप नौ तारीखको बारडोलीमें या जहाँ ठीक समझें वहाँ बैठक रखें। कल नैनीताल जा रहा हूँ।

बापू

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१६९. पत्र : खानचन्द देवको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय डॉ० खानचन्द,

आपका विस्तृत पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। और वह मिला भी मुझे बड़े ठीक समयपर। शेष बन्दियोंकी रिहाईके सिलसिलेमें कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। अब मैं चाहता हूँ कि यदि किसी तरह हो सके तो आप मुझे हर मुकदमेके फैसले और सबूतकी एक-एक नकल पहुँचा दें या फिर हर मुकदमेका एक संक्षिप्त ब्योरा तैयार कर दें जिसमें यह भी बताया गया हो कि आप उससे सम्बन्धित बन्दीकी रिहाई समझौतेके अन्तर्गत उचित क्यों मानते हैं। विचाराधीन मुकदमोंका एक पूरा विवरण भी आप मुझे भेज दीजिए।

हृदयसे आपका,

डॉ० खानचन्द देव
ब्रेडलॉ हॉल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८२)की माइक्रोफिल्मसे।

१७०. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय सतीशबाबू,

आपके दोनो पत्र मिल गये। हेमप्रभा देवीकी हालतके बारेमें मै चिन्तित हो गया हूँ। कृपया मुझे सूचित करते रहिए।

वहाँके झगडोका[1] आपका विवरण पढ़कर मन खिन्न हो जाता है और सुभाषबाबूके बारेमे आपकी राय पढ़कर तो खिन्नता और बढ जाती है। मुझे इस बातकी खुशी है कि आप अपनेको दलगत मामलोसे बिलकुल ही अलग रख रहे हैं। 'मुसलमान'की कतरनसे मुझे सन्तोष नही हुआ। 'राष्ट्रवाणी'के अनुवाद अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको अपने भोजनमे नमक भी शामिल कर लेना चाहिए। समझौतेके सिलसिलेमे उठनेवाले मामलोको लेकर मैंने यहाँ अधिकारियोसे कई बार देर-देर तक बातचीत की थी। वे काफी हदतक सन्तोषप्रद रही। अब मै नैनीताल जा रहा हूँ और इस महीनेके अन्ततक बोरसद पहुँचूंगा।

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सौदपुर (बगाल)

अग्रेजी (एस० एन० १७०८३) की फोटो-नकलसे।

१७१. पत्र : ए० फेन्नर ब्रॉकवेको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मेरे इस पतेपर पुनःप्रेषित आपके तारके लिए धन्यवाद। मै उसका उत्तर तार द्वारा इसलिए नही दे रहा हूँ कि मेरी राय अब भी वही है जो मैंने अपने पिछले पत्रमें आपको बतलाई थी। लन्दन जानेसे रोकनेवाला एक ही कारण मैंने आपको बतलाया था। लेकिन मुझे दूसरा कारण भी बतला देना चाहिए था। वह है समझौतेसे सम्बन्धित कार्योपर अमल। हालाँकि केन्द्रीय सरकार मेरी सहायता

१. बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मामलोंको लेकर सुभाषचन्द्र बोस और जे० एम० सेनगुप्तके बीच; देखिए "तार: जे० एम० सेनगुप्तको", ४-६-१९३१ की पाद-टिप्पणी भी।

कर रही है, पर प्रान्तीय अधिकारी लोग समझौतेकी कार्यान्वितिके सिलसिलेमें अनेक कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं और दोष स्थानीय कांग्रेसियोको दे रहे हैं कि वे समझौता-भंग करते हैं। मेरे पास काफी सबूत मौजूद हैं; और व्यक्तियो द्वारा समझौतेके विरुद्ध किये गये आचरणकी हर शिकायतकी मैं अलग-अलग जाँच कर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे कांग्रेसियोकी है जिन्होंने समझौतेपर पूरा-पूरा अमल किया है। अधिकारियोंके साथ चूँकि मेरी बातचीत चल रही है इसलिए उनकी ओरसे की गई समझौता-भगकी कार्रवाइयोका मै अभी कोई भी उल्लेख नही कर रहा हूँ। यह इस आशासे कि निकट भविष्यमें हालात ठीक पटरीपर आ जायेंगे। लेकिन इसी एक काममें मेरा लगभग सारा समय लग जाता है; और यह काम मुझे भारतमें ही रहनेपर मजबूर कर रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री फेश्नर ब्रॉकवे
रिकमैन्सवर्थ, हर्ट्स (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८४) की फोटो-नकलसे।

१७२. पत्र: रामलाल सिंहको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपको शायद इस बातकी जानकारी नही है कि मैंने यह प्रतिज्ञा[1] की है कि जबतक पूरी तौरपर समझौता और भारतको उसका अभीष्ट नही मिल जाता, मै आश्रममें नही रहूँगा। यदि आप इस तथ्यके बावजूद आश्रममें ठहरना चाहते हो तो मै चाहूँगा कि आप आश्रमके प्रबन्धकको लिखें और मुझे भरोसा है कि वह आपको कुछ सप्ताह ठहरनेकी अनुमति अवश्य दे देंगे।

श्री विट्ठलभाई पटेलका पता है: मारफत टॉमस कुक ऍड सन्स, लन्दन।

हृदयसे आपका,

ठाकुर रामलाल सिंह
केन्टिट एस्टेट
डाकखाना बीजइपुर (मिर्जापुर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८५) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ४९-५१।

१७३. पत्र : के० नटराजनको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय श्री नटराजन,

आपके पत्रकी प्राप्ति-सूचना भेजनेमे विलम्ब हुआ। कृपया क्षमा करें। कारण आप जानते ही हैं। मेरा नाम जिस वक्तव्यके साथ जोड़ा जा रहा है, वह बिलकुल ही मनगढ़न्त है। ब्रिटिश शासन एक बुरी चीज है — इस निष्कर्षपर हम बड़े अध्यवसायपूर्ण अध्ययन और मननके बाद पहुँचे हैं और हमारे पीडाजनक अनुभवोंने उनकी पुष्टि की है। 'हिन्द स्वराज्य' और 'सत्यके प्रयोग' में मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया बतलाई है। श्री बिटमैनने यह बडा अच्छा किया कि जाँचे-परखे बिना विवरणपर विश्वास करनेसे इनकार कर दिया। मै इतना और कह दूँ कि बिशप अजारियाके साथ मुलाकातकी बात मुझे यादतक नही है। मैं श्री बिटमैनका पत्र लौटा रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री के० नटराजन
कार्यालय 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर'
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८६) की फोटो-नकलसे।

१७४. टिप्पणियाँ

अन्धकार कैसे मिटे?

एक स्नातक पूछते हैं[१]

यह पत्र अर्धसत्य ही सामने रखता है। इसीके साथ मेरे सामने दूसरा भी एक पत्र है। कहा गया है : "हमारे यहाँ मृत्यु-भोज बन्द हो गया है, मृत्युके बादका रोना-पीटना कम हो गया है तथा विवाह सादे और कम खर्चीले होते जाते हैं।" इसमे आश्चर्यकी बात नही है। किसी भी महाबलिदानके परिणामस्वरूप ऐसे सुधार होने ही चाहिए। आश्चर्य तो इस बातका है कि बलिदानोंके बावजूद और स्थितिको समझते

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखककी शिकायत थी कि जिसके लिए पूरे वर्ष-भर बलिदान दिये गये फिर भी अँधेरेमें वे प्रकाशकी किरणें नजर नहीं आतीं।

हुए भी अस्पृश्यताका नाश जड़मूलसे नही हुआ। अस्पृश्योको कुएँसे पानी लेनेकी मनाही आज भी कई गाँवोमें है। तमाम सार्वजनिक पाठशालाओंमें उनके बालक स्वतन्त्रतापूर्वक नही जा पाते। जाति-भेद और ऊँच-नीचका विचार अभी प्रचलित है। आपसमें झगडे होते रहते हैं। लड़कियाँ आज भी बेची जाती है, लड़कीके बापसे नौजवान अभीतक पैसेकी आशा रखते हैं।

इसकी वजह क्या है?

हमारा ध्यान बाहरकी ओर है, हम अन्तर्मुख नही बने। सरकारके खिलाफ लडनेमे हमें मजा आता है। यह लड़ाई लड़ते हुए या लडनेके लिए जो सुधार बहुत ही आवश्यक होते हैं, वे हम कर लेते हैं। परन्तु हमें अपनेसे लड़नेमें, समाजके साथ युद्ध करनेमें मजा नही आता, या कम आता है।

इस ढिलाईका सामना कौन करे?

स्वयसेवक, स्नातक, स्वयसेविका, वानर-सेना। "लेकिन नमकका खारापन ही गायब हो जाये तो उसे कहाँसे खारा बनायें?" स्वयसेवको और स्वयसेविकाओको यह काम नीरस मालूम होता है। वे यह नही समझ पाते कि यदि ये काम न हुए, तो स्वराज्य नही मिलेगा और यदि मिल भी गया तो वह टिक नही सकेगा। जनताके सब अंगोका विकास ही स्वराज्य है, यह बात अभी दिनकी भाँति साफ नही हुई है। इसलिए यदि अब ग्राम-सेवक बडी सख्यामें मिल जायें, और जो हैं वे ऐसे काम शान्ति, दृढता और लगनके साथ करे तो अन्धकार मिटे और प्रभात हो।

भगिनी-सेवा-संघ

बम्बईके भाई करसनदास चितालियाने श्री० सूरजबहन मणिलालके साथ मिलकर उक्त नामका सघ कायम करनेका निश्चय किया है। भाई करसनदासके प्रयत्नसे विलेपारलेमें भगिनी-सेवा-मन्दिर बन गया है और वह खुल भी चुका है। अब सघकी स्थापनाके विचारसे उन्होने एक पत्रिका छपवाई है जो इसे पूरी पढना चाहे, वे भाई करसनदाससे मँगा ले। उसमें संघके सम्बन्धमें नीचे लिखी बातें दी गई है।[1]

सेविकाकी प्रतिज्ञा नीचे लिखे अनुसार है:[2]

नीचे लिखी योग्यतावाली बहनें प्रवेश पा सकेंगी:[3]

पत्रिकाका उपसंहार इस प्रकार है:[4]

मै भाई करसनदासके इस प्रयत्नकी सफलता चाहता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-५-१९३१

१, २, ३, ४. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

१७५. फिर भी वही राय

श्री मथुरादास देवराम "वीसवी सदीकी सती"[1] सम्बन्धी लेखके बारेमें लिखते हैं :[2]

न्यायकी खातिर मैंने यह पत्र छापा है। ये सब बातें जाननेके बाद भी मैं अपनी रायपर कायम हूँ। जो तथ्य प्रकाशित हुए थे वे अक्षरश. सच हैं, यह जानकर मेरा दु.ख और बढ जाता है और मेरी राय अधिक वजनदार हो जाती है। यह उदाहरण प्रेमका नही, बल्कि आवेशका है। आवेशमे आकर आदमी क्या नही करता? यही बहन अगर जीवित होती तो अपने जीवन द्वारा अपने पतिकी स्मृतिको स्थायी बना पाती। मरकर पतिके साथ नही गई। देह नष्ट होनेके साथ ही सम्बन्ध टूट जाता है, यह मानना ही भूल है। परन्तु कदाचित् यह सच हो तो भी वह इस सम्बन्धकी रक्षा न कर सकी। पतिके देहकी राखके साथ उसकी देह भी राख हो गई अर्थात् एकके जानेपर दूसरा भी चला गया। इस करुण घटनामे मुझे कही कोई बात स्तुति-योग्य नही जान पडती। मैं चाहता हूँ कि इस बहनके सगे-सम्बन्धी भी इस आत्महत्याको सतीत्वका नाम न दें। स्त्रियोको अन्ध पति-प्रेम सिखानेकी अपेक्षा हम उन्हे स्वतन्त्र बनाये और अपने आचरण द्वारा उन्हे यह समझा दे कि उनकी आत्माके अधिकार भी पुरुषकी देहमें रहनेवाली आत्माके समान ही हैं।

अब श्री मथुरादासके अन्तिम प्रश्नके बारेमे "सती स्त्री मर्यादाके भीतर रहकर सन्तानोत्पत्तिके कार्यमें भाग लेगी" इस वाक्यमें 'सती स्त्री' शब्द सौभाग्यवती और शीलवती स्त्रीके लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरा आदर्श तो यह है कि पति-पत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे। यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे दोनो मर्यादाके भीतर रहते हुए सन्तानोत्पत्तिमे भाग ले। अर्थात् एक-दूसरेका शारीरिक स्पर्श, देह-सग सन्तानोत्पत्तिके लिए ही हो और सो भी दोनो जितनी सन्तानकी इच्छा करे, उसके भीतर करने-भरके लिए हो। मेरे विचारसे इसीका नाम मर्यादित सयम है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-५-१९३१

१. ३-५-१९३१ का।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें एक महिलाके सती होनेका विवरण देते हुए उसका समर्थन किया गया था।

१७६. सार्वजनिक खर्च

अन्य सब प्रान्तोके मुकाबले गुजरातको खर्चके बारेमे सबसे अधिक सुविधा मिली है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीका भण्डार कभी खाली रहा ही नही। जिलो और तहसीलो को भी द्रव्य मिलता ही रहा है। वर्षो पहलेसे मेरी यह राय बन चुकी है कि इतनी अधिक सुविधाएँ किसी भी सस्थाके लिए लाभदायी नही होती। जिस सस्थाने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, उसे ऐसी सुविधाएँ तो मिलेगी ही। लेकिन अगर उपर्युक्त नियम सही हो तो ऐसी सस्थाको खुद ही कजूस बनकर रहना चाहिए और जरूरतसे ज्यादा एक कौडी भी खर्च नही करनी चाहिए। यह कोई जरूरी बात नही है कि अनुदान मिलते ही उसे खर्च कर डाला जाये। जरूरी यह है कि आवश्यकता पडे तो करोडो की मांग और खर्च करे और आवश्यकता न हो तो करोडो मिलनेपर भी कुछ खर्च न किया जाये।

मुझे डर है कि गुजरातने हमेशा इस नियमका अनुसरण नही किया है। बल्कि खर्चके बारेमें गुजरातने कुछ लापरवाही तक बरती हो तो आश्चर्य नही। हर गाँव, तहसील और जिलेको अपने हिसाबकी जाँच करनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ काट-छाँट करनी चाहिए। यदि झोपड़ीसे काम चलता हो तो महल न चिना जाये, पैदल जाया जा सकता हो तो गाड़ीका उपयोग न किया जाये और गाडीसे काम चल जाता हो तो मोटरका उपयोग न किया जाये। भोजन-खर्चपर खूब नियन्त्रण रखनेकी आवश्यकता मालूम होती है। उतम मार्ग यह है कि सब समितियाँ ऐसे अनुभवीसे अपने हिसाब-किताबकी जाँच करायें और उससे आलोचनात्मक सुझाव माँगें, जो जनताके धनका सदुपयोग करनेके लिए मशहूर हो।

दस साल पहले गुजरातमें एक स्वर्णिम नियम था कि सब जिलो और सब तहसीलोको अपने खर्च लायक कम-से-कम धन इकट्ठा करके प्रान्तीय समितिमें जमा करना चाहिए। कुछ वर्षोतक इस नियमका पालन किया गया। फिर शिथिलता आ गई। अब तमाम जिलोका खर्च प्रान्तीय समिति देती है। इस स्थितिको मै बहुत भयानक समझता हूँ। यह माननेकी कोई वजह नही कि प्रान्तीय समितिका कोष हमेशा भरा-पूरा ही रहेगा। प्रान्तीय समितिके लिए ऐसा लोभ करना उचित भी न होगा। इसलिए हमे फिरसे पुराने नियमको चालू करना चाहिए। एक बार ऐसा निश्चय हो जानेपर, जहाँ काम होता होगा, वहीसे पैसे मिलते रहेंगे। हमें अपनेमें इतना आत्मविश्वास पैदा कर लेना चाहिए। यहाँ मै यह बताये देता हूँ कि कांग्रेसका नियम क्या है। कांग्रेस प्रान्तोको द्रव्य नही देती। प्रान्त कांग्रेसको दसवाँ हिस्सा देते हैं, और यही नियम प्रान्तोमें जिलोके लिए होना चाहिए। जिले प्रान्तको दसवाँ हिस्सा अर्थात् उचित भाग दें। प्रान्त जिलोका पोषण करे, इसका तो यह मतलब हुआ कि हमने पैरोसे चलनेके बजाय नटकी तरह सिरके बल चलना आरम्भ किया है। यह उलटा न्याय कबतक टिक सकता है?

परन्तु जब लडाई चल रही हो तब क्या किया जाये? मेरा जवाब यह है कि तब भी यही नियम लागू होगा या यों कहिये कि तब यह नियम और भी सख्तीसे लागू होगा। मैं किसी अपवादकी कल्पना कर सकता हूँ। परन्तु अपवाद नियमको सिद्ध करता है। अपवाद नियम नही बन सकता। भगवान् न करे, यदि हमें फिरसे लडना पडा तो हममे बिना पैसे या कम-से-कम पैसेसे लडनेकी शक्ति होनी चाहिए। सत्याग्रहका यह सिद्धान्त है। जालिम हमारे तन और धनका मालिक बन सकता है, किन्तु मनका मालिक कभी नही बन सकता। मन स्वतन्त्र रह सकता है और इसी ज्ञानके आधारपर सत्याग्रह-शास्त्रका जन्म हुआ है। शुद्धतम सत्याग्रहमे गाडीके किराये की जरूरत नही होनी चाहिए, हिजरतकी भी आवश्यकता नही पडनी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े ही तो पैदल जाना चाहिए। खानेको मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी वाह-वाह। जहाँ ऐसी निश्चिन्तता होती है, वहाँ आदमी बहुतेरी झंझटोसे बच जाता है। स्वतन्त्रता हमारे आँगनमें आकर नाचती है। निश्चिन्त अन्ततक भूखों नही भटकता। उसे चबैना मिल ही जाता है। भगवान् चीटीको कण और हाथीको मन प्रतिदिन देता ही है। मनुष्यने घमण्डमें आकर माना कि – "मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं बिगाडता हूँ।" ईश्वर इस घमण्डको रोज चूर करता है, परन्तु मनुष्य अपनी ऐठ नही छोडता। सत्याग्रह इस मदको दूर करनेवाली चीज है। हम इतनी मजिल तय कर चुके है, कि मैंने ऊपर जो-कुछ लिखा है उसे मानने या तदनुसार चलनेमें अब संकोच या अविश्वास नही होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-५-१९३१

१७७. पत्र : भूपेन्द्रनारायण सेनको

स्थायी पता, साबरमती
१७ मई, १९३१

प्रिय भूपेन,

तुम्हारा पत्र मिल गया। देखना कि हाबूकी माँके बारेमे तुम्हारे उल्लेखका मैंने क्या उपयोग किया है।[1] तुमने उनका नाम क्यो नही पूछा? तुमको उनकी अवस्थाके बारेमे मालूम होना चाहिए और उनका एक फोटो भी खिचवा लेना चाहिए था। पता नही, मै बारडोली कब जा पाऊँगा। लेकिन किसी भी स्थानपर कुछ थोडे समयतक जमनेका मेरा कार्यक्रम निश्चित होते ही तुम दोनो निश्चय ही आकर मेरे साथ ठहर सकते हो।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री भूपेन्द्रनारायण सेन
खादी मण्डल, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "एक नारीका आत्मत्याग", २१-५-१९३१।

१७८. पत्र : ए० सुब्बैयाको

स्थायी पता, साबरमती
१७ मई, १९३१

प्रिय सुब्बैया,

बोरसदसे ऐन रवाना होते समय आपका पत्र मिला था। उसके बादसे अबतक समय ही नही मिल पाया। आपकी कठिनाइयाँ मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आपका पत्र राजाजीके पास भेज रहा हूँ, इस हिदायतके साथ कि जितनी जल्दी हो सके, आपको छुट्टी दे दे। बात दुर्भाग्यपूर्ण तो है, पर अनिवार्य है। मैं आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि आपको शेषन्के साथ ही रहना चाहिए और फिर ललिताके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है ही। आपके स्वास्थ्यकी नरमी भी आपको छुट्टी दे देनेका अतिरिक्त कारण है। मैं इस महीनेके अन्ततक बोरसद पहुँचूँगा। हम आज दोपहर बाद नैनीतालके लिए शिमलासे चल रहे हैं और वहाँ कल सोमवारको पहुँच जायेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य इजाजत दे तो आप राजाजीके यहाँसे तबतक काम न छोड़े जबतक वे उसे सब तरहसे उपयुक्त न मानने लगे। आपको उनके पाससे इस इरादेसे आना चाहिए कि आप सब बातोसे फारिग होनेपर और जरूरत पडनेपर फिर उनके पास लौट जायेंगे।

श्री ए० सुब्बैया
गाधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अग्रेजी (१७०८९) की माइक्रोफिल्मसे।

१७९. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

स्थायी पता, साबरमती
१७ मई, १९३१

सुब्बैयाका एक पत्र साथमे रख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको उसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा दे देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आप फिर क्या करेंगे।

किसीने आपके छपे हुए अनुदेश-पत्रकी प्रति श्री एमर्सनको भेज दी थी। उन्होंने उसके बारेमे बहुत उत्साह दिखाया और मुझसे कहा है कि मैं उनकी ओरसे आपको बधाई दे दूं। मै यहाँ अत्यधिक व्यस्त रहा। व्यस्तता लाभदायक भी रही, लेकिन बेहद थका देनेवाली। प्रान्तीय सरकारोने एक सीमातक ही योग दिया है। जाहिर है कि उनको

समझौता पसन्द नही है। इसलिए उनसे समझौतेपर अमल कराना अत्यन्त ही दुष्कर है, शेरकी दाढ़ निकालने-जैसा। इसलिए इस काममे अब शोभा नही है।

लॉर्ड विलिंग्डनके साथ हमने औपचारिक ढगसे सौजन्यपूर्ण बातचीत की, पुरानी जान-पहचान ताजा की और अपना काम खत्म करके अब मैं सयुक्त प्रान्तके झगडोंके बारेमे सर मालकम हेलीसे मिलने नैनीताल जा रहा हूँ। यदि महादेवके साथ आपका पत्र-व्यवहार है तो इस सम्बन्धमे और अधिक जानकारी वही देगा। आपको समय मिले तो पत्र लिखिएगा, अन्यथा नही।

सलग्न : १

श्री च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७०९०)की माइक्रोफिल्मसे।

१८०. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१७ मई, १९३१

महात्मा गांधीने कहा कि कुल मिलाकर वे अपनी यात्रासे सन्तुष्ट थे और उन्होंने समझ लिया था कि केन्द्रीय सरकार अपनी ओरसे दिल्ली समझौतेकी शर्तोंको क्रियान्वित करनेकी कोशिश कर रही है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण फिर दोहराया कि वे लन्दन सम्मेलनमें भाग लेने तभी जायेंगे जब साम्प्रदायिक समस्याका हल निकल आयेगा और जब समूचे भारतमें समझौतेपर सन्तोषप्रद ढंगसे अमल होने लगेगा।

जहाँतक साम्प्रदायिक समस्याका सम्बन्ध है, महात्मा गांधीने स्वीकार किया कि लोगोंमें बहुत काफी अविश्वास मौजूद है, पर भोपालमें हुई चर्चाके बाद अब वे पहलेसे अधिक आशावादी हो गये हैं।

प्रश्न : मान लीजिए कि आप या कांग्रेस गोलमेज परिषद्में शामिल नहीं होते और परिषद् एक ऐसा संविधान तैयार कर देती है जिसे ब्रिटिश संसदका अनुमोदन प्राप्त हो, तो उसके प्रति कांग्रेसका क्या रुख होगा?

उत्तर : मैं काग्रेसकी ओरसे कह सकता हूँ कि उस योजनाके सभी पहलुओंपर विचार किया जायेगा और यदि वह ठीक पाई जायेगी तो अवश्य ही उसपर अमल किया जायेगा।

प्रश्न : आप आत्म-निर्णयके सिद्धान्तमें विश्वास करते है?

उत्तर : जी, हाँ।

प्रश्न : क्या आप किसी प्रान्तको आत्म-निर्णयके अधिकारका प्रयोग करते हुए भारतसे पृथक् होनेकी अनुमति देंगे?

उत्तर: मैं उसके साथ तर्क करके उसे मनानेकी कोशिश तो करूँगा, पर शस्त्रोंके बलपर अपनी इच्छा उसपर नहीं थोपूँगा।

साम्प्रदायिक समस्याके बारेमें विचार प्रकट करनेका आग्रह करनेपर उन्होंने अपना मत फिर दोहराया कि यदि सिख और मुसलमान परस्पर सहमतिसे अपनी माँगें पेश करें तो वे बिना किसी हिचकके उनको मान लेंगे।[1] उनसे पूछा गया कि क्या यह दुःखकी बात नहीं कि प्रान्तीय समझौतोंमें विलम्ब होनेके कारण समूचे देशकी प्रगति भी रुकी रहे? उन्होंने कहा:

बात यह है कि यदि हम छोटी बातोंकी देख-भाल ठीक-ठीक कर सकते हैं तो फिर बड़ी बातोंकी भी कर ही सकते हैं। मैं इस चीजपर आग्रह क्यों कर रहा हूँ? ये प्रान्तीय समझौते असलमें ऐसे तिनके हैं जिनसे पता चलता है कि हवाका रुख क्या है; और हवा तो गोलमेज परिषद्तक के मौसमका रुख बदल सकती है—यहाँतक कि शायद उसे बिल्कुल ही अनुकूल बना दे सकती है।

प्रश्न: 'बॉम्बे क्रॉनिकल' कहता है: 'क्या हमें यह बात दोहरानेकी आवश्यकता है कि गोलमेज परिषद्के काममें तेजी लाने और उसे पूर्णतः सफल बनानेका सबसे कारगर तरीका यही है कि विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार आन्दोलनको और अधिक तीव्र बनाया जाये?'—स्पष्ट ही, इसका अर्थ होता है कि 'बॉम्बे क्रॉनिकल' बहिष्कारको एक राजनीतिक अस्त्र मानता है और अस्त्र भी ऐसा जिसका प्रयोग सभी अन्य देशोंके विरुद्ध समान रूपसे नहीं किया जाना है; क्योंकि जापानी वस्त्रके बहिष्कारसे तो गोलमेज परिषद्के कार्यमें कोई तेजी नहीं लाई जा सकती। क्या आपके विचारसे इस प्रकारकी बात करना दिल्ली समझौतेके शाब्दिक अर्थ और उसकी भावनाके विरुद्ध नहीं है?

आपने जिस लेखसे उद्धरण दिया है मैंने वह देखा नहीं। पर मैं मोटे तौरपर कह सकता हूँ कि विदेशी वस्त्र बहिष्कार-आन्दोलनको एक राजनीतिक अस्त्र मानना निश्चय ही समझौतेके शाब्दिक अर्थ और उसकी भावनासे मेल नहीं खाता। विदेशी वस्त्रोंमें जापानी वस्त्र भी इस समय यदि अधिक नहीं तो उतने ही शामिल हैं जितने कि ब्रिटिश वस्त्र। इसका सीधा-सा कारण यही है कि आज ब्रिटिश वस्त्रोंके मुकाबले जापानी वस्त्र कहीं कारगर ढंगसे खादी और भारतीय मिलों द्वारा तैयार किये गये वस्त्रोंको बाजारसे खदेड़ रहे हैं। उसके बहिष्कारके लिए अत्यन्त ही पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक कारण मौजूद हैं।

ब्रिटेनके कंजर्वेटिव दलको संरक्षणोंकी जो चिन्ता है, आप किस हदतक उसकी गुंजाइश रखनेके लिए तैयार हैं?

भारतके अपने हितों और प्रतिष्ठाको बरकरार रखते हुए यथासम्भव अधिक-से-अधिक सीमातक।

१. इसके बादका अंश स्टेट्समैनसे लिया गया है।

प्रश्न पूछा गया कि क्या उनके विचारसे समझौतेके आड़े आनेवाली कठिनाइयाँ जुलाईतक दूर हो सकेंगी। गांधीजी ने उत्तर दिया :

यह मैं नही बतला सकता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसी आशा है, और मुझे उम्मीद है कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी।

और हिन्दू-मुस्लिम समस्या? भोपालमें हुई मुसलमानोंकी बैठकोंमें जो कदम उठाये गये थे उनके बारेमें आपका क्या विचार है?

वे उत्साहवर्धक है। मुसलमानोके दोनो ही दल अपने बीच एकता स्थापित करनेके लिए स्पष्ट ही भरसक चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैं जब भी हिन्दू-मुस्लिम समस्याका जिक्र करता हूँ तो मेरा मतलब समूची साम्प्रदायिक समस्यासे होता है। उदाहरणके तौरपर, इस समस्याका हिन्दू-मुस्लिम पक्ष सामने आनेपर, सिख भी अपनी बात मनवायेंगे। कठिनाइयाँ तो सामने आयेंगी ही। पर मुझे उम्मीद है कि कठिनाइयाँ ऐसी नही होंगी जिनसे हम पार न पा सके।

तो फिर इन दोनों समस्याओके हल होते ही आप देर-सबेर गोलमेज परिषद्में शामिल होने सचमुच जायेंगे ही?

जी हाँ, अवश्य। और मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसलिए कि मुझे आशा है कि मैं इंग्लैंड पहुँचूँगा तो ब्रिटिश जनता मेरे विचारोके प्रति उदासीन नही रहेगी और मैं जो कहूँगा उसे वह बिना किसी पूर्वग्रहके सुनेगी-समझेगी। या यदि हालात बदतर हुए, तो भी मुझे आशा है कि मैं उनको इतनी बात तो समझा ही सकूँगा कि मैं एक ऐसा सिरफिरा आदमी हूँ जो किसीको नुकसान नही पहुँचा सकता।

और लॉर्ड रोथेरमेर?

हाँ; हाँ, . . . मैं लॉर्ड रोथेरमेरको भी इतना तो समझा ही सकूँगा।

[अंग्रेजीसे]

स्टेट्समैन, १९-५-१९३१, तथा हिन्दुस्तान टाइम्स, २०-५-१९३१

१८१. सन्देश : कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलनको[1]

[१८ मई, १९३१][2]

मूलभूत अधिकारोसे सम्बन्धित प्रस्ताव ही कांग्रेसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। उसमे दरसाया गया है कि कांग्रेस किस प्रकारका स्वराज्य हासिल करना चाहती है। वह स्वराज्य गरीबोका स्वराज्य या राम-राज्य ही है। राम न्याय और न्याय-संगति या औचित्यके प्रतीक है, राम सत्य और औदार्य या दीन-वत्सलताके प्रतीक है।

१. देखिए "पत्र : जमनालाल बजाजको", ८-५-१९३१ भी।

२. महादेव देसाईके अनुसार "गांधीजी ने यह सन्देश पिछले सोमवारको लिखा था"। सोमवार १८ मईको पड़ा था।

प्रस्ताव धार्मिक सहिष्णुतापर आग्रह करता है जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्तिको धार्मिक दायित्वोंका निर्वाह करनेसे नही रोका जायेगा; और राज्य किसी भी धर्मके साथ पक्षपात नही करेगा।

न्याय और न्याय-सगतिका अर्थ है पूंजी और श्रम, जमीदार और किसानके बीच उचित तथा न्याय-संगत सम्बन्ध स्थापित करना। जमीदार और पूंजीपति लोग किसानो और मजदूरोका शोषण नही करेगे बल्कि उनके हितोकी रक्षाके लिए कृतसकल्प रहेगे।

यह नही कि हमारे हाथोमें सत्ता आते ही ये सभी चीजें अपने-आप सहज ही आ जायेगी। मै सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यदि स्वराज्य सत्य और अहिंसात्मक साधनोके जरिये हासिल किया जायेगा तो ये चीजे उसके स्वाभाविक परिणामके रूपमें अपने-आप सामने आती जायेगी। अब प्रश्न है कि क्या हम सत्य और अहिंसा का पालन कर रहे है। सत्य और अहिंसाको यदि कुछ समयके लिए कार्य-साधकताकी दृष्टिसे या मात्र नीतिके रूपमें प्रयुक्त किया जाये तो राम-राज्य हासिल नही किया जा सकेगा। राम-राज्य तो तभी हासिल किया जा सकता है जब सत्य और अहिंसाका पालन एक सैद्धान्तिक विश्वासके रूपमे किया जाये। क्या कभी कोई पुत्र अपने पुत्रोचित कर्त्तव्योका पालन एक नीतिके रूपमे कर सकता है? नीति तो सारत एक अस्थायी कार्य-साधकता ही होती है, जो परिस्थिति बदलनेपर बदली जा सकती है। त्याग या कष्ट-सहनकी नौबत आये बिना सत्य और अहिंसाका पालन करना काफी सरल होता है; लेकिन एक सैद्धान्तिक विश्वासके रूपमे इनका पालन करने-वाला तो सभी परिस्थितियोमे अपनी जानकी बाजी लगाकर भी अडिग बना रहता है। अब समय आ गया है कि हम कांग्रेसी लोग सत्य और अहिंसाको नीतिके नही, बल्कि एक सैद्धान्तिक विश्वासके रूपमे अंगीकार कर ले।

इसलिए, आइए हम यह सोचे कि प्रस्तावके किन-किन अशोपर हम इस समय अमल कर सकते है। आज जिन अशोको प्रभावी बनाया जा सकता है, यदि हम उनपर अमल नही करेगे तो स्वराज्य अर्थहीन हो जायेगा। क्योकि जिन बातोपर हम आज अमल कर सकते है यदि उनपर अमल नही करेगें, तो स्वराज्यके बाद हम उनको एकाएक ही नही करने लग जायेगे।

प्रस्तावमें कहा गया है कि स्वराज्यके संविधानके अन्तर्गत अस्पृश्यता नही रहेगी। तो क्या हमने अस्पृश्यताके रोगका निवारण कर लिया है? प्रस्ताव कहता है कि स्वराज्यके सविधानके अन्तर्गत शराब और मादक द्रव्योकी दूकानोके परवाने जारी करनेके लिए किसी भी प्रकारकी सुविधाएँ नही दी जायेंगी। तो क्या हमने अपने बीचसे मादक द्रव्योके सेवन और शराबखोरीकी बुराईको उखाड़ फेंका है? प्रस्ताव आगे कहता है कि स्वराज्यके अन्तर्गत भारतमें सभी विदेशी वस्त्रोंके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा। लेकिन क्या हमने विदेशी वस्त्रोका शौक छोड दिया है और क्या हम खद्दरधारी बन गये है? इसी प्रकार, इस प्रस्तावके अनुसार हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सगे भाइयोकी तरह मेलजोलसे रहेंगे, तो क्या हमने अपने हृदयोसे एक-दूसरेके प्रति अविश्वास और सन्देहको दूर कर दिया है?

प्रस्तावमे स्वराज्यकी जो तसवीर पेश की गई है उसमें अमीर और गरीबके बीच घृणा या वैमनस्यकी कोई भावना नही रहेगी। क्या हमारे देशके धनी लोगोने अपने आपको गरीबोके साथ एकात्म कर लिया है, और क्या गरीबोने अमीरोके प्रति अपना वैमनस्य दूर कर दिया है? स्वराज्यके सविधानके अन्तर्गत हम चाहते है कि अधिकारियोका अधिकतम वेतन ५०० रुपये माहवारसे ज्यादा न रहे। लेकिन क्या आज इससे ज्यादा वेतन पानेवाले अधिकारी बकाया राशि धर्म और सेवाके कामोमें लगा रहे है? क्या हमारे देशके करोड़पति लोग अपना रहन-सहन इस वेतनके लायक बना रहे है?

आज इन प्रश्नोका कोई निश्चित उत्तर दे पाना कठिन है। आज हम धीरे-धीरे रामराज्य या न्यायराज्यके अपने आदर्शकी ओर बढनेका मार्ग टटोल रहे है। इस प्रस्तावका मन्शा यही है कि हमारा यह लक्ष्य कभी आँखोसे आझोल न हो पाये और उसे प्राप्त करनेके हमारे प्रयत्नोको निरन्तर प्रेरणा मिलती रहे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-५-१९३१

१८२. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

१८ मई, १९३१

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। आपकी शिकायत बिलकुल ठीक है। मैंने भाई फूलचन्दको लिखा है। आपको मिलनेका समय देनेकी क्या जरूरत है? आप आते ही कहाँ है? जहाँ भी होऊँ, वहाँ जब भी आप चाहे तब आनेका अधिकार आपको है। आज यहाँसे नैनीताल जा रहा हूँ। वहाँसे बोरसद जाऊँगा। बोरसद २७ तारीखतक पहुँच जाऊँगा। वहाँ आइए। जलवायु अच्छी है और रहनेकी व्यवस्था भी अच्छी ही कही जा सकती है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५९१६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३२३१ से भी।
सौजन्य : महेश पट्टणी

१८३. पत्र : शारदाबहन चि० शाहको

१८ मई, १९३१

चि० शारदा,

तेरा पत्र मिला। अपनी लिखावटको बिगाड़ मत। अक्षरोंके बारेमें रामदास स्वामीकी एक कविताका जो अनुवाद मैंने तुझे भेजा था, उसे पढ़ना। उसकी प्रति मुझे भेजना। मैं उसे कभी 'नवजीवन' में प्रकाशित करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९०१) से।
सौजन्य : शारदाबहन जी० चोखावाला

१८४. तार : वल्लभभाई पटेलको[1]

नैनीताल
१८ मई, १९३१

सरदार वल्लभभाई
बारडोली

मेरा सुझाव कि तुम कलक्टर और कमिश्नरसे भी मुलाकात करो। शिमला तार दे रहा हूँ। पच्चीस तारीखके लगभग बोरसद पहुँचनेकी आशा है।

बापू

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. सरदार वल्लभभाई पटेलके तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था : "वालोद महलके किसानोंको परेशान करना जारी है। विचाराधीन मुकदमें अब तक वापस नहीं लिये गये हैं। चालू वर्षकी लगान-अदायगीके लिए राजी होनेपर भी जब्तशुदा जमीनें वापस नहीं की गई। कल किसानोंको खेतोंमें दाखिल होनेसे रोकनेके लिए अनेक स्थानोंपर पुलिस तैनात की गई। कार्यक्रम तार द्वारा सूचित करें।"

१८५. पत्र : जमनादास गांधीको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

चि० जमनादास,

हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। प्रभुदास और धीरू साथ आये हैं। तुम्हारा तार मिल गया है। प्रभाशकर रतिलालका भार ले और रतिलाल राजी हो तो मुझसे पूछनेकी जरूरत ही क्या है? उसके खर्चके बारेमे विचार जरूर करना होगा। नानालालके साथ विचार करके मुझे लिखना। चम्पाने जो कहा है उससे ऐसा लगा है कि आजकल वह सब खर्च नानालालसे ले रही है। क्या तुमने डाक्टरको ब्योरेवार पत्र लिखा है? यह मामला उलझता जा रहा है। रतिलाल और प्रभाशकरके साथ बात करके मुझे लिखना। २५ तारीखके आसपास बोरसद पहुँचनेकी उम्मीद है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२२)से।
सौजन्य: जमनादास गाधी

१८६. पत्र : वी० ए० सुन्दरम्को

नैनीताल
१८ मई, १९३१

प्रिय सुन्दरम्,

मुझे इतना समय ही नही मिला कि तुम्हे आस्ट्रियाई मित्रोके लिए पत्र दे पाता। पत्र अब भेज रहा हूँ। साथमें जमनालालजी की बम्बईकी पेढीके नाम एक हजार रुपयेकी हुडी भी है। तुम यदि वम्बई न जाओ तो उसे कही भी भुना सकते हो। तुम्हे उसपर कोई बट्टा देनेकी जरूरत नही और यदि तुमसे बट्टा माँगा जाये तो तुम हुंडी मुझे लौटा देना और लिखना कि तुम रुपये कहाँ मँगाना चाहते हो।

तुम कब जा रहे हो? यह राशि यूरोप-यात्राके लिए ही अकित है; इसे किसी दूसरी मदमे नही लगाया जा सकता।

बापू

अग्रेजी (जी० एन० ३२०३)की फोटो-नकलसे।

१८७. पत्र : दूधाभाईको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

भाई दूधाभाई,

मेरा विचार लक्ष्मीका सम्बन्ध किसी अन्त्यजेतर लड़केसे करनेका है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कदम उठाना ही चाहिए। अपना विचार लिखना। जवाब आश्रम लिख भेजोगे, तो चलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३२४३) की फोटो-नकलसे।

१८८. पत्र : महावीर गिरिको

१८ मई, १९३१

चि० महावीर,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने इरादा बदलकर अच्छा ही किया है। वहीं रहकर अध्ययन करनेकी आदत डालना ठीक होगा। जब भी हो सके शिवाभाई आदिसे मदद लेना। मुझे पत्र लिखते रहना। अध्ययनकी क्या व्यवस्था की है, यह लिखना। अपने-आप अध्ययन करनेकी योग्यता होनी ही चाहिए। जिसमें ज्ञान-वृद्धिका शौक होता है उसे क्या पढे, कैसे पढेंका पता अपने-आप चल जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२९)की फोटो-नकलसे।

१८९. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूँ कि तूने इस यात्राके दौरान चीजोंको भली-भाँति देखा-परखा है। मैं चाहता हूँ कि किसन भी अपने अनुभव भेजे। वह अंग्रेजी या मराठीमें लिखे।

लक्ष्मीपर खूब ध्यान देना। उसका विवाह किसी सवर्णके साथ करनेका विचार है। उसे उस घरके योग्य बनना चाहिए। उसे रसोई बनानी आनी चाहिए। घर-गृहस्थी चलाना आना चाहिए। हिसाब रखना जानना चाहिए। थोड़ी-बहुत संस्कृत जान ले तो अच्छा हो। संस्कृत न जाने तो भी प्रार्थनाके श्लोको और 'गीता'का शुद्ध उच्चारण करना तो उसे सीख ही लेना चाहिए।

इतना ज्ञान सभी लड़कियोंको प्राप्त कर लेना चाहिए। यह आवश्यक है कि लड़कियोंकी पढ़ाई की ओर ध्यान देना हम न भूलें। मुझे विस्तारसे लिखना। लक्ष्मीके बारेमें तू अपना अनुभव लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५४)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ६७०२से भी।
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

१९०. पत्र : वसुमती पण्डितको

१८ मई, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र नहीं आया। फिर भी आज मौनवार है, इसलिए लिख रहा हूँ। नागरवाड़ा आदि स्थानोंमें जाना शुरू कर दिया है क्या? चौकीपर अब एक ही बार जाना पड़ता होगा। मुझे २५ तारीखके आसपास बोरसद पहुँचनेकी आशा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२३)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५३९से भी।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१९१. पत्र : फूलचन्द के० शाहको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

भाई फूलचन्द,

पट्टणी साहब लिखते हैं कि भावनगरमें तुमने जामनगरकी नीतिके बारेमें प्रस्ताव पास कराये और आलोचना भी की। यह हमारी नीतिके विरुद्ध माना जायेगा। यदि तुम इससे सहमत हो तो पट्टणीजी को लिख देना। भावनगरकी तरफसे हमें काफी सुविधाएँ मिलती हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका दुरुपयोग न हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८४३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

१९२. तार : जयरामदास दौलतरामको[1]

नैनीताल
१८ मई, १९३१

जयरामदास दौलतराम
हैदराबाद (सिंध)

पहलेकी दूकानोपर बिलकुल शान्तिपूर्ण धरना जारी रह सकता है, लेकिन जुर्माना-वसूलीके लिए नही।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०३) की फोटो-नकलसे।

१. जयरामदास दौलतरामके तारके उत्तरमें। तारमें उन्होंने बतलाया था कि मीरपुरखासमें सीलें तोड़कर विदेशी वस्त्रोंका नया स्टाक बाजारमें चोरी-छिपे बेचा जा रहा है; और फिर इस सम्बन्धमें यह आदेश तार द्वारा ही माँगा गया कि उक्त परिस्थितिमें यदि जुर्माना-वसूलीके लिए धरना देनेकी अनुमति हो तो क्या पहले निश्चित की गई सभी दुकानोंपर धरना दिया जाये। देखिए "पत्र : जयरामदास दौलतरामको", ७-५-१९३१।

१९३. पत्र : नारायणदास रत्नमल मलकानीको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिल गया। तुमको अ० भा० च० सं० की सिन्ध शाखाका मन्त्री नियुक्त करनेके प्रस्तावके बारेमें मुझे कोई जानकारी नही है। शंकरलाल सघके काम-काजको लेकर मुझे तंग नही करता। उसे जब भी मेरी रायकी जरूरत महसूस होती है, वह लिखकर पूछ लेता है। मुझे खुशी हुई कि तुमने हैदराबाद खादी-भण्डारकी काया-पलट कर दी है। कराचीमे एक केन्द्रीय भण्डार खोलनेकी बात मेरी समझमें नही आई। क्या वहाँ दो या तीन इस समय भी नही चल रहे है, जिनमें से एक मेरठ आश्रमकी ओरसे कीकीबहन द्वारा संचालित भण्डार भी है? यदि ये सभी भण्डार वहाँ चल रहे है, तो क्या केन्द्रीय भण्डार खोलना मौजूदा भण्डारोके काममें हस्तक्षेप करना नही होगा? तुम शंकरलालकी, रायके मुताबिक ही काम करना। कराचीकी योजना क्रियान्वित हो या न भी हो, तुम्हारे बारेमें तो मै यही चाहूँगा कि तुम किसी गाँवमें बस जाओ। गाँवके कामको मै शहरोंके कामसे ज्यादा अहमियत देता हूँ। लेकिन गाँवमे तुम्हारा बसना तभी हो सकता है जब चोइथराम और जयरामदास भी उससे सहमत हो। मै हमेशासे महसूस करता आया हूँ कि यदि घर-घर व्यवस्थित रूपसे लगातार प्रचार किया जाये तो वह धरनेसे कही अधिक कारगर सिद्ध होगा। बड़ी इच्छा है कि मै तुम्हारा अनुवाद पढ़ और समझ सकूं।

बापू

श्री नारायणदास र० मलकानी
मार्फत सिन्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
हैदराबाद (सिन्ध)

अंग्रेजी (जी० एन० ८९८) की फोटो-नकलसे।

१९४. पत्र : कमर अहमदको[1]

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। वर्तमान गतिरोधको दूर कर सकनेवाले हर कदमका मैं स्वागत करूँगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसे दिलसे नहीं किया जा रहा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५११९) की फोटो-नकलसे।

१९५. पत्र : डेनिस सी० ट्रॉथको[2]

नैनीताल
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि आप जो लेख चाहते हैं, उसे लिखने लायक समय मैं नहीं निकाल पाऊँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७००३) की माइक्रोफिल्मसे।

१. प्रापकका नाम जी० एन० रजिस्टरसे दिया गया है।
२. पैन्सिल्वानिया (अमेरिका) के स्टेट कालेजमें शिक्षा एवं मनोविज्ञानके प्राध्यापक।

१९६. पत्र : शैलेन्द्रनाथ घोषको

नैनीताल
१९ मई [१९३१][1]

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए मेरी ओरसे धन्यवाद।[2] मै आपकी इस उत्कट इच्छाकी कद्र करता हूँ कि मै अमेरिका जाऊँ। परन्तु मै अबतक अपने अन्दर उस यात्राके लायक साहस नही बटोर पाया हूँ और आपने देखा ही होगा कि अनेक मित्र मुझे इस यात्रासे विरत कर रहे है। आपको मालूम ही होगा कि अबतक तो मेरी लन्दन-यात्रा तक अनिश्चित है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१३)की फोटो-नकलसे।

१९७. पत्र : दुर्गाप्रसन्न चटर्जीको

नैनीताल
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।[3] आपने जिस मामलेका उल्लेख किया है, उसमे मै कोई भी सहायता करनेमे समर्थ नही हूँ। लेकिन मै कहना चाहता हूँ कि बगालकी सकटपूर्ण आर्थिक स्थितिसे निबटनेका एकमात्र तरीका निस्सन्देह प्रतिनिधित्व हासिल करना ही नही है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७१)की माइक्रोफिल्मसे।

१ और २. शैलेन्द्रनाथ घोषके लिखे पत्रसे वर्ष निश्चित किया गया है। पत्र-लेखकने लिखा था: "ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री और आपकी आगामी वार्ताओंके लिए अमेरिकाका क्या महत्त्व हो सकता है, यह आप इस देशमें आनेपर ही समझ पायेंगे। अमेरिकाके महत्वका अनुमान आप इस तथ्यसे कर सकते है कि ब्रिटेनके बडेसे-बड़े नेता — चर्चिल, बॉल्डविन और अनेक अपेक्षाकृत कम बड़े लोग — भारतके सम्बन्धमें भाषण करने अगले शरद्कालमें इस देशमें आ रहे है। . . . आपकी वार्त्ताओंकी सफलताके लिए — भारतके हितके लिए — यह नितान्त वांछनीय है कि आप लन्दन परिषद्‌के बाद इस देशमें आनेका विचार पक्का कर लें। . . ."

३. दुर्गाप्रसन्न चटर्जीने लिखा था· "हिदायत कीजिए कि आगे अमलमें लाये जानेवाले भारतीय सवैधानिक सुधार विधानो, मताधिकार समिति और दूसरी गोलमेज परिषद्‌के सिलसिलेमें बेचारे बंगाली दूकानदारोंकी नितान्त असहायतापूर्ण स्थितिमें उनके लिए कौन-सा मार्ग अपनाना सर्वोत्तम रहेगा। . . ." मुझे लगता है कि "आर्थिक मन्दीके बढते हुए बोझके बारेमें आवाज उठाने लायक सक्षम प्रतिनिधियोंके न होनेके कारण बगाली व्यावसायिकोंकी स्थिति क्षोभजनक बन गई है। . . ."

१९८. पत्र : गुलशन रायको

नैनीताल
१९ मई [१९३१][1]

प्रिय मित्र,

आपके पत्र और कतरनोंके[2] लिए धन्यवाद। मैं उनको ध्यानपूर्वक देख लूँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७६)की फोटो-नकलसे।

१९९. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

नैनीताल
१९ मई, १९३१

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

आपका इस महीनेकी १६ तारीखका पत्र[3] मिल गया। मुझे श्री एमर्सनसे ऐसे एक और मामलेपर भी बात करनी है। मैंने देख लिया है कि अध्यादेश ९ के मातहत

१. वर्षका अनुमान गुलशन रायके पत्रके आधारपर किया गया है। उसपर तिथि १५-५-१९३१ पड़ी है।

२. गुलशन रायने वर्माको पृथक् करने, पंजाबके विभाजन और अल्पसंख्यक या साम्प्रदायिक समस्याके सम्बन्धमें ट्रिब्यूनमें प्रकाशित अपने लेख गांधीजी के विचारार्थ संलग्न किये थे। उन्होंने लिखा था: "मेरा विश्वास है कि जबतक पंजाब और बंगालमें मुसलमानोंको एक कारगर बहुमत बनाये रखनेका आश्वासन नहीं दिया जायेगा, तबतक इन दोनों प्रान्तोंकी साम्प्रदायिक समस्या कभी हल नहीं होगी। इन परिस्थितियोंमें बंगालके चटगाँव, ढाका और राजशाही डिवीजनोंको लेकर एक पृथक् प्रान्त गठित करना ज्यादा अच्छा रहेगा। उस सूरतमें पूर्वी बंगालमें मुसलमान लगभग ७० प्रतिशत होंगे और पश्चिमी बंगालमें हिन्दुओंका बहुमत रहेगा। इसी प्रकार यदि पंजाबसे अम्बाला डिवीजनको पृथक् कर दिया जाये, तो शेष पंजाबमें मुसलमान जन-संख्या ५६ से बढ़कर ६५ प्रतिशत हो जायेगी। और यदि पंजाब और पूर्वी बंगालके नव-गठित प्रान्तोंमें मुसलमानोंको कारगर बहुमत मिल जाये तो मुझे पूरा यकीन है कि संयुक्त निर्वाचक मण्डलोंको स्वीकार करनेमें उनको कोई कठिनाई नहीं होगी।"

३. डॉ० गोपीचन्द भार्गवने खादी-भण्डार, पेशावरके प्रबन्धकसे मिली यह सूचना गांधीजी के पास भेजी थी कि सरकारने १९३० में उक्त प्रबन्धकका सारा माल, बहियाँ और १९८ रुपये सहित रोकड़की पेटी और प्रबन्धकके निजी इस्तेमालकी चीजें जब्त कर ली थीं। और अब समझौता होनेके बाद भी केवल एक-चौथाई माल और टूटी हुई हालतमें रोकड़की पेटी लौटाई गई है। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध किया था कि श्री एमर्सनके साथ इस मामलेपर बातचीत की जाये।

हर्जानेका कोई सवाल नही उठाया जा सकता। इसलिए हर्जाना पानेकी मुझे कोई गुंजाइश नही दिखाई पड़ती।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७८)की माइक्रोफिल्मसे।

२००. पत्र : बोधराजको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय लाला बोधराज,[1]

लाला लोकनाथके बारेमे आपका पत्र[2] मिला। क्या आप उनके मुकदमेके पूरे विवरणकी एक प्रति मुझे भेज सकेंगे? तब मैं सोचूँगा कि क्या किया जा सकता है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७९)की माइक्रोफिल्मसे।

२०१. पत्र : एम० आई० डेविडको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

आपका १४ तारीखका पत्र मुझे मिल गया। देख रहा हूँ कि आप सद्भावनाके अपने कार्यक्रमको आगे बढानेमे लगे है। आप जानते है कि मुझे आपके इस सराहनीय प्रयत्नके प्रति पूरी सहानुभूति है और अभी मुझे लगता है कि हम दोनोके इस समान उद्देश्यको मै ज्यादा-से-ज्यादा बल इसी तरह पहुँचा सकता हूँ कि मै 'यग इडिया' मे उसके बारेमें कोई ऐसी बात न लिखूं जो आपके आडे आती हो। मै लज्जाके साथ यह स्वीकार करता हूँ कि मैने यूरोपीय युवको द्वारा लॉर्ड इर्विनके नाम लिखा गया पत्र अबतक नही देखा है। इसलिए उसकी एक प्रति भेजनेकी कृपाके लिए मै आपका आभारी हूँ। निस्सन्देह, वह एक बडा अच्छा पत्र है। लॉर्ड इर्विनका उत्तर योग्य ही है।

१. अध्यक्ष, मुलतान नगर, कांग्रेस कमेटी।

२. बोधराजने गांधीजी को सूचित किया था कि नेकचलनीका जाती मुचलका देनेसे इनकार करनेवाले मुल्तानके लाल लोकनाथको समझौतेके बाद भी जेलमें रखा जा रहा है, जब कि उसी तरहके एक मुकदमेमें सजा पाये शामदासको रिहा कर दिया गया है।

मैं समझता हूँ कि प्रस्तावित घोषणापत्र अवतक एक निजी दस्तावेज ही बना हुआ है। उचित व्यापार और रहन-सहनकी परिस्थितियोंके सम्बन्धमें किये गये उल्लेख की और गहराईसे जाँच करनेकी जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आपको मालूम होगा कि घोषणापत्रमें ग्रेट ब्रिटेनवासी भारतीयोंके जो अधिकार गिनाये गये हैं वे वहाँ उनको प्राप्त नही हैं। दक्षिण आफ्रिकामें की जानेवाली भारतीयोंकी माँगों और भारतमें यूरोपीयों द्वारा उठाई जानेवाली माँगोंमें कोई साम्य नही है। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय सामाजिक, व्यावसायिक और वैधानिक निर्योग्यताओंसे पीडित हैं और वहाँ उनको हीन प्राणी समझा जाता है। इसलिए वहाँके भारतीय समानताके दर्जे पर प्रतिष्ठित किये जानेकी माँग करते हैं; जब कि भारतमें यूरोपीयोंको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनकी ओरसे समानताके दर्जेकी माँग करनेका अर्थ होगा कि उनके विशेषाधिकारोंको बरकरार रखा जाये। इसलिए जब भारतमें उसका अपना राज्य बनेगा, तो यूरोपीयोंको असुविधाजनक लगेगा ही; क्योंकि न्यायपूर्ण यही होगा कि उनके विशेषाधिकार वापस ले लिये जायें। इस बातके अलावा, स्वतन्त्र भारतमें यूरोपीयोंको किसी हानिका कोई भय नही होगा, इतना ही नही उनकी सूझबूझ और उनकी योग्यताके कारण वे सदा ही राज्यके लिए बड़े उपयोगी नागरिक बने रहेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९५)की फोटो-नकलसे।

२०२. पत्र : सुखेन्दुविकास चौधुरीको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

क्या मैं आपके पत्रको सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित कर सकता हूँ? क्या उसमें उल्लिखित तथ्योंको आप सिद्ध कर सकते हैं?

श्रीयुत सुखेन्दुविकास चौधुरी
पाटिया, जिला चटगाँव

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९६)की माइक्रोफिल्मसे।

२०३. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके 'पुनश्च' में लिखा तो था कि अपने सबसे बादके पत्रकी प्राप्ति-स्वीकृति पानेका आपको कोई आग्रह नहीं, पर मुझे थोड़ा समय मिल गया है और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि स्वयं मेरी ओरसे या कार्य-समितिके अन्य सदस्योंकी ओरसे आपके प्रति समुचित सम्मान न दिखानेकी अपनी किसी भी आशंकासे आपको बिलकुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। बात दरअसल यह है कि देशकी जनताके दिमागको परेशान करनेवाले आजकलके मसलोंके बारेमें आपसे उनका मतभेद है। और जिनके साथ आपका मतभेद है, भले ही वे आपके साथ मतैक्यके इच्छुक हों, उनको आप कोई दोष कैसे दे सकते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री सी० विजयराघवाचारियर
फेयरीफाल्स व्यू
डाकखाना-कोडाईकनाल आब्जर्वेटरी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९८)की फोटो-नकलसे।

२०४. पत्र : किर्बी पेजको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आप और अन्य मित्रोंने जो तार भेजा है, मैं उसकी दिलसे कद्र करता हूँ। तार न आता तो भी अमेरिका जानेका फिलहाल मेरा कोई विचार नहीं था।[1] लेकिन हाँ, उसके बाद आपके तार और अन्य पत्रोंने सिद्ध कर दिया है कि मेरी अनिच्छाका आधार काफी पुष्ट था।

हृदयसे आपका,

श्री किर्बी पेज
न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९९)की फोटो-नकलसे।

२०५. पत्र : बॉयड टुकरको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय बॉयड,

आपका पत्र मिल गया। अब मैं ज्यादा अच्छी तरह समझ पाया हूँ कि मेरी प्रस्तावित लन्दन-यात्रामें आप मेरे साथ क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन अभीतक मेरे न तो लन्दन जानेकी कोई सम्भावना दिखती है और न अमेरिका जानेकी ही। अमेरिका-यात्राकी सम्भावना तो और भी कम है। मिशनरियोंके कार्य-कलापके सम्बन्धमें आपका पत्र[2] मैं निश्चय ही प्रकाशित करूँगा।

श्री बॉयड टुकर
मार्फत पोस्टमास्टर
श्रीनगर (कश्मीर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१००)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-५-१९३१ का उपशीर्षक "अमेरिका जानेकी अफवाह"।
२. देखिए "ईसाई मिशन", २८-५-१९३१।

२०६. पत्र : के० टी० मैथ्यूको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिन पत्रो और कागजातका उल्लेख किया है, वे मुझे मिले थे — यह मुझे याद है। मैंने कोई भौतिक सुझाव नही दिया था। दोनों प्रतिस्पर्धी संस्थाओके सदस्य मुझसे मिले थे और मैंने उन दोनोको एक कर देनेके विचारका निश्चय ही अनुमोदन भी किया था। मिलकर बना हुआ नया सगठन काग्रेसके तत्वावधानमे रहे या नही — इसका निर्णय एकीकरण समितिपर छोड दिया गया था। आपके पत्रमें मुझे ऐसी कोई बात नही दिखती, जिसके आधारपर राय बदलनेकी जरूरत हो।

हृदयसे आपका,

श्री के० टी० मैथ्यू
महामन्त्री
अखिल भारतीय राज्य प्रजा-परिषद्
कुन्नमकुलम (कोचीन राज्य)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०१)की माइक्रोफिल्मसे।

२०७. पत्र : निरंजन पटनायकको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय निरंजन,

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है तुम शीघ्र ही पैसोकी परेशानीसे छुटकारा पा लोगे।

अभी इस समय तो मेरे लन्दन जानेके कोई आसार ही नही दिखते; फिर वहाँ सचिवालय बनानेकी तो बात ही नही उठती। मैंने अभीतक इसपर सोचा ही नही है कि मैं अपने साथ कितने सचिव ले जाऊँगा। तुमने जिस उक्तिको मेरी कहकर उद्धृत किया है, उसकी मुझे याद नही पड़ती। अगर मैंने यह कहा भी होगा तो अधिक सम्भावना यही है कि विनोदमें कहा होगा, अन्य किसी रूपमें नही।

लन्दनमें उत्कल-सचिवका क्या काम होगा? विभाजनका वास्तविक कार्य तो यहीं होगा, लन्दनमें नहीं।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री निरंजन पटनायक
मार्फत उद्योग मन्दिर
बरहमपुर, बी० एन० रेलवे

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०२)की माइक्रोफिल्मसे।

२०८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

नैनीताल
१७ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

लुधियानामें हुए लाठी-चार्ज[1]का संलग्न विवरण लुधियाना कांग्रेस कमेटीके एक सदस्यने भेजा है। जाहिर है, उसे प्रकाशनके लिए ही मेरे पास भेजा गया है। वैसे समझौतेसे उस घटनाका सीधा सम्बन्ध तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि समझौते की भावना ऐसे काण्डोको रोकनेमें कारगर होनी चाहिए। यदि आप मेरी बातसे सहमत हों, तो उसकी जाँच करानेकी कृपा करें। आपका उत्तर मिलनेके बाद ही मैं उसका ब्योरा प्रकाशित करूँगा। पूरे काण्डका आँखो देखा हाल बतलानेके लिए ही एक व्यक्ति लुधियानासे कालका तक आया था।

हृदयसे आपका,

सलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल संख्या, १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. मईकी १६ तारीखको हुए; देखिए खण्ड ४७, 'क्या समझौता दृढ रहा है?", ९-७-१९३१।

२०९. पत्र : नारणदास गांधीको

नैनीताल
१८/१९ मई, १९३१

चि० नारणदास,

अभी नैनीताल पहुँचे हैं। किन्तु मौनके कारण शान्ति है। इसलिए कुछ डाक निबटानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। पुरुषोत्तमका पत्र पढा। वकील कौन है यह मालूम होना चाहिए। उनके साथ सम्बन्ध तोडनेमें जल्दबाजी तो नही हुई? यहाँ दूर बैठे होनेसे कुछ समझमें नही आता। पुरुषोत्तमकी माँगोका प्रबन्ध तो कर ही दिया होगा।

पजाबी वैद्यकी सफलता-असफलताकी खबर देना।

मुझे लगता है कि हम २५ के आसपास बोरसद पहुँच जायेंगे। बुधवारको और अच्छी तरह मालूम हो जायेगा।

प्रभुदास और धीरू आ गये हैं। रामभाऊ अभी आनेवाला है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :][1]

रामभाऊ कल शामको आ गया।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो : श्री नारणदास गांधीने तथा सी० डब्ल्यू० ८१६१ से भी।
सौजन्य : नारणदास गाधी

२१०. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

२० मई, १९३१

चि० माधवजी,

तुम्हारा पत्र मिला है और सुरेन्द्रका भी। समाचार दु खद है, पर ऐसी जागृतिके समय इस तरहकी घटनाएँ होती रहेगी। हम नाम नही दे सकते क्योकि हो सकता है कि निर्दोष मारे जायें। नाम देनेसे विश्वासघात भी होता है और विश्वासघात करनेसे कभी भी धर्मका पालन हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण मेरे ख्यालमें तो नहीं आता। हमपर विश्वास करके कोई व्यक्ति अपना दोष कबूल कर जाये, यह एक बात है। पर किसी भी मनुष्यके अपराधकी खबर हमें परोक्ष रीतिसे मालूम हो, यह दूसरी

१. यह १९ मईको जोड़ा गया था।

बात है। परोक्ष रूपसे प्राप्त खबरका उपयोग कई प्रसंगोमें धर्म हो सकता है, किन्तु यहाँ तो ऐसा करना धर्म है ही नही। इसलिए तुम्हारा कर्त्तव्य तो जिस तरह हो सके उस तरह अभी उपद्रव करनेवालोमें सुधार करना ही बच रहता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यहाँसे दो-तीन दिनमे या कल ही गुजरातके लिए रवाना हो जायेगे।

गुजराती (जी० एन० ६८१५)की फोटो-नकलसे।

२११. भाषण : नैनीतालमें

२० मई, १९३१

महात्माजी ने मानपत्रके उत्तरमें गवर्नरके[1] साथ हुई अपनी भेंटका उल्लेख करते हुए कहा कि उस जैसी परिस्थितिमें उनकी जैसी स्थितिवाला व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं बतला सकता; हालांकि जनता उनसे बहुत-कुछ जानना चाहती होगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जबतक दूसरी कोई नीति तय नहीं करती, तबतक अहिंसाका पालन करते रहना ही जनताका कर्त्तव्य है। उन्होने नागरिकोंसे पूछा कि दो वर्ष पूर्व दिया गया खद्दरके प्रचार-कार्यका अपना वचन पूरा करनेके लिए उन लोगोंने क्या किया है। उन्होने खद्दरका महत्त्व समझाते हुए बताया कि वह स्वराज्य-प्राप्तिमें किस तरहसे सहायक हो सकता है और कहा कि उसके बिना देशको स्वतन्त्र करना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने जनताको समझाया कि गोलमेज परिषद्में जाकर बैठ जाने-भरसे वह सब-कुछ हासिल नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए कांग्रेस लड़ रही है, वह तो तभी होगा जब लोग स्वराज्य-प्राप्तिकी सबसे पहली शर्त पूरी कर दिखायें, अर्थात् अपने कर्त्तव्यसे किंचित् भी न डिगें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २२-५-१९३१

१. देखिए परिशिष्ट ७।

२१२. कांग्रेसका मतदाता

एक भाई पूछते है :-

कांग्रेस कमेटियोंके चुनावके मौकेपर

१. क्या कांग्रेसका उम्मीदवार कांग्रेसके नये सदस्य बनाकर उनकी ओर से चार आनेका चन्दा खुद दे सकता है?

२. क्या मत प्राप्त करनेके लिए उम्मीदवार अपने खर्चसे मतदाताओंके लिए सवारी भेज सकता है?

३. क्या मतदाताओंको प्रसन्न करनेके लिए उम्मीदवार उनकी मेजबानी कर सकता है?

४. क्या आदतन खादी न पहननेवाला कोई मतदाता मत दे सकता है?

ये बडे उपयोगी और सामयिक प्रश्न है। पहले तीन प्रश्नोपर मेरा यह जवाव है कि यह है तो बडी ही निन्दनीय प्रथा है, फिर भी मुझे लगता है कि इसे काग्रेसके सगठनमे या उपनियमोमे रोकनेका कोई प्रबन्ध नही है। चौथे प्रश्नके उत्तरमे मै साफ 'नही' कहता हूँ। यानी, यदि उम्मीदवार चाहे तो सदस्योकी ओरसे स्वय चन्दा दे सकता है, उनके लिए सवारी भेज सकता है, और उन्हे यह समझानेके लिए कि वे उसीको मत दें, उनकी मेजवानी कर सकता है, परन्तु मै यह आशा अवश्य रखता हूँ कि उम्मीदवार अपनी खातिर, और काग्रेस और देशकी खातिर रिश्वत या अनुचित समझी या मानी जानेवाली किसी वातका आश्रय नही लेगे। काग्रेस कमेटियोके सदस्य वननेकी सनकको मै कभी समझ नही सका, क्योकि इस प्रकार बनी हुई काग्रेस कमेटियाँ सेवाका साधन बननेके बजाय सहज ही उपद्रव और असेवाके साधन वन सकती है। सदा खादी पहननेके सम्बन्धमें तो इस नियमका पालन कम और उसका भग ही अकसर होता है, इसमें शक नही। यह एक अजीव वात है कि सदा खादी पहननेवाले — जो हजारोकी सख्यामें है — काग्रेसका सदस्य वननेकी परवाह नही करते और जो काग्रेसके सदस्य है वे खादी पहननेका कष्ट नही उठाते। इस ढिलाईका कारण यह है कि जुदा-जुदा पक्षोकी ओरसे अन्तिम क्षणतक सदस्य वनानेके लिए आदमी लाये जाते है, जो चुनाव खत्म होनेके वाद फौरन ही गायब हो जाते है। नये चुनाव या उपचुनावके लिए भी नई फेहरिस्त बनाई जाती है। इस दु.खद स्थितिके रहते हुए भी काग्रेसकी शक्ति दिन-व-दिन वढती जा रही है। वह अधिकाधिक लोकप्रिय बनती जा रही है। वह अधिकाधिक जन-समूहोको अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी आज्ञाओका पालन जनताका एक बड़ा भाग तत्परताके साथ करता है। इस स्थितिके कारणकी जाँच करनेसे यही मानना पड़ेगा कि कांग्रेसके प्रतिनिधि भले लापरवाह हों, फिर भी किसी भी तरह क्यो न हो, काग्रेस जनसाधारण की आवश्यकताओं और आकांक्षाओका समर्थन करती है, और वाणी द्वारा उसे प्रकट

करती है। इन आम लोगोंपर ऐसे प्रतिनिधियोंके बेजा बरतावका कोई असर नहीं पड़ता। वे तो अपने प्रतिनिधियोंकी लियाकतकी जाँच किये बिना या उस ओर ध्यान दिये बिना कांग्रेसका, उसके ध्येयके खातिर ही, समर्थन करते हैं। यदि मेरा यह विश्लेषण सच हो, तो इससे जो नसीहत मिलती है, वह स्पष्ट है। इन पत्र-लेखकने जिन निन्दनीय प्रथाओंका जिक्र किया है, यदि ये और ऐसी प्रथाएँ बन्द न हुईं तो कांग्रेसकी जो शक्ति आज है, वह कायम न रहेगी। कांग्रेसके कार्यकर्त्तागण इसके प्रति सदा उदासीन नहीं रह सकते।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१३. टिप्पणियाँ

धरने

कांग्रेसवालोंको जानना चाहिए कि भारत सरकारके पास प्रान्तीय सरकारोंकी ओरसे इस तरहकी शिकायतें आती रहती हैं कि धरना हमेशा शान्तिपूर्ण नहीं होता। मैं नहीं जानता कि ये शिकायतें कहाँतक सच हैं। परन्तु सरकार खुद समझौतेकी बातोंका किस तरह पालन करती है, इसका विचार किये बिना जो बातें हमसे सम्बन्धित हैं, हमें उनके पालनमें अधिक-से-अधिक सख्ती बरतनी चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जितने अधिक सख्त बनेंगे उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ेगी। इसलिए जो बातें मैं पहले कह चुका हूँ[1] फिर दोहराए देता हूँ:

१. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरहकी भी जोर-जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए।

२. धमकीका आभास भी नहीं होना चाहिए; इसलिए एक जगह पर एक समयमें पाँचसे अधिक धरनेवाले नहीं रहने चाहिए।

३. विनम्र अनुरोध करने और प्रचार-साहित्य बाँटनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए।

४. विदेशी कपड़ेके व्यापारियों द्वारा वादाखिलाफी किये जानेपर कांग्रेस कमेटियोंको उनपर जुर्माना नहीं करना चाहिए।

५. विदेशी कपड़ा खरीदनेवालोंपर आवाजें नहीं कसनी चाहिए।

६. खरीदारोंके चारों ओर घेरा बाँधकर खड़े नहीं होना चाहिए।

७. विदेशी कपड़ा ले जानेवाले ग्राहकों या गाड़ियोंका रास्ता रुके, इस ढंगसे रास्तेमें नहीं लेटना चाहिए।

जिनका यह खयाल हो कि इस तरहके मर्यादित धरनेसे कोई लाभ नहीं होगा, वे धरना देना छोड़ दें, और अपनी आँखोंके सामने विदेशी कपड़ा बिकने देनेकी जोखिम उठायें। विदेशी कपड़ेकी बिक्री रोकनेके लिए यदि हमें समझौतेके शब्दार्थ

१. देखिए खण्ड, ४५, "टिप्पणियाँ", १५-३-१९३१ का उप-शीर्षक "धरना देनेवालोंसे"।

या भावार्थको भंग करना पडे तो इससे बेहतर तो यह होगा कि विदेशी कपडा बिकने दिया जाये।

विदेशी कपडेका बहिष्कार आखिर तभी सफल होगा, जब कांग्रेसका सन्देश जन-साधारणतक पहुँचेगा और खादीकी भावना उनमें व्यापेगी। प्रचार और उत्पादन का असली काम तो गाँवोमें पडा है।

हमें याद रखना चाहिए कि हम विदेशी कपडेका बहिष्कार उसके अत्यन्त महत्व-पूण आर्थिक और सामाजिक परिणामोके लिए करते है ! फिर ब्रिटिश कपडे या सूतके बहिष्कारकी जितनी आवश्यकता है, उतनी ही जापानी या इटालियन कपडे और सूतके बहिष्कारकी भी है। सच पूछा जाये तो जापानी कपडेके बहिष्कारकी अधिक आवश्यकता है, क्योकि उसकी खादी और स्वदेशी मिलोके कपड़ेके साथ अधिक होड़ रहती है। हमे जापानसे द्वेष नही है। हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार इसलिए करते है कि यह हमारे राष्ट्रकी एक आर्थिक आवश्यकता है।

ऊपर जो बातें मैंने धरनोके सम्बन्धमे कही है, वे शराबकी दूकानोके धरनो पर भी उसी तरह लागू होती है। उसकी अन्तिम सफलता इसपर निर्भर करती है कि कांग्रेसका सन्देश शराब पीनेवालोके घरतक पहुँचे।

समझौता और कैदी

बहुतेरे प्रान्तोसे मेरे पास शिकायते आ रही है कि इर्विन-गांधी समझौतेके अनु-सार जिन कैदियोकी रिहाई होनी चाहिए थी, उनकी अभीतक रिहाई होना बाकी है। उन प्रान्तोकी सरकारे कहती है कि उनपर समझौतेकी शर्तें लागू नही होती। ऐसे मामलोमे राहत पानेका एकमात्र उपाय यह है कि हर मुकदमेकी कार्रवाईका अलग-अलग अध्ययन किया जाये। इसलिए जिन समितियोने मेरे पास फेहरिस्तें भेजी है, उन सबसे मैं कहूँगा कि वे स्वय मुकदमोकी जाँच करे और जहाँ उन्हे सन्तोष हो जाये कि कागज-पत्रोसे जहाँ हिंसा (न कि केवल कानूनी शब्दार्थके अनुसार हिंसा या वैसी हिंसाके लिए भडकाना) सिद्ध होती है, उन मामलोको फिलहाल अलग रखें। जहाँ स्थानीय जाँचसे यह मालूम हो कि हिंसा या हिंसाके लिए भड़काना सिद्ध नही होता है, उनके कागज-पत्र मेरे पास भेजे जायें, मै स्वयं उनकी जाँच करूँगा और जहाँ जरूरत होगी, उनकी रिहाईके लिए किसी सेवाभावी वकील और समाचारपत्रोकी सहायता लूँगा। जानकारोको किसी खास कैदीकी निर्दोषताके बारेमे विश्वास हो, तो भी इतना याद रखना चाहिए कि समझौतेकी इस सम्बन्धकी शर्तके अर्थानुसार हम केवल मुकदमेके कागज-पत्रोका ही सहारा ले सकते है। जिनके विरुद्ध कार्रवाईके कागज-पत्रोसे हिंसा सिद्ध नही होती, उनकी रिहाईकी माँग हम पेश कर सकते है। श्री राजवाडेका मामला ऐसा ही था।

दूसरे कैदी और उनके मित्र इस आश्वासनपर ही सन्तोष करे कि यदि अन्तिम समझौता हुआ तो उनकी रिहाई अवश्य होगी, और यदि सब तरहकी कोशिशें करने पर भी समझौता टूट गया तो उनके पुराने साथी फिरसे उनके बीच पहुँच जायेंगे। परिणामकी प्रतीक्षा उन्हे अधिक समयतक नही करनी पडेगी।

गरीबोंका नमक

इर्विन-गांधी समझौतेकी नमक-कानूनकी छूटवाली धारापर किस तरह अमल हो रहा है, यह लोगोंको अभीतक मालूम नहीं है। इसका मुझे दु:ख है। मैंने सरकारको सुझाव दिया है कि वह स्पष्ट हिदायतें जारी कर दें, जिससे लोग जान सकें कि वे क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता आशा रखे कि कुछ ही समयमें ये हिदायतें प्रकाशित हो जायेंगी।[1]

अमेरिका-यात्रा[2]

डॉ० हैरी वार्ड लिखते हैं:

अन्य लोगोंके साथ मैंने आज जो तार आपको भेजा है, उसमें कुछ और शब्द जोड़नेकी अनुमति चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो उस तथ्यपर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ कि आपके इस देशमें आगमनके विरुद्ध मैंने जो दलील दी थी वह अब भी बल्कि अब कहीं अधिक वजन रखती है। हमारे यहाँके समाचारपत्र दिन-दिन अधिक सनसनी फैलानेवाले [माध्यम] बनते जा रहे हैं। उनमें आपकी गलत तसवीर पेश की जायेगी और सनसनी फैलानेकी टोहमें रहनेवाले हमारे देशके लोग उसका अनुचित लाभ उठायेंगे। और तब जीवनके तौर-तरीके बेहतर बनानेमें सहायता देनेकी आपकी शक्ति यदि विफल नहीं तो बहुत ही कम अवश्य हो जायेगी। परन्तु आपके आगमनके विपक्षमें एक दूसरा कारण इससे भी अधिक वजनदार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके यहाँ आनेसे लन्दन-वार्तामें भारतका पक्ष कुछ कमजोर ही पड़ जायेगा। अमेरिकाके प्रति इंग्लैंडमें एक छिपा हुआ आक्रोश मौजूद है, जो ऊपरसे नहीं दिखाई देता। यह इंग्लैंडमें आर्थिक गिरावट और हमारा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो जानेके कारण है। आक्रोशकी यह भावना ब्रिटिश नीतिके सम्बन्धमें दिये जानेवाले किसी भी वक्तव्यको लेकर फूट पड़ने में कभी नहीं चूकती। यही कारण था कि पिछले वर्ष हममें से कुछ लोगोंने जब मैक्डॉनल्डके नाम की गई इस सर्वथा निर्दोष अपीलपर अपने हस्ताक्षर किये थे कि वे आपके साथ व्यक्तिगत तौरपर मुलाकात करके किसी समझौतेपर पहुँचनेकी कोशिश करें तब इंग्लैंडके धर्माचार्योंने हस्ताक्षरकर्त्ताओंकी खास तौरपर और अमेरिकाकी आमतौरपर काफी आलोचना की थी। और ब्रिटिश समाचारपत्रोंमें भी राष्ट्रवादी आन्दोलनोंके प्रति हमारी सहानुभूतिको लेकर बड़ी शिकायतें की गई थीं। और चूँकि यहाँ इस देशमें ब्रिटिश प्रचारका परिस्थितिपर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमने कहा गया कि हम लोग राष्ट्रवादी प्रचारके जालमें फँस गये हैं। इसलिए

१. देखिए "नमक", २८-५-१९३१।
२. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-५-१९३१ के अन्तर्गत उपशीर्षक "अमेरिका जानेकी अफवाह"।

आप सहज ही समझ सकते हैं कि आपके यहाँ आनेपर भारतके साथ सहज सहानुभूति व्यक्त किये जानेपर भी लन्दनमें जो प्रतिक्रिया होगी, वह आपके काफी आड़े आ सकती है।

"गुड फ्राइडे" उन्होंने कैसे मनाया?

फादर एल्विनने मीरा बहनको लिखा है:

> मैंने सोचा कि मैं तुमको बतला दूं कि मैंने "गुड फ्राइडे" के तीन घंटे कैसे बिताये। गिरजेमें मैं नहीं गया बल्कि अपनी कोठरीमें बैठकर कताई करता रहा। उसमें से जरा-सा सूत मैं भेज रहा हूँ — बहुत घटिया किस्मका है, मैं जानता हूँ — किन्तु यह एक प्रतीकके रूपमें है। कताई करते समय ईसाके क्रूसारोहण पर चिन्तन करता रहा। — शोषणकी सूलीपर खिंचे ईश्वरके उन दीनोंकी असहाय युग-युगकी पुकार, पुकार "भूखा हूँ, प्यासा हूँ" और जिनको चरखेका प्रेमसंदेश राहत दे सकता है, उन गरीबोंके आश्चर्यजनक अपार धैर्यका नाद "परम पिता उनको क्षमादान दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं" — इन सबके साथ ईसाका क्रूसारोहण अत्यन्त सुसंगत जान पड़ा और तब लगने लगा कि चरखा हमारे गरीबोंके साथ और हमारे ईश्वरके साथकी एकात्मकताका दुहरा प्रतीक बन गया है। कितना अच्छा हो कि लोग आम तौरपर "गुड फ्राइडे" इसी तरह मनाने लगें। आत्मशुद्धिकी यह एक सच्ची अनुभूति थी।

फादर एल्विन द्वारा भेजा गया सूत मैंने देख लिया है। उसकी किस्म उतनी घटिया नही, जितनी कि वे समझते है। उसे बुना जा सकता है। वह लगभग २० नम्बरका सूत है। फिर भी मै यह मानता हूँ कि इस त्यागपूर्ण कर्मके पीछे प्रेम और समर्पणकी जो उत्कट भावना है, उसे देखते हुए किस्म घटिया ही है। परन्तु एक लम्बे अर्सेतक निरन्तर और नियमित अभ्यासका अभाव एक ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति प्रेम और निष्ठासे ही नही की जा सकती, भले ही वह अत्यन्त उत्कट ही क्यो हो। इसलिए मैं फादर एल्विनकी आत्म-भर्त्सनाभरी इस उक्तिसे यदि सहमत भी हुआ हूँ तो आलोचकके नाते नही, बल्कि सिर्फ इसी ख्यालसे कि मैं चरखा अपनानेके लिए प्रेरित होनेवाले लोगोसे कहना चाहता हूँ कि उनको धागा निकालने-भरसे सन्तोष नही कर लेना चाहिए; क्योकि इस प्रकार निकाला हुआ धागा उसी तरह सूत नही होगा जैसे खीचा हुआ प्रत्येक कोण समकोण नही होता। समकोण तभी हो सकता है जब वह ९० अंशका हो, इसी प्रकार सूत इकसार और इतने कसवाला होना चाहिए कि उसे आसानीसे बुना जा सके; नम्बर उसका कोई भी हो। इकसार और ठीक कसवाला सूत कातनेवाला अपने-आप कम-से-कम छ: नम्बरका सूत तो निकालेगा ही और यदि उसका तकुआ बिलकुल सीधा और ठीक नुकीला होगा तो वह बिना किसी कठिनाईके १० से २० नम्बर तकका सूत निकाल लेगा। मैं भारतकी आधे-

पेट रहनेवाली करोड़ों जनताके साथ एकात्मता महसूस करनेवाले उसके सभी प्रेमियोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे फादर एल्विनकी इस अनुभूतिको समझें-गुनें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१४. अठारह सौ अट्ठाईसमें

खादी प्रतिष्ठानके श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त 'राष्ट्रवाणी' नामक एक बंगला पत्र निकालते हैं। उन्होंने हालमें ही 'समाचार दर्पण' के सम्पादकके नाम भेजी गई एक चिट्ठी खोज निकाली है। यह समाचारपत्र उन्नीसवीं सदीके दूसरे दशकमें बंगलामें प्रकाशित होता था। चिट्ठी बड़े महत्वकी है क्योंकि उससे जाहिर होता है कि चरखेको कैसे धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा था और उन दिनोंमें स्त्रियाँ उसे कितना मूल्यवान मानती थीं। इसीलिए उन्होंने उसे अपने पत्रमें छापा है और मेरे पास उसका अनुवाद भेजा है। मुझे विश्वास है कि जिनकी खादी आन्दोलनमें दिलचस्पी है वे सब इसे ध्यानसे पढ़ेंगे। चिट्ठी यह है:

एक कत्तिनका निवेदन

सेवामें:

सम्पादक महोदय, 'समाचार', 'समाचार दर्पण'

मैं एक कत्तिन हूँ। बहुत कष्ट उठानेके बाद यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया अपने पत्रमें इसे प्रकाशित कीजिए।

जब मेरी उम्र २२ वर्षकी थी, तब मैं विधवा हो गई। मेरे तीन लड़कियाँ थीं। मरते समय मेरे पति कुछ नहीं छोड़ गये, उनके श्राद्धके लिए मैंने अपना जेवर बेच दिया। अन्तमें जब हमारे भूखों मरनेकी नौबत आ गई, तब ईश्वरने मुझे एक उपाय सुझाया और हम अपनेको बचा सके। मैं तकली और चरखेपर कातने लगी।

प्रातःकाल मैं अपने घरकी झाड़-बुहारका मामूली काम कर लिया करती थी और फिर दोपहरतक चरखेपर बैठ जाती थी। खाना बनाकर और अपने बूढ़े सास, ससुर तथा लड़कियोंको खिलाकर मैं खुद खाती थी और तकलीपर बारीक सूत कातने बैठ जाती थी। इस प्रकार मैं लगभग एक तोला कात लेती थी। जुलाहे हमारे घरपर आते और तीन तोला फी रुपएके भावसे चरखेका सूत खरीद लेते थे। जुलाहोंसे मुझे जो पेशगी रकम चाहिए होती, सो कहते ही मिल जाती थी। इससे हम खाने-पहननेकी चिन्ताओंसे मुक्त रहते थे।...

कुछ वर्षोंमें मैंने सात गंडे अर्थात् २८ रुपए इकट्ठे कर लिये। इससे मैंने एक लड़कीकी शादी कर ली और इसी प्रकार तीनों लड़कियोंके विवाह

हो गये। जब मेरे ससुरका देहान्त हुआ तो उनके श्राद्धपर मैंने ग्यारह गंड़े अर्थात् ४४ रुपए खर्च किये। यह रुपया मुझे जुलाहोंने उधार दिया था, जो मैंने डेढ़ सालमें वापिस चुका दिया। यह सब चरखेकी कृपा थी।

अब तीन सालसे मेरी सास और मैं खाने-पीनेके अभावसे त्रस्त हैं। जुलाहे सूत खरीदने हमारे घरपर नहीं आते। इतना ही नहीं, अगर सूत बाजारमें भेजा जाता है तो पुराने भावसे चौथाई कीमतपर भी नहीं बिकता। पता नहीं यह कैसे हो गया। मैंने इसके बारेमें बहुतों-से पूछा। वे कहते हैं कि बाहरसे विलायती सूत बहुत आ रहा है। जुलाहे उस सूतको खरीदकर बुनते हैं। मुझे गर्व था कि विलायती सूत मेरे सूतकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने विलायती सूत देखा, तो पाया कि वह मेरे सूतसे अच्छा है। मैंने सुना कि उसका भाव तीन चार रुपये सेर है। मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, "हे प्रभु, मुझसे भी अधिक दुखिया बहनें हैं! मैंने समझ रखा था कि विलायतके सब लोग मालदार हैं, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि वहाँ मुझसे भी अधिक गरीब बहनें पड़ी हैं।" मैंने पक्की तरह समझ लिया कि गरीबीके कारण ही उन गरीब बहनोंको कातनेकी प्रेरणा हुई है। उन्होंने अपनी इतनी कड़ी मेहनतका फल यहाँ भेज दिया, क्योंकि उसे वे वहाँ बेच नहीं सकीं। वह सूत यहाँ अच्छे भावपर बिकता तो भी एक बात थी। मगर उससे हमारी तो बर्बादी ही हो गई है। लोग उस सूतके कपड़ेको दो महीने भी काममें नहीं ला पाते। वह जल्दी ही फट जाता है। इसलिए मैं वहाँकी कत्तिनोंसे प्रार्थना करती हूं कि अगर वे इस निवेदनपर विचार करेंगी तो वे निर्णय कर सकेंगी कि सूत यहाँ भेजना न्याय है या नहीं।

शान्तिपुर

एक दुखिया कत्तिन

पाठक लेखिकाकी उदात्तताको देखे बिना नही रहेंगे। बेचारी अपने अज्ञानमे यही समझ रही थी कि सूत उससे भी गरीब विलायती बहनोके हाथका कता हुआ है और इसलिए उनके साथ उसे सहानुभूतिका अनुभव हुआ। अफसोस है कि उसका विश्वास निराधार था। अगर विदेशी सूत हाथ-कता होता तो वह टिकी रह सकती थी। वह विदेशी सूतके मुकाबलेमे भी टिकी रह सकती थी, बशर्ते कि उसके पीछे भारतीय व्यापारको हथियाने और इस राष्ट्रीय ग्रामोद्योगको नष्ट करनेके सकल्पकी नीति न होती।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१५. एक नारीका त्याग

पिछले वर्षकी अद्भुत नारी-जागृतिके कालमें ऐसी वीरांगनाएँ सामने आई हैं जिनकी मूक साधनाको देश कभी जान ही नही पायेगा। फिर भी गाँवोसे ऐसे समाचार जब-तब मिलते रहते हैं। एक मित्रने ऐसा ही एक यह उदाहरण लिख भेजा है:

> हमारे कांग्रेस शिविरके गैरकानूनी घोषित हो जानेके बाद जब उसपर पुलिसने ताला डाल दिया था, तब हम लोग महिषि जातिकी एक गरीब महिला — बाराडोगलके हाबूकी[1] माता — की झोंपड़ीमें चले गये। गोर्कीका उपन्यास "माँ" हमने पढ़ रखा था। हाबूकी मातामें हमने उसके साक्षात् दर्शन किये। वह हम कार्यकर्त्ताओंके लिए दिन-रात खाना पकाती, बीमारोंकी तीमारदारी करती और व्यथित हृदयोंको सान्त्वना देती रहती थी। इस प्रकार वह हमारी सच्ची माता बन गई; नहीं तो हम लोग अपने-आपको मातृविहीन ही महसूस करते। हम लोगोमें कई ग्रेजुएट और एम० ए० की डिग्रियाँ हासिल किये हुए थे और उनको अपनी शैक्षणिक योग्यताओंपर बड़ा नाज था, फिर भी हम सभी अपनी आन्तरिक प्रेरणासे पुकारने लगे थे हाबूकी माताको माँ अपने-आप कहकर। उनका त्याग और उनकी अपार कर्त्तव्य-निष्ठाने हमें श्रद्धानत कर दिया था।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१६. तार: चम्पाबहनको

थाकुला, नैनीताल
२१ मई, १९३१

चम्पाबहन
मारफत राष्ट्रीय शाला
राजकोट

रतिलालके बारेमें बहुत दुःखी। राजकोट जाकर रतिलालको देखनेके लिए विशेषज्ञका प्रबन्ध कर रहा हूँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०८)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "पत्र: भूपेन्द्रनारायण सेनको", १७-५-१९३१।

२१७. तार : डॉ० मेहताको

नैनीताल
२१ मई, १९३१

डॉ० मेहता
मारफत सर मनुभाई
शिमला

रंगूनके डॉ० मेहताका पुत्र रतिलाल पूर्णतः विक्षिप्त चीखता-चिल्लाता काबूसे बाहर। बाँधकर रखना पड़ता है। राजकोटमें है। आप किसी विशेषज्ञको जानते हों और ठीक समझें तो कृपया उसे राजकोट जाकर रतिलालकी जाँच करनेको कहें। उनकी फीस दी जायेगी। तार द्वारा उत्तर नैनीताल भेजें।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७११५)की माइक्रोफिल्मसे।

२१८. तार : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको

नैनीताल
२१ मई, १९३१

मन्त्री,
कांग्रेस कमेटी

पूरे तथ्य जाने बिना राय देना नामुमकिन।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७११६)की माइक्रोफिल्मसे।

२१९. पत्र : डॉ० सैयद महमूदको

नैनीताल शिविर
स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय डॉ० महमूद,

मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अधिक उपयोगी काममें लगे हुए हैं। मैं आपके साथ इसपर बहस नहीं करूँगा कि जनतामें काम करनेका सबसे अच्छा तरीका क्या है, भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि पत्र-व्यवहारके लिए मैं मुश्किलसे चन्द मिनट ही निकाल पाता हूँ। इसलिए मैं इस चर्चाको अपनी मुलाकाततक के लिए मुल्तवी रखता हूँ।

आप देखेंगे कि मैं यह नैनीतालसे लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने कल गवर्नरसे मुलाकात की थी। राजस्व सम्बन्धी मामलोंके बारेमें हम किसी भी अन्तिम निष्कर्षपर नहीं पहुँचे।

अधिक जल्दी नहीं तो दो या तीन दिनमें मैं गुजरात चल दूँगा। मेरा ख्याल है कि हमारी मुलाकात जल्द-से-जल्द अगले महीनेके शुरूमें कार्य-समितिकी बैठकके समय ही हो पायेगी। फिर भी आप चाहें तो और जल्दी भी हो सकती है, [यानें] आप जब भी चाहें मिल सकते हैं। आपको पहलेसे समय निश्चित करनेकी तो कोई जरूरत नहीं है; या है ऐसी जरूरत?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० सैयद महमूद
बार-एट-लॉ
छपरा (जिला सारन)
बिहार

अंग्रेजी (जी० एन० ५१०९)की फोटो-नकलसे।

२२०. पत्र : मुहम्मद इस्माइल खाँको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय नवाब साहब,

इसी महीनेकी १९ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने पत्रमें जिस प्रतिवेदनका उल्लेख किया है, उसे मैंने नही देखा। लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण यह है :

मेरी अपनी बात तो यह है कि कुल मिलाकर मेरे मुसलमान मित्र जो भी हल पेश करेगे, मै बिना किसी सकोचके उसकी ताईद कर दूंगा, लेकिन उसीसे तो हमारी सारी कठिनाइयाँ हल नही हो जायेगी। हमारी कठिनाइयाँ तो तभी हल हो पायेगी जब हिन्दू और मुसलमान दोनो सिखोके साथ या फिर हिन्दू लोग मुसलमानो और सिखो दोनोके साथ बैठकर आपसमे मसले तय कर ले। लेकिन सिखो और मुसलमानो दोनोके दावोमे कोई टकराव या विरोध हो तो दोनोमे से किसीके भी दावेकी मेरी ताईदका कोई महत्व नही रह जायेगा। मैं इसीलिए यह मानकर चला हूँ कि मुसलमान मित्रो या सिख मित्रोंकी ओरसे जो भी चीज उनके अपने अन्तिम दावेके रूपमे पेश की जायेगी, उसमें एक-दूसरे पक्षका ख्याल रखा जायेगा। मै सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि एक ऐसा सम्मानप्रद समझौता हो जाये जो मुसलमानो तथा सिखोके साथ ही साम्प्रदायिक समझौतेके इच्छुक अन्य सम्प्रदायोको भी पूर्णत. सन्तुष्ट कर सके।

आपके दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यदि भावी सविधान बननेतक मै जीवित रहा और उसे अमलमे लानेमे मेरा कोई हाथ रहा, तो मै एक बिलकुल ही राष्ट्रीय हलके अलावा दूसरे किसी हलको स्वीकार नही करूँगा और मै सविधान पर इस ढगसे अमल करूँगा जिससे लोगोके सभी सन्देह दूर हो जायें।

यूरोपीयोकी हदतक सवाल अल्पसख्यकोके नाते उनके विशेषाधिकार निश्चित करनेका नही, बल्कि यह है कि वे हमारे साथ बराबरीके दर्जेपर आनेके लिए अपने कौन-से विशेषाधिकार छोडनेके लिए तैयार होगे। क्या मेरा आशय स्पष्ट है?

आपसे मेरा आग्रह है कि आप विश्वास रखे कि मै अब भी वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने उन दिनो मेरठमे अपना मेहमान बनानेकी कृपा की थी जिन दिनो हम कुछ दिनोके लिए ही सही अपनेको एक ही माँके बेटे समझने लगे थे, हमारी अभिलाषाएँ समान थी और हमे एक-दूसरेपर पूरा भरोसा था।

हृदयसे आपका,

नवाब मुहम्मद इस्माइल खाँ साहब
मुस्तफा महल, मेरठ

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०७)की फोटो-नकलसे।

२२१. पत्र : महाराजकुमार विजयनगरम्को

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं 'यंग इंडिया'के पृष्ठोंमें इस विषयकी चर्चा करनेकी बात सोच रहा हूँ; इसलिए आपको ब्यौरेवार उत्तर भेजनेकी जरूरत नहीं है।

हृदयसे आपका,

महाराजकुमार साहब विजयनगरम्
विजयनगर महल, बनारस

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०८–अ)की माइक्रोफिल्मसे।

२२२. पत्र : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

मन्त्री
कांग्रेस कमेटी
चटगाँव

प्रिय महोदय,

मैंने आपके तारके उत्तरमें निम्नलिखित तार भेजा है:

"पूरे तथ्य जाने बिना राय देना नामुमकिन।"[1]

मैं कह सकता हूँ कि समझौतेके बादके कालमें की गई किसी भी कार्रवाईके सिलसिलेमें कोई जुर्माना करना समझौतेका उल्लंघन नहीं होगा और न ऐसा जुर्माना अदा करनेसे इनकार करना ही समझौतेका उल्लंघन होगा। मैं यह राय अबतककी जानकारीके आधारपर दे रहा हूँ; बादमें पूरे तथ्य मिलनेपर इसे बदलना भी जरूरी हो सकता है। लेकिन कर अदा न करनेका आन्दोलन छेड़नेवालोंको हर पहलू पर पूरी तरह विचार करनेके बाद ही और वह भी पूरी तरह अपनी ही जिम्मेदारी पर ऐसा कदम उठाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए शीर्षक २१८।

२२३. पत्र : एस० जी० वझेको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय वझे,

वार्षिकीके अवसरपर आप कभी एक बार भी मुझे आमन्त्रित करनेसे नही चूके और मैं हूँ कि एक बार भी समारोहमें शामिल नही हो सका। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार भी शामिल न हो सकनेके इस तथ्यका कोई भी सदस्य यह अर्थ नही लगायेगा कि मैं अपने-आपको आप लोगोमे शुमार नही करता। हमारे विचार चाहे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हो, चाहे हम एक ही मचपर साथ-साथ काम करते न दिखाई पड़ते हो, पर मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि हमारे दिल एक है, क्योकि हम एक ही गुरुके शिष्य है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० जी० वझे
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
पूना

अंग्रेजी (एस० एन० १७१११)की फोटो-नकलसे।

२२४. पत्र : कृष्णदासको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय कृष्णदास,

मैं तुम्हारी लिखावटसे चिर परिचित हूँ और इसलिए कह सकता हूँ कि तुमने उल्लेखनीय प्रगति कर ली है। पहले-जैसी शक्ति फिर हासिल करनेमें जल्दबाजी मत करना। बुखार एकदम खत्म हो जाना चाहिए। इस भयकर बीमारीके बाद तुमको पहलेसे अधिक शक्तिशाली बन जाना चाहिए। नियमित रूपसे मुझे लिखते रहना। हम सब ज्यादा-से-ज्यादा रविवारतक यहाँसे बोरसदके लिए चल देंगे।

श्री कृष्णदास
शक्ति आश्रम
डाकखाना राजपुर
(जिला देहरादून)

अंग्रेजी (एस० एन० १७११२)की माइक्रोफिल्मसे।

२२५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

स्थायी पता, बोरसद
२१ मई, १९३१

प्रिय जयरामदास,

संलग्न पत्र देखिए। आवश्यक कार्रवाई कीजिए और मुझे बताइए कि इसका लिखनेवाला कौन है। क्या ये आरोप सही हो सकते हैं?

श्री जयरामदास दौलतराम
स्वराज्य आश्रम
बारडोली।

अंग्रेजी (एस० एन० १७११३)की माइक्रोफिल्मसे।

२२६. पत्र : ए० फेनर ब्रॉकवेको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय श्री ब्रॉकवे,

स्पष्ट है कि आपने अपने मनमे निश्चित कर लिया है कि मैं लन्दन आ रहा हूँ। लेकिन मुझे अबतक ऐसा कोई लक्षण दिखाई नही दे रहा है जिसके आधार पर मैं आशा भी कर सकूँ कि आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। हाँ, यदि आया तो सचमुच मुझे आपकी सस्थाके सदस्योसे मिलकर अनौपचारिक रूपसे दिल खोलकर बात करनेपर बडी प्रसन्नता होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री ए० फैनर ब्रॉकवे
१२६, शेफर्ड्स बुश रोड
लन्दन वेस्ट—६

अंग्रेजी (एस० एन० १७११४)की फोटो-नकलसे।

२२७. भाषण : राजनीतिक पीड़ितोंके सम्मेलनमें

कुमायूँ
[२१ मई, १९३१][1]

आपने मूलभूत अधिकारोके सम्बन्धमें कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव देख लिया होगा।[2] उसमे सेना-सम्बन्धी व्ययको घटाकर आधा करने-जैसी चन्द बाते ऐसी भी है जिनको स्वराज्यके बाद ही हासिल किया जा सकता है, लेकिन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विदेशी वस्त्रोपर प्रतिबन्ध, अधिकारो और अवसरोके मामलेमे समानता जैसी कुछ अन्य चीजे है जिनको पूरा करनेके लिए हमे स्वराज्य-प्राप्तितक नही रुकना पडेगा। ये परिस्थितियाँ हमे आज ही पैदा करनी चाहिए, इससे हमे स्वराज्यके ओर निकट पहुँचनेमे सहायता मिलेगी। हम प्रत्येक गाँवमे पाठशालाएँ खोल सकते है, खद्दर तैयार कर सकते है, उसे बढावा दे सकते है और अस्पृश्यताके विरुद्ध सघर्ष कर सकते है।

(यहाँ गांधीजीने 'यंग इंडिया'के एक पुराने अंकमें प्रकाशित अधिकारपत्रको सामने रखकर क्रमसे उसके एक-एक मुद्देका उल्लेख किया।)

सरकारी अधिकारियोंके अधिकतम-वेतनका उल्लेख करते हुए महात्माजीने कहा :

यह मत समझिए कि यह कोई कोरा कागजी प्रस्ताव है और इसपर अमल नही होना है। स्वराज्य मिलनेपर इसे प्रभावी बनाया जायेगा। पूरी तरह विचार करनेके बाद ही इसे अधिकार-पत्रमे जोडा गया था। मै बूढा हूँ, पर मेरे न रहने पर भी जवाहरलाल इसपर अवश्य अमल करेगा। लेकिन यह मानकर चलना न्यायपूर्ण नही कि बूढे लोग युवकोसे पहले मर ही जाते है, क्योकि यह ईश्वरीय नियम नही है। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे लागू किया जायेगा। जापान एक स्वतन्त्र देश है। वहाँ सरकारी अधिकारियोका अधिकतम वेतन पाँच-सौ रुपये निश्चित कर दिया गया है।

हमारे देशमे प्रतिव्यक्ति औसत आय लगभग चालीस रुपए है और इसमे हजारो करोडपतियोकी आय भी शामिल है। इसलिए पाँच सौ रुपएसे अधिक खर्च करनेवाला व्यक्ति लूटके धनपर जीता है। यह राशि हमे अपर्याप्त इसलिए लगती है कि विदेशियोंके शोषण और उनके रहन-सहनको देखकर हम उनकी नकल करना चाहते है।

१. हिन्दू, २१-५-१९३१ से।
२. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३९४-९५।

कहा गया है कि वकील और उद्योगपति पाँच-सौ रुपए मासिकसे अधिक कमायेंगे। मैं कहता हूँ कि उनको पाँच-सौसे अधिक नहीं कमाना चाहिए। इस देशमें अगर वे पाँच-सौसे अधिक कमाते हैं, तो वे लूटपर जीवित रहते हैं। वह अतिरिक्त राशि उनको देशको लौटा देनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ३१-५-१९३१

२२८. तार: वाइसरायको

[२२ मई, १९३१ को या उसके पूर्व][1]

महत्त्वपूर्ण

संयुक्त प्रान्तके गवर्नर महोदयके जरिए और बादमें सीधे आपकी ओरसे मिले आपके २१ तारीखके तारके लिए मैं आभारी हूँ। इस विषयके सिलसिलेमें और जिम्मेदार राजनीतिज्ञोंके सामने यह स्पष्टीकरण करनेके लिए भी मुझे लन्दन जानेमें . . .[2] . . . होना चाहिए कि कांग्रेस भारतकी स्वतन्त्रताके लिए आग्रह करनेके साथ यह भी चाहती है कि इंग्लैंडकी जनताके साथ उसके सम्बन्ध अधिक-से-अधिक मैत्रीपूर्ण रहें। लेकिन आपको जो कारण बतलाये जा चुके हैं, उनके ख्यालसे मैं गोलमेज परिषद्में भाग लेनेमें असमर्थ हूँ। दूसरोंके विचार सुनने और माननेके लिए तैयार होते हुए भी मेरी अब भी यही राय है कि साम्प्रदायिक समझौता हुए बिना मेरा परिषद्की बैठकमें भाग लेना उपयोगी नहीं होगा। और फिर सरकार तथा कांग्रेसके बीच समझौता सम्पन्न करानेकी सीधी जिम्मेदारी जब मुझपर ही है तब उसकी कार्यान्वितिके सिलसिलेमें इतनी झंझटें होते हुए मैं भारतसे बाहर कदम कैसे रख सकता हूँ? कांग्रेस की ओरसे अब भी एकमात्र प्रतिनिधि मैं ही हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३६७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

१. भारत-मन्त्रीके नाम वाइसरायके २२ मई, १९३१ के तारसे उद्धृत।
२. साधन-सूत्रमें यह स्थान रिक्त है।

२२९. तार : जमनादास गांधीको

थाकुला, नैनीताल
२२ मई, १९३१

जमनादास गाधी
राजकोट

थानाके डाक्टर कदम राजकोट पहुँचेगे। रतिलालकी जाँच करके आवश्यक चिकित्सा करेगे। उनसे सम्पर्क करना।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२२)की माइक्रोफिल्मसे।

२३०. तार : रामभरोसेलालको

थाकुला, नैनीताल
२२ मई, १९३१

रामभरोसेलाल
मारफत अरथधर
बर्दवान

पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तके पास पूरा ब्योरा भेज दीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२३)की माइक्रोफिल्मसे।

२३१. तार: मोहनलाल सक्सेनाको

थाकुला, नैनीताल
२२ मई, १९३१

मोहनलाल सक्सेना
मारफत कांग्रेस
लखनऊ

भूख-हड़ताल बिलकुल ही अनावश्यक लगती है। उच्च समितियोंके निर्णयों का, फिर वे सही हों या गलत, पालन होना चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२५)की माइक्रोफिल्मसे।

२३२. भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको

नैनीताल
२२ मई, १९३१

महात्मा गांधीने आज एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान कहा कि लन्दन जानेकी अपनी योजनाके बारेमें वे अभी कोई बयान देनेमें असमर्थ हैं। लन्दनमें २९ जूनको होनेवाली संघीय गठन समिति[1] (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी)की बैठकके सम्बन्धमें वे अपने विचार भारत सरकारको बतला ही चुके हैं, और बात अभी वहीं तक है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २४-५-१९३१

१. राजाओं समेत अन्य प्रतिनिधि १३-६-१९३१ को रवाना होनेको राजी हो गये थे।

२३३. तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको[1]

थाकुला, नैनीताल
२३ मई, १९३१

शास्त्री
मारफत कैलोफ[2]
लन्दन

संयुक्त रूपसे भेजा आपका कृपापूर्ण तार। देशमे साम्प्रदायिक समस्याका कोई हल न पाकर गोलमेज परिषद्मे शामिल होने लायक आत्मविश्वास नही। फिर समझौतेके प्रति कुछ प्रान्तीय सरकारोके रुखके कारण मेरा भारतसे जाना यदि असम्भव नही, कठिन तो हो ही गया है; लेकिन सन्तोषप्रद कामचलाऊ समझौता हो सके और मुझे चर्चा तथा कांग्रेसकी नीतिका स्पष्टीकरण करनेके लिए आमन्त्रित किया जाये तो मै अल्पकालीन सूचना पर भी खुशीसे जहाज पकड़नेको तैयार हूँ।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२३४. पत्र: सर मॉल्कम हेलीको

थाकुला, नैनीताल
२३ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मैंने अब अपनी फौरी जाँच पूरी कर ली है। नैनीताल आ सकनेवाले ताल्लुके-दारोसे मशविरा लेनेका भी फायदा मुझे मिल गया था। मुझे लगता है और आप

१. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, सी० एफ० एन्ड्रयूज और एच० एस० एल० पोलक द्वारा संयुक्त रूपसे भेजे गये तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था: "...यदि अल्पसंख्यक जातियोंकी समस्याका भारतमें तुरन्त कोई समाधान नही निकलता, तो हमारा सुझाव है कि उसपर यहाँ अधिक अच्छे वातावरणमें विचार किया जाये। यदि सभी उपाय निष्फल सिद्ध हो जायें तो अन्तिम उपायके तौरपर निष्पक्ष मध्यस्थताका अवलम्बन अब भी सम्भव। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ शीघ्रातिशीघ्र पहुँचनेके आपके निर्णयकी तुरन्त घोषणा कर देना अनिवार्य हो गया है।..."

२. हेनरी पोल्कका तारका पता।

भी मेरी इस बातसे शायद सहमत होंगे कि किसानोका कुछ मार्ग-दर्शन तो मुझे करना ही चाहिए। सरकार उनको जितनी राहत देनेकी बात कह रही है, उसे काफी मान लेनेके लिए तो उनसे मै कह नही सका। मैंने जितनी भी जाँच की है, उससे यही पता चलता है कि किसानोकी इस असाधारण स्थितिको देखते हुए यह राहत बिलकुल ही नाकाफी है। इसलिए मैं अब वह कदम उठाना चाहता हूँ जो मै समझता हूँ कि समुचित राहतके अभावमे अन्य सभी बातोसे अच्छा रहेगा। चूंकि सरकारने मेरे प्रस्तावोमे से किसीपर भी अमल नही किया है, इसलिए मैं अब किसानोसे यही कहने जा रहा हूँ कि कमसे-कम जितनी अदायगी मै ठीक मानता हूँ, उतनी अदायगी तो वे जरूर कर दे, और अगर किसीके पास गुंजाइश हो और वह चाहे तो उससे ज्यादा अदायगी भी कर सकता है। इसीके अनुरूप मैंने एक घोषणापत्र[1] तैयार किया है। उसकी एक प्रति मै सलग्न कर रहा हूँ। यदि आप समझे कि इसके प्रकाशनसे सरकारको कोई परेशानी होगी और यदि आप मुझे कोई और अच्छा मार्ग सुझा सके, और उसे अपनाना मेरे लिए सम्भव हुआ तो मै बडी खुशीसे उसे अपना लूंगा या यदि आप इस सिलसिलेमे मुझे मुलाकातके लिए बुलाना चाहे, तो मै बडी खुशीसे आ जाऊँगा।

यदि आपका कोई और प्रस्ताव न हो, तो मै आज दोपहर बाद ३ बजे नैनीतालसे चल दूंगा।[2]

मै हूँ,
हृदयसे आपका,

सलग्न : १

महामहिम सर मॉल्कम हैली
गवर्नर सयुक्त प्रान्त, नैनीताल

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल-सख्या १६-ई, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. सर मॉल्कम हेलीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ८।

२३५. संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे

नैनीताल

२३ मई, १९३१

गत सघर्षमे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए सविनय अवज्ञाके अगरूप कुछ जिलोमे करबन्दी आन्दोलन शुरू किया गया था। पर सरकार और काग्रेसके बीच समझौता हो जानेके कारण सत्याग्रह और फलत. करबन्दी भी स्थगित कर दी गई।

उस समय आप लोग घोर आर्थिक कष्टमे थे। यो तो आपकी हालत साधारण समयमे भी कठिन ही रहा करती है, परन्तु इस वर्ष वह अत्यधिक खराब हो गई है, क्योकि जो फसल आप हर साल बोते है, उसकी दर इस बार असाधारण रूपसे घट गई है। काग्रेसी कार्यकर्त्ताओने मुझे लिखा कि आपमे से बहुतेरे पूरा लगान चुकानेमें बिलकुल असमर्थ है। कई जिलोमे कुछ सौ गाँवोमे जाँच की गई, जिससे पता चला कि स्थिति भयावह है। यह पाया गया कि आपकी कुछ पैदावारके दाम इतने घट गये है कि उसकी बिक्रीसे लगान अदा करने जितनी रकम भी नही मिल सकती। इसी सिलसिलेमें मै गवर्नरसे मिलने नैनीताल आया था। उन्होने धैर्यपूर्वक मेरी बाते सुनी और हमने परिस्थितिपर पूरी तरह चर्चा की। उनका रुख सहानुभूतिपूर्ण था। मैंने उनसे कहा कि कुछ काग्रेसी कार्यकर्त्ताओने मुझे विश्वास दिलाया है कि इधर सरकारने किसानोके साथ रियायतें करनेकी जो सूचनाएँ निकाली है, वे उनके वास्तविक कष्टको दूर करनेके लिए काफी नही है। मैंने उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे, जिनपर उन्होने विचार करनेका वचन दिया।

इस दरम्यान मेरा यह कर्त्तव्य था कि मै आपको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ सलाह दूँ। कई साथियोके साथ स्थितिकी चर्चा करते हुए मैंने घटों इसी चिन्तामें विताये है। मुझे उन कुछ प्रमुख ताल्लुकेदारोसे नि.सकोच भावसे साफ-साफ बातें करनेका भी लाभ मिला, जिन्होने मेरा निमन्त्रण पाकर आनेकी कृपा की थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जो सुझाव नीचे दिये जाते है, साधारणतया वे उनसे सहमत थे।

अन्य जिलोके अलावा नीचे लिखे जिलोमें सगठित काम किया गया था: आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रायबरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ, और इटावा। इन जिलोके सम्बन्धमे यह पाया गया है कि फसली सन् १३३८ मे हयाती और गैर-दखीलकार काश्तकारोको रुपयेमें आठ आने और दखीलकार काश्तकारोको रुपयेमे चार आनेकी माफी मिलनी चाहिए। इस साधारण नियममे स्थानीय परिस्थितिके अनुसार आवश्यक हेरफेर किये जा सकते है।

मुझसे कहा गया है कि कुछ जिलोमे काश्तकारोंकी स्थिति ऐसी है कि वे कम माफीसे भी काम चला सकते है। कुछ जिलोमें स्थानीय आपत्तिके कारण परिस्थिति

और भी बिगड़ गई है। इसलिए प्रस्तावित माफीकी शर्तें स्वभावतः उन जिलोंपर लागू नहीं होंगी, जो बताई हुई रकमसे अधिक दे सकते हैं, और न उन्हीं जिलोंमें लागू होंगी, जिनकी स्थिति उपर्युक्त जिलोंसे भी बदतर है। अवश्य ही, जिन जिलोंका ऊपर जिक्र किया गया है, उनमें भी आपमें से जो अधिक चुका सकते हों, उन्हें अवश्य चुकाना चाहिए। कांग्रेस आशा रखती है कि हरएक काश्तकार अपनी शक्ति-भर लगान जल्दी से-जल्दी अदा कर देगा, और साधारण नियमानुसार कोई भी रुपयेमें अठन्नी या चवन्नीसे,[1] जैसी भी स्थिति हो, कम अदा न करेगा। परन्तु जिस तरह एक ही जिलेमें ऐसे स्थान हो सकते हैं, जहाँ अधिक लगान चुकाया जा सकता है, उसी तरह यह भी सम्भव है कि कुछ स्थान ऐसे भी होंगे, जहाँ रुपयेमें अठन्नी या चवन्नीसे[2] भी कम ही अदा किया जा सकता है। मुझे आशा है कि ऐसे मामलोंमें जमींदार काश्तकारोंके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करेंगे।

हर हालतमें आप इसका ध्यान रखें कि जितना आप दें, चालू सालके लिए उतनेकी आपको चुकता रसीद मिल जाये। मुझे पता चला है कि संघर्षके दौरान कई काश्तकार बेदखल कर दिये गये थे और कुछ बादमें भी बेदखल किये गये हैं। यदि उन्हें उनकी जमीनें वापस न दी गईं तो परिणाम स्पष्ट ही उस वातावरणके विपरीत होगा, जो समझौतेके अनुसार पैदा किया जा रहा है। अतएव मुझे पूरी आशा है कि यहाँ बताये हुए हिसाबसे लगान अदा कर देनेपर बेदखल काश्तकारोंको बिना किसी प्रकारके जुर्मानेके उनकी जमीनें वापस दे दी जायेंगी।

मुझे आशा है कि आप लोग तुरन्त लगान अदा करना आरम्भ कर देंगे। आप पूरा आठ आना लगान इसी समय न दे सकते हों, तो आपका लगान मुल्तवी हो जायेगा, और अगली फसल तक बाकी रकम या करकी वसूलीके लिए आपके साथ किसी तरहकी सख्ती न की जायेगी।

मैं सरकारको यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोगोंसे पूरा लगान न मिलनेके कारण जमींदारोंकी आमदनीमें जो कमी हो जायेगी, उसके विचारसे वह उनसे ली जानेवाली मालगुजारी भी उसी अनुपातमें घटा दे।

अन्तमें मैं आपको एक सलाहके बारेमें सावधान कर देना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसी सलाह मिली हो कि अब आपको जमींदारको लगान देनेकी जरूरत ही नहीं तो मुझे आशा है कि आपको कोई भी यह सलाह क्यों न दे, आप उसपर ध्यान न देंगे। कांग्रेसवाले तो ऐसी सलाह दे ही नहीं सकते। हम जमींदारोंको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। सम्पत्तिका नाश हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल यह चाहते हैं कि उसका न्यायसंगत उपभोग किया जाये।

मुझसे कहा गया है कि आप कांग्रेसकी बात तभी मानेंगे, जब कांग्रेसवाले आपको बिलकुल लगान न देनेकी सलाह देंगे और यदि कांग्रेसने आपको अपनी शक्तिके

१ और २. यहाँ बारह आने होना चाहिए था। देखिए "भूल सुधार", ११-६-१९३१

अनुसार लगान देनेकी सलाह दी, तो आप उसपर ध्यान नही देंगे। यह ऐसा समय है, जब आप अपने बारेमें फैले हुए इस अपवादको झूठा साबित करे।

आपने कुछ जमीदारो द्वारा या उनकी ओरसे किये गये कठोर व्यवहारकी शिकायत की है। काग्रेस आपकी सब शिकायतोके बारेमे जाँच-पडताल करनेकी कोशिश कर रही है, और बराबर करेगी, और जमीदारोसे आपकी वकालत भी करेगी, और जहाँ कानूनी राहत अनिवार्य जान पडेगी, वहाँ उसकी सिफारिश भी करेगी। पर यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि कभी-कभी कुछ किसान भी गलत रास्तेपर चले गये है, और घातक आक्रमण कर बैठे है। ऐसी कार्रवाइयोसे किसानोकी विमल कीर्तिको कलक लगता है, उनके कार्यको हानि पहुँचती है, और सेवाके लिए काग्रेसकी उपयोगिता कम होती है। क्योकि अन्तमे तो आप लोग ही काग्रेस है। काग्रेस जब तक आपकी अधूरी प्रतिनिधि है, वह अपूर्ण ही रहेगी।

कृपा कर याद रखिये कि काग्रेस सत्य और अहिंसा द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। जिस हदतक किसान इन दो मुख्य सिद्धान्तोके पालनमे पीछे रहेगे, उसी हदतक काग्रेस भी असफल होगी। आप लाखोकी तादादमे है। जब लाखो व्यक्ति झूठे और हिंसक बन जाते है, तो आत्मनाश निकट आ जाता है। अतएव आप बिना हाथ उठाये चोट सह ले। शायद अबतक आप यह तो सीख चुके होगे कि चोटका प्रतिकार करनेका सबसे अच्छा उपाय चोट करनेवाले को कभी चोट न पहुँचाना है, हाँ, उसकी अनुचित आज्ञाका पालन करनेसे हमें हमेशा इनकार करना चाहिए, फिर वैसा करनेसे हमें कितना ही कष्ट क्यो न सहना पडे।

आपका मित्र और सेवक,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२३६. पत्र : सर मॉल्कम हेलीको

२३ मई, १९३१

प्रिय श्री हेली,

इटावाके मामलेमे, जिसके सन्दर्भमे कहा गया था कि काग्रेसके मन्त्रीने समझौते की घोषणा की तिथिके बाद किसानोके नाम एक गश्ती-चिट्ठी जारी की थी कि वे लगानकी कोई भी अदायगी न करे, मैंने पूरी जांच कर ली है। पता लगा है कि ऐसी एक गश्ती-चिट्ठी पिछली फरवरीमे घुमाई गई थी, समझौतेके बाद ऐसा कुछ भी जारी नही किया गया। बल्कि इसके विपरीत, प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी ओरसे प्रान्त-भरमे एक आम सूचना जारी की गई थी कि कर अदा न करनेका आन्दोलन वापस ले लिया गया है। मुख्य सचिवने इस मामलेकी ओर पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तका ध्यान आकर्षित किया था और उन्होने सूचना मिलते ही उसी दिन जांच-

पड़ताल की थी। कांग्रेस मन्त्री बाबू गयाप्रसादने उत्तरमें उपर्युक्त जानकारी तुरन्त भेज दी थी। और अब तो वे इटावाकी स्थानीय समितिके महामन्त्रीके पदपर हैं भी नहीं। यह पता लगाना सचमुच बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वैसी चिट्ठी पुलिसके हाथों कैसे लगी और उससे पुलिसने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि उसे समझौते की तिथिके बाद घुमाया जा रहा था।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या १६-ई, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२३७. भाषण: जमींदारोंकी सभा, नैनीतालमें[2]

[२३ मई, १९३१][3]

निश्चय ही कांग्रेस आपका साथ देगी। पर आपको भी अपना जीवन अपने चारों ओरके वातावरणके अनुरूप बनाना पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले मैं बंगालके एक जमींदारका मेहमान बना था। वे मुझे सोनेके गिलासों और तश्तरियोंमें दूध और फल परोसा करते थे। जाहिर है, मेरे भले मेजवानका यही ख्याल था कि वे अपनी सबसे कीमती तश्तरियोंमें भोजन परोसकर मुझे बड़ेसे-बड़ा सम्मान दे रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि उस समय मैं क्या सोच रहा था। 'इनको सोनेकी तश्तरियाँ मिलीं कहाँसे?'—मैंने अपने-आपसे पूछा और मुझे उत्तर यही मिला—'रैयतकी सम्पत्तिसे।' तब फिर उन बेशकीमती विलास-वस्तुओंके साथ मैं अपनी पटरी कैसे बैठा सकता था? अगर आपकी रैयत चाँदीकी तश्तरियाँ इस्तेमाल करने लायक हो तो सोनेकी तश्तरियोंके आपके इस्तेमालपर मुझे कोई आपत्ति न होती, लेकिन जब उनका जीवन कष्टोंकी एक लम्बी कहानी बनकर रह गया है, तब आप ऐसी विलास-वस्तुओंका इस्तेमाल करनेकी हिम्मत ही कैसे कर सकते हैं? आपको याद होगा कि पन्द्रह वर्ष पहले हिन्दू विश्वविद्यालयके उद्घाटनके अवसरपर मैंने राजा-महाराजाओंकी शान-शौकतका जिक्र किया था और उससे उनको कितनी ठेस पहुँची थी; और उससे पूरा हंगामा ही मच गया था।[4] मेरे विचार आज भी वही हैं। हाँ,

१. सर मॉल्कम हेलीने दिनांक २९-५-१९३१ के अपने पत्रमें इन तथ्योंकी पुष्टि की और गलत समाचारके कारण हुई असुविधाके लिए खेद प्रकट किया था।

२. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।

३. हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-५-१९३१ से।

४. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २१३-१६।

दीन-हीनोके बीच रहने और उनके जीवनका अनुभव प्राप्त करनेसे मेरे उन विचारोमे और अधिक दृढता अवश्य आ गई है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२३८. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

[२३ मई, १९३१ के पश्चात्][1]

प्रिय भाई,

आपका मर्मस्पर्शी तार मिला था। आपकी उद्विग्नता कम करनेके लिए मै एक उत्तर भेज चुका हूँ। मै गोलमेज परिषद्से कतरा नही रहा हूँ, पर मेरे सामने जो कठिनाइयाँ है उनको पत्रके माध्यमसे आपको समझाना मुमकिन नही है। प्रान्तीय सरकारे समझौतेको पैरो तले रौद रही है। दमनकी नोक फिर चुभने लगी है। यदि आप 'यग इंडिया'के पृष्ठोको गौरसे देखें तो मेरा तात्पर्य कुछ हदतक स्पष्ट हो जायेगा। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, उसका दशमांश भी मैने अभी प्रकाशित नही किया है। तब प्रश्न उठता है: यहाँ सकटके बादल मँडरा रहे है, उस समय क्या मै भारत छोडकर जा सकता हूँ? पर शिमलासे मै सम्पर्क बनाये हुए हूँ।

[अंग्रेजीसे]
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

२३९. टिप्पणियाँ

धरनेके बारेमें

दो पत्रोमे से नीचे लिखे प्रश्न चुनकर दिये जा रहे है:

१. क्या मोहरबन्द कपड़ेकी मोहर तोड़नेवालेके यहाँ धरना देकर उपवास किया जा सकता है?

२. क्या शान्तिपूर्ण धरनेमें उपवासको स्थान है?

३. जिनके यहाँ शान्तिपूर्ण धरना दिया जाता है, वे न मानें, तो क्या उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है?

४. व्यापारी नया विदेशी कपड़ा न मँगानेकी प्रतिज्ञा करे और पुराना बिक चुका हो, तो क्या धरना उठा लिया जाये?

१. प्रेषितीके तारके उत्तरके उल्लेखसे; देखिए "तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २३-५-१९३१।

५. जो विदेशी और देशी दोनों तरहके कपड़े बेचते हों, क्या उनके यहाँ धरना दिया जा सकता है?

६. जिन्होंने अपने विदेशी कपड़ेपर मोहर लगवाई है और मोहर तोड़नेपर कोई निश्चित जुर्माना देना स्वीकार किया है, यदि अब वे मोहर तोड़ें, और जुर्माना न दें, तो क्या उनके यहाँ धरना दिया जाये और उनका बहिष्कार किया जाये?

इनके जवाब ये हो सकते है:

१. उपवास उन्हीके प्रति किया जा सकता है, जिनका धरनादेनेवालो के साथ निकटका सम्बन्ध है, जिन्होने इस सम्बन्धके प्रेमको मानकर प्रतिज्ञा की हो, और फिर उसे तोड़ा हो।

२. पहली बातमे इसका जवाब भी आ जाता है।

३ सामाजिक बहिष्कारका अर्थ अगर धोबी, नाई, वैद्य वगैरा बन्द करना हो तो वह नही किया जा सकता। परन्तु विवाहादिके अवसरपर उनके घर दावत वगैरामे जाना बन्द किया जा सकता है, और करना चाहिए। साराश यह है कि उन्हे कष्ट न दिया जाये। हम उनके यहाँ खाने न जायें, इससे उन्हे दुःख हो तो वह कष्ट नही माना जा सकता।

४. उनकी प्रतिज्ञाके विषयमें विश्वास हो तो धरना उठा लेना धर्म है।

५. अवश्य।

६. जुर्माना न देनेपर धरना न दिया जाये, परन्तु विदेशी वस्तु बेचनेपर धरना दिया जाना चाहिए। बहिष्कारके बारेमे चौथा[1] जवाब देखिए। धरना अर्थात् दुराग्रह नही किया जा सकता।

बहिष्कारका एक लाभ

प्राप्त पत्रोमे से नीचे एक उद्धरण दे रहा हूँ:[2]

मै आशा रखता हूँ कि ये बहने विदेशी छोडकर खादी पहनने लगी होगी। वे ऐसा करने लगी हो या न करने लगी हो, मुद्देकी बात तो यह है कि विदेशीके बहिष्कारके साथ ही इन बहनोमे सादगी आ गई। सबका अनुभव है कि विदेशी वस्तुओके उपयोगके साथ ही विलासकी प्रवृत्ति बढ जाती है, और यह ख्याल बनने लगता है कि कपड़े शरीर ढकनेके लिए नही बल्कि शोभाके लिए हैं। हमारे अखबार अभी "फैशन" से भरे नही होते, परन्तु अग्रेजी अखबारोको देखे तो मालूम होगा कि उनमे "फैशन" शीर्षकसे नित नये प्रकारकी पोशाकोके चित्र और उनके मनोरजक वर्णन दिये जाते है।

१. यहाँ शायद 'तीसरा' होना चाहिए था।
२. नहीं दिया जा रहा है। इसमें घरकी स्त्रियोंके स्वदेशीको अपनानेके कारण घरका जो खर्च बच रहा था, उसका विवरण था।

विदेशी वस्त्रके त्यागके साथ ही झूठी शोभाका मोह दूर होता है, और इस कारण खादी महँगी होते हुए भी सस्ती पडती है। घरमें पहननेकी, घूमने जानेकी, मुलाकातकी, देव-दर्शनकी, यो रोज पहननेकी चार-पाँच साडियाँ रखनेवाली कोई वहन जव खादीकी एक साडीसे काम चला लेती है, तो सहज ही वहुत वचत हो जाती है। मलमलका १२ गजी साफा वाँधनेवाला जव आधे गजकी खादीकी टोपी पहनने लगता है तो खादीके चाहे जितनी महँगी होने पर भी वह आसानीसे वचत कर लेता है।

व्यापारियोंका मिथ्याचार

एक अनुभवी सज्जन शिकायत करते हैं:

> **किसी भी तरह विदेशी कपड़ा बेचनेकी गरजसे व्यापारी लोग विदेशी मालको मिलोंमें रँगवाते हैं, छपवाते हैं, और देशी मालके नामसे बेचते हैं। आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे?**

यह कोई नयी वात नही। यदि व्यापारियोंने देश-हितका ही विचार किया होता तो वे विदेशी कपडा कभी मँगवाते ही नही। व्यापार-मात्रमे अधिकतर झूठका सहारा लिया जाता है। कपडेके व्यापारी हमारी नजरमे आ जाते हैं, क्योंकि उनका व्यापार व्यापक है और एक भारी भयावने अजगरकी तरह हिन्दुस्तानसे लिपटा हुआ वह धीरे-धीरे, उसे कुचले डाल रहा है। इस फन्देसे कोई वच नही सकता। हमारी पसलियाँ किस तरह टूट रही हैं, इसका अव हमे अनुमान हो गया है, इसी कारण हम विदेशी वस्त्रके व्यापारीकी आलोचना करने लगे हैं; और यह उचित ही है। इस जागृतिमे उपर्युक्त और ऐसे ही अन्य मिथ्याचारोका उपाय मौजूद है। धरना इसकी एक प्राथमिक दवा है। सच्ची सेवा तो ग्राम-प्रवेश है। यह कपडा स्वदेशी है या विदेशी, सस्ता है या महँगा, स्वीकृत मिलका है या बहिष्कृत मिलका, इस खादीमे मिलका ताना है या हाथका इत्यादि तमाम प्रश्नोकी उस दिन जरूरत न रहेगी, जव गाँववाले अपने घरोमे सूत कातकर अपने ही जुलाहोके यहाँ उसे वुनवा लेंगे, और वही खादी पहनने लगेंगे। इसीलिए मैं हजारवी वार यह कह रहा हूँ कि तमाम दगा-फरेव और ठगीकी दवा अपने ही सूतकी वुनी हुई खादी है। जिस प्रकार जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा होता है, उसी प्रकार जितना महीन कातेंगे, हमे उतनी ही महीन और सस्ती खादी मिलेगी — ऐसी सस्ती कि उससे सस्ता कपडा हो ही नही सकता, और हो भी तो वह गरीवोके खूनसे सना होनेके कारण त्याज्य होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-५-१९३१

२४०. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं अभी-अभी मथुरा पहुँचा हूँ और फ्रंटियर मेल पकड़नेके लिए मुझे लगभग पाँच घंटे इन्तजार करना है। यहाँके लोगोंने मुझे मथुराके पास स्थित बिझारी नामक गाँवमें इस महीनेकी २० तारीखको घटी घटनाका वृत्तान्त दिया है। उनके दिये बयानकी एक नकल मैं पत्रके साथ भेज रहा हूँ। वारंटपर १८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। पर शिकायतकी सबसे अहम बात यह है कि पुलिस अपने अधिकार-क्षेत्रसे काफी आगे बढ़ गई। वारंटसे तो कोई शिकायत है ही नहीं। यदि उन लोगोंने कुछ ऐसा किया जो पुलिसकी निगाहमें गलत या गैरकानूनी था, तो उनको गिरफ्तार करना अधिकारियोंके लिए सर्वथा उचित था।

मैं बारडोली जा रहा हूँ और मैं वहाँ यथासम्भव कम-से-कम दो-तीन दिन तो रहूँगा ही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह-सचिव, भारत सरकार
शिमला

[अंग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक फाइल संख्या ३३/९, १९३१।
सौजन्य : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

२४१. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको[1]

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं अम्बालाके लाला दुनीचन्द – उस इलाकेके एक जाने-माने वकील – द्वारा भेजे गये प्रतिवेदनकी एक प्रति[2] सलग्न कर रहा हूँ। आप चाहे तार द्वारा ही इस सम्बन्धमे एक ही पक्तिका सन्देश भेजकर यह बतला दे कि इस मामलेमे आप कोई कार्रवाई करनेकी सोच रहे है या नही तो मै आभार मानूंगा। कर्त्तव्यका शायद यही तकाजा है कि यदि आप इस मामलेमे कोई राहत न दिला पाये तो मुझे न्यायाधीशके इस कार्यकी सार्वजनिक रूपसे चर्चा करनी ही चाहिए। यदि लाला दुनीचन्द द्वारा बतलाये गये तथ्य सही है, तो इन तथ्योसे यही प्रकट होता है कि न्यायाधीश द्वारा की गई कार्रवाई निश्चय ही शान्तिकी भावनाके विरुद्ध है जब कि समझौतेका मुख्य उद्देश्य शान्ति स्थापित करना ही था।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल संख्या १६ बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १९-५-१९३१ भी।

२. प्रतिवेदनमें दुनीचन्दने लिखा था : ". . . मैं १६ मईकी उन घटनाओंकी जाँच करने १८ मई, १९३१ को दोपहर बाद लुधियानाके लिए रवाना हुआ, जिसका समाचार आपको कालकामें दिया गया था। . . . मुझे यह कहते हुए दुःख है कि शायद लुधियानाके अधिकाश सरकारी कर्मचारी गांधी-इर्विन समझौतेको महत्वहीन कागज-मात्र मानते हैं। . . . मेरी राय है कि लुधियानामें होनेवाली घटनाओंकी सरकार और जनताकी ओरसे स्वतन्त्र जाच तो होनी ही चाहिए साथ ही अभी तक स्थानीय अधिकारी जिस नीतिसे काम लेते रहे हैं उसकी भी जाँच की जानी चाहिए. . .।"

२४२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

सूरत, असम और सयुक्त प्रान्तसे प्राप्त विवरणोके उद्धरणोके साथ आपके तीन पत्र मुझे मिल गये। उनपर विचार हो रहा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन

[अंग्रेजीसे]

गृह विभाग, राजनीतिक फाइल सख्या ३३/९, १९३१।
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

२४३. पत्र : गोसीबहन कैप्टेनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

मैं बारडोली पहुँचनेके लिए मथुरा जकशनपर सूरत ले जानेवाली फ्रटियर मेलका इन्तजार कर रहा हूँ। आपका पत्र मुझे यही मिला है। क्या मैने कहा था कि सिले-सिलाये वस्त्र भी लिये जायेंगे? टुकडोके बारेमें तो मुझे याद है कि मैने कहा था। मुझे बताइए कि कुल कितने लोग टुकडो या सिले-सिलाये कपडोसे छुटकारा पाना चाहते हैं। साथमे वस्त्रोकी तादाद और बाजारमे उनकी कीमत भी बताइए।

जानकर प्रसन्नता हुई कि दोनो बहनें थोड़े विश्राम और स्वच्छ वायुके लिए आखिर पचगनी चली गई। और आपके जानेका क्या हुआ?

मैं कल दोपहर बारडोली पहुँच रहा हूँ।

श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
७८, नैपियन सी रोड
मलाबार हिल, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३८)की माइक्रोफिल्मसे।

२४४. पत्र : होरेस जी० एलेक्जेंडरको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिल गया, धन्यवाद। असलमें मैंने आपका तार मिलते ही उसे खान अब्दुल गफ्फार खाँके पास भेज दिया था। अब चूँकि आपका आशय मेरे लिए ज्यादा स्पष्ट हो गया है, इसलिए आप भरोसा रखिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। एक काम मैं यह करने जा रहा हूँ कि कैप्टन बार्न्सके साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर दूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

प्रो० होरेस जी० एलेक्जेंडर
१४४, ओकट्री लेन
बरमिंघम

अंग्रेजी (जी० एन० १४१०)की फोटो-नकलसे।

२४५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

भोलानाथ सेनके[1] बारेमें आपका दुःखपूर्ण पत्र मिला। मैं हत्याकाण्डके बारेमें सब-कुछ पढ़ चुका हूँ। मैं जानता था कि चित्र और कृति दोनों ही बिलकुल आपत्ति-जनक नहीं थे। परन्तु लोगोंकी शिकायत यह रही कि पैगम्बरका कोई भी चित्र प्रकाशित ही क्यों किया गया। शिकायत तो स्पष्ट ही मूढ़तापूर्ण है। लेकिन सीधे-सादे पठानोंको किसी भी चीजपर उत्तेजित किया जा सकता है। ऐसे दुःखद काण्डोंके सिलसिलेमें जब हमें कोई भी निश्चित इलाज न सूझता हो, तब सबसे कारगर उपाय मुझे यही लगता है कि हम प्रार्थना करें और एकदम मौन धारण कर लें। यदि हिन्दुओंके हृदय [भी] पिघल सकें तो काम आसान हो जायेगा। पर वह तभी

१. एक पुस्तक-विक्रेता, जिसकी कलकत्तामें ७-५-१९३१ को **प्राचीन कहानी** नामक पुस्तककी बिक्रीके सिलसिलेमें हत्या कर दी गई थी।

होगा जब आप और मैं और शायद हमारे जैसे हजारों लोग अपने प्राण उत्सर्ग कर देंगे और उसे शुद्ध बलिदान बनानेके लिए हमें दिन-दिन अधिक शुद्ध बनने, या यह कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि दिन-दिन कम अशुद्ध बननेका प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। बंगालकी आपने जो हालत बताई है वह भी दुखी ही करती है। मैं आज मथुरामें हूँ। सूरत जानेके लिए फ्रंटियर मेलका इन्तजार कर रहा हूँ। अधिक सम्भावना यही है कि सुभाष बाबू सूरत तक ही जायेंगे। मैं अबतक उनसे मिल नहीं पाया हूँ। यह पत्र स्टेशन पर बोलकर लिखा रहा हूँ। मैं सरदारके आदेश पर बारडोली जा रहा हूँ। मंजिल तो बोरसद है, पर कह नहीं सकता वहाँ कब पहुँच पाऊँगा।

ट्रेनमें सुभाष बाबू मेरे साथ हैं?[1]

सप्रेम,

बापू

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर (कलकत्ताके पास)

अंग्रेजी (जी० एन० ८०३३)की फोटो-नकलसे।

२४६. पत्र : कैप्टन बार्न्सको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

प्रोफसर होरेस एक्लेजैंडरने मुझे एक विस्तृत पत्र लिखा है। उन्होंने बतलाया है कि आपको पेशावरमें काम करनेमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर एलेक्जैंडरने लिखा है कि आप और श्रीमती बार्न्स दोनों भारतके सच्चे मित्र हैं। लेकिन आपके जिलेमें कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो बिलकुल ही नहीं चलनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप यदि ठीक समझें तो मुझे निजी तौर पर अपनी जानकारीके मुताबिक सब-कुछ बतला दीजिए। वह सब प्रकाशनके लिए नहीं, मेरे निजी इस्तेमाल और मार्ग-दर्शनके लिए ही रहेगा। आप मेरे इस वचन पर विश्वास कीजिए कि मेरे सारे प्रयत्नोंका लक्ष्य एक ही है—उस प्रदेशमें सच्ची शान्ति स्थापित करना और लोगोंके दिमागमें यह बैठाना कि प्रगति उपद्रवों और

१. यह पंक्ति गांधीजी के स्वाक्षरोंमें है।

हिंसासे नही, वल्कि शान्त रहकर काम करने और अहिंसाका अवलम्वन करनेसे होती है।[1]

हृदयसे आपका,

कैप्टन वार्न्स
पेशावर

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य. नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

२४७. पत्र : निरंजन पटनायकको[2]

२४ मई, १९३१

प्रिय निरजन,

श्री नरसिंह साहूके बारेमे तुम्हारा तार मिला। उनके वारेमे पूरा व्योरा मुकदमेके रिकार्डके साथ मेरे पास अवश्य भेज दो।

अग्रेजी (एस० एन० १७१०५) की माइक्रोफिल्मसे।

२४८. पत्र : पर्सी लैसीको

स्थायी पता, सावरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मथुरा पहुँचनेपर आपका सन्देश मिला; उसके लिए मेरा धन्यवाद। मैंने आपको जान-बूझकर तार नही दिया। क्योकि आपको लिखनेकी कोई जल्दी नही थी। यदि मैं लन्दन गया तो लकाशायर भी अवश्य जाऊँगा और लंकाशायरकी जनता पर प्रकट कर दूंगा कि व्यक्तिगत तौरपर मेरे और काग्रेसके मनमे लकाशायरके प्रति किसी भी तरह कोई दुर्भावना नही है और काग्रेस लंकाशायरकी भरसक सहायता करेगी। इसलिए स्वाभाविक है कि मैं लकाशायरमे अपना काम सुविधापूर्ण वनानेके लिए 'मैन्चेस्टर गार्जियन'की सशक्त सहायता अवश्य लूंगा और यह पसन्द भी

१. देखिए खण्ड ४७, "पत्र : कैप्टन वार्न्सको", १९-६-१९३१ भी।

२. निरंजन पटनायकके तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था· राजमहेन्द्री जेलमें विजगापट्टम एजेन्सी राजके वन्दी नरसिंह साहूकी रिहाईके वाद विमलिपट्टम एजेन्सी विनियमके अन्तर्गत फिर गिरफ्तारी।"

करूँगा। आप कृपया इस पत्रको समाचारपत्रोंमें प्रकाशनके लिए न दें। हाँ, आप इसे मित्रोंको दिखा सकते हैं और 'मैन्चेस्टर गार्जियन'को तो दे ही सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री पर्सी लैंसी
होटल सेसिल
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२८) की फोटो-नकलसे।

२४९. पत्र: प्रेमनाथ बजाजको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। युवक इस मामलेमें यह कर सकते हैं कि वे केवल विधवाओंसे ही विवाह करनेका संकल्प कर लें और यदि पण्डितोंमें उनको विधवाएँ न मिल सकें तो चाहे सत्याग्रहके रूपमें ही हो, उनको अन्य जातियोंकी विधवाएँ देखनी चाहिए। लेकिन यदि वे अपने-आपको अपनी ही जातितक मर्यादित रखना चाहते हों तो उनको अपनी जातिके बड़े-बूढ़ोंसे बात करनी चाहिए और उनको सूचित कर देना चाहिए कि यदि विधवाओंको पुनर्विवाह करनेके लिए अनुमति-भर ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो युवक जातिसे बाहर विवाह करनेपर विवश हो जायेंगे।

हृदयसे आपका,

पण्डित प्रेमनाथ बजाज
चौंधपुरा
श्रीनगर (कश्मीर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२९) की फोटो-नकलसे।

२५०. पत्र : वाल्टर बी० फॉलेको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्र और दो लेखोंके लिए धन्यवाद।

यदि आप अपनी सुविधानुसार किसी प्रकार सूरत या आनन्दतक आनेका मौका निकाल सकें तो उसे आपसे मिलकर सचमुच बडी प्रसन्नता होगी। मैं आम तौरपर आनन्दके पास बोरसदमें या सूरतके पास बारडोलीमे रहता हूँ। अभी इस समय मैं बारडोली ही जा रहा हूँ। आपका पत्र मुझे मथुरा जंक्शनपर सूरतकी गाडीका इन्तजार करते समय ही मिला था। अगले महीनेके दौरान लाहौर और कलकत्ताके बीच किसी भी जगह मेरे आने-जानेकी सम्भावना नही है।

हृदयसे आपका,

श्री वाल्टर बी० फॉले[1]
३, मिडिलटन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३०)की माइक्रोफिल्मसे।

२५१. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

आपके पढने और आवश्यक कार्रवाईके लिए एक और पत्र भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे इसका उत्तर दे दें। मैंने इसकी प्राप्ति-सूचना नही भेजी है। कृपया लिखिए कि इस कथनमे कोई सचाई है या नही।

संलग्न : १

श्री च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (द० भारत)

अंग्रेजी (एस०-एन० १७१३१)की माइक्रोफिल्मसे।

१. मैथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, कलकत्ताके सम्पादकीय सचिव।

२५२. पत्र : जॉन बिटमैनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए मेरा धन्यवाद। यदि लन्दन गया तो मै डेनमार्क और अन्य स्थानोकी भी यात्रा जरूर करना चाहूँगा, लेकिन ठीक कह नही सकता कि कब कर पाऊँगा। मेननकी विपत्तियोंकी बात सुनकर बडा दु ख हुआ। परन्तु ऐस्थरको उनकी असफलताओंको लेकर चिन्तित नही होना चाहिए। उसे मेरी ओरसे स्नेह दीजिए और कहिए कि मैं उससे कही अधिक आस्था और इसीलिए कही अधिक जीवटकी आशा करता हूँ। कृपया उससे कहिए कि मुझे पत्र लिखे।

हृदयसे आपका,

श्री जॉन बिटमैन
पीटी० ५५, ग्रोडलसवैज
कोपेनहेगन

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३२)की फोटो-नकलसे।

२५३. पत्र : अतुलप्रताप सिन्हाको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय सिन्हा,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने उसमे प्रस्ताव किया है कि मेरे लन्दन आनेपर आप मुझे अपनी सेवाका लाभ देनेको तैयार है। अभी इस समय मुझे वहाँ आनेकी कोई सूरत नही दिखाई पडती; लेकिन यदि मैं आया तो आप मेरा पता चला ही लेगे। पत्रमे आपने जिस घटनाका जिक्र किया है, खेद है वह मुझे याद नही पडती।

हृदयसे आपका,

श्री अतुलप्रताप सिन्हा,
उपाध्यक्ष, इंडियन स्टूडेंट्स सेन्ट्रल एसोसिएशन
ब्रोमप्टन रोड, लन्दन साउथ वेस्ट-३

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३३)की फोटो-नकलसे।

२५४. पत्र : कार्ल जे० ब्रन्सकॉंगको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके प्रश्नका उत्तर है:

विश्व-शान्तिके प्रसारका एक तरीका यह है कि भारतको सत्य और अहिंसाके बलपर स्वराज्य हासिल करनेमें सहायता दी जाये।

हृदयसे आपका,

कार्ल जे० ब्रन्सकॉंग
लिल्ला नीग्यतॉं ४
स्टॉकहोम

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३४)की फोटो-नकलसे।

२५५. पत्र : जे० एन० साहनीको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय साहनी,

मैंने सुना कि आपने भेटका विवरण प्रकाशित कर दिया था। स्वीकार करना पड़ेगा कि उससे मुझे पीड़ा पहुँची। सच तो यह है कि आपको मालवीयजी या अनसूयाबहनसे न तो उनकी अनुमति लेनी चाहिए थी और न उसका उपयोग ही करना चाहिए था इसलिए कि यह मामला ऐसा था जिसमें प्रकाशनके सम्बन्धमें निर्णय करनेका अधिकार मुझ अकेलेको ही था। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी-मोटी भूलें इतने सारे समाचारपत्र बार-बार करते रहते हैं कि सबको मिलाकर देखनेपर यह चूक बहुत भारी लगने लगती है और इससे कुरुचि झलकती है। घरेलू किस्मकी ऐसी बातचीत समाचारपत्रोंमें छापनेकी चीज नहीं होती। विवरण प्रकाशित करनेसे इनकी अहमियत और इनका असर जाता रहता है। अनसूयाबहनने भी मुझे उसके बारेमें लिखा है। उनको हार्दिक क्लेश पहुँचा है और उनका कहना है कि उसमें कई भूलें भी हैं। पर मैं समझता हूँ कि भूल-सुधार छापनेसे भी अब कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उसके बारेमें सब-कुछ बिलकुल भुला दिया जाये और आप अपनी ओरसे भूल-सुधार इसी

तरह कर सकते हैं कि आगेसे ऐसी गलती मेरे ही नहीं, किसीके भी बारेमें न दोहरायें। मैंने जो बात समझानेकी कोशिश की है, यदि आप उसे स्पष्टतः समझ गये हों तो मैं मानूँगा कि भूलका नतीजा अच्छा ही निकला।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एन० साहनी
हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३६)की माइक्रोफिल्मसे।

२५६. पत्र : ईश्वरदास नैयरको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। चूँकि मैं लगातार यात्राएँ कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे मिलनेके लिए मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता। मेरे साथ आपके रह पानेका तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, आश्रममें आप कुछ दिन रहकर वहाँ अपना मार्ग निश्चित कर सकते हैं। यदि मेरा सुझाव आपको मंजूर हो तो आप वहाँ जानेसे पहले प्रबन्धकको लिखकर उनकी अनुमति प्राप्त कर लें।

हृदयसे आपका,

श्री ईश्वरदास नैयर
हाउस प्रोप्राइटर
पुराना बाजार
गुजरात[1]

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान)का एक कस्बा।

२५७. पत्र : शान्ता पटेलको

बारडोली
२५ मई, १९३१

चि० शान्ता,

तेरा पत्र मिला। तूने मुझे जो बताया है, मैंने भी वही बात समझी है। किन्तु अब भी मै तुझे यही सलाह दूंगा कि तू लडकियोके साथ रहना सीख और उनके ही साथ खेलकर सन्तोष किया कर। प्रेमाबहन-जैसे लोगोंके साथ रहना सीख और उससे प्रमाण-पत्र प्राप्त कर। छोटी बहनोकी सेवा कर, उन्हे सिखा-पढ़ा। पुष्पाकी खुराकका ध्यान रख। उसे भात थोडा ही खाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०६०)की फोटो-नकलसे।

२५८. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२५ मई, १९३१

चि० नारणदास,

आज सुबह बारडोली पहुँच गया। जाना तो बोरसद था, पर आ यहाँ गया। लेकिन दूसरोका चाकर कर भी क्या सकता है? साथमें भगवानजी का जो पत्र भेज रहा हूँ, शायद वह तुमने न पढा हो। हरियोमलकी शिकायत क्या है? हम चोरको तो नही पहचान सके न? गाँवोमे गये ही नही, इसलिए पहचानते भी तो कैसे? जब चोरोका उपद्रव होता है, तभी ग्राम-प्रवेशका अभाव खटकता है। लगता है, कुसुम आदिको पजाबी वैद्यकी दवा माफिक नही आई।

रतिलालको थाना ले जानेके लिए राजकोट तार भेजा है। थोडे दिन तो यहाँ रहूँगा ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

क्या वालजी अभी बम्बईमे ही है? और अस्पतालमे है?

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

२५९. पत्र : प्रबन्धक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

यात्रा और व्यस्तताओके कारण मैं आपके ७ मईके पत्रका उत्तर और पहले नही दे पाया। आपने पत्रमें जो सुझाव रखे है, मुझे पसन्द आये। मैंने व्यक्तिगत तौरपर अभीतक अपने किसी भी प्रकाशनका कापीराइट कभी नही लिया। यह काम मैंने श्री एन्ड्रयूजकी मर्जी पर ही पूरी तरह छोड रखा था कि वे अपने तैयार किये सक्षिप्त सस्करणोका जैसा चाहे करें। लेकिन यदि श्री एन्ड्रयूज या उनके प्रकाशकोसे कोई अनुमति लेनेकी आवश्यकता हो तो कृपया आप उनसे ले ले। रायल्टीके बारेमे आपने जो लिखा मैंने देख लिया है। अपने पत्रमें उल्लिखित शर्तोके अनुसार जब भी आप प्रस्तावित पुस्तक प्रकाशित करनेका निर्णय करे, मुझे आशा है आप उसकी पाण्डुलिपि मेरे पास आवश्यक पुर्ननिरीक्षण और परीक्षणके लिए अवश्य भेजेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री आर० ई० हॉकिन्स
प्रबन्धक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
निकॉल रोड, बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० ५६८६)की फोटो-नकलसे।

२६०. पत्र : कावसजी जहाँगीरको[1]

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय श्री कावसजी,

और पहले उत्तर न भेज सकनेके लिए आप मुझे क्षमा करनेकी कृपा करेंगे। मैं नैनीतालसे कल ही बारडोली लौटा हूँ। मैं नैनीताल और शिमलामें वहीके कार्योमें इतना व्यस्त रहा कि आपको या सरदार गरदाको उत्तर[2] लिखनेका समय निकाल ही नही पाया। सरदार गरदाको भेजे उत्तरकी एक प्रति मैं आपके पास भेज रहा

१. कावसजी जहाँगीरके पत्रके उत्तरमें। पत्रमें सरदार गरदा द्वारा की गई कुछ खास शिकायतोंका उल्लेख करते हुए गांधीजी से अनुरोध किया गया था: "परेशान करना तुरन्त बन्द करा दिया जाये।"
२. देखिए अगला शीर्षक।

हूँ, जो अपने-आपमे पूर्ण है; इसलिए उसके बारेमें कुछ कहनेकी जरूरत नही। अपने नाम उनके पत्रकी एक प्रति भी मैं आपको भेज रहा हूँ। बहुत ही उदार दृष्टि अपनाई जाये तो भी कमसे-कम इतना तो कहना ही पडेगा कि उनके आरोप अस्पष्ट है और जनता वास्तवमें उनको भी स्वीकार करनेको तैयार नही है। लेकिन उनकी सबसे उचित शिकायत उन घटनाओंको लेकर ही हो सकती थी, जो भूमि वापस करनेके उनके वचनके बाद हुई हों; अर्थात् वे सब रावबहादुर भीमभाईका पत्र मिलनेके बाद या २५ अप्रैलको हमारी पहली बातचीतके बाद की ही हो सकती थी। यदि आप २५ अप्रैलकी तिथिको सीमा मानें तो आप देखेंगे कि उसके बादकी घटनाओके बारेमें सिर्फ एक ही पैरा लिखा गया है। उसमें कहा गया है "२८ अप्रैलको बावलाकी जनताने फिर मेरे टापूसे काम करने आये मजदूरो और गाडीवानोको और इसी महीनेकी ३ तारीखको एक राजपूत परिवारने डराया-धमकाया। धमकियोमे यह भी धमकी दी गई कि उनके झोपडोको उनमें रहनेवाले लोगोंके साथ ही जला दिया जायेगा।"

मैंने बडी सतर्कतापूर्वक इन आरोपोकी जाँच कर ली है और मैंने सम्बन्धित लोगोके हलफिया बयान ले लिये है, जिनमें इनका प्रतिवाद किया गया है। लेकिन यदि आपको इस जाँच-पडतालसे सन्तोष न हो, तो मैं इसके लिए बिलकुल तैयार हूँ कि आप इन दो शिकायतोंकी जाँच करनेके लिए अपनी ओरसे किसीको भी नामजद कर दे।

कहा जाता है कि भीकाभाईने अपना बँगला लेनेसे इनकार कर दिया है। पर मैंने सुना है कि उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नही कही। यदि बँगला न देनेकी बात कही भी हो, तो हम ऐसे मामलोमें कोई दखल कैसे दे सकते हैं?

आपके पत्रमें उल्लिखित एक अन्य शिकायतमें यह वाक्य पढकर मुझे आश्चर्य हुआ और दुःख भी: "मैं आपका ध्यान पारसियोको तग करनेवाली अन्य उन घटनाओकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो मुझे बतलाई गई है।" इससे तो लगता है कि आप यह मानकर चलते है कि सरदार गरदाको तो तंग किया ही गया है और आपने अबतक बिलकुल ही अप्रमाणित दो घटनाओके आधारपर एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हुए यह आरोप लगा दिया है कि पारसियोके पूरे समाजको ही पारसी होनेके नाते तग किया जा रहा है। सच तो यह है कि पिछले बारह वर्षोमे राजनीतिक कार्यकी इतनी सरगर्मीके दौरान काग्रेस और पारसियोके सम्बन्ध बहुत ही अच्छे रहे है। तब फिर पारसियोंको तग करनेकी कोई बात उठती ही कहाँ है? और यदि यह सिद्ध भी किया जा सके तो क्या आपने जिसका उल्लेख किया है उस महिलाको[1] तंग किये जानेकी घटनाका सरदार गरदाके इस वचनपर कोई प्रभाव पडना चाहिए कि वे उनके अपने कहे मुताबिक कौडीके मोल खरीदी उस भूमिको लौटा देंगे? फिर भी मैं आपको इस बातका पक्का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि काग्रेसका ऐसा कोई

१. श्रीमती कान्ट्रैक्टर, जिनकी थाना और घाटकोपरमें विदेशी और देसी शराबकी दो दुकानें चलती थीं।

मंशा नही कि पारसियोको तग किया जाये। महिलाके मामलेमें तो उसकी जाँच करनेवाले श्री भरूचाका भी आरोप है। और यह देखते हुए कि दो प्रतिष्ठित पारसियो द्वारा परस्पर विरोधी आरोप लगाये गये है, मैं आपसे यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप ही किसी व्यक्तिको नामजद कर दें जो जाँच करके आपको निष्कर्ष बताये। इस सिलसिलेमें आपका पत्र आनेतक मैं महिलाके मामलेमें आगे कोई जाँच-पड़ताल नही करूँगा।

हृदयसे आपका,

संलग्न: २

सर कावसजी जहाँगीर
रेडीमनी मेन्शन
चर्चगेट स्ट्रीट
फोर्ट, बम्बई

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२६१. पत्र: फ्रॉमरोज बी० गरदाको[1]

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय सरदार गरदा,

मुझे दु:ख है कि गुजरातमें मौजूद न रहने और अन्य व्यस्तताओके कारण मैं आपके पत्रका उत्तर इससे पहले नही दे पाया। आप देखेंगे कि आपकी शिकायतोमें दो के अतिरिक्त शेष सब उस समयके पहलेकी हैं अब आपने जमीनें उनके असली मालिकोको लौटा देनेका निर्णय लिया था। २८ अप्रैल और इस महीनेकी ३ तारीखको हुई जिन दो घटनाओका आपने उल्लेख किया है, उनके सम्बन्धमें मैंने आरोपोकी जाँच कर ली है और लोगोने उनसे एकदम इनकार कर दिया है। आपने २५ अप्रैलसे पहलेके कुछ अन्य मामलोका भी जिक्र किया है, जो न्यायालयोमें चल रहे हैं। उनके सिवा अन्य सभी मामलोकी मैंने जाँच कर ली है। हालांकि दोष लगाते हुए यह कहा गया है कि वे २५ अप्रैलसे पहलेके हैं; लेकिन सम्बन्धित लोगोने दोष स्वीकार नही किया है। निश्चय ही आप बड़ौदा क्षेत्रमें स्थित अपनी भूमिके सिलसिलेमें अपने किसानो द्वारा की जानेवाली कार्रवाइयोंके लिए, कांग्रेसियोको जिम्मेदार नही मानते। वहाँ आपके किसानोके साथ कांग्रेसवालोका बिलकुल भी कोई सम्बन्ध या व्यवहार नही है।

१. देखिए "तार: फ्रॉमरोज बी० गरदाको", ६-५-१९३१ भी।

सच तो यह है कि न्यायालयोंमें चल रहे मुकदमोको समझौतेके बाद वापस लेनेका काम तो आपको ही करना था। इसलिए मुझे यह कहनेपर विवश होना पड़ता है कि अपने वचनसे फिर जानेका आपने बिलकुल भी कोई कारण नही बतलाया। जो भी हो, मेरा सुझाव है कि भूमि लौटानेका वचन दे चुकनेके बाद यदि आपको लगा था कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आपके लिए उचित यही था कि आप किसीकी मध्यस्थताका सहारा लेते या फिर ऐसा ही कोई दूसरा तरीका अपनाते, लेकिन पूरे सोच-विचारके बाद दिये गये अपने वचनसे आपको फिरना तो नही चाहिए था।

हृदयसे आपका,

सरदार फ्रॉमरोज गरदा
नवसारी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल संख्या १६-सी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२६२. पत्र : यू० गोपाल मेननको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय गोपाल मेनन,

आपका पत्र मिला। एम० पी० नारायण मेननके मामलेकी मुझे पूरी जानकारी है। किसी मिशनरी मित्रने मुझे लॉर्ड इर्विनके नाम एक पत्र उनतक पहुँचा देनेके विचारसे दिया था। मैने खुशीसे वह पत्र लॉर्ड इर्विनको दे दिया था और उनसे नारायण मेननकी रिहाईके लिए कोशिश करनेको कहा था। उस मामलेके न्यायके सम्बन्धमें मुझे तनिक भी सन्देह नही। दुर्भाग्यसे लॉर्ड इर्विनसे मेरी भेंट दिल्लीसे उनके प्रस्थानके दो दिन पहले ही हुई थी। इसलिए अधिक सम्भावना इसी बात की है कि वे शायद कुछ न कर पाये हो। अब तो यही है कि आप सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरका द्वार ही बार-बार खटखटाते रहे, क्योकि आपका ही कहना है कि उनको मामलेकी अच्छी जानकारी है।

मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्तावित सत्याग्रहके बारेमें मैं दूसरे पक्षकी पूरी बात सुननेके बाद ही कोई निश्चित राय दे सकूँगा। आपने जो आपत्ति उठाई है वह विचारणीय अवश्य है। मुझे लगता है कि इससे अधिक कुछ कहना ठीक नही होगा।

हृदयसे आपका,

श्री यू० गोपाल मेनन, बी० ए०, बी० एल०
कालीकट

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४३)की माइक्रोफिल्मसे।

२६३. पत्र : जुगलकिशोरको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय जुगलकिशोर,

आपका इसी महीनेकी १४ तारीखका पत्र मिला। बारडोलीसे लौटते समय मुझे लगभग पाँच घटे मथुरामे रुकना पडा। तब मै आपके साथ आये उन मित्रसे मिला था। उनका नाम क्या है? परस्पर चर्चाके बाद वह और मै दोनो ही इस बातपर सहमत हो गये थे कि जबतक आप निकट ही किसी निश्चित तिथितक महाविद्यालयको आत्मनिर्भर बना देनेका एक कार्यक्रम तैयार न कर ले, तबतक मुझे आपकी अपीलपर सार्वजनिक तौरपर कोई ध्यान नही देना चाहिए। लेकिन मैने उनको पहले की गई चर्चाकी शर्तोके अनुसार न्यासियोंके नाम एक पत्र दे दिया था।

मथुरामे आपकी बड़ी याद आई।

आचार्य जुगलकिशोर
प्रेम महाविद्यालय
वृन्दावन

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४४)की माइक्रोफिल्मसे।

२६४. पत्र : मगन्ती बापी नीडूको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय नीडू,

तुम्हारा मर्मस्पर्शी पत्र मिला। इतना निराश होनेकी तो जरूरत नही। निराश और पस्त होनेकी तो कोई बात ही नही। मै समझता था कि तुम्हें अपने माता-पिता और बच्चेका भरण-पोषण करना पडेगा। मैंने इसीलिए तुम्हारे साबरमती आश्रम जानेकी बात कही है। तुम्हे इन आश्रितोके लिए तीस रुपये प्रति माह दिये जायेंगे। आश्रममे रहने और खानेका तुम्हे कुछ भी नही देना पडेगा। आश्रमका रहन-सहन अपना लेनेपर तुम्हारी समस्या आसानीसे हल हो जायेगी, और सचमुच तुम्हारा आश्रममे रहना देश-सेवाका काम भी होगा; कारण सीधा है कि आश्रमका सारा काम राष्ट्रीय कार्य ही है। तुम्हे आश्रमके जीवनकी यदि बिलकुल जानकारी न हो

तो नारायण राजूसे पूछ सकते हो। मेरा ख्याल है, वह यहाँ शायद साल-भर रह चुका है। आन्ध्र देशके इतने सारे लोग अक्सर आश्रममे आकर रहते रहे हैं।

हृदयसे आपका,

श्री भगन्ती बापी नीडू,
एल्लौर (पश्चिमी गोदावरी जिला)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४५)की माइक्रोफिल्मसे।

२६५. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

चटगाँव जिलेके पेटियासे आया हुआ एक पत्र संलग्न है। मैंने लेखकको तार[1] देकर पूछा था कि क्या मैं उनका नाम दे सकता हूँ और क्या वे इन तथ्योको प्रमाणित करनेको तैयार हैं। पता पूरा न होनेके कारण तार उनको मिल नही सका। मैंने उनको पत्र भी लिखा था,[2] पर अबतक उत्तर नही आया है। यदि पत्रमे उल्लिखित तथ्य सही हैं, तो मामला सचमुच गम्भीर है। लेकिन तुम जाँच करके आवश्यक कार्रवाई कर सकते हो। आशा है अहमदाबादमें तुम्हारा समय काफी अच्छा गुजरा होगा।

श्री सुभाषचन्द्र बोस
मारफत बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४६)की फोटो-नकलसे।

२६६. पत्र : एल० आर० गुरुस्वामी नायडूको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय गुरुस्वामी,

आपका पत्र मिला। आपने उसमे धरनेसे सम्बन्धित कठिनाइयोका विवरण दिया है। आप जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, यदि उसका आपने सही-सही ब्योरा दिया है तो मुझे उसमे कोई गलती नही दिखाई पडती और अधिकारियोका कार्य समझौते की शर्तोंके विरुद्ध ही नही, बल्कि मेरी रायमे तो गैरकानूनी भी था। आगेकी प्रगति

१. देखिए "तार: मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको", २१-५-१९३१।
२. देखिए "पत्र: मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको", २१-५-१९३१।

के बारेमे कृपया मुझे बराबर सूचित करते रहिए। मैं चाहता हूँ कि आप श्री राज-गोपालाचारीसे भी सम्पर्क बनाये रहे। आपका पत्र मैंने उनके पास भेज दिया है।

हृदयसे आपका,

श्री एल० आर० गुरुस्वामी नायडू
अध्यक्ष, ताल्लुका कांग्रेस कमेटी
कोइलपट्टि (मद्रास प्रेसीडेंसी)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४७)की माइक्रोफिल्मसे।

२६७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

कोइलपट्टि ताल्लुका काग्रेस कमेटीके एल० आर० गुरुस्वामी नायडूका पत्र भेज रहा हूँ। उनके नाम अपने पत्रकी[1] एक प्रति भी सलग्न कर रहा हूँ। यदि गुरु-स्वामीके पत्रमे वर्णित तथ्य सही हो, तो आपको इस मामलेमे मुस्तैदीसे कार्रवाई करनी चाहिए।

आशा है ९ तारीखको बम्बईमें आपसे मुलाकात होगी।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७१४८)की माइक्रोफिल्मसे।

२६८. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय शकरलाल,

मसुलीपट्टममे भूमि और इमारत खरीदनेकी डॉ० पट्टाभि सीतारमैयाकी सलाहके बारेमे यदि खरीदकी कीमत पाँचसे छः हजार रुपयोके बीच तय हो जाये, तो मैं प्रस्तावसे सहमत हूँ।

श्रीयुत शकरलाल बैंकर
मिर्जापुर, अहमदाबाद

अग्रेजी (एस० एन० १७१४९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२६९. पत्र: डॉ० मु० अ० अन्सारीको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय डॉ० अन्सारी,

आपका तार मिल गया। मै तो सोचता था कि आप इस बातसे सहमत है कि यदि साम्प्रदायिक समस्या हल न हो पाये तो कांग्रेसको गोलमेज परिषद्मे शामिल नही होना चाहिए। अब आप शास्त्री[1], एन्ड्रयूज और पोलक द्वारा रखे सुझावसे क्यो सहमत हो गये? पर आप इससे सहमत हो या न हो, आपको इस बातपर तो विचार करना ही होगा कि यदि मै कोई हल निकले बिना ही वहाँ जाऊँगा तो मेरे अन्दर जितना चाहिए उतना आत्मविश्वास नही रहेगा। यदि मेरे अपने ही देशमे यहाँ परस्पर फूट रहेगी तो मै क्या माँगे रख पाऊँगा और राष्ट्रीय माँगको बहुत दृढताके साथ कैसे पेश कर पाऊँगा? लेकिन तारका जो उत्तर मैने दिया है उसमे यही कहा है कि यदि मुझे गोलमेज परिषद्के अतिरिक्त अन्य विषयोपर चर्चा करनेके लिए लन्दनमे आमन्त्रित किया गया तो मै प्रसन्नताके साथ तो तभी जा सकूँगा, जब मुझे विश्वास हो जायेगा कि समझौतेपर ठीक-ठीक अमल हो रहा है।

क्या आपने मौलवी मुहम्मद याकूब द्वारा की गई घोषणा देख ली है? किसी भी भावी हलमे सिखोके शामिल होनेकी आवश्यकताके सम्बन्धमें दिये गये मेरे वक्तव्य के बारेमे समाचारपत्रोमे क्या आया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। क्या उससे बचनेकी कोई सूरत आपको दिखाई पड़ती है?

शिमला-वार्त्तामे अनेक विषयो पर बात ही नही हो पाई थी। मै ९ जूनके इन्तजारमें हूँ। उस समय हम बातचीत फिर शुरू करनेकी स्थितिमें होगे।

डॉ० मु० अ० अन्सारी
१, दरियागंज
दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५०)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २३-५-१९३१।

२७०. पत्र : अब्बास तैयबजीको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

आपका आह्लादपूर्ण पत्र मिला। मैं सरदारके आदेशपर कल ही बारडोली लौटा हूँ और उनके आदेशके मुताबिक कम-से-कम कुछ दिन यहीं रहूँगा। यदि अचानक कहीं औरसे बुलावा नहीं आ गया तो ३ या ४ जूनके आसपास भी मैं यहाँ या बोरसदमें रहूँगा। आप जानते ही हैं कि मेरा समय मेरे अपने हाथमें नहीं है। एक सरदार तो मौजूद है ही; फिर एक सरकार भी है — इन दोनोंकी सेवामें मेरी चैनसे गुजर रही है।

महाराजाके नाम अपने पत्रकी मुझे प्राप्ति-स्वीकृति तक प्राप्त नहीं हुई। क्या आपका ख्याल है कि मुझे उनको फिरसे लिखना चाहिए? यदि हाँ, तो कृपया उनका पता मुझे लिख दीजिए। आप दीवानसे स्वयं क्यों नहीं मिल लेते? पढ़कर खुशी हुई कि रेहाना माथेरान गई है। आराम लेनेसे उसे लाभ पहुँचना चाहिए।

श्रीयुत अब्बास तैयबजी
बड़ौदा शिविर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५१) की फोटो-नकलसे।

२७१. पत्र : मन्त्री, इंडियन एसोसिएशन, ईराकको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पिछली २८ अप्रैलका छपा हुआ पत्र मिला। पिछले पत्रोंकी मुझे कोई जानकारी नहीं। वे शायद मेरे जेल-प्रवासके दिनोंमें आये होंगे। मैं सभी तरह आपकी संस्थाकी सफलताकी कामना करता हूँ। क्या आप मुझे ईराकमें बसनेवाले भारतीयोंकी तादाद और उनके पेशेके बारेमें थोड़ी-बहुत जानकारी देंगे और क्या आप मुझे यह भी बतलायेंगे कि अरबों और आपके बीच पूर्णतः मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है या नहीं?

हृदयसे आपका,

मन्त्री
इंडियन एसोसिएशन, ईराक
पो० बा० संख्या ७१, रेजीडेंसी रोड
बगदाद

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५२) की माइक्रोफिल्मसे।

२७२. पत्र : हरदयाल नागको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय बाबू हरदयाल नाग,

आप कांग्रेसके शायद सबसे पुराने सदस्य हैं, फिर भी आप मुझे जब-तब पत्र लिखकर अपना युवकोचित उत्साह प्रकट करते रहते हैं। आपका सबसे हालका पत्र मैं प्रकाशित नही कर रहा हूँ। हम चाहे या न चाहे, साम्प्रदायिक समस्या तो सामने है ही। और यदि हम उसे हल नही कर पाये तो मैं राष्ट्रीय माँगको उतनी दृढतासे पेश नही कर पाऊँगा जितनी दृढतासे उसे साम्प्रदायिक समस्या हल हो जानेके बाद पेश कर सकता हूँ। गोलमेज परिषद्मे कांग्रेसके शामिल होनेके सिलसिलेमे क्या आप यह आधारभूत आपत्ति नही देख रहे है? यदि स्वराज्यका सविधान बनना है तो साम्प्रदायिक समस्याका हल निकालना ही पड़ेगा।

आशा है अब भी आपका तेज पहले जैसा ही बना हुआ है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत हरदयाल नाग
चाँदपुर (बगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५४)की फोटो-नकलसे।

२७३. पत्र : एल० जे० बर्गेसको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। हालाँकि तीसरी प्रस्थापनाको मुझे शायद कुछ भिन्न शब्दोमे रखना चाहिए, फिर भी मैं तीनो प्रस्थापनाओके सामान्य आशयका निस्सकोच अनुमोदन करता हूँ। मैंने यह कभी नही कहा कि किसी भी जातिका धर्म अन्य किसी भी धर्मके जितना ही अच्छा है। मैं आपको 'यग इडिया'के वे दो अक भेजनेकी कोशिश कर रहा हूँ जिनमे इस प्रश्नसे सम्बन्धित मेरे विचार

दिये गये हैं। मेरी तरफसे धार्मिक स्वतन्त्रतामें कानूनी हस्तक्षेप करनेकी कोई बात कभी उठी ही नहीं।

हृदयसे आपका,

एल० जे० बर्गेस महोदय
सॉल्ट हिल
दार्जिलिंग

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५५)की फोटो-नकलसे।

२७४. पत्र : रघुवीरसिंहको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपके पहले प्रश्नका उत्तर यह है कि यदि आपके मनमें उपाधियाँ (डिग्रियाँ) प्राप्त करने या कालेजोंके पाठ्यक्रमों द्वारा भौतिकीका ज्ञान हासिल करनेकी सचमुच उत्कट लालसा है, तो आप कालेजमें फिरसे दाखिला जरूर ले लें।

आपके अपने मित्रोंकी सहायताके बारेमें मेरा ख्याल है कि वे यदि भूखों मर रहे हों तो उनकी सहायता करनेका आपको अधिकार है ही; बल्कि वह तो आपका कर्त्तव्य है। लेकिन उनके उद्देश्योंको आगे बढ़ानेमें योग देनेका आपको अधिकार नहीं है। और उनके नाम तो पुलिसको किसी भी हालतमें नहीं बतलाये जा सकते।

हृदयसे आपका,

श्री रघुवीरसिंह
मारफत बंगाली सारेम
कलेक्टरका कार्यालय
मेरठ

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५६)की माइक्रोफिल्मसे।

२७५. पत्र : एम० जी० दातारको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। अहमदाबादके अपने भाषणमें तिलक विद्यालयका उल्लेख यदि सचमुच रह गया है, तो वह निश्चय ही जान-बूझकर नही छोडा गया।[1] मुझे जैसे-जैसे नाम याद आते गये, मै गिनाता गया था। नागपुर तिलक विद्यालयने कितना अधिक योगदान किया है यह मैं जानता हूँ। मेरा मशा किसी एक राष्ट्रीय संगठन-विशेषके बारेमें कुछ कहनेका नही था। मै तो इस एक तथ्य पर जोर देना चाहता था कि राष्ट्रीय शैक्षणिक सगठन ही वास्तवमे हमारी आवश्यकताकी पूर्ति कर सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री एम० जी० दातार
प्रधानाध्यापक, तिलक विद्यालय
नागपुर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५७)की माइक्रोफिल्मसे।

२७६. पत्र : सुरेन्द्रसिंहको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय सरदार सुरेन्द्रसिंह,

३० अप्रैलके आपके पत्रकी प्राप्ति-सूचना इससे पहले न दे पानेकी मेरी असमर्थता के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मुझे इस बात पर पूर्णतः सहमत तो काफी कठिनाईसे ही कर पायेंगे कि संकट-कालमे वर्तमान प्रशासन सचमुच ही सुरक्षाकी प्रतीति देता है। राष्ट्रके जीवनमे आई आध्यात्मिक भावनाके ह्रासकी आपकी भर्त्सनासे मै सहमत हूँ और मैं आपके इस कथनसे भी बिलकुल सहमत हूँ कि बहुत अधिक त्याग

१. देखिए खण्ड ४७, "राष्ट्रीय विश्वविद्यालय", १८-६-१९३१।

या अनुशासनकी हम आशा नहीं कर सकते। इनको लानेके लिए ही मैं इतना अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

सरदार सुरेन्द्रसिंह
लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५८)की फोटो-नकलसे।

२७७. पत्र : मनमोहनदास पी० गांधीको

२६ मई, १९३१

भाई मनमोहनदास,

क्या करूँ? तुम्हारी पुस्तिका[1] उठाकर भी नहीं देख सका। एक तो यह मुसाफिरी और उसपर काम?

१. विदेशसे बारीक कामोंके लिए कितनी कपास आती है?

२. क्या उसकी सचमुच जरूरत है?

३. क्या उससे देशी कपासको नुकसान होता है?

४. कपासकी फसलसे जमीनको फायदा होता है या नुकसान?

५. कपासके बदले क्या सचमुच अनाजकी फसल पैदा करना ज्यादा अच्छा है?

६. क्या उससे सचमुच जमीन ज्यादा अच्छी हो जाती है?

इनपर विचार करके जवाब देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १३)की फोटो-नकलसे।

१. परदेशी कापड़नी सामे हरीफाई केम करवी; अपनी अंग्रेजी पुस्तिकाका लेखक द्वारा गुजराती अनुवाद किया गया अंग्रेजी पुस्तिकाके सम्बन्धमें। देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ २३६।

२७८. पत्र : प्रभावतीको

बारडोली
२६ मई, १९३१

चि० प्रभावती,

मैं तुझे नैनीतालसे पत्र नही लिख सका। तेरा पत्र तो मिल गया था। मैं कठिनाई समझता हूँ। ससुरजीकी क्या सेवा करती है? वे तुझे सेवामें लगाये रहे तो यह अच्छा ही रहे। तेरा मन उसमें लग जाये तो दौरे पडना वन्द हो जाये और शायद शरीर भी सुधर जाये। तुझे रुपये भेजनेके बारेमें तो मैं लिखना भूल ही गया, यो नारणदासको मालूम तो है ही। क्या इससे कुछ परेशानी हुई? जितनेकी जरूरत हो, नारणदाससे मँगा लेना। अभी तो बारडोलीमें ही रहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४१३) की फोटो-नकलसे।

२७९. पत्र : वसुमती पण्डितको

बारडोली
२६ मई, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। वैद्यकी दवाका क्या असर हुआ है सो लिखना। कौन-सी दवा क्या दी जा रही है? मैत्रीका किस बातका इलाज हो रहा है? महावीर और मैत्रीसे लिखनेके लिए कहना। गगाबहन कब आयेगी? मुझे तो फिलहाल यही रहना पडेगा। रामदास और नीमू अलमोडा पहुँच गये हैं। रामभाऊ आश्रम आ गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२४)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५७० से भी।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

२८०. पत्र : लक्ष्मीबहन खरेको

बारडोली
२६ मई, १९३१

चि० लक्ष्मीवहन,

रामभाऊ वहाँ पहुँच गया होगा। उसपर खीझकर या मार-पीटकर उससे काम न लेना। जैसा उसे ठीक लगे, वैसा करने देना। पढ़ना अच्छा न लगे तो कुछ हाथ का काम करे। कोई उद्योग सीख ले। चाहे सगीतमें ही ध्यान लगाये। उसकी इच्छा जानकर जैसा वह करना चाहे, करने देना। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह उसकी देख-भाल कोई और नही कर सकता, न उसको कोई दूसरा सुधार ही सकता है। धीरजसे काम लेना। वह जो निश्चय करे, वह मुझे लिखना।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७८)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

२८१. पत्र : फीरोजाबहन तलयारखाँको

बारडोली
२६ मई, १९३१

प्रिय बहन,

मैं कल ही यहाँ पहुँचा। तुम्हारा पत्र मिल गया है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाना। थोड़ा समय निकाल लूँगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

[पुनश्च :]

सूरतसे बारडोलीके लिए गाड़ी मिल सकती है।

श्रीमती फीरोजाबहन तलयारखाँ
कवालिया हिल
बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७७४) से।

२८२. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

बारडोली
२७ मई, १९३१

सर प्रभाशंकर पट्टणी
भावनगर

तारके लिए आभारी। जब चाहे, बारडोली आ जायें।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५९१५)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३२३०से भी।
सौजन्य : महेश पट्टणी

२८३. पत्र : नारणदास गांधीको

बम्बई
मौनवार [२८ मई, १९३१ के पूर्व][1]

चि० नारणदास,

मौनवारको पत्र लिखूं तुम्हारी यह मांग याद है, इसीलिए यह लिख रहा हूँ। वैसे समय तो नही है।

सभी आश्रमवासियोसे कहना कि मैं लिखूं या न लिखूं उनके लिए दोनो बातें एक-सी होनी चाहिए। मैंने बहुत-कुछ कहा है, जो-कुछ हो सका है, वह किया है। उसमे से वे जो-कुछ अपना सकते हो अपना ले। हमारे पास तो वही 'अनासक्तियोग', 'भजनावलि' और 'रामायण' रूपी तीन ढाले है। उनका पारायण मेरे पत्रसे या सहवाससे भी ज्यादा शक्तिप्रद है। ऐसा मेरा विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि यही दूसरे सब लोग भी मानें।

पजाबी वैद्यकी दवा यमुना और कुसुमको माफिक आये तो यह एक नई प्राप्ति मानी जायेगी। सचमुचमे ऐसा ही हो तो राधा और आनन्दीका भी उन्हींसे इलाज करवाये।

सन्तोक अब कैसी है?

स्वदेशी व्रतपर लिखनेके लिए अभीतक समय नही निकाल पाया।

बापूके आशीर्वाद

१. स्वदेशी-व्रत सम्बन्धी लेखके उल्लेखसे। उक्त लेख २८ मईको भेजा गया था। देखिए "पत्र : नारणदास गांधीको", २९-५-१९३१।

[पुनश्च :]

राजकोटमे रतिलालकी देख रेखके लिए किसी साथीकी माँग की गई है। तुम्हारी दृष्टिमे क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे वहाँ भेजा जा सके? उसे वेतन तो अच्छा देगे ही।

आज बोरसद जा रहा हूँ, इसलिए अब पत्र वही लिखना।

बापू

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो–: ९ श्री नारणदास गांधीने

२८४. संयुक्त प्रान्तके जमींदारोंसे

सयुक्त प्रान्तके किसानोके लिए मेरी विज्ञप्ति[1] आपने इस अकमे अन्यत्र होगी। मैं जानता हूँ कि जहाँतक संयुक्त प्रान्तकी सरकार द्वारा दी गई रियायतका सम्बन्ध है मेरी विज्ञप्ति उससे कुछ आगे जाती है, और उस हदतक वह गवर्नर साहबको पूरी तरह पसन्द नही है। परन्तु उस विज्ञप्तिमे किसानोको जो सलाह दी गई है, उसमें उनकी लगान अदा करनेकी शक्ति बतानेका प्रामाणिक प्रयत्न किया गया है। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि उस की सूचनाके अनुसार यदि किसान लगान अदा करे, तो जमीदार और सरकार उसे लेकर किसानोको दायित्वसे पूरी तरह मुक्त कर देगे। परन्तु संयुक्त प्रान्तमे प्रचलित मालगुजारी-पद्धतिके अनुसार अधिकाश बोझ पहले जमीदारोपर पडेगा। मै यह आशा लगाये हूँ कि जो जमीदार किसानोकी शर्तें स्वीकार करेगे, उनके साथ सरकार उस हिसाबसे रियायत करेगी।

जमीदारोको मै विश्वास दिला सकता हूँ कि मुझसे जितना हो सकता है, मैने देहातकी स्थितिका अध्ययन करनेका प्रयत्न किया है। मुझे जो विश्वस्त आँकडे मिले है, उन्हे देखनेके बाद और अधिक अच्छी शर्तें रखना शक्य न था। नीचे भावो की दो तालिकाएँ देता हूँ:

सन् १८७३ के भावोको १०० मानकर (गेहूँ, चना, ज्वार, धान और बाजरा आदि) मुख्य अनाजोके भावोके साकेतिक आँकडे.

वर्ष	कीमत	वर्ष	कीमत
१८८०	११८	१९०६–१०	१९५
१८८१–८५	१००	१९११–१५	१९४
१८८६–९०	११९	१९१६–२०	२७२
१८९१–९५	१२८	१९२१–२५	२९४
१८९६–१९००	१६६	१९२६	३००
१९०१–०५	१३६	१९३१ (मई, सयुक्त प्रात)	१३२

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे", २३-५-१९३१।

तालिका—२

वर्ष	मनकी दर रुपयोमे	वर्ष	मनकी दर रुपयोमे
१८८०	१.५	१९०६–१०	३.५६
१८८१–८५	१.६८	१९११–१५	३ ३१
१८८६–९०	२ ०८	१९१६–२०	४ ६३
१८९१–९५	२.२२	१९२१–२५	४ ७३
१८९६–१९००	२.७५	१९२६–२८	४ ९
१९०१–०५	२ ३४	१९३१ मई	२ ३

इन आँकडोसे पता चलता है कि सन् १९१५से मुख्य वस्तुओके भाव ५० फीसदी घटे है। दाम १८८६के बरावर है। इसका मतलब यह हुआ कि दर आज जितनी कम है, उतनी कम होनेकी वात मौजूदा पीढीमे किसीको याद नही है। यदि उस समयके लगानका विचार करे, तो मेरी विज्ञप्तिके अनुसार किसानोको रुपयेमे जो आठ आने या वारह आने देने है, वे उससे बहुत कमके देनदार निकलेगे। यह तो सव कवूल करते है कि इधर कुछ वर्षोसे किसानोकी हालत कभी अच्छी थी ही नही। वस्तुतः सयुक्त प्रान्तके पूर्वी विभागके तीन सौसे अधिक गाँवोमे की गई जाँचसे भी पता चलता है कि मौजूदा दरके अनुसार फसलके जो दाम खडे होते है, वे लगानकी रकमके वरावर भी नही हो पाते। इसमे से खेतीका खर्च नही घटाया गया है। मै मानता हूँ कि यह जाँच विशेषज्ञोने नही की थी। इसलिए उसमे वैज्ञानिक यथार्थताका अभाव है। परन्तु जैसी है, उसी रूपमे इतनी स्पष्ट तो अवश्य है कि वह हमे विचार करने पर वाध्य करे।

कहा जाता है कि मि० हूपरने जो किसी समयके सेटलमेट अफसर थे, सयुक्त प्रान्तके किसानोकी जमीदार जो व्याख्या करते है, वह इस प्रकार दी है :

> **किसान वह है, जो रोज एक जून खाकर जीनेको तैयार हो, जो जमीनका अधिकसे-अधिक लगान देनेके लिए या गँवारू भाषामें कहें तो, स्त्री-वच्चोंको वेचनेके लिए तैयार हो; जमींदार जो मनमाने कर आदि माँगें सो सब देनेको तैयार हो, जो जमींदारके लिए बेगार करने, उसके लिए अदालतमें गवाही देने और साधारणतया उससे जो-जो कहा जाये, वह सब काम करनेको हमेशा राजी हो।**

यह वर्णन ऐसा नही है जिसपर कोई जमीदार गौरवका अनुभव कर सके। परन्तु मि० हूपरके कालके वाद जमीदारोके विचारोमे क्रान्ति हो गई है। उनमे से वहुतेरे अपने काश्तकारोके प्रति समभाव रखते है। वे उनके सुख-दु खमे भाग लेनेका प्रयत्न करते है। परन्तु यह काम जिस गतिसे हो रहा है, उससे कही अधिक तेजीके साथ होनेकी जरूरत है। किसानोमे जो महान् जागृति हुई है, उसके साथ उनमे अपनी स्थितिके वारेमे असन्तोषका पैदा होना और उनका अपने हकोके वारेमे अधिक आग्रह करना अनिवार्य है।

मैं चाहता हूँ कि जमीदार काश्तकारोकी स्थितिकी सत्यताको पहचानें और अपनी दृष्टिमें इतना परिवर्तन कर डाले। मौजूदा कठिनाई तो किसी-न-किसी तरह दूर हो जायेगी। लेकिन उसके दूर होते ही सो जाना गलत होगा।

जमीदार पहले ही से प्रबन्ध कर रखे तो अच्छी बात है। वे सिर्फ लगानकी वसूली करनेवाले ही न बने रहे। वे अपने काश्तकारोंके रक्षक और विश्वासपात्र मित्र बनें। वे अपने निजी खजानेपर अंकुश रखे। वे विवाह वगैराके अवसरोपर जबर्दस्ती भेंटके रूपमे, या एक किसानकी जमीन दूसरेके कब्जेमें जानेपर या लगान अदा न करनेके लिए किसानको बेदखल कर चुकनेके बाद उसे फिरसे जमीन लौटाते वक्त नजरानेके रूपमे, लगानके सिवा जो अनुचित कर वसूल करते है, वह वसूल करना छोड दें। वे किसानोको लगान देनेकी अवधि ठहरा दे, उनकी भलाईके कामोमे पूरी-पूरी दिलचस्पी ले, उनके बालकोंके लिए सुव्यवस्थित शालाएँ, बडी उम्रके स्त्री-पुरुषोंके लिए रात्रिशालाएँ, बीमारोके लिए अस्पताल और दवाखाने स्थापित करे, गाँवोकी सफाईका ख्याल रखे और अनेक रीतिसे उनमे ये भाव पैदा करे कि जमीदार उनके सच्चे मित्र है और अपनी विविध सेवाओंके बदलेमे निश्चत किया हुआ मेहनताना ही लेते हैं। थोड़ेमे, उन्हे अपने पदकी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए। उन्हे कांग्रेसके लोगोपर विश्वास रखना चाहिए। वे स्वय भी कांग्रेसमे शामिल हो और समझ ले कि काग्रेस प्रजा और सरकारके बीचका एक पुल है। जिनके दिलमें सचमुच ही रैयतके हितका ध्यान है, वे सब कांग्रेसकी सेवाका उपयोग कर सकते हैं। काग्रेसी अपनी तरफसे इतनी फिक्र रखे कि किसान जमीदारोके साथ किये गये वादोको धर्म-भावसे पूरा करे। मेरा यह आशय नही है कि वे कानून-सम्मत वादोका ही पालन करे, बल्कि जो वादे उन्होने उचित समझकर किये हो उन सबका पालन करे। वे उस सिद्धान्तको न माने कि उनकी जमीन अकेले उन्हीकी है और जमीदारोका उसमें कोई हक नही है। ख्याल यह होना चाहिए कि वे एक सयुक्त परिवारके सदस्य है, या उन्हे ऐसा होना चाहिए; और जमीदार उस परिवारका बुजुर्ग है, और उनके अधिकारोका सरक्षण करता है। कानून कुछ भी कहे, जमीदारी जबतक सयुक्त परिवारकी स्थितिके निकट नही पहुँचेगी, उसको स्वीकृत नही किया जा सकेगा।

राम और जनकका आदर्श मुझे पसन्द है। उनके पास प्रजाकी इच्छाके विरोधमे कोई सम्पत्ति न थी। वे स्वय और उनका सर्वस्व जनताका था। वे लोगोंमें उनके जीवनसे ऊपर नही, बल्कि उनसे मिलती-जुलती स्थितिमें रहते थे। परन्तु शायद कोई उन्हे ऐतिहासिक व्यक्ति न माने, तो महान खलीफा उमरका दृष्टान्त लीजिए। वे अपने प्रौढ़ बुद्धि-कौशल और आश्चर्यजनक उद्योगसे अर्जित विशाल साम्राज्यके बादशाह थे; फिर भी वे एक फकीर-जैसा जीवन बिताते थे, और अपनेको कभी चरणोके सामने पड़ी हुई अनन्त समृद्धिका स्वामी नही मानते थे। लोगोंके धनको विलासमें उडा डालनेवाले अधिकारी उनके भयसे काँपते रहते थे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८५. टिप्पणियाँ

महमूदाबादके महाराजा साहब

महमूदाबादके महाराजा साहबकी असामयिक मृत्यु[1]से एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीचसे उठ गया है, जिनकी सूझ-बूझकी राष्ट्रीय जीवनकी इस नाजुक घडीमे आवश्यकता थी। वे हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढानेके लिए सच्चे हृदयसे चिन्तित थे और राष्ट्रीय मामलोमे उनकी नेक सलाह हमेशा उपयोगी रहती थी। मै महाराजा साहबके परिवारके प्रति सादर अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

विषैली पत्रकारिता

अखबारोकी नफरत पैदा करनेवाली बातोसे भरी हुई कुछ कतरने मेरे सामने पड़ी है। इनमे साम्प्रदायिक उत्तेजना, सफेद झूठ और खून-खराबीके लिए उकसानेवाली राजनीतिक हिंसाके लिए प्रेरित करनेवाली बाते है। नि सन्देह, सरकारके लिए मुकदमे चलाना या दमनकारी अध्यादेश जारी करना बिलकुल आसान है। पर ये उपाय क्षणिक सफलताके सिवाय अपने लक्ष्यमे निष्फल ही रहते है, और ऐसे लेखकोंका हृदय-परिवर्तन तो कतई नही करते, क्योकि जब उनसे अखबारोका प्रकट क्षेत्र छीन लिया जाता है तो वे बहुधा गुप्त प्रचार-कार्यका सहारा लेते है।

इसका वास्तविक इलाज तो वह स्वस्थ लोकमत है, जो विषैले समाचारपत्रोको प्रश्रय देनेसे इनकार करता है। हमारे यहाँ पत्रकार सघ है। वह एक ऐसा विभाग क्यो न खोले, जिसका काम विभिन्न समाचारपत्रोको देखना और आपत्तिजनक लेख मिलनेपर उन पत्रोके सम्पादकोका ध्यान उस ओर आकर्षित करना हो? दोषी समाचारपत्रोके साथ सम्पर्क स्थापित करना और जहाँ ऐसे सम्पर्कसे इच्छित सुधार न हो सके, वहाँ उन आपत्तिजनक लेखोंकी प्रकट आलोचना करना ही इस विभागका काम होगा। समाचारपत्रोकी स्वतन्त्रता एक बहुमूल्य अधिकार है और कोई भी देश इस अधिकारको छोड नही सकता। परन्तु यदि इसकी रोकथामकी कोई सख्त कानूनी व्यवस्था न हो, केवल बहुत नरम किस्मकी ही कानूनी व्यवस्था हो, जैसा कि उचित भी है, तो भी मैंने जैसा सुझाया है, रोकथामकी एक आन्तरिक व्यवस्था करना असम्भव नही होना चाहिए और उसपर लोगोको नाराज भी नही होना चाहिए।

नौजवान भारत सभा

इस सभाके एक सदस्यने मथुरा जकशनपर मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी यह कहा है कि काग्रेसके किसी भी सदस्यको इस सभाका, या सभाके किसी भी सदस्यको काग्रेसका, सदस्य नही बनना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जहाँतक मुझे याद है, मैंने ऐसी राय कभी नही दी। उन्होने तुरन्त ही प्लेटफार्मपर खडे हुए

१. एक प्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता, जिनकी मृत्यु २३ मईको हुई थी।

नौजवानोको मेरे जवाबका भावार्थ कह सुनाया, और कहा कि किसी काग्रेसी सदस्यने झूठमूठ ही इसे मेरी राय बताया है। यह बात झूठ है और अब हरएक काग्रेस-सदस्य सभामे शामिल होने और सभाका हरएक सदस्य काग्रेसमे शामिल होनेको स्वतन्त्र है। जिस रायका सम्बन्ध मेरे नामके साथ जोडा जाता था, वह मैंने जाहिर नही की थी, पर इसका अर्थ यह तो नही होता कि सभी काग्रेस-सदस्य सभामे शामिल होनेको स्वतन्त्र है, या उन्हे सभामे शामिल होना चाहिए। हरएक सभाके अपने नियम होते है। इसलिए यदि काग्रेस-सदस्य यह जाने बिना किसी भी सभा या अन्य सस्थाके सदस्य बनते है कि उसकी सदस्यताके नियम क्या है, उसमे काम करनेवाले कौन है, और उसके कामके तरीके क्या है, तो मुझे इससे दु ख होगा। किसीको भी किसी सस्थामे जबर्दस्ती तो शामिल किया नही जा सकता। 'नौजवान भारत सभा' की उन्नति तभी होगी जब वह अपने खातेमे राष्ट्रकी रचनात्मक सेवाका हिसाब दिखा सकेगी, अन्यथा नही।

प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस-कमेटियाँ

नैनीतालमे मैंने सयुक्त प्रान्त और अन्य प्रान्तोमे बनी कुछ प्रतिद्वन्द्वी काग्रेस-कमेटियोकी बात सुनी थी। मैंने अनेक स्थानोपर चुनावोको लेकर चलनेवाले विवादो की बात भी सुनी थी। यह बुरा लक्षण है। इस प्रकारकी अस्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता जहाँजहाँ भी है, वहाँ कोई-न-कोई खराबी जरूर होगी। काग्रेस कमेटियोमे पदोके लिए छीना-झपटी होना भी एक बहुत ही अशोभनीय लक्षण है। काग्रेसके किसी भी पदका आधार तो सेवाको ही माना जाना चाहिए। और जहाँ सेवा ही मुख्य लक्षण हो, वहाँ कोई अस्वस्थ कही जा सकनेवाली प्रतिद्वन्द्विता हो ही नही सकती। कोई भी स्त्री या पुरुष पदोकी छीना-झपटीमे पडे बिना बडी आसानीसे सेवा-कार्य कर सकता है। राष्ट्रके बुद्धिमान सेवक स्वय अनुभव करेगे कि इस प्रकारकी अस्वस्थ होडमे पडनेकी अपेक्षा उससे अपनेको अलग रखना उनके लिए कही लाभप्रद रहेगा। और सेवाके लिए किसीको अलगसे कोई सगठन बनानेकी आवश्यकता नही होती। उदाहरणके लिए यदि मै अपने गाँव या इलाकेके बच्चोको पढाना या वहाँ सफाई करना चाहूँ, या अपने पडोसियोकी सेवा-शुश्रूषा या खादीका प्रचार या इसी प्रकारके कुछ ऐसे सेवा-कार्य करना चाहूँ जिनसे देशकी उन्नतिमे सहायता मिलती है और जिनमे मेरा सारा समय खप सकता है, तो इनके लिए मुझे कोई सगठन बनानेकी कोई जरूरत क्यो पडेगी?

कांग्रेस और साम्प्रदायिकता

एक सवाददाता पूछते है कि जो काग्रेस-सदस्य प्रकट रूपसे साम्प्रदायिक सम्मेलनो और दूसरे साम्प्रदायिक प्रचार-कार्यमे भाग लेता है, क्या वह काग्रेस-सस्थाका पदाधिकारी बन सकता है?

मेरे खयालसे ऐसा कोई नियम नही है जिससे साम्प्रदायिकताके कारण किसी कांग्रेस-सदस्यका किसी पदके लिए चुनाव निषिद्ध ठहरता हो। परन्तु यदि काग्रेसको एक विशुद्ध राष्ट्रीय संस्था रहना है, सबके साथ न्याय करना है और अल्पसख्यकोकी

रक्षा करनी है तो कांग्रेस उन लोगोंको कभी न चुनेगी जिनके साम्प्रदायिक पूर्वग्रह या झुकाव काफी स्पष्ट दिखते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८६. ईसाई मिशन

रेवरेड बी० डब्ल्यू० टुकरके पत्रके निम्नलिखित अंश प्रकाशित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है:[1]

> शिक्षा, रोगोंका इलाज और इसी प्रकारके अन्य तरीकोंके जरिए लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करनेकी कोशिशोंके दौरान ईसाई मिशनरियोंकी गतिविधियों का आपने विरोध किया है। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। जब शिक्षाका इस्तेमाल ऐसे प्रयोजनके लिए किया जाता है तो वह शिक्षा रह ही नहीं जाती; बल्कि वह शिक्षाके स्थानपर सरकार द्वारा जारी की गई वर्तमान प्रणालीको स्थायी बनानेकी एक कोशिश-भर बनकर रह जाती है, और उसे कोई भी ऐसा ईमानदार मिशनरी एक क्षणके लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिसे उसके अपने देशके शैक्षणिक प्रयोगोंकी थोड़ी भी जानकारी हो और जिसकी बुनियादी दिलचस्पी शिक्षामें ही हो, धर्म-परिवर्तनमें नहीं। यह तो ठीक है कि रोगसे छुटकारा पानेका रोगियोंका अधिकार है, लेकिन साथ ही यह अनुमान करना भी शायद नितान्त अनुचित नहीं होगा कि मिशनरी चिकित्सकोंका अपने चिकित्सालयोंमें तुरन्त लाभ पहुँचानेवाली दवाओंपर विशेष जोर देने और रोगोंकी रोक-थाम करनेवाली दवाओं तथा स्वास्थ्य-शिक्षाकी उपेक्षा करनेके पीछे उनकी बुद्धिहीनता नहीं, बल्कि लोगोंको तुरन्त लाभ पहुँचाकर उनको अपने धर्ममें दीक्षित करनेका उत्साह ही रहा है। यदि जनताका कल्याण और उनके व्यक्तित्वका विकास ही जन-सेवाका एकमात्र उद्देश्य नहीं रहेगा तो सभी मानवीयतापूर्ण सेवा कार्योंपर इसका दुष्प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। और यदि व्यक्तियोंको किसी अन्य सामाजिक या धार्मिक समुदायमें शामिल करनेकी दृष्टिसे ही कोई सेवा-कार्य किया जायेगा, तो फिर जनसेवाके उद्देश्यका निर्वाह नहीं किया जा सकता।
>
> . . . इस युगमें यही भावना प्रधान है कि धर्म और ईश्वरके प्रति निष्ठा तुरन्त ही फलवती होनी चाहिए और उसके कारण व्यक्तिकी भौतिक समृद्धिमें तुरन्त वृद्धि होनी ही चाहिए। यह भावना सभी आध्यात्मिक धर्मोंका निषेध है, उनकी अस्वीकृति है। . . . सचमुच इस प्रकारकी भावनाने समूचे ईसाई सम्प्रदायके चरित्रमें विकृति पैदा कर दी है। . . . वैसे तो जीवनके

१. साधन-सूत्रसे प्राप्त पाठसे अंशत उद्धृत।

किसी भी क्षेत्रमें इस सिद्धान्तको उचित नहीं ठहराया जा सकता कि शुद्ध लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए कैसे भी साधनों, अशुद्ध साधनों तकका प्रयोग उचित है, परन्तु धर्मके क्षेत्रमें जहाँ हृदयकी शुद्धिको ही सर्वोपरि रहना चाहिए, इस सिद्धान्तका कोई भी औचित्य नहीं।

. . . ईसा सामाजिक समताके उत्कट अभिलाषी थे; हिन्दू धर्मके सर्वोत्कृष्ट कालमें यह उसकी भी विशेषता रही है। स्वयं एक कट्टर यहूदी होते हुए भी, उनमें कभी साम्प्रदायिकता नहीं आई और उन्होंने ऐसी हरएक प्रवृत्ति का सख्त विरोध किया जो सार्वभौम भ्रातृत्वकी भावना पैदा होनेमें बाधक बनती थी। तत्कालीन राष्ट्रवादका विरोध उन्होंने इसी कारण ठीक उसी तरह किया था जैसा कि आप आज भारतमें पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ पैदा करनेवाले राष्ट्रवादका कर रहे हैं। मेरा अपना विश्वास है कि यदि आधुनिक ईसाई मिशनरी अपने ईश्वर और प्रभुके प्रति सच्चे रहना चाहते हैं तो उन्हें लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करनेकी सभी कोशिशें एकदम बन्द कर देनी चाहिए; क्योंकि ऐसा करके वे उन लोगोंको एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यवस्थासे अलग करते हैं और इस प्रकार उस सामाजिक व्यवस्थाके उत्थानके प्रति उन लोगोंमें दायित्वहीनताकी भावना पैदा करते हैं।

. . . इस सरकारने गैर-ब्रिटिश मिशनरियोंपर यह शर्त लगा दी है कि वे इस देशकी आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों-जैसे परम महत्त्वपूर्ण मामलों में बिलकुल तटस्थता बनाये रखें और इतना ही नहीं, सरकारने उनको एक प्रतिज्ञा करनेपर भी विवश किया है जिसका अर्थ सरकार यह लगाती है कि मिशनरी लोग सरकारको सक्रिय समर्थन देंगे। . . . मेरे अपने मामलेमें तो सरकारने मेरे राजनीतिक सभाओंमें दर्शककी हैसियतसे जानेमें भी आपत्ति की है, और सो भी तब जब वह बिलकुल स्पष्ट रूपसे मानती है कि मेरे ऊपर किसी भी नैतिक कलंकका कोई आरोप नहीं है। लेकिन मैंने सरकारको जो वचन दिया है, सरकार उसकी यही व्याख्या करती है कि मुझे यह अधिकार भी नहीं है। भारतके ईसाई मिशनरियों और संसारकी एक सबसे अधिक संगठित बुराई — साम्राज्यवाद — के बीच साठ-गाँठ हो जाने और मिशनरियोंके उसके हाथमें खेलनेका यह एक अत्यन्त ही स्पष्ट प्रमाण है।

इसीलिए मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि आपने स्पष्ट कर दिया है कि स्वराज्य सरकारके अन्तर्गत आप इस बुराईको बरकरार नहीं रखेंगे; और आप ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं करेंगे कि यदि मिशनरी लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करना नहीं छोड़ देंगे तो उनको अपने देश वापस लौटनेके लिए विवश किया जाये। कोई भी सरकार इस प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रताको सीमित करनेकी धृष्टता नहीं कर सकती। . . .

श्रेष्ठतर धर्म होनेके ईसाई धर्मके विशिष्ट दावेकी आपने जो आलोचना की है, उसके प्रति तो मुझे पूरी सहानुभूति है, पर आपके इस कथनसे निकलनेवाले निष्कर्षोंका तो मुझे विरोध करना ही पड़ेगा कि भारतके धर्म उसके लिए पर्याप्त है। . . .

इस पत्रमें मुझे अपनी ओरसे कुछ भी नही जोडना है। लेकिन मुझे अपने उस कथनपर आग्रह करते रहना पडेगा जिसपर रेवरेड टुकरने आपत्ति की है: कथन यह है: "भारतके धर्म उसके लिए पर्याप्त है।" निश्चय ही इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नही है कि भारतको अपने धर्म बदलने या नये धर्म अपनानेकी कोई जरूरत ही नही। पर यह बात जिस लेखमे कही गई है, उसके सन्दर्भसे स्पष्ट हो जाता है कि उसका यह अर्थ बिलकुल ही नही होता कि विभिन्न धार्मिक मतोके व्याख्याताओ को अन्य धर्मोंसे कुछ सीखना ही नही है। यदि विभिन्न धार्मिक मतोके बीच सहानुभूतिपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो जाये और एक-दूसरेसे कुचक्रोकी कोई आशका न हो, तो प्रत्येक धर्म शेष अन्य धर्मोंसे बहुत-कुछ सीख सकता है। विरोध तो केवल इस बातका किया गया है कि लोगोको अपने धर्ममे दीक्षित करना ही एक लक्ष्य हो और उसके लिए भी सदा उचित तथा शुद्ध साधन न अपनाये जाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८७. पंचायतें

पचायत नाममे एक पुरानी सुगन्ध है, यह एक अच्छा शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है गाँववालो द्वारा चुने गये पाँच आदमियोकी सभा। यह उस पद्धतिका सूचक है, जिसके द्वारा भारतके ग्रामीण प्रजातन्त्रोका शासन चलता था। परन्तु अंग्रेज सरकारने अपनी अत्यन्त निर्दय लगान-वसूलकी पद्धतिसे इन पुराने प्रजातन्त्रोको प्राय: नष्ट कर डाला, ये लगान-वसूलीके इस आघातको सह न सके। गाँवके बड़े-बूढोको दीवानी और फौजदारीके हक देकर काग्रेसवाले इस प्रथाको पुन: जीवन देनेका प्राथमिक प्रयत्न कर रहे हैं। १९२१में पहली बार ऐसा प्रयत्न किया गया था पर वह असफल रहा। अब फिरसे यह किया जा रहा है, परन्तु यदि यह किसी निश्चित पद्धतिके अनुसार उचित ढगसे नही किया गया — मै शास्त्रीय पद्धतिकी बात नही कहता — तो यह फिर असफल हो जायेगा।

मुझसे नैनीतालमे कहा गया था कि सयुक्त प्रान्तके कुछ स्थानोमें बलात्कार-जैसे फौजदारी मामलोकी पेशी भी इन तथाकथित पचायतोंमे हुई। मैंने कुछ नासमझ या स्वार्थी पचायतोंके मनमाने फैसलोके किस्से भी सुने हैं। ठेठ असमसे मेरे पास यह रिपोर्ट आई है:

निश्चित रूपसे पता चला है कि चापरमुखकी कांग्रेस कमेटीने वहाँ एक प्रकारकी द्वैध-शासन प्रणाली शुरु कर दी है, जिसके द्वारा दीवानी और

फौजदारी मामलोंका फैसला किया जाता है। चापरमुखके पड़ोसमें कुछ शाखा-कार्यालय भी हैं, जहाँ इसी प्रकारकी कारंवाई होती है। चापरमुखके दफ्तरमें दीवानी और फौजदारी मामलोंके रजिस्टर भी रखे जाते हैं। कहा जाता है कि फौजदारी मामलोंमें जुर्माने किये जाते हैं और दीवानी मुकदमोंमें डिग्रियाँ जारी की जाती हैं, और कुछ मामलोंमें डिग्रीके अनुसार जायदाद जब्त की गई है, या जब्त करनेकी कोशिश हुई है।

अगर यह सच हो, तो यह बहुत बुरी बात है। ऐसी अनियमित पचायते अपने ही असह्य बोझके नीचे दबकर चूर-चूर हो जायेगी। इसलिए ग्राम्य कार्यकर्त्ताओकी रहनुमाईके लिए नीचे कुछ नियम दिये देता हूँ:

१. प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी लिखित स्वीकृतिके बिना कोई भी पचायत कायम न की जाये,

२. पचायतका पहला चुनाव ढिंढोरा पीटकर सार्वजनिक सभाकी सूचना देकर उस सभामे किया जाना चाहिए,

३. तहसील कमेटी द्वारा उसकी सिफारिश की जानी चाहिए;

४ ऐसी पचायतको फौजदारीके हक नही होने चाहिए;

५ यदि दोनो फरीक पचायतके सामने अपनी शिकायते पेश करे तो वे दीवानी मामलोका विचार कर सकती है;

६. पचायतमे अपने मामलेका विचार करानेके लिए किसीपर दबाव न डाला जाये;

७ किसी पचायतको जुर्माना करनेका अधिकार नही होना चाहिए, नैतिक अधिकार, कठोर पक्षपातहीनता और दोनो पक्षोका स्वेच्छापूर्वक आज्ञा-पालन ही उसकी दीवानी डिग्रियोकी स्वीकृतिका आधार होना चाहिए,

८. फिलहाल सामाजिक या अन्य किसी तरहका बहिष्कार नही किया जाना चाहिए;

९. हरएक पचायतसे यह आशा रखी जायेगी कि

(क) वह गाँवके बालक-बालिकाओकी शिक्षाका प्रबन्ध करे;

(ख) सफाईकी व्यवस्था करे;

(ग) औषध आदिका इंतजाम करे;

(घ) गाँवके तालाब और कुओकी मरम्मत तथा सफाईका ख्याल रखे;

(ङ) तथाकथित अन्त्यजोकी उन्नति और उनकी दैनिक आवश्यकताओका ध्यान रखे;

१० बिना किसी उचित कारणके जो पचायत चुनावके छ' महीनोंके अन्दर ९ वे नियममे उल्लिखित आवश्यकताओका प्रबन्ध करनेमे असफल रहे, या दूसरी तरह गाँववालोका विश्वास सम्पादन न कर सके, या ऐसे किसी कारणसे — जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके विचारमें पर्याप्त हो — स्वयं निन्दित ठहरे, तो उमे तोडकर उसके स्थानमे नई पचायत चुनी जा सकती है।

आरम्भिक अवस्थाओंमें आवश्यक है कि पंचायतोको जुर्माना करने या सामाजिक वहिष्कार करनेका अधिकार न दिया जाये। गाँव सिद्धान्तहीन मनुष्योंके हाथोंमें पडकर सामाजिक वहिष्कार एक भयंकर हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्मानेका नतीजा भी वुरा हो सकता है और वह उसके उद्देश्यको ही विफल वना सकता है। जो पचायत वास्तवमें लोकप्रिय है और नवें नियमके अनुसार रचनात्मक काम करके अपनी लोकप्रियताको वढाती है, अपनी नैतिक महत्ताके फलस्वरूप लोग उसके फैसलो और अधिकारोका सम्मान आप ही करने लगेगे। यह किसीको प्राप्य या किसीसे छीना जा सकनेवाला एक वड़े-से-वड़ा अधिकार है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८८. नमक

शिमलासे नीचे लिखी अभिनन्दनीय विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है:

लॉर्ड इर्विन और श्री गांधीके बीच जबसे समझौता हुआ है, भारत सरकार समझौतेकी २० वीं धारापर अमल करनेके लिए भिन्न-भिन्न जिलोंकी व्यवस्था और नियमादिकी तफसील निश्चित करनेमें लगी हुई है। इस धाराका सम्वन्ध उन स्थानोके निवासियों द्वारा, उनके विलकुल पासकी जगहोंमें, जहाँ नमक इकट्ठा किया या वनाया जा सकता है, वहाँ नमक वटोरने और वनानेसे है। ये तफसीलकी वातें अव प्रायः सव जगह तय हो चुकी है, और साधारणतया जिस प्रकार इस व्यवस्थापर अमल किया जाना चाहिए, वह नीचे दिया जाता है:

१. समझौतेकी २० वीं धारा गरीबोंके हितके लिए रखी गई है। नमकके क्षेत्रके आसपासके गाँववाले निजी खर्चके लिए और गाँवमें बेचनेके लिए भी नमक वटोर या बना सकते हैं।

इसमें निजी खर्चमें खादके लिए, मवेशीके लिए और मछलीको सड़नेसे बचानेके लिए खर्च होनेवाला नमक भी शामिल है।

२. नमक वटोरने या वनानेके लिए गाँववाले नमक-क्षेत्रमें गड्ढे खोद सकते हैं या घेरकर जमीन छेक सकते हैं।

३. गाँवके बाहर व्यापार नहीं किया जा सकता। वटोरा और बनाया हुआ नमक लोग खुद उठाकर ले जायेंगे, गाड़ी वगैरापर लादकर नहीं ले जा सकते।

४. जहाँ इस प्रकार नमक बनाया जायेगा, वहाँ सरकारी अफसर किसी तरहकी दस्तन्दाजी नहीं करेंगे, और वहाँसे सरकारी पहरा भी हटा लिया जायेगा।

५. जिस गाँवमें इस अधिकारका दुरुपयोग होगा वहाँ निवासियोंसे नमक बनानेका अधिकार छीन लिया जायेगा। यदि किसी गाँवके लोग जरूरतसे ज्यादा नमक इकट्ठा कर रखेंगे तो समझा जायेगा कि उस गाँवने अधिकारका दुरुपयोग किया है।

मै आशा रखता हूँ कि कार्यकर्त्ता इन सूचनाओको समझेगे और सावधानीके साथ गाँववालोको समझा देगे, जिससे मर्यादाका कही उल्लघन न होने पाये।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८९. देश-सेविकाओंसे

२८ मई, १९३१

जब मै बम्बईमे था तब देश-सेविकाओंसे मिलनेकी इच्छा थी। मैंने मिलनेका समय निकालनेका प्रयत्न किया परन्तु सब बहनोसे नही मिल सका था। अन्तमें सब बहनोने अपने हस्ताक्षरसे पत्र लिखकर सन्तोष मान लिया था। उनका आभार मानते हुए आजतक मै उन्हे दो पक्तियाँ भी न लिख सका। इसका एक कारण यह था कि सफरमे वक्त नही मिलता, परन्तु दूसरा और मुख्य कारण तो यह है कि मै लिखते समय बराबर इसे भूलता ही गया। आशा है, बहने मुझे माफ करेगी। सेविकाओके कामका कुछ-न-कुछ वर्णन तो अखबारोमें छपा ही करता था, और जेलमें मुझे दो-तीन अखबार भी मिलते थे, जिससे मुझे उनके कामकी जानकारी हो सकती थी। बहनोकी सतत सेवा और उनकी निडरता देखकर मेरा हृदय खुशीसे उछल पडता था। मुझे आशा है कि बहने इसी हौसलेके साथ आगेका अधिक कठिन और रचनात्मक कार्य भी करेगी और अपना तथा देशका गौरव बढायेगी। हिन्दुस्तानकी स्त्रियोने पिछले बारह महीनोमे जो किया है, उससे दुनियाको आश्चर्य तो हुआ ही है, परन्तु इसीसे बहनोंके कार्यकी इतिश्री नही हो जाती। यह तो श्रीगणेश ही हुआ है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३१-५-१९३१

२९०. पत्र : प्रभावतीको

२८ मई, १९३१

चि० प्रभा,

पत्र मिला। यदि विवाह जून मासके अन्ततक न हो सकता हो तो तुम वापस आजाओ; बादमें विवाहके समय एक सप्ताहके लिए वहाँ चली जाना। ठीक तो यही होगा। मेरी दृष्टिसे तो विवाहके लिए सारे दिन शुभ हैं। किन्तु यदि यह बात न मानी जा सके और माता-पिता खुशीसे आनेकी आज्ञा दे दें तो तू फौरन आ जाना। यदि उन्हें बुरा लगे तो जूनका पूरा महीना वहीं बिता दे। सीताबदियारा भी जाकर रह सकती है और कुटुम्बके प्रति कुछ ऋण अदा कर सकती है। यदि वहाँ रहना पडता है तो काकाजी,[1] बाबाजी तथा विनोबाको लिख देना और उनकी आज्ञा ले लेना। मैं तो कह ही दूंगा। वहाँ रहनेके बारेमें पूरी स्थिति तो तुझे ही मालूम है इसलिए तुझे जैसा ठीक लगे वही करना।

जयप्रकाशको उसके दर्दके बारेमें कडाईसे लिखना। वहाँ रहे तो उससे मिलनेका अवसर निकालना।

थोडा बहुत अध्ययन भी करते रहना।

गंगाबहनके लड़की हुई थी। एक दिन रहकर चल बसी।

अमतुस्सलाम दुखी रहती है। कह नहीं सकता कि तेरे वापस लौटनेतक रहेगी या चली जायेगी।

तूने पूनियाँ क्यों मँगाई है? यहाँसे भेज तो देंगे, किन्तु तुझे खुद पीज लेना चाहिए। तेरा हाथ दुखे तो दूसरोंको सिखा देना चाहिए। क्या छपरामें भी कोई नहीं कातता? जो कातते हैं वे पीजते नहीं हैं? हम जहाँ भी जायें पूनियाँ वहींसे प्राप्त करनेका आग्रह रखना चाहिए।

तेरा वजन कैसा है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

२९ को निकलकर तीन जूनको वापस आऊँगा।

गुजराती (जी० एन० ३४१२)की फोटो-नकलसे।

१. बापुना पत्रो–१०: श्री प्रभावती बहेनने के अनुसार जमनालाल बजाज।

२९१. पत्र : नारणदास गांधीको

वारडोली
२८ मई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। हनुमानसिंहके सम्बन्धियोको लिखना कि मुझे उसकी मृत्युसे दुख भी हुआ है और सुख भी। उसकी देह जीर्ण हो गई थी इसलिए उसका न रहना ही अच्छा हुआ। शरीरमें स्थित आत्मा तो अमर है ही। आपसी सम्बन्धके कारण दुख तो होता ही है, पर उसे दबा देना ही उचित है। इसलिए मुझे क्षणिक ही दुख हुआ। सम्बन्धियोको भी ऐसा ही लगा। इसका हिन्दी अनुवाद भेज देना और साथमें गुजराती भी। जिसे साँपने डसा है यह शकरराव कौन है? अब कैसा है? साँपने किस तरह काट लिया? नदीमें वह पाँवके नीचे आ गया था या उसने यों ही जान-बूझकर डस लिया।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

२९२. पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको

वारडोली
२८ मई, १९३१

भाईश्री वालजी,

अस्पतालमें रहनेसे कुछ फायदा हुआ है या तबीयत जैसीकी तैसी ही बनी है। कब्ज मत रहने देना। इस पत्रके मिलते ही चले आओ तो कब्जके काटेको निकाल दूर करें।

तुम्हारे लेखके बारेमें भाई मोहनलालको लिखा है।

पहली प्रस्तावना तो नहीं मिली। यह दूसरी भेज रहा हूँ:

"ये ग्यारह मुद्दे इस तरह लिखे गये हैं कि सब उन्हें समझ सकें। उन्हें समझकर पाठक जितने मुद्दोंपर हो सके, उतनोंपर अमल आज आजसे ही शुरू कर दे तो स्वराज्य कितना पास आ जायेगा?

मोहनदास गांधी"

यह प्रस्तावना भेज तो रहा हूँ पर मन कहता है कि अब तो ग्यारहके बजाय बीस मुद्दे हो गये माने जायेंगे न? इसलिए उनपर नही लिखोगे? किन्तु इसकी तो तुम्हे ही ज्यादा खबर है।

बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७४१४)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: वा० गो० देसाई

२९३. पत्र : जमनादास गांधीको

बारडोली
२८ मई, १९३१

चि० जमनादास,

तुम्हारा २२ तारीखका पत्र मिला है। उसके पहलेका लिखा हुआ तो अभी तक नही मिला। तुम डाक्टरको पत्र नही लिख सकते, यह बात समझमें नही आती। जो है उसे लिखनेमें संकोच क्यो। रतिलालको थाना ले जाते हुए लल्लूभाईको साथ ले जानेकी इच्छाके विषयमें मुझे कोई विचित्रता नही लगती। पासमें पैसा हो और फिर भी जरूरतके समय उसे खर्च न करे, ऐसा तो विरला ही मनुष्य होगा। इसके सिवा पैसा बचाया भी किसलिए जाता है? अन्नाके बारेमें मुझे तार तो मिला ही था। वह नही आ सकता, मैंने तो ऐसा लिख दिया था। किन्तु हो सकता है कि वह अपने मनसे आ गया हो।

वहाँका राज्यतन्त्र कैसा चल रहा है? शराबके बारेमें उस अर्जीका क्या हुआ?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

फिलहाल तो यहीपर हूँ।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२३)से।
सौजन्य: जमनादास गांधी

२९४. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

बारडोली
२८ मई, १९३१

बारडोलीमें और उसके आसपास फिरसे हालात बिगड़नेके बारेमें बम्बईके एक पत्रमें प्रकाशित समाचारके सिलसिलेमें ली गई भेंटमें गांधीजी ने कहा :

जनतासे मेरा अनुरोध है कि वह सभी सनसनीखेज बयानोंपर अविश्वास ही करे और उनके कारण अशान्त न हो। मैंने तो यह पहली बार सुना है कि किसान लोग लगान अदा नहीं करना चाहते। मैं पक्की तौरपर जानता हूँ कि किसान सदा से सामर्थ्य-भर लगान अदा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं यह दिखानेके लिए शीघ्र ही एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी करनेकी सोच रहा हूँ कि दिल्ली-समझौतेकी एक-एक चीजको भी कार्यान्वित करनेके मामलेमें सरदार वल्लभभाई पटेल और अन्य असहयोगी कार्यकर्त्ता कितनी निष्ठा और लगनके साथ सक्रिय रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३०-५-१९३१

२९५. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बारडोली
२९ मई, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

आपके कई पत्र आ चुके हैं। उनके लिए धन्यवाद। जैसे-जैसे समय मिलता जायेगा, मैं जल्द-से-जल्द उनके उत्तर निबटाता चलूँगा। लेकिन आपके सबसे बादके पत्र और उससे पहलेके एक पत्र अर्थात् इस महीनेकी २५ और २४ तारीखके पत्रों का उत्तर देनेमें तो मुझे कुछ अधिक समय लगेगा ही।

मेरी समझमें नहीं आता कि प्रभातफेरियोंपर किसीको क्या आपत्ति हो सकती है। यह ठीक है कि प्रभातफेरियोंकी शुरुआत असहयोग आन्दोलनके दौरान ही हुई थी लेकिन वे अपने आपमें तो सर्वथा निर्दोष हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि उनसे नागरिकोंकी कितनी शान्ति भंग होती है। मैंने अपनी हालकी यात्राओंके दौरान देखा है कि अन्य शहरोंमें भी उनका काफी प्रचलन है। हाँ, भड़कानेवाले गीतोंपर प्रतिबन्ध लगानेकी बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं यह समझनेमें सर्वथा असमर्थ रहा हूँ कि नागरिकोंको बड़े सुबह ही सृष्टाके प्रति उनके कर्त्तव्यकी याद दिलानेवाली इस निर्दोष और सुन्दर प्रथामें कोई हस्तक्षेप करना सरकारके लिए कैसे उचित होगा।

सेवादलके लोग जो अभ्यास किया करते है, वह भी कोई नई बात तो नही है। वर्षोसे वे ऐसा करते आ रहे है और कभी कोई हस्तक्षेप नही किया गया। यदि उसमे किसी खास चीजपर कोई आपत्ति हो, तो चाहूँगा कि उसे स्पष्ट किया जाये। और अधिक जानकारी मिले बिना, मै आपके इस मतकी ताईद नही कर सकता कि ये शिविर समझौतेकी भावनाको पूरी तौरपर प्रदर्शित नही करते और वे सामान्य स्थिति तथा भावनाओको पुन प्रतिष्ठित करनेमे कुछ विघ्न डालनेकी दृष्टिसे ही आयोजित किये जाते है।

और आपका शराबकी बिक्रीसे सम्बन्धित दूसरा पत्र देखकर तो मुझे आश्चर्य और दु.खका अनुभव हुआ।

शराबकी दूकानोपर धरना देना सरकार वैध मानती है। लेकिन यदि सरकार यह माननेके बाद भी उसे बन्द करानेके लिए तरह-तरहके तरीके, यहाँतक कि अवैध माने जानेवाले तरीके अपनाती रहे और साथमे यह भी दुहाई दे कि ऐसी कार्रवाई समझौतेको भग नही करती तो फिर मुझे कहना ही पडेगा कि सरकार चाहे जो क्यो करे उसे समझौता भग करनेवाली कार्रवाई माना ही नही जा सकता।

आपके पत्रसे मुझे [पहलीबार] पता चला है कि बिक्रीके लिए नियत समयके अलावा और बिक्रीके लिए निश्चित स्थानके अलावा भी शराबकी बिक्री करना सर्वथा वैध है। मै स्वीकार करता हूँ कि यह सचमुच एक ऐसी नई जानकारी है जिसके बारेमे मैने कल्पना भी नही की थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि क्लेक्टरोके सामने ऐसे कोई भी वैधानिक प्रतिबन्ध या विनियम मौजूद नही है जिनके आधारपर वे निर्णय करे और जिनकी जानकारी जनताको देना उनके लिए जरूरी हो। सचमुच यदि शराब सम्बन्धी कानूनकी यही दशा है, या यो कहे कि क्लेक्टरोकी अपनी मर्जी को छोडकर और कोई भी कानून शराबकी बिक्रीपर लागू नही होता, तो फिर जनताको यह जानकारी जितनी जल्द करा दी जाये उतना ही अच्छा रहेगा। तब यह एक बड़ा गम्भीर मसला हो जायेगा और इसपर काग्रेस कार्यसमितिको विचार करना ही पडेगा।

महामहिम मुझे यह कहनेकी अनुमति दे कि स्पष्टत. उनको इस तथ्यकी जानकारी नही है कि इससे पहलेके जिला अधिकारी और पुलिस सुपरिटेडेटने अहमदाबाद मे चलनेवाले धरनेको सर्वथा शान्तिपूर्ण और आपत्तिहीन मान लिया था। स्पष्ट ही महामहिमको इस तथ्यकी भी जानकारी नही है कि धरने तो असहयोग आन्दोलनकी शुरुआतसे कही पहले मजदूर-सघ द्वारा मजदूरोके हितमे शुरू किये गये थे। और पाश्चात्य देशोसे अहमदाबाद आनेवाले नवागन्तुकोने धरनेके तरीके की सराहना भी की थी।

महामहिम मुझे यह कहनेके लिए भी क्षमा करे कि आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेद के प्रारम्भिक वाक्योसे स्पष्ट है कि अहमदाबादमे चलनेवाले धरनोके तौर-तरीकोके बारेमे आपकी अनभिज्ञता देखकर आश्चर्य होता है। मै इनके विषयमे यहाँ बतला दूं कि ऐसी निगरानी रखनेके लिए मजदूर-सघ और शराबी लोग भी धरना देनेवालोके

कृतज्ञ हैं, और इसका सारा खर्च मजदूर-सघने ही उठाया है। निश्चय ही महामहिमका यह कर्त्तव्य था कि एक प्रतिष्ठित सस्थाके कामके तरीकोके बारेमें ऐसे अवाछनीय विचार प्रकट करनेसे पहले वे यह देख लेते कि उन्होने जिन तथ्योको आधार बनाया है वे अपने-आपमे पूरी तरह सही हैं या नही।

अन्तिम वाक्यमे यह मत प्रकट किया गया है कि इस प्रकारके धरने शान्तिपूर्ण हो ही नही सकते। इसे तो समझौता सम्पन्न करानेवाले लॉर्ड इर्विनपर एक छिपा हुआ कटाक्ष माना जा सकता है। पर मुझ पूरा भरोसा है कि महामहिम कभी ऐसा कटाक्ष करनेकी बात सोचतक नही सकते।

अन्तमे, मैं अपना विनम्र मत फिर दोहराता हूँ कि यदि अहमदाबादमे शराबकी बिक्रीका मौजूदा तरीका जारी रहा तो वह समझौतेकी भावनाका उल्लघन होगा, फिर उसमे शाब्दिक अर्थका उल्लंघन भले न हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल स० ४, १९३१, भाग २।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

२९६. पत्र: गंगाबहन झवेरीको

२९ मई, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारे नडियाद पहुँचनेकी खबर छगनलालने दी है। यह भी मालूम हुआ कि तुम मुझे मिलना चाहती हो। जब चाहो आ जाओ। फिलहाल बोरसद नही जाना है। नवीन जहाँ भी हो, साथका पत्र उसे भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३११४)की फोटो-नकलसे।

२९७. पत्र : पद्माको

बारडोली
२९ मई, १९३१

चि० पद्मा,

पिताजीसे नैनीतालमें मुलाकात हुई थी। तू क्या उन्हे पत्र लिखती रहती है? अब तू कैसी है? मुझे सभी खबरे दे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६११९)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३४७१ से भी। सौजन्य: प्रभुदास गाधी

२९८. पत्र : प्रभावतीको

बारडोली
२९ मई, १९३१

चि० प्रभावती,

मेरा पत्र तुम्हे मिल गया होगा। मुझे बीचमें पत्र लिखने लायक समय भी नही मिलता था। पैसेके बारेमे तो नारणदासको लिख ही दिया था। सात जूनतक तो मेरे बारडोलीमें ही होनेकी सम्भावना है। मुझे यही पत्र लिखना और पूरी खबर देना। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। खुराक वही है — दूध और फल।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो: श्री प्रभावतीबहनने

२९९. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२९ मई, १९३१

चि० नारणदास,

कल 'नवजीवन'के लिए स्वदेशी-व्रतपर लेख[1] भेज दिया है। यही लेख व्रत-विचार अर्थात् 'मगल-प्रभात'के लिए है। साथमे डाहीबहन सोनाभाईके लिए पत्र है। वह उदवाड़ा बाजारके स्त्री स्वराज्य सघमे थी; किन्तु उसने वह स्थान छोड़

१. देखिए "स्वदेशी व्रत", ३१-५-१९३१।

देनेकी आज्ञा माँगी थी। इसलिए शायद अब वहाँ न हो — जहाँ भी हो वही यह पत्र भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

स्वामी रामदासके [सुवाच्य] लेखन सम्बन्धी दोहेका[1] अनुवाद मैंने जेलसे भेजा था। यदि मिल जाये तो वह मुझे भेज देना। डाहीबहनका पत्र नही भेज रहा हूँ। वह उदवाडामे ही है।

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

३००. पत्र : के० एफ० नरीमानको

स्थायी पता, साबरमती
३० मई, १९३१

प्रिय नरीमान,

सरदार गरदाके सबसे हालके पत्र और अपने उत्तरकी प्रतियाँ सलग्न कर रहा हूँ। यदि अब भी आपका खयाल हो कि वार्ताके जरिए कुछ किया जा सकता है, तो दूसरी बात है, नही तो आप कानूनी कार्रवाईके बारेमे अपने उसी सुझावपर अमल कीजिए जो आपने सरदार पटेलको अपने पत्रमे लिखा था। यदि कार्रवाईकी कोई जरूरत न समझे और आगे वार्ता भी न चलानी हो, तो हमें पूरे मामलेको अभी कुछ समयतक के लिए मनसे निकाल देना चाहिए।

हृदयसे आपका,

सलग्न : २

श्री के० एफ० नरीमान
मारफत बम्बई प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
काग्रेस भवन, गिरगाँव बैकरोड
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७१६५)की फोटो-नकलसे।

१. दासबोध, १९।

३०१. पत्र: एफ० कोठावालाको

बारडोली
३० मई, १९३१

प्रिय श्री कोठावाला,

अब मै वराडके पटेल जहाँगीरके विरुद्ध लगाये गये आरोपोके बारेमे एक टिप्पणी सलग्न कर रहा हूँ। यदि कोई निष्पक्ष खुली जाँच हुई तो न्यायाधिकरणके सामने सभी आरोपोके समर्थनमे पूरा साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। जांच पूरी तरह खुली हो, इसपर जनताको बिलकुल कोई आपत्ति नही है।

और मेरी सूचनाके अनुसार तो पटेल जहाँगीरके पास शराब बेचनेका लाइसेंस है। मेरी रायमे ऐसा लाइसेस रखते हुए वे पटेलके पदपर बने नही रह सकते। और चूंकि इनके विरुद्ध बडे गम्भीर आरोप लगाये है और चूंकि गाँववालोके साथ की जानेवाली उसकी ज्यादतियोकी शिकायते अब भी आती रहती है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि या तो बहुत शीघ्र ही एक सार्वजनिक जाँच कराई जाये या फिर उन्हे जल्द ही पदसे हटा दिया जाये। यहाँ मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि उक्त कर्मचारीके अवाछनीय व्यवहारका यह प्रश्न एक बिलकुल ही स्वतन्त्र प्रश्नके रूपमे उठाया गया है। अस्थायी नियुक्तियोके सामान्य प्रश्नपर इसका कोई असर नही पडता, अर्थात् इस सामान्य प्रश्नसे इसका कोई सम्बन्ध नही कि अस्थायी नियुक्तियाँ कितनी ही अवधिके लिए क्यो न की जाये, मेरी रायमे वे समझौतेके सन्दर्भमे भी अस्थायी ही मानी जायेगी, वे किसी भी तरह स्थायी नही मानी जा सकती; विशेषकर जब यह स्पष्ट हो कि ये नियुक्तियाँ इतने वर्षोतक के लिए या अगला आदेश निकलने तक के लिए ही की गई है।

हृदयसे आपका,

सलग्न: १

एफ० कोठावाला महोदय
कलेक्टर, सूरत जिला, बारडोली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

३०२. पत्र : फ्रामरोज बी० गरदाको

बारडोली
३० मई, १९३१

प्रिय सरदार गरदा,

आपका पत्र मिला। आप अपनी शिकायतोंके बारेमें यदि मध्यस्थता करानेकी बात स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं, तो फिर मेरी समझमें नहीं आता कि आपको किस तरह सन्तुष्ट करूँ। फिर तो मामला वकीलोंको ही सौंप देना चाहिए और यदि वे राय दें कि आपकी बतलाई हुई एक निश्चित राशिके बदलेमें मूल जोतदारोंको भूमि लौटा देनेका वचन देते हुए आपने जो पत्र लिखा था, उसके आधारपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो न्यायालयकी शरण ही लेनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

सरदार फ्रामरोज गरदा
नवसारी

[अंग्रेजीसे]
अ० भा० कां० क० फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३०३. पत्र : रतिलालको

बारडोली
३० मई, १९३१

भाई रतिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। अपनी अड़चनोंको धीरजके साथ सुलझा लो। बुनकरोंके बारेमें नारणदाससे बात जरूर कर लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७१६६)की फोटो-नकलसे।

३०४. पत्र : फूलचन्द कस्तूरचन्द शाहको

वारडोली
३० मई, १९३१

भाईश्री फूलचन्द,

धोलके[1] मामलेके बारेमे मालूम हो गया है। जो मै समझा हूँ, उसके अनुसार तो अब तुम्हे राष्ट्रीय झडेकी माँग भूल जानी चाहिए। दो-तीन लोग आकर मुझसे मिलना चाहे तो मिल जाओ। मुझे लगता है कि वहुत-से कामोमे उतावली हो जाती है। वहाँ तो तुम्हे अभी विदेशी वस्त्र-बहिष्कार कार्य और वह भी खादीकी मारफत करने तथा मद्य-निषेधके काममे ही जुटे रहना चाहिए। करने लायक समाज-सुधार भी कम नही है।

सोच-समझकर कदम उठाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९१९३)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० २८४४ से भी।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

३०५. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

३० मई, १९३१

चि० पण्डितजी,

तुम्हारा पत्र मिला।

जो आश्रमवासी बालक विद्यापीठमे गये है उनके बारेमे मैंने अपने विचार काकाको तो बता ही दिये है। सक्षेपमे वे इस प्रकार है: 'जिन विद्यार्थियोने सघर्षमे भाग लिया था, उन्हे आश्रम नही आना चाहिए', इस वृत्तिमे वहुत वजन नही है, तो भी मै आनेको विरोध करने लायक भी नही समझता। यदि ये लोग दूसरा काम न कर सके तो कहाँ जाये? सामान्य तौरपर तो विद्यापीठ ही यह दूसरी जगह है। किन्तु जब दूसरोने भी काम छोड-छोडकर भागना शुरू किया तो हम घबरा गये। और ऐसा भी हो सकता है कि आश्रम न जानेकी प्रतिज्ञाकी आडमें विद्यार्थियोने विद्यापीठ जानेकी अपनी इच्छा पूरी की हो। किन्तु प्रपात रोके नही रुकता। इसलिए जो हुआ, उसे होने दिया। इसके पीछे बहुत-सी बाते थी। इसमें

१. सौराष्ट्रका एक कस्बा।

कितने अंशतक मोह था और कितने अंशतक कर्त्तव्य, यह कहना मुश्किल है। अभी भी कुछ समझमें न आया हो तो लिखना। जिन-जिनके मनमें शंका उठी हो, उन्हें यह पत्र पढा देना।

रामभाऊ कैसा चल रहा है, यह लिखते रहना।

चि० गजाननके बारेमें समझ गया हूँ। वह चाहे तो अपने चित्रकलाके शौकको पूरा करे। साथमें कताई आदि भी करता है, यह तो अच्छा ही है।

'मननविशी'[1] में सुधार आदि करनेकी जेलमें ही बहुत इच्छा थी। पर मनमें ही रह गई और मैं समयके पहले ही झंझटोंमें फँस गया। अब तो जैसेका तैसा छाप दो। एक मनन जोडना है, वह तो तुम्हें भेज ही दिया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१५)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: लक्ष्मीबहन खरे

३०६. पत्र: गंगाबहन वैद्यको

बारडोली
३० मई, १९३१

चि० गंगाबहन,

इतनी परेशानी क्यों? तुमपर ऐसा तो कुछ नहीं टूटा है। छोटी उम्रमें कोई न मरे, ऐसा कोई नियम थोडे ही है। फिर तुम्हारे और मेरे कोई एक ही लडका नहीं, असंख्य लडके हैं। उनमें से कुछ चले जाते हैं और दूसरे पैदा होते हैं। उनके मरने-जीनेका हिसाब क्यों? जो पास है, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। इस तरह न कोई मरता है, न कोई जीता है।

मन्त्रीने प्रबन्ध कर ही लिया हो, तो हमारे विचार करनेकी जरूरत ही नहीं रहती।

तुम अनासक्ति सीखो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो: गं० स्व० गंगाबहनने तथा सी० डब्ल्यू० ८७७५ से भी।
सौजन्य: गंगाबहन वैद्य

१. मननके बीस विषय।

३०७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

वारडोली
३० मई, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपका पत्र महादेवपर देखा। आपने पोलाकको बिलकुल यथार्थ उत्तर दिया है। करीब ऐसा हि उत्तर[1] उन भाईओके तारका मैंने भेजा था। मुझे अब भी विश्वास है कि मेरा बिना हिं० मु० प्रश्न हल होते जाना व्यर्थ है। हा, ऐसे प्रधान मडल इ०को मिलनेके लिये जाना दूसरी बात है।

सुबाषबाबु फिर मिल गये बाते तो काफी हुई। लेकिन कुछ पता नही चलता क्या है। सेनगुप्ताका अखबारोमें खत कल पढा। देखें अब ९ तारीखको क्या होता है। सुबाषबाबुको भी आनेका कहा है।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ७८८६ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

३०८. तार : विलियम शिररको[2]

[३० मई, १९३१को या इसके पश्चात्][3]

विलियम शिरर
सेसिल होटल
शिमला

आपका तार। सभी समाचार अनधिकृत, भ्रमपूर्ण अनुमान-भर। मेरी समझमें साम्प्रदायिक समस्या हल न होना गोलमेज परिषद्में मेरे शामिल होनेके रास्तेमे रोडा। स्थिति नाजुक। फिर इर्विन-गाधी समझौतेने भी मेरा भारतसे तत्काल प्रस्थान कठिन बना दिया है। ये कठिनाइयाँ हैं, वैसे मेरी बडी इच्छा है कि गोलमेज परिषद्की बहसोमे पूरी तरह हाथ बटाऊँ और काँग्रेसकी माँग मनवानेका आग्रह करूँ। इसीलिए मै कठिनाईका हल

१. देखिए "तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २३-५-१९३१।
२. शिकागो ट्रिब्यूनके संवाददाता।
३. विलियम शिररके तारसे जो ३० मईका है।

खोज रहा हूँ। परन्तु यदि यहाँ साम्प्रदायिक समस्या हल न हो पाये और समझौतेसे सम्बन्धित कठिनाई दूर हो जाये, यदि ग्रेट ब्रिटेनके जिम्मेदार राजनीतिज्ञों और जनताको कांग्रेसका दृष्टिकोण समझानेके लिए मेरा लन्दन जाना आवश्यक हो जाये, तो मैं मित्रोंको बतला चुका हूँ कि मैं लन्दन जानेके लिए तैयार रहूँगा। एक वाक्यमें कहूँ तो मैं कांग्रेसके मूलभूत दृष्टिकोणके अनुरूप बातकि जरिए स्थायी शान्तिकी स्थापनाके लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १७१६७)की फोटो-नकलसे।

३०९. स्वदेशी-व्रत

स्वदेशी-व्रत इस युगका महाव्रत है। जो वस्तु आत्माका धर्म है, परन्तु अज्ञान या किसी और कारणसे आत्माको जिसका भान नहीं रहा उसके पालनके लिए व्रत लेनेकी आवश्यकता होती है। जो स्वभावसे मांसाहारी नहीं है, उसे मांसाहार न करनेका व्रत लेनेकी जरूरत नहीं होती। मांस उसके लिए प्रलोभन तो है ही नहीं, बल्कि मांसको देखते ही उसे उलटी होने लगेगी। स्वदेशी आत्माका धर्म है, लेकिन उसे भुला दिया गया है, इसलिए उसका व्रत लेनेकी आवश्यकता है। आत्माके लिए तो स्वदेशीका अन्तिम अर्थ सब प्रकारके स्थूल सम्बन्धोंसे आत्यन्तिक मुक्ति है। उसके लिए तो देह भी परदेशी है। क्योंकि उसके लिए देह दूसरी आत्माओंसे ऐक्य स्थापित करनेमें बाधक है, उसके मार्गमें विघ्नरूप है। जीवमात्रके साथ ऐक्य स्थापित करते हुए स्वदेशी-धर्मको जानने और उसका पालन करनेवाला देहका भी त्याग कर देता है।

यदि यह अर्थ सही हो, तो हम सहज ही यह समझ जायेंगे कि अपने आस-पास रहनेवालोंकी सेवामें लीन हो जानेका नाम स्वदेशी धर्म है। इस प्रकारकी सेवा करते हुए यह आभास होना सम्भव है कि दूरवाले छूटे जा रहे हैं, या उन्हें हानि पहुँच रही है। परन्तु वह तो आभासमात्र होगा। स्वदेशीकी शुद्ध सेवा करनेमें परदेशी की भी शुद्ध सेवा होती ही है। 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।' इसके विपरीत दूरवालों की सेवा करनेका मोह करनेसे वह सधती भी नहीं और पड़ोसीकी सेवा भी नहीं हो पाती। यों 'दुहूँ दीनसे गये पाण्डे' वाली कहावत चरितार्थ होती है। मुझपर भरोसा रखनेवाले कुटुम्बीजन अथवा ग्रामवासियोंको यदि मैं छोड़ दूँ, तो वे मुझपर जो भरोसा रखते हैं, वह नहीं रहता। दूरवालेकी सेवा करनेमें, जिसका धर्म उसकी सेवा करना है, वह अपने उस धर्मकी ओरसे उदासीन हो जाता है। हो सकता है कि वह दूरवालोंको फुसलाकर इस प्रकार वहाँका वातावरण बिगाड़ दे और अपने वातावरणको गँदला करके तो वह चला ही था। इस तरह हर प्रकारसे उसने नुकसान ही किया।

ऐसे असख्य उदाहरणोकी कल्पना करके स्वदेशी-धर्मको सिद्ध किया जा सकता है। 'स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ' इसीसे कहा गया है। इसका अवश्य यह अर्थ किया जा सकता है—"स्वदेशीका पालन करते मृत्यु मिले, तो भी अच्छा है, परदेशी [वस्तुका वरण] तो भयानक ही है।" स्वधर्म अर्थात् स्वदेशी।

सारी गडबड स्वदेशीको न समझनेसे ही होती है। कुटुम्बके प्रति मोह रख कर मै उसे खुश करनेकी कोशिश करूँ, उसके लिए चोरी करूँ, दूसरे षड्यन्त्र रचूँ तो वह स्वदेशी नही होगा। मुझे तो उसके प्रति अपने धर्मका पालन करना है। उस धर्मकी खोज करने और उसका पालन करते रहनेसे मुझे सर्वव्यापी धर्म मिल जाता है। स्वधर्मके पालनसे परधर्मी या परधर्मको हानि पहुँचती ही नही, पहुँचनी भी नही चाहिए। यदि पहुँचे तो जिस धर्मको स्वीकार किया है वह स्वधर्म नही, बल्कि स्वाभिमान है, और इस कारण त्याज्य है।

सम्भव है, स्वदेशीका पालन करते हुए कुटुम्बका बलिदान भी करना पडे। परन्तु यदि ऐसा करना पडे, तो इससे भी कुटुम्बकी सेवा ही निष्पन्न होनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपना त्याग करके अपनी रक्षा कर सकते है, उसी प्रकार हो सकता है कि कुटुम्बका त्याग करके हम कुटुम्बकी रक्षा कर सके। मेरे गाँवमे महामारी फैली है। इस रोगके चगुलमे फँसे हुए लोगोकी सेवामे मैं अपनेको, अपनी पत्नी, पुत्रो और पुत्रियोको लगा दूँ और वे सब उस महामारीके शिकार होकर मौतके मुँहमे चले जाये तो मैंने कुटुम्बका सहार नही किया, उसकी सेवा की है। स्वदेशीमे स्वार्थ नही होता और यदि होता ही है तो शुद्ध स्वार्थ होता ही है। शुद्ध स्वार्थ अर्थात् परमार्थ, शुद्ध स्वदेशी अर्थात् परमार्थकी पराकाष्ठा।

इस विचार-श्रृखलाके आधारपर मैने खादीमे समाजके शुद्ध स्वदेशी-धर्मके दर्शन किये। वह कौन-सा स्वदेशी-धर्म हो सकता है जिसे सब समझ सके, जिसके पालनकी इस युगमे, इस देशमे सबको बहुत आवश्यकता है? जिसके सहज पालनसे ही हिन्दुस्तान के करोडो लोगोकी रक्षा हो सकती है, वैसा स्वदेशी-धर्म क्या होगा? इसके उत्तरमे मुझे चरखा और खादी सूझे।

कोई यह न माने कि इस धर्मके पालनसे विदेशी मिलवालोका नुकसान होता है। चोरको चोरीका माल लौटाना पडे या उसे चोरी करनेसे रोका जाये तो इसमें उसका नुकसान नही, लाभ है। पडोसीके शराब पीना या अफीम खाना छोड देनेमें कलाल या अफीम-फरोशका नुकसान नही, लाभ है। जो अनुचित रीतिसे अर्थ साधते है, उनके उस अनर्थका नाश होनेसे उन्हे और जगत्को लाभ ही है।

परन्तु जो चरखेपर चाहे जैसा सूत कातकर और खादी पहन-पहन-कर यह मान बैठते है कि स्वदेशी-धर्मका पूर्ण पालन कर चुके, वे महामोहमे फँसे हुए है। खादी सामाजिक स्वदेशीकी पहली सीढी है। वह स्वदेशी-धर्मकी परिसीमा नही है। ऐसे खादीधारी देखनेमें आते है जो और तमाम विदेशी चीजे खरीदते रहते है। वे स्वदेशीका पालन नही करते। वे तो बहती गगामे हाथ धो रहे है। स्वदेशी-व्रतका पालन करनेवाला रोज अपने इर्द-गिर्द नजर डालेगा, और जहाँ-जहाँ पडोसीकी सेवा

की जा सकती हो, अर्थात् जहाँ उनके हाथका बना आवश्यक माल मिलता होगा वहाँ वह अन्य वस्तुओको छोडकर उसीको लेगा। फिर भले ही स्वदेशी चीज पहले-पहल महँगी और घटिया क्यो न हो। व्रतधारी उसे सुधारने या सुधरवानेका प्रयत्न करेगा। वह स्वदेशीकी खराबीसे घबराकर विदेशीका उपयोग नही करने लगेगा।

परन्तु स्वदेशी-धर्मको जाननेवाला अपने कुएँमे आप न डूब मरे। जो चीजें स्वदेशमे न बनती हो या बहुत कठिनाईसे ही बन सकती हों, उन्हे विदेशी वस्तुओसे द्वेषके कारण यदि देशमें बनाने बैठ जायें तो वह स्वदेशी-धर्म नही है। स्वदेशी-धर्मका पालन करनेवाला विदेशी वस्तुओसे कभी द्वेष करेगा ही नही। अर्थात् पूर्ण स्वदेशीमें किसीसे द्वेष नही होता। यह सकीर्ण धर्म नही है। यह तो प्रेम और अहिंसासे उत्पन्न एक सुन्दर धर्म है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

३१०. स्वतन्त्रताकी मर्यादा

कुछ दिगम्बर जैन भाइयोने सरदारसे यह सवाल पूछा था कि कराची काग्रेसके मूलभूत अधिकारवाले प्रस्तावमें कहा गया है कि स्वराज्यमे धार्मिक स्वतन्त्रता होगी, तो फिर यदि दिगम्बर जैन साधु अपने धर्मानुकूल नग्नावस्थामें विचरण करते हैं तो आप उसपर आपत्ति क्यो करते हैं? सरदारने जवाब दिया कि धार्मिक स्वतन्त्रताका यह अर्थ तो कभी नही हो सकता कि उसके आचरणसे असख्य लोग लज्जित हो, अथवा उनकी भावनाको चोट पहुँचे। साधु होकर भी यदि कोई नग्नावस्थामे विचरण करे तो मेरी रायमे लोगोकी भावनाको आघात पहुँचे बिना न रहेगा।

मुझे लगता है कि सरदार और कोई जवाब दे ही नही सकते थे। मैं स्वय यह मानता हूँ कि मनुष्य-मात्रकी आदर्श स्थिति दिगम्बरकी है। परन्तु आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष होता है, विकार-शून्य होता है। ऐसी निर्दोषताके बिना यदि कोई व्यक्ति नगा घूमता है तो वह दोषी माना जायेगा।

दिगम्बर साधु, साधु होनेके कारण विकार-शून्य ही होते हैं, यह मान लेनेका कोई कारण नही। यदि वे निर्विकार हो, तो भी समाजकी मर्यादाकी रक्षा करना उनका धर्म है। सम्भवत. कुछ श्रावक दिगम्बर साधुकी स्थितिको समझते हो, परन्तु साधारण समाज यह नही समझता और उसे तो आघात ही पहुँचेगा। दिगम्बर साधु को शहरोमें आनेकी कोई आवश्यकता नही। और यदि आवश्यकता हो तो कम-से-कम शहरकी मर्यादाकी उसे रक्षा करनी चाहिए। ऐसा न करके यदि वे नग्नावस्थामे शहरमें प्रवेश करनेका आग्रह करे अथवा श्रावक ऐसी जिद करे तो मेरी दृष्टिमें वह अधर्म होगा। स्वय मुझे नग्नावस्था प्रिय है। यदि मैं निर्जन जगलमे रहता होऊँ तो नग्नावस्थामे ही रहूँ, परन्तु इस विकारमय जगत्में नग्नावस्थाके-सामान्य-आचरण हो जानेकी सम्भावना कम है। नीति बनाये रखनेके लिए किसी भी महापुरुषके लिए

यह आवश्यक है कि वह अपने गुप्तागोको ढँके रहे। यह उसका धर्म है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और उसमें भी धर्म-स्वातन्त्र्यकी सदा अनेक मर्यादाएँ रही है और रहेगी। धर्म अधिकारका भूखा नही है। धर्म सयमका, अकुशका भूखा है। धर्मको जानने और उसकी रक्षा करनेवाला यह विचार नही करता कि 'यह मेरा अधिकार है।' वह तो यह सोचता है कि 'यह मेरा कर्त्तव्य है।' और ऐसा सोचनेवालेका नग्न रहना कर्त्तव्य नही हो सकता। कर्त्तव्य अपरिग्रहका है। अपरिग्रह मानसिक धर्म है। मुझपर कोई वोझ लाद दे, तो वह परिग्रह नही होगा। परन्तु उस वोझका मैं उपभोग करने लगूँ तो वह अपरिग्रह होगा। जो साधु सामाजिक कर्त्तव्य पालनके लिए लगोटीका भार वहन करता है वह परिग्रही नही वल्कि सयमी है। जो 'साधु' सामाजिक लज्जाकी परवाह किये विना नग्न विचरण करनेका आग्रह करता है, वह स्वेच्छाचारी है। इस जगह गीताका यह वचन भली प्रकार लागू होता है "मुझे कर्म करनेकी विलकुल जरूरत नही है, किन्तु लोकसग्रहके लिए, कर्म करना मेरा धर्म है। यदि मैं ऐसा न करूँ, तो अव्यवस्थाका कर्त्ता वनूँ और तीनो लोकोका नाश करूँ।"[1] साधु ऐसा काम कभी न करे जिससे प्रजाकी हानि हो, समाज भी उसे वैसा करनेके लिए कभी प्रोत्साहित न करे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

३११. टिप्पणियाँ

विदेशी और स्वदेशीकी पहचान

इस सम्वन्धमे नीचे लिखा प्रश्न पूछा गया है.[2]

विदेशी और स्वदेशी कपडेके भेदको जान लेनेका कोई अचूक उपाय अभी तक नही मिला है। धरना देनेवालेको इस भेदकी अच्छी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जिस दुकानपर प्रमाण-पत्र न हो, उस दुकानसे कोई कपडा खरीदे ही नही। प्रमाण-पत्र दो प्रकारके होते है। खादीके लिए अखिल भारतीय चरखासघका और स्वीकृत देशी मिलके कपडेके लिए स्वदेशी-सभाका। मैं नही जानता कि उक्त दूसरे प्रकारका प्रमाण-पत्र अभी जारी किया गया है या नही। परन्तु इससे भी आसान रास्ता सिर्फ खादीका है। जहाँ असत्य लगभग सर्व-व्यापक वन गया है, वहाँ लोगोकी खादी-भावना ही उपयोगी हो सकती है। खादीमें भी असत्य घुस गया है, अर्थात् उसमें भी लोगोको ठगा जाता है। फिर भी उसमें ठगीकी वहुत कम गुजाइश है। और घरका सूत कातनेवालेको तो कोई डर है ही नही।

१. भगवद्गीता, अध्याय ३, २२-२४।
२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

तो सवाल उठता है कि धरना देनेवाली सेविका क्या करे। यदि उसके मनमें खादीके प्रति मेरे समान श्रद्धा होगी तो वह धरनेको खादी-प्रचारका एक साधन मानकर ग्राहकोको विदेशी कपड़ेकी दुकानसे हटाकर खादीकी तरफ ले आयेगी। यदि वे इस तरफ न आये तो वह धीरज रखेगी और विश्वास रखेगी कि विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके लिए अन्य कोई मार्ग है ही नही, और यदि हो भी तो वह बेकार है। यह भी याद रखना चाहिए कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार अपने-आपमे कोई स्वतन्त्र गुण नही है। यह खादी-प्रचारके लिए उपयोगी और आवश्यक है। यदि धरना देनेवाली सेविका इस तत्वको समझ लेगी, तो उसका न तो अपमान होगा, क्योकि वह अपमान मानेगी नही, और न वह परेशान होगी। क्योकि उसे तो किसी तरह दरिद्रनारायणके लिए खादीका प्रचार करना है। दूसरे प्रपचमे भय है, अपमान है, दगा है और गरीबके लिए कुछ भी नही है।

खरीदारकी जिद

> **कपड़ा खरीदनेवाले कहते हैं: "हमें जरूरी खादी दिलाइए; हम दूसरा कपड़ा नहीं खरीदेंगे," हम उन्हे किस तरह सन्तुष्ट करें?**

इस सवालका जवाब ऊपर आ गया है। यदि खरीदार हठ करे, तो हमे सौगुना हठ करना चाहिए। खरीदारके हठकी कोई बुनियाद नही, हमारे हठकी बुनियाद मजबूत है। उसकी मनपसन्द खादीका यह अर्थ नही किया जा सकता कि पेरिसकी अतलस जैसी मुलायम खादी उसे उसी भावमे मिले। खादी पहननेवालेका निस्तार खुरदरी, मोटी-झोटी खादी पहननेमे ही है। यह याद रहे कि हम सबको सन्तुष्ट नही कर सकते। हमारा काम सबको राजी करना नही है, सबका काम दरिद्रनारायणके अनुकूल होना यानी उन्हे सन्तुष्ट करना है। खादी ही दुनियाका विश्रामस्थल है। जो उसकी अवगणना करे, उसके प्रति भी हम सहिष्णु बनें।

ऐसी धरना देनेवाली कम हैं

> **'नवजीवन' में बताए अनुसार धरना देनेवाले बहुत कम मिलते हैं, तो क्या थोड़े-से लोगोंको लेकर ही धरना दिया जाये? दुकानें सौ हों और बहनें पाँच हों, किन्तु वे सब जगह घूम नहीं सकती, तो क्या जितनी दुकानोपर हो सके, धरना दिया जाये? यदि हमेशा वे एक ही जगह खड़ी रहती हैं तो व्यापारी कहता है — 'ग्राहक दूसरी दुकानपर जायेंगे। वहाँ भी धरना दीजिए। हमारी दुकानपर ही क्यो धरना दे रही हैं?' आज एक जगह और कल दूसरी जगह जानेपर लोग गैरहाजिरी ताड़ जाते हैं और व्यापारीके समझानेसे सेविकाओंकी अनुपस्थितिमें खरीदने जाते हैं। क्या ऐसी दशामें धरना जारी रखना उचित है? तादाद कम होनेसे जब धरनादेनेवाले दूसरी जगहसे लोगोको विदेशी कपड़ा खरीदते देखते हैं तो उन्हे निराशा होती है। ऐसी दशामें दुकानोपर धरना दिया जाय या मुहल्ले-मुहल्ले घूमकर लोगोंको समझाना उचित होगा?**

धरना देनेवाली बहने पाँच हो, और विदेशी वस्त्रकी दुकाने पाँच सौ हो तो वे पाँच बहने पाँच ही दुकानोपर रहे और चाहे तो एक ही दुकानपर। खादी-प्रचार धर्म है, युक्ति नही। इसलिए सेविका एक हो, तो भी उसका पालन करे, अनेक हो, तो भी। इसी तरह यदि एक दुकानदार भी पसीजे तो अच्छा है। यदि पाँचो दुकानदार विदेशी कपडे वेचना छोड दें तो अपने कामको उतना आगे बढा हुआ समझकर पाँचो बहने धरनेका काम जारी रखें। उन्हे धरना देते देखकर अन्य बहने आयेंगी। उनके धरनेका असर यदि एक व्यापारीपर पडेगा, तो हो सकता है कि दूसरोपर भी पडे। न पडे, तो जिसपर असर हुआ है उस व्यापारीको पछतानेकी कोई आवश्यकता नही। यदि विदेशी वस्त्रका व्यापार पाप हो, तो दूसरोके वह पाप करते रहनेपर भी, जिसे ज्ञान हो गया है, वह तो उस पापको छोड ही देगा। बडे काम सदा इसी प्रकार होते है। यदि मै सबकी राह देखता बैठा रहूँ तो खादी-प्रचार होगा ही नही। जबर्दस्त काममे जबर्दस्त साहसकी आवश्यकता होती है।

साहससे कोलम्बसने नई दुनिया ढूँढी, परन्तु कोलम्बसका साहस उसके मनो-विनोदके लिए था। उसका उद्देश्य किसीको सेवा करनेका नही था। नई दुनियाकी खोज करनेकी उसकी इच्छाकी तहमें वहाँकी धनराशि बटोरनेकी इच्छा थी। इसके लिए उसने समुद्र पार किया, तो हिन्दुस्तानके करोडो नगोको ढँकनेके लिए हमें कितना साहस दिखाना चाहिए? जिस सेविकामे कोलम्बसके समान विश्वास होगा, उसका-सा धीरज होगा, वह अकेली होनेपर भी अपना काम करती रहेगी। दिन-दिन उसमे नया बल आयेगा, नया विश्वास पैदा होगा और काम करनेकी नई युक्तियाँ सूझेंगी, अथवा 'काइंडली लाइट' (प्रेमकी ज्योति) उसे नये मार्ग दिखायेगी। तबतक वह गाये—'वन स्टेप एनफ फॉर मी' (एक कदम, बस एक कदम)

बेचारा पुरुष

समझौतेके दौरान हमें खादी, विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार और शराब-बन्दीका काम करना है। इनमें से अन्तिम दो कार्य बहनोंको सौंपे गये हैं। तो खादी-उत्पादनके सिवा पुरुषोंके लिए दूसरा और क्या काम है?

इस प्रश्नमे खादीके प्रति अश्रद्धा या कहिए कि खादीके महत्वके प्रति अज्ञान निहित है। खादी उत्पादनका काम मानो आसान और कुछ लोगोका ही हो ऐसा सोचनेकी वजहसे यह सवाल उठा है। खादीका काम ऐसा महाशास्त्र है, जिसका पूरी तरह अभीतक मन्थन नही हुआ है। उसमे छोटे-बडे जितने लोग भी जुट सकें उतने कम है। सात लाख गाँवोमे पहुँचनेके लिए कितने पुरुष आवश्यक है। खादीका काम इतना विशाल है कि यदि एक लाख लोग रोजाना आठ घटे दे तो भी कुछ काम वच रहेगा। इसी बारके अकमे गुजरातमें खादी-उत्पादन और बिक्रीका संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इस ब्यौरेको देखकर ही सबको पता चलना चाहिए कि खादीके कामके लिए कितने पुरुषोकी जरूरत है?

लेकिन मै जानता हूँ कि इस प्रश्नकी तहमें दूसरा प्रश्न है। खादीका काम है तो अच्छा, पर जिस पुरुषको वह नीरस मालूम हो, वह क्या करे? ऐसे पुरुषको

गाँवोंकी गन्दगी दूर करनी चाहिए। इसके लिए वह भाषण न झाड़े, बल्कि झाड़ू लेकर रास्ते और पाखाने साफ करे, घूरे बन्द करे, लोगोंमें शौचादिके नियमोंका प्रचार करे। हालाँकि बहनें धरना देंगी, परन्तु उन्हें धरनेके काममें मददकी बहुत जरूरत होगी। पुरुष उनकी मदद करें। यदि सामर्थ्य हो तो पुरुष गाँवोंमें पेड़ोंके नीचे बैठकर बिना किताबके बच्चोंकी शाला चलायें, प्रौढ़ोंके लिए रात्रिशाला शुरू करें। जिसे सेवा ही करनी है, उसके लिए क्षेत्र अनन्त है। और सब यह समझ लें कि जब फिर लड़नेका मौका आयेगा, तब उस लड़ाईके लिए ऐसे ही कामोंसे शक्ति उत्पन्न होगी।

दुनियाके हिंसक सिपाहियोंने भी यही किया है और यही करते हैं। सिर्फ भाड़ेका सिपाही जब लड़ता नहीं, तब मुफ्तकी रोटी खाकर उसे बरबाद करता है, यानी मनमानी करके त्रास फैलाता है और पृथ्वीपर भाररूप रहता है। इतिहासमें हमने पढ़ा है कि गैरीबाल्डी और उसके सिपाही, जब लड़ते न थे तब हल चलाते थे, बोअरोंका पेशा हल चलानेका था, और जब लड़नेका समय आया तब जनरल बोथासे लेकर गरीब बोअरोंतक ने अपने हल एक ओर रख दिये और रणमें दुनियाको आश्चर्यमें डालनेवाली बहादुरी दिखाई — जो मैंने अपनी आँखों देखी। यदि हिंसक स्वयंसेवक इस प्रकारका रचनात्मक काम करके अपनी लड़नेकी शक्तिको संचित कर सकते हैं, तो हिन्दुस्तानके इस युगके अहिंसक सिपाहीको रचनात्मक काम करनेमें परेशानी क्यों होती है, यह मैं समझ नहीं पाता। सभी पाठक अच्छी तरह याद रखें कि पिछले साल जो उत्साह उमड़ पड़ा था, उसके पीछे भारी तपश्चर्या थी, महान रचनात्मक कार्य था।

दूधमें जहर मिले तो?

जिस दुकानमें विदेशी और स्वदेशी दोनों तरहका कपड़ा बिकता हो, उस दुकानसे बिलकुल कपड़ा न खरीदनेकी सलाह ग्रहकको दी जा सकती है क्या?

दूधमें जहरकी बूँद गिर जानेसे जैसे वह दूध त्याज्य हो जाता है, वैसे ही मेरे मतानुसार विदेशी कपड़ेकी दुकानपर स्वदेशी कपड़ा बिकता हो तो हम उस दुकान पर न जायें। कलालकी दुकानपर शुद्ध दूध ही पिया जाये, तो भी लोग जिस प्रकार दूध पीनेवालेको शराबी ही समझेंगे वही गति विदेशी कपड़ेकी दुकानपर स्वदेशी कपड़ा खरीदनेवालेकी होगी। स्वदेशी कपड़ेकी दुकानें क्या कम हैं? कम हों और हमारे पड़ौसमें न हों, तो जहाँ हो हमें वहीं जाना चाहिए। धरना देनेवालेके लिए तो यह सीधा-सा रास्ता है कि जहाँ विदेशी कपड़ा बिकता हो, उस दुकानपर जानेवाले आदमीको सावधान करे और वह लौट सके तो उसे वापस लौटाये। मुझसे हालमें यह प्रश्न भी पूछा गया है कि शराबवालेकी दुकानपर बहुतेरी स्वदेशी चीजें बिकती हों तो उन्हें खरीदने जाया जाये या नहीं। 'नहीं जा सकते' यह राय देते मुझे देर न लगी।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

३१२. पत्र : अमतुस्सलामको

३१ मई, १९३१

प्रिय अमतुल,

अगर तेरी तबीयत अच्छी न रहती हो, तो तुझे सिर्फ दूध और फलपर रहना चाहिए। पैसेके बारेमें तेरी नाजुक भावनाको मैं समझ सकता हूँ। इस बारेमें नारणदासको लिख रहा हूँ। मुझे पत्र जरूर लिखती रहना और अपने दिलकी सारी बात कहना। मैं चाहता हूँ कि आश्रममें तेरा मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास हो।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० २३९)की फोटो-नकलसे।

३१३. पत्र : एम० रिबेलो ऐंड सन्सको

३१ मई, १९३१

महोदयगण,

इसी महीनेकी २२ तारीखका आपका पत्र[1] मिला। मेरे व्यक्तिचित्रों पर मेरा प्रतिलिप्याधिकार नहीं है, फिर भी आपने जो अनुमति माँगी है, उसे देनेमें मैं असमर्थ हूँ।

आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२०)की माइक्रोफिल्मसे।

३१४. पत्र : ऐलन डब्ल्यू० सेलरको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मीराबाईने मुझे उनके नाम आया हुआ आपका पत्र दिखाया था। मुझे लगता है, आपके आश्रम आनेके मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। पासपोर्ट लेना जरूरी है और बहुत सम्भव है कि आपको कुछ शर्तोंपर ही पासपोर्ट दिया जाये। इसीलिए मेरी

१. एम० रिबेलो ऐंड सन्सने खपरेल बनानेकी अपनी कम्पनीके व्यापार-चिह्नके रूपमें गांधीजी के चित्रका उपयोग करनेकी अनुमति माँगी थी।

सलाह तो यही है कि मेरे साथ आकर बसनेके लिए भारत आनेका अपना विचार अभी तो कुछ समयतक स्थगित रखिए, किन्तु फिर भी वहाँ रहते हुए आश्रमके नियमोका पालन कीजिए और उन परिस्थितियोमे जितना बन सके अपना जीवन आश्रमवासियोके अनुरूप बनाइए। तब निश्चय ही किसी भी तरहके प्रतिबन्धोके बिना भारत आनेकी सम्भावनाके द्वार शायद आपके लिए खुल जायेंगे।

यदि आपको वहाँ 'यग इडिया' न मिल रहा हो, तो आप विश्वविद्यालयके कार्यालयमे जाकर पूरी फाइल देख सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री ऐलन डब्ल्यू० सेलर
शिकागो, इलिनॉय

अग्रेजी (एस० एन० १७१६८) की फोटो-नकलसे।

३१५. पत्र: किरणशंकर रायको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय किरण बाबू,

आपका पत्र मिला। सुभाष बाबूने बाकायदा शिकायत भेजी है, इसलिए कार्य-समिति अब पूरे मामलेपर गौर करेगी। आप भरोसा रखें कि उस जाँच-पडतालमें मै पूरा-पूरा हाथ बँटाऊँगा और समितिको निष्कर्षोपर पहुँचनेमे मदद दूँगा। शिशिर बाबूने मुझे अलगसे एक पत्र लिखा था। मै उनको अब अलगसे उत्तर नही दे रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत किरणशकर राय,
४४, यूरोपियन एसाइलम लेन
कलकत्ता

अग्रेजी (एस० एन० १७१६९) की माइक्रोफिल्मसे।

३१६. पत्र : आनन्दकिशोर मेहताको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

इसी महीनेकी २७ तारीखका आपका पत्र मिला। आपने उसे याददिहानी कहा है। पर पिछला पत्र मिलनेकी मुझे कोई जानकारी नही। मुझे आपसे खेदके साथ कहना पड रहा है कि स्मारककी आपकी योजनाके साथ मुझे कोई सहानुभूति नही और उस समितिके साथ अपना नाम जोडनेके लिए तो मै बिलकुल ही तैयार नही हूँ। यदि समितिमे मेरी चले तो मै उसे भंग करनेकी ही सलाह दूंगा।

हृदयसे आपका,

श्री आनन्दकिशोर मेहता
महामन्त्री
अखिल भारतीय भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव स्मारक समिति
अनारकली, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७०) की माइक्रोफिल्मसे।

३१७. पत्र : श्रीराम शर्माको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

आपका पत्र मिला। आपने यह नही लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्त्ताओको गिरफ्तार क्यो किया गया था। जो भी हो, समझौतेमें ऐसी कोई व्यवस्था नही जो सरकारको असल या मनगढन्त अपराधोके लिए मुकदमे चलानेसे रोक सके। यदि तथाकथित अपराध किया ही नही गया और गिरफ्तार कार्यकर्त्ता चाहे तो अपने वकील खडे करके मुकदमा लड सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री श्रीराम शर्मा
महामन्त्री
जिला कांग्रेस कमेटी
रोहतक (पंजाब)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७१) की माइक्रोफिल्मसे।

३१८. पत्र : आर० एस० राजवाडेको

प्रकाशनके लिए नहीं

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने शिमलामें आपकी रिहाईके बारेमें सुना था। अधिकारियोंको इसके लिए राजी करनेमें पहले तो सचमुच काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन वह सब करनेमें प्रसन्नताका अनुभव हुआ, क्योंकि आपका मामला मुझे बिलकुल स्पष्ट लग रहा था।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एस० राजवाडे
'कर्मयोगी' कार्यालय
५७४, साऊथ कसावा, शोलापुर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७२)की फोटो-नकलसे।

३१९. पत्र : कृष्णगोपाल दत्तको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मैंने आपके तारका जवाब इसलिए नहीं दिया कि मुझे उसका जवाब सूझा ही नहीं। अब आपका पत्र मिलनेपर मैं आपके प्रश्नोंके उत्तर दे सकता हूँ।

१. चूँकि धरनेको बिलकुल शान्तिपूर्ण और जोर-जबर्दस्तीसे मुक्त रखना है, इसलिए वस्त्रोंके मौजूदा संग्रहको मोहरबन्द करनेका कोई सवाल नहीं उठता।

२. परन्तु यदि वस्त्र-विक्रेता आपके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेसे इन्कार करे, तो आप चाहे तो उसकी दुकानपर धरना दे सकते हैं, फिर चाहे उसकी दुकानमें स्वदेशी वस्त्र ही क्यों न हो।

३. जाहिर है कि प्रतिज्ञा भंग करनेवाले दुकानदारकी दुकानपर आप धरना देंगे ही, पर आप उसपर जुर्माना नहीं कर सकते।

हृदयसे आपका,

श्री कृष्णगोपाल दत्त
सिटी रोड, सियालकोट शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७३)की माइक्रोफिल्मसे।

३२०. पत्र : वी० बी० हरोलीकरको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

ये रहे आपके प्रश्नोके उत्तर:

१ जी, हाँ, यदि माल प्रामाणिक उत्पादन-कर्त्ताओसे खरीदा गया हो। लेकिन हर हालतमें अच्छा यही रहेगा कि थोक खरीद अखिल भारतीय सस्था द्वारा ही की जाये।

२. सभी प्रकारकी खरीदके लिए मैं अ० भा० च० स०का प्रमाणपत्र आवश्यक मानता हूँ।

३ खद्दरकी शर्त जबतक नियमावलिमें मौजूद है, तबतक सभी काग्रेस समितियो को सख्तीके साथ इसके पालनका आग्रह करना चाहिए।

४ चौथा प्रश्न कहाँतक संगत है, मैं समझ नही पाया। इसलिए कि ऐसी कोई बाध्यता न होते हुए भी काग्रेस यदि चाहे तो विदेशी वस्त्रोकी दुकानोपर धरना दे सकती है, बशर्ते कि धरना अर्थात् पूर्णत. शान्तिपूर्ण और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दोनो ही प्रकारकी जोर-जबर्दस्तीसे सर्वथा मुक्त हो।

मेरा ख्याल है कि आपके सभी प्रश्नोके काफी स्पष्ट उत्तर मैं दे सका हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री वी० वी० हरोलीकर
नगर काग्रेस कमेटी
२८, शुक्रवार पेठ
पूना

अग्रेजी (एस० एन० १७१७४)की माइक्रोफिल्मसे।

३२१. पत्र : चि० यु० चिन्तामणिको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आप मुझसे बधाई पानेकी प्रतीक्षा कर रहे होगे, परन्तु मै आपको बधाई नही दूँगा, फिर कारण केवल यही क्यो न हो कि मै आपसे पहले जो कह चुका हूँ, बधाई देना उसको दोहराना-भर होगा। हाँ, आपका यह सोचना बिलकुल सही है कि मै समाचारपत्र नही पढता। स्थानीय समाचारपत्रोको भी मै चन्द मिनटोतक ही देखता हूँ, वह भी मजबूरीसे! अग्रलेख तो मानो मै नियमपूर्वक छोड देता हूँ। इस-लिए 'लीडर'की कतरन भेजकर आपने अच्छा ही किया। 'नवजीवन'में महादेव देसाई द्वारा लिखे एक निर्दोषसे अनुच्छेदको उसमें काफी तूल दे दिया गया है। मै आपको अपनी ओरसे इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि मै गैर-सजीदगीसे कोई सघर्ष छेडनेवाला नही हूँ। मै जानता हूँ कि युद्धकी घोषणा करनेका लॉर्ड इर्विनके लिए क्या अर्थ होगा। इन वार्ताओके दौरान हम दोनोके सम्बन्ध कुछ ऐसे बन गये है कि यदि मै देखूं कि युद्धकी घोषणा करनेसे लॉर्ड इर्विनको मार्मिक दु ख पहुँचेगा तो यह विचार-मात्र मुझे वैसा कोई कदम उठानेसे पहले हजार बार सोच लेनेके लिए बाध्य कर देगा। पर मै आपको आपसी तौरपर बतला दूं कि यदि मै इतने गैर-सजीदा दिमागसे काम करनेवाला होता तो ऐसे अनेकानेक अवसर आये थे जब मै प्रान्तीय अधिकारियोके साथ अपनी वार्ता कभीकी तोड सकता था। मैने सदा ही बडे धैर्यसे काम लिया है, और अब भी ले रहा हूँ। खैर; मै वाइसरायको पूरी स्थितिपर फिरसे विचार करनेका पर्याप्त समय दिये बिना और जनताके समक्ष पूरी चीज रखे बिना कोई भी कदम उठानेवाला नही हूँ। कहनेकी कोई जरूरत नही रह गई है कि मै कार्य-समितिकी मजूरी लिए बिना कुछ भी नही करूँगा।

सघर्ष या शान्तिसे सम्बन्धित आपकी आशकाओके बारेमे इतना कहना ही काफी होगा। लेकिन साम्प्रदायिक समस्या बिलकुल ही दूसरे तरहकी चीज है। लॉर्ड इर्विनको मैने अपनी स्थिति अनेक बार स्पष्टत. समझा दी थी। उन्होने मेरी स्थितिके प्रति बहुत काफी सहानुभूति प्रकट की थी। आप जानते ही है कि गोलमेज परिषद्ने अबतक जितने विषयोकी चर्चा की है, काग्रेसकी माँग उन सबसे कही ऊँचे स्तरकी है। यदि देशमे साम्प्रदायिक समझौता न हो पाया तो मै अपने अन्दर काग्रेसकी माँगपर आग्रह करने लायक आत्मविश्वास नही बटोर पाऊँगा। पर परिषद्में मेरे शामिल न होनेका अर्थ यह तो नही है कि सघर्ष छिड जायेगा। यदि साम्प्रदायिक समझौता करनेमे असफलता मिलती है तो उसके लिए ब्रिटिश सरकारको तो दोषी नही ठहराया जा सकता। हालांकि साम्प्रदायिक समस्या वर्तमान शासन प्रणालीके

कारण ही पैदा हुई है। इस मामलेमे भी मैं अभी अपना रास्ता टटोल रहा हूँ और यदि मुझसे बन पडा तो मैं परिषद्मे अवश्य भाग लूँगा। मैंने अबतक बिलकुल ही निश्चित कोई निर्णय नही किया है। यदि मुझे रास्ता सूझ पड़ा तो तनिक भी सकोच किये बिना लन्दन चला जाऊँगा। आपको जब भी लिखनेकी जरूरत महसूस हो, आप मुझे अवश्य ही लिखे।

हृदयसे आपका,

श्री चि० यु० चिन्तामणि
मारफत — 'लीडर'
इलाहाबाद

अंग्रेजी (१७१७५) की फोटो-नकलसे।

३२२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

बम्बई सरकार और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ सलग्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न :

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६ बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३२३. पत्र : वा० गो० देसाईको

वारडोली
३१ मई, १९३१

भाईश्री वालजी,

दूधीबहनको साथमें जरूर ले आना। अपने हिसाबसे तुम बुधवार अर्थात् ३ तारीखको पहुँचोगे। ७ तारीखको मुझे यहाँसे भागना है।

बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६४१५) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: वा० गो० देसाई

३२४. पत्र : दूधाभाईको

वारडोली
३१ मई, १९३१

भाई दूधाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। अन्त्यजेतर हिन्दूका अर्थ भंगी नहीं, अन्त्यजेतरका अर्थ है ऐसा हिन्दू जो अन्त्यज नहीं है। गुजरातमें पला हुआ एक ब्राह्मण युवक मेरी नजरमें है। आश्रममें जात-पाँत नहीं और अन्त्यज जैसी चीज हिन्दू धर्ममें से निकाल देनी चाहिए। इस कारण मेरे मनमें यह विचार रहता है कि लक्ष्मीका विवाह अन्त्यजेतरमें करना ही ठीक होगा। लक्ष्मीको जल्दी नहीं है, यह तो बहुत अच्छी बात है। अमरेलीके पास घरके बारेमें तो मैंने लिखा ही है न?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसी आशासे अमरेली गया था।

गुजराती (जी० एन० ३२४४) की फोटो-नकलसे।

३२५. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

वारडोली
३१ मई, १९३१

चि० रुक्मिणी,

तेरा पत्र मिला। तुझे किस तरह आश्वासन दूं। ससारमें सभी चीजे अपने मनकी नही मिलती। हमे ससारमें अलिप्त होकर रहना है। तू दूसरे प्रान्तमे गई, इसी कारण यह परेशानी हुई है, यह तो कभी न सोचना। तू धीरज रखेगी तो सभी कुछ ठीक हो जायेगा। तुझे कुछ दिनो मेरे पास रहनेकी जरूरत है। ऐसा अवसर देखूंगा। तू शान्त रहना। राधासे आठ तारीखको बम्बईमे मिलना है। उस समय फैसला कर सकेगें कि उसे कहाँ रहना है और क्या करना है। सन्तोकका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, यह जानकर एक चिन्ता दूर हुई।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०५८)की फोटो-नकलसे।

३२६. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

३१ मई, १९३१

चि० प्रेमा,

लक्ष्मी और पद्मा बीमार क्यो होती रहती है? ऐसा लगता है कि वे दवा वगैराके बारेमे लापरवाह रहती है। पद्माको बुखार बना रहा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा। उसकी देख-भालकी जिम्मेदारी किसपर रहती है? हर बच्चेको आश्रममे माँ-बापकी कमी नही अखरनी चाहिए। कृष्णकुमारीकी तबीयत कैसी है? औरोके बारेमें भी मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५५)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ६७०३ से भी।
सौजन्य : प्रेमाबहन कटक

३२७. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

बारडोली
३१ मई, १९३१

भाई विट्ठलदास,

तुम्हे याद तो रोज ही करता हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्यका हाल भी पूछता रहता हूँ। तुम इस तरह बीमार कैसे पड़ गये? अब फौरन काममे लग जानेका आग्रह न करना और स्वास्थ्य सुधार लेना। देवलाली जैसी जगहमे जाकर रहना ठीक हो तो वहाँ रह आओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७७७)की फोटो-नकलसे।

३२८. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
३१ मई, १९३१

चि० नारणदास,

लक्ष्मी और पद्माका तो कोई योग्य इलाज तुरन्त करवाना चाहिए। डाक्टर कानूगा दोनोका अच्छी तरह निरीक्षण करे। उससे भी वे ठीक न हो तो सोचना पड़ेगा।

वैद्यकी दवासे बाको कोई विशेष लाभ हुआ नही दीखता? उसे तो पानी और सोडेसे फायदा हो रहा लगता है। बा तो यह मानती है कि दवासे बलगम निकलना बन्द हो जाता है और वह छातीमे ही जमा रहता है।

दोनो गंगाबहने और वसुमती आजकल यहाँ आई हुई है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मैथ्यूको आना हो और वहाँसे निकल सकता हो तो आ जाये, ऐसा उसे कल लिखा है। अमतुलबहनको लिखा पत्र पढ लेना और उसे उसकी धन-सम्बन्धी स्थिति समझा देना।

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

३२९. तार : सुभाषचन्द्र बोसको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
१ जून, १९३१

सुभाषचन्द्र बोस
वुडबर्न पार्क
कलकत्ता

मेरी सलाह कि लिए सेनगुप्तसे मिलो और यदि आपसी निबटारा नामुमकिन हो तो सभी मामले पच-फैसलेके लिए सौंपनेका प्रस्ताव रखिए। मैं जवाबी आम सभाएँ या प्रचारकी राय नहीं देता। सेनगुप्तको पच-फैसलेपर राजी होनेके लिए तार भेज रहा हूँ।[1]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७८) की फोटो-नकलसे।

३३०. तार : जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
१ जून, १९३१

सेनगुप्त
एल्गिन रोड
कलकत्ता

अन्दरूनी मतभेद दूर होने चाहिए। पारस्परिक समझौता असम्भव हो तो कृपया मामले पंच-फैसलेके लिए सौपनेपर राजी हो जाइए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७६) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

३३१. तार : मुरारीलालको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
१ जून, १९३१

डॉ० मुरारीलाल
सिविल लाइन्स
कानपुर

आपका तार[१] मिला। बड़ा दु:ख हुआ पर यही सुझाव दे सकता हूँ कि दोनो पक्ष मामला पंच-फैसलेको सौंप दें। पूरी चीज देखे विना कोई दूसरी राय नही दे सकता।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८०)की फोटो-नकलसे।

३३२. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१ जून, १९३१

सर चिमनलाल सीतलवाडने हालमें गोलमेज परिषद्के प्रति गांधीजी के रुखके बारेमें एक वक्तव्य दिया था। उसके सम्बन्धमें 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधि द्वारा भेंट किये जानेपर गांधीजीने कहा :

सर चिमनलाल सीतलवाडने मेरे बारेमें जो भी कहा, उसके सम्बन्धमें मुझसे प्रश्न पूछकर आप मुझे संकोचमें डाल रहे हैं। उनकी उम्र और उनके बडप्पनके वलपर उनको पूरा अधिकार है कि वे अपर्याप्त जानकारीके आधारपर भी जैसे चाहें वक्तव्य दे सकते हैं। मेरे जैसे छोटे-मोटे व्यक्तियोकी आलोचना उन्हें नहीं छू सकती।

और हालाँकि इस नाजुक वार्ताके दौरान मैं वहुत ज्यादा खुलासा करके तो कोई वात नही कह सकता, पर मोटे तौरपर इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैंने कम-से-कम अपनी जानकारीमें तो ऐसा कोई काम नही किया है जो समझौतेको खटाईमें डाल दे या उसके विरुद्ध पड़े।

१. तार इस प्रकार था : "गांधी सेवा समितिके साइनबोर्डको लेकर हिन्दू-मुस्लिम झगडा। इतने ऊँचे साइन बोर्डसे कोई बाधा न पडनेपर भी मुसलमान उसके नीचेसे जुलूस [ताजिये] निकालनेको तैयार नहीं। . . . हिन्दू लोग कुछ घंटोंके लिए भी उसे हटानेको राजी नहीं। . . . सारे शहरमें आतक. . . !"

इन परिस्थितियोमे हालाँकि मै गोलमेज परिषदमें शामिल होनेके लिए राजी हूँ और उत्सुक भी हूँ, लेकिन समझौतेको मै जितना समझ पाया हूँ, उसमे तो ऐसी कोई चीज मुझे नही दिखाई पडती जिसके कारण काग्रेसके लिए गोलमेज परिषद्में शामिल होना अनिवार्य ही हो जाता हो, इसलिए कि वह चर्चा शुद्ध रूपसे सिद्धान्तो की ही चर्चा है और उसके दौरान उपस्थिति अनुपस्थितिका कोई प्रश्न बिल्कुल उठा ही नही।

यह पूछे जानेपर कि क्या उनका रुख लगातार बदलता रहा है, महात्मा गांधीने कहा :

मुझे तो नही मालूम कि मैंने ऐसा कुछ किया है।

वे गोलमेज परिषद्में भाग लेंगे या नहीं — इस प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा :

यदि मै गोलमेज परिषद्मे शामिल हो सका, तो मै वहाँ एक दर्शक-मात्र बनकर नही रहूँगा, मै उसकी कार्रवाईमे पूरी तौरपर भाग लूँगा और अपने पूरे उत्साह तथा समूची शक्तिसे काग्रेसकी माँगे गोलमेज परिषद्के सामने पेश करूँगा।

यह पूछनेपर कि क्या बारडोलीमें कोई गतिरोध पैदा हो गया है, महात्मा गांधीने कहा :

मैंने श्री वल्लभभाई पटेलके साथ जाकर कलेक्टरसे मुलाकात की थी और वह काफी अच्छी रही। मुझे आशा है कि सब-कुछ सन्तोषप्रद ढगसे तय हो जायेगा।

एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या बारडोली या बोरसदमें सन्धिकी शर्तोंका कोई उल्लंघन हुआ था। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा :

मै इस प्रश्नका उत्तर नही देना चाहूँगा क्योकि बारडोली और बोरसद दोनो ही से सम्बन्धित अनिर्णीत प्रश्नोको तय करनेके लिए वार्ता अब भी चल ही रही है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-६-१९३१

३३३. तार : तमिलनाडु सम्मेलन, मदुराको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
२ जून, १९३१

तमिलनाडु सम्मेलन
मदुरा

सम्मेलनकी सफलताकी कामना। निस्सन्देह विदेशी वस्त्र बहिष्कारका दारोमदार धरनेकी अपेक्षा खद्दरपर अधिक।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८२) की माइक्रोफिल्मसे।

३३४. तार: कोम्ब्रावेलको

कोम्ब्रावल
वाल्मट्टी
मंगलौर

मेरी रायमें अनुमति नहीं दी जा सकती।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८३) की माइक्रोफिल्मसे।

३३५. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' प्रेसके बारेमें हुई हमारी बातचीत[1] आपको याद होगी। आपने शायद कानूनी सलाह[2] ली है? मैं जितने भी लोगोंसे राय ले पाया हूँ, वे यही कहते हैं कि इस धाराका अर्थ निश्चित रूपसे यही है कि उसी स्थानपर सुपुर्दगी दी जाये, जहाँसे सम्पत्ति हटाई गई थी। मैं जानना चाहूँगा कि आपके वकील इस सम्बन्धमें क्या कहते हैं। इस बीच स्थिति यह है कि प्रबन्धकोंके स्वामित्वमें उपयुक्त किस्मकी मशीनें और अन्य सामग्री होनेके बावजूद, 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' को अभी भी कठिनाई हो रही है।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६–बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. इस विषयमें गांधीजीके पहले पत्रके लिए देखिए "पत्र: आर० एम० मैक्सवेल्को", ७-५-१९३१।
२. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १४-६-१९३१।

३३६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय चार्ली,

आपके दो बहुमूल्य पत्र मिले। मैं समझ गया कि आप चाहते हैं, मैं जल्दी-से-जल्दी इग्लैंड पहुँच जाता — सम्भव हो, तो हवाई डाककी तरह। लेकिन मैं तो फुदक भी नही सकता। मुझे अवतक मार्ग नही सूझ रहा है। मेरी इच्छा तो वहाँ आनेकी है, पर अन्दरसे आवाज आती है — "नही," और बाहरी वातावरण अतरकी आवाजके मार्ग-दर्शनका ही समर्थन करता है। आप जानते ही हैं कि कांग्रेसकी माँगों की भाषा कुछ अधिक स्पष्ट रूपमें दो टूक है। वह अन्यथा हो भी नही सकती थी। यदि हम अपने ही घरमें साम्प्रदायिक समस्या तकको हल न कर पाये, तो फिर मै लन्दनमें आत्मविश्वासके साथ एक अविचलित स्वरमे अपनी बात नही कह सकूँगा। इसलिए मुझे नही लगता कि यदि साम्प्रदायिकताका निवटारा न हो पाया और सर्वसम्मतिसे कोई काम-चलाऊ समझौता न हो सका तो अपने अन्दर उतना आत्मविश्वास पैदा कर सकूँगा जितना कि काग्रेसका सन्देश देनेके लिए अपेक्षित है। यह रही गोलमेज परिषद्की बात। ब्रिटेनके मत्रीगण यदि काग्रेसके दृष्टिकोणकी चर्चा करने और उसे समझनेके लिए वहाँ मेरी उपस्थिति आवश्यक समझेंगे तो मैं जरूरत पडनेपर आ सकता हूँ और वे चाहे तो उनमे थोडा प्रचार-कार्य भी कर सकता हूँ। लेकिन तब फि दिल्ली समझौता भी तो है। मेरा कर्त्तव्य है कि मै देखूं कि कोई अकेला आदमी जितना प्रयत्न कर सकता है, वह मैं समझौता-भग न होने देनेके लिए अवश्य करूँ। बम्बई सरकारने मुझे युद्धकी घोषणा करनेका पर्याप्त कारण दे दिया है, लेकिन मैं धैर्यसे काम ले रहा हूँ, इतने धैर्यसे कि यदि आपको सारी बातें मालूम होती तो आपको मेरे धैर्यपर आश्चर्य ही होता। छोटी-छोटी बातोमें भी उनके अमलके समय ऐसा लगता है जैसे कोई मजबूत दाँत बाहर खीचा जा रहा हो। लेकिन मैं अपनी इन परेशानियोसे आपको परेशान नही करना चाहता। मैं उनको हँसते हुए झेल रहा हूँ और विरोधको खत्म करता जा रहा हूँ। ईश्वरकी कृपासे केन्द्रीय सरकारकी सहायता मुझे मिल रही है। मेरा विश्वास है कि श्री एमर्सन मुझे भली-भाँति समझते हैं और वे सब ठीक कर देंगे। लेकिन प्रान्तीय सरकारें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकती हैं, जिनपर मेरा और उनका, किसीका भी वस न चले। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँतक काग्रेसकी बात है, काग्रेसी समझौतेको जिस निष्ठाके साथ कार्यान्वित कर रहे हैं उसकी तो मुझे आशा नही थी। वैसे कभी-कभी धरनो आदिमे उत्साहका अतिरेक दिखाई पडता है, लेकिन उसे तुरन्त ही काबूमें ले लिया जाता है। जिनको भी जरूरत मालूम पडे उनको आप मेरी ओरसे आश्वस्त कर सकते हैं।

मैं परिषद्की बैठकोमे शामिल होनेका इच्छुक हूँ और वार्ताके जरिये स्थायी शान्ति स्थापित करने तथा संवैधानिक समस्याओके बारेमें सम्मानपूर्ण समझौता करनेके लिए भरसक प्रयत्न करूँगा। मुझे वास्तवमें रोकनेवाली चीज अगर कोई है तो बाह्य परिस्थिति ही है। लेकिन अब तो गोलमेज परिषद् और उसकी समितियोकी बैठक स्थगित कर दी गई है और उसके स्थगनके कारणोका मेरे इस संकोचसे कोई सरोकार नही। इसलिए यदि परिषद्के अतिरिक्त अन्य कारणोसे मेरी उपस्थिति वहाँ अपेक्षित न हो गई हो, तो मेरे वहाँ आनेकी बातको लेकर जल्दबाजी करनेकी जरूरत नही रह गई है। आप जितना चाहते थे, मैंने आपको उतना बतला दिया है।

मैं फिलहाल बारडोलीमे सब ठीक-ठीक करनेमे लगा हुआ हूँ।

गुरुदेव शायद अस्वस्थ हैं।

सस्नेह,

मोहन

अंग्रेजी (एस० एन० ९६८) की फोटो-नकलसे।

३३७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। सुभाष बाबू यहाँ आये थे। वे प्रत्यारोपोकी एक लम्बी-चौडी फेहरिस्त साथ लाये थे। अब मैंने दोनोको तार द्वारा कह दिया है कि यदि दोनो ही पारस्परिक सहमतिसे अपना मामला मध्यस्थको सौंप दें और यदि वे किन्ही स्थानीय व्यक्तियोको मध्यस्थ बना ले और उनके फैसलेको स्वीकार करके चले तो यह अशोभनीय विवाद समाप्त हो सकता है। जो भी हो, मैं ९ तारीखको इसे निबटानेके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है, करूँगा।

'गीता' और 'आत्मकथा' के मामलेमे आपको सफलता मिल रही है। मुझे तो आशा नही थी कि आप इन पुस्तकोकी कुछ भी बिक्री कर पायेंगे।

यह जानकर खुशी हुई कि आपका वजन कुछ बढा है, लेकिन और काफी बढना चाहिए। मैं पूर्ण विश्वासके साथ कहता हूँ कि आपको अपने शरीरके लिए आवश्यक भोजन लेनेमे कोई कसर नही रखनी चाहिए। मांस और मछलीका त्याग करना ही आपके लिए बहुत काफी है। आपको दूध और दही काफी मात्रामें लेना चाहिए और ऐसे ताजा फल भी जो आसानीसे मिल सकें। मैंने यही बात हेमप्रभा देवीको भी लिखी है। उनका निखिलके[1] दुखमे अपने शरीरके लिए आवश्यक भोजन न लेना बहुत गलत है। मेरी यह धारणा दिन-दिन पुष्ट होती जा

१. सतीशचन्द्र दासगुप्तका पुत्र, जिसका स्वर्गवास १९२८ में हो गया था।

रही है कि इस प्रकारके आत्मत्यागमें कोई अच्छाई तो है ही नहीं, बल्कि यह अपनेआपमें प्राकृतिक नियमोका उल्लघन है। भोजनका त्याग तभी गुणकारी होता है जब वह स्वादके मामलेमे जिह्वाको नियन्त्रणमें रखने या किसी उपचारके लिए किया जाये।

आपने मुझे कतैयोकी ओरसे १८२८में लिखे गये जिस पत्रका अनुवाद भेजा था, उसे मैंने 'यग इडिया' में प्रकाशित कर दिया था।[१] अब किशोरलाल मशरूवालाने उसकी प्रामाणिकतापर सन्देह प्रकट किया है। उनका कहना है कि पत्रकी भाषा और उसमे रखे गये विचार भी बहुत आधुनिक मालूम पडते हैं। आपके पत्रको यदि मैं ठीक-ठीक समझ पाया हूँ तो आपने उसमें उल्लेख किया था कि आपके पास उस समाचारपत्रकी प्रति मौजूद है जिसमें पत्र-प्रकाशित हुआ था।

सस्नेह,

बापू

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर (कलकत्ता)

अग्रेजी (जी० एन० ८०३४)की फोटो-नकलसे।

३३८. पत्र : ए० जी० बटको

२ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[२] मिल गया। आप मेरे कथनके सत्यका साक्षात्कार प्रार्थना, आत्म-शुद्धि, चिन्तन, उपवास और श्रम-साध्य अध्ययनके बलपर कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी (एस० एन० १७१६४)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "अठारह सौ अट्ठाईसमें", २१-५-१९३१।

२. ए० जी० बट्टने २९-५-१९३१ को शिमलासे लिखे अपने पत्रमें "बीसवीं सदीकी एक सती", ३-५-१९३१ गाधीजी के एक लेखका उल्लेख करते हुए कहा था कि आत्माकी अमरताके पक्षमें कही गई बातपर विश्वास नहीं जमता।

३३९. पत्र : सर डब्ल्यू० जे० वेनलेसको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी जो सेवा की थी उसकी स्मृति तो मेरे दिमागमें बहुत ही स्पष्ट है,[1] लेकिन एक अरसा हुआ मैंने इस प्रकारकी सेवाका किसी भी प्रकारका कोई पारिश्रमिक देनेकी बात सोचना बन्द कर दिया है। और मैं तो स्वयं ऐसी सेवा करनेमें लगभग असमर्थ ही हो गया हूँ। इसलिए इधर वर्षोंतक मैंने लोगोंकी बस एक ही सेवा की है — उनको हार्दिक धन्यवाद देना; और मेरे जैसे निर्धन व्यक्तिके हृदयसे निकला धन्यवाद आशीर्वाद बन जाता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझपर अनेकानेक लोगोंने निजी तौरपर कृपाएँ की हैं। आप जरा सोचिए कि सार्वजनिक कार्योंके ही सिलसिलेमें अपने परिचित धनीमानी व्यक्तियोंसे अगर मैं अपने कृपालुओंके श्रमके लिए दान इत्यादि माँगना शुरू कर दूँ तो मेरी क्या स्थिति हो जायेगी और क्या स्थिति होगी उन समृद्ध व्यक्तियोंकी। इसलिए आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी मेरी असमर्थताके लिए आप मुझे क्षमाकर देनेकी कृपा करें।

हृदयसे आपका

डॉ० सर डब्ल्यू० जे. वेनलेस
१०१६, मेटीलिजा रोड
ग्लेन्डेल, कैलीफोर्निया (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८८)की फोटो-नकलसे।

१. सम्भवत १९२७ की बीमारीमें प्रेषीने गांधीजीका इलाज किया था उससे संकेत है; देखिए खण्ड ३३, पृष्ठ २०९-१०।

३४०. पत्र : एन० जी० जोशीको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

निपानीके फौजदारी मुकदमेके तथ्योंके विवरणका आपका पत्र मुझे मिल गया। जहाँ हिंसाका कोई भी आरोप है, वहाँ मामला प्रान्तीय सरकारपर निर्भर करेगा। मैं उसमें जो भी लिखा-पढ़ी करूँगा, उसकी सफलताकी सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं सलाह दूँगा कि बाकायदा मुकदमा लड़ा जाये।

हृदयसे आपका,

श्री एन० जी० जोशी
अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी
बेलगाँव

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८९)की फोटो-नकलसे।

३४१. पत्र : सर कावसजी जहाँगीरको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय सर कावसजी,

मेरे पत्रकी[1] प्राप्ति-सूचना तुरन्त भेजने और सरदार गरदाके कब्जेमें मौजूद जमीनके सिलसिलेमें अब भी जारी आपके प्रयत्नोंके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। मुझे लगता है कि सौदा पक्का करनेका वह पत्र लिखनेके बाद सम्पत्तिको हस्तान्तरित करना सरदार गरदाके लिए कानूनन अनिवार्य हो गया है। उनके पत्रके उत्तर में मैंने इसी आशयका[2] पत्र उनको लिखा है। मैं और आगे भी जाँच-पड़ताल करता रहा हूँ और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उनके लगाये आरोपोंमें कोई सार नहीं है। बल्कि उल्टे वे ही जनताको आतंकित किये हुए हैं। उनकी जमीनसे आम तोड़नेके अपराधमें बारह वर्षसे कम अवस्थाके लड़के गिरफ्तार किये गये थे। आपके ताल्लुकेकी जानकारी नहीं है। आमके दरख्त सरकारी संरक्षणमें नहीं हैं और प्रदेश-भरमें शरारती लड़के आमोंके मौसममें खूब आम तोड़ते फिरते हैं और उनको कोई भी नहीं टोकता। मैं ठीक नहीं कह सकता कि गिरफ्तार किये जानेवाले शरारती

१. देखिए "पत्र : कावसजी जहाँगीरको", २६-५-१९३१।
२. देखिए "पत्र : फ्रामरोज बी० गरदाको", २६-५-१९३१।

लड़कोने उनके आमोंपर ही हाथ साफ किया था या नही। मान लीजिए, किया भी हो, तो उनपर किसीका नियन्त्रण नही होगा। फिर भी वे इस प्रकारकी घटनाओ को लेकर अपना आरोप-पत्र तैयार कर देते है, हालाँकि तग किये जानेके उनके तथा-कथित आरोपसे इन घटनाओका कोई सम्बन्ध ही नही।

कुमारी वी० कान्ट्रैक्टरकी शिकायतके बारेमे मै आपके पत्रकी राह देख रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री कावसजी जहाँगीर
टैम्पल हिल
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

३४२. पत्र: शारदाबहन चि० शाहको

२ जून, १९३१

चि० शारदा,

पत्र मिला। लगता है, इन दिनो तेरी तबीयत ठीक चल रही है। तुम सब भी मेरी ही तरह पत्र लिखनेमे सुस्त बन गई हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९०२)से।
सौजन्य. शारदाबहन जी० चोखावाला

३४३. पत्र: नानीबहन झवेरीको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० नानीबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम विद्यापीठमे रह गईं उसके लिए माफी माँगनेकी बिलकुल जरूरत नही। वहाँ रहना कोई गुनाह नही है। वहाँ सीखोगी ही इसलिए सन्तोषपूर्वक रहना, स्वास्थ्य सुधारना, मनका विकास करना। मुझे पत्र लिखती रहना। गंगाबहनके भी वही आनेकी काफी सम्भावना है।

बापूके आशीर्वाद

गजराती (जी० एन० ३११५)की फोटो-नकलसे।

३४४. पत्र: मणिलाल और सुशीला गांधीको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम दोनोका स्टीमरसे लिखा पत्र मिल गया था। तुम लोगोके पहुँचनेकी खबर भी मिल गई है। इस बार तुम्हारे नियमित रूपसे आनेवाले पत्रकी राह देखूंगा।

बा मेरे साथ बारडोलीमें है। शिमलामे भी साथमे ही थी। विलायतका अभी तो कोई पक्का कार्यक्रम नही बना। हिन्दू-मुस्लिम समस्याका कोई हल अभी ही दूर लगता है। बाकी ठीक है।

ज्यादा लिखनेका समय नही है।

सीता उर्फ तो भूल गया हूँ, अब तो फिर मोटी हो गई होगी। वहाँ बीमारी तो होनी ही नही चाहिए। इसी तरह सुशीला भी मोटी हो जाये तो कितना अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७८४)की फोटो-नकलसे।

३४५. पत्र: हरि-इच्छा देसाईको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० हरिइच्छा,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनोके बाद मिला। आँखका इलाज जल्दी ही कर लेना चाहिए। उसका उपाय यह है: जितना सहन हो सके उतने गर्म पानीमें थोडा नमक डालकर रोज आँखें धोयें। नमक बिलकुल साफ और थोडा-सा ही होना चाहिए। इससे आँखोपर छींटे भी दे। फायदा होना होगा तो एक ही दिनमें इसका असर समझमें आ जायेगा अर्थात् आँखका तेज बढा हुआ मालूम होगा। रातको सोते समय कपडा दूधमे भिगोकर आँखपर बाँधकर सो जाना। ९ तारीखको बम्बई जाना है। ११ को वापस आऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

बच्चोको जरूर लाना।

गुजराती (जी० एन० ७४६७) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ४९१३ से भी।
सौजन्य: हरि-इच्छा कामदार

३४६. पत्र : बबलभाई मेहताको

वारडोली
२ जून, १९३१

चि० बबलभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

१ विदेशियोपर लागू कानूनके अनुसार हुक्म मिले तो उसे न माना जाये।

२. अपने निवास-स्थानपर भेज दिया जाये तो वहाँ वेजा वन्धन स्वीकार न किये जाये।

३. जेलमें समझौतेकी खबर मिले तो उसे कुछ महत्व न दिया जाये। जो लोग बाहर बैठे है वे जो-कुछ करना चाहे करे।

४. प्राप्त आदेशकी रसीद देनेमें कोई हर्ज नही है।

तुमने जेलमे नियमोका पालन किया और बाहर भी कर रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

तुम्हें जो बाते लिख रहा हूँ इनमे स्थितिके अनुसार फेरफार तो हो ही सकता है। ये विचार मैंने लिखे हैं; तो भी जिस समय जैसा योग्य लगे वैसा ही करना।

वापू

गुजराती (एस० एन० ९४५३) की फोटो-नकलसे।

३४७. प : नारायण मोरेश्वर खरेको

२ जून, १९३१

चि० पण्डितजी,

ठक्कर बापा लिखते है कि डाकोरमे जो भगियोका सम्मेलन हुआ था उसके लिए तुमको बुलाया था किन्तु तुम नही जा सके। क्या यह ठीक है?

रामभाऊ कैसा चल रहा है?

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१६) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: लक्ष्मीवहन खरे

३४८. पत्र : रामभाऊ खरेको

२ जून, १९३१

चि० रामभाऊ,

तूने अलमोड़ासे तो बहुत ही कम पत्र लिखे थे। क्या वहाँ भी आलसी ही बना रहेगा? क्या अब आलस्य छोड़ नही देना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८९) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

३४९. पत्र : नारणदास गांधीको

२ जून, १९३१

चि० नारणदास,

क्या आश्रमका कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी दृष्टिमें है जो भगी सेवा-कार्यके लिए आगे आये?

लालजी कैसा काम करता है? खर्चके अनुपातमे काम कर लेता है?

लाल बंगलेमे कोई रह रहा है या वहाँ कोई सोता है? क्या गिरिराज बहक गया है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१से।

३५०. पत्र : छगनलाल जोशीको

२ जून, १९३१

चि० छगनलाल,

सुरेन्द्रके पत्रने तुम्हे उलझनमे डाल दिया लगता है। उसने कई बातोकी खिचडी बना डाली है, इसीलिए तुम्हे उनका सार समझनेमे कठिनाई हुई है। सुरेन्द्र आश्रममें जाये, यह एक स्वतन्त्र विचार है और उसके ये कारण हैं।

१. मुझे कराडीमे उसकी खास आवश्यकता नही दिखाई दी।

२. विशेष प्रयत्न करके दूसरी जगह ढूँढे और वहाँ रहे, हम अपरिग्रही ऐसा नही कर सकते।

३. वर्तमान स्थितिमें ऐसे व्यक्ति आश्रम चले जाये तो इसमे तनिक भी बुराई नही है।

४. सरदारकी यह इच्छा जरूर है कि सुरेन्द्र या आश्रमके दूसरे सदस्य जो परिस्थितियोके अनुसार अपनेको न ढाल सके, आश्रममे ही चले जाये तो अच्छा है।

इस बातके साथ-साथ जिन दूसरी बातोपर चर्चा हुई उनका सार यह है:

१. जो आश्रमवासी आश्रम-नियमोका पालन करनेमे शिथिल हो और बाहर रहकर काम करना चाहिए, ऐसा बहाना बनाकर आश्रम न जाये, उन्हे आश्रममें वापस चले जाना चाहिए।

२. जिस आश्रमवासीकी बाहर आवश्यकता हो और जो नियमोका पालन कर सकता हो उसका कर्त्तव्य है कि बाहर रहकर कार्यक्रममे योग दे।

३. एक गाँवमे एक ही कार्यकर्त्ता जाये, यह अधिक वाछनीय है।

४. हो सकता है कि एकसे ज्यादा कार्यकर्त्ता होनेसे काम कम पड जाये और फिर दो कार्यकर्त्ताओके छोटे-से आपसी मतभेदके कारण भी लोगोका विश्वास डिग जाये।

५. सम्भव है कि दरबारीने तीन-चार आश्रमवासी कार्यकर्त्ताओको देखकर सोचा हो कि मेरा जो स्थान था, वह अब नही रहा और ऐसा सोचकर वह चला गया हो।

६. जहाँ अपनी सेवाकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध न हो वहाँसे भाग आयें। मैंने क्या कहा है इसका दूसरो द्वारा किया गया वर्णन स्वीकार करनेसे पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – श्री छगनलाल जोशीने

३५१. पत्र : खुशालचन्द गांधीको

बारडोली
२ जून, १९३१

पूज्य भाईश्रीकी सेवामे,

नारणदासको लिखा आपका पोस्टकार्ड पढकर दु:ख हुआ। आपने पत्र कांपते हाथोसे लिखा है। इससे कमजोरी जाहिर होती है। नारणदासके आनेसे थोडी शान्ति मिली होगी। देह रहे तो भी क्या, न रहे तो भी क्या, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। मुझे पत्र लिखवाइए।

आप दोनोको,

मोहनदासके दण्डवत्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२२०)से।
सौजन्य : नारणदास गाधी

३५२. पत्र : रसिक देसाईको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० रसिक,

पत्र मिला। फोडे तो खूनकी खराबीके कारण होते है। यह केवल फल और दूधका आहार लेनेसे ही दूर हो सकती है।

तू विद्यापीठ या कही और जाना चाहे तो ऐसा करनेकी योग्यता तो होनी ही चाहिए। जो अपना काम छोड़कर विद्यापीठमें जाता है, वह जाने योग्य नही है। आश्रममे पूरी तरह पढना नही हो पाता, यदि कोई यह बहाना लेकर पढनेके लिए विद्यापीठमे जाये तो वह भी जाने योग्य व्यक्ति नही है। स्वराज्य सेवाकी खातिर जिसकी उपस्थिति विद्यापीठमे जरूरी है और जो इसके लिए वहाँ जाता है वही ऐसा करने योग्य है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

जयन्तसे कहना कि उसके पत्रमें जवाब देने लायक कुछ नही था, इसलिए नही लिखा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४३५०)से।
सौजन्य : रसिक देसाई

३५३. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

वारडोली
२ जून, १९३१

चि० हेमप्रभा,

तुमारा खत मिला है। मेरा अगला खत मिला होगा।

पुत्रके या ऐसे प्रियजनके मृत्युके बाद खाना कम करना या छोडना अज्ञान हि मानो। उसमे कुछ भी पुण्य नहिं है। मरे हूए के पीछे सेवावृत्ति वढाना, सव आत्माका ऐक्य पहचानना, देहका मिथ्यात्व जानना धर्म है शुद्ध श्राद्ध है। खाना कम करना या कुछ बीज छोडना तो स्वादेंद्रि वश करनेके कारण या शारीरिक व्याधि दूर करनेके कारण हो। प्रियजनके मृत्युके साथ भोजन त्यागका कोई सवध नहिं है। इसलिये जागृत हो जाओ निखिलके[1] मृत्युका भूल जाओ और सेवाके कारण देहको सुधारनेकी चेष्टा करो। दूध दही और फल खानेकी आवश्यकता है। पैसेका कष्ट है तो लिखो।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६८७ की फोटो-नकलसे।

३५४. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

बन्दूकों-तमंचों आदि शस्त्रोके प्रश्नके सम्बन्धमें अभी निर्णय करना है। मुझे मालूम नही कि आपने इस मामलेमे कानूनी सलाह ले ली है या नही। कानूनी सलाह कुछ भी हो, 'अवैध रूपमें रखना' शब्दोंके बारेमें अपना सुझाव रखते समय इस विषयमें जो बातचीत हुई थी वह मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मूल प्रारूप को देखनेपर आपको शायद वह पूरी बातचीत याद आ जायेगी, क्योंकि उसमें बन्दूक-तमंचों आदिको शामिल नही किया गया था।

१. हेमप्रभा देवीके पुत्र निखिलका देहान्त जुलाई, १९२८ में हुआ था।

मैं मथुरा और लुधियानाकी घटनाओंकी आपको याद दिला दूं। इन दोनो मामलोकी गहराईसे जाँच की जानी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या, १६–बी, १९३१।
सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

३५५. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपको याद होगा कि हम लोगोने स्कूल छोड देनेवाले विद्यार्थियोके प्रश्नपर चर्चा की थी। हर तरफसे शिकायतोका ताँता लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन विद्यार्थियोको बिना किसी शर्तके स्कूलोमें वापस ले लेना अत्यन्त ही आवश्यक है। दण्ड देनेके लिए उनको ही चुने जानेके विचार-मात्रसे दिल काँप उठता है।[1]

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६–बी, १९३१।
सौजन्य : गाधी स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. एमर्सनने २ जुलाईको उत्तर दिया था कि "विद्यार्थीको पूरी तौरपर एक व्यक्ति नहीं ही माना जा सकता। वह एक संगठित संस्थाका सदस्य होता है, और किसी व्यक्तिको लाछित करनेके उद्देश्यसे नहीं, बल्कि संस्थाके हितको देखते हुए बहुधा यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसी शर्तें लगाई जायें जिनसे अनुशासन स्थापित हो सके। ये विचार हैं जिनको प्रान्तीय सरकारें निस्सन्देह काफी महत्त्व देती हैं और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि समझौतेकी चर्चाके समय यह प्रश्न उठाया गया होता तो प्रान्तीय सरकारोंने भावी आचरणके लिए किसी भी तरहकी गारटी लिये बिना विद्यार्थियोंको फिरसे दाखिला देनेकी बातपर डटकर आपत्ति की होती, भले ही पढ़ाई छोडनेके कारण कुछ भी हों, विद्यार्थीने पढाई छोडी हो या उसे शिक्षण संस्थासे निकाल दिया गया हो। इन परिस्थितियोंमें भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि प्रान्तीय सरकारोंको एक ऐसा काम करनेके लिए बाध्य किया जाये जो समझौतेकी हदसे बाहर पडता है। . . ."

३५६. पत्र : जी० वी० केतकरको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

हाँ, श्री राजवाडेके मामलेको लेकर मुझे काफी परेशानी और चिन्ता रही।

श्री राजाके[1] मामलेके पूरे कागजात मुझे अभी-अभी मिले है। मै उनका अध्ययन कर रहा हूँ।

चिरनेरके मामलेमे अभी इस समय कुछ भी नही किया जा सकता।

देवने[2] हाल ही मे मुझे पत्र लिखा था।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्रीयुत जी० वी० केतकर
'केसरी' और 'मराठा' कार्यालय
५६८, नारायण पेठ
पूना शहर

अग्रेजी (जी० एन० ७९६५)की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० ९८० से भी।
सौजन्य: जी० वी० केतकर

१. एच० डी० राजा।

२. शकरराव देवने महाराष्ट्रमें काग्रेस कमेटियोके चुनावके बारेमें गाधीजी को लिखा था। गाधीजीके सचिवने पत्रके अन्तमें निम्नांकित पुनश्च जोड दिया था· "मुझे आशा है कि आप कोई काम-चलाऊ नुसखा निकाल सकेंगे। शकरराव देवको गाधीजीका उत्तर।"

३५७. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको[1]

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

तुम्हारा भेजा हुआ डॉ० टी० दासका पत्र मुझे मिल गया है। मैं नही समझता कि हम इस मामलेमें कुछ कर सकते हैं।

आशा है बम्बईमें ९ तारीखको तुमसे भेंट होगी।

बापू

श्री जे० सी० कुमारप्पा[2]
बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १००९४)की फोटो-नकलसे।

३५८. पत्र : एस० एन० बाटलीवालाको[3]

३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

पिछले महीनेकी २० तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा लेख आपको 'यंग इंडिया'में 'क्या बहिष्कार एक आर्थिक आवश्यकता है'[4] शीर्षकसे मिलेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०६)की माइक्रोफिल्मसे।

१ जे० सी० कुमारप्पाके २७ मईके पत्र (एस० एन० १७१६२)के उत्तरमें।

२. साधन-सूत्रमें "एच० कुमारप्पा" लिखा है।

३. एस० एन० बाटलीवालाने दिनांक १९-५-१९३१ के टाइम्स ऑफ इंडियामें प्रकाशित भारतीय आर्थिक संकटसे सम्बन्धित अपने लेखकी एक प्रति संलग्न की थी, जिसमें बतलाया गया था कि विदेशी वस्त्रपर ३५ प्रतिशत आयात-कर लगाकर भारतीय जनताका रक्त किस प्रकार चूसा जा रहा है और भयंकर आर्थिक मन्दीके कालमें विदेशी वस्त्रोंका भारी परिमाणमें आयात करनेसे किस तरह भारतीय रूईकी कीमत गिर गई है।

४. दिनांक ४-६-१९३१ के अंकमें "क्या वह आर्थिक आवश्यकता है", शीर्षकके अंतर्गत।

३५९. पत्र : विलियम हेडॉर्नको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। यदि लन्दन जानेमे सफल हुआ तो सचमुच मै विभिन्न स्थानोपर जाना भी पसन्द करूँगा। लेकिन ऐसा हो सकेगा या नही, मै नही जानता। फिर भी यदि यूरोपमे विभिन्न स्थानोपर मेरा जाना हो सका तो निश्चय ही आपका परिचय प्राप्त करके प्रसन्नता होगी।

हृदयसे आपका,

श्री विलियम हेडॉर्न
हैमबर्ग २४ (जर्मनी)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९२)की फोटो-नकलसे।

३६०. पत्र : चार्ल्स एस० फील्डको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

मै आपके पत्रकी कद्र करता हूँ और यदि अमेरिका जाता तो मैने आपसे परिचय अवश्य प्राप्त करता। लेकिन आप समझ ही गये होगे कि वह एक बेसिर-पैरकी अफवाह ही थी। और उसीने कुछ लोगोमें आशा और शायद कुछमे आशंका भी जगा दी थी कि मै शायद अमेरिकाकी यात्रा करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री चार्ल्स एस० फील्ड
डलास टैक्सास (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९३)की फोटो-नकलसे।

३६१. पत्र : दरभंगा महाराजको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

बोरसदसे पुनः प्रेषित आपके तारके लिए धन्यवाद। आपने जोतदारोंके जिस घोषणापत्रका उल्लेख किया है, वह मेरी नजरसे नहीं गुजरा। आप यदि उसे भेजनेकी कृपा करें तो देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

हृदयसे आपका,

दरभंगा महाराज

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९४)की फोटो-नकलसे।

३६२. पत्र : गर्ट्रूड एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय बहन,

आपका यह सोचना बिलकुल ठीक ही है कि यदि मुझे यरवदामें भी आपकी पुस्तक[1] पढ जाने लायक शान्त वातावरण नहीं मिल सका तो फिर उस शान्ति-कुटीरसे बाहर तो इसकी कोई सम्भावना ही नहीं है। जेलमें एक सहयोगी बन्दीने आपकी पुस्तक पढनेको ले ली थी और अपनी रिहाईके समय वे उसे साथ ही लिये चले गये। मेरे रिहा होनेपर उन्होंने पुस्तक तब लौटाई जब मैं अशेष कामोंमें जुटा हुआ था। रिहाईके बाद मुझे चैन ही नहीं मिली। मेरे शरीरकी रही-सही शक्ति हाथका काम ही ले लेता है।

आप जब भी आयें, आश्रममें आपका स्वागत होगा।

कुमारी गर्ट्रूड एमर्सन
मारफत 'एशिया'
४६८, फोर्थ एवेन्यु
न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९५)की फोटो-नकलसे।

१. तात्पर्य शायद १९३० में प्रकाशित वॉइसलेस इंडियासे है।

३६३. पत्र : कोंडा वेंकटप्पैयाको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय वेंकटप्पैया,

मुझे इस बातकी खुशी है कि आपने बापी नीडूके बारेमें मुझको पूरे विस्तारसे लिखा। मैंने उनको आश्रममें रखने और परिवारके उनके आश्रित सदस्योंके लिए तैंतीस रुपये प्रति मास देनेका प्रस्ताव रखा है।[1] उन्होंने इतनी ही रकम माँगी थी। परन्तु यदि आप उनको वहीं अपनी निगरानीमें रखकर कुछ करा सकें तो कृपया अवश्य करें। आपकी निगरानी उनको मंजूर भी होगी।

आपकी पत्नी कैसी हैं? आपकी बच्चीके बारेमें सुनकर बड़ा दुःख हुआ; उसे गर्मियोंमें हर बार पहाड़ोंपर तो जरूर जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री कोंडा वेंकटप्पैया
गुन्टूर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९६)की माइक्रोफिल्मसे।

३६४. पत्र : के० पंडार चेट्टीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके सन्दर्भमें। ऐसा नहीं लगता कि आपकी बन्दूकका लाइसेंस असहयोगके कारण जब्त किया गया है। असहयोग आन्दोलनसे असम्बद्ध मामलोंपर 'समझौता' लागू नहीं होता।

हृदयसे आपका,

श्री के० पंडार चेट्टी
कार्डमम प्लान्टर
बोदिनायकनूर (दक्षिण भारत)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९७)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : मगन्ती बापी नीडूको", २८-५-१९३१।

३६५. पत्र : श्रीमती सी० ए० ह्राटेको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय बहन,

मेरे शरीरमें जो-कुछ भी शक्ति है, वह मेरे नियमित जीवन और यथाशक्ति सयम पालनके कारण ही है। यह बिलकुल सच है कि आपपास रहनेवाले मेरे मित्रो पर भी मेरे चित्तकी शान्तिका असर पडता है। यह एक ईर्ष्याकी वस्तु है। ऐसी मानसिक शान्ति, ईश्वर और उसकी कृपापर परम आस्था रखनेसे प्रति-फलित होती है। इस आस्थासे ही मुझे परिणाम या फलकी चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहकर अपना नियोजित कर्म विनम्रतापूर्वक करते रहनेकी सामर्थ्य मिलती है।

मेरा विश्वास है कि अपच एक ऐसी चीज है जिसपर हरएक आदमी काबू पा सकता है और उसे दूर कर सकता है। उचित भोजन विषयक सलाह दे सकनेके लिए आपने पत्रमे जितनी बाते लिखी है, उससे बहुत अधिक जानकारी आवश्यक होगी। मै जानना चाहूँगा कि जब आपको अपच हो जानेका अनुमान होता है तब आपको कैसा लगता है। क्या आपकी आँतें ठीक काम कर रही है? आप कितने अर्सेसे अपचसे पीडित है? इस समय आप भोजनमें क्या-क्या ले रही हैं, कितनी मात्रामें और कितनी बार? आप कौन-सा व्यायाम कर रही है? पूरे दिनकी चर्या क्या रहती है?

हृदयसे आपका,

श्रीमती सी० ए० ह्राटे
'इन्दु भवन'
३४३ ठाकुरद्वार, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९८)की फोटो-नकलसे।

३६६. पत्र : एस० स्वामिनाथन् चेट्टियारको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

गत २५ मईका आपका पत्र मिल गया।[1] यदि कोई अध्यक्ष कांग्रेस-विधानके किसी नियमको माननेसे जान-बूझकर इन्कार करे तो निश्चय ही वहाँ मौजूद कोई भी सदस्य उसके निर्णयको चुनौती दे सकता है और अविश्वासका प्रस्ताव रख सकता है या सदस्योंके लिए विहित अन्य उपायोंका सहारा ले सकता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० स्वामिनाथन्
उत्तर पोत्तमरै
कुम्भकोणम्

अंग्रेजी (एस० एन० १७२००)की फोटो-नकलसे।

३६७. पत्र : मन्त्री, भारतीय व्यापारी मण्डलको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय महोदय,

मुझे सर्वसम्मतिसे आपके मण्डल (चेम्बर)का अवैतनिक सदस्य चुन लिया गया है, पिछले महीनेकी १९ तारीखके आपके पत्रकी इस सूचनाके लिए धन्यवाद। इस प्रकार मुझे सम्मानित करनेके लिए कृपया मेरी ओरसे मण्डलको मेरा धन्यवाद पहुँचा दीजिए।

आपका विश्वस्त,

मन्त्री, भारतीय व्यापारी मण्डल
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०१)की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें कहा गया था कि कुम्भकोणम् तालुका कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षने एक वकील सदस्यको समितिकी कार्रवाईमें भाग लेनेकी अनुमति दी थी; हालाँकि अन्य सदस्योंने आपत्ति भी उठाई थी कि वह सदस्य आदतन खद्दरधारी न होनेके कारण इसका अधिकारी नहीं था।

३६८. पत्र : अनन्त गोपाल शेवड़ेको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि आपका दावा है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसका आदेश गैरकानूनी है, तो आपको न्यायालयकी शरण लेनी चाहिए। और जब उसके बारेमें कोई शका थी तो उस विषयमें गृहमन्त्रीको लिखकर और जनताके सामने पूरा मामला पेश करके आपने सर्वथा उचित तरीका ही अपनाया है।

हृदयसे आपका,

श्री अनन्त गोपाल शेवडे
प्रचार अधिकारी
प्रान्तीय राजनीतिक परिषद्
सागर (मध्य प्रान्त)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०२)की माइक्रोफिल्मसे।

३६९. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

गत ३० अप्रैलके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा ख्याल था कि किसीने भी इस प्रस्थापनाका गम्भीरतापूर्वक खण्डन नही किया कि देशकी प्रशासनिक व्यवस्थामें भारतीयोकी स्थिति महज क्लर्कों-जैसी[1] है। मैं चाहता हूँ कि आप 'आई० सी० एस०' (भारतीय असैनिक सेवा) के भी कुछ भारतीय सदस्योकी मन स्थितिसे परिचित हो लेते। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कह सकता हूँ कि उनमें भी एक बडी सख्या ऐसे अधिकारियोकी है जो अपनेको क्लर्कोंसे अधिक कुछ महसूस नही करते; हाँ, आप उनको कुछ ऊँचे दर्जेके क्लर्क मान सकते है। लेकिन वह अनुच्छेद लिखते समय मेरे दिमागमे ऊँची-ऊँची तनख्वाहे फटकारनेवाले इन मुट्ठीभर भारतीयोकी नही, बल्कि वास्तविक क्लर्कोंके विशाल समुदायकी बात ही थी।

१. देखिए खण्ड ४५, "राक्षस और बौना", २६-३-१९३१।

इन क्लर्कोकी योग्यता कितनी ही ऊँची क्यो न हो, वे क्लर्कोके दर्जेसे ऊपर उठ ही नही सकते।

और जब मैने कहा था कि भारतीयोका दर्जा अधिक-से-अधिक एक दलालका दर्जा है, तब अपनी समझमें मै शब्दश: सही बात कह रहा था। वैदेशिक व्यापारकी बडी-से-बडी कोई भी मद ले लीजिए। क्या भारतीय व्यापारी उसमे विदेशी मालिकोंके दलाल-भर नहीं है? यदि वे अपने लिए पाँच रुपये कमाते है तो अपने विदेशी मालिकोको ९५ रुपयेकी कमाई कराते है। और जबतक व्यापारकी वर्तमान परिस्थितियाँ बनी रहेगी तबतक दूसरा कुछ हो भी नही सकता। यदि भारत मुख्यत: कच्चा माल निर्यात करने और तैयार वस्तुओका आयात करनेवाला देश बना रहेगा तो सम्भावना इसी बातकी है कि भारतीय व्यापारीका दर्जा दलालोका ही बना रहे, फिर चाहे वे इग्लैडके दलाल हो, या जापान, या अमेरिका या अन्य किसी देशके।

मै आपको कैसे सिद्ध करके दिखलाऊँ कि भारतीय चाहे कितना भी धनी क्यो न हो, उसे रोज-रोज कैसे-कैसे अपमानोका सामना करना पडता है, और उसे किसी भी तरहकी सुविधा नही मिलती, जब कि उसके ब्रिटिश प्रतिद्वन्द्वीको हर सुविधा माँगते ही मिल जाती है। ब्रिटिश जहाजरानी कम्पनियोकी ही बात लीजिए, खान उद्योग हो, या बैंकिंग या अन्य कोई व्यवसाय, हर क्षेत्रमें यूरोपीयोको भारत-भरमें इतनी अधिक रियायते मिलती हैं कि उन्हें गिनाया ही नही जा सकता।

मैंने कहा है कि इग्लैडके व्यापारकी नीव भारतके व्यापारके नाशपर खडी है। पर यह तो मैंने इतिहासज्ञोके कथनको ही दोहराया है। मुझे जरा भी शिकायत न होती यदि यह परिस्थिति-मात्र उद्योगशीलता और जीवटका ही परिणाम होती। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जरा 'इडिया आफिस' के रिकार्डोमे देखें कि "ईस्ट इडिया कम्पनी" कैसे और किन तरीकोसे फैली तथा पनपी है। इस रिकार्डको सकलित करनेका श्रेय ब्रिटिश इतिहासकारोको ही दिया जाना चाहिए।

मैंने जहाँ दोनोको समान स्तरपर लानेकी प्रक्रियाकी बात लिखी है, वहाँ मेरे दिमागमे रूसके बोल्शेविक शासनकी मिसाल नही थी। मेरे लिए शायद यह स्वीकार करना शर्मकी बात है कि मुझे अबतक यही ठीक-ठीक मालूम नही कि बोल्शेविज्म है क्या। और इसका कारण यही है कि रूसी क्रान्तिकी आन्तरिक प्रक्रियाका अध्ययन करनेका मुझे समय मिल ही नही पाया। समान स्तरपर लानेकी प्रक्रियाका सीधा-सीधा अर्थ मेरे दिमागमे यही है कि मेरे ख्यालसे ब्रिटिश वाणिज्य पक्षपातपूर्ण विशेषाधिकारोकी जिस पद्धतिपर खडा किया गया है, वह खत्म कर दी जाय और वैसा करनेके लिए एक दोहरी प्रक्रिया आरम्भ करनी पडेगी। पक्षपात और विशेषाधिकार समाप्त किये जाये और नये भारतीय उद्योगोको राजकीय सहायता और सरक्षण दिया जाये।

मै जानता हूँ कि मै अपने तर्कोके बलपर ही आपका मत बदल देनेकी उम्मीद नही कर सकता। भारतमें मौजूद अग्रेजोसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि वे अपने-आपको एक औसत भारतीयकी आँखोसे देखें और स्वयसे सवाल करे कि

भारतके इतने विशाल समुदायकी उनके प्रति ऐसी भावनाएँ क्यो है। भारतीयोकी भावनाएँ क्या है, यह मै 'यग इडिया'के स्तम्भोमे वहुधा लिखता रहा हूँ। क्या यह हो सकता है कि कुछ ब्रिटिश अर्थशास्त्रियोने जो मत प्रकट किया है और अधिकांश भारतीय अर्थशास्त्रियो, इतिहासकारो और प्रशासकोने भी जो मत प्रकट किया है, वह एकदम असत्य हो? मैने जो कैफियत पेश की है, वह इन लोगो द्वारा जुटाये गये साक्ष्यपर ही आधारित है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उसका समर्थन करता है।

अन्तमे मै यही कहूँगा कि आपके विचारोसे मेरा कितना भी मतभेद क्यो न हो, पर मै आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती समझानेकी अपनी कोशिशमे जो लगन दिखाई है, मै उसकी वडी कद्र करता हूँ। और यदि आप अपनी कोशिश न छोडे तो मै यह कहनेकी धृष्टता कर सकता हूँ कि मै तव भी यदि अपना मत न वदल पाऊँ तो हो सकता है कि इस मैत्रीपूर्ण पत्र-व्यवहारकी प्रक्रियामे आपको ही विपक्षमे दिये गये तर्कोके सत्यकी प्रतीति हो जाये।

हृदयसे आपका,

सर डार्सी लिंडसे
स्पोर्ट्स क्लव
सेट जेम्स स्क्वेअर
लन्दन, साउथ वेस्ट

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०३)की फोटो-नकलसे।

३७०. पत्र : विद्यानाथ सहायको

स्थायी पता, सावरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मुझे मिल गया।

मेरा निश्चित मत है कि हर कीमतपर सत्य भाषण करना प्रत्येक व्यक्तिका, और शिक्षाविदोका तो विशेष तौरपर परम कर्त्तव्य है।

कालेजोंमे होनेवाली राजनीतिक वहसोमें निन्दाको कोई स्थान नही दिया जाना चाहिए।

भारतीय रजवाडोंके मामलोको दिल्ली समझौतेमें शामिल करना मुमकिन नही था।

अपनी इच्छासे त्यागपत्र देनेवालो और वर्खास्त किये जानेवालोंके वीचका अन्तर मै समझ सकता हूँ। वर्खास्तगी असहयोग आन्दोलनसे सर्वथा असम्बद्ध अन्य उचित आधारोपर भी तो हो सकती है।

यदि आपकी बात सच है तो मुझे इसपर आश्चर्य नही है कि आपने जो बाते गिनाई है, उनके आधारपर आपको कश्मीर सरकारकी सेवासे बर्खास्त करनेपर अन्य शैक्षणिक सस्थाएँ भी अपने यहाँ क्यो नही रखती।

हृदयसे आपका,

श्री विद्यानाथ सहाय
एम्पायर हिन्दू होटल
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०४)की माइक्रोफिल्मसे।

३७१. पत्र: चार्ल्स एफ० वैलरको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

१७ अप्रैलके आपके स्नेहपूर्ण पत्रके लिए धन्यवाद। १९३३ तो बहुत दूरकी चीज है। मैं उस वर्षके लिए अभी अस्थायी तौरपर भी किसी प्रबन्धकी बात नही सोच सकता। यदि सब ठीक-ठीक चलता रहे, तो आपको १९३२ के बीचमें कभी मुझे इस सम्बन्धमे लिखना पडेगा। तभी मैं आपको निश्चित उत्तर दे सकूंगा। आशा है, आप मेरी कठिनाईको समझेगे।

हृदयसे आपका,

श्री चार्ल्स एफ० वैलर
'शिकागोज फैलोशिप ऑफ फेथ्स'
शिकागो (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०५)की फोटो-नकलसे।

३७२. पत्र : के० राय चेट्टीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके प्रश्नका उत्तर 'यंग इंडिया' के स्तम्भोमे देना बिलकुल गैर-जरूरी है। जवाब बिलकुल साफ है। कांग्रेसका कोई भी सदस्य अफीमके ठेकेके लिए बोली नही बोल सकता।

हृदयसे आपका,

श्री के० राय चेट्टी
सीतानगरम्
बरास्ता कोव्वूर, पूर्वीय गोदावरी जिला

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०६)की माइक्रोफिल्मसे।

३७३. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

तुम्हारा पत्र मिला। मै समझता हूँ कि उस साधुको परेशान करनेकी जरूरत नही है। उसे पागल कहा जाता है—यह जानकारी तो मुझे कुछ अच्छी ही लगी; क्योकि यह बात तो हम दोनोंमे भाईचारा सूचित करती है। वह ऐसी चेतावनी न देता तो भी मै यह तो जानता ही हूँ कि यूरोपकी यात्रा मेरे स्वास्थ्यको खतरेमे डाल सकती है। लेकिन इससे क्या होता है? यदि वहाँ जाकर कुछ सेवा करना मेरे भाग्यमे बदा है तो जैसे भी हो, स्वास्थ्य मेरा साथ जरूर देगा।

श्री सुभाषचन्द्र बोस
१ वुडबर्न पार्क
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०७)की फोटो-नकलसे।

३७४. पत्र : श्रीमती वी० बनर्जीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। मुझे लगता है कि आपको अनेक परीक्षाओंसे गुजरना पड़ा है। नौकरीके चुनावके सिलसिलेमें पता नहीं, मुझे आपका मार्ग-दर्शन करनेकी कोई आवश्यकता है भी या नहीं। आपके सामने अनेक मार्ग हैं। इसलिए आपको मेरी सही सलाह है कि काम चुननेमें आप अपनी रुचिको ही महत्व दीजिए। मैं उस तरफ आनेपर आपसे जरूर मिलना चाहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीमती वी० बनर्जी
लेडी हैल्थ विजिटर
बेबी क्लिनिक कमेटी
राजशाही (बंगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०८)की माइक्रोफिल्मसे।

३७५. पत्र : कृष्णदासको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय कृष्णदास,

२५ मईके पत्रमें तुम्हारी जमी हुई लिखावटसे पता चलता है कि तुमने बड़ी तेजीसे स्वास्थ्य-लाभ कर लिया है। आशा है कि उसके बादसे और भी काफी प्रगति कर ली होगी। शरीरमें पूरी तरह शक्ति आनेसे पहले और थकान महसूस किए बिना दूरतक घूमने-फिरने लायक होनेसे पहले तुमको बाहर आने-जानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब स्वास्थ्य-लाभ कर ही रहे हो तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि पहले जितनी शक्ति हासिल करके ही नहीं, बल्कि शरीरकी बिलकुल काया-पलट करके दम लो। एकदम जर्जर कर देनेवाले ऐसे भयंकर संकटको झेल लेनेके बाद तुम्हारे लिए यह बिलकुल सम्भव होना चाहिए।

सुभाष बाबू मथुरासे मेरे साथ ही यात्रा कर रहे थे। हम बड़ौदातक साथ-साथ रहे। गपशप खासी लम्बी चली। वे फिर बारडोली आये थे। मैंने उनको बंगालके सभी विवाद स्थानीय रूपसे पंच-फैसलेको सौंपनेकी सलाह दी है।

मैं ९ तारीखको बम्बई जाकर १२ को यहाँ लौटूँगा।

श्री कृष्णदास
शक्ति आश्रम
पो० राजपुर (जिला देहरादून)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०९)की माइक्रोफिल्मसे।

३७६. पत्र : मोहनलाल विद्यार्थीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। हताश होनेका कोई कारण नहीं। हल्के-फुल्के व्यायामसे आरम्भ करें, फिर शरीरमें शक्ति बढ़नेके साथ ही साथ व्यायाम बढ़ाते जाइए। रोज सुबह-शाम दोनों वक्त खुली हवामें घूमना उचित व्यायाम होगा। जितना पचा सकें, दूध लीजिए और ताजे फल भी। फिलहाल दूसरा कोई आहार न लें। फिर रोज दोपहरको टबमें बैठकर कटि-स्नान कीजिए। यदि कोई तकलीफ महसूस न हो तो दस मिनटसे शुरु करके ३० मिनटतक जा सकते हैं। कटि-स्नानके बारेमें कोई भी जानकारी न हो, तो वह मेरी पुस्तक 'स्वास्थ्यकी कुंजी' में[1] मिल जायेगी।

हृदयसे आपका,

श्री मोहनलाल विद्यार्थी
कानपुर शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १७२११)की फोटो-नकलसे।

३७७. पत्र : अनन्त च० पटनायकको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके सम्मेलनमें मेरे शामिल होनेका प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मैं उसकी सफलताकी पूरी कामना करते हुए प्रत्येक सदस्यका ध्यान उस महान दायित्वकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो अगले वर्षके कांग्रेस अधिवेशनके सिलसिलेमें आपके कन्धोंपर आ गया है। एक चीज है, जिसकी तैयारी आपको अभीसे करनी पड़ेगी। खादी किसी जादूगरके फलकी तरह तो पैदा नहीं की जाती। उसके लिए आपको अभीसे

१. देखिए खण्ड ११ और १२।

एक बहुत जोरदार कार्य चलानेकी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप दिखा सकें कि कांग्रेसके इस सर्वाधिक रचनात्मक कार्यके क्षेत्रमें उड़ीसा कितना-कुछ कर सकता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत अनन्त च० पटनायक
कार्यकारी मन्त्री
पुरी जिला सम्मेलन, पुरी
पो० बालीपटना (ग्राम अथान्तर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१२)की माइक्रोफिल्मसे।

३७८. पत्र: महालक्ष्मी एम० ठक्करको

३ जून, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

क्या मुझे पत्र न लिखनेकी प्रतिज्ञा की है? माधवजीको बच्चोंके बारेमें थोड़ी चिन्ता रहती है, खासकर चन्द्रके बारेमें। चन्द्रको आश्रम भेजनेकी बात चल रही है। इस सम्बन्धमें अपने विचार लिखना। वहाँका दैनिक कार्यक्रम लिखना। यहाँ आकर मिल सको तो दोनों बहनें आकर मिल जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८१६)की फोटो-नकलसे।

३७९. पत्र: विट्ठलदास जेराजाणीको

बारडोली
३ जून, १९३१

भाई विट्ठलदास,

तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। अक्षर तो वैसे ही सधे हुए हैं। दोपहरको माथेपर मिट्टीकी पट्टी बाँधनेका प्रयोग करके देखो तो अच्छा। दिनमें खुली हवामें सोते हो न? क्या रातको कोठरीमें खूब हवा आती है? इस तरहकी बीमारीमें तीमारदारी ही सच्ची दवा है। काम शुरू करनेकी उतावली न करना। खादीको बेच डालनेका काम होता रहेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७७६)की फोटो-नकलसे।

३८०. पत्र : नारणदास गांधीको

वारडोली
३ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम राजकोटसे लौट आये होगे। मैंने कल ही मुरब्बी खुशालभाईको पत्र[1] लिखा था। भगवानजी को भी पत्र लिखा है कि यदि उसे आश्रममें असत्य ही दिखाई देता है तो वह खुशीसे जा सकता है। सुरेन्द्र कराडी और उंटडी होता हुआ वहाँ आयेगा। १५ तारीख तक रवाना हो जाये। आप्टे और सारजा पहुँच गये होगे।

दाँडी यात्राके समय तुम्हे अकलेश्वरसे रुपये ५४३-४-० भेजे गये थे, ऐसा अक्लेश्वरसे भाई छोटालाल गाधीने लिखा है। क्या यह रकम वहाँ है। यदि हो और खादीके-खातेमे जमा हो तो उन्हे वापस भेज देना। उन्हे लिख देना कि उसे खादीके काममे ही लगाना है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

व्रत-विचारके बारेमे काका साहबके साथ बात कर लेना। पर्याप्त प्रतियाँ पडी हो तो दूसरी आवृत्तिकी जरूरत नही है।

गुजराती एम० एम० यू०–१से।

३८१. पत्र : किशनसिंह चावड़ाको

वारडोली
३ जून, १९३१

भाई किशनसिंह,

यदि आप अब आना चाहे तो रविवार तक किसी भी दिन आ सकते हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९४)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र. खुशालचद गाधीको", २-६-१९३१।

३८२. पत्र : पदमलालको

३ जून, १९३१

भाई पदमलालजी,

आपका पत्र मिला है। देशी राज्योंमें जो-कुछ भी कष्ट पड़ते हैं उसके लिए सत्याग्रह पर्यन्त जो-कुछ भी इलाज ले सकते हैं, वह इलाज लेनेका प्रजाको हक्क है। इसमें कांग्रेसका नाम न लिया जाय। क्योंकि कांग्रेस सहाय नहिं दे सकेगी। प्रजा अपनी शक्तिपर निर्भर रहे।

आपका,
मोहनदास गांधी

मध्यप्रदेश और गांधीजीमें प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

३८३. वर्ण और जाति

एक विद्यार्थी अपना नाम और पता देकर लिखता है:[१]

यह कहना एकदम सच तो नहीं है कि हिन्दू-मुसलमान एक दूसरेका अपने त्यौहारोंके अवसरपर मान-सम्मान नहीं करते। परन्तु यह अवश्य ही अभीष्ट है कि यह आदान-प्रदान बहुत अधिक अवसरोंपर और अधिक व्यापक रूपमें हो।

जाति-पाँतिके बारेमें मैं कई बार कह चुका हूँ कि आधुनिक अर्थमें मैं जाति-पाँति नहीं मानता। वह विजातीय तत्व है और प्रगतिमें विघ्नरूप है। इस तरह मैं मनुष्य-मनुष्यके बीचकी असमानताओंको भी नहीं मानता। हम सब सम्पूर्णतया समान हैं। परन्तु समानता आत्माओंकी है, शरीरोंकी नहीं। इसलिए वह एक मानसिक अवस्था है। समानताका विचार करने और जोर देकर उसे प्रकट करनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है, कि इस भौतिक जगतमें हम बड़ी-बड़ी असमानताएँ देखते हैं। इस बाह्य असमानताके आभासमें हमें समानता सिद्ध करनी है। कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमीकी अपेक्षा अपनेको उच्च माने, तो वह ईश्वर और मनुष्यके समक्ष पाप है। इस प्रकार जाति-पाँति जिस हदतक दर्जेके भेदकी सूचक है, बुरी चीज है।

परन्तु मैं वर्ण-भेदको अवश्य ही मानता हूँ। वर्णकी रचना वंश-परम्परागत धन्धोंकी बुनियादपर है। मनुष्यके चार सर्वव्यापी धन्धों — ज्ञान देना, आर्तकी रक्षा करना, कृषि और वाणिज्य और शारीरिक श्रम द्वारा सेवाकी समुचित व्यवस्था करनेके लिए चार वर्णोंका निर्माण हुआ है। ये धन्धे समस्त मानव जातिके लिए एक-से हैं। परन्तु हिन्दू

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

धर्मने इन्हे जीवन धर्मके रूपमें स्वीकार करके सामाजिक सम्बन्ध और आचार-व्यवहारके नियमके लिए इनका उपयोग किया है। गुरुत्वाकर्पणके अस्तित्वको हम जाने या न जाने, तो भी हम सबपर उसका असर होता है। लेकिन वैज्ञानिकोने, जो इस नियमको जानते हैं, उससे जगतके सामने आश्चर्यचकित करनेवाले फल प्रस्तुत किये हैं। इसी तरह हिन्दू धर्मने वर्ण-धर्मकी खोज और उसका प्रयोग करके जगतको चकित किया। फिर हिन्दू जडताके शिकार हो गये, और तब वर्णके दुरुपयोग के फलस्वरूप बेशुमार जातियाँ बन गई, और रोटी-बेटी व्यवहारके अनावश्यक बन्धन पैदा हुए। वर्ण-धर्मका इन बन्धनोसे कोई सम्बन्ध नही है। जुदा-जुदा वर्णके लोग परस्पर रोटी-बेटीका व्यवहार रख सकते हैं। शील और आरोग्यके खातिर ये बन्धन आवश्यक हो सकते है। परन्तु जो ब्राह्मण शुद्र-कन्याको या शुद्र ब्राह्मण-कन्याको ब्याहता है, वह वर्ण-धर्मका लोभ नही करता।

अपने धर्मसे बाहर ब्याह करनेका सवाल जुदा है। इसमे जबतक स्त्री-पुरुषमें से हरएकको अपने-अपने धर्मका पालन करनेकी छूट होती है, तबतक नैतिक दृष्टिसे मैं ऐसे विवाहमें कोई आपत्ति नही समझता। परन्तु मैं नही मानता कि ऐसे विवाह-सम्बन्धोके फलस्वरूप शान्ति कायम होगी। शान्ति स्थापित होनेके बाद ऐसे सम्बन्ध अवश्य किये जा सकते हैं। जबतक हिन्दू-मुसलमानोके दिल फटे हुए हैं; तबतक हिन्दू-मुसलमान विवाह सम्बन्धोकी हिमायत करनेका फल मेरी दृष्टिमे सिवा परेशानीके और कुछ न होगा। अपवादरूप किसी परिस्थितिमे ऐसे सम्बन्ध सुखदायी साबित हो तो भी वे सम्बन्ध उन्हे सर्वव्यापक बनानेकी हिमायत करनेके कारण नही माने जा सकते। हिन्दू-मुसलमानोमे खान-पानका व्यवहार तो आज भी बडे पैमानेपर होता है। परन्तु इससे भी पारस्परिक शान्तिमे वृद्धि तो नही ही हुई। मेरा यह दृढ विश्वास है कि रोटी-बेटी व्यवहारका कौमी इत्तफाकसे कोई सम्बन्ध नही है। झगडेके कारण तो आर्थिक और राजनैतिक हैं, और उन्हीको दूर करना है। यूरोपमे रोटी-बेटी-व्यवहार है, फिर भी जिस तरह यूरोपवाले आपसमें कटे-मरे हैं, इतिहासमें वैसे तो हम हिन्दू-मुसलमान कभी नही लडे। हमारी अधिकाश जनता तो तटस्थ ही रही है।

अस्पृश्योका एक जुदा वर्ग है—और हिन्दू धर्मके सिरपर वह कलकका टीका है। जातियाँ विघ्नरूप हैं, पापरूप नही। अस्पृश्यता तो पाप है, और भयकर अपराध है, और यदि हिन्दू धर्मने इस अजगरका समय रहते नाश नही किया, तो यह हिन्दू धर्मको ही निगल जायेगा। 'अस्पृश्य' हिन्दू धर्मके बाहर कभी गिने ही नही जाने चाहिए। वे हिन्दू समाजके प्रतिष्ठित सदस्य माने जाने चाहिए और उनके पेशेके अनुसार वे जिस वर्णके योग्य हो, उन्हे उसी वर्णका माना जाना चाहिए।

वर्णकी मेरी व्याख्यानुसार तो आज हिन्दू धर्ममे वर्ण-धर्मका पालन होता ही नही। ब्राह्मण नामधारियोने विद्या पढाना छोड दिया है। वे दूसरे अनेक धन्धे करने लगे हैं। यही बात कमोबेश दूसरे वर्णोके लिए भी है। वस्तुत. तो विदेशियोके जुएके नीचे होनेकी वजहसे हम सब गुलाम हैं, इस कारण शुद्रोसे भी हलके, पश्चिमके अस्पृश्य हैं।

इस पत्रके लेखक अन्नाहारी होनेकी वजहसे मांसाहारी मुसलमानके साथ खानेके प्रश्नपर मनको समझानेमें कठिनाई अनुभव करते हैं। परन्तु वे यह बात याद रखें कि मांसाहार करनेवाले हिन्दू सख्यामे मुसलमानोसे भी ज्यादा है। जबतक अन्नाहारी को स्वच्छतापूर्वक पकाया हुआ ऐसा भोजन परोसा जाये, जिसे खानेमे कोई बाधा न हो, तबतक किसी [मासाहारी] हिन्दू या अन्य मांसाहारी व्यक्तिके साथ बैठकर खाया जा सकता है। फल और दूध तो वे जहाँ जायेंगे, सदा मिल सकेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८४. टिप्पणियाँ

मुझे मेरे प्रशंसकोंसे बचाओ

सुदूर कन्याकुमारीसे एक भाई लिखते हैं:[1]

> **. . . यहाँके रथयात्रा उत्सवमें प्रतिमाको रथमें रखकर नगरमें घुमाया जाता है। लोगोंका एक दल यह चाहता है कि प्रतिमाके साथ आपकी तसवीर भी रखी जाये और नगरमें घुमाई जाये। समझदार लोगोंका दूसरा एक दल कहता है कि आपको अपना ईश्वरकी तरह पूजा जाना पसन्द न होगा।**

दूसरे एक भाईने मथुरासे एक भयानक चित्र मेरे पास भेजा है। उसमे यह दिखाया गया है कि मैं सहस्रमुखवाले शेषनागकी शैयापर लेटा हूँ, मेरे एक हाथमे असहयोग और दूसरेमे चर्खा है। मेरी पत्नी बेचारी मेरे पैर दबा रही है। कुछ दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोको भी मेरी सेवामे उपस्थित दिखाया गया है। चित्रके दूसरे अशोका वर्णन करके मैं पाठकोके दिलको चोट नही पहुँचा सकता। इतना कहना काफी होगा कि यह चित्र शेषशायी विष्णुसे सम्बन्धित कथाका उपहास है। जिस भाईने यह चित्र भेजा है, वह चाहते हैं कि मैं इस चित्रके प्रकाशकोसे प्रार्थना करूँ कि वे इसे वापस ले ले। आगे चलकर वह यह भी ठीक ही कहते हैं कि कट्टर वैष्णव अपना रोष प्रकट रूपसे प्रकाशित भले ही न करे, तो भी इस चित्रसे उनकी भावना को चोट पहुँचे बिना नही रहेगी। इन दोनो पत्र-लेखकोंके भावोका मैं सम्पूर्ण हृदयसे समर्थन करता हूँ। दोनो मामलोमे उद्देश्य अच्छा हो सकता है। परन्तु यह अमर्यादित वीर-पूजा प्रायः अनुचित मूर्ति-पूजाका रूप धारण कर लेती है, और बिना किसी कारणके सनातनधर्मी लोगोकी भावनाओ पर प्रहारकरनेवाली सिद्ध होती है। ऐसे अमर्यादित कामोसे मेरे अन्धभक्तोके उद्देश्यकी भी हानि होगी। यदि उन्हे मेरी भावनाओका थोडा-सा भी लिहाज हो, तो रथयात्रामें मेरी तसवीर रखनेके इच्छुक व्यवस्थापक-गण और भावनाओको ठेस पहुँचानेवाले उस चित्रके प्रकाशक अपनी कार्रवाईसे

१. यहाँ पत्रके कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

बाज आये। देशभक्तिकी भावनाको प्रकट करने और बढानेके दूसरे अनेक स्वस्थ तरीके हो सकते हैं।

दक्षिण आफ्रिकासे लौटे हुए लोग

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी और स्वामी भवानीदयाल संन्यासीने देश लौटनेके लिए सरकारी सहायता सम्बन्धी योजनाके अधीन दक्षिण आफ्रिकासे भारत लौटे लोगोकी स्थितिकी स्वतन्त्र जाँच करके उसकी एक बहुत ही युक्तियुक्त रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा पिछले महीनेकी १६ तारीखको स्वामीजी ने मुझे एक तार भेजा था, जिसमें मुझसे रिपोर्टपर राय प्रकट करनेको कहा गया था। तारमें समाचार यह था कि "हालत ही खराब है, बहुत लोग भूखों मर रहे है, स्त्रियोको तन ढँकनेको पूरा कपडा नही है, बालक भीख माँगते है।" उक्त रिपोर्ट और यह तार तभीसे मेरे पास पडे हैं। रिपोर्टकी चर्चा मै जल्दी नही कर सका, इसका मुझे खेद है। जिस तारसे मैंने उक्त उद्धरण दिया है, वह रिपोर्टका सारांश है। हमारे यहाँ लोगोंको अपने ही देशमें आकर परायोकी तरह रहना पडे, यह स्थिति हमारे और सरकार दोनोके लिए कलंकरूप है। परन्तु सरकारकी अपेक्षा यह हमारे लिए अधिक बड़ा कलक है। दुनियाकी कोई भी सरकार ऐसे मामलोंका पूरा-पूरा प्रबन्ध नही कर सकती। ऐसे मामलोमें सरकार लोगोके ऐच्छिक प्रयत्नमें एक हदतक मदद भर-कर सकती है। वस्तुत. ऐसे लोगोके कल्याणमें सच्ची दिलचस्पी लेने और उनके लिए उचित काम तलाश करनेका काम कलकत्तेके धनाढ्य व्यापारियो और उन दूसरे लोगोका है, जो लोगोको मजदूरीपर रखते हैं।

परन्तु स्वदेश लौटे हुए इन लोगोंकी यह दशा जिस कारणसे हुई है, उसकी तुलनामें इनकी आजकी हालत कोई चीज नही है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके स्वदेश लौटनेके सम्बन्धमें किसी प्रकारका इकरार होना ही नही चाहिए था, और यदि हुआ भी तो पहले उन्हे उचित काम दिलानेकी पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, और किसी भी हालतमे उस उपनिवेशमे जन्मे भारतीयोके, जिनमे से पूरे ३३ फीसदी कलकत्ता स्टेशनपर पड़े है, स्वदेश लौटनेके लिए तो कभी सम्मति दी ही नही जानी चाहिए थी। पर साँपके निकल जानेपर लकीर पीटनेसे क्या लाभ? केपटाउनका करार फिरसे होते समय यदि गरीब भारतीय मजदूरोकी आबादीके हक अन्य भारतीय अधिवासियोको मिलनेवाली सदिग्ध छूटके बदलेमें बेच नही डाले जायें, तो इस रिपोर्टके लेखकोंका परिश्रम निष्फल न होगा। भारतीय अधिवासियोंने जो रुख अख्तियार किया है, उसपर आक्षेप नही किया जा सकता। उसका आधार तो उसके अपने गुण-दोष ही होने चाहिए। इसलिए अधिवासियोको स्वयं किसी ऐसे करारमें शामिल होनेसे इनकार कर देना चाहिए, जिसकी वजहसे उनके बदनसीब भाइयोंके हक मारे जाते हो। जितने भारतीय आज वहाँ हैं, उनका समावेश और प्रबन्ध दक्षिण आफ्रिका आसानीसे कर सकता है।

गांधी आश्रम, मेरठ

यह आश्रम आचार्य कृपलानीकी कृति है। आश्रमकी ओरसे इसकी गतिविधियो का परिचय देनेवाली एक सुन्दर छोटी पुस्तिका प्रकाशित हुई है। १९२० में जब बनारसमे इसके जीवनका श्रीगणेश हुआ था, यह एक छोटी-सी चीज थी। यह आज बढकर अनेक शाखाओवाली विशाल सस्था बन गई है, और इसका अपने प्रधान केन्द्र, मेरठमे निजका मकान भी हो गया है। अब यह एक धर्मार्थ सस्थाके रूपमे रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसका मुख्य काम खादीका उत्पादन और प्रसार है, पर जहाँ-जहाँ हो सकता है, यह नि शुल्क औषधालयो और रात्रि-पाठशालाओका सचालन भी करती है। १९२१ मे इस सस्थाने ४८) की खादी पैदा की थी, और ३,१००) की बेची थी। १९३० मे उत्पादन ४,२१,४९०) का था और बिक्री ५,३२,३६१) की। १९२१ मे इसकी ४५ इच अर्जवाली खादीका भाव १) गज था और १९३० मे।–)॥ गज। इस सस्थामे खादीकी बुनाईतक के काम तो होते ही है, इसके अलावा धुलाई, इस्तरी करने और रँगाईके विभाग भी है। यह सस्था इन विभागोमे उम्मीदवारोको भर्ती करके उन्हे काम सिखाती है और मेरठकी गरीब स्त्रियोको बुनाई, चादरोके किनारो पर कढाई वगैराका काम देकर उन्हे रोजी देती है। अब कौन कह सकता है कि खादीका भविष्य उज्ज्वल नही है, या वह देशके सबसे दरिद्र लोगोकी सहायक नही है?

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८५. क्या यह एक आर्थिक आवश्यकता है?

'टाइम्स ऑफ इडिया' (२६-५-१९३१) में प्रकाशित एक लेखमें निम्नलिखित अश आया है:

> महात्मा गांधीने चरखोंके प्रयोजन और कार्य-विधिके सम्बन्धमें अपने सबसे हालके लेखमें[1] अपना यह विश्वास फिर दोहराया है कि विदेशी वस्त्रोंका आयात बन्द करना 'भारतके लिए एक आर्थिक आवश्यकता है।' वे शायद 'यंग इंडिया' के अगले अंकमें इस बातका खुलासा देंगे कि आर्थिक आवश्यकता का वे क्या अर्थ लगाते है। सूती वस्त्रोंकी जैसी स्थिति अब सामने आती जा रही है उसके सम्बन्धमें उठनेवाले इन कुछ प्रश्नोंके उत्तरोसे अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सकती है।
>
> १. हाथ-कताई और हाथ-बुनाईकी विधियोसे तैयार देशी वस्त्रोके उत्पादनकी वृद्धिने १९३०–३१ के दौरान सूती वस्त्रोके आयातमें हुई एक अरब गज वस्त्रकी कमीकी किस हदतक पूर्ति की है?

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-५-१९३१ का उपशीर्षक "चरखे"।

२. मिलोंके उत्पादनकी वृद्धिने उसकी किस हदतक पूर्ति की है?

३. क्या बहिष्कारके लिए परिमाणकी एक कोई सीमा रखी गई है जिसके बाद उसे बन्द कर दिया जायेगा या बहिष्कार हर हालतमें जारी रहेगा, फिर हाथसे तैयार और मिलोंमें बने वस्त्र आयात होनेवाले वस्त्रोंका क्रमशः कितने ही परिमाणमें स्थान क्यों न ले लें?

४. यदि हाँ, तो बहिष्कार अन्य प्रान्तोंके सिवा बम्बई प्रान्तके अपने हितमें किस हदतक है?

यदि ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धारके सभी प्रयत्न निश्चित तौरपर असफल सिद्ध हो चुके हैं, जैसा कि लगता भी है, तो फिर महात्मा गांधी अपने इस परमप्रिय आन्दोलनकी असफलता स्वीकार करनेमें चाहे कितना भी संकोच क्यों न दिखायें, यह तो स्पष्ट है कि सार्वजनिक ईमानदारीके हितमें बहिष्कार आन्दोलनका नियन्त्रण औपचारिक रूपसे 'सूती वस्त्र मिल-मालिक संघों' के हाथों सौंप दिये जानेका उपयुक्त समय आ गया है, जिससे वे कांग्रेसके नियन्त्रणमें काम करनेवाले एजेन्टोंके बनावटी रूपको छोड़कर उसके वास्तविक कर्त्ताधर्त्ता होकर इसका संचालन करें।

इन विशेष प्रश्नोंके उत्तर इस प्रकार हैं:

१. गजोंके आँकड़ोंके साथ तो इस प्रश्नका उत्तर दिया नहीं जा सकता। क्योंकि सारीकी-सारी खादी बिक्री व खरीदके लिए तैयार नहीं की जाती। घरोंमें खुद अपने इस्तेमालके लिए तैयार की जानेवाली खादीका उत्पादन ही दिन-दिन इतना अधिक फैलता-बढता जा रहा है कि उसका हिसाब रखना बेचारे 'अखिल भारतीय कताई संघ' के बसकी बात नहीं रह गई है।

२ देशी कपड़ा-मिलें निस्सन्देह उस कमीको पूरा करनेमें काफी हाथ बँटा रही हैं।

३. वे कितना काम कर पायेंगी, यह आगेकी प्रगतिपर निर्भर करेगा।

४. बम्बईका हित भारतका हित है। लेखकने शायद अहमदाबादको बम्बईमें शामिल मान लिया है; और स्पष्ट है कि भारत-भरमें बिखरी अन्य महत्वपूर्ण मिलोंको तो उन्होंने गिना ही नहीं है।

मैंने इन प्रश्न-विशेषके उत्तर अपनी या जनताकी सन्तुष्टिके विचारसे उतने नहीं, लेखककी ही सन्तुष्टिके लिए अधिक दिये हैं। लेखकका निश्चित मत है कि खादी-आन्दोलन असफल सिद्ध हो चुका है। जनताको मालूम होना चाहिए कि यदि मुझे विश्वास हो जाये कि खादी सचमुच असफल रही है तो मुझे विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार में फिर कोई दिलचस्पी नहीं रह जायेगी। पता नहीं लेखकने ऐसा निश्चित मत किस आधारपर बना लिया है। लेकिन खादीके उत्पादन और प्रचारका मुख्य प्रणेता होनेके नाते मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि असफल होना तो दूर, खादी धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित तौरपर भारत-भरमें प्रगति कर रही है। इसलिए मैं

फिर यह दावा करता हूँ कि भारतकी जनताके लिए बहिष्कार एक आर्थिक आवश्यकता है। हो सकता है कि यह बात कुछ विचित्र लगे, पर है बिलकुल सही कि बहिष्कार मिलोंके लिए उसी अर्थमे और उतनी ही हदतक आर्थिक आवश्यकता नही है जितना कि वह खादीके लिए है। इसमे सन्देह नही कि बहिष्कारके कारण मिलोको आशातीत लाभ हुआ है, परन्तु वे बहिष्कारके बिना भी अपना अस्तित्व बनाये रख सकती थी; वे ऐसा पहले कर ही रही थी। और फिर वे अज्ञान तथा अभावसे पीडित जनतापर अपनी मिलोंमें बना कपडा थोपकर करोडो भूखे-नगे लोगोके शोषण-मे ब्रिटेन और जापानके साझीदार तो बन ही सकती है। इसके सिवा जनता फुर्सतके समयमे अपनी आवश्यकताके योग्य वस्त्र तैयार कर सकनेकी अपनी सामर्थ्यको भूलकर उनकी मिलोके महीन सूती वस्त्र खरीदेगी तथा इस प्रकार अपना दोहरा नुकसान करेगी। इसलिए बहिष्कार-आन्दोलनका नियन्त्रण पूरी तौरपर मिलोके हाथ नही सौंपा जा सकता; वे चाहे, तो भी नही। यदि वे नियन्त्रण अपने हाथमें ले भी ले, तो उनके हाथ असफलता ही लगेगी। इस तथ्यपर परदा नही डाला जा सकता कि मिले तो अपने एजेन्टों और अपने हिस्सेदारोके मुनाफेकी खातिर ही बहिष्कारमे खास दिल-चस्पी लेती है; जब कि कांग्रेस पूरी तौरपर आम जनताके सामान्य हितोकी दृष्टिसे ही बहिष्कार आन्दोलनको चला रही है।

लेखक, और देखा जाये तो अन्य कई लोगोंको भी इस बातकी समझ नही है कि खादीका तरीका अर्थशास्त्रके क्षेत्रमे उसी तरह एक नया तरीका है जिस तरह कि अहिंसाका तरीका राजनीतिके क्षेत्रमे है। खादीका तरीका परम्परागत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोकी नजरमें उसी तरह अटपटा लग सकता है, जैसे कि अहिंसाके तरीकेने परम्परागत राजनीतिक तरीकोंके समर्थकोको उलझनमे डाल रखा है। यह नया तरीका केवल कुछ सीमातक ही परम्परागत सांख्यकीय पद्धतिसे आँकडोके आधारपर सिद्ध किया जा सकता है। बहिष्कार आन्दोलनकी अद्भुत सफलताका रहस्य खादीकी भावना मे ही है। बहिष्कार कोई नई बात नही है। वह बग-भंगके कालसे पहलेकी न हो, तो भी कम-से-कम उतनी पुरानी तो है ही। लेकिन उसकी सफलताकी आशा १९१९ मे खादीके पुनरुद्धारके साथ ही जन्मी थी, और गत वर्ष खादी-भावनाके चरम उत्कर्षके कालमें ही आंशिक रूपमें यह आशा पूरी हुई थी। खादी-भावनाकी वास्तविक अभिव्यक्ति तो अभी सामने आनेको है। उसका सामने आना अनिवार्य है और लोग जितना सोचते है, उससे कही जल्दी वह सामने आयेगी। और जब वह वास्तवमे अभिव्यक्त हो पायेगी तब न तो धरनोकी जरूरत बचेगी, न आँकडो द्वारा उससे होनेवाले लाभको सिद्ध करनेकी ही।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लेखकने सुझाया है कि बहिष्कारका एकमात्र लक्ष्य जनताको हानि पहुँचाकर, मिलोको लाभ पहुँचाना है। बहिष्कारके साथ यदि खादीकी बात जुडी हुई न होती तो लेखकके इस सुझावका कुछ आधार माना भी जा सकता था। लेखक और उनकी तरहके आलोचकोको यह नही भूलना चाहिए कि हमारा नारा 'खादीके जरिए बहिष्कार' का है। भारतीय मिलोका काम यही है कि वे

खादीके अनुपूरक बनें। लेकिन यदि भारतीय मिलें खादीका विरोध भी करें, तो भी बहिष्कार जारी ही रहेगा। एक समय था जब अनेक मिलोंने विरोध किया भी था। खादीके प्रति उनकी उदासीनता भी काफी स्पष्ट थी। हाँ, इतना श्रेय उनको दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वक्तकी माँगको कुछ हदतक समझ जरूर लिया है, और उन्होंने खादीके साथ समझौता कर लिया है, भले ही उनमें से अधिकांशने समझौतेको अधूरे मनसे ही निभाया है। कुछ तो खादीके पक्के समर्थक भी बन गये हैं और इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो घाटा उठानेकी भी कोई परवाह नहीं करेंगे। इसलिए बहिष्कार-आन्दोलनमें भारतीय मिलोंकी भूमिका मुख्य नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे उनको लाभ होता है और होगा, कम-से-कम कुछ समयतक तो उनको अधिकाधिक लाभ होता चला जायेगा, लेकिन लाभकी वृद्धिकी दर खादीके प्रति उनकी ईमानदारीके अनुपातमें ही होगी।

लेखक और पाठकगण भी समझ लेंगे कि हालके कानूनमें मिलोंको सरक्षण देनेसे भारत अर्थात् भारतीय जनताको कुल मिलाकर निश्चित तौरपर लाभ क्यों होगा। मिलोंके बने कपड़ेके मूल्योंमें वृद्धि अवश्य ही होगी। मिलोंको मुनाफेके अनुचित लोभसे दूर रखनेके लिए कांग्रेसको अनवरत प्रचार करते रहना चाहिए और जनताको सिखाना चाहिए कि उनका आर्थिक कल्याण इसीमें है कि वे अपने घरोंमें ही हाथ-कताईके जरिए खादी तैयार करते चलें। एक बार जहाँ विदेशी वस्त्र रास्तेसे हटे कि देशी मिलें बड़ी तत्परतासे या तो अपने वस्त्रोंके मूल्य और उसके उत्पादनको खादीके अनुरूप बना लेंगी या फिर विदेशी मिलोंकी भाँति उनको भी बहिष्कारका खतरा उठाना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८६. गोलमेज परिषद् और कांग्रेस

यदि स्थायी शान्तिके लिए, जिसतक पहुँचना सब दलोंका समान ध्येय है, मौन धारण करनेकी आवश्यकता न होती, तो गोलमेज परिषद्में शामिल होनेके लिए लन्दन जानेके सम्बन्धमें बहुत पहले ही मैंने जनताको विश्वासपूर्वक अपने मनकी बातें बताई होतीं। अब मैं नीचे लिखा स्पष्टीकरण देनेकी परिस्थितिमें हूँ।

मैंने अपनी राय, जो नई नहीं है, कभी छिपानेका प्रयत्न नहीं किया है; बल्कि मैंने उसी समय, जब दिल्लीमें समझौतेकी बातचीत चल रही थी, अपनी यह राय जाहिर की थी कि यदि हम आपसमें कौमी सवालको निपटानेमें कामयाब न हुए तो परिषद्में भाग लेनेके लिए लन्दन जानेमें मुझे बहुत ज्यादा पसोपेश होगा। मैं अपनी रायको बदलनेका अभीतक कोई कारण नहीं देखता।

दिल्लीके समझौतेके मार्गमें नाजुक स्थितियोंका उत्पन्न होते रहना मेरे लन्दन जानेकी एक दूसरी बाधा है। समझौतेको भंग होनेसे बचानेमें मैं अपनी जानतक की

बाजी लगा दूँगा। और, मैं तो अपने-आपको महत्व देता हुआ दिलमें यह मानता हूँ कि समझौता न टूटने देनेके लिए मेरी उपस्थिति यहाँ आवश्यक है।

तथापि हम यह आशा रख सकते है कि सितम्बरमें होनेवाली सभामें जानेके लिए हिन्दुस्तान छोडना जरूरी होनेकी घडीतक ये दोनो कठिनाइयाँ दूर हो चुकेगी।

मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि समझौता किया गया है, इसलिए मैं काग्रेस की प्रतिष्ठाके ख्यालसे लन्दन जाकर गोलमेज परिषद्में श्री चर्चिल सहित ब्रिटिश राजनीतिज्ञोको काग्रेसकी बात बतानेके लिए उत्सुक हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री चर्चिल और उनके दलवाले यह अनुभव नही करते कि काग्रेस ब्रिटेनकी दुश्मन नहीं है। काग्रेस तो हिन्दुस्तानके लिए बडी चीज चाहती है, जिसे ब्रिटेनके लिए मुहैया करनेकी गरजसे, उसने और उसके पुरखाओने लडाइयोमें हाथ बँटाया है। इसलिए लन्दन ले जानेके लिए मेरी मनुहार करनेकी जरूरत नही है। मैंने मित्रोसे यह भी कहा है कि यदि कौमी झगडा नही सुलझा और उसकी वजहसे मैं गोलमेज परिषद्मे भाग लेनेमें असमर्थ रहा तो भी यदि मुझे समझौतेके कामसे फुरसत मिल गई, तो जरूरत होनेपर जिम्मेदार राजनीतिज्ञोंके सामने काग्रेसकी स्थितिको रखनेके लिए मैं लन्दन जाऊँगा। मेरी यह उत्कट इच्छा है कि यदि सम्मानके साथ और राष्ट्रका दुवारा अवर्णनीय कष्टपूर्ण युद्धके लिए आह्वान किये विना स्थायी समझौता हो सके तो वह किया जाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८७. प्रभात-फेरी

प्रभात-फेरियोके आरम्भ होनेका समाचार मैंने यरवदा जेलमे पढा था। मैंने सोचा था कि जिसे यह विचार सूझा है, वह धन्यवादका पात्र है। मैंने अनुभव किया कि प्रचारकी दृष्टिसे मूल्यवान होनेके सिवा वह आध्यात्मिक दृष्टिसे भी एक सुन्दर काम है। वह सोते हुए आदमीको कर्त्तव्यनिष्ठ बननेकी याद दिलाता है। प्रभात-फेरी उसे इस बातका स्मरण कराती है कि विस्तर छोडकर उठने और उस समय उठते ही सबसे पहले परमात्माकी स्तुति करनेका समय हो गया है। मैंने पढा था कि प्रभात-फेरियोमे भाग लेनेवाले लोग सामयिक सार्वजनिक घटनाओके गीतोके अतिरिक्त ईश्वर-स्तुतिका गीत भी गाते है, इसलिए उचित रीतिसे रहनुमाई की जाये, तो यह प्रथा सच्ची राजनैतिक शिक्षाका ही नही, वल्कि आत्मशुद्धिका भी जवर्दस्त साधन वन सकती है। पर मेरे सुननेमे यह भी आया है कि कभी-कभी दुर्भाव पैदा करनेवाले गीत भी गाये जाते है। यदि सचमुच ऐसा होता है तो मुझे दुख होगा। इन फेरियोंके व्यवस्थापकोसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इस शान्तिके समयमें ही नही, लेकिन सदाके लिए गीतोके चुनावमें मर्यादाका ख्याल रखें, और ईश्वर-स्तुति, खादी, शराव-वन्दी, कौमी-एकता, अस्पृश्यता-निवारण और दूसरे समाज-सुधार-जैसे रचनात्मक कामो

सम्बन्धी गीत ही चुने। फेरियोमे भाग लेनेवाले लोगोको भली-भाँति और एक सुरसे गानेकी तालीम दी जानी चाहिए और सारे हिन्दुस्तानमे इनके निकालनेका समय एक ही रखना चाहिए। मुझे याद है कि बम्बईमे प्रभात-फेरियाँ सदा वक्तकी ऐसी पाबन्दी नही करती, और इलाहाबादमे वे बम्बईसे भिन्न ही किसी समयमें निकलती है। यह प्रथा शुरू तो हो गई है, परन्तु अभी इसका रूप योजनाबद्ध नही है, इसके मूल प्रवर्तकगण अब इसकी कोई उचित योजना तैयार कर ले और जिन्हे किसी भी धर्म या दलके लोग गा सके, ऐसे गीतोका सग्रह प्रकाशित करे, तो अच्छा हो। यह सस्था दलबन्दीसे रहित राष्ट्रीय सस्था होनी चाहिए। यदि किसी कारणसे दलबन्दी होने लगे, और लोग चाहे जिस रीतिसे चाहे जब गीत गाते घूमने लगे, तो फेरियाँ प्रलाप बन जायेगी और इस कारण वे लोगोके काम-काजमे बाधक हो जायेगी किन्तु प्रात.कालमे तो सुन्दर सगीत अवश्य पसन्द किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८८. एक खरी शंका (?)

गांधी-इर्विन समझौता अब काफी प्रसिद्धि पा चुका है। भारतके सभी कांग्रेसियोने तो नहीं, पर कम-से-कम उनके बहुमतने तो लगभग मुक्तकण्ठसे उसकी शर्तोकी सराहना की ही है। इस देश और यूरोपीय महाद्वीप दोनों ही के समाचारपत्रों और जनताने शान्ति-वार्ताओंकी सफलताको सच्चे हृदयसे सराहा है और उन्होंने एक स्वरसे यह मत व्यक्त किया है कि दोनो पक्षोंकी सदाशयता और आचरणकी शुद्धताने वार्ताओकी सफलताको बहुत काफी महत्व प्रदान कर दिया है। इस सबके बावजूद ऐसे लोगोंका, विशेषकर नई पीढ़ीके युवकोंका, एक अल्पमत है, जो समझौतेकी शर्तोके एकदम विरुद्ध है और बिलकुल खुले रूपमें उनका अनुमोदन करनेसे बिलकुल इनकार करता था, और अब भी करता है। और इस अल्पमतको एक-दोका नहीं, काफी बड़ी संख्याका समर्थन प्राप्त है। उनकी राय है और हमारे विचारसे उसका पर्याप्त औचित्य भी है कि भारतकी पूर्ण स्वतन्त्रताके तात्कालिक लक्ष्यकी घोषणाकी जो ध्वजा लाहौर कांग्रेसमें फहराई गई थी, उसे समझौतेकी शर्तोंने झुका दिया है और इस प्रकार कांग्रेस तथा उसके अनुयायियोंको पहलेसे कहीं कम कठिन और एक सर्वथा भिन्न कार्यक्रमसे प्रतिबद्ध कर दिया है।

कांग्रेसके एक अकेले प्रतिनिधिके रूपमें गांधीजी ने और ब्रिटिश सरकारके प्रवक्ताके रूपमें लॉर्ड इर्विनने जिस कर्त्तव्य-निष्ठा तथा सदाशयताके साथ शान्ति-वार्ताओको इस सफलतातक पहुँचा दिया है, उसपर तो कोई एक क्षणके लिए

भी सन्देह नहीं करता। श्री सुभाषचन्द्र बोसके नेतृत्वमें वामपन्थियोंने लगभग तय कर लिया था कि वे कराची कांग्रेसमें दिल्ली समझौतेके अनुमोदनके प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वह विचार छोड़ दिया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार कांग्रेसको अत्यन्त गम्भीर फूटकी सम्भावनासे बचा लिया, वह भी एक ऐसे समयमें जब, आजकी भाँति ही, शत-प्रतिशत सर्वसम्मति और परस्पर सहयोग हमारे लिए एक मार्मिक महत्व रखता था। उन्होंने बड़ी ही अनिच्छापूर्वक क्यों न हो गांधीजी की इच्छाके सामने सिर झुकाकर उनको ब्रिटिश सरकारपर अपनी आस्थाको परखनेका एक और अवसर देना स्वीकार किया था।

आइए, हम जरा देखें कि समझौतेके बादसे उसकी शर्तोंका कहाँतक पालन किया गया है। सरकारने अपनी ओरसे इतना किया है कि सविनय अवज्ञाके अपराधी बन्दियोंको रिहा कर दिया है, विभिन्न अध्यादेश वापस ले लिये हैं और कांग्रेस संगठनको कानूनी करार दे दिया है। इधर कांग्रेसने सविनय अवज्ञा आन्दोलन, जोरदार धरने तथा ब्रिटिश मालका बहिष्कार इत्यादि बन्द कर दिया है और पुलिसकी ज्यादतियोंकी जाँच रद करनेकी बात भी मान ली है। इतना तो सभीके हितमें रहा। परन्तु हम यह नहीं समझ पाये कि सरकारने समझौतेकी शर्तोंके आधारभूत सिद्धान्तोंका सख्तीसे पालन किया है या नहीं। रोज ही हमें ऐसे अनेक समाचार सुनाई पड़ते हैं कि देशके विभिन्न भागोंमें बन्दियोंको रिहा नहीं किया गया है, राजनीतिक सभाओंपर दफा १४४ लगा दी गई है, राजनीतिक कारणोंसे लोगोंकी गिरफ्तारी हुई है और सजाएँ सुनाई गई हैं और अनेक प्रकारकी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जो समझौतेका बिलकुल ही उल्लंघन करती हैं। दूसरी ओर हमसे कहा जाता है कि प्रान्तीय सरकारोंको शिकायत है कि जनता समझौतेकी शर्तोंका पूरी तरह पालन नहीं करती। दोनों पक्षों द्वारा लगाये जानेवाले इन आरोपोंका कितना-क्या औचित्य है, यह बतलाना हमारा काम नहीं।

इन सभी बातोंको देखते हुए हमारे मनमें यह बिलकुल सही शंका उत्पन्न होती है कि क्या समझौतेको मानकर लाहौरमें फहराई गई स्वाधीनताकी ध्वजाको इस प्रकार झुका देनेका पर्याप्त औचित्य गांधीजी के पास था। और यह शंका भी उठती है कि क्या गांधीजी को सचमुच ही पूरी तरह भरोसा हो गया था कि ब्रिटिश सरकारका वास्तविक हृदय-परिवर्तन हो गया है और इसलिए इस प्रकारके एक समझौतेमें कांग्रेसको बाँधना ठीक रहेगा। हमारी तीसरी बड़ी प्रामाणिक शंका यह है कि उनके नेतृत्वमें कांग्रेसके उसमें शामिल होनेपर भी क्या गांधीजी सचमुच यही समझते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वाधीनताके प्रश्नपर अगली गोलमेज परिषद्में गम्भीरतापूर्वक चर्चा करेगी।

चौथे, हमारे मनमें एक प्रामाणिक शंका यह भी है कि क्या गांधीजी को कभी एक क्षणके लिए भी ऐसा लगा था कि ब्रिटिश सरकार डेढ़ सौ वर्षोंतक एक ऐसे राष्ट्रको, जिसका लगातार शोषण करनेके बाद जो उसके निर्वाहका मुख्य स्रोत है, और जो एक ऐसा आधार है जिसपर उसके वैभवकी समूची इमारत खड़ी है, कांग्रेसके हाथोंमें सौंपकर गद्दीसे बिलकुल ही हट जायेगी; और हमारे मनमें पाँचवीं शंका यह है कि क्या ब्रिटिश सरकार कभी "ब्रिटिश साम्राज्यीय मुकुटके सबसे जगमगाते रत्न"को ऐसे लोगोंके हाथ सौंपनेको तैयार हो जायेगी जिनका फिर वह भविष्यमें कोई शोषण ही न कर पाये और क्या इस प्रकार वह अपने पतनका मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना ठीक समझेगी। और आखिरी शंकासे पहले हमारी एक और शंका यह है कि क्या गांधीजीको स्मरण था कि पिछले कालमें कैसे एकाधिक अवसरोंपर ब्रिटिश सरकारके प्रति उनका विश्वास झूठ सिद्ध हो चुका है और क्या उन्होंने कभी यह भी सोचा है कि तरुण भारत अब उनको फिर हमेशाकी ही तरह मेहनतकश जनतापर अपनी राजनीतिक जादूकी छड़ी नहीं फेरते रहने देगा।

अब हम अपनी अन्तिम शंका सामने रखते हैं; लेकिन उसकी अहमियत अन्य शंकाओंसे किसी भी कदर कम नहीं है। वह शंका यह है कि क्या आगामी परिषद्में कांग्रेसके भाग लेनेसे सफलताकी कोई आशा दिखलाई पड़ती है। कौन कह सकता है कि लन्दनके लिए देशसे एक बार रवाना हो जानेपर गांधीजी और उनके साथ जानेवाले सहयोगियोको वार्ता असफल हो जानेकी स्थितिमें अपने कार्य-क्षेत्रमें वापस लौटने भी दिया जायेगा या नहीं? या कौन गारंटी दे सकता है कि लन्दन-प्रवासके दौरान भारतीय शिष्ट-मण्डलका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार किया ही जायेगा?

हमारे मनमें पूरी ईमानदारीके साथ एक यह प्रश्न उठता है कि क्या अब यही सर्वथा उपयुक्त अवसर नहीं है कि हम सब अपने तात्कालिक और चिरन्तन एकमात्र लक्ष्यको प्राप्त करनेकी खातिर मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लें और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए रक्त-स्नान करनेमें भी संकोच न करें, जाहिर है कि हम यह सब अहिंसाके अपने सिद्धान्तका पालन करते हुए ही करेंगे।

उपर्युक्त लेख मेरे पास 'द यूथ ऑफ इंडिया' की ओरसे भेजा गया है। इसके साथ बाकायदा हस्ताक्षर किया हुआ एक सह-पत्र भी संलग्न है। मैंने लेखके कुछ अनावश्यक अंशोंको निकाल दिया है और आरोपमें सारतः कोई परिवर्तन किये बिना प्रस्तुत अंशोंमें थोड़ा रद्दोबदल भी कर दिया है। उनके इस कथनमें सचाई है कि समझौता-भंग करनेके बारेमें सम्बन्धित पक्षोंमें आरोपण-प्रत्यारोपण हुआ है। परन्तु मैं जनताको विश्वास दिलाता हूँ कि अब कठिनाइयाँ दूर की जा चुकी हैं। मैं जानता

हूँ कि काग्रेसकी तरह केन्द्रीय सरकार भी समझौतेको कार्यान्वित करना चाहती है और जबतक यह स्थिति बनी रहेगी, समझौतेके ठप्प होनेका कोई खतरा नही। इस एक बड़े ही नाजुक किस्मके यन्त्रको चलाने, उसका उपयोग करने और उसे चुस्त-दुरुस्त रखनेके इस दौरमे, मै इस सम्बन्धमें इससे अधिक कुछ नही कह सकता। जनताको मुझसे इससे ज्यादा कर पानेकी आशा भी नही होनी चाहिए।

जहाँतक समझौतेकी बात है, मुझे इसमे रचमात्र भी शका नही कि यदि काग्रेस यह समझौता न करती तो बड़ी गलती करती और श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके साथी युवकोने कराचीमे अपना विरोध वापस लेकर और समझौतेसे सम्बन्धित प्रस्ताव का समर्थन करके निश्चय ही देशभक्तिपूर्ण कार्य किया है। कराची काग्रेसने स्वाधीनताके ध्वजको झुकाया नही है। इस सम्बन्धमे काग्रेसका आदेश बहुत ही स्पष्ट है।

गोलमेज परिषद्मे काग्रेस अपनी माँगे मनवा सकेगी या नही, मैं नही कह सकता। परन्तु मै इतना जानता हूँ कि अपनी माँगे ठुकराई जानेके भयसे परिषद्मे भाग लेनेसे कतराना काग्रेसके लिए गलत होगा। परिषद् भी एक साधन है जिसके जरिए हम अपनी राष्ट्रीय माँगकी नितान्त न्यायपूर्णता सिद्ध कर सकते है। काग्रेसको जब पूरी तरहसे इस बातकी छूट थी कि वह अपनी सम्पूर्ण माँग जैसी-की-तैसी पेश करके उसपर आग्रह कर सकती है, ऐसी हालतमें उसका परिषद्मे भाग लेनेसे इन्कार करना मूर्खतापूर्ण ही होता। गोलमेज परिषद्के सामने अपनी माँग पेश करनेका अवसर मिलनेपर, यदि काग्रेस उसका लाभ उठानेसे इन्कार करती तो उससे साहसकी कमी ही टपकती।

इसलिए मै यदि यह देखूँ कि मेरा लन्दन जाना सर्वथा निरापद है, तो परिषद्मे भाग लेनेके लिए वहाँ जानेमे कोई सकोच नही करूँगा। मेरी कठिनाई बुनियादी है और उसे सभी जानते है। यदि हम साम्प्रदायिक समस्याको हल करके खुद अपना ही घर व्यवस्थित न कर पाये तो काग्रेसकी माँग पेश करने लायक आत्मविश्वास मेरे अन्दर पैदा नही हो सकेगा। पर मै प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हल निकले, मैं हालातपर नजर जमाये हुए हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मार्ग सूझते ही, मैं जहाँ-कही भी मेरी दरकार हो, जानेको बिलकुल तैयार रहूँगा। दूसरी एक कठिनाई है, जो इतनी गम्भीर तो नही, लेकिन फिर भी किसी भी कदर कम महत्वपूर्ण नही है। यदि समझौतेसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ गम्भीर प्रश्न खटाईमे पडे हो तो समझौतेमे काग्रेसकी ओरसे शामिल होनेवाले मुख्य प्रतिनिधिकी हैसियतसे लन्दनके लिए रवाना होना मुझे बडा ही अटपटा लगेगा। मैंने लॉर्ड इर्विनको वचन दे दिया है कि मै समझौता ठप्प न होने देनेके लिए अपनी ओरसे कुछ भी उठा नही रखूँगा। मैं पहले ही इस बातका सकेत दे चुका हूँ कि प्रान्तीय सरकारे मेरे मार्गमे कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर रही है। परन्तु आशा है कि धैर्यसे काम लेनेसे सब कुछ ठीक हो जायेगा। जो भी हो, पूरी विनम्रताके साथ मेरा अपना विश्वास है कि सकटकी स्थिति उत्पन्न न होने देनेके लिए भारतमे मेरा रहना जरूरी है।

पत्र-लेखक या लेखकोकी अन्य शकाओके बारेमे मै अपनी वही बात दोहरा सकता हूँ जो मै अक्सर कहता रहा हूँ। अर्थात् जबतक कि मै भली-भाँति यह न

देख लूँ कि वार्तासे कोई भी लाभ होनेवाला नही है, मै आशाका पल्ला नही छोड़ूंगा, चूँकि मानव-स्वभावकी सद्‌प्रवृत्तिपर मेरा विश्वास बना हुआ है, इसलिए मुझे पिछली निराशाओके बावजूद भरोसा रखना चाहिए। मै इसीको व्यावहारिक बुद्धिमत्ता मानता हूँ। सफलताके मेरे विश्वासका आधार हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यकी सहज या अन्तर्निहित न्यायपूर्णता और उसी हदतक उसके लिए अपनाये जानेवाले साधनोकी औचित्यपूर्णता है। मै नही मानता कि लन्दनमे काग्रेसी शिष्ट-मण्डलको अपमान झेलना पडेगा। यदि वैसा हुआ भी तो उससे काग्रेसकी प्रतिष्ठापर कोई आँच नही आयेगी। हानि तो अपमान करनेवालोकी ही होगी। इसीलिए इन युवक पत्र-लेखकोसे मेरा आग्रह है कि वे निराशाको मनमे जगह न दे और समझौतेको सफल बनानेके लिए अपनी पूरी शक्तिसे जुट जाये और राष्ट्रीय दृष्टिकोणकी पुष्टिकी खातिर रचनात्मक कार्यक्रम पर अमल करके काग्रेसकी शक्ति बढाये। क्योकि यदि परिषद्‌मे काग्रेसका प्रतिनिधित्व होता है तो काग्रेस जितनी शक्तिशाली होगी, परिषद्‌मे हमे ठीक उसी अनुपातमे सफलता मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८९. भारतमें मिशनरियोंके तौर-तरीके

गांधीजीने ईसाइयतके प्रचारके लिए अपनाये जानेवाले मौजूदा तौर-तरीको और मिशनरियों द्वारा किये जानेवाले ईसाइयतकी श्रेष्ठताके दावोंके विरुद्ध मत व्यक्त करके मिशनरियोको बहुत दुखी किया है। मिशनरियोने श्री गांधीकी इस बातपर तीखे स्वरमें क्षोभ प्रकट किया है कि उनके काम करनेके तौर-तरीके संदिग्ध है। . . . १९११ के भारतीय जन-गणना प्रतिवेदनमें कहा गया था कि आदिम जातियोके लोग "मिशनरियोसे संकट कालमें सहायता और भू-स्वामियोके अत्याचारोसे संरक्षण पानेकी आशामें" ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते है। . . . राजाराम मोहनरायने १८२१ में 'ब्रह्मेनिकल मैगजीन' में अनुरोध किया था कि "गालियो और अपमानके जरिये या सांसारिक सुखोकी आशा बँधाकर" ईसाइयतकी श्रेष्ठताका प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। . . .

शिकागोकी 'सोसाइटी फॉर द एजूकेशन ऑफ द वीमैन ऑफ इंडिया' की मन्त्रिणी, श्रीमती चार्ल्स हॉवर्डने बम्बईके श्री वीरचन्द आर० गांधीके नाम अपने एक पत्रमें १८९६ में लिखा था: ? "परन्तु मुझे अधिक चिन्ता निर्धन भारतकी है। जब ईसाइयत यहाँ असफल रही तो फिर उसे भारतपर क्यों थोपा जाये?"[1]

१. यहाँ कुछ ही अंश दिये गये हैं।

यह सब एक अवकाशप्राप्त डिप्टी कलेक्टरकी कलमसे लिखा गया है। उल्लिखित साधन-सूत्रोंसे लिए गये इन उद्धरणोंको देखकर मिशनरियोंको क्रोधित होनेके बजाय अपना हृदय टटोलना चाहिए। मेरे पास इसी तरहके अनेक लेख मौजूद हैं, जिनमें से कुछ भारतीय ईसाइयोंके लिखे हुए भी हैं। उनको प्रकाशित न करनेके लिए उन पत्र-लेखकोंसे मैं क्षमा चाहता हूँ। इस बहसको और लम्बा नहीं खिचने देना चाहिए। पत्र-लेखकोंने उत्साहमें आकर सतर्कता नहीं बरती और अपनी स्मृतिपर जरूरतसे कहीं अधिक भरोसा करके एक ऐसी बहस[1] खड़ी कर दी है जो मेरा बस चलता तो मैं शुरू ही न होने देता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३९०. तार : जेम्स मिल्सको

स्वराज्य आश्रम,
बारडोली
४ जून, १९३१

जेम्स मिल्स
सेसिल होटल
शिमला

आपका तार मिला। कृपया तार कर दें कि भारतको स्वाधीनताके अपने अहिंसापूर्ण प्रयत्नमें अमेरिका द्वारा दी जा सकनेवाली सभी प्रकारकी सहायताकी जरूरत है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१३) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "विदेशी मिशनरी", २३-४-१९३१ और "फिर विदेशी मिशनरियोंके बारेमें", ७-५-१९३१ भी।

३९१. तार: जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
४ जून, १९३१

सेनगुप्त
एल्गिन रोड
शिमला

तारके[1] लिए धन्यवाद। मेरी राय कि आप सभी मामले बिना शर्त पच-फैसलेके लिए सौंप दें। चुनावमें अनियमितता पाई जाये तो रद किये जा सकते हैं।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१४)की फोटो-नकलसे।

१. तारमें कहा गया था: "...आपको भेजे सुभाषबाबूके तार और उसमें अपनाये रुखको देखते हुए मैं पंच-फैसलेके लिए सहमत हूँ। निवेदन है कि पंच-फैसला समझौतेके स्तरपर न उतरे, वह ब्योरेवार छानबीनके बाद सिद्धान्तके प्रश्नोंपर और तथ्योंपर दिया गया एक निर्णय हो। पंच या पंचगण सिद्धान्तके निम्नलिखित प्रश्नोंपर निर्णय देंगे ऐसी आशा है: क्या जिला कांग्रेस कमेटियोंको बिना किसी बाधाके बड़े पैमानेपर सदस्य बनानेकी सामर्थ्य प्रदान करनेकी दृष्टिसे पहलेकी तरह सदस्यताके फार्म छपवानेका अधिकार रहेगा; क्या जिला कांग्रेस कमेटियोंके अध्यक्ष पदेन चुनाव-अधिकारी नहीं होने चाहिए; और जब अध्यक्ष सुलभ न हों तब क्या बंगाल और सुरमा घाटीसे अ० भा० का० क० के लिए प्रतिनिधियोंके निर्वाचनपर निर्वाचन नियमावलीका नियम पाँचवाँ, आवश्यक परिवर्तनोंके साथ, लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्या बंगाल प्रान्तीय का० क० की कार्यकारिणीकी सारी राशियोंके आय-व्ययका लेखा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए; क्या निगमके कर्मचारियों और ठेकेदारोंको बंगाल प्रान्तीय का० क० या जिला का० कमेटियोंकी कार्यकारिणी समितियोंके अधिकारी तथा सदस्य बननेकी अनुमति दी जानी चाहिए; क्या बंगाल प्रान्तीय का० क० के नियमों तथा उप-नियमोंमें से ऐसी व्यवस्थाएँ निकाल नहीं देनी चाहिए जो एक गुटकी सत्ता और बुराइयोंको स्थायित्व प्रदान कर सकती हों? पंचके यहाँ आनेपर उनके सामने तथ्योंसे सम्बन्धित मामलोंसे उठनेवाले प्रश्न पेश किये जायेंगे, जिनमें मनमाने या गलत तौरपर जिला का० कमेटियोंको सम्बद्ध या असम्बद्ध करनेका प्रश्न भी सम्मिलित है। सुभाषबाबू और मेरे बीच उपस्थित विवादको व्यक्तिगत मानना भ्रमपूर्ण होगा। झगड़ा तो सिद्धान्तोंको लेकर है। बंगाल कांग्रेसका बहुत बड़ा और दृढ़ बहुमत गुटकी सत्ता और बुराइयोंके विरुद्ध आवाज उठा चुका है। हमें शंका है कि सुभाषबाबू और उनकी पत्रिका द्वारा किये जानेवाले निरन्तर प्रचारके फलस्वरूप बंगालसे बाहर कुछ क्षेत्रोंमें यह मिथ्या धारणा पैदा हो गई है कि बंगाल कांग्रेस अब भी उनके और उनके गुटका समर्थन करती है। . . . इस प्रकार बत्तीस जिला समितियोंमें से बाईस मेरे साथ हैं। शेष दस समितियोंमें से भी किसीने मेरे दृष्टिकोणको नापसन्द नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कार्यसमिति जैसे ही बंगाल प्रान्तीय कां० क० के वर्तमान चुनावको रोकनेका

३९२. तार : वेंकटेश नारायण तिवारीको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
४ जून, १९३१

वेंकटेश नारायण तिवारी
कीटगंज
इलाहाबाद

आपका तार मिला। स्पष्ट ही तिरेपनवी पंक्तिमें[1] भूल है। अगले अंकमें 'भूल सुधार' दे रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१५)की माइक्रोफिल्मसे।

३९३. तार : मकबूल हुसैनको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
४ जून, १९३१

हकीम मकबूल हुसन
मारफत कांग्रेस
कानपुर

आपका तार। मामला[2] पंच-फैसलेको सौंपिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१६)की माइक्रोफिल्मसे।

आदेश देंगी, हम तुरन्त चुनाव सम्बन्धी अपनी कार्रवाई बन्द कर देंगे।... आज बंगालके जीवनके सभी क्षेत्र और सभी सार्वजनिक संस्थाएँ कांग्रेससे प्रभावित हैं। कांग्रेसको इसीलिए हर कीमतपर शुद्ध और सन्देहोंसे ऊपर रखना जरूरी है। पंच-फैसलेको सौंपनेके प्रस्तावकी दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति और बंगाल प्रान्तीय कां० क० का निर्वाचन रोकनेकी सूचनाके साथ आपके पत्रका इन्तजार है।"

१. देखिए "एक भूल-सुधार", ११-६-१९३१।

२. अनुमानतः कानपुरमें हिन्दू-मुसलमान तनावका मामला। देखिए "तार: मुरारीलालको", १-६-१९३१।

३९४. पत्र : प्रेमाबहनको कंटकको

बारडोली
४ जून, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। मैं भी सोमवारको रवाना होनेवाला हूँ। इसलिए मंगलवारको ही हम दोनों बम्बई पहुँचेंगे। लेकिन मैं कुछ जल्दी पहुँचूँगा। मंगलवारको फुरसत हो, तब कुछ देरके लिए मिल जाना। उस समय बातचीत करनेका मौका मिला तो निश्चय कर दूँगा।

तेरा पत्र समाचारोंसे खासा भरा हुआ पत्र था। गंगाबहनमें उमंग और उत्साह तो बहुत है। तू उनके साथ खूब चर्चा करना और उन्हें मदद भी देना। उनका प्रेम अपार है और सेवाकी उत्कट इच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ६७०४ से भी।
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

३९५. पत्र : वसुमती पण्डितको

४ जून, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने भाई नानालालका पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। यदि इस कामके सिलसिलेमें तुम्हें वीसनगर रहना पड़े तो उसके लिए मेरी हाँ नहीं है। यह काम अटपटा है। नानालाल मुझसे मिलना चाहें तो बेशक मिल लें। इस मामलेमें मैं कृष्णदासका विश्वास करूँगा। कुछ भी निर्णय करनेसे पहले दूदाभाई, मथुरादास और नारणदासकी राय जाननी चाहिए। आश्रमके बाहर कामकी कोई जगह पसन्द करनी हो, तो तुम्हें नडियाद या बोचासण पसन्द करना चाहिए। मेरा मन तो बोचासणकी तरफ झुकता है। वहाँका काम जमा हुआ है। किन्तु यदि नड़ियादकी उस शालाके लिए कुछ करना धर्म हो, तो फिर उसका पालन करना ही चाहिए। तुमने किसी भी तरहकी आशा बँधाई हो तो उसे पूरा करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५७१ से भी।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

३९६. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

बारडोली
४ जून, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे लिए तो आश्रम ही ठीक है। तुम लडकियोको नही छोड सकती। नई आना चाहे तो उन्हे भी ले लेना चाहिए। इसलिए तुम आश्रममे ही ठीक काम कर सकोगी।

वसुमती नडियादमे रहना चाहे, तो रहे।

सान्ताक्रूजकी खादी बहुत अच्छी है।

तुम्हे कब जाना है यह लिखना। मनमें जो विचार उठे, उन्हे लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो : ६ : गं० स्व० गंगाबहनने; तथा सी० डब्ल्यू० ८७७६ से भी।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

३९७. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

बारडोली
४ जून, १९३१

भाई मूलचंदजी,

आपका पत्र मिला —

(१) गाँवकी सफाई करना राजधर्म है।

(२) राज न करे तो ग्रामवासी करे।

(३) म्युनिसीपालिटीका अर्थ ग्रामसेवक समाज। ऐसा समाज ग्रामवासी स्वयं बना सकते है।

(४) स्वयसेवक काम करे तो सफाई मुफ्त होने लगे।

(५) छोटे देहातमें दो चार परोपकारी नवजवान भी सफाईका काम कर सकते हैं।

मोहनदास

जी० एन० ७५८ की फोटो-नकलसे।

३९८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

वारडोली
४ जून, १९३१

भाई घनश्यादास,

यह नकल सर डारसी लिडसेके खतकी है। उसका उत्तर आकडोके साथ भेजो। मैने तो भेजा है।[1] परतु उससे अधिक ज्ञानमय उत्तरकी आवश्यकता है।

बगालके झगडेके बारेमे तार मिला। मैने सेनगुप्ता[2]को तार दिया है पंच कबूल करले वगैर शरत।

बापू

[पुनश्च:]

मै ९–११ तक मुंवई हुंगा।

सी० डब्ल्यू० ७८८७से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

३९९. तार: घनश्यामदास बिड़लाको

स्वराज्य आश्रम,
वारडोली
५ जून, १९३१

घनश्यामदास बिडला
मारफत 'लकी'
कलकत्ता

थोड़ी भी गुंजाइश हो तो बंगाल-विवाद स्थानीय पंच-फैसलेके जरिए तय करनेकी कोशिश कीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२२८)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: सर डार्सी लिंडसेको", ३-६-१९३१।
२. देखिए "तार: जे० एम० सेनगुप्तको", १-६-१९३१।

४००. तार: अध्यक्ष, हिन्दी सम्मेलन, मदुराको

स्वराज्य आश्रम,
बारडोली
५ जून, १९३१

अध्यक्ष
हिन्दी सम्मेलन
मदुरा

आशा है आपके प्रयत्नोंके फलस्वरूप अगले कांग्रेस अधिवेशनमें सभी प्रतिनिधि हिन्दी बोलेंगे समझेंगे।[1]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३२)की माइक्रोफिल्मसे।

४०१. तार: कृष्णदासको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
५ जून, १९३१

कृष्णदास
शक्ति आश्रम
राजपुर (देहरादून)

आपका तार। आपको यहाँ आने या चिन्तित होनेकी जरूरत नहीं। मामला तय करनेकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ।[2]

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १७२२९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह तार ७ जूनको सम्मेलनमें पढ़कर सुनाया गया था।
२. अनुमानतः बंगाल कांग्रेसमें चलनेवाला विवाद; देखिए "पत्र: कृष्णदासको", ३-६-१९३१।

४०२. तार : सदागोपाचारीको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
५ जून १९३१

सदागोपाचारी
अध्यक्ष जिला कांग्रेस
तिरुतनी

आपका तार। चक्रवर्ती राजगोपालाचारीसे मिलिए। विवरण भेजिए।

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३०) की माइक्रोफिल्मसे।

४०३. तार : फूलचन्द क० शाहको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
५ जून, १९३१

फूलचन्द शाह
राष्ट्रीय शाला
वढवाण नगर

आपका पत्र। आप रविवारको या बम्बईसे लौटने पर आ सकते हैं।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३१) की माइक्रोफिल्मसे।

४०४. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

शराबका घपला काफी परेशानी पैदा कर रहा है। कालीकटसे आये एक पत्रके निम्नलिखित अंशो[1]से आपको मालूम हो जायेगा कि कांग्रेस-पक्षका कहना क्या है,

१. पत्रमें कहा गया था कि "... धरनेके कारण दूकानोंपर शराब न बिक पानेसे उसे पुलिस और चुंगी अधिकारियोंकी मददसे ... फेरीवालों या उनके दोस्तोंके घरोंपर भेज दिया जाता है, जहांसे उसकी नियमित बिक्री चलती है।"

अहमदाबादके घरनेके बारेमे तथ्य आपको पहले ही भेज चुका हूँ। इस मामलेको अन्तिम रूपसे तय करनेमे अब और अधिक देर करना ठीक नही होगा।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल सख्या १६–बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

५ जून, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

आशा है कि लंकामे तुमने जो स्वास्थ्य-लाभ किया था, उसे दक्षिण भारतमें गँवा नही दिया है। यदि तुम चुस्त-दुरुस्त होओ और सफर नापसन्द न करो तो इतवारको दिन-भरके लिए बारडोली आ जाओ, जिससे हम मंगलवारको कार्रवाई शुरू करनेसे पहले शान्तिके साथ बातचीत कर सके। आशा है कि विश्रामसे कमला और इन्दुको लाभ पहुँचा होगा।

तुम्हारा,
बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
मारफत — श्रीयुत जालभाई नौरोजी
नैपियन सी रोड
बम्बई

[अंग्रेजीसे]

गाधी-नेहरू कागजात, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

४०६. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

सह-पत्र देख लो और यदि तुम्हे सम्बन्धित साहित्य और अवकाश मिल जाये तो कृपया उसका अपना उत्तर भी मुझे भेज दो।

बापू

संलग्न : १

श्री जे० सी० कुमारप्पा
६५, एस्पलेनेड रोड
बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १००९५) की फोटो-नकलसे।

४०७. पत्र : पी० ए० वाडियाको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय प्रो० वाडिया,

मै एक अंग्रेज मित्रके पत्रकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ। मैंने उनको उत्तर दे दिया है, लेकिन मै जानता हूँ कि मेरा उत्तर उतना वजन नही रखता जितना कि एक मँजे-मँजाये अर्थशास्त्रीके उत्तरका हो सकता है। इसलिए क्या आप तथ्यो और आँकड़ो सहित अपना सुविचारित उत्तर मुझे भेजनेकी कृपा करेगे?

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

प्रो० पी० ए० वाडिया
विल्सन कालेज
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३३) की माइक्रोफिल्मसे।

४०८. पत्र : एम्मा हार्करको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार कैसे हटा सकता हूँ और फिर क्यो? बहिष्कारका अर्थ क्या है? वह तो समझाने और आग्रह करनेका एक साधन-भर है। लोग यदि विदेशी वस्त्र पहनना चाहे तो उनको रोकनेवाली चीज तो कोई है नही। पर यदि देशमे राष्ट्रीय सरकार होती तो निश्चय ही विदेशी वस्त्रोके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाता, जैसा कि ऐलिजाबेथके कालमे इग्लैडमे किया गया था। यह सच है कि सक्रमणकालमे लंकाशायरके मजदूर कष्टमें पड जायेंगे। लेकिन क्या यही सोचकर भारतके करोड़ों लोगोको भूखों मरना होगा? लकाशायरने भारतके कुटीर उद्योगोंका गला घोंटकर एक अन्याय किया। अब यदि उस अन्यायका निराकरण करनेकी कोशिशमें भारत अपने कर्त्तव्यका निर्वाह करते हुए विदेशी वस्त्रोका उपयोग करना बन्द कर दे, तो लंकाशायरको चाहिए कि अपने लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक कोई उद्योग तलाश ले। हानि किसे हो रही है और अन्याय किसपर? मै चाहता हूँ कि आप इस समस्याका विशद विवेचन करे; तब आप देखेगी कि विदेशी वस्त्रोपर रोक लगाना भारतके गाँवोमें बसनेवाले करोड़ो लोगोंके जीवनके लिए अत्यावश्यक है।

स्पष्ट है कि आपने अमेरिकामें मद्य-निषेधकी समस्याका अध्ययन नही किया है। मैंने मद्य-निषेधके पक्ष और विपक्ष दोनोके प्रतिपादकोसे बात की है। यह तो सच है कि अमेरिकामें मद्य-निषेधके कारण कई प्रकारके "फैशनेबल" अपराध होने लगे हैं, लेकिन यह भी तो सच है कि मद्य-निषेधने हजारो-लाखो अमेरिकी मजदूरो को बर्बादीसे बचा लिया है और वे अब इस लोभकारी आदतसे छुटकारा पाकर अधिक सयत परिवारोका पालन-पोषण कर रहे हैं। पर अमेरिकाकी तुलनामें, भारतमे परिस्थिति कही अच्छी है। अमेरिकामे शराब पीना 'फैशन' बन चुका था, फिर भी अमेरिकाके महान व्यक्तियोने उसके विरुद्ध आन्दोलन किया। मद्य-निषेधका सकल्प करके अमेरिकाने एक कितना महान कार्य किया है, इसका सही-सही अनुमान हम अभी नही लगा सकते। भारतमे शराबखोरी एक बुरी लत मानी जाती है और वह भी एक वर्ग-विशेषके लोगोमे ही पाई जाती है। इसलिए इस देशमे मद्य-निषेध पूर्णत: मगलकारक ही होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती एम्मा हार्कर
६, बैलग्रेव टेरेस
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३५)की फोटो-नकलसे।

४०९. पत्र : माधवानरको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय माधवानर,

धरनेके बारेमें आपका पत्र मिला। अभी इस समय तो मैं आपको सबसे ठीक सलाह यही दे सकता हूँ कि आप श्री राजगोपालाचारीके साथ इस पूरे विषयपर चर्चा कर ले और उनकी सलाहसे ही काम करे। मेरा निश्चित मत है कि यदि धारा १४४के अन्तर्गत आदेश दिये जाये तो अभी कम-से-कम कुछ दिनतक तो आपको उनका पालन करना ही चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री माधवानर
मातृभूमि बिल्डिंग्स
कालीकट (मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३६)की माइक्रोफिल्मसे।

४१०. पत्र : डॉ० जोशुआ ओल्डफील्डको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय ओल्डफील्ड,

आपके पत्रसे पिछली मधुर स्मृतियाँ जाग गईं। इन गर्मियोमें मैं इग्लैंड नही जा रहा हूँ। कह नही सकता, सितम्बरमे मुझे जाना पडेगा या नही। यदि मैं गया और वहाँ बीमार पड़ गया तो शायद मुझे आपके अस्पतालमें शरण लेनी पड़े। कुछ भी हो आपका सौजन्य है कि आपने मुझे याद किया।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० जोशुआ ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
डोडिंगटन, कैंट (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५१७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड

४११. पत्र : प्रभावतीको

५ जून, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। इतना बीमार होनेपर भी तुम्हे वहाँ रहना ही पड़ रहा है यह असह्य है। तुम्हे हिम्मत बाँधकर कोई उपाय ढूंढना चाहिए। मैंने तुम्हे लम्बा ब्यौरेवार पत्र लिखा है। वह मिला होगा। इसलिए इस पत्रमें ज्यादा नही लिखता। बम्बईमे ९ से ११ तारीखतक ही रहूँगा। वहाँ पता है: लैबर्नम रोड, बम्बई। सिर्फ तीन दिन ही रहना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०१)की फोटो-नकलसे।

४१२. पत्र : लालजी परमारको

५ जून, १९३१

चि० लालजी,

क्या मामासाहब तुमसे नाराज है? उन्हे पत्र लिखते हो? क्या तुम अपनी सगाईकी कुछ तजवीज कर रहे हो? तुम्हे शादी करनेकी जल्दी है क्या? मनमें जो भी बात हो मुझे लिखना।

वहाँ खूब काम कर रहे होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३२९२)की फोटो-नकलसे।

४१३. पत्र : नाजुकलाल न० चौकसीको

५ जून, १९३१

चि० नाजुकलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मोतीका ऑपरेशन कराना ही हो तो जल्दी करा लो। पुस्तकालयमें जाकर ठीक ही किया है। वेतन कितना है?

चम्पारनके विषयका लेख देख लिया है। वह देशी तो मानी जायेगी। हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि जो इस प्रकारकी चीनी छोड़ना चाहता है, उसे चीनी बिलकुल ही छोड़ देनी पड़ेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १२१४८) की फोटो-नकलसे।

४१४. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

५ जून, १९३१

चि० पण्डितजी,

भंगी सम्मेलनके बारेमें इतने लम्बे चौड़े स्पष्टीकरणकी जरूरत ही न थी। रामभाऊ अपने कार्यक्रमकी व्यवस्था करने दे तो कर देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

४१५. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
५ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम राजकोट हो आये, यह भी अच्छा ही हुआ।

बड़े-बूढ़ोंको लिखकर भी समझाते रहोगे तो शायद वे खादीके बारेमें तुम्हारी सलाह मान लेंगे।

मुकुन्दरायका पत्र बहुत दिन पहले आया था; तुम्हें भेज रहा हूँ। इससे महालक्ष्मीके बारेमे ज्यादा अच्छी तरह समझोगे। मुझे नही मालूम था कि गौरीशंकर उसका सम्बन्धी है। उसे लिया जा सके तो मुझे अच्छा लगेगा। छगनलाल भी उसके सम्बन्धियोमे से है।

वह दूसरी बहन भी जैसी तुम्हे लगी है, वैसी ही हो तो उसे आश्रममे लिया जा सकता है। उसके पतिसे परिचय करना चाहिए। इतना तीव्र वैराग्य था तो शादी क्यो की? आयु कितनी है? कितना पढी है? किस जातिकी है? पति, ससुर क्या करते है? पिता क्या करता है? सिद्धान्त रूपसे तो हमें ऐसी स्त्रियोको लेना चाहिए।

रतुभाई बम्बई आया होगा तो मिलेगा। लीलावतीके बारेमें डाक्टर असन्तुष्ट है, यह तो मै जब रगून गया था तभी समझ गया था। किन्तु रतुभाई बम्बईमें मिलेगा तब उससे बात करूँगा।

मदनमोहन जमनालालजीके पास रहे यह ठीक लगता है। हरिभाई यहाँ थे, उनसे भी बात हो गई है। मदनमोहन जमनालालजीके पास रहे तो उसे कुछ भेजनेकी जरूरत नही रहती।

यदि अमतुलबहन आश्रममे ही रहकर मरना भी चाहे तो हमे उसे रहने देना चाहिए। उसे बाहरसे पैसा भेजा जाये और वह चाहे तो उसे ले ले। यदि बाहरसे उसे पैसा न मिले, तो हमे उसका खर्च उठा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि वह शारीरिक श्रम कम करे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जायेगा। बाके नामसे जो हुंडी आई थी, वह तुम्हें मिल गई होगी।

जो आश्रमवासी जिस जगह जाकर बसता है, उसका खर्च वहीसे निकलना चाहिए। किन्तु इसके सम्बन्धमें छगनलाल किसी व्यक्तिके लिए और कुछ करना चाहे तो वैसा ही कर लेना। मैंने छगनलालको भी यही लिखा है।

द्वारकानाथके बारेमे मुझे हथियार रखनेका जो शक हुआ है, जबतक वह दूर नही हो जाता तबतक मैंने उसे गुजरातसे बाहर रहनेकी सलाह दी है। वह कुछ दिनोमे चला जायेगा। उसके बिलका प्रश्न उठता है। छगनलालको द्वारकानाथ निर्दोष

लगता है। उसे लिखा है कि यदि उसकी राय विल अदा कर देनेकी हो तो अदा कर दे। अब वह तुम्हे भी अदायगीके लिए लिखे तो अदा कर देना।

मैं सोमवारको यहाँसे रवाना होऊँगा और ११ तारीखको बम्बईसे निकलकर १२ तारीखको बारडोली वापस पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

४१६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

५ जून, १९३१

भाई घनश्यामदास,

इस खत पढीयो।[1] मेरा कुछ ख्याल रहा है कि मैं इस बारेमें आपको लिख चुका हु। कैसे भी हो, यदि रघुमल ट्रस्टमें से इस सस्थाको मदद मिल सके तो देनेके लायक है ऐसा मैंने माना है।

वगालके झगडेके बारेमें पचके मार्फत समझौता हो सके तो करवानेका तार आज दीया है। वरकिंग कमिटीके पास यह मामला नहिं आना चाहिये।

मैं मुबईमें ९-११ तक हुगा।

मोहनदास

सी० डब्ल्यु० ७८८८से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

४१७. तार : जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
६ जून, १९३१

सेनगुप्त
एलगिन रोड
कलकत्ता

आपका तार। आपका त्यागपत्र देना या शामिल न होना दोनो बातें गलत होगी। मैंने आपके आचरणका न अनुमोदन किया न विरोध,

१. पत्र पिछड़ी हुई जातियोंके कल्याण-संघ, दिल्लीके रामानन्द संन्यासीने लिखा था। इसमें रघुमल ट्रस्टकी बैठक १६ या १७ जूनको होनेकी सूचना थी।

सिर्फ इसीलिए कि मुझे तथ्योकी जानकारी नही है। अब तक नही जानता कि पृथक चुनावोंका अर्थ क्या है। धोखाधड़ी जहाँ भी साबित हो उसपर पर्दा नही डालना चाहता। यही सलाह थी कि कार्य-समितिको निर्णय देने पर बाध्य करनेके बजाय स्थानीय पच ही सभी मसले तय कर दे और यह बंगालके नाम पर बट्टा न लगने देने और जल्द फैसला करनेकी खातिर ही। इसमे सरदार सहमत है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४३)की फोटो-नकलसे।

४१८. पत्र : आर० एम० मैक्सवैलको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

आपके १३ मईके पत्र[1] की चर्चा एक बार फिर कर रहा हूँ। शिमलामें आपका पत्र मिलनेके लगभग साथ-साथ मुझे यह समाचार भी मिल गया था कि श्री राजवाडे रिहा किये जा चुके है; हालाँकि उक्त पत्रसे ऐसी कोई आशा नही बँधती थी। श्री एमर्सनने मुझे यह समाचार तार द्वारा दिया था, जिसका मैंने बडा आभार माना था। अब श्री एच० डी० राजाके मामलेके कागजात भी मिल चुके है। उनमें मुझे हिंसाके लिए कोई उकसावा देनेकी बात तो दिखी नही। भाषणोका पाठ तो मेरे पास नही है, मुझे बतलाया गया है कि मुकदमेके रिकार्डमें भी भाषणोका पाठ मौजूद नही है। फिर भी सरकारी गवाहोके बयानो और न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णयमे उन भाषणोके सर्वाधिक संगत अशोकी झाँकी मिल जाती है, जो अत्यन्त ही अशिष्ट और राजद्रोहपूर्ण अवश्य है, पर हिंसाको उकसानेके प्रयत्नकी तो कोई बू उनमें नही मिलती। इसके विपरीत न्यायाधीशने स्वय ही अभियुक्त द्वारा किये जानेवाले अहिंसाके प्रचारका उल्लेख किया है, परन्तु उसे कोरी मुँहकी बात कहकर टाल दिया है। मेरी समझमें नही आया कि जब हिंसाके लिए उकसानेका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नही है और अहिंसाके लिए प्रत्यक्ष रूपसे किये गये आग्रहका प्रमाण मौजूद है, तब कैसे कोई न्यायाधीश अहिंसाके प्रचारको केवल एक ऊपरी बात करार दे सकता है। पर इस मामलेमे मैंने अपने ही अकेले मतको काफी नही मान लिया है। मैंने यह मामला अपने तीन वकील मित्रोके सामने भी रखा था। उनमे से एक मित्रने अपनी राय लिखित रूपमे देनेकी कृपा की है, उसकी प्रति मैं संलग्न कर रहा हूँ। महामहिमसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी परिस्थितियोमे वे अपने निर्णयपर फिरसे विचार करे। मैं

१. देखिए परिशिष्ट ९।

बतलाना चाहता हूँ कि समझौतेकी धारा १३के अनुसार तो सरकार इस बातके लिए बाध्य है कि वह असहयोग आन्दोलनके उन सभी बन्दियोंको रिहा कर दे, जिनपर सिवा कानूनी हिंसाके और कोई हिंसा कार्य करने या हिंसाके कामके लिए उत्तेजित करनेका अपराध सिद्ध न होता हो। मैं यह भी कहता हूँ कि जब साक्ष्यके आधारपर उत्तेजना फैलानेका कार्य स्पष्टत: सिद्ध नही होता, तब ऐसे किसी कार्यका अनुमान करनेका सरकारको अधिकार नही है।

और बारडोली ताल्लुकाके रतनजी दयारामका मामला भी है। मैंने अब इस मुकदमेका फैसला और उसके सबूत देख लिये हैं। समझौतेकी धारा १३मे हिंसाकी बात की गई है, वह हिंसा निश्चय ही उन्होंने नही की है। और यह कहना भी सही नही है कि अभियुक्तने अपने बटाईदारकी फसल जलाई थी। अभियुक्तने अपनी ही फसलमे आग लगा दी थी और उस फसलमे वादी, देवलिया जागला साझीदार था। यदि वादीको कोई नुकसान पहुँचा था और यदि वह चाहता था तो अभियुक्तपर दीवानी अदालतमे दावा कर सकता था। ऐसा वह अब भी कर सकता है। लेकिन जब सबूतोसे और खुद न्यायाधीशके फैसलेसे प्रकट है और सरकारने भी स्वीकार किया है कि फसलको बेचकर लगान वसूली करनेसे सरकारी अधिकारियोंको रोकने के लिए ही उसने फसल जलाई थी, तब साझीदारको नुकसान पहुँचानेकी गरजसे फसल जलानेका कोई सवाल ही नही उठता। और सरकारने जो कार्रवाई की है उसमें भी एक अनियमितता है, जिसे मैं बतलाना चाहता हूँ। सरकारने फसलके जानें-माने साझीदार रतनजी दयारामको तो जेलमे रख छोडा है, पर उसके साथी अभियुक्त रणछोडको रिहा कर दिया है, जिसका फसलमे कोई हिस्सा नही है। इसलिए मेरा यह कथन है कि समझौतेकी शर्तोंके अनुसार रतनजी दयारामको भी उसी आधारपर रिहा कर दिया जाये जिसपर श्री एच० डी० राजाको रिहा किया गया है।

गत ३० मईके आपके दूसरे पत्रके सिलसिलेमें मैं यही कहूँगा कि महामहिम द्वारा अपनाये गये रुखसे मेरे मनको गहरी पीडा पहुँची है। प्रेस वापस करनेसे इन्कार करनेके लिए जो तर्क दिये गये है, वे मुझे बडे ही विचित्र लगे हैं। यह तो वापस देनेकी बात है, वापस लेनेकी नही। धारा १६के अनुसार वापस देनेकी जिम्मेदारी सरकारपर रखी गई है; जिसकी सम्पत्ति ली गई है उसपर यह जिम्मेदारी नही रखी गई है कि वह खुद जाकर उसे वापस ले। आपके पत्रके तीसरे अनुच्छेदमें पेश किये गये तर्क तो और भी पीडादायी है। अध्यादेशका जो अर्थ लगानेकी कोशिश की गई है, उसका तो मैंने कभी अनुमानतक नही किया था। आपकी व्याख्या पर तो मैं कोई आपत्ति नही कर सकता, फिर भी शान्ति स्थापनाके उद्देश्यको लेकर तैयार किये गये एक दस्तावेजकी व्याख्या इतनी क्षुब्ध करनेवाली की जाये, मैं इस बातपर आपत्ति अवश्य कर सकता हूँ। सरकार तो अपने अधिकारियो द्वारा मनमाने ढगसे किये गये सम्पत्तिके विनाशको उचित ठहराना चाहती है। परन्तु मैंने कांग्रेसके एक प्रतिनिधिके रूपमें मेरे और सरकारके बीच पडे विवादास्पद प्रश्नोंके क्षेत्रको जहाँतक हो सके अधिक-से-अधिक सीमित करनेके लिए ही मोटरकारों और

बाइसिकिलोंके मालिकोंको सलाह दी है कि वे यदि चाहें तो उनको स्वयं हटा लें। पर जहाँतक प्रेसकी बात है, मुझे खेद है कि समझौतेकी शर्तोंके समुचित पालनपर मुझे आग्रह करना ही पड़ेगा। यदि सरकारको मेरे लगाये अर्थपर सचमुच कोई आपत्ति हो, तो मैं इस प्रश्नको बम्बई उच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश या किसी भी अन्य निष्पक्ष अधिकारीके सामने निर्णयके लिए पेश करनेको बिल्कुल तैयार हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न: १

श्री आर० एम० मैक्सवेल
महामहिम गवर्नर, बम्बईके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या ४, १९३१, खण्ड १, पृष्ठ ७-९।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४१९. पत्र: दुनीचन्दको[1]

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय लाला दुनीचन्द,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। सभी मुकदमोंके बारेमें मैं आपकी रायका इन्तजार करूँगा।

मजिस्ट्रेटने सभा तितर-बितर क्यों कर दी थी? तितर-बितर करनेका प्रकट कारण क्या बतलाया गया था और उसके लिए कौन-सा तरीका अपनाया गया था?

सरकार जैसे ही लुधियाना काण्डके बारेमें अपनी राय प्रकाशित करे, आप मुझे तुरन्त लिख दीजिएगा।

हृदयसे आपका,

लाला दुनीचन्द
एडवोकेट
अम्बाला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-बी, १९३१ खण्ड १, पृष्ठ ७९
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १९-५-१९३१।

४२०. पत्र : के० वी० वेलको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

गत ३० अप्रैलके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा सन्देश इस प्रकार है:
जापानको भारतके अहिंसात्मक आन्दोलनका अध्ययन करना और उसकी सहायता करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री के० वी० वेल
पो० बा० ९
अकासाका, टोकियो (जापान)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३८)की फोटो-नकलसे।

४२१. पत्र : जुगलकिशोरको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय जुगलकिशोर,

आपका पत्र मिल गया। अच्छा यह रहा कि आचार्य कृपलानी इस समय बारडोलीमें है। मैंने उनसे मशविरा कर लिया है; यदि आप स्वयं भी सुझावका अनुमोदन करें तो वे इसके लिए तैयार हैं कि मैं प्रस्तावकी शर्तोंके अनुसार उनको नामजद कर दूं। उन्होंने दूसरा नाम भी सुझाया है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। दूसरा नाम काशी विद्यापीठके आचार्य नरेन्द्रदेवका है। ये दोनों ही तपे-तपाये सैनिक हैं और इनको इन मामलोंका यथेष्ट अनुभव है। इन दोनोंके रहते, अब यह आवश्यक नहीं रह गया कि मैं विशेषज्ञोंके नामोंको भी तुरन्त ही पेश कर दूं।

प्रस्तावको सुपाठ्य बनानेकी दृष्टिसे मेरा सुझाव है कि उसमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया जाये: "आत्मनिर्भरताके आधारपर" के स्थानपर "संस्थाको

आत्मनिर्भर बनानेके लिए" शब्द रख दिये जाये। और "सग्रह"के बाद "तथा वितरणके हेतु" शब्द जोड दिये जाये।

हृदयसे आपका,

आचार्य जुगलकिशोर
प्रेम महाविद्यालय
वृन्दावन

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३९)की फोटो-नकलसे।

४२२. पत्र : उर्मिला देवीको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय बहन,

आपका तार मिल गया था और अब पत्र भी। निश्चय ही बगालकी स्थिति अन्यन्त निन्दनीय है, पर मेरी समझमे नही आता कि यहाँसे क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा था कि पच-फैसला ही तनाव दूर किये जा सकनेका एक उपाय है। इसके सिवा कार्य-समिति या स्वय मैं भी और क्या कर सकते थे? सुभाष बाबू यहाँ आये थे और उन्होने श्री सेनगुप्तके विरुद्ध एक बडा लम्बा आरोप-पत्र सरदार वल्लभभाईको दे दिया था। वल्लभभाईने उसे इस आशासे फाइलमे सहेज लिया है कि वे दोनो पक्षोकी उपस्थितिमे उसकी जाँच-पडताल कर सकेंगे। क्या आप इस कठिनाईसे निकलनेका कोई दूसरा रास्ता सुझा सकती हैं?

श्रीमती उर्मिला देवी
४०/१ रूपचन्द मुखर्जी लेन
भवानीपुर, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४०)की फोटो-नकलसे।

४२३. पत्र : नीलकण्ठ दासको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय नीलकण्ठ बाबू,

आपका पत्र मिला। मैं परिस्थिति बखूबी समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जिसका जिक्र किया है, ऐसे मामलोंमें अभी इस समय अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। इतना ही कह सकता हूँ कि यदि इन उत्तेजनाओंके बावजूद शान्तिपूर्ण ढंगसे धरना जारी न रखा जा सकता हो, तो उसे कुछ समयके लिए स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन तब लोगोंके पास घर-घर जाकर जोरदार प्रचार-कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए।

चौ० नीलकण्ठ दास
भुवनेश्वर

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४१) की माइक्रोफिल्मसे।

४२४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र और 'अमृत बाजार पत्रिका' की कतरन मिली। यदि मामलेका निर्णय कार्य-समितिको ही करना है तो उसे इसके लिए काफी जटिल कार्यविधि अपनानी होगी। उसे टालना हो तो उसकी जगह पंच-फैसलेका सुझाव देनेके सिवा और क्या किया जा सकता है? सुभाष बाबू यहाँ आये थे और उन्होंने सेनगुप्तके विरुद्ध शिकायतोंकी एक लम्बी सूची सरदार वल्लभभाईको दी थी। वल्लभभाई उस सिलसिलेमें कुछ भी नहीं कर सकते थे; लेकिन उन्होंने कह दिया था कि कार्य-समितिके सामने औपचारिक रूपसे मामला पेश होनेपर वे शिकायतोंके बारेमें कार्रवाई करेंगे। पर जब मेरे और उनके पास बंगालसे आये तारोंका ताँता बँध गया तो मैंने सुझाया कि मामला स्थानीय रूपसे पंच-फैसलेके लिए सौंप दिया जाये। अब या तो ऐसा पंच-फैसला कराया जाये या फिर कार्य-समितिमें औपचारिक रूपसे मामला पेश होनेपर वह कोई निर्णय दे — इसके अलावा क्या और कोई रास्ता है?

यदि आपका स्वास्थ्य काफी ठीक हो तो आप बम्बई आकर 'अखिल भारतीय चरखा संघ' की बैठकमें पूरी स्थितिपर स्वयं चर्चा कर लें। मैं डॉ० रायको अहमदा-

बाद आनेकी सलाह नही दे सकता, विशेषकर जब कई मिलमालिक अहमदाबादमें नही है।

आप यदि १८२८के 'समाचार' की फाइल न देख पाये हो तो मै समझता हूँ, आपको देख ही लेनी चाहिए और बुनकरोके पत्रके[1] तथ्योकी सचाईकी जाँच स्वय ही कर लेनी चाहिए।

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४२) की फोटो-नकलसे।

४२५. पत्र : नानाभाई मशरूवालाको

बारडोली
६ जून, १९३१

भाई नानाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मै तो कैसे आ सकता हूँ? बा की हालत अब ऐसी नही कि वह घूम-फिर सके। उसके मुँहपर बीच-बीचमे सूजन आ जाती है। स्वामी और देवदासको जरूर भेजा जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६६८१) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ४३२६ से भी।
सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला

४२६. प्रति ग्राम एक स्वयंसेवक?

सात लाख गाँवोमें पहुँचनेके लिए कितने कार्यकर्त्ता आवश्यक है? यह प्रश्न विचारने योग्य है। ब्रिटिश सरकारका झडा हरएक गाँवमें फहर रहा है अर्थात् हरएक गाँव उसके सिक्केका उपयोग करता है और हरएक गाँव उस सिक्केके हिसावसे लगान अदा करता है। परन्तु काग्रेस हरएक गाँवमें नही पहुँच पाई है। प्रत्येक गाँवमें काग्रेस का नाम भी नही पहुँचा है तो फिर उसके सन्देशके बारेमे तो कहना ही क्या? खादी द्वारा कांग्रेस हरएक गाँवमे पहुँच सकती है, परन्तु खादीमें उतनी दिलचस्पी अभी हममें पैदा नही हुई है।

इस प्रकार यद्यपि हरएक गाँवमे सरकारकी दुहाई फिरती है तथापि पाठकोको यह जानकर आश्चर्य होगा कि न तो हर गाँवके पीछे एक पटेल है, न पटवारी और न सिपाही। सरकार जो कर सकी है सो इतना ही कि प्रत्येक पटवारी और

१. देखिए "१८२८ में", २१-५-१९३१; और "पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको" २-६-१९३१ भी।

पटेलके जिम्मे कुछ गाँव है। पटवारी कुछ पढा-लिखा होता है, उसे हिसाव-किताव रखना पडता है, इसलिए पटेलकी वनिस्वत एक पटवारीके जिम्मे अधिक गाँव होते है, प्रति पटेलके जिम्मे थोडे। पूछा जा सकता है, यदि सरकारके पास हरएक गाँवके पीछे पटवारी और पटेल नही है तो काग्रेसके पास इतने कार्यकर्ता कहाँसे हो सकते है। किन्तु मै यह जानता हूँ कि वात इससे उलटी होनी चाहिए। जो शक्ति सरकारके पास न हो, स्वभावत' वह काग्रेसके पास होनी चाहिए। परन्तु लज्जापूर्वक हमें यह स्वीकार करना पडता है कि हकीकत ऐसी नही है। सरकार इतना धन खर्च नही कर सकती कि वह हर गाँवमे एक पटवारी और पटेल रख सके, किन्तु काग्रेसको धनकी जरूरत नही। काग्रेसके नामसे ही स्वयसेवक मिल जाते है। परन्तु काग्रेसका नाम इतनी दूर नही पहुँचा कि प्रति गाँवमे स्वयसेवक हो जाता।

ऐसी दशामे यदि काग्रेस प्रत्येक गाँवमें एकसे ज्यादा सेवक रखती है तो यह उसकी फिजूलखर्ची होगी। हमें तो दस-दस मीलके घेरे वनाने चाहिए। जैसे-जैसे सुभीता होता जाये और स्वयसेवक वढते जाये, वैसे-वैसे घेरोमें भले वृद्धि हो, परन्तु फिलहाल तो स्वयंसेवकको एक मध्यविन्दुसे दस मीलतक पहुँचना चाहिए। अर्थात् उसके घेरेका व्यास वीस मील होगा। परन्तु स्वयसेवकको किसी दिन वीस मील नही चलना पडेगा। ऐसा कोई नियम न हो कि रात हमेशा केन्द्रीय गाँवमें ही विताई जाये। दस मीलके घेरेमे वह चाहे जिस गाँवमें रातको रुक जाय, यही नही, वल्कि उसका यह कर्त्तव्य है कि वह वारी-वारीसे हर गाँवमे रात विताये। इस प्रकार दस मील घेरेमें कम-से-कम दस गाँव तो होगे ही। इसलिए मेरे हिसावसे हर दस गाँवोंके लिए एक कार्यकर्त्ता रहे। इस तरह हर गाँवमें पहुँचनेके लिए हमें सत्तर हजार स्वयसेवको और स्वयसेविकाओकी जरूरत है। मैंने स्वयसेवक और स्वयसेविकाएँ कहा है। सच पूछा जाये तो स्वयसेविकाओकी अलग गिनती होनी चाहिए। आरम्भमें यदि स्वय-सेविकाएँ दो-दोकी जोडीमें रहे तो उनकी सख्या सत्तर हजारसे अधिक होनी चाहिए, अथवा वे जितनी हो उस हिसावसे उनकी अलग व्यवस्था हो जाये। इससे इतना तो स्पष्टतः सवकी समझमे आ गया होगा कि हरएक गाँवके पीछे एकसे अधिक सेवक रखना गुनाह ही होगा।

१. अव यह देखें कि एक स्वयसेवक क्या कर सकता है। वह स्वयसेवक आसानी से लडकोको इकट्ठा करके उन्हे तकली चलाना सिखाये, पीजना सिखाये, तकली वनाना सिखाये, और अक्षरज्ञान कराये। इसके लिए एक छोटी-सी योजना ही वनाई जा सकती है और पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

२ गाँवकी सफाईकी देखरेख करे और स्वय सफाई करे।

३ गाँवमे वीमारोको दवा दे।

४. गाँवमें फूट हो तो उसे दूर करे।

५. गाँवके अस्पृश्योंके दुःख दूर करे और उनके लिए पानी वगैराका सुभीता न हो, तो उसकी व्यवस्था करे।

६. खादीके मामलेमे गाँवको स्वावलम्वी वनानेका प्रयत्न करे।

७. अपने हिस्सेमें जो गाँव आये हो उनकी मर्दुमशुमारी करे, ढोरोकी गिनती करे, उन गाँवोके गाय, भैंस, बैल, पाडे, पडिया, बछडे-बछिया वगैराको अलग-अलग गिन ले। भैंस और गायके दूधका अनुपात निकाले। अन्त्यजोकी गिनती करे। उनकी स्थितिका वर्णन लिखे। गाँवका क्षेत्रफल, उसकी फसल, लगान, उद्योग, कुओकी सख्या, गाँव या खेतोमें फलदार पेडों और यदि बबूल वगैरा हो तो उनकी जानकारी हासिल करे और उसे नोट कर ले। हालाँकि मैंने इस चीजका उल्लेख अन्तमे किया है किन्तु स्वयसेवकको इस बारेमे पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस काममें बहुत समय नही लगता। परन्तु इतनी जानकारी इकट्ठी कर लेनेवाला स्वयसेवक अपने कामको आसान बना लेगा। ये सब तथ्य उसे एक छोटी-सी नोट-बुकमें दर्ज कर लेने चाहिए।

कोई यह न कहे कि एक ही व्यक्तिसे दस गाँवोमे यह सब काम नही हो सकता। पाठशालाका उदाहरण ले ले। जिस प्रकार चौबीस घटोमें पाठशालाका वक्त कुछ ही घटोका रहता है, उसी प्रकार वह सप्ताहमे कुछ ही दिन चले तो भी हर्ज नही। भले प्रति दस दिनमे एक गाँवकी पाठशाला एक ही दिन खुले। यह तो केवल बिलकुल अन्तिम छोरकी स्थिति हुई। नया स्वयसेवक अपने आसपासके गाँवोंकी जानकारी जल्दी ही हासिल कर लेगा और फिर हरएक गाँवसे स्वयसेवक और स्वयसेविकाएँ तैयार करेगा और उन्हे उनकी सामर्थ्यके अनुसार सेवाका काम सौप देगा। और इस तरह स्वयं निरीक्षक स्वयसेवक बन जायेगा। जिस गाँवमे जिस दिन वह हाजिर नही होगा उस दिन उस गाँव के स्थानीय स्वयसेवक वहाँका काम कर लेगे।

ऐसे स्वयसेवकमें एक गुण तो होना ही चाहिए और वह गुण है पवित्रता। अगर उसकी ग्यारहों इन्द्रियाँ दूषित होगी तो वह निकम्मा है। ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, और एक मन। मन स्वच्छ हुआ तो दसो इन्द्रियाँ अपने-आप स्वच्छ रहेगी। मन दूषित है तो सब दूषित समझना चाहिए। हाथ, पैर, मुँह और दो गुह्येन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ हैं, स्पर्शकी त्वचा, रसकी जीभ, सुननेकी कान, सूँघनेकी नाक और देखनेकी आँख, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। जो स्वयसेवक इन इन्द्रियो पर अधिकार न रख सकता हो उसे नम्रतापूर्वक स्वयंसेवक बननेसे इन्कार कर देना चाहिए। यदि वह स्वयसेवक बन गया हो किन्तु बादमें उसे लगे कि वह सयमका पालन नही कर सकता है तो उसे नम्रतापूर्वक इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी तरह काम होता है और होगा।

कोई कहेगा कि यह कार्यक्रम तो सौ वर्षमे भी पूरा न होगा और हमें स्वराज्य तो आज ही लेना है। ऐसी शंका निरर्थक है। स्वराज्यमे स्वयसेवकोकी वारिश नही होगी। जो आज स्वयसेवक होगे उन्हीमे से स्वराज्यका काम चलानेवाले मिलेगे। यह सच है कि मौजूदा शासन जब लोगोके हाथमे आयेगा तब उसका काम करनेवाले तो होगे ही। तिसपर भी यदि काग्रेसके पास मेरे बताये अनुसार स्वयसेवक नही होंगे तो मिली हुई सत्ता हमारे हाथसे निकल जायेगी या उसे घुन लग जायेगा और देशमें

अराजकता फैल जायेगी। यह माननेका कोई कारण नही कि शासनके वदलते ही जो नौकर आज अवाछनीय है, वे पल-भरमे देवरूप वन ही जायेगे। इसलिए जैसा हम आज वोयेगे, वैसा काटेगे। यदि आज शुद्ध वृत्तिवाले स्वयसेवक मिल जायें तो मैने जो कार्यक्रम वताया है, उसपर आजसे ही अमल होना शुरू हो जाये। काम करनेका तरीका यह नही कि पहले सत्तर हजार स्वयसेवक तैयार हो जायें, दस मीलकी सरहदवाले घेरोके नक्शे वन जाये, फिर देखा जायेगा। इस तरह विचार करनेगे तो काम कभी होगा ही नही।

काम करनेका तरीका यह है कि गुजरात आज शुरू करे, पूरा गुजरात नही तो एक दो जिले, जिले नही तो ताल्लुके, नही तो छिटपुट स्वयसेवक, जो गुजरातमे फैले हुए हैं, उपर्युक्त ढगसे काम करना शुरू कर दे, और वैसा करते हुए जो काम अधिक या दोषपूर्ण लगे उसे त्याग दे, जो करने योग्य हो, वह करे। जहाँ एकसे अधिक स्वयसेवक इकट्ठे हो जाये वे वँट जायें, विखर जाये। यदि यह ठहरे कि अधिक स्वयसेवक रहने ही चाहिए, तो उसके कारणकी जाँच कर ली जाये। मन या शरीरकी शिथिलताके कारण अपनेको अथवा जनताको धोखा न दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-६-१९३१

४२७. टिप्पणियाँ

हिन्दूकी शर्म

२२ मई, १९३१को डाकोरमे भगी भाइयोकी सभा हुई थी, जिसका विवरण ठक्करवापाने भेजा है। उसका साराश मैं नीचे देता हूँ:

> लगभग १५० गाँवोके करीव १,५०० भगी भाई इकट्ठे हुए थे। उन्होने वैठक और रातमे सोनेके लिए टाटका मण्डप वनाया था और उसीकी विछायत की गई थी। दिनको वहाँ सभा होती और रातको सव वही सो रहते। किन्तु रसोईके लिए वरतन कौन दे? पानी कहाँसे लाया जाये? गोमतीके-तालावका पानी इतना गदला होता है कि म्युनिसिपैलिटीकी ओरसे जगह-जगह उसे न पीनेकी सूचनाके पटिये लगाये गये हैं। परन्तु भगीभाई वह पानी पी सकते हैं। सम्मेलनमे ऐसा पानी कैसे पिया जाये? एक मुसलमान भाईको दया आई, उन्होने अपने वरतन दिये, रसोईमे मददकी और पानी भी दिया।
>
> डाकोर-जैसे तीर्थ-स्थानमे किसी हिन्दूको दया न आई और न शर्म आई कि इतने मेहमानोके डाकोर आनेपर पानी होते हुए भी उन्हे पानीकी तगी रही, वरतन होनेपर भी वरतन न मिले, रसोईकी सुविधा होते हुए भी रसोईकी सासत रही। डाकोरकी स्वयसेविकाएँ रसोई वना सकती थीं, डाकोरके

महाजनोका धर्म इन भाई-बहनोको पानी देनेका था। वे इस धर्मको भूले रहे और उन्होने हिन्दू धर्मका तेज कम किया।

कोई कह सकता है, "परन्तु ऐसा तो सब जगह होता है, 'ढेढ-भंगी' की परवाह कही कोई नही करता, डाकोरके हिन्दुओने इसी बार यह कोई विशेष आचरण थोडे ही किया? यही बात है। मेरे पुरखे पाप करते आये है, इसलिए मुझे पाप करनेका इजारा नही मिल जाता। जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे है, अन्त्यजोमें जागृति बढती जा रही है, और हिन्दू धर्मकी बुराई प्रकट होती जा रही है तथा अन्त्यजेतर हिन्दूको शर्म आने लगी है। विवरण तैयार करनेवाले हिन्दू है, विवरण भेजनेवाले हिन्दू है। कांग्रेसने अधिकारोके सम्बन्धमे जो प्रस्ताव पास किया है, हम सबको उसपर अमल करना है। अतएव आजतक चाहे जो हुआ हो, परन्तु भविष्यमे स्वय हिन्दू ही ऐसे अपमानको न सहेगे जैसा कि डाकोरमे हुआ है। स्वराज्यमे अन्त्यज और अन्त्यजेतरका भेद नही रहेगा। इसलिए हम अब सजग हो जायें।

जरा विचारने योग्य

ठासरा तहसीलमे भरथरी नामक एक गाँव है। वहाँ धनजीभाई नामक एक अन्त्यजभाई अन्त्यजोमे सुधार कार्य करनेके लिए खूब परिश्रम कर रहे है। मेरे सामने जो रिपोर्ट मौजूद है, उससे ज्ञात होता है कि यह काम करते हुए उन्हे कष्ट सहने पडते है, पर वे उन्हे चुपचाप सहते है। उन भाईके सुधारोमें एक सुधार यह है: जो मुर्दार मास खाते है, उनसे मुर्दार मासका खाना छुडवाना और साथ ही मरे हुए ढोरोकी व्यवस्था करनेके धन्धेसे भी उन्हे मुक्त करना। मुर्दार मास छुडवाना तो अच्छा है ही, परन्तु मरे हुए ढोरोकी व्यवस्थाका काम छुडाना मुझे तो भयकर मालूम होता है। मैं स्वय इस कामको पवित्र मानता हूँ, और आवश्यक तो यह है ही। यह धन्धा पवित्र है, क्योकि इससे रोगोका फैलना रुकता है। अगर मरे हुए ढोर यो ही जहाँ-तहाँ पड़े रहे तो उससे आबहवा खराब होगी, रोग फैलेगे और देशका धन नष्ट होगा। जिस प्रकार जीवित ढोर लोगोकी सेवा करते है, उसी प्रकार मरकर भी वे सेवा करते है। चमडे, हड्डी, चर्वी और आँतोका हम काफी उपयोग करते है। और यदि हम जिन्दा ढोरका सदुपयोग करे और फिर मरे हुए ढोरके चमडे वगैराका शास्त्रीय ढगसे उपयोग करे तो ढोरकी कीमत इतनी बढ जाये कि उसको कत्ल करनेमे कोई लाभ न रहे।

इसलिए सुधारकोको तो मैं यह सलाह दूंगा कि ढेढ-चमार भाइयोको उनके धन्धेको छोडनेकी सीख न दे, बल्कि उन्हे वह धन्धा भली-भाँति सिखा दे। इसके लिए तालीमकी आवश्यकता है। ढेढ-चमारका पेशा हमारे ही देशमे हलका माना जाता है। पश्चिममे तो इस धन्धेमे करोडपति लोग लगे होते है। बी० ए० पास करके अध्यापकी करनेकी अपेक्षा अगर नवयुवक चमारका धन्धा सीखे, मरे हुए ढोरोका चमडा किस तरह उतारा जाये, उसके और भागोका कैसे उपयोग किया जाये, वगैरा बातें सीखे तो जो करोडो रुपये आज इस धन्धेके ज्ञानके अभावमे परदेश चले जाते है,

वह रुक जायेगा और चमारका काम करनेवाले भाई अपने धन्धेको हलका नही समझेंगे। अस्पृश्यताका निवारण चमारादिके धन्धेको छोडनेसे नही होगा, परन्तु जब हिन्दू जनता अपने पापको समझेगी और अन्त्यज भाई अपनेमें से उन बुराइयोंको दूर करेंगे, जो उनमें घुस गई है, तभी अस्पृश्यताका निवारण होगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ७-६-१९३१

४२८. दरिद्रनारायणकी हुण्डी

रोग-शय्यापर पडे-पडे भाई विट्ठलदास शिकायत करते है कि खादीका स्टाक बढता जा रहा है। गुजरातके कार्यकर्त्ता लिखते है कि गुजरातमें खादीका स्टाक इकट्ठा हो गया है, जिससे कताईका काम कम करना पडा है। खादीके बारेमें यह शिकायत हमारे लिए शर्मकी बात है। खादी एक ऐसी चीज है, जिसे पहननेवाला जानता है कि उससे बहुत ही गरीब बहनोको मदद मिलती है। यदि यह साधारण-सी बात हमारे मनमे बैठ जाये तो खादीकी खपतमें कमी ही न हो। जिस प्रकार करेंसी नोटकी कीमत उसमे लिखे अकके अनुसार मिलती ही है, उसी प्रकार खादीका नियत मूल्य मिलना चाहिए। खादी दरिद्रनारायणकी हुण्डी है। इसे सकारनेवाले शहरके नागरिक होने चाहिए। और जबतक यह हुण्डी मिले तबतक किसीको दूसरी हुण्डी सब जगह छूनी भी नही चाहिए।

मेरा बस चले और लोग मदद करे तो खादीकी कीमत सब जगह एक ही हो। रुईकी दरमे भले घट-बढ हो, परन्तु यदि कत्तिनोको सम्बन्धित प्रान्तमे सब जगह एक ही दरसे मजदूरी मिले, जुलाहोके साथ भी यही हो और खादी सम्बन्धी हरएक क्रिया की दर सदा एक ही रहे तो खादीकी कीमत एक ही रखनेमें किसी प्रकारकी अड-चन नही होनी चाहिए। हममे इतनी सचाई, इतना सगठन, गरीबोंके प्रति इतना प्रेम नही है, इसीसे खादीके भावोमें घट-बढ होती रहती है। ऐसा होते हुए भी जो लोग खादीमें थोडी भी दिलचस्पी रखते है, वे जानते है कि हर प्रान्तमे दस साल पहले खादीका जो भाव था, उसमें कमी ही हुई है। मै बता चुका हूँ[1] कि मेरठके आश्रममे, जहाँ बहुत खादी तैयार होती है, वहाँ जिस खादीकी दर पहले एक रुपया थी, वह आज छ. आनेसे कम है। इसका यह मतलब नही कि कत्तिनोको कम मिलता है। इसका मतलब इतना है कि खादी बनानेकी कलामे अधिक कुशलता आई है, कताईमें सुधार हुआ है, जिससे जुलाहेको सूत बुननेमें कम कठिनाई होती है, और इसीसे बुनाईकी दर कम हो सकी है, किन्तु इतनेपर भी जुलाहेकी आमदनी में कमी नही हुई है। दरोंमे कमीके शुभ परिणामका कारण यह है कि खादी-प्रचारका काम एक परोपकारी सस्थाकी मारफत होता है। इससे खादीकी किस्ममे उत्तरोत्तर सुधार

१. देखिए "टिप्पणियाँ", ४-६-१९३१ का उपशीर्षक "गाधी आश्रम मेरठ"।

हुआ है, और भाव उत्तरोत्तर कम हुए हैं। फिर भी अभी खादीकी किस्ममें सुधार करने और भाव घटानेकी काफी गुंजाइश है। और जैसे-जैसे लोगोंसे प्रोत्साहन मिलेगा, वैसे-वैसे किस्ममे सुधार होगा और दाम घटेंगे। जाहिर है कि ज्यों-ज्यों खादीकी खपत बढ़ेगी त्यों-त्यों अधिक लोग और अधिक होशियार लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे, और इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि किस्मे सुधरेंगी और दर घटेगी। दरिद्र-नारायणकी पेढीके भागीदार कुछ खास लोग ही नही हैं, बल्कि उसके भागीदार तो तीस करोड लोग हैं। ऐसी खादीकी खपतमें कठिनाई क्यों हो? परन्तु यह सच होते हुए भी कठिनाई होती है, इसलिए यह प्रश्न पूछना निरर्थक है। उसकी खपतके मार्ग ढूँढ़ निकालनेमे ही बुद्धिमानी है। नीचे लिखे मार्ग आसानीसे सूझ सकते हैं:

१. खादीकी फेरी लगाना। फेरीके लिए सब जगहोंपर किसी नियत दिन बहनें निकले। इससे बहनोको रोज निकलना न पड़ेगा। कुछ निश्चित दिन कुछ घंटोकी फेरी लगाना काफी होगा। पश्चिममें जिस प्रकार अस्पताल वगैराके लिए करोड़पतियोकी स्त्रियाँ निकल पडती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी बहनें निकल पड़े।

२. खादीकी किस्म और मूल्य-सूचीवाली पत्रिकाएँ घर-घर बाँटी जायें।

३. गली-गलीमे भाषण दिये जायें।

मैंने तो ये मार्गदर्शक सूचनाएँ दी हैं। परन्तु जिसे खादीसे प्रेम है और जिसमें खोज करनेकी शक्ति है, वह खादीके स्टाकको खपानेके लिए अन्य अनेक मार्ग ढूँढ निकालेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ७-६-१९३१

४२९. नये नामकी जरूरत

एक अन्त्यजभाई लिखते हैं:[१]

जागृतिके इस युगमे ऐसी भावना स्वाभाविक है। मनुष्यको वह नाम अच्छा नही लगता जिसमें उसकी निन्दा निहित होती है, फिर उसकी उत्पत्ति निर्दोष ही क्यो न हो? एक समय था जब अन्त्यज नाममें किसी प्रकारकी निन्दा नही मानी जाती थी। ढेढ, भगी नाम बुरे लगते थे। जहाँतक मेरा ख्याल है दलित नाम स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी का दिया हुआ है। पर अब यह नाम भी बुरा लगने लगा है। सच बात तो यह है कि जबतक समाजमे अस्पृश्यताका जहर मौजूद है, तबतक कैसा भी नाम क्यो न हो, कुछ समय बाद उसके बुरा लगनेकी सम्भावना है। इसलिए सही चीज तो जहरको निकाल फेंकना है। हिन्दू समाजको तो इस जहरको बिना

१. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने 'अन्त्यज' आदि शब्दोंको अपमानजनक मानते हुए गांधीजीसे कोई नया शब्द गढ़नेकी प्रार्थना की थी। 'हरिजन' शब्दके चुनावके लिए देखिए खण्ड ४७, "टिप्पणियाँ" २-८-१९३१ का उप-शीर्षक 'हरिजन'।

किसी शर्तके निकाल फेकना है। पापका प्रायश्चित्त करनेमे शर्तकी जरूरत नही होती। इसके लिए अस्पृश्य भाई-बहनोकी मदद आवश्यक है। किन्तु अन्त्यजेतर हिन्दू समाजके चाहे जितना प्रयत्न करनेपर भी, उस समाजके पापके कारण अन्त्यज भाइयोमे जो बुराइयाँ जड जमा बैठी है वे तो विशेषकर उनके अपने प्रयत्नसे ही दूर होगी। इस प्रयत्नमे अन्त्यजेतर हिन्दूकी मददकी आवश्यकता रहेगी। वह मदद धीरे-धीरे मिल रही है, उसकी गति बढनी चाहिए। इस सबका विचार करते हुए भी अन्तिम प्रयास अन्त्यजोका होना चाहिए। इस प्रकार मूल वस्तुके सुधारकी आवश्यकता होते हुए भी यदि किसीको अन्त्यज अथवा दलित विशेषणकी अपेक्षा अधिक अच्छा विशेषण सूझे, तो वे मुझे लिखे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-६-१९३१

४३०. एक वहम

एक सस्कारी और अति पवित्र माताके पत्रका साराश मै नीचे देता हूँ

> मैने अपने पुत्रकी मृत्युके बादसे दूध-घी छोड दिया है। दाल-भात, रोटी और मट्ठेसे काम चलाती हूँ। ससार फीका लगता है। पर कुछ-न-कुछ सेवा करके दिन बिता रही हूँ। रामायणादि पढती हूँ। परन्तु मनके भीतर कही प्रिय पुत्रकी याद पीडा पहुँचाती रहती है।

इस माताका शरीर कमजोर तो था ही किन्तु अब और ज्यादा कमजोर हो गया है। कहा नही जा सकता कि उनका शरीर टिकेगा या नही। जिस प्रकार मैने माताके पत्रका साराश ऊपर दिया है, उसी प्रकार मैने उन्हे जो जवाब दिया है उसका साराश भी यहाँ दिये देता हूँ।[1]

पुत्र मरे या पति, उसका शोक मिथ्या है और अज्ञान है। इसे केवल ज्ञानकी बात समझकर कोई इसकी उपेक्षा न करे, बल्कि हृदयमें स्थान देकर इसपर अमल करे। जहाँ सबको मरना ही है, वहाँ आज या कलका काल-भेद मात्र रह जाता है। उसका शोक क्या करना। मरता तो सिर्फ शरीर है, उसका तो यह स्वभाव है, इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही। यह निश्चय है कि उसमे रहनेवाला जीव कभी नही मरता, जीवका स्वभाव अमरता है। इतना निश्चयात्मक ज्ञान होते हुए भी शोक किसलिए?

परन्तु यदि शोक अवश्यम्भावी हो तो क्या उस शोकका निवारण उपवास या खुराककी कमीसे हो सकता है? उससे लाभ किसे होगा? मरनेवालेको? और फिर क्या मरनेवाली देहको या अमर आत्माको? खानेवाली देह तो राख हो चुकी है,

१. देखिए "पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको", २-६-१९३१।

या उसे कीड़े खा रहे हैं। आत्मा तो न खाती है, न पीती है, तो फिर माता या पत्नी खानेमें संकोच क्यों करे?

तात्पर्य यह कि सती स्त्री या माताके कम खानेसे मरनेवालेकी देह या आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। देहमुक्त आत्माके कल्याणका इच्छुक, उसकी यादको कायम रखनेवाला व्यक्ति, उपवास करके अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, वल्कि उसके गुणोंके अनुकरणसे दोनों बातें साध सकता है, उसके नामपर सोच-समझकर दान करके उसकी स्मृतिको कायम रखनेमें मदद कर सकता है।

तो क्या उपवास और खुराकके संयमका कोई स्थान ही नहीं है? इस दशामें तो निश्चय ही नहीं है। खुराकका संयम या उपवास एक मर्यादाके भीतर या तो आत्मशुद्धिके लिए किये जा सकते हैं या रोग-निवारणके लिए। रोगकी बात छोड़ देता हूँ। स्वादेन्द्रियका संयम आत्मशुद्धिके लिए है। यानी खुराकके संयम या उपवास की यह मर्यादा है। झूठ बोलनेका प्रायश्चित्त उपवास नहीं, उसका प्रायश्चित्त सच बोलनेका व्रत ही है, झूठ बोलनेके लिए जो प्रलोभन हमारे सामने हों, उनका त्याग है। परन्तु जीभ वशमें न रहती हो तो उसके लिए उपवास किया जाये, खुराकका संयम रखा जाये। जिसने सब प्रकारके स्वादको जीत लिया है; वह शरीरको टिकाये रखनेके लिए ही खाता है। उसकी खानेकी चीजें गिनी-गिनाई और नपी-तुली ही होंगी। ऐसे स्त्री-पुरुष अन्न-फल औषधिके रूपमें ही ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग यदि और त्याग करें तो पाप करेंगे। क्योंकि औषधके रूपमें खानेवाला यदि उतना भी न खाये तो शरीर क्षीण हो जाये; शरीर सेवाका साधन है। जो इस साधनको कमजोर बनाता है, वह चोरी करता है। ऐसे लोग करोड़ोंमें विरले ही होते हैं। यह दृष्टान्त देनेका कारण अर्थ समझानेकी भर दृष्टिसे है।

हम प्राकृत देहधारी रोज स्वादकी दृष्टिसे खाते हैं। तब फिर हमें उपवास करने ही होंगे, अन्न लेनेमें भी संयम करना जरूरी होगा। पर ये क्रियाएँ हम स्वादको मारनेके लिए करेंगे। मरनेवालेकी यादमें या किसी दूसरे बहाने ऐसा करनेमें आत्म-वंचना है; यह पाप तक हो सकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-६-१९३१

४३१. एक पत्र

बारडोली
७ जून, १९३१

सरदार गरदाने मुझसे २५ अप्रैलको बारडोलीके स्वराज्य आश्रममें मुलाकात की थी। उनके साथ सर कावसजी जहाँगीर, श्री के० एफ० नरीमान, श्री बीमदलाल, रावबहादुर भीमभाई और एक अन्य पारसी मित्र थे। सर कावसजी जहाँगीर और अन्य मित्र उनको बारडोलीके किसानोकी उस जमीनके सिलसिलेमें लेकर आये थे, जिसे असहयोग आन्दोलनके दौरान जब्त कर लिया गया था और जिसे उन्होने खरीद लिया था। सरदार गरदाने शिकायत की कि जनताने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मैंने उनसे कहा कि वे जो भी शिकायत करेंगे, मैं उसकी पूरी-पूरी जाँच कराकर उनको सन्तुष्ट करूँगा। सभी मित्रोने उनसे अनुरोध किया कि वे उक्त जमीन लौटा दे। सरदार गरदा इस बातपर जमे रहे कि जमीनके लिए अदा किया गया मूल्य अर्थात् ४,५६९ रुपये ही नही बल्कि उस जमीनपर उन्होंने जो अतिरिक्त राशि खर्च की अर्थात् ६,००० रुपये वह भी उन्हे मिलनी चाहिए। सर कावसजीने उनको आश्वस्त किया कि उन्हे वह राशि भी मिल जायेगी। इसपर उन्होने कहा कि मैं जमीनकी खरीदकी कीमतके अलावा ६,००० रुपयेकी उक्त राशि लेकर शायद जमीन वापस करनेको तैयार हो जाऊँगा, पर उसके लिए मुझे अपने लोगोसे बात करनी पडेगी जिसमे दो दिन लगेंगे और उसके बाद ही मैं कोई अन्तिम उत्तर दे सकूंगा। सरदार गरदाने बातचीतके दौरान कहा कि मेरी खरीदी हुई उस जमीनका मूल्य ठीक चार लाख रुपयेके बराबर है और यदि अधिकारी जोर न देते तो मैं उसे नही खरीदता। जाहिर है, यह बात उन्होने गोपनीय रखनेके लिए निजी तौरपर ही कही थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं लोगोको बतला दूं कि अधिक सम्भावना इसी बातकी है कि आप जमीन लौटानेको राजी हो जायेंगे। उनका उत्तर था जरूर। दो दिन बाद रावबहादुर भीमभाईने सरदार वल्लभभाईके नाम अपने पत्रमे सूचित किया कि सरदार गरदाने उनके पास एक पुर्जा भेजा है कि उन्होने उक्त राशि लेकर जमीन वापस कर देनेका फैसला कर लिया है। सरदार गरदा द्वारा रावबहादुर भीमभाईको लिखे गये पत्रकी एक प्रति सलग्न है। पत्रको समाचारपत्रोमें भी प्रकाशित किया गया था और सम्बन्धित लोगोको समझौतेकी बात यथाविधि बतला दी गई थी। सात मईको सरदार गरदाका जो पत्र मेरे पास आया तथा मैंने उसका जो उत्तर भेज दिया उनकी प्रतियाँ सलग्न हैं। उसके बाद सरदार गरदाके साथ मेरा अबतक जो पत्र-व्यवहार हुआ है मैं उसकी प्रतियाँ भी सलग्न कर रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-सी, १९६१।
सौजन्य. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४३२. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

मैं यह पत्र रासगाँवके मौजूदा मुखियाके सिलसिलेमें लिख रहा हूँ। मैं उसे हटाने और उसके स्थानपर पहलेवाले मुखियाको नियुक्त करनेके प्रश्नको लेकर एकाधिक बार श्री पैरीसे चर्चा कर चुका हूँ और मुझे आशा थी कि अबतक कम-से-कम रासके मौजूदा मुखियाको हटा दिया गया होगा। अब इस मामलेपर फौरन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रासके गैर-धाराला निवासियोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डल मुझसे कल मिलने आया था और उन्होंने शिकायत की है कि वहाँ उनका जीना दूभर होता जा रहा है। पिछले पखवारेमें रासगाँवमें उनके कथनानुसार जो विनाश-लीला चलती रही है, उसका ब्यौरा मैं नत्थी कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी बतलाया है कि सम्पत्तिकी हानि करनेके साथ-साथ व्यक्तियोंको मारा-पीटा भी जाता है। कहनेका मंशा यह नहीं कि यह सब हरकतें मुखियाने खुद की है, फिर भी उसने अगर शह नहीं दी तो इन चीजोंको जान-बूझकर अनदेखा जरूर किया है। और यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संलग्न ज्ञापनमें शामिल किये बयानोंमें यदि कोई सचाई है तो फिर गैर-धाराला जातियोंके लोग वर्षा आरम्भ होनेपर अपने खेतोंमें खेती नहीं कर पायेंगे। यह सुझाव पहले भी दिया गया है कि मुखियापदके काम तीन भागोंमें बाँट दिये जाने चाहिए, और प्रत्येककी जिम्मेदारी अलग-अलग तीन व्यक्तियोंको सौंप देनी चाहिए। मैं कहनेकी जरूरत नहीं समझता कि इस तरह काम नहीं चलेगा। मौजूदा मुखिया यदि ठीक आदमी नहीं है तो फिर समझौतेकी शर्तों और आयुक्तकी स्वीकारोक्तिके अनुसार ऐसे व्यक्तिको मुखिया पदसे हटा दिया जाना चाहिए। और चूँकि रासका मौजूदा मुखिया चोरीके मामलेमें सजायाफ्ता आदमी है, इसलिए उसको तो निश्चय ही बहुत पहले हटा दिया जाना चाहिए था। मेरी इस मांगका मेरे उस कथनसे कोई सम्बन्ध नहीं है और न इसका उसपर कोई प्रभाव ही पड़ता है कि समझौतेके अर्थके अनुसार एक निश्चित अवधिके लिए होनेवाली मुखियोंकी नियुक्तियाँ स्थायी नहीं होतीं। इसलिए यदि आप मुझे यथाशीघ्र यह बतलानेकी कृपा करें कि सरकार इस मुखियाको हटाकर रास-निवासियोंके जान-मालकी हिफाजत करनेका कोई इरादा रखती है या नहीं, तो मैं आपका आभार मानूंगा।

हृदयसे आपका,

श्री के० बी० भद्रपुर
खेड़ा जिला कलेक्टर, खेड़ा

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल संख्या १६–सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४३३. पत्र : थॉमस बी० लीको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। ईसाई विज्ञान सम्बन्धी साहित्य तो मेरे पास पर्याप्त है ही। आप मेरे इस कथनका बुरा न माने कि न जाने क्यो, ईसाई धर्मका यह वैज्ञानिक सिद्धान्त मेरे मनमे कोई उत्साह पैदा नही करता। दक्षिण आफ्रिकामे इस ईसाई-पद्धतिके अनेक प्रतिपादकोसे मेरी भेंट हो चुकी है। उनकी बातचीत मुझे आश्वस्त नही कर सकी। और आप ऐसा क्यो कहते है कि अबतक विश्वकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज यही रही है कि वास्तवमें स्वय शरीरमें कोई प्राण या सवेदना नही है? सच तो यह है कि यह कथन अपने-आपमें तर्ककी कोई पूर्ण प्रतिज्ञा नही है। स्पष्ट है कि शरीरका अर्थ यहाँ प्राणहीन शरीर ही है। और यह तो औषध-विज्ञान भी सिखाता है कि प्राणहीन शरीरमें कोई सवेदना नही रहती; प्रत्येक हिन्दू बालक इसे बचपनसे ही जानता है। परन्तु मुझे बहसमें नही पडना है। मुझे लगा कि मुझे आपके विस्तृत पत्रका एक तर्क-सगत उत्तर दे देना ही चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री थॉमस बी० ली
स्टर्लिंग रेडियो कम्पनी
कन्सास नगर, मिसौरी

अग्रेजी (एस० एन० १७२४८) की फोटो-नकलसे।

४३४. पत्र : माधव रामकृष्ण जोशीको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। कोई भी ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति लोगोमे भेद नही करता। पत्नी, बहन, माता, भाई, अजनबी मित्र या शत्रु कोई भी क्यो न हो, वह बिलकुल निष्पक्ष रहकर सभी स्नेहके पात्र लोगोको स्नेह देता है, और सबके बाद अपने बारेमे सोचता है। वह अन्य सभीकी सेवा कर चुकनेके बाद अपनी चिन्ता करता है, और यह बात तभी सम्भव हो पाती है, जब हमारी ईश्वरपर आस्था हो और हमारी प्रार्थनाके उत्तरमे ईश्वर जो प्रकाश दिखाये, जो मार्ग सुझाये उसका अनुसरण किया जाये।

हृदयसे आपका,

श्री माधव रामकृष्ण जोशी
मारफत जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय
आगरा रोड, धुलिया (पश्चिम खानदेश)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४९) की फोटो-नकलसे।

४३५. पत्र : तप्पन नायरको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय तप्पन,

आपका पत्र मिला। आपको 'यंग इंडिया' के स्तम्भोको लगनके साथ पढते रहना चाहिए। इससे शायद आपको मदद मिले। आपके फौरी सवालके बारेमें तो मैं यही कहूँगा कि यदि यहाँ आपको ऐसा लगे कि आपके लिए कोई काम नही है तो आप आश्रम लौट सकते है। कई लोगोने यही किया है।

हृदयसे आपका,

श्री तप्पन नायर
कांग्रेस शिविर
पालघट (मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५०) की माइक्रोफिल्मसे।

४३६. पत्र : एच० बी० हॉडसनको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। यदि मैं लन्दन आया तो आशा है हमारी मुलाकात जरूर होगी; और यदि न आ सका तो मेरी इस बातपर विश्वास कीजिए कि उसका कारण मेरी अनिच्छा या मेरी प्रयत्नहीनता नही है; कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनपर मेरा बिलकुल भी बस नही चलता।

हृदयसे आपका,

श्री एच० बी० हॉडसन
१० वुडलेन
हाईगेट, लन्दन नार्थ ६

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५१)की फोटो-नकलसे।

४३७. पत्र : एम० आई० डेविडको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

आपके ९ मईके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं आपके कार्य-कलापपर समाचारपत्रोंके आधारपर नही, बल्कि आपके समाजकी भावनापर होनेवाली उसकी प्रतिक्रियाके आधार पर बडी ही बारीकीसे लगातार नजर रखे हूँ। भले ही साम्प्रदायिक समस्या हल करना समझौता-समितिके बूतेसे बाहरकी चीज हो, पर यदि वह शान्ति-स्थापनामें सहायक बन सके तो वह एक काफी बड़ा कदम होगा। आपके एक और कार्य-क्षेत्रके प्रति मेरे मनमे दिलचस्पी पैदा हो रही है। वह है मधुमक्खी पालना और मधु तैयार करना। मैं चाहूँगा कि मधुमक्खीपालन उद्योगका भारत-भरमें चलन हो जाये। प्रश्न यही रह जाता है कि क्या मधु-मक्खीपालन लाभदायक उद्योग बन सकता है। मैंने इस दिशामे कुछ प्रयोग भी किये थे, पर अबतक सफलता नही मिल पाई है। यदि आप ऐसे कुछ तरीके निकाल सके, जिनसे गरीब लोग भी इसे अपना सके तो सारी जनता आपका बड़ा आभार मानेगी।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४ क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५२)की फोटो-नकलसे।

४३८. पत्र : एस्थर मेननको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

एक लम्बे अर्सेसे, महीनोतक इन्तजार करानेके बाद आखिर तुमने पत्र लिख ही दिया। मेननको अबतक डिप्लोमा नही मिला। यह अफसोसकी बात है। एक मित्रने मुझे लिखा था कि इस असफलतासे तुम काफी निराश हो गई हो। मैं तुमको जिस रूपमे जानता हूँ, उसे देखते हुए यह बात तुम्हे शोभा नही देती। तुम तो ईश्वर और उसके मगलकारी स्वरूपपर जीवन्त आस्था रखती हो, इसलिए तुमको बडी-से-बड़ी असफलता या विपत्तिसे भी विचलित नही होना चाहिए। हम नही जानते कि हर असफलता सचमुच ही दुःखजनक है और न यही जानते हैं कि हर विपत्ति सचमुच ही कोई दण्ड है। क्या हम बहुधा यह नही देखते कि समृद्धि और सफलता लोगोके विनाशका कारण बन जाती है और असफलताएँ तथा विपत्तियाँ उनको शुद्ध तथा संयत बना देती हैं?

मै नही जानता कि मैं लन्दन जाऊँगा या नही। यदि गया तो निस्सन्देह डेन्मार्क जाना भी पसन्द करूँगा और यदि डेन्मार्क गया तो तुमसे न मिलना कैसे पसन्द करूँगा। लेकिन एक इतनी दूरकी सम्भावनाके बारेमें अनुमान लगानेसे कोई लाभ नही।

मारिया जब-तब मुझे लिखती रहती है।

इतना लिखाते-लिखाते मुझे एक दूसरा पत्र भी मिल गया है जिसमें तुम्हारा अधिक आत्मीयतापूर्ण उल्लेख किया गया है। यह पत्र डॉ० हेनिंग डाल्सगार्डका है। उन्होने पत्रमें लिखा है कि तुम प्रसन्न हो, परन्तु उन्होने मुझसे पूछा है कि क्या मैं मेननके लिए कुछ कर सकता हूँ। परन्तु कोई स्पष्ट बात सूझ नही रही है। क्या तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव है? यदि हो, तो मुझे लिखनेमें संकोच मत करना और यदि मैं उस दिशामें कुछ करनेकी स्थितिमें हुआ तो तुम जानती ही हो कि मैं अवश्य करूँगा।

श्रीमती एस्थर मेनन
एम०, क्वैस्ट हाउस
सैली ओक
नॉर्थ बरमिंघम (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५४)की फोटो-नकलसे।

४३९. पत्र : डॉ० हेनिंग डालसगार्डको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

'इंटरनेशनल पीपुल्स कालेज' की ओरसे भेजे गये औपचारिक पत्रकी पुश्तपर लिखी आपकी टिप्पणी मैंने बड़ी ही दिलचस्पीके साथ पढ़ी। प्रोफेसर मैन्निचेको लिखे मेरे उत्तरसे आपको मालूम हो जायेगा कि डेन्मार्क जानेकी बात तो दूर, अभी मेरा लन्दन जाना ही अनिश्चित है।

मैं चाहूँगा कि मेननके बारेमें आप अधिक स्पष्ट लिखें। लेकिन अब चूंकि आपने उनका उल्लेख किया ही है, इसलिए मैं उसकी जरूरतोंके बारेमें एस्थरसे पूछ रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० हेनिंग डाल्सगार्ड
प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
एल्सीनोर, डेनमार्क

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५३) की फोटो-नकलसे।

४४०. पत्र : रामसेवक शुक्लको

७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप अपनी ईजाद[1]का पूरा ब्यौरा पूरी तरह समझाकर लिख दें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एम० एन० १७२५५) की माइक्रोफिल्मसे।

१. एक नई तरहकी तकली।

४४१. पत्र : श्रीराम शर्माको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपने अपने पत्रमे जिन विषयोकी चर्चा की है उनके बारेमें आपको असलमे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके पदाधिकारियोके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए जिससे कि एक-सी नीति अपनाई जा सके। 'यंग इंडिया' के पृष्ठोमे तो मैं आम सिद्धान्तोकी ही चर्चा कर सकता हूँ और अन्यायके स्पष्ट मामलोकी ओर सरकारका ध्यान दिला सकता हूँ। आप भी मानेंगे कि इससे आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नही होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत् श्रीराम शर्मा
महामन्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी
रोहतक (पंजाब)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५६) की माइक्रोफिल्मसे।

४४२. पत्र : अम्तुस्सलामको

८ जून, १९३१

प्रिय अमतुल,

अपनी गलत-सलत अंग्रेजीसे परेशान होनेकी जरूरत नही। लेकिन हिन्दी लिखना तुझे जल्द ही सीख लेना चाहिए। तू अगर साफ लिखावटमें उर्दू लिखे तो मैं पढ सकता हूँ। तुझे थोडेमें बात कहनेकी खूबी पैदा करनी चाहिए।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० २४०)की फोटो-नकलसे।

४४३. पत्र : पद्माको

८ जून, १९३१

चि० पद्मा,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है। यह तो बहुत ही बढिया खबर है। अब क्या सयुक्त प्रान्त जानेका इरादा छोड दिया है? खूब आराम करके अच्छी हो जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६१२०) की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० ३४७२ से भी।
सौजन्य . प्रभुदास गाधी

४४४. पत्र : शारदाबहन चि० शाहको

मौनवार, ८ जून, १९३१

चि० शारदा,

तेरे इस बारके अक्षर अच्छे कहे जा सकते है। अभी भी सुधारकी गुजाइश है। क्या लिखे, यह क्यो नही सूझता? क्या किया, क्या देखा, यह नही लिख सकती?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९०३) से।
सौजन्य . शारदाबहन जी० चोखावाला

४४५. पत्र : कान्ति पारेखको

मौनवार, ८ जून, १९३१

चि० कान्ति,

तुम्हारे पत्रका जवाब इस प्रकार है। प्रेमके दो अर्थ है — एक मोह और दूसरा अहिंसा। स्त्री-पुरुषके बीच प्रेम अधिकतर मोहका रूप ही धारण करता है। इसलिए वह त्याज्य है और वह सर्वव्यापी भी नही हो सकता। एक पुरुष अनेक स्त्रियोसे विवाह करे या एक स्त्री अनेक पुरुषोसे विवाह कर ले, तो ससार नष्ट हो जाये। अहिंसा रूपी प्रेम ही सर्वव्यापी होता है और उसे सीखनेके लिए स्त्री-पुरुषोको एक-दूसरेके प्रति मोहजनित प्रेम छोड ही देना चाहिए। ससार-चक्र इस मिश्रित प्रेमसे ही चलता है और चलता रहेगा। इसीलिए स्वार्थ और परमार्थ दोनो सग-सग चलते

है। मैंने शुद्धतम प्रेमके बारेमे लिखा है। आदर्श समझ ले तो उससे शुद्ध व्यवहार करना सीख सकते है। आदर्शको व्यवहारके अनुसार ढालने लगे तो दोनो सरल हो जायें। इसमे कुछ समझमे न आया हो, तो फिर पूछना। तुम्हारा पत्र इसके साथ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२६९) की फोटो-नकलसे।

४४६. पत्र : नारणदास गांधीको

[वारडोली
८ जून, १९३१][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारे तीन पत्र एक साथ मिले है। मै आज शामको बम्बईके लिए रवाना होऊँगा। आज पण्डित जवाहरलाल मिलने आये है। मेरे साथ ही वापस आयेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो है ही। देवदासने उनके बारेमे एक सुन्दर लेख 'यग इंडिया'[2] के लिए लिखा है। उसे पढना। लीलाधरका क्या हुआ? उसकी कुछ मदद की जा सके तो करे। विट्ठलको तो लिखूंगा ही।

फिलहाल तो भगवानजी का मामला ठिकाने लगा ही समझें। उसका मन असमजसमें नही है, बल्कि बहुत अस्थिर है। जिनसे बाहरका काम ठीक न होता हो, उन्हे आश्रममें वापस चला जाना चाहिए ऐसा मैंने छगनलालको लिखा जरूर है। सुरेन्द्रको जो पत्र लिखा है, उसके बारेमें वह तुम्हे समझायेगा। शायद तुम्हे उसकी नकल भी भेजे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मै ११ तारीख शामको बम्बईसे चलकर १२ तारीख शामको बोरसद पहुँचूंगा। इसलिए ११ की डाक सूरत भेजोगे, तो मुझे वहाँ मिल जायेगी।

चि० इन्दु वहाँ था फिर लौटकर आ रहा है। उसका ध्यान रखना। वह कान्ति पारेखका भाई है। वह स्वभावका स्नेही और खिलाडी भी है। सीधा है। उससे बराबर काम लेना। अध्ययन तो करता ही रहे।

बापू

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : श्री नारणदास गांधीने

१. देवदास द्वारा अब्दुल गफ्फार खाँपर लिखे गये लेखके उल्लेखसे। गाधीजी ८ जूनको वारडोलीसे बम्बईको रवाना हो गये; देखिए अगला शीर्षक।

२. ११-६-१९३१ के अकमें।

४४७. पत्र : नारणदास गांधीको

बम्बई जाते हुए
८ जून, १९३१

चि० नारणदास,

अकलेश्वरसे १–४–१९३०को भेजे गये रुपये ५४३–४–० खादी खातेमें डाल देना और खादी-कार्यके लिए अकलेश्वरके छोटुभाई गाधीको भेज देना। उनसे खर्चका हिसाब लिख भेजनेको कहना।

छोटुभाईका पता है : ताल्लुका समिति।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

४४८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

८ जून, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपका पत्र मिला। शूस्टर[1] पर खत भी मिला। उसे पढ लुगा। समय तो बारीक है हि और बारीक होता जायगा। यदि हम पारमार्थिक दृष्टिसे काम लेगे तो इसमें से भी परिणाम अच्छा आ सकता है।

सेनगुप्ताने पच बनानेकी बात मान ली है। अब इलेक्शन मोकुफ करनेकी बात छोड दी है। अब तो मैं कल हि मुबई पहोच जाउगा उमेद है दोनों[2] आ जायगे।

बापू

सी० डब्ल्यू० ७८८९ से।
सौजन्य घनश्यामदास बिडला

१. सर जॉर्ज शूस्टर, जो उस सम वाइसरायकी परिषद्में राजस्व सदस्य थे।
२. जे० एम० सेनगुप्त और सुभाषचन्द्र बोस।

४४९. भाषण : बम्बईमें

१० जून, १९३१

आज सुबह प्रभातफेरियाँ फिर शुरू कर दी गईं। लगभग पचास कांग्रेस सदस्य आज सुबह साढ़े पाँच बजे चौपाटी मैदानमें एकत्र हुए और बम्बई कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री के० एफ० नरीमानके नेतृत्वमें सबसे पहले गांधीजी के निवास मणिभवन उनका आशीर्वाद लेने गये।

गांधीजीने छज्जेपर खड़े होकर जुलूसमें शामिल लोगोंको सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आपको अपनी प्रभातफेरी नित्य ही सूर्योदयसे पहले पूरी कर लेनी चाहिए और ईश-प्रार्थना तथा देशभक्तिके गिने-चुने भजन गाते चलना चाहिए। ऐसे आपत्तिजनक गीत नहीं गाने चाहिए जो कांग्रेसके आदर्शोंसे मेल न खाते हों।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-६-१९३१

४५०. टिप्पणियाँ

कांग्रेसका पदाधिकारी कौन हो सकता है?

सिन्धके एक भाई पूछते हैं :

> १. क्या विदेशी सिगरेट और तम्बाकूका व्यापारी कांग्रेस-कमेटीका प्रधान बन सकता है?
>
> २. क्या विदेशी कपड़ेके व्यापारी कांग्रेस कमेटीके उप-प्रधान और कोषाध्यक्ष बन सकते हैं?
>
> ३. क्या विदेशी कपड़ेके व्यापारियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला व्यक्ति कांग्रेस कमेटीका मन्त्री बन सकता है?

सवाल बड़े गलत ढंगसे पूछे गये हैं। यदि पत्र-लेखकने पूछा होता कि अमुक आदमीको पदाधिकारी बनना चाहिए या नहीं, तो मैं अपनी राय उसके गुण-दोषोंका विचार करके दे सकता था। परन्तु जब वह पूछते हैं कि अमुक किस्मका आदमी पदाधिकारी बन सकता है या नहीं, तो वह कांग्रेसके संविधानके लोकतन्त्रीय स्वरूपके विषयमें अपने अज्ञानका ही परिचय देते हैं। कोई शराबी या दुश्चरित्र व्यक्ति भी, यदि उसके मतदाता उसे चुनें तो कांग्रेस कमेटीका प्रधान या मन्त्री बन सकता है। परन्तु हम यह मान सकते हैं कि यदि मतदाता शराब न छूनेवाले और चरित्रवान होंगे, तो वे शराबी या दुश्चरित्र व्यक्तिको नहीं चुनेंगे। इसी प्रकार यदि उनमें स्वदेशी

के प्रति पूरी-पूरी श्रद्धा होगी, तो वे किसी ऐसे आदमीको नही चुनेंगे जो विदेशी कपडे या आजकल भारतमें भी बननेवाले विदेशी मालका व्यापार करता हो। जहाँतक राष्ट्रको हानि पहुँचानेवाली जैसे कि शराव और नशीली चीजो वगैराका सवाल है, काग्रेसवाले उनमे विदेशी और स्वदेशीका कोई भेद नही करेंगे। हानिकर चीजे, स्वदेशी हो या विदेशी, त्याज्य ही समझी जानी चाहिए।

खादीके रूपमें मिलका मोटा कपड़ा

अनेक स्थानो, मद्रास, बगाल और बम्बई प्रान्तो व दूसरी जगहोसे शिकायते आ रही है कि मिलका मोटा कपडा खादी कहकर बेचा जा रहा है और यद्यपि काग्रेसके साथ करार हो जानेके बादसे मिल-मालिक थानोपर खादीके लेवल तो नही चिपकाते है पर उनकी मूल्य-सूचीमे और अन्यत्र मोटे कपडेको खादी कहा जाता है। अगर यह बात सच है तो यह स्पष्ट ही काग्रेसके साथ हुए करारका उल्लघन है। काग्रेसके आन्दोलनके कारण मिलोको जो लाभ हो रहा है, उन्हे उसपर सन्तोष करना चाहिए। लेकिन अगर वे लोभवश अवैध रूपसे, किसी भी ढगसे और किसी भी स्तरपर अपने मालके लिए 'खादी' नामका उपयोग करेंगे, तो यह उस लालची आदमीकी नकल करने जैसा होगा जिसे मुफ्त नारियल पानेके लालचमें अपनी जानसे हाथ धोना पडा था।

स्वराज्य भवन अस्पताल

श्री मोहनलाल नेहरू लिखते है :[1]

दानकी इस राशिमे नैनीतालमे मिली राशि शामिल नही है, जो इस स्तम्भमे यथासमय प्रकाशित की जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५१. मेरी श्रद्धा

एक बगाली भाईने, आवश्यकता पडनेपर अपना नाम और पता भी छाप देनेकी स्वीकृतिके साथ, मुझे जो लम्बा पत्र लिखा है, वह सक्षेपमें मैं नीचे देता हूँ :

> भगतसिंह और उनके साथियोके बारेमे बहुत कुछ कहा गया है, फिर भी अभीतक मुझे यह समझनेमे कठिनाई हो रही है कि कराची काग्रेसका उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव पास करना किस हदतक बुद्धिमानीका काम था।
>
> भगतसिंह विषयक आपके वचनोका और उनकी स्तुति करनेवाले कराचीके प्रस्तावका दुरुपयोग करके यहाँ कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ अपना मतलब गाँठ लेने

१ पत्र यहां नहीं दिया जा रहा है। उसमें दानकर्त्ताओंकी सूची दी गई थी। दानकी अपीलके लिए देखिए "इलाहाबाद काग्रेस अस्पतालके लिए अपील", १४-५-१९३१।

और आपके प्रभावको नष्ट करनेके लिए जो तरह-तरहके विचित्र और छिपे प्रयत्न करते है, मुझे लगता है कि मै उनका वर्णन आपके सामने नही कर सकता।

१. वे आपपर आरोप लगाते है कि आपने प्रस्तावमे शब्दोका प्रयोग बडी कृपणताके साथ किया है। वे लोग नौजवानोके मनपर यह असर डालनेकी कोशिश करते है कि आपके दिलमे उन अभागे लोगोके लिए सच्ची सहानुभूति बिल्कुल ही नही थी, और नौजवानोके तीव्र आन्दोलनका सामना न कर सकनेके कारण लाचार होकर, और पण्डित जवाहरलालको खुश करनेके लिए ही आपने उस प्रस्तावका समर्थन किया और भगतसिंह तथा उनके साथियोकी प्रशसा की।

२ वे आपके प्रामाणिक और निष्कपट होनेपर शका करते है। और आपके (तथा आपके कार्यको) कमतर बतानेके लिए बगालमे छिपे तौरपर ऐसे विचार फैलानेकी कोशिश कर रहे है कि आपने कराचीमे भगतसिंह सम्बन्धी प्रस्तावपर तो सक्रिय सहानुभूति प्रकट की, परन्तु फरीदपुर परिषद्मे गोपीनाथ साहा[1]की स्तुति करनेवाले प्रस्तावको पास करनेकी जिम्मेदारीके लिए स्वर्गीय देशबन्धुदासकी कडी आलोचना की थी, जब कि गोपीनाथ साहाको भी भगतसिंहकी तरह ही फाँसी दी गई थी। वे यहाँतक कहते है कि आप प्रान्तीय पक्षपातसे मुक्त नही है, वे लोग बगालमे प्रान्तीय भावनाको उकसाकर आपके प्रभावको घटानेके हर अवसरका लाभ उठा रहे है। वे कहते है कि जिस कामके लिए भगतसिंह और उनके साथियोकी जानें गईं, उसी कामके लिए इस साल बगालमें बहुतसे बगाली नौजवानोने अपने प्राणोकी बलि दी है। बगालमे इस प्रकार जो लोग मरे है, उनमे विनय बोस और उसका साथी, चटगाँव-शस्त्रागारको लूटनेवाले लोग वे २१ लडके जो जलालाबादकी पहाडियोपर ब्रिटिश फौजके साथ लड़ते हुए वीरगतिको प्राप्त हुए, और जिनका पराक्रम आपकी कल्पनासे कही अधिक साहसपूर्ण एव काव्यमय था — शामिल है। परन्तु कैसा आश्चर्य है कि इनमे आपको काव्य नही दिखाई दिया, आपके मुँहसे सहानुभूतिका एक शब्द भी न निकला। ऐसे छलपूर्ण ढँगसे उनकी प्रान्तीय भावनाको जगानेपर उनकी आपमे और आपकी अहिंसात्मक प्रणालीमे श्रद्धा शेष नही रहती।

भगतसिंह विषयक प्रस्ताव मैंने तैयार किया और पास करवाया, उसके औचित्यके बारेमे मै अपनी शका प्रकट कर चुका हूँ किन्तु यह इसलिए नही कि उक्त प्रस्ताव तात्विक दृष्टिसे ठीक नही था। बल्कि मैंने ऐसा उस गलतफहमीकी खातिर किया था जो उसकी वजहसे पैदा हुई है। परन्तु पाठकोको यह जान लेना चाहिए कि उक्त प्रस्ताव पेश करनेके लिए मै न तो नौजवानोके भयसे प्रेरित हुआ था और न उसमे मेरा उद्देश्य पण्डित जवाहरलालको खुश करनेका ही था। नौजवानोके आगे झुकने और पण्डित जवाहरलालको खुश करनेमे मुझे शर्म आती हो, सो बात भी नही है।

१. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ २३५-६।

नौजवानोंके आगे झुकनेसे यदि देशकी भलाई होती हो, और सिद्धान्तकी हत्या न करनी पड़ती हो, और फिर भी मैं उनके सामने न झुकूं तो मैं मूर्ख माना जाऊँ। और पण्डित जवाहरलालको प्रसन्न रखने और उनके उस असीम प्रेमको, जिसका पात्र होनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है, बनाये रखनेके लिए तो मैं बहुत कुछ करनेके लिए तैयार हो जाऊँगा। परन्तु इस मामलेमें मुझे ऐसी किसी प्रेरणाकी आवश्यकता ही नही थी। भगतसिंह और उनके साथियोकी फाँसीकी सजा घटानेके लिए आन्दोलनमें मैंने दिलचस्पी ली थी। उस काममें मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उस करुण कथाके सूत्रधारके जीवनका मुझे इसीलिए अध्ययन करना पडा। उनके भक्त-पितासे और दूसरे लोगोसे, जो भगतसिंहसे, उनके कृत्यके कारण नही, बल्कि उनकी सच्चरित्रता के कारण स्नेह रखते थे, मुझे परिचय प्राप्त करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार स्वाभाविक रूपसे मैं उस प्रस्तावकी दिशामे बढता चला गया। मै इतना भावनाशून्य व्यक्ति नही हूँ कि जिन सयोगोमे सहानुभूतिकी जरूरत हो, उनमें भी मेरा हृदय न पसीजे।

अतएव अगर उक्त बंगाली युवकोमे से किसीके लिए दिलचस्पीके साथ काम करना मेरे लिए आवश्यक हो गया होता और अगर मेरी यह कल्पना होती कि मैं उनके लिए अपनी शक्ति-भर कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने उतनी ही तत्परताके साथ उनके मामलेमें भी जान लडाई होती। मैं मानता हूँ कि मुझमे प्रान्तीय पक्षपात रखनेकी शक्ति ही नही है। मुझे जितना पजाब प्रिय है उतना ही बगाल भी प्रिय है। और, बंगालसे युवावस्थामे मुझे जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए तो मैं उसका खासतौरपर ऋणी हूँ। यह सच है कि गोपीनाथ साहा विषयक प्रस्तावके बारेमें, किस वस्तुपर जोर दिया जाये, इस बातको लेकर देशबन्धुके और मेरे बीचमें मतभेद हो गया था।

मेरी समझमे तो गोपीनाथ साहा सम्बन्धी मेरा प्रस्ताव[1] कराचीवाले प्रस्तावसे तत्वतः भिन्न नही था। फिर भी पाठक यह जान ले कि हमारे दरम्यान चाहे जो मतभेद रहे हो, तो भी देशबन्धुके साथ मेरी मित्रता सदा कायम ही रही। वस्तुत. उनके स्वल्प जीवनके अन्तिम दिनोमे तो हम अपने आदर्शों और उनतक पहुँचनेके तरीकोके बारेमे एक-दूसरेके बहुत ही नजदीक पहुँच चुके थे।

इसलिए यह जानकर मुझे दु ख होगा कि बगालमें मेरे विरुद्ध, थोडा-बहुत ही क्यो न हो, गुप्त प्रचार-कार्य होता है। बगालमें मेरे बहुतेरे कीमती साथी हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी सख्या बढती रहे। बंगालके नवयुवकोका सहयोग कितना बहु-मूल्य है, मैं इसे जानता हूँ। मुझे उनकी और जिस देशपर उन्हे इतनी अधिक भक्ति है,—यह दु.खकी बात है कि कभी-कभी यह भक्ति अन्धभक्ति होती है—उस देशकी खातिर उनके इस सहयोगकी जरूरत है। बिला वजह किसी प्रकारका पूर्वग्रह रखकर उन्हे एक सच्चे सेवककी सेवासे हाथ नही धो बैठना चाहिए। अगर देशके नौजवानोपर मेरा कुछ भी प्रभाव हो, तो उस कीमती पूंजीका उपयोग मैं मातृभूमि

१. देखिए खण्ड २४, पृष्ठ २७२-७६।

की स्वतन्त्रताके लिए करना चाहता हूँ। अतः मुझे प्रसन्नता है कि पत्र-लेखकने मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका अवसर दिया। वगालके या किसी भी प्रान्तके युवको पर मेरा प्रमुत्व कायम रहे या न रहे, मुझे तो उच्च स्वरमें अपनी धार्मिक श्रद्धाका ऐलान करना ही होगा। भारतवर्षके भूखो मरनेवाले करोड़ोकी मुक्ति सत्य और अहिंसा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५२. भूल सुधार

२८ मई, १९३१ के हिन्दी नवजीवनमे 'सयुक्त प्रान्तके किसानोसे' शीर्षक लेख[१] की एक भूलकी ओर मेरा घ्यान आकर्षित किया गया है, जो दुर्भाग्यसे उसमें रह गई है। उक्त लेखके पाँचवे अनुच्छेदकी ग्यारहवी पक्तिमे 'अठन्नी या चवन्नी' शब्द है। वहाँ 'चवन्नी' के स्थान पर 'बारह आना' होना चाहिए था। मुझे इस भूलके लिए खेद है, परन्तु मुझे आशा है कि इसके कारण किसीको भ्रम नही हुआ होगा। क्योकि लेखकी पूर्वोक्त पक्तियोको देखते हुए ऐसे शककी कोई गुजाइश नही रह जाती।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५३. अस्पृश्यताका विष

हिन्दू धर्मके सभी प्रेमियोको नीचे लिखा पत्र पढकर हर्षके साथ-साथ दुःख भी अवश्य ही होगा।[२]

अपनी बहादुरी और दृढताके लिए श्री सुबानागौडर बहुत ही धन्यवादके पात्र है। मैं उन्हे यही सलाह दे सकता हूँ कि वे अपने गाँवके अस्पृश्योकी रक्षा करते हुए अपने सिर हर तरहकी जोखिम उठाये, और फिर भी गाँववालोके लिए दिलमें थोडा भी वैरभाव न रखे। अन्तमे वे देखेंगे कि गाँववाले उन्हे सतानेसे बाज आ गये है। पहले तो लोग उनकी भलमनसाहतको कमजोरी मानेगे, परन्तु बादमें वे उसकी तहमे छिपी हुई शक्तिके दर्शन कर सकेंगे। क्योकि जब लोग देखेंगे कि वे उनके प्रति नम्र और क्षमाशील हैं, और फिर भी अस्पृश्योकी रक्षा करनेमें पहाडकी तरह

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे", २३-५-१९३१।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें अस्पृश्योको अपने कुएँसे पानी भरने देनेके कारण जिला कोयम्बतूरमें कुगालुर निवासी एक कर्मठ कार्यकर्त्ता सुबानागौंडरको उनके गाँववाले कितना परेशान कर रहे थे, इसका वर्णन था।

अटल है, तो उन्हे फौरन ही अपनी भूल नजर आने लगेगी। जैसे-जैसे समय बीतेगा, गाँववालोके साथ लोगोकी हमदर्दी नही रहेगी। और श्री मुवानागीटरको जनताकी सक्रिय सहानुभूति और सहायता प्राप्त हो जायेगी। शर्त सिर्फ यही है कि उन्हे अपने सर्वस्वकी कुर्बानीके लिए तैयार हो जाना चाहिए· गाँववालोंके पापपूर्ण वहिष्कार के कारण यदि मजदूर भडक ही जाये, तो उन्हे अपने खेत विना जुते ही पडे रहने देनेको तैयार रहना चाहिए। उनको साथ देनेवाले उनके चार मित्र है, इस समाचारसे मुझे कुछ आश्वासन मिलता है। परन्तु इन मित्रोको खो वैठनेपर भी उन्हे अपने सकल्पको पूरा करनेकी तत्परता रखनी चाहिए, क्योकि मेरा विश्वास है कि वे जो-कुछ खोयेंगे, सो प्राप्त करनेके लिए ही। ईश्वर जिसे आशीर्वाद देना चाहता है, कभी-कभी उसकी पूरी-पूरी परीक्षा करता ही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५४. इसका नाम है दरिद्रता

सिन्धके देश सेवा मण्डलने सिन्धके भीलोकी आर्थिक स्थितिके सम्बन्धमें एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की है। उसमे जयरामदास दौलतरामके दो लेख है, जो उन्होने सिन्धके थरपारकर जिलेमें रहनेवाले भीलोकी स्थितिकी खुद जाकर सावधानी के बाद लिखे है। यह अचल एक मरुभूमि है। श्री जयरामदास लिखते है ।

> रेगिस्तानमें खेती करना, कुदरतके विरुद्ध घनघोर लड़ाई ठानना है। . . . इस हिस्सेमें खेतीकी पैदावार फी एकड़ ५ रु० से ज्यादा नहीं होती। और यह भी नहीं कि हर साल किसान सब जमीन जोतता हो। . . . रेतीली जमीन, कम बारिश, टिड्डियोंका त्रास और अनाजके सस्ते भाव; इस हालतमें उनका खातेदारोके लिए डूबनेसे बच सकना कठिन है। . . . मैंने सब प्रकारके भील देखे है, वे इनेगिने लोग जो फिलहाल कर्जदारीसे मुक्त है; वे लोग जो हमेशासे कर्जदार है और आधापेट खाकर जीते है, और वे लोग जिन्हें गरीबीसे ऊपर उठकर कभी अच्छे दिन देखनेकी आशा ही नहीं है। यहाँ कुछ गाँवोके बारेमें थोड़ी निश्चित बातें[1] पाठकोके सामने रखना ही सबसे अच्छा है।

इन लोगोको बरसोतक ऐसी जमीन जोतनेके लिए मिलनी चाहिए, जिसका लगान माफ हो। ऐसे लोगोके लिए ही मैंने मुफ्त नमककी माँग पेश की थी, और मै जानता हूँ कि हमारी बातचीतके अन्तमे नमक सम्बन्धी छूट देते हुए लॉर्ड इर्विनको आनन्द हुआ था। मै आशा रखता हूँ कि सारे देशके कार्यकर्त्ता आधेपेट जीनेवाले ग्रामवासियोतक मुक्त नमकका सन्देश पहुँचायेंगे और ऐसे नमकके क्षेत्र खोज निकालेंगे,

१. यहाँ नहीं दी जा रही हैं।

जो सामुदायिक उत्पत्तिके लिए नही तो कमसे-कम गाँवकी जरूरतके लिए उपयोगी होगें। वे ये ही लोग है जिनके लिए चरखा आशा और सुखका सहारा है, ग्रामीण अर्थशास्त्र उद्योगप्रधान अर्थशास्त्रसे भिन्न है। मानवीय अर्थशास्त्र और केवल जड-प्रकृतिके शोषणका अर्थशास्त्र एक ही नही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५५. असममे किसानोंकी परिस्थिति

असम एक भयंकर आर्थिक संकटकी चपेटमें आ गया है। उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, दारांग और नौगाँव, गोलपाड़ा और कामरूप सभी जगहोंसे इस अभावके फलस्वरूप रैयतपर टूटनेवाली मुसीबतों और दुःख-दर्दकी कहानियाँ सुननेको मिल रही हैं। हजारों लोग आम तौरपर मैमनसिंहसे आनेवाले लँगोटीके नामपर कुछ चिथड़े ही पहने हुए प्रवासियोंके जत्थेके जत्थे . . . भीख माँगनेके लिए गोलपाड़ा और धुबरी नगरोंकी ओर भाग रहे हैं। . . .।

गोलपाड़ा और शिवसागरमें, नौगाँव और उत्तर लखीमपुरमें गत कुछ वर्षोंसे हर वर्ष बाढ़ोके कारण बार-बार फसले चौपट होती रही हैं। पिछली जुलाईमें भूकम्पकी एक और विपत्ति भी आई थी। . . .

इस आर्थिक मन्दीकी चपेटमें पड़कर अब हर जगहसे लगानकी माफीके लिए आवाजें उठने लगी हैं। . . .

लगता है कि सरकार अबतक अपने दिमागसे असहयोगके भूतको नहीं निकाल सकी है। . . . वह किसानोंकी लगान-अदायगीकी असमर्थताको उनकी अनिच्छा मान बैठी है और अब वह किस्त अदा करनेकी आखिरी तारीखतक तरह-तरहके अप्रत्यक्ष दबाव डालकर उस अनिच्छाको तोड़नेपर तुल गई है।

उपर्युक्त प्रतिवेदन[1] असम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने भेजा है। यदि प्रतिवेदनमें स्थितिका बिलकुल ठीक-ठीक विवरण है, तो स्पष्ट ही लगानमाफीका पूरा-पूरा औचित्य है, और प्रतिवेदनमे कही गई बातोकी सत्यतापर सन्देह करनेका कोई कारण दिखाई नही पड़ता।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

१. अंशतः उद्धृत।

४५६. जब स्वराज्य होगा

मदुरासे एक ब्राह्मण सज्जन लिखते हैं :[1]

> श्री सेनगुप्तने अपनी यात्राके दिनोंमें कहा था कि स्वराज्य सरकार ब्राह्मणोंको कुचल डालनेके कानून बनायेगी; उन्होंने कराची कांग्रेसके प्रस्तावोंका भी जिक्र किया था। इसकी वजहसे अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुत ज्यादा चिन्तित हो गये हैं, और सनातनी हिन्दुओंके मनमें भी भय पैदा हो गया है। इसलिए कृपाकर बताइयेगा कि आप और कांग्रेस
>
> १. प्रस्तावमें अस्पृश्यताके विषयमें जो कुछ कहा गया है उसका क्या अर्थ करते हैं?
>
> २. तथा प्रस्तावमें प्रयुक्त इन शब्दोंका कि स्वराज्यमें सरकार धार्मिक मामलोंमें निष्पक्ष रहेगी, का ठीक-ठीक क्या अर्थ करते हैं?

मैं नही मानता कि श्री सेनगुप्तने यह कहा होगा कि स्वराज्य सरकार ब्राह्मणोको कुचल डालेगी। काग्रेसका प्रस्ताव बिलकुल स्पष्ट है। पत्र-लेखक सज्जन भविष्यकी आशंकासे नाहक घबरा उठे हैं। वह भविष्य जितना श्री सेनगुप्तके या मेरे हाथमे है, उतना ही उनके भी हाथमे है। यह भी याद रहे कि काग्रेसका प्रस्ताव अभी सविधानका अग नही बना है। जब बनेगा, तब मुझे या किसी औरको उसका अर्थ बतानेकी जरूरत न रहेगी। उसका अर्थ तो कानून द्वारा स्थापित अदालते विधिवत् करेगी।

परन्तु धार्मिक निष्पक्षता और अस्पृश्यता सम्बन्धी कांग्रेसके प्रस्तावका जो अर्थ हो सकता है, उसके बारेमे मैं अपनी राय खुशीसे देता हूँ। किसी भी भावी सविधानमें उक्त प्रस्तावको स्थान मिले बिना न रहेगा क्योकि उसके बारेमें किसी भी प्रकारका मतभेद नही है। सच पूछा जाये तो ऐसा मालूम होता है कि यह पत्रलेखक भी, काग्रेस जितना चाहती है, उतना देनेको तैयार है। धार्मिक निष्पक्षताका मतलब यह है कि सरकारका कोई भी राजधर्म नही होगा, न कोई विशेष पक्षपातका तरीका ही होगा। अस्पृश्यता मिट जायेगी। 'अस्पृश्यो' को किसी भी दूसरे मनुष्यके बराबर ही हक मिलेगे। परन्तु ब्राह्मणको इस बातके लिए मजबूर न किया जायेगा कि वह किसी दूसरेको छुए ही। उसे स्वयं अस्पृश्य बनने, अपने कुएँ, अपने मन्दिर, अपनी शाला और दूसरी तमाम चीजे जो वह रख सकता हो, तबतक रखनेकी छूट होगी, जबतक वह उनका उपयोग पडोसियोके मार्गमें बाधा डाले बिना करेगा। परन्तु जैसा कि कुछ लोग आजकल करते हैं, अन्त्यजोको सार्वजनिक रास्तोपर चलनेकी, सार्वजनिक कुओका उपयोग करनेकी हिम्मत करनेके लिए सजा नही दी जा सकेगी।

१. अंशतः उद्धृत।

सार्वजनिक मन्दिरोमे जानेकी छूट दूसरे सब हिन्दुओको हो, और अन्त्यजोको न हो, ऐसे अत्याचार स्वराज्यमें नही टिक सकेगे। वेदो और दूसरे शास्त्रोकी प्रामाणिकता अस्वीकार नही की जायेगी, परन्तु जिस हदतक इन धर्म-ग्रन्थोका उपयोग जनताके आचार-विचारका नियमन करनेमे होगा, उस हदतक उनका अर्थ करनेका काम व्यक्तियोका नही, बल्कि अदालतोके जिम्मे रहेगा। धर्मबुद्धिके विधि-निषेधोकी कद्र की जायेगी, परन्तु इसके लिए सार्वजनिक सदाचार या दूसरेके अधिकारोको हानि पहुँचाकर नही। जो असाधारण विधि-निषेध अपनायेंगे, उन्हे स्वय अड़चन उठानी पडेगी और अपनी इस सुविधाका दाम चुकाना होगा। रूढ़ि या धर्मके नामपर कोई भी व्यक्ति या वर्ग अपनेको उच्च मान ले, तो कानून उसे सहन नही करेगा। परन्तु यह सब तो मेरा स्वप्न है। मैं कोई काग्रेस नही हूँ। जो काग्रेससे इसके विपरीत काम करवाना चाहते हो, वे जल्दीसे उसमे शामिल हो जाये और अपने-जैसे मत रखनेवाले दूसरोको भी उसमे शामिल होनेकी प्रेरणा दें। काग्रेस लोकमतकी प्रतिनिधि है, या यो कहिए कि उसका सविधान लोकमतकी प्रतिनिधि बनने जितना विशाल है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५७. भाषण: देशसेविका सभा, बम्बईमें

११ जून, १९३१

गांधीजीने आज सुबह-सुबह चन्द मिनटोके लिए देशसेविकाओके समक्ष भाषण करते हुए कहा कि वे शान्तिपूर्ण ढंगसे अपना धरना जारी रखें। धरना देनेका अधिकार केवल उनको ही मिलना चाहिए जो आदतन खादी पहनते हो। श्रोताओंमें से किसीके पास यदि विदेशी वस्त्र हों तो उनको होलीमें जलानेके लिए दे देना उचित है। यदि उनके पास मिलका कपड़ा हो, तो उन्हे चाहिए कि वे उसे गरीब और जरूरतमन्द लोगोमें बाँट दे। खद्दरका उद्देश्य भूखों मरते किसानो-मजदूरोकी मदद करना है। यदि खादीको प्रोत्साहन दिया जाये तो किसान-मजदूरोको अपनी मेहनतका पूरा-पूरा लाभ मिलने लगेगा, जब कि मिलके वस्त्रोसे उनको रुपयेमें एक आना ही मिल पायेगा। इस मानवीयतापूर्ण उद्देश्यको बल पहुँचानेके लिए आप लोगोको खद्दर ही पहनना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-६-१९३१

४५८. भाषण : बम्बईमें[1]

११ जून, १९३१

सबसे पहले तो मैं आपसे इस बातके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आप लोगोको इतने सवेरे-सवेरे कष्ट दिया। 'हिन्दुस्तानी सेवा दल' का उद्देश्य देशकी सेवा करना है। अबतक तो मैं जब भी 'भारत सेवक' (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया) का नाम सुनता, तो मैं बड़ा भयभीत हो उठता था। क्योंकि भारतके शासक भी अपने-आपको भारत सेवक ही बतलाते हैं। ये तथाकथित भारत सेवक वास्तवमें कभी अपने नामके अनुरूप नही हो सकते। वे ब्रिटिश साम्राज्यके सेवक हैं और ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारतभूमि दोनो ही की सेवा एक-साथ करना असम्भव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इन तथाकथित 'भारत-सेवको' के पद-चिन्होंपर चलनेकी कोशिश करे तो आप भारतकी कोई सेवा नही कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने अन्दर सच्ची सेवाकी लगन पैदा करनी पड़ेगी, जो उन लोगोको छू तक नही गई है। यदि सत्ता ग्रहण करनेके बाद आप अपनी सत्ताको क्रूरतापूर्वक जनतापर थोपनेकी कोशिश करने लगेंगे तो फिर जनताकी सेवा किस प्रकार कर पायेंगे?

हमारे अन्दर सच्ची सेवाकी यह भावना नही है, इसीलिए हमारे बीच प्रतिस्पर्धा और असन्तोष काफी बड़े पैमानेपर घर कर चुके हैं। मुझे यह सुनकर बड़ी ठेस लगी कि लोगोने विभिन्न कांग्रेस संगठनोमे ऊँचे पद प्राप्त करनेके लिए धनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और इस तरह एक अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिताका वातावरण पैदा कर दिया है। सच्चा कार्यकर्त्ता तो वही है जो सबसे पिछली कतारमें होनेपर भी अपना काम स्थिरमतिसे करता रहता है। सच्ची सेवाके खरेपनकी कसौटी केवल यह बात नही होती कि कितना अधिक कार्य सम्पन्न किया गया है, बल्कि एक बड़ी हदतक उसका दारोमदार इस बातपर रहता है कि वह कार्य विनम्रताकी भावनासे किया गया है या नही। मैंने अभी-अभी जिन गुमराह लोगोका जिक्र किया था, लगता है वे बल-प्रयोगके जरिए अपने देशकी सेवा करना चाहते हैं। परन्तु इससे निश्चित ही यह प्रकट होता है कि उनकी मन स्थिति सर्वथा अवाछनीय है। यदि कोई अपने भले उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दूषित या आपत्तिजनक साधन अपना ले तो वह न तो कभी फल-फूल सकता है और न ही किसीकी कोई भलाई करनेमे समर्थ हो सकता है।

मेरे लिए यह सोचना निश्चय ही गलत होगा कि यदि मैं भारतका सम्राट बन जाऊँ तो भारतकी सेवा ज्यादा अच्छी तरह कर सकूँगा। किसी समय फ्रांसके राजनीतिक जीवनमे बिलकुल ऐसी ही स्थिति बन गई थी और लोग अपने

१. 'हिन्दुस्तानी सेवा-दल' द्वारा आयोजित प्रशिक्षण-शिविरमें शामिल हुए उन कार्यकर्त्ताओंके समक्ष, जिन्होंने गांधीजी से उनके बम्बई-निवास 'मणि भवन' में मुलाकात की थी।

विरोधियोको राजनीतिक क्षेत्रसे हटानेके लिए क्रूरसे-क्रूर तरीके अपनाया करते थे। परन्तु 'हिन्दुस्तानी सेवा दल' के कार्यकर्त्ताओको अपने कार्यकी बुनियाद शान्ति और सत्यपर रखनी चाहिए।

उनको अपने अन्दर अधिक-से-अधिक विनम्रताकी भावना भी पैदा करनी चाहिए; और यदि उनको लगे कि उनके कामको समुचित महत्व नही दिया जा रहा है तो भी उनको अपने प्रयत्नोमें न तो ढिलाई आने देनी चाहिए और न ही अपने कामका स्तर तनिक भी गिरने देना चाहिए। उनको अपने साथियोके साथ पर्याप्त सहिष्णुताका व्यवहार करना चाहिए और अपनी माताओ तथा बहनोको पूरा मान-सम्मान देना चाहिए। मै जानता हूँ कि विनम्रता, सत्य, प्रेम और शान्तिका कोई भी नितान्त निर्दोष सगम इस ससारमे अत्यन्त दुर्लभ है, फिर भी आप सबको उसे पानेका प्रयास अवश्य करना चाहिए। याद रखिए कि यदि सेनामे सभी लोग सेनापति बनकर आदेश देने लगे, तो युद्धके लिए सैनिक बचेगे ही नही। मै सच्चे हृदयसे आशा करता हूँ कि मैने आज दिनके सबसे शुभ मुहूर्तमे आपके सामने जिस आदर्शकी बातकी है, आप इसके अनुरूप बननेकी कोशिश करेगे और मै पूरे विश्वासके साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सच्चे हृदयसे कोशिश करेगे और आजकी इस प्रभात-वेलाको सदा अपनी स्मृतिमे सँजोये रहेगे तो आप अपनी और अपनी मातृभूमि दोनो ही की उत्तम सेवा करेगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-६-१९३१

४५९. पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
१२ जून, १९३१

चि० जमनादास,

तुम्हारा स्वभाव भी न्यारा है। इतने दिन मेरे पास रहकर जानेके बाद महत्वपूर्ण बाते वहाँसे लिख रहे हो। इससे कई सम्बन्धित प्रश्न उठ खडे होते है। उन्हे डाकसे भेजूँ या तुम्हे वापस बुला लूँ? बम्बईतक आनेका विचार करनेका कारण क्या है, यह जाननेकी इच्छा करनेपर तुम कारण नही बता सके और एकदम भाग गये। अब वहाँसे पत्र लिखकर ५,००० रुपयोकी माँग की है। मेरी तुम्हे अब यह सलाह है कि तुम काका साहबको पत्र लिखो और उनके पास अपनी माँगका औचित्य सिद्ध करो। ऐसा करो, तो मेरा मार्ग सरल हो जायेगा। क्या मनु और बेबी वहाँ आ गये है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२४)से।
सौजन्य : जमनादास गाधी

४६०. भेंट : यूरोपीय शिष्टमण्डलको

१२ जून, १९३१

गांधीजी ने लगभग तीस तरुण यूरोपीयोंके एक शिष्ट-मण्डलसे भेंट की, उनमें चार तरुणियाँ भी थीं। गांधीजी ने शिष्ट-मण्डलके अनुरोध कर भारतमें रहनेवाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपीयोंके प्रति कांग्रेसके रुखको स्पष्ट किया।

गांधीजी ने कहा कि कांग्रेसका रुख वैमनस्यतापूर्ण नहीं है, बल्कि निश्चित तौर पर सक्रिय मैत्रीका है। उन्होंने शिष्ट-मण्डलको याद दिलाया कि कांग्रेसकी तो स्थापना ही एक अंग्रेज श्री ह्यूमने की थी और पार्लियामेन्टके सदस्यतक उसकी अध्यक्षता करते रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप लोग कांग्रेसके उद्देश्यों और उसके इतिहासका अध्ययन करें और देखें कि कांग्रेसका मन्शा कभी किसी जाति या किन्हीं हितोंको नुकसान पहुँचाना नहीं रहा। यदि कांग्रेसके साथ आपकी सहानुभूति हो तो उसमें शामिल होना आपका कर्त्तव्य है। यह तो ठीक ही है कि भारतवासियोंको अपने देश भारतमें शासन चलानेका उसी तरह पूर्ण अधिकार होना चाहिए जिस प्रकार अंग्रेजोंको इंग्लैडमें है। अंग्रेज; कुछ विशेष संरक्षणों और व्यापारिक अधिकारोंके लिए आग्रह कर रहे हैं ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है। भारतपर अपने शासनके डेढ़ सौ वर्षोंके दौरान उन्होंने अपने जो विशेषाधिकार हथिया लिये हैं उनको स्थायी बनानेका मतलब होगा असमानताके आधारपर मैत्री कायम रखना। इतना ही नहीं कि कांग्रेस अंग्रेजोंके प्रति वैमनस्य नहीं रखती, बल्कि वह तो उनके सहयोग, उनकी सहायता और उनके सम्पर्क तथा उनकी संगठन-क्षमताका स्वागत करती है। इस प्रकारके सहयोगका अर्थ असमानताके आधारपर सहयोग करना नहीं होता। शिष्ट-मण्डलसे गांधीजी की मुलाकात लगभग पन्द्रह मिनटोतक चली।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-६-१९३१

४६१. भाषण: मरोलीमें[1]

१२ जून, १९३१

महात्मा गांधीने कुमारी मीठुबहन पेटिट द्वारा संचालित बुनाई-शालाके भवनका शिलान्यास किया। उन्होंने एक विशाल सभामें बोलते हुए कहा: यदि दस वर्ष पहले किसीने मुझे बताया होता कि बम्बईके एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवारकी कुमारी मीठुबहन पेटिट मोटा-झोटा खद्दर पहने, नंगे पाँवों, सर्दी-गर्मीकी चिन्ता किये बिना दिन-रात गाँव-गाँव घूमकर गरीबोंके बीच काम करेंगी और उनके बच्चोंको कताई, बुनाई और अन्य धन्धे सिखायेंगी, तो मैंने उसपर विश्वास न किया होता। हालाँकि मैंने पारसियों द्वारा किये गये कामको, मद्य-निषेध आन्दोलन शुरू करनेके दिनोंमें भी सराहा था, लेकिन मैं समझता था कि खद्दरके प्रचारके बिना केवल मद्य-निषेध आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। शराबकी दुकानें बन्द कराना ही सबसे मुख्य बात नहीं है। यदि शराबी लोग शराब पीनेकी आदत नहीं छोड़ेंगे तो वे अवैध रूपसे शराब तैयार करने लगेंगे और आजकी तरह उसका अवैध व्यापार भी खूब चलेगा। लत लग जानेवालोंको जबतक कोई धन्धा नहीं सिखाया जायेगा तबतक वे शराब नहीं छोड़ पायेंगे। बड़ी-बड़ी फैक्टरियोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको थकान दूर करनेके लिए कोई चीज चाहिए। स्वयं मैंने कभी शराब चखी भी नहीं है, लेकिन दक्षिण आफ्रिकामें थकानसे चूर मजदूरोंको मैंने अपने हाथों शराब दी। मेरे कुली सहयोगियोंने शराब माँगी और मैंने एक 'कैन्टीन'वालेसे लाकर उनको शराब दी। पशुओंकी तरह काममें जोते जानेवाले लोगोंको शराबकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन घरोंके शान्त वातावरणमें काम करनेवाले लोग आसानीसे शराब छोड़ सकते हैं।

यदि कताई, बुनाई, पशु-पालन, चर्म-कार्य, इत्यादि ग्रामीण धन्धोंका पुनरुद्धार किया जाये तो ग्रामीण क्षेत्र पहलेसे अधिक समृद्ध बन जायेंगे। वे बम्बईके सट्टा बाजारके करोड़पतियों जितने धनी नहीं बनना चाहते; वे तो केवल इतना चाहते हैं कि कर्जसे मुक्ति मिल जाये। उनकी गोलकमें चाँदीके कुछ सिक्के जमा हो जायेंगे। उनको साहूकारोंसे कर्ज लेनेके बदले, अपनी बचतके पैसे साहूकारोंके पास जमा करने चाहिए। तब उनके पास अपने खुदके मकान हो जायेंगे और उनके पशुओंकी संख्या बढ़ जायेगी। उस क्षेत्रमें ऐसी ही प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतके सात लाख गाँवोंमें भी यही होना चाहिए। यह स्वराज्यका ही काम है। पिछले वर्ष उन लोगोंने जमीन तैयार की थी और अब उनको उसमें बीज बोने हैं। यह रचनात्मक

१. सूरतसे लगभग १२ मीलकी दूरीपर स्थित।

काम है। बीज बोनेका काम ज्यादा अहमियत रखता है। यह काम हमें ज्यादा लम्बे समय तक करते रहना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-६-१९३१

४६२. तार: महेन्द्रप्रसादको

बोरसद
१३ जून, १९३१

महेन्द्रप्रसाद,[1]
छपरा

मेरे रवाना होने तक राजेन्द्रबाबू बहुत काफी चंगे हो गये थे।[2] चन्द ही दिनोंमें वे मेरे पास आ जायेंगे। अच्छी-से-अच्छी परिचर्याका प्रबन्ध है। पूरी तरह चंगे होने और विश्राम कर लेनेके बाद ही कहीं जाने-आने दूँगा। इन दिनों यहाँका मौसम काफी अच्छा रहता है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७१)की फोटो-नकलसे।

४६३. पत्र: दुनीचन्दको

१३ जून, १९३१

प्रिय लाला दुनीचन्द,

सूरजभानजी ने लिखा है कि उन्होंने जो रुपये खर्च किये हैं आप उनकी भी अदायगी नहीं कर रहे हैं। आशा है कि यह शिकायत गलत होगी। मेरी समझमें खर्चकी सारी राशि चुकता कर दी जानी चाहिए। आगेके लिए यदि कोई सुझाव आपके मनमें हो तो कृपया मुझे लिखें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (जी० एन० ५५८१)की फोटो-नकलसे।

१. राजेन्द्र बाबूके बड़े भाई।
२. राजेन्द्रप्रसाद बीमारीके कारण बम्बईमें ९ और १० जूनको हुई कार्य-समितिकी बैठकमें भाग नहीं ले सके थे।

४६४. पत्र : एमेलिया मैक्बीनको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

प्रिय महोदया,

आपका पत्र मिल गया। धन्यवाद। आप मुझे जिस चीजका श्रेय दे रही हैं उसका मैं बिलकुल भी पात्र नही हूँ। आप मेरे नामराशी एक दूसरे गाधीकी[1] बात कर रही हैं, लेकिन उनसे मेरी कोई भी रिश्तेदारी नही है। हाँ, हम दोनो मित्र रहे है और कुछ दिनोतक साथ-साथ भी रहे हैं। आपको जानकर दु.ख होगा कि कई वर्ष पूर्व वे ससारसे उठ चुके हैं और अपने पीछे एकमात्र पुत्र छोड गये हैं। वे ही अमेरिका गये थे; और वहाँ अनेक लोग उनके मित्र बन गये थे। मुझे आपके महाद्वीपमे आनेका सौभाग्य नही मिला है।

हृदयसे आपका,

कु० एमेलिया मैक्बीन
मारफत श्रीमती मैक्बीन
प्रैरी एवेन्यू
शिकागो (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७२) की फोटो-नकलसे।

४६५. पत्र : सुरेन्द्रसिंहको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

प्रिय सरदार सुरेन्द्रसिंह,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। प्रेमके सिद्धान्तका चारो ओर प्रचार करनेके लिए मैं शक्ति-भर अपने ही ढंगसे प्रयत्न तो कर रहा हूँ, लेकिन हिन्दुओ और मुसलमानोंके बीच दिन-दिन बढ़ती घृणा और अविश्वासके बीच उसकी प्रगति बड़ी मन्द है। साम्प्रदायिक समस्याके आपके सुझाये हलके बारेमें मुझे लगता है कि दोनो ही सम्बन्धित पक्ष चाहते हैं कि समझौता सभी प्रान्तोमें हो या फिर बिल्कुल ही न हो।

१. वीरचन्द गाधी।

मैं आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि यदि चन्द प्रान्त भी अपने यहाँ यह समस्या हल कर ले तो भी इस दिशामें काफी कुछ प्रगति हो जायेगी।

हृदयसे आपका,

सरदार सुरेन्द्रसिंह
कृषि-विभाग
पंजाब सरकार
शिमला पूर्व

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७३) की फोटो-नकलसे।

४६६. पत्र : मन्त्री, 'सेन्ट्रल सिख लीग' अमृतसरको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

मन्त्री
सेन्ट्रल सिख लीग
अमृतसर

प्रिय महोदय,

'यंग इंडिया' का सम्पादक होनेके नाते मेरे पास आपका पत्र भेज दिया गया है। ध्वजके बारेमें जो सुझाव आपने दिये हैं, उनको तो आप कांग्रेस कार्य-समिति द्वारा नियुक्त ध्वज-समितिके मन्त्रीके पास भेज दें। यही ठीक रहेगा। ध्वज-समितिके संयोजक और मन्त्री हैं : डॉ० पट्टाभि सीतारमैया, मसूलीपट्टम, द० भारत।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (१७२७४) की माइक्रोफिल्मसे।

४६७. पत्र : डॉ० मु० अ० अन्सारीको

वोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय डॉ० अन्सारी,

दिल्ली शहरके आपसी झगडोके बारेमें आपसे बात करना मैं भूल गया था, और उसका समय भी नही मिल पाया था। श्रीमती आसफ अलीके पत्रसे मुझे मालूम हुआ है कि झगडे निबटना तो दूर, अब महिलाएँ भी उनमें शामिल होने लगी हैं।[१] क्या आप इन झगड़ोको खत्म नही करा सकते?

उम्मीद है कि आपके पहुँचनेतक आपके भाईकी हालत बेहतर हो गई होगी। क्या डॉ० रहमान कुछ कर पाये?

डॉ० मु० अ० अन्सारी
१ दरियागज, दिल्ली

अग्रेजी (एस० एन० १७२७५)की फोटो-नकलसे

४६८. पत्र : शामलालको

वोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला।[२] आपने पत्र लिखा इसकी मुझे खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रोहतकके हालातके बारेमे सूचित करते रहे। पर इस अवस्थामे

१. श्रीमती आसफअलीने लिखा था : "कांग्रेसी 'दिल्ली महिला सेवा दल'की सदस्याओंके बारेमें गन्दा प्रचार कर रहे है। चूँकि वातावरण इतना गन्दा हो चुका है कि कोई भी आत्म-सम्मानी महिला इसमें काम करती नहीं रह सकती, इसलिए मैं त्यागपत्र देकर अलग हो रही हूँ।"

२. पत्रमें कहा गया था : ". . .प्रत्येक पुलिस थानेके क्षेत्रमें एक काग्रेसी कार्यकर्ता है। हमने जिलेमें लगभग २,५०० सदस्य बनाये है और १२५ कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित की हैं। इससे अधिकारी चिन्तित हो उठे है और जिलेमें दमन शुरू हो गया है। हमारे कोषाध्यक्षपर—जिनसे सरकारको कोई खतरा नहीं और जो असहयोग आन्दोलनके दिनों जेल तक गये थे — अब मुकदमा चलाया जा रहा है। . . . दो अन्य कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिए गये है। अधिकारी काग्रेसके सामान्य कार्यको भी बन्द कर देना चाहते हैं। रोहतक जिलेमें काग्रेस कार्यकर्त्ता इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं कि हिंसात्मक भाषण न दिये जायें, लेकिन चूँकि जिले-भरमें रोहतकमें ही कांग्रेसका काम संगठित रूपसे चल रहा है, इसलिए उ ही दमनका खास निशाना बनाया गया है।"

मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। समझौतेकी शर्तोंके अन्तर्गत तो मैं दमनकी ओर सरकारका ध्यान तभी आकर्षित कर सकता हूँ जब वह बहुत ही प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, लेकिन रोहतककी तरह जहाँ वह अप्रत्यक्ष रूपमें और छिप-छिपे किया जा रहा हो, वहाँ तो आपको अपनी ही सूझबूझसे उसका मुकाबला करना पड़ेगा, और आपको इस योग्य होना चाहिए। हाँ, न्यायालयोंमें प्रतिवादी–पक्ष पेश करके अपना बचाव करनेकी योग्यताका उपयोग करनेका आपको पूरा अधिकार है।

हृदयसे आपका,

लाला शामलाल
एडवोकेट
९ दयालसिंह बिल्डिंग्ज
अपर माल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७६)की माइक्रोफिल्मसे।

४६९. पत्र : विधानचन्द्र रायको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय डॉ० विधान,

आपका पत्र मिल गया।[1] उसके लिए धन्यवाद। शिलाँगका कवित्वपूर्ण वृत्तान्त पढ़कर मुझे आपसे ईर्ष्या होती है।

बंगालके दुर्भाग्यपूर्ण विवादोंके बारेमें जो भी किया गया है वह सब आपने समाचारपत्रोंमें देख ही लिया होगा। बंगालके वातावरणको विषसे मुक्त बनानेमें मैं मुझसे जो शक्य होगा सो सभी-कुछ कर दूँगा, आप इसका भरोसा रखें।

आपसे जब भी भेंट हो आप वासन्तीदेवी, मोना, बेबी और सुजाताको मेरी ओरसे नमस्कार कहनेकी कृपा करें। उनसे कहियेगा कि मैं उनको पत्र तो नहीं लिखता, पर अक्सर उनकी याद अवश्य करता हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधानचन्द्र राय
शिलांग

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. पत्रमें बंगालके विवादको पंच-फैसलेको सौंपनेके गांधीजी के प्रस्तावकी ताईद की गई थी।

४७०. पत्र : डॉ० बा० शि० मुंजेको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

प्रिय डॉ० मुंजे,

अपने ६ जूनके पत्रके लिए मेरा धन्यवाद लीजिए। मैं यदि लन्दन जानेमें सफल भी हुआ तो अपने साथ विशेषज्ञोंको ले जानेका मेरा कोई इरादा नहीं है। वहाँ मेरा कार्य-क्षेत्र इतना सीमित-सा रहेगा कि विशेषज्ञोंसे परामर्श करनेकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी।

हृदयसे आपका,

डॉ० बालकृष्ण शिवराम मुंजे
फरग्रोव
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७८)की फोटो-नकलसे।

४७१. पत्र : भूपेन्द्र नारायण सेनको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय भूपेन,

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। खुशी हुई कि तुमने मुझे निस्संकोच होकर इतनी स्पष्टताके साथ पत्र लिखा। तुम्हें जिस प्रकारकी सहायता दरकार है, उसे जुटाना मेरे लिए कठिन है। मेरा ख्याल था कि तुमने अभय आश्रमसे अपने-आपको सम्बद्ध कर लिया होगा। जो भी हो, मेरी सलाह है कि जमनालालजी जब वहाँ आयें, तब तुम उनसे मिल लो। उनको आशा है कि अगले महीने वहाँ पहुँचेंगे।

तीस पौंड वजन घटना तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत भूपेन्द्र नारायण सेन
पो० बारदौगोले
जिला हुगली (बंगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७९)की माइक्रोफिल्मसे।

४७२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपने समाचारपत्रोमें पढा होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ कुछ दिनोसे मेरे साथ रह रहे हैं। मै रोजाना जितना भी समय निकाल पाया, उसमे उनके साथ बातचीत करता रहता था, और मेरे मन पर उनकी यह छाप पडी है कि वे एक बहुत ही सच्चे हृदयके व्यक्ति है और अहिंसामें उनकी परम निष्ठा है। अमानुल्ला आन्दोलनके साथ उनका कोई सम्बन्ध नही है। उनका सारा कार्य 'खुदाई खिदमतगार' आन्दोलनतक ही केन्द्रित है। यह आन्दोलन सेवा-कार्यके लिए लोगोको भर्ती करता है। भर्ती किये जानेवाले व्यक्तियोसे यह प्रतिज्ञा कराई जाती है: "मै सत्यवादी और सच्चरित्र रहूँगा। मेरा आचरण अहिंसापूर्ण रहेगा और मै अपने पडोसियोसे नही लड़ूंगा। मै अपने पडोसीकी सम्पत्तिपर लोलुप दृष्टि नही डालूंगा। मै देशकी स्वतन्त्रता के लिए मृत्यु-पर्यन्त कष्ट-सहन करनेको तत्पर रहूँगा।" यह प्रतिज्ञा करके 'खुदाई खिदमतगारो' मे भर्ती होनेवाले लोगोसे यह अपेक्षित है कि वे अपने-अपने गाँवोमें साप्ताहिक हाजिरी देंगे। उन्होने बहुत ही स्पष्ट शब्दोमे घोषणा की है कि खुद उन्होने और उनके अनुयायियोने भी समझौतेको किसी भी तरह कही भी भग नही किया है और उनका कहना है कि उन्होने हर स्थानपर जनताको यही समझाया है कि समझौता जहाँतक जनतापर लागू होता है, वहाँतक उसकी सभी शर्तोको पूरा करना जनताके लिए अत्यावश्यक है। लेकिन उनका कहना है कि अधिकारियोने अनेक बार समझौता भग किया है और उसके ये उदाहरण दिये हैं:

(क) सीमाप्रान्त और एजेंसीके कई इलाकोमें अबतक अनेक सविनय अवज्ञा करनेवाले बन्दियोको रिहा नही किया गया है।

(ख) उनका कहना है कि छोटी-छोटी बातोको लेकर ही लोगोको तग किया जा रहा है। गाँवोके घरोके पाससे गुजरते हुए सैनिक "इस्लाम मुर्दाबाद," "गाधी मुर्दाबाद" और "गफ्फार खाँ मुर्दाबाद" के नारे लगाते चलते हैं। उन्होने यह भी कहा है कि स्वय उन्होने अपने लोगोको आपत्तिजनक नारे लगानेसे मना कर दिया है।

खान साहब स्वीकार करते है कि वे आयुक्तसे मुलाकात करने नही गये। उनका कहना है कि वे इसलिए नही गये कि स्थानीय अधिकारियोके रुखमें उनको कोई परिवर्तन नही दिखाई पड़ा और यदि वे मिलने चले जाते तो उनको आशका थी कि उसका गलत अर्थ लगाया जाता। वे आपसे या महामहिम वाइसरायसे इस शर्त पर मिलनेको तैयार हैं कि मै साथ रहूँ। मै भी यह अच्छा समझता हूँ कि आप उनसे परिचय कर ले और यदि आप उपयोगी समझें तो उनको आपसे परिचित करानेके लिए ही मै खुशी-खुशी शिमला आ जाऊँगा। मै समझता हूँ कि समझौतेमें

यह अपेक्षा तो निहित ही है कि पारस्परिक विश्वास हो, और इसलिए सरकारकी बुद्धिमत्ता भी शायद इसी बातमें होगी कि वह पहले खान साहबसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर ले और तब उसके बाद उनके आश्वासनोको कसौटीपर कसकर देखें। मैंने इस अपने पत्रका उत्तर मिलने तकके लिए खान साहबको यही रोक लिया है। और चूँकि वे काफी अर्सेसे मेरे साथ हैं और मैं भी उनको उतनी ही देरतक रोकना चाहता हूँ, जितना कि बिलकुल ही जरूरी हो; इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसका उत्तर तार द्वारा देनेकी कृपा करें। साथ ही, मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि खान साहबका बड़ा आग्रह है कि मैं सीमाप्रान्त जाकर खुद वहाँकी परिस्थिति देख लूँ और 'खुदाई खिदमतगारो' के विशाल समुदायसे सम्पर्क स्थापित करके खान साहबके कार्योका अध्ययन करूँ। मैं महसूस करता हूँ कि अब तो मेरे सीमाप्रान्त जानेके बारेमें कोई आपत्ति नही होनी चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४७३. पत्र : अमतुस्सलामको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय अमतुल,

तेरा खत मिला। अपनी कमजोरीपर या इस हकीकतपर कि तुझे आश्रमसे सेवा लेनी पड़ती है, सोचते नही रहना चाहिए। सभी जानते हैं कि तू सेवा करनेके लिए आतुर है। अगर तू धीरज रखेगी तो खुदा तुझे सेवा करनेकी जरूरी ताकत देगा। तुझे चिन्ता नही करनी चाहिए।

बापू

[पुनश्च :]

गंगाबहनसे अपना इलाज करवाओ।

अंग्रेजी (जी० एन० २४१)की फोटो-नकलसे।

१. एमर्सनने ६ जुलाईको उत्तर दिया था कि गांधीजी के वहाँ जानेसे काफी उत्तेजना फैलने और स्थानीय प्रशासनकी कठिनाइयाँ बढ जानेकी सम्भावना है। देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १७-६-१९३१ की पादटिप्पणी भी।

४७४. पत्र : एम० आई० डेविडको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

अब मुझे एक सूत्र सूझ गया है। उसे यहाँ दे रहा हूँ.

उन भारतीयो और यूरोपीयोका, जो जल्दी ही एक ऐसी शासन प्रणालीको स्थापित करनेके पक्षमें हो, जो भारतको विश्वके स्वतंत्र राष्ट्रोके बीच अपना उचित स्थान ग्रहण करनेमें समर्थ बना सके, एक मिला-जुला प्रचार-मच बनाया जाये।

"विश्वके स्वतन्त्र राष्ट्रोके बीच"—ये शब्द मूलमे प्रयुक्त "स्वतन्त्र राष्ट्रोके ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलके एक सहयोगी सदस्यके रूपमें" शब्दोके स्थानपर रखे गये हैं। आप देखेंगे कि इस सूत्रमे स्वेच्छापूर्वक समान भागीदारकी हैसियतसे ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध रखनेकी गुजाइश रखी गई है, साथ ही उसे अनिवार्य भी नही बनाया गया है। अन्य दो सूत्रोके बारेमे मै अधिक कुछ नही कहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४, क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८०)की फोटो-नकलसे।

४७५. पत्र : हरेकृष्ण मेहताबको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मेहताब बाबू,

आपका पत्र[1] मिल गया। इसमे क्षमा-याचनाकी तो कोई बात ही नही थी। आपका कार्यक्रम कुछ अधिक विशद और व्यापक है। परन्तु मुझे कोई कारण नही दिखाई पडता कि आप आस्था और श्रमके बलपर उसे पूरा क्यो नही कर सकते।

जानकर प्रसन्नता हुई कि मतिदास और पुरवाई आपके पास हैं। स्वल्प साधनोको लेकर या निरी साधनहीनताकी स्थितिमे कोई सस्था शुरू करना बड़ी बात

१. हरेकृष्ण मेहताबने लिखा था कि बालासोरके गाधी कर्म मन्दिरके नियम कुछ ज्यादा सख्त है और इसीलिए उन्हें अधिक सरल रूपमें प्रस्तुत किया था।

है। आस्था ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपके आय-व्ययमें सिर खपानेकी मुझे जरूरत नही, क्योकि जमनालालजी मेरे विचारोका बडा ठीक प्रतिनिधित्व करते है और ऐसे मामलोमें उनकी सलाह बहुत सही और कारआमद होती है।

हृदयसे आपका,

श्री हरेकृष्ण मेहताब
गांधी कर्म मन्दिर
बालासोर (उड़ीसा)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८१)की माइक्रोफिल्मसे।

४७६. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

इस बार फिर आप रह गये। कैसे? मुझे तो पूरी आशा थी कि आप बारडोलीमे जरूर आयेंगे। आप मेरे साथ पूरे हफ्ते-भर रह सकते थे। यदि वहाँ अपना काम आपको बहुत ही पसन्द हो तो दूसरी बात है, फिर आपके न आनेकी मुझे कोई चिन्ता नही। आप अपने दिन-भरके कामकी एक झाँकी दीजिएगा।

श्री मैथ्यू
साबरमती आश्रम

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८२)की माइक्रोफिल्मसे।

४७७. पत्र : एम० आई० डेविडको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

कल रात ही मैंने एक पत्र बोलकर लिखाया था। महादेवने मुझे इसी महीनेकी ११ तारीखका आपका एक दूसरा पत्र भी थमा दिया। जिसमें आपने पूछा है कि क्या मैं बम्बईके मेयरके तत्वावधानमे गठित की जानेवाली प्रस्तावित गैर-सरकारी समझौता-समितिके बारेमे पत्रमे दिये गये आपके सुझावका अनुमोदन करता हूँ। मैं उसमें एक ही सशोधन करना चाहूँगा। ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि भारतीयो और यूरोपीयोकी सख्याके बीच अनुपात निश्चित करनेके लिए सख्तीसे किसी लीकको न

पकडा जाये।[1] उसके लिए सहज तरीका अपनाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि समितिमे काम करनेके लिए आपको भारतीयोकी अपेक्षा अधिक कर्त्तव्य-निष्ठ यूरोपीय मिल जाये। मै उस स्थितिमे यूरोपीयोको अधिक सख्यामें शामिल करनेमे या इसके विपरीत, दूसरी स्थितिमें भारतीयोको अधिक सख्यामे शामिल करनेमे सकोच नही करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४, क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७२८३)की फोटो-नकलसे।

४७८. पत्र: जॉन काइट कॉलैटको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

'चिल्ड्रन्स लीग' के कुछ कार्डों और पदकोके साथ आपका पत्र प्राप्त हुआ। 'साल्वेशन आर्मी' के साथ मेरा कोई सम्पर्क नही है और न मुझे बच्चोके बीच उस सस्थाके किये जानेवाले कार्योंके बारेमे कोई जानकारी ही है। फिर मेरा अपना काम तो एक बिलकुल ही दूसरी तरहका है। इसलिए अगर आपका खयाल हो कि मै 'साल्वेशन आर्मी' के सम्बन्धमे ही काम कर रहा हूँ तो स्पष्ट है कि आपकी सूचना सही नही है। इसलिए मै 'साल्वेशन आर्मी' से पूछ रहा हूँ कि क्या वे इन कार्डों और पदकोको मुझसे लेना पसन्द करेगे। यदि वे तैयार न हो तो कृपया लिखिए कि मै पदकोका क्या करूँ।

हृदयसे आपका,

जॉन काइट कॉलैट महोदय
अध्यक्ष
'चिल्ड्रन्स लीग ऑफ पीस ऐड गुडविल'
'सनराइज,' पैनार्थ

अग्रेजी (एस० एन० १७२८४)की फोटो-नकलसे।

१. एम० आई० डेविडका प्रस्ताव था कि मध्यस्थता समझौता-समितिमें "भारतीय और यूरोपीय सदस्योकी संख्या समान रखी जाये।"

है। आस्था ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपके आय-व्ययमें सिर खपानेकी मुझे जरूरत नही, क्योकि जमनालालजी मेरे विचारोका बड़ा ठीक प्रतिनिधित्व करते है और ऐसे मामलोमें उनकी सलाह बहुत सही और कारआमद होती है।

हृदयसे आपका,

श्री हरेकृष्ण मेहताब
गांधी कर्म मन्दिर
बालासोर (उड़ीसा)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८१)की माइक्रोफिल्मसे।

४७६. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

इस बार फिर आप रह गये। कैसे? मुझे तो पूरी आशा थी कि आप बारडोलीमे जरूर आयेंगे। आप मेरे साथ पूरे हफ्ते-भर रह सकते थे। यदि वहाँ अपना काम आपको बहुत ही पसन्द हो तो दूसरी बात है, फिर आपके न आनेकी मुझे कोई चिन्ता नही। आप अपने दिन-भरके कामकी एक झाँकी दीजिएगा।

श्री मैथ्यू
साबरमती आश्रम

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८२)की माइक्रोफिल्मसे।

४७७. पत्र : एम० आई० डेविडको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

कल रात ही मैंने एक पत्र बोलकर लिखाया था। महादेवने मुझे इसी महीनेकी ११ तारीखका आपका एक दूसरा पत्र भी थमा दिया। जिसमें आपने पूछा है कि क्या मै बम्बईके मेयरके तत्वावधानमे गठित की जानेवाली प्रस्तावित गैर-सरकारी समझौता-समितिके बारेमें पत्रमे दिये गये आपके सुझावका अनुमोदन करता हूँ। मै उसमें एक ही सशोधन करना चाहूँगा। ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि भारतीयो और यूरोपीयोकी सख्याके बीच अनुपात निश्चित करनेके लिए सख्तीसे किसी लीकको न

फेंकडा जाये।[1] उसके लिए सहज तरीका अपनाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि समितिमे काम करनेके लिए आपको भारतीयोकी अपेक्षा अधिक कर्त्तव्य-निष्ठ यूरोपीय मिल जाये। मै उस स्थितिमे यूरोपीयोको अधिक सख्यामे शामिल करनेमे या इसके विपरीत, दूसरी स्थितिमे भारतीयोको अधिक सख्यामे शामिल करनेमे सकोच नही करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४, क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८३)की फोटो-नकलसे।

४७८. पत्र: जॉन काइट कॉलैटको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

'चिल्ड्रन्स लीग' के कुछ कार्डो और पदकोके साथ आपका पत्र प्राप्त हुआ। 'साल्वेशन आर्मी' के साथ मेरा कोई सम्पर्क नही है और न मुझे बच्चोंके बीच उस सस्थाके किये जानेवाले कार्योंके बारेमे कोई जानकारी ही है। फिर मेरा अपना काम तो एक बिलकुल ही दूसरी तरहका है। इसलिए अगर आपका खयाल हो कि मै 'साल्वेशन आर्मी' के सम्बन्धमे ही काम कर रहा हूँ तो स्पष्ट है कि आपकी सूचना सही नही है। इसलिए मै 'साल्वेशन आर्मी' से पूछ रहा हूँ कि क्या वे इन कार्डो और पदकोको मुझसे लेना पसन्द करेंगे। यदि वे तैयार न हो तो कृपया लिखिए कि मै पदकोका क्या करूँ।

हृदयसे आपका,

जॉन काइट कॉलैट महोदय
अध्यक्ष
'चिल्ड्रन्स लीग ऑफ पीस ऐंड गुडविल'
'सनराइज,' पैनार्थ

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८४)की फोटो-नकलसे।

१. एम० आई० डेविडका प्रस्ताव था कि मध्यस्थता समझौता-समितिमे "भारतीय और यूरोपीय सदस्योकी सख्या समान रखी जाये।"

४७९. पत्र : 'साल्वेशन आर्मी', बम्बईको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

मेरे पास श्री जॉन कॉलैटका एक पत्र आया है। मै उसे सलग्न कर रहा हूँ। श्री कॉलैटके नाम अपने पत्रकी[1] एक प्रति भी मै आपको भेज रहा हूँ। आप मुझे यह बतलानेकी कृपा करे कि क्या आप पत्रमे उल्लिखित प्रयोजनके लिए कार्डो और पदकोको लेना चाहेगे?

हृदयसे आपका,

सलग्न : २

ऑफिसर कमाडिंग
बम्बई शाखा, साल्वेशन आर्मी
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७२८५)की फोटो-नकलसे।

४८०. पत्र : सी० ए० ह्राटेको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मै जब कभी बम्बई आऊँ, आप मुझसे मिलनेकी कोशिश कीजिए। आहारके बारेमें अभी इस समय आपको कोई सलाह देना कठिन है। इसके लिए आपसे मिलकर कुछ प्रश्न पूछना आवश्यक है। क्या आप बम्बईमें प्राकृतिक चिकित्साके किसी विशेषज्ञसे परामर्श नही करना चाहेगी? हार्नबी रोडके श्री खम्भाता एक चिकित्सकको जानते है और उनको उसकी चिकित्सासे लाभ भी हुआ है। उनका पूरा पता है. बहराम खम्भाता, २७५, हार्नबी रोड, फोर्ट, बम्बई।

यह कहना तो मुश्किल है कि हर व्यक्तिके लिए कितने घटोकी नीद जरूरी होती है, लेकिन मै आपके बारेमे बडे मजेसे कह सकता हूँ कि आप आरामसे जितनी

१. देखिए पिछला शीर्षक।

देर सो सकती है, अवश्य सोये। आपको सुबह शाम रोज टहलने भी जाना चाहिए। केवल एक बारका टहलना काफी नही होगा। यदि शक्ति हो, तो सचमुच आपको तीन-चार घटे टहलना चाहिए। आप चाहे तो इतने टहलनेको दो-तीन बारमें भी पूरा कर सकती है।

आपने पूछा है कि व्यक्तिको अपने जीवनका क्या आदर्श बनाना चाहिए। ससारके सभी मनीषियोने आत्मसाक्षात्कारको ही ऐसा आदर्श बतलाया है।

मेरा पैर जल जानेकी खबर गलत है। ज्यादा सही होता यदि कहा जाता कि मेरा पैर जलनेसे बाल-बाल बचा।

हृदयसे आपका,

श्रीमती सी० ए० ह्राटे
'इन्दु भवन'
३४३, ठाकुरद्वार
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७२८६)की फोटो-नकलसे।

४८१. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

समझौतेमे प्रयुक्त "लौटाना" शब्दके अर्थके बारेमे विधि विभागके[1] अहस्ताक्षरित मतके साथ आये आपके पत्रने तो मुझे एकदम झकझोरकर रख दिया। ऐसे मतकी मुझे कतई उम्मीद नही थी। मुझे तो अपने बारेमे यह खुशफहमी थी कि विधिका मेरा अपना ज्ञान कोई बहुत गया-गुजरा नही हो गया है। परन्तु विधिके अपने ज्ञानके बारेमे मेरे मनमे जो थोडा-बहुत आत्मविश्वास था, आपके विधि-विभागके मतने उसकी जडे हिला दी है। मै इसीलिए इस मामलेके बारेमे बम्बईमे उस समय सुलभ बडे-से-बडे वकीलोकी राय लेने दौडा। उनकी रायकी एक प्रति[2] मै आपके पास भेज रहा हूँ। इनमेसे पहले दो हस्ताक्षरकर्त्ता बम्बईके महाधिवक्ता रह चुके है, और वे दोनो तथा तीसरे हस्ताक्षरकर्त्ता भी आज बम्बईके बडे प्रतिष्ठित वकील है और वकालत कर रहे है। इसलिए फिलहाल मेरा आत्मविश्वास तो लौट आया है, पर यह आपके लिए तो बेमतलब ही है। बम्बईके वकील, वे कितने ही प्रतिष्ठित क्यो

१. मत यह था कि "लौटा दिया जायेगा" शब्दोंका अर्थ यह होगा कि "स्वामित्व बहाल कर दिया जायेगा" और गाधी इर्विन समझौतेमें वापस लौटानेके स्थानके बारेमें कुछ भी नहीं कहा गया था।

२. देखिए परिशिष्ट १०।

न हों, जो राय दे रहे हैं, उसे आप अपने विधि-विभागकी रायको देखते हुए स्वीकार न कर पाये, आपकी यह विवशता मै भली-भाँति समझता हूँ, भले ही विधि-विभागकी राय समझदारीसे बिलकुल ही खाली लगती हो। इसलिए मै आपके सामने भी वही सुझाव रख रहा हूँ जो मैंने बम्बई सरकारके सामने रखा है। चूँकि 'नवजीवन प्रेस' के प्रबन्धकोके लिए यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है, इसलिए मै बम्बई सरकारके समक्ष रखा अपना यह सुझाव फिर दोहराता हूँ कि पूरा मामला बम्बईके मुख्य न्यायाधिपति को पच-फैसलेके लिए सौंप दिया जाये। स्वाभाविक ही है कि प्रबन्धक-मण्डल चाहता है कि इस बहसको जल्द-से-जल्द निबटा दिया जाये और प्रेससे वंचित किये जानेके कारण लगातार होनेवाली हानिसे भी अपनेको बचाया जाये। इसलिए आशा है कि इस मामलेमे अविलम्ब कोई-न-कोई फैसला करके इसे निबटा दिया जायेगा।

इस सकटपूर्ण स्थितिके सिलसिलेमे मुझे सामान्य महत्वके एक मामलेकी भी चर्चा करनी पड रही है। मुझे लगता है कि समझौतेसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओके सम्बन्धमे बम्बई सरकार ज्यादा झझटे पैदा कर रही है, मैंने आपसे जिनका जिक्र किया है उनसे कही ज्यादा। फिर मद्रास अहातेमे भी शराबके ठेको पर धरना देनेके सिलसिलेमे झझटें बढती जा रही है। इसी मुद्देके बारेमे श्री राजगोपालाचारी द्वारा जारी की गई हिदायतोका एक अश मै उद्धृत कर रहा हूँ। हिदायते आप देख चुके है और उनकी आपने इतनी सराहना की थी कि आपने उनको बधाई देनके लिए मुझसे कहा था। उद्धरण इस प्रकार है:

> मैं अबतक इसी कोशिशमें था कि आपकी परेशानी न बढ़ाऊँ। यहाँकी सरकार अब यह महसूस करने लगी है कि शान्तिपूर्ण धरना उतना हानि रहित नहीं जितना कि उसने उसे समझा था। उसे पता चला है कि वह शराब-बन्दीका सचमुच सबसे कारगर साधन है; और फलस्वरूप राजस्वको खतरा पैदा हो जाता है। वह शराबके ठेके लेनेवालोंको इस वर्ष तो कायम रख सकती है, लेकिन अगले वर्ष ठेकोंकी नीलामीके समय क्या होगा? उसने देख लिया है कि किसी भी जोर-जबरदस्ती या किसी भी प्रकारकी हाथापाईके बिना धरना देनेसे ही लोग शराबकी दूकानो पर जानेसे कतराने लगते हैं।
>
> ठेकेदारोंने भी सोचा था कि पुलिस पिछले वर्षकी भाँति इस वर्ष भी कांग्रेसकी कार्रवाइयोंमें हस्तक्षेप करेगी। इसीलिए उन्होंने शुरूमें स्वयंसेवकोंके काममें कोई बाधा नहीं डाली। लेकिन अब वे महसूस करने लगे है कि सन्धिने हालातकी सारी रंगत ही बदल दी है। इसलिए वे भय खाने लगे है। उन्होंने सरकारसे जोरदार अपीलें करनी शुरू कर दी है कि या तो पुलिस इस स्थितिमें हस्तक्षेप करे या फिर बकाया राशि बट्टेखातेमें डाल दी जाये। इस प्रकार अब सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों दोनों ही की आँखें खुल रही है और वे धरनोंकी नैतिक शक्ति तथा सन्धिके परिणामोंकी असलियत समझते जा रहे है। इसीलिए लगता है कि सरकारी अधिकारियो और ठेकेदारो दोनोंने ही नई

तरकीबें इस्तेमाल करनेका फैसला कर लिया है। अब लगभग एक-साथ ही हर जगह स्वयंसेवकोंको डरानेके लिए की जानेवाली गुंडागर्दीके अनेक समाचार आये हैं। गुंडागर्दी की तो उम्मीद की भी जा सकती थी, लेकिन उसके अलावा अब ठेकेदार लोग कार्यकर्त्ताओं और उनके हमदर्दोंपर जुर्माने कराने तथा सजाएँ दिलानेके लिए और कांग्रेस संगठनोंको परेशानीमें डालनेके लिए नागरिकोंसे शिकायतें करवाकर उनपर झूठे आरोप लगवा रहे हैं। इसमें उनको सरकारी अधिकारियोंकी शह मिली है या नहीं, मैं निश्चित तौरपर नहीं कह सकता। और न्यायाधीशोंका भी खयाल है कि उनको शराबके ठेकेदारोंका ही समर्थन करना चाहिए। इतना ही नहीं, न्यायाधीशोंको यदि किसी मामलेके बारेमें पता भी होता है कि वह सरासर झूठा है, तो भी वे अपने बारेमें ऐसा सन्देह पैदा नहीं होने देना चाहते कि वे कांग्रेसका पक्ष ले रहे हैं और सरकारके राजस्वकी परवाह नहीं करते।

स्थानीय पुलिस अधिकारियोंने धरने देनेवालोंको तंग करना और धरनोंमें बाधाएँ डालना शुरू कर दिया है। वे जानते हैं कि धरनोंमें किसीके साथ जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाती और उनसे शान्ति-भंग नहीं होती और वे धरनोंपर कोई कानूनी आपत्ति नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब दूसरे हथकण्डे इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पुलिसकी शक्तिका प्रदर्शन करने लगे हैं। वे स्वयंसेवकोंको अलग-अलग पकड़कर दूकानोंसे और एक-दूसरेसे भी बहुत दूर-दूरके स्थानोंपर छोड़ आते हैं और स्वयंसेवकोंसे ऐसी-ऐसी शर्तोंका पालन करनेके लिए कहते हैं, जिनसे धरने एक बिलकुल ही बेअसर तमाशा बनकर रह जायें। स्थानीय पुलिस अधिकारियोंको छूट दे दी गई है कि वे शहरी और ग्रामीण जनताको आतंकित करें और खुलेआम कहें कि कांग्रेस स्वयंसेवकोंको सहायता या आश्रय देना अपराधियोंको प्रोत्साहन देना समझा जायेगा। सच तो यह है कि फिरसे १९३० का वातावरण बनानेकी कोशिश की जा रही है।

सरकारी अधिकारी जो भी कदम उठा रहे हैं, उसका मैंने पूरी ईमानदारीके साथ अच्छे-से-अच्छा अर्थ लगानेकी कोशिश की है। लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इसमें असफलता ही हाथ लगी है। यदि आपको समय मिल जाये तो कृपया संलग्न कागजात देख लीजिये।

हो सकता है कि आप प्रान्तीय सरकारो द्वारा समझौतेको कार्यान्वित करने या न करनेके मामलेमे कोई दखल न दे सकते हो, या हो सकता है कि आपका हस्तक्षेप उतना कारगर न हो सके जितना कि समझौतेको देखते हुए मेरे विचारसे होना चाहिए। इसलिए अब शायद समय आ गया है कि समझौतेकी व्याख्याके प्रश्नोपर फैसला देने और दोनो पक्षो द्वारा समझौतेकी शर्तोपर पूरा-पूरा अमल करानेके लिए

स्थायी मध्यस्थमण्डल नियुक्त कर दिया जाये। इसलिए मै चाहूँगा आप इस सुझाव-पर विचार करे।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यु० एमर्सन
शिमला

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या, १६-वी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

४८२. पत्र : प्रभावतीको

१४ जून, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिल गया है। मै तेरी कठिनाइयाँ समझता हूँ। ईश्वर तेरी सहायता करेगा। तू निश्चिन्त होकर रहना। जब आ सके आ जाना। अभी तो बोरसद आना पडा है, किन्तु तू पत्र बारडोलीके पतेपर ही लिखना। क्योकि तेरा जवाब आनेतक तो शायद मै वहाँ पहुँच ही चुकूँगा।

विलायत जानेके बारेमे कुछ निश्चित नही। जाना भी हुआ तो १५ अगस्तसे पहले नही होगा।

इस वक्त तेरी खुराक क्या है?

पिताजी अब कैसे है?

राजेन्द्र बाबू बीमार थे। अब ठीक है। कुछ दिनोमे यहाँ आ जायेगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४१४)की फोटो-नकलसे

४८३. भेंट: 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिको

बोरसद
१४ जून, १९३१

महात्मा गांधीने 'एसोसिएटेड प्रेस' के एक प्रतिनिधिको भेंटके दौरान बताया कि बोरसद आनेका मेरा प्रयोजन मुख्यतः रासके उन लोगोंको सान्त्वना देना है, जो धारालाओं द्वारा किये जानेवाले छुट-पुट आक्रमणोंसे और बार-बार अपनी बाड़ें नष्ट हो जानेसे संत्रस्त हैं। मुझे सन्देह है कि एक सजा-याफ्ता धारालाको गाँवके मुखियाके पदपर लगातार बनाये रखनेसे धारालाओंको शह मिलती रही है। गांधीजी ने कहा कि मैं दिल्ली समझौतेकी शर्तोंके अनुसार दो आधारोंपर उसकी नियुक्ति रद्द करनेकी माँग कर चुका हूँ। एक आधार यह है कि वह व्यक्ति अवांछनीय है, दूसरा आधार यह कि दिल्ली समझौतेके अन्तर्गत उसकी नियुक्ति स्थायी रूपसे नहीं की गई है। उन्होंने रास गाँवकी गैर-धाराला जनताकी सुरक्षाकी व्यवस्था करनेकी भी माँग की है। खेड़ा जिलेके कलेक्टर महोदय इन दोनों बातोंपर विचार कर रहे हैं। कुछ और मसले भी हैं, जिनपर उनको व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देनेकी जरूरत है। गांधीजी का विचार था कि इस अवसरपर उन अन्य मामलोंकी विस्तृत चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है। यह पूछनेपर कि वे बोरसदमें कबतक रुकेंगे, गांधीजी ने कहा कि सरदार वल्लभभाईकी हिदायत है कि मैं अपना काम पूरा करते ही तुरन्त बारडोली चला जाऊँ; मैं ऐसा ही करूँगा।

गांधीजी से पूछा गया कि आपके पुत्र श्री देवदासने पिछली रातकी सार्वजनिक सभामें जो कहा था कि आप बहुत जल्द ही सीमा प्रान्त जानेकी सोच रहे हैं, उसमें कितनी सचाई है। गांधीजी ने बतलाया कि यह बात सोलहों आने सही है कि अब्दुल गफ्फार खाँ मुझे वहाँ बुलानेका आग्रह कर रहे हैं। मैं भी वहाँ जानेके लिए उतना ही उत्सुक हूँ क्योंकि मैं अपनी आँखोंसे देखना चाहता हूँ कि उस प्रान्तमें रहनेवाली आदिम जातियोंमें किस हदतक अहिंसाकी भावना घर कर पाई है; लेकिन मैं जहाँतक बन पड़े सन्धिकालके दौरान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे सरकारके परेशानीमें पड़नेकी आशंका हो। इसीलिए मैं इस सम्बन्धमें सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। यह पूछनेपर कि अब्दुल गफ्फार खाँ आपके साथ कबतक ठहरेंगे, गांधीजी ने बताया कि मेरे और सरकारके बीच चलनेवाले पत्र-व्यवहारका कोई नतीजा निकलनेतक वे मेरे साथ रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-६-१९३१

४८४. तार : एच० एस० एल० पोलकको

बोरसद
१५ जून, १९३१

कलोफ
लन्दन

यदि मै आया तो पहुँचते ही बडी खुशीसे लकाशायरके मित्रोसे तुरन्त मुलाकात करूँगा। आमन्त्रित किये जानेपर मालवीयजी आयेंगे।

गाधी

अग्रेजी (एस० एन० १७२९१)की फोटो-नकलसे।

४८५. तार : 'स्टेट्समैन,' दिल्लीको

बोरसद
१५ जून, १९३१

'स्टेट्समैन'
दिल्ली

आपका तार। भारतीय आहतसहायकदल झुटपुटा बढ जाने पर कोलैन्सोके उस युद्धके ठीक बाद पहुँचा था जिसमें लैफ्टिनेंट राबर्ट्स खेत रहे थे। तम्बू खडे करते-करते ही मुझे कर्नल गालवेका आदेश मिला कि मृत सैनिककी लाश हटाई जाय और मैंने उसके लिए सात व्यक्ति भेज दिये। आदेशके तुरन्त पालनके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद दिया गया था। हालाँकि दस्तेको हिदायत थी कि वह गोलीबारीके क्षेत्रके बाहर ही रहे, पर स्पिओनकोपकी पराजयके बाद जनरल बुलरको गोलीबारीके क्षेत्रमे भी हमारी सहायताकी जरूरत पड़ गई। हम मेजर बाप्टीके नेतृत्वमें खतरेके क्षेत्रसे साठ घायलोको स्ट्रेचरो पर बाहर ले आये। उनमे जनरल वुडगेट और मेजर स्काट मान्कीफ और अन्य अफसर भी थे। दूसरी बार वालक्रान्जमें हमने गोली-बारीके क्षेत्रमे काम किया था। इस और अन्य कामोके लिए जनरल

बुलरके सैनिक पत्रमे मेरा उल्लेख किया गया था। स्पष्ट है कि कर्नल गालवेकी स्मरणशक्ति उनका साथ नही दे रही है।[1]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२९२) की फोटो-नकलसे।

४८६. पत्र : मोहनलाल सक्सेनाको

बोरसद
१५ जून, १९३१

प्रिय मोहनलाल,

आपका पत्र आज ही मिल पाया। इसलिए मै उसके वारेमे जवाहरलालसे वात नही कर सका।

डिप्टी कमिश्नर जो भी कहे, मै यही मानता हूँ कि किसानोके नाम मेरा सन्देश[2] समझौतेका उल्लघन नही करता।

यह मन्शा तो कभी था ही नही कि हरएक किसानका पैसा अलग-अलग जमा कराया जाये। यदि ऐसी कोई बात थी भी तो मुझे इसकी बिलकुल याद नही है। उद्देश्य तो यह है कि लगान अदायगीके लिए बचा रखने लायक राशिको किसान और तरहसे इस्तेमाल न कर ले।

वालकृष्णका तार मिल गया था। आपने भूल-सुधार[3] देखी होगी। काफी मर्खतापूर्ण भूल थी।

अभी ऐन इस समय तो गुजरात छोडना मेरे लिए कठिन है। यहाँ कोई अच्छे आसार नजर नही आ रहे है। आपके क्षेत्रमे तो जबतक आप किसानोको नियन्त्रित रख सकते है, तवतक सब ठीक रहेगा। लेकिन अब जवाहरलालकी उपस्थितिसे स्थितिमें तनाव कुछ कम होगा। उसे किसानोको समझाना और उनको नियन्त्रित रखना खूब आता है।

१. देखिए "भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको", १५-६-१९३१, तथा खण्ड ३९, आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ४० भी।

२. देखिए "संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे" २३-५-१९३१।

३. देखिए "भूल-सुधार", ११-६-१९३१।

जैसी भी हालत हो, कृपया मुझे सूचित करना मत भूलिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री मोहनलाल सक्सेना
३४, अमीनुद्दौला पार्क
लखनऊ

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८९) की फोटो-नकलसे।

४८७. पत्र : डब्ल्यू० ई० लुकासको

बोरसद
बरास्ता आनन्द
१५ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पाकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई। मै इस महीनेकी २४ तारीखको बडी खुशीसे आपसे भेंट करूँगा। हाँ, यदि शिमलासे बुलावा आ गया तो दूसरी बात है।[1] मै अपने साथ सरदार वल्लभभाई पटेल और एक-दो अन्य मित्रोको भी लाऊँगा। चूंकि मै रातमे भोजन नही करता, इसलिए आपके रात्रि-भोजमे शामिल न होनेके लिए मुझे क्षमा करे; पर आप चाहे तो अन्य मित्र उसमे शामिल हो सकते है। आप जो भी समय बतलायेंगे, मै आ जाऊँगा।

मुझे आपकी स्पष्टवादिता अच्छी लगी। जाहिर है कि मै आपसे यह आशा बिलकुल नही करता कि आप अपनी स्वतन्त्रताका आग्रह छोड दे या मेरे ही विचारो को स्वीकार कर ले। एक-दूसरेको समझने और बीचकी भ्रान्तियोको दूर करनेके लिए इस प्रकारका सम्पर्क बनाये रखना अच्छा और उपयोगी भी रहता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री डब्ल्यू० ई० लुकास
एजेंटका कार्यालय, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे कम्पनी
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२९०)की फोटो-नकलसे।

१. "डिनर क्लब" के सम्बन्धमें गांधीजीकी टिप्पणीके लिए देखिए खण्ड ४७, "यूरोपीय युवक", २-७-१९३१।

४८८. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
मौनवार, १५ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। शकरभाई बम्बई गया है। मैंने उसे कमलाको[1] मेरे पास ले आनेके लिए लिखा है।

जिस मकानमे मैं रहता था उसका और बाकी कोठरी भी अगर अबतक इस्तेमाल न की जा रही हो, तो उसका इस्तेमाल अब कर लेना। लोगोकी सख्या कुछ बढी है, अभी और बढेगी। इस्तेमाल करनेसे सार-सँभाल होती रहेगी। बाके साथ बात कर ली है। वह सहमत है और उसे सुझाव पसन्द आया है। फिलहाल हमारे वहाँ आकर रहनेकी कोई बात ही नही है, तो फिर इतना बडा मकान खाली क्यो रखे?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

४८९. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

बोरसद
१५ जून, १९३१

बोअर युद्धमें उनकी सेवाओंको लेकर चलनेवाली बहसके सम्बन्धमें 'एसोसिएटेड प्रेस' के एक प्रतिनिधि द्वारा मुलाकात करनेपर महात्मा गांधीने कहा :

ग्यारह सौसे अधिक व्यक्तियोका भारतीय आहतसहायक दल कॉलेन्जोके निकट शीवेली शिविरमे शामको अँधेरा बढ जानेपर उस युद्धके फौरन बाद पहुँचा था जिसमे लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स काम आये थे। मुझे कर्नल गालवेका आदेश मिला था कि लेफ्टिनेंटका शव तुरन्त हटाया जाना है। तबतक हम खेमे गाड़नेका काम भी पूरा नही कर पाये थे।

मैंने इसके लिए सात व्यक्ति, कुली नही, शिक्षित व्यक्तियोको भेजा था, जो काफी रात गये लौटे थे और कर्नल गालवेने मुझे तुरन्त कार्रवाई करनेके लिए विशेष रूपसे धन्यवाद दिया था और अगले दिन डॉ० बूथके जरिए मुझे अपने शिविरमे मिलनेके लिए आमन्त्रित किया था।

१. शंकरलालकी कन्या।

यह बात बिलकुल सही है कि उस अवसर पर गोलीबारीके क्षेत्रका कोई प्रश्न ही नहीं था; क्योंकि घायलोंको हटानेके लिए उस समय युद्ध रोक दिया गया था। यह बात भी सही है कि गोलीबारीके क्षेत्रमें कार्रवाई करनेको हमारी इच्छाके बावजूद हमसे कह दिया था कि हमें ऐसा नहीं करने दिया जायेगा; परन्तु स्पिओन कोपकी पराजयके बाद स्थिति गम्भीर हो गई थी।

जनरल बुलर मेरे शिविरमें आये और उन्होंने कहा कि हम स्पिओन कोपकी तलहटीसे लगभग साठ जख्मियोंको वापस लानेके लिए गोलीबारीके क्षेत्रमें प्रवेश करें। मेरे साथियों और मुझको यह सौभाग्य प्राप्त करके बड़ी खुशी हुई और हमने मेजर वाप्टीके नेतृत्वमें नावोंका पुल पार करके गोलीबारीके क्षेत्रमें प्रवेश किया और वहाँसे जख्मियोंको हटाया जिनमें जनरल वुडगेट, मेजर स्कॉट मॉनक्रीफ और अन्य अफसर भी थे। हम उनको स्ट्रेचरोंपर २५ मीलतक ले गये।

कोपके तुरन्त बाद ही हमने वाल-क्रान्जमें एक बार फिर गोलीबारीके क्षेत्रमें काम किया था। इस सेवा और अन्य सामान्य सेवाओंके लिए जनरल बुलरके सैनिक पत्रमें मेरा उल्लेख किया गया था और बीस अन्य नायकों (लीडर्स)के साथ युद्ध पदक (वार मेडिल) भी प्रदान किया गया था।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९३१

४९०. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

बोरसद
१६ जून, १९३१

आपका विस्तृत पत्र मिला। संलग्न प्रतिसे आपको पता चलेगा कि मैंने उसका क्या उपयोग किया है।[1]

मुझे लग रहा है कि सभी अनिर्णीत प्रश्न किसी मध्यस्थता मण्डलको ही सौंपने पड़ेंगे और यदि केन्द्रीय सरकार सचमुच उनको हल करनेके लिए तैयार हो और मैं समझता हूँ कि वह है तो वह ऐसा एक मण्डल नियुक्त करनेके मेरे प्रस्तावको स्वीकार कर लेगी। मण्डलके स्वरूपके बारेमें कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु मेरा ख्याल है कि सरकार सिद्धान्तको तो स्वीकार कर लेगी। क्या इस दिशामें कुछ और करनेका भी आपका कोई सुझाव है? अन्तिम रूपसे उत्तर मिलने तक आप कोई बड़ा साहसपूर्ण कदम न उठायें। पर मैं आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि यदि हमें बिलकुल ही कुछ नहीं मिलता, तो हमारी ओरसे अपनी इच्छानुसार वैसा कोई कदम उठाना सर्वथा उचित रहेगा; और अविवेकपूर्ण अधिकारियोंकी गैर-

१. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १४-६-१९३१।

कानूनी हरकतोंका मुकाबला करनेके लिए जहाँ भी जरूरत पड़े, स्थानीय तौरपर और किसी खास मुद्देको लेकर सविनय अवज्ञा शुरू कर सकनेकी बात भी शामिल है।

मै चाहता हूँ कि आप 'यंग इंडिया' के आगामी अकमे कार्य-समितिके प्रस्तावके बारेमे लिखे गये मेरे लेख[1] को सावधानीसे पढ जाये। मुझे वह प्रस्ताव पसन्द नही आया। साथ ही, कार्य-समितिके अपने दृष्टिकोणसे उसे उचित ठहराया जा सकता है। मैंने जो विकल्प सुझाया था, वह कही अच्छा था और मै समझता हूँ कि बहुमत के साथ मतदान करनेवाले कुछ सदस्य मेरी बात समझ भी गये थे। पर आप मेरे लेखको आलोचककी दृष्टिसे देखिए और मुझे बतलाइए कि मेरे सुझावके बारेमे आपका क्या मत है। यह इसलिए कि यदि सम्मेलनमे हमारी माँग पूरी न हुई तो फिर उस विकल्पको ही लागू करना पडेगा।

आप स्वय ही गवर्नरसे क्यो नही मिल लेते और शराबके ठेकोपर धरनोको लेकर स्वय ही बात क्यो नही कर लेते?

श्री च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (द० भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७२९३)की फोटो-नकलसे।

४९१. तार : सीतलासहायको

बोरसद
१७ जून, १९३१

सीतलासहाय[2]
मारफत काग्रेस
रायबरेली

आपका पत्र। बारडोलीसे आपको तार दिया।[3] जवाहरसे परामर्श कीजिए।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७३०६)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए खण्ड ४७, "सार और छाया", १८-६-१९३१।

२. संयुक्त प्रान्तके एक खादी कार्यकर्ता।

३. उपलब्ध नहीं है। गाधीजीके निजी सचिवने इसी तारीखके पत्रमें लिखा था कि जहाँ किसान लोग तो हमारी शर्तें स्वीकार करने और लगान अदा करनेके लिए तैयार है, लेकिन जमीदार उसे स्वीकार करनेको तैयार नहीं, वहाँ हमें चाहिए कि हम रकम प्राप्त करके बैंकमें जमा करा दें।

४९२. पत्र : दुनीचन्दको

बोरसद

१७ जून, १९३१

प्रिय लाला दुनीचन्द,

सूरजभानके बारेमे आपका पत्र अब मुझे मिल गया है। मुझे शिमलामे पता चला था कि सूरजभानने गाँवोमे काम करनेके लिए खुद ही रुपया इकट्ठा किया था। लेकिन अगर उसका दिमाग ठीक नही है तो स्वाभाविक ही है कि आप उसे किसी तरहकी सहायता न दे। फिर भी मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि अबतक जितना भी खर्च हुआ हो उतनेकी अदायगी तो कर ही देनी चाहिए और फिर उससे साफ कह देना चाहिए कि आगे से उसे रुपये-पैसे नही दिये जायेगे; क्योकि वह उसकी मिल्कियत नही है। वह सारी राशि न तो उसने अकेले ही इकट्ठी की थी और न ही उस प्रयोजनके लिए वह इकट्ठी की गई थी जिसकी बात वह कहता है। सारा मामला क्षोभजनक है। लाला सूरजभान आपके भरोसेके आदमी है, इसीलिए उनके बारेमें आपको लिखते हुए मुझे बडा सकोच हो रहा है।

जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने उनकी पत्नीको जालन्धर भेज दिया है। आशा है वे वहाँ सुखपूर्वक रहेगी।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

लाला दुनीचन्द
एडवोकेट, अम्बाला

अंग्रेजी (जी० एन० ५५८९)की फोटो-नकलसे।

४९३. पत्र : आनन्द टी० हिंगोरानीको

बोरसद

१७ जून, १९३१

प्रिय आनन्द,

मुझे मीराबाई नियमित रूपसे और जयरामदास जब-तब आपके बारेमें सब-कुछ बतलाते रहते हैं। मै जानता हूँ कि आप मेरी परेशानी और न बढानेके ख्यालसे ही मुझे पत्र लिखनेसे बचते रहते है।

पिताके पत्रको मै निराशाजनक नही मानता। मै समझता हूँ कि उन्होने ठीक रुख अपनाया था। परन्तु जयरामदासने बतलाया कि उन्होने बादमें अपने विचारमें

थोड़ा संशोधन कर लिया था। मेरा ख्याल है कि अच्छे खाते-पीते घरोंके लोगोके लिए यह एक नियम बना लेना बहुत ही उचित रहेगा कि वे सार्वजनिक सस्थानोमे रहनेवाले अपने मित्रोके यहाँ ठहरनेके लिए तभी जाये जब वे उन सस्थानोमे अपने निवासके दौरान कम-से-कम अपने ऊपर खर्च होनेवाली राशिके बराबर राशि तो उनको दानके रूपमे देनेके लिए तैयार हों। यह दान शोभाके साथ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि किसीको बुरा न लगे। यदि आपके पिताजी सहज रूपमे आते या आपकी माता या आपकी बहनको भेज देते और उनसे कह देते कि वे आपकी जेबमे सौ रुपयेका एक नोट चुपचाप डाल दे, तो और भी अच्छा रहता।

अपने शरीर या दिमागमे कमजोरीका अहसास करना ठीक नही है। ऐसा कुछ भी नही हुआ है जो ऐसी कमजोरी महसूस न करनेके आपके सकल्पको डिगा सके। पाँव जला ही नही था कि उसकी चिकित्साकी कोई जरूरत पडती। वह तो एक सवाददाताके अपने दिमागकी उपज ही थी।

विद्या[1] के लिए यही ठीक रहेगा कि वह दूध और फलोकी खुराक जारी रखे और यदि दूध माफिक न आये तो तबतक सिर्फ फलोपर रहे, जबतक उसे कसकर भूख न लगने लगे और अन्य आहारके लिए भी मन करने लगे। पर यदि वह किसी प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञकी देखरेखमे चिकित्साके लिए बम्बई जा सके तो और भी अच्छा रहेगा।

आपको अपनेको भाग्यका मारा नही समझना चाहिए। जरा उन करोडो लोगोकी बात तो सोचिये जो उन अवसरोसे भी वचित रहते है जो ईश्वरने आपके लिए जुटा दिये हैं। अपनेको भाग्यका मारा समझना ईश्वरके प्रति घोर कृतघ्नता है। आपको जब-तब घेरनेवाली इस निराशावादितासे आप अपनेको बिलकुल मुक्त कर लीजिए।

हृदयसे आपका,

श्री आनन्द टी० हिंगोरानी
मारफत 'हिन्दू'
हैदराबाद सिन्ध

अंग्रेजी (एस० एन० १७३००)की फोटो-नकलसे।

१. आनन्द टी० हिंगोरानीकी पत्नी।

४९४. पत्र : ए० वाई० सी० वुल्फसेको

स्थायी पता, साबरमती
१७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मुझे मिल गया।

मैं अगूठी साथ ही लौटा रहा हूँ।

आशा है, मानवताके लिए हितकारी एक कलाकृतिके सृजनकी आपकी इच्छा फलीभूत होगी।

यह भी आशा है कि आपने स्वास्थ्य-लाभ कर लिया है।

दो व्यक्ति-चित्र मिले थे। उनके लिए मेरा आभार।

हृदयसे आपका,

श्री ए० वाई० सी० वुल्फसे
अमस्टरडम, हॉलैंड

अंग्रेजी (एस० एन० १७३०१) की फोटो-नकलसे

४९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

सीतलासहायने मुझे रायबरेलीमें ताल्लुकेदारोंके आशंकित दमन-चक्रके बारेमें लिखा है।

विश्वविद्यालयकी इमारतके झंडेके बारेमें संलग्न सूचना तुमने देखी ही होगी। अन्य स्थानोंसे भी शिकायतें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम समय मिलते ही इन सभी बातोंकी छानबीन करके मुझे इनके बारेमें अपनी राय बतला दो। यदि सूरतमें कार्यसमितिकी बैठकके दौरान हमारी भेंटतक रुकनेमें कोई हर्ज न हो तो हमें उस समय इसके बारेमें अवश्य बात कर लेनी चाहिए, या फिर उससे पहले ही तुम मुझे लिख देना।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन, इलाहाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १७३०३) की फोटो-नकलसे।

४९६. पत्र : हरदेवी शर्माको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

इसी महीनेकी १५ तारीखका आपका पत्र मिला। आपके पहले प्रश्नके बारेमें मेरा ख्याल है कि अहिंसाका व्रत लेनेवालोके लिए जितने भी तरीके वैध तथा उचित हो सकते है उन सभी तरीकोंसे किसानोकी मदद करनेके आप अधिकारी है, बल्कि यह आपका कर्तव्य है। वे तरीके कौन-से है — इसका फैसला तो समय समयपर परिस्थितियोको देखकर ही किया जा सकता है। 'नवजीवन' और 'यग इडिया' के पृष्ठोसे आपको आम हिदायते मिल सकती है। लेकिन मेरी राय है कि आप प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्यो और पण्डित जवाहरलाल नेहरूके साथ इसके बारेमें सलाह-मशविरा जरूर कर ले। जवाहरलाल आजकल इलाहाबादमें ही है।

आपके दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यदि ठाकुर मलखानसिंहपर मुकदमा चलाया गया तो मुकदमा लड़ा जा सकता है और लड़ा भी जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री हरदेवी शर्मा
हाथरस (उ० प्र०)

अंग्रेजी (एस० एन० १७३०४)की माइक्रोफिल्मसे।

४९७. पत्र : के० एफ० नरीमानको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय नरीमान,

पठान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके पुत्रके बारेमें आपके पत्र मुझे मिल गये। मै उनके सिलसिलेमे यथाशीघ्र काम आरम्भ कर दूंगा।

राष्ट्रीय ध्वज-चलचित्रके सिलसिलेमे मै चाहूँगा कि आप चलचित्रोके सैंसरसे सम्बन्धित विनियमोका अच्छी तरह अध्ययन कर ले और पहले तो 'बोर्ड ऑफ

सेसर[1] के साथ लिखा-पढ़ी करके उनकी दलीलें जान ले। क्या आप नहीं मानते कि पहला कदम यही होना चाहिए?

हृदयसे आपका,

श्री के० एफ० नरीमान
कांग्रेस भवन
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७३०५)की फोटो-नकलसे।

४९८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

खान साहिब अब्दुल गफ्फार खाँके बारेमें तार[1] देनेके लिए धन्यवाद। मैंने तार उनको दिखा दिया है।

सीमा प्रान्त जानेकी मेरी इच्छाके बारेमें आशा है, आप मुझे यथासमय सूचित करेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या, १६–बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. एमर्सनका तार इस प्रकार था: "तेरह जूनका आपका तार। भारत-सरकार व्यक्तिगत सम्पर्कका महत्त्व स्वीकार करती है, लेकिन अब्दुल गफ्फार खाँके लिए वह ज्यादा अच्छा यही समझती है कि वे शिमला आनेके बजाय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तके मुख्य-आयुक्तसे सम्पर्क स्थापित करें।"

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

जे० एच० गेरेटका पत्र[1]

अहमदाबाद
२१ अप्रैल, १९३१

खेड़ा जिलेके भू-राजस्व सम्बन्धी मामलोंके सिलसिलेमें इसी महीनेकी २० तारीखका आपका पत्र मुझे मिल गया है।

२. मैं अपने १३ अप्रैल, १९३१ के पत्र द्वारा आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि हम लोगोंके बीच हुई चर्चामें उल्लिखित और उसी तारीखके आपके पत्र द्वारा मेरे पास भेजे गये मामलोंकी मैं जाँच कर रहा हूँ।

३. मैं बोरसदके मामलतदार द्वारा जारी किये गये नोटिसके अनुवादपर गौर कर चुका हूँ और समझौतेकी शर्तोंके विरुद्ध पड़नेवाले उसके पहलुओंमें अनुकूल परिवर्तन करनेके लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

चौकीदारोंके खर्चके बारेमें बकाया या चालू रकमकी वसूली पहले ही रद की जा चुकी है, हालाँकि यह समझौतेकी शर्तोंके अन्तर्गत नहीं आता।

आगे क्या कार्रवाई की जायेगी — इसके बारेमें आपको मालूम ही है कि सरकारने बिलकुल निश्चित तौरपर अपना यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह अदायगी न होनेके मामलोंमें आवश्यकता पड़नेपर जोर-जबरदस्तीसे भी काम ले सकती है। जाहिर है कि इसमें नोटिस देनेकी फीस वसूल करना, एक-चौथाई राशि तकका जुर्माना करना और इसके अतिरिक्त चल सम्पत्तिकी कुर्की तथा बिक्री और अचल सम्पत्तिकी जब्ती और बिक्री करनेके ज्यादा कड़े कदम उठाना भी शामिल है।

४. आपने अपने पत्रके पहले अनुच्छेदमें कांग्रेसका उल्लेख सरकार और जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमें किया है। जिन विषयोंपर दोनों पक्षोंका समझौता हुआ है उनमें यह शामिल नहीं है और मैं इस सुझावको स्वीकार नहीं कर सकता। जनताको पूरी स्वतन्त्रता है और लोग जब भी चाहें, अपने मामलोंके सिलसिलेमें सरकारी अधिकारियोंसे सीधे मिल सकते हैं।

५. आपके पत्रके अनुच्छेद २, ३ और ४ में उल्लिखित मुद्दोंके बारेमें मेरा उत्तर इस प्रकार है :

(१) रास तथा अन्य गाँवों द्वारा भू-राजस्वकी अदायगी।

१. यह "पत्र-व्यवहार" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए पृष्ठ २०।

मौजूदा स्थिति यह है कि चालू वर्षका भू-राजस्व और, ए० ओ० २९के प्रवर्त्तनके कारण अनधिकृत हो जानेवाली बकाया राशियोंको छोड़कर शेष सभी बकाया राशियाँ उनको अदा करनी हैं। चौकीदारोंके खर्चके लिए सभी जुर्माने, अर्थ-दण्ड और चालू वसूली माफ कर दिये गये हैं।

समझौतेकी शर्तोंमें आगे अनुच्छेद १६ (ख) में वे शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं जिनके अन्तर्गत उन मामलोंमें बकाया-वसूली स्थगित कर दी जायेगी, जिनमें अदायगी न कर सकनेवाले सचमुच अदायगीके इच्छुक हैं, पर उसके लिए कुछ और समय चाहते हैं। सभी अधिकारी इस धाराका सख्तीके साथ पालन करेंगे।

(२) तकावी और पिछली अदायगीकी राशिका बकाया (भू-राजस्वकी अनधिकृत बकाया राशि)।

इन मामलोंपर जिलाधीश गौर कर रहे हैं। इन सभी मामलोंको लेकर आम किस्मका कोई आदेश जारी करना सम्भव नहीं है। सम्बन्धित व्यक्ति अपनी जिन भी कठिनाइयोंकी ओर जिलाधीशका ध्यान आकर्षित करेंगे उनपर बाकायदे विचार किया जायेगा।

(३) राखाओं (रखवालों)के खर्च और नोटिस देनेकी फीस वसूल न करनेके आदेश जारी कर ही दिये गये हैं।

चल-सम्पत्तिकी जब्तीके खर्चके मामले पर गौर किया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २०-८-१९३१

परिशिष्ट २

आर० एम० मैक्सवेलका पत्र[1]

बम्बई
२४ अप्रैल, १९३१

मुझे आपका २२ अप्रैलका पत्र प्राप्त हो चुका है। आपने उसके साथ दो पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की थीं — एक प्रति आपके नाम श्री गेरेटके २१ अप्रैलके पत्रकी थी और दूसरी उसी तारीखको उसके उत्तरमें भेजे गये स्वयं आपके पत्रकी। चूँकि आपने २० तारीखके अपने उस पत्रकी प्रति संलग्न नहीं की जिसका श्री गेरेटने उत्तर दिया था, इसलिए वाइसराय महोदयको यह समझनेमें कठिनाई पड़ रही है कि गलतफहमी असलमें किस बातको लेकर पैदा हुई। वाइसराय महोदयका ख्याल है कि आपने ऐसा दावा तो कभी किया नहीं कि कांग्रेसका रूप सरकार और जनताके बीच एक ऐसे मध्यस्थका है कि जिसके बिना सरकार और जनता दोनों ही सीधे-सीधे परस्पर कोई व्यवहार नहीं रख सकते। और जबतक ऐसे किसी दावेपर आग्रह

१. यह "पत्र-व्यवहार" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए पृष्ठ २३-४, और ४३-५।

न किया जाये तबतक, वाइसराय महोदयके ख्यालसे, ऐसा कोई कारण हो ही नही सकता कि श्री गैरेटने उत्तरमे जो-कुछ कहा है उसपर कोई आपत्ति की जाये। लगता है कि आपने उनके नाम २१ तारीखके अपने पत्रमे स्वीकार किया है कि जनताके प्रतिनिधिकी आपकी हैसियतको सरकार किस सीमातक मान्यता देनेके लिए तैयार है इस बातकी आपको जानकारी है; और वाइसराय महोदयको आशा थी कि समझौते के पालनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओके बारेमे आपके साथ उन्होंने विस्तारपूर्वक जो चर्चा की थी उससे आपने भली-भाँति महसूस कर लिया होगा कि सरकारका व्यवहार आपके और आप जिनका प्रतिनिधित्व करते है, उनके साथ कितना ईमानदाराना रहा है। और आप जानते ही है कि वाइसराय महोदय अपनी ओरसे पूरी तरह स्वीकार करते है कि समझौतेकी भावनाका निष्ठापूर्वक पालन करानेमें और जिनसे आप सहमत हुए है, समझौतेकी उन शर्तोको स्वीकार करनेके लिए जनताको प्रेरित करनेमे तथा अपने समर्थकों पर अच्छा प्रभाव डालनेमे आप कितने अधिक समर्थ है; और वाइसराय महोदयको पूरा भरोसा है कि अपने भावी कार्यके लिए अत्यावश्यक शान्तिपूर्ण वातावरण बनानेके लिए आप उतने ही प्रयत्नशील बने रहेगे जितने कि वाइसराय महोदय स्वय है।

इसके बावजूद यदि आप कांग्रेसको एक ऐसा दर्जा दिलाना चाहते है जो कि कांग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आपके साथ इस सरकार और भारत सरकार द्वारा किये गये अबतकके व्यवहारसे स्पष्ट नही हुआ है, तो वाइसराय महोदयकी रायमें वह एक ऐसा प्रश्न होगा जो आपके और भारत सरकारके बीच सीधे-सीधे सम्पन्न हुए समझौतेकी व्याख्यामे आधारभूत परिवर्तनकी अपेक्षा रखता है, इसलिए उनको खेद है कि वे इसके बारेमें कोई भी राय व्यक्त करनेमें असमर्थ है। वे इतना ही कह सकते है कि समझौतेकी किसी भी एकदम नई व्याख्याको स्वीकार करना न तो श्री गैरेट और न बम्बई सरकारके लिए ही उचित होगा। वाइसराय महोदय महसूस करते है कि आपके लिए उचित यही होगा कि इस विषयको लेकर यदि आपने अबतक न किया हो तो अब सीधे भारत सरकारसे ही बात चलायें।

आपने अपने पत्रमे ब्यौरेसे सम्बन्धित कुछ बातोका भी उल्लेख किया है। उनके सम्बन्धमे मुझे यही कहना है कि इनमे से अनेक मुद्दोके बारेमें वाइसराय महोदय हाल ही मे आपसे चर्चा कर चुके है और इनके बारेमें अधिक ब्यौरेवार ढंगसे बात करनेके लिए वे सहर्ष तैयार है। इस दौरान आपको इतना आश्वस्त करना ही पर्याप्त है कि बम्बई सरकार वह सारी कार्रवाई करनेके लिए बिलकुल तैयार है जिसे करना समझौतेकी शर्तोके अनुसार जरूरी साबित किया जा सके। और बम्बई सरकार उन सभी मामलोकी जाँच करानेको तैयार रहेगी जिनकी ओर आप विशेष तौरपर उसका ध्यान आकर्षित करेगे और जिनमें यह माननेका समुचित कारण मौजूद हो कि आगे कार्रवाई करना उचित है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ३

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

शिमला
२ मई, १९३१

मै यह पत्र आपके २२ अप्रैलके पत्र, उससे सलग्न सह-पत्रो और पत्रमे व्यक्त किये गये आपके इस विश्वासके लिए धन्यवाद देनेके लिए लिख रहा हूँ कि समझौता भग न होने देनेके लिए यथासम्भव पूरा-पूरा प्रयास किया जायेगा। मेरा ख्याल है कि कोई फौरी खतरा तो नही है, फिर भी गुजरातमे जो कठिनाइयाँ आई है— और जिनके बारेमे हम बम्बई सरकारसे परामर्श कर रहे है, उनके अलावा भी कई ऐसे मामले है जिनके बारेमें सरकार समझती है कि आपके साथ व्यक्तिगत तौरपर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। उदाहरणके लिए, सर्वसाधारण परिस्थितिके कई पहलू ऐसे है जिनमे सुधारकी आवश्यकता है। और फिर उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तका मामला भी है जिसके बारेमे आपने कल मुझे तार दिया था। मेरी जानकारीके मुताबिक तो आपका यह ख्याल गलत है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके खिलाफ जो प्रचार चल रहा है उसके पीछे किसीका हाथ है, क्योकि सरकारकी हमेशासे पूरी कोशिश रही है और अब भी है कि उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके मामलोमें इतना उलझाव पैदा न हो पाये कि स्थिति संकटपूर्ण बन जाये; स्थितिको और अधिक बिगडी हुई बतलानेका तो उसका कोई मशा ही नही है। फिर भी कहना पड़ेगा कि वहाँ स्थिति सन्तोषप्रद तो कदापि नही है। आपने अपने तारमे पजाबके गवर्नर महोदय के भाषणका भी उल्लेख किया है। उन्होने जिन घटनाओ और प्रवृत्तियोका हवाला देते हुए जो उदाहरण पेश किये थे, वे उनके प्रान्तके बारेमें ही नही, अन्य प्रान्तोंके बारेमे भी सही है। लेकिन मै प्रसंगवश उन उदाहरणोका विवरण प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हमारे पास बातचीतके लिए काफी मसाला है और हालाँकि इस मौसममे आपको शिमला बुलानेमे काफी सकोच हो रहा है फिर भी मुझे भरोसा है कि यदि हम दिल खोलकर बाते कर ले तो हमारी उलझने उतनी कठिन नही रह जायेगी जितनी वे दूरसे दिखाई देती है। सर मॉल्कम हेलीका उत्तर अभी मुझे नही मिला है, परन्तु मुझे पूरी आशा है कि मै दोनो मुलाकातोंको सम्भव बना लूँगा। यदि यह क्रम ठीक चला, तो ११ मईके आसपास आपका यहाँ आना सुविधाजनक रहेगा। मै और पहलेकी तिथि इसलिए नही सुझा रहा हूँ कि अगले कुछ दिनोका अपना कार्यक्रम शायद आप निश्चित कर चुके होगे और फिर हमें कुछ सामग्री भी इकट्ठी करनी है। मुझे आशा है कि उस समयतक गोलमेज परिषद्से

१. यह "पत्र-व्यवहार" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए पृष्ठ २४।

सम्बन्धित कार्य-विधिका प्रश्न भी ऐसी स्थितिमें पहुँच चुका होगा कि उसपर उपयोगी ढंगसे चर्चा की जा सके।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ४

सुखदेवका पत्र[1]

परम कृपालु महात्माजी,

हालके समाचारोंसे पता चलता है कि अपनी शान्ति-वार्ताओंकी सफल परिसमाप्ति के बादसे आपने कई बार सार्वजनिक तौरपर क्रान्तिकारी कार्यकर्त्ताओंसे अपील की है कि वे अहिंसाके सिद्धान्तके परीक्षणका एक अन्तिम अवसर आपको देनेके लिए कम-से-कम अभी कुछ और समय तकके लिए अपना आन्दोलन बन्द कर दें। सच तो यह है कि किसी भी आन्दोलनको बन्द करनेका प्रश्न न सिद्धान्तसे ताल्लुक रखता है न भावुकतासे। आन्दोलनको बन्द करनेका फैसला तो समय-समयपर परिस्थितियोंकी आवश्यकता विशेषको घ्यानमे रखकर ही किया जाता है। परिस्थितियाँ नेताओंको अपनी कार्यनीतिमें परिवर्तन करनेपर विवश कर देती है।

आइए, हम यह मानकर चलें कि शान्ति वार्ताओंके दौरान आपने एक क्षणके लिए भी इस तथ्यको अनदेखा नहीं किया और न इसपर पर्दा ही डाला है कि यह कोई अन्तिम समझौता बनने नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सभी समझदार लोग बड़ी आसानीसे यह बात समझ सकते हैं कि जितने भी सुधार आप हासिल कर सके हैं उन सबको कार्यान्वित करानेके बाद भी कोई यह नहीं सोचेगा कि बस हमारी अन्तिम मंजिल आ गई। लाहौर कांग्रेसके प्रस्तावके कारण कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्तितक अविराम संघर्ष करते रहनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। इस प्रस्तावको देखते हुए, शान्ति और समझौता तो बीचकी केवल एक अस्थायी सन्धिके समान है, जिसका अर्थ यही होता है कि अगले संघर्षको और बड़े पैमानेपर अधिक सुसंगठित ढंगसे चलानेके लिए थोडा विश्राम कर लिया जाये। इन कुछ विचारोंको घ्यानमें रखकर ही हम समझौता और विराम-सन्धिकी सम्भावनाकी कोई कल्पना कर सकते हैं और उसका औचित्य ठहरा सकते हैं।

कोई भी विराम-सन्धि किन शर्तोंपर और किस उपयुक्त अवसरपर की जा सकती है इसका निर्णय तो आन्दोलनके नेता ही कर सकते हैं। लाहौर प्रस्तावके होते हुए भी, आपने अभी कुछ समय तकके लिए सक्रिय आन्दोलनको बन्द करना उपयोगी माना है, लेकिन फिर भी वह प्रस्ताव तो अपनी जगह बना हुआ है। 'हिन्दुस्तान

१. यह "एक खुला-पत्र" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए २९-३१।

सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी'— जैसा कि उसके नामसे ही स्पष्ट है— के सदस्य देशमे एक समाजवादी गणतन्त्रकी स्थापना करना चाहते है, और समाजवादी गणतन्त्र किसी प्रकारका समझौता या आधी-ऊधी चीज नही है। क्रान्तिकारी तो अपने लक्ष्यकी प्राप्तितक, अपने आदर्शकी चरम परिणतितक संघर्ष जारी रखनेके लिए कृत-संकल्प हैं। परन्तु वे बदलती हुई परिस्थितियों और वातावरणोंके अनुसार अपनी कार्य-नीति परिवर्तित करनेमें बिलकुल सक्षम है। क्रान्तिकारी संघर्ष विभिन्न दौरोमे विभिन्न रूप धारण करता चलता है। कभी उसका रूप बिलकुल खुला, सार्वजनिक होता है, तो कभी वह छिपा हुआ, गुप्त रहता है; किसी दौरमें वह मात्र प्रचार-आन्दोलनोतक सीमित रहता है तो किसी दौरमें जीवन और मृत्युके बीच एक भीषण संघर्षकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। क्रान्तिकारी अपने आन्दोलनको बन्द करनेके लिए तभी तैयार हो सकते हैं जब परिस्थितिमें कोई ऐसी विशेष बात पैदा हो जाये जिसके विचारसे आन्दोलनको बन्द करनेका औचित्य समझमें आ सके। परन्तु आपने ऐसा कोई निश्चित विचार सामने नही रखा है। मात्र भावुकताके आधारपर की गई अपीलोका क्रान्तिकारी संघर्षोंमें कोई अधिक महत्व नही होता और न हो ही सकता है।

आपने अपने समझौतेके बाद अपना आन्दोलन वापस ले लिया है और उसके फलस्वरूप आपके सभी बन्दियोंको रिहा कर दिया गया है। पर क्रान्तिकारी बन्दियो का क्या हुआ? १९१५ से जेलोंमें बन्द गदर पार्टीके दर्जनों बन्दी अबतक वही सड़ रहे हैं, बावजूद इस बातके कि वे अपनी सजाएँ पूरी काट चुके हैं। मार्शल लॉके तहत बन्दी बनाये गये अनेक लोग अबतक जीवित दफनाये गये-से पड़े हैं। बबर अकालियोंका भी यही हाल है। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यन्त्र केसके बन्दी भी अन्य अनेक बन्दियोंके साथ जेलोमे बन्द हैं। लाहौर, दिल्ली, चटगाँव, बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानोंपर षड्यन्त्रके दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों क्रान्तिकारी फरार हैं; उनमें अनेक महिलाएँ भी हैं। एक दर्जनसे अधिक बन्दी सच-मुच फाँसीके फन्दोके इन्तजारमें हैं। इन सबके बारेमे क्या हुआ? लाहौर षड्यन्त्र केसके सिलसिलेमें फाँसीकी सजा पाये जिन तीन बन्दियोको सौभाग्यसे काफी ख्याति मिल गई है और जिन्होंने जनताकी अपार सहानुभूति प्राप्त कर ली है, केवल वे ही तो 'क्रान्तिकारी दल' नही है। दलके सामने उनके भाग्यका प्रश्न ही तो एक-मात्र प्रश्न नही है। सच तो यह है कि उनकी सजाएँ माफ होनेके बजाय यदि उनको फाँसी लग जाये तो शायद देशका ज्यादा लाभ होगा।

लेकिन इस सबके बावजूद आप उनसे आन्दोलन बन्द करनेकी खुली अपीलें कर रहे है। वे उसे बन्द क्यों करें? आपने कोई निश्चित बात तो कही नही है। ऐसी परिस्थितियोमें आपकी अपीलोंका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि उस आन्दोलनको कुचलनेके लिए आपने नौकरशाहीके साथ गठबन्धन कर लिया है और आपका इस तरह अपील करना क्रान्तिकारियोंके बीच विश्वासघात, दलत्याग और गद्दारीका प्रचार करनेके बराबर है। यदि ऐसा न होता तो आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यह होती कि आप कुछ प्रमुख क्रान्तिकारियोसे सम्पर्क स्थापित करके उनसे इन सबकी

चर्चा कर लेते। आपको चाहिए था कि आप उनको आन्दोलन बन्द करनेकी बातपर पूर्णत: सहमत करनेकी कोशिश करते। मै नही समझता कि आम दकियानूसी लोगोकी तरह आपको भी यह विश्वास है कि क्रान्तिकारियोमे तर्क-विवेकका नितान्त अभाव है और उनको विनाश तथा विध्वसमे आनन्द आता है। हम आपको बतला दे कि वास्तवमे बात बिलकुल उल्टी है। क्रान्तिकारी लोग हर कदम उठानेसे पहले हमेशा उसके औचित्य तथा परिणामोपर विचार कर लेते है और अपने हर कदमकी जिम्मेदारी वे पूरी तरह महसूस करते है और अन्य किसी भी पहलूकी अपेक्षा क्रान्तिकारी कार्यक्रमके रचनात्मक पहलूको सर्वाधिक महत्व देते है। हालाँकि वर्तमान परिस्थितियोमे वे अपने कार्यक्रमके विध्वसात्मक पक्षमें जुटे रहनेके अतिरिक्त कुछ कर ही नही सकते।

क्रान्तिकारियोंके प्रति सरकारकी वर्तमान नीति उनको जनताकी उस सहानुभूति और समर्थनसे वचित करनेकी है जिन्हे उन्होने अपने आन्दोलनके दौरान प्राप्त कर लिया था और इससे वचित करके सरकार उनको कुचल देना चाहती है। जनता से विलग करनेके बाद उनको आसानीसे शिकार बनाया जा सकता है। इस तथ्यको देखते हुए उनसे भावुकताके आधारपर ऐसी अपीले करना जिनसे उनमें पस्तहिम्मती फैले नितान्त अविवेकपूर्ण और क्रान्ति-विरोधी काम है। यह तो उनको कुचलनेमें सरकारकी सीधी सहायता करना होगा।

इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप या तो कुछ क्रान्तिकारी नेताओंसे बात कर लें — जेलोमे क्रान्तिकारी भरे पड़े हैं — और उनके साथ सुलह कर लें या फिर इस तरहकी अपीले निकालना बन्द कर दें। भलाई इसीमें है कि आप इन दोनोमें से कोई एक मार्ग अपना ले और उसपर पूरे हृदयसे अमल करना शुरू कर दें। आप यदि उनकी सहायता नही कर सकते तो उनपर रहम तो खा सकते हैं। उनको अपने हालपर छोड़ दीजिए। वे अपनी चिन्ता ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। वे जानते हैं कि भावी राजनीतिक सघर्षमें क्रान्तिकारी दलका अधिनायकत्व सुनिश्चित है। जनता उनके आह्वानपर खड़ी हो रही है और वह दिन दूर नही, जब वे जनता को अपने ध्वजके नीचे एकत्र कर उसे समाजवादी जनतन्त्रके अपने उच्च और महान आदर्शकी ओर ले जायेंगे।

और यदि आप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते है, तो उनका दृष्टिकोण समझनेके लिए उनके साथ बैठकर बात कीजिए और समस्याके बारेमें ब्यौरेवार चर्चा कर लीजिए।

आशा है कि आप उक्त अनुरोधपर विचार करने और अपना मत सार्वजनिक रूपसे व्यक्त करनेकी कृपा करेगे।

आपका,
अनेकमे से एक

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

परिशिष्ट ५

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

शिमला
३० अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

आपको याद होगा कि बम्बईमें आपसे अपनी पिछली भेंटके दौरान मैंने वचन दिया था कि मैं गवर्नर महोदय सर मॉल्कम हेलीके साथ आपकी भेंट निश्चित कराने के लिए उनको लिखूँगा। मैंने अगले दिन ही उनको लिख दिया था। उनका पत्र अभी-अभी आया है। वे इससे पहले उत्तर नहीं दे सके क्योंकि राजस्व और लगानके लेखे-जोखेमें व्यस्त थे। वे महसूस करते हैं कि जबतक वे तथ्योंकी पूरी-पूरी जानकारी हासिल करके अपने दिमागमें ठीक-ठीक यह न समझ लें कि क्या राहत देना जरूरी है, तबतक आपके साथ चर्चा करनेका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे शब्दोंमें कहें तो वे बिलकुल ठीक-ठीक समझ लेना चाहते थे कि वे आपको क्या आश्वासन दें जिससे कि मामला पूरी तौरपर हल हो सके। इस समयतक सभी जिलोंसे विवरण प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन सर मॉल्कम हेलीको आशा है कि एक सप्ताहके अन्दर-अन्दर उनको स्थितिकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी और वे आपके साथ चलकर चर्चा कर सकेंगे। उनका अगला पत्र आनेपर मैं आपको सूचित कर दूँगा।

२. समाचारपत्रोंमें यह देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि आप कुछ अस्वस्थ रहे हैं; आशा है कि वे समाचार सही नहीं होंगे या होंगे भी तो अबतक आप पुनः स्वस्थ हो चुके होंगे।

हृदयसे आपका,
एच० डब्ल्यू० एमर्सन

मो० क० गांधी
अहमदाबाद

गृह-मन्त्रालय, राजनीतिक फाइल संख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

1. देखिए पृष्ठ ११६।

परिशिष्ट ६

गांधीजीके साथकी अपनी भेंटका एमर्सन द्वारा विवरण[1]

गोपनीय

मैंने समझौतेसे उत्पन्न होनेवाले प्रश्नो और प्रसगवश आम महत्वके प्रश्नोंके भी बारेमे श्री गांधीके साथ १३, १४, १५ और १६ मईको विस्तारपूर्वक चर्चा की।

२. चर्चाका सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय था — गुजरातकी परिस्थिति। इन विशेष प्रश्नपर चर्चा हुई:

(क) श्री गाधीने कहा कि खेड़ा जिले और खासकर बोरसद ताल्लुकेमें स्वयं उनके और वहाँके जिलाधीश श्री पैरीके बीच एक तरहका सहयोग स्थापित हो जानेके कारण कुल मिलाकर सभी चीजें काफी सन्तोषप्रद ढगसे चल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगोसे जितनी जल्दी बन पडता है, लगानकी अदायगी करते जाते हैं और वे स्वयं भी अलग-अलग मामलोंकी जाँच करके अपनी तसल्ली करते रहते हैं कि लोग अपनी परिस्थितियोंके अनुसार यथाशक्ति अदायगी कर रहे हैं या नही। वे लगानकी अनधिकृत बकाया राशिके[2] बारेमे चिन्तित थे। उन्होने कहा कि यह बात तो हम दोनों ही मानते हैं कि चालू लगान और बकाया लगानकी अदायगी जो भी कर सकते हैं उनको करनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी अनेक लोग हैं जो चालू वर्षका लगान तो अदा कर सकते हैं पर बकाया राशिकी अदायगी करनेमें असमर्थ हैं। उन्होने यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि प्रान्तीय सरकार एक आम किस्मका ऐसा ऐलान कर दे कि ऐसे मामलोमें बकाया राशिकी अदायगी अपने आप मुल्तवी मान ली जायेगी। उनकी दलील थी कि जब सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें शामिल न होनेवाले लोगोंकी बकाया राशियाँ मुल्तवी की गई हैं और इस प्रकार वे राशियाँ अधिकृत बना दी गई है, तब फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेवालोपर बकाया पड़ी राशियोंको मुल्तवी करनेका और भी अधिक औचित्य मौजूद है, क्योंकि वे आन्दोलनके दौरान पहले ही बहुत काफी कष्ट भोग चुके हैं और स्पष्ट है कि अदायगीकी दृष्टिसे उनकी स्थिति और भी बुरी है। मैंने कहा कि मै जहाँतक समझ पाया हूँ, सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग न लेनेवाले सभी लोगोकी बकाया राशियाँ मुल्तवी करनेका कोई आम आदेश तो नही निकाला गया; फिर भी लगान सम्बन्धी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाके अनुसार कुछ ऐसी बकाया राशियोको जरूर मुल्तवी किया गया है जिनके बारेमें इसके यथेष्ट कारण मौजूद था। हम यह मानकर नही चल सकते कि

१. देखिए पृष्ठ १६१।

२. अर्थात् वे बकाया राशिया जिनको मुल्तवी नहीं किया गया है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेवाले लोग उसमे शामिल होनेके कारण ही अदायगीके मामलेमें उन लोगोसे ज्यादा वुरी स्थितिमें है जिन्होने आन्दोलनमें भाग नहीं लिया था। आन्दोलनमे भाग लेनेवालोमें से अनेक ऐसे है जिनको कोई भारी नुकसान नही उठाना पड़ा, वहुत काफी लोग ऐसे है जिनको कोई नुकसान ही नही हुआ; और फिर किसको कितना नुकसान उठाना पडा — यह तो कोई कसौटी नही हुई; कसौटी तो यह है कि अदायगीके मामलेमे उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। इसलिए मेरी समझमे नही आता कि आम किस्मका कोई आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। इसपर उन्होंने कहा कि लगान देनेवाले अनेक लोग चालू वर्षका लगान और कुछ लोग वकाया राशिका कुछ अश भी यह सोचकर अदा कर रहे है कि इस समय वे इतनी ही अदायगी कर सकते है और इसके बाद वकाया राशिकी वसूली मुल्तवी कर दी जायेगी और सरकारी अधिकारी भी अच्छी तरह जानते है कि लोग क्या समझकर अदायगी कर रहे है और यदि वादमे वकायाकी वसूलीके लिए कोई जोर-जवर्दस्ती की गई तो एक वड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो जायेगी। मैंने कहा कि स्पष्ट ही सरकार यह स्थिति स्वीकार नही कर सकती कि सरकारको अदा की जाने-वाली वकाया राशिका कितना हिस्सा अदा किया जाये, इसका फैसला अदायगी करने-वालोपर छोड़ दिया जाये। उन्होंने स्वीकार किया कि आम तौरपर तो यह वात ठीक है लेकिन खेड़ाकी तरह जहाँ वे स्वय और काग्रेसके अन्य कार्यकर्त्ता भी देख रहे है कि लोग समझौतेका पालन करते हुए अपनी शक्ति-भर अदायगी कर रहे है और काफी कुछ हदतक वे लोग भी जनतासे अदायगी कराने और उसको आश्वस्त करनेमें भागीदार वन चुके है, वहाँ बात कुछ दूसरी हो जाती है। इसपर मैंने उनको सुझाया कि गुजरातके सभी काग्रेसी कार्यकर्त्ता उद्देश्यके प्रति उतने ही ईमानदार तो नही है जितने कि आप स्वय है, और यही कारण है कि जिलाधीशको हर मामलेकी स्वय छानवीन करके अपनी तसल्ली करनी पडती है कि वसूली मुल्तवी करनेका कोई औचित्य है या नही। मैंने उनको वताया कि मेरी जानकारीके अनुसार तो गुजरातके कुछ इलाकोमे लगान अदा करनेवालोको अनधिकृत वकाया राशिकी अदायगी न करनेके लिए उकसाया जा रहा है, हालाँकि उनमें से वहुत-से अदायगी करनेकी स्थितिमें है। मै यह मानकर चलता हूँ कि आम तौरपर न तो प्रान्तीय सरकारे और न स्थानीय अधिकारी लोग ही चाहते है कि अदायगी न कर सकनेवाले लोगोसे भी जवरन वसूली की जाये। इसलिए सारी समस्या वास्तवमे परस्पर विश्वासकी है। यदि काग्रेस और जनता दोनो ही ईमानदारीसे सहयोग करें और यथाशक्ति अदायगी करें, तो मैं नही समझता कि जोर-जवर्दस्ती की कार्रवाई करनेकी वात किसीके दिमागमें भी आयेगी। लेकिन यदि वे अपना काम ईमानदारीसे पूरा नही करेगे तो मेरी समझमें नही आता कि जोर-जवर्दस्तीके अलावा और क्या किया जा सकता है। जो भी हो, अभी इस समय इसके वारेमें कोई निर्णय करनेकी आवश्यकता दिखाई नही पड़ती। जव कभी कोई कठिनाई सामने आयेगी तो उसपर उसी समय विचार कर लेना काफी होगा।

इस बातचीतके दौरान मुझे आमतौरपर कुछ ऐसा लगा कि श्री गांधी अनधिकृत बकाया राशिकी वसूलीके सिलसिलेमें कुछ कठिनाई पैदा होनेकी बातसे आशंकित हैं और बोरसदमें तो वे सभी-कुछ ठीक-ठीक चला रहे हैं लेकिन अन्य स्थानोंमें असमर्थताकी आड़ लेकर अनधिकृत बकाया राशियोंकी अदायगी रोकनेकी कोशिशें चल रही हैं। भावी कठिनाईका स्वरूप क्या होगा, यह इस बातपर निर्भर करेगा कि इस आन्दोलनको कितनी सफलता मिलती है, पर यदि हमें परेशानीसे बचना है तो शायद जरूरी है कि स्थानीय अधिकारी उन लोगोंसे अनधिकृत बकाया राशियोंकी वसूली करनेका आग्रह न करें जो सचमुच अदायगी करनेमें कठिनाई महसूस करते हों।

(ख) ग्राम-अधिकारियोंको बहाल करनेके बारेमें भी हमने काफी विस्तारसे बातचीत की। श्री गांधीने एक मुद्दा यह रखा कि इस अर्थमें तो किसी भी नये पटेलकी नियुक्ति स्थायी तौरपर नहीं की गई है कि वह उसके जीवनपर्यन्त चलेगी। नियुक्तियाँ तो ३, ५ या १० वर्षोंकी अवधिके लिए ही की गई हैं, और ऐसी नियुक्तियाँ भी अगला आदेश जारी होने तककी शर्तपर की गई हैं, अर्थात् उनको अगले आदेश द्वारा रद भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्तियाँ स्थायी नहीं मानी जा सकतीं और इसलिए वे ५ मार्चके समझौतेके १९वें परिच्छेदके अन्तर्गत सर्वथा सरक्षित नहीं मानी जा सकतीं। मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूँ कि नियुक्तियोंकी यह व्यवस्था कोई असाधारण नहीं है और गुजरातमें सामान्य परिस्थितिमें भी पटेलोंकी नियुक्तियाँ उनके द्वारा उल्लिखित अर्थमें स्थायी तौरपर नहीं की जाती रही हैं। प्रान्तीय सरकारका दृष्टिकोण यह है कि "स्थायी तौरपर"का अर्थ "काफी हदतक स्थायी तौरपर"; और मेरा ख्याल है कि यह व्याख्या कम-से-कम तर्कसंगत तो है। मैंने इसपर अपनी ओरसे आग्रह नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि नई दिल्लीमें जब इस धाराको लेकर चर्चा चल रही थी तब न तो लॉर्ड इर्विनको और न श्री गांधीको ही इस तथ्यकी जानकारी थी कि ये नियुक्तियाँ इस तरहकी हैं और आम ख्याल यही था कि ये नियुक्तियाँ या तो स्थायी हैं या फिर बिलकुल ही अस्थायी किस्मकी। फिर भी धाराकी अपनी शब्द-रचनाका उस सामान्य सिद्धान्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो इस या इसी प्रकारकी अन्य व्यवस्थाओंमें निहित था। सिद्धान्त यह था कि जब नयी नियुक्ति द्वारा एक अन्य या तीसरा पक्ष भी खड़ा कर दिया गया हो तो उस तीसरे पक्षके अधिकारोंकी रक्षा करनेका दायित्व प्रान्तीय सरकारपर आ जाता है, और स्पष्ट है कि कुछ वर्षोंकी अवधिके लिए की गई नियुक्तियोंपर भी यह सिद्धान्त लागू होता है। यह दलील दी जा सकती है कि इस प्रकार उत्पन्न तीसरे पक्षके अधिकारोंको सन्तुष्ट कर देनेके पश्चात् तो समझौतेकी व्यवस्थाको अमलमें लाना चाहिए और स्थिति पूर्ववत् कर देनी चाहिए। उदाहरणके लिए तीन वर्षोंके लिए की गई नियुक्तिकी अवधि पूरी होनेपर पहले उस पदपर जो पदाधिकारी था उसे उसी जैसे अधिकार दे देने चाहिए, और यदि इस बीच उसने अपात्रताका कोई कारण न दिया हो तो उसे किसी अन्यपर वरीयता दी जानी चाहिए। लगता है कि प्रान्तीय सरकार शायद इस मामलेमें ऐसा ही रुख अपनानेके

लिए तैयार हो जाये, पर मैं किसी भी तरहका कोई निश्चित वचन नही दे सकता था। श्री गांधी इससे अधिक सन्तुष्ट नही दिखाई पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होने महसूस कर लिया कि उनका तर्क एकदम अकाटच नही था।

उन्होने इसके बाद दूसरा रुख अपनाया और वह यह कि आमतौर पर लोग मानते हैं कि नये नियुक्त किये गये लोग काम नही सँभाल पा रहे हैं और उनमें से अनेक पुराने सजायाफ्ता और बदमाश लोग हैं, उन्होने यह भी कहा कि वे वास्तवमें लगानकी वसूली नही कर पाते; जो काम पहले काम करनेवाला पटेल कर रहा था, और जिस गाँवमें नया पटेल नियुक्त किया गया है वहाँ तबतक शान्ति नही होगी जबतक कि उसे पदसे हटा नही दिया जाता। अच्छे प्रशासनके हितमें नये पटेलोको या तो हर्जाना देकर या उनको कोई दूसरा काम देकर इस शिकायतको दूर किया जाये। मैंने कहा कि जहाँतक मैं जानता हूँ प्रान्तीय अधिकारी किसी भी पटेल विशेषके खिलाफ की गई सही किस्मकी शिकायतोकी जाँच करनेके लिए तो बिलकुल तैयार है, लेकिन झूठमूठकी शिकायतोसे तो उनको बचाना ही पड़ेगा, और यह कि ऐसे मामलोमे नया नियुक्त किया गया पदाधिकारी नियुक्ति विशेषका पूरा अधिकारी है, और वे पटेल लोग खुद भी यह माननेको तैयार नही होंगे कि नियुक्ति के स्थानपर उन्हे हर्जाना दे देना काफी है। हाँ, अन्य स्थान रिक्त होनेपर त्यागपत्र दे चुकनेवाले पटेलोको उनपर नियुक्त करके स्पष्ट ही इस जटिल समस्याको थोड़ा-बहुत सुलझाया जा सकता है, लेकिन मैं कह नही सकता कि यह उपाय व्यावहारिक होगा या नही। जाहिर है कि यह प्रश्न भी उनको काफी परेशान किये हुए है।

(ग) बिकी हुई जमीनोकी फिरसे खरीद करनेकी बातसे वे काफी प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। कौन-सी जमीने किस कीमतपर बेची गई थी — इसका ठीक-ठीक पता लगानेमे इतनी अधिक कठिनाइयाँ पड़ी, इसकी उनको बडी शिकायत थी। लेकिन उन्होने स्वीकार किया कि जो व्यवस्था कर दी गई है वह हर प्रकारसे समुचित है और उससे सभी अपेक्षाएँ पूरी हो जायेंगी। मौजूदा व्यवस्था यह की गई है कि ऐसे सभी सौदे गाँवोके खसरोमें या तो दर्ज कर दिये गये है या जल्द ही दर्ज कर दिये जायेंगे और वे खसरे जनताके लिए सुलभ रहेगे। उन्होने बतलाया कि धाराला लोगोसे जमीने लौटानेमे उन्होने जितनी समझी थी उससे कही ज्यादा कामयाबी उनको मिल रही है। और सच तो यह है कि दूसरे जिन लोगोसे उनको आसानीसे निभने की उम्मीद थी, उनकी अपेक्षा धारालाओंसे उनकी कही अच्छी पटरी बैठ रही है। मैंने उनसे पूछा कि गरदा अपने सौदेसे क्यो मुकर गया है। वे यह माननेको तैयार नही थे कि गरदाको कांग्रेससे ऐसी कोई शिकायत होनेका कोई कारण हो सकता है कि कांग्रेसने अपनी तरफसे सौदेकी शर्तें निभानेमे कोई चूक की है और उन्होंने बतलाया कि वे सर कावसजी जहाँगीरके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

उन्होने कहा कि खेड़ा जिलेमें कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें बकाया लगान न भर पानेपर उनकी जमीने जब्त कर ली गई है और फिर उनको सरकारी सम्पत्ति घोषित करके बेच दिया गया है और उनकी बिक्रीसे हासिल रकम भी उस खातेदार

के खातेमें जमा नही की गई है, और यहाँतक कि जिस बकाया राशिके लिए जमीन जब्त की गई थी; वह राशि अब भी अदा करनेको कहा जा रहा है। मैंने कहा कि मुझे इसके बारेमें शक है, हालाँकि मुझे यह तो मालूम था कि जब्तशुदा जमीनोकी बिक्रीसे हासिल पूरी-की-पूरी रकमे सरकारी खातेमे जमा करा दी गई है, भले ही वे रकमें लगानकी बकाया राशिसे ज्यादा रही हों। मुझे पता चला कि खेडाके जिलाधीशने इस प्रश्नके बारेमें प्रान्तीय सरकारको लिखा था और वह इसपर विचार अवश्य करेगी और यदि श्री गांधीके बताये अनुसार ऐसे कुछ मामले सचमुच हुए है तो वह अवश्य देखेगी कि जमीने जब्त कर लेनेके बाद भी लगानकी वसूली एक बेमतलबकी ज्यादती तो नही है।

श्री गाधी कुल मिलाकर गुजरातकी स्थितिके बारेमे पिछली भेंटकी तुलनामे अब कही अधिक सन्तुष्ट थे; और नि.सन्देह गुजरातकी स्थितिमे सुधार तो हुआ ही है। लगता है कि उन्होंने खुद भी समस्याएँ सुलझानेके लिए काफी डटकर कोशिश की है, फिर भी लगता है कि आगे कई उलझावभरे मामले सामने आयेंगे जिनको लेकर कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रोमें जहाँ श्री गाधीने स्वय प्रयत्न नही किये और जहाँ वल्लभभाईका प्रभाव हावी है।

मैं यह भी कहूँ कि काग्रेसको सरकार और जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमे मान्यता दिलानेकी माँग रखनेकी बात श्री गाधीने कभी गम्भीरतापूर्वक सोची भले ही हो, कम-से-कम इस बार गुजरातके सम्बन्धमे चर्चा करते हुए और दो-एक अन्य अवसरोंपर भी उन्होंने ऐसा कोई आग्रह नही किया। हाँ, उन्होने यह आग्रह अवश्य किया, और वह बिलकुल अकारण ही नही कि खेडाकी भाँति अन्य क्षेत्रोंमें भी जहाँ-कही स्थानीय अधिकारी उनके साथ तथा अन्य कार्यकर्त्ताओके साथ सहयोग कर रहे है, वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नही की जानी चाहिए जो उनको तथा उनकी सहायता करनेवालोके लिए परेशानीकी स्थिति उत्पन्न कर दे। ऐसी कोई कार्रवाई तबतक नही की जानी चाहिए जबतक यह स्पष्ट न दिखने लगे कि वे सहयोगसे हाथ खीच रहे हैं। मैंने उनसे उन बयानोंके बारेमे बात की जिनके साथ उनका नाम समाचारपत्रोमे जोडा जा रहा था और जिनके अनुसार उन्होने करदाताओको सलाह दी थी कि वे ब्याजपर रुपये उधार लेकर लगानकी अदायगी न करे। मैंने उनको बतलाया कि सरकार तो इस सिद्धान्तको स्वीकार नही कर सकती और सर्वविदित है कि करदाताओको करकी अदायगी करनेके लिए बहुधा रुपये उधार लेने पडते हैं और यदि किसी बैंकमे मेरा खाता खुला हो तो मेरे साहूकार केवल इस कारण तो अपने तकाजे बन्द नही कर देंगे कि मेरे खातेमे नकद रुपये नही हैं। उन्होने स्वीकार किया कि साधारण परिस्थितियोमे उनकी सलाहका कोई औचित्य नही, लेकिन जिस परिस्थिति विशेषमे राय दी गई थी उसे देखते हुए सलाह उचित थी और उन्होंने इसपर आगे तर्क करनेकी गुंजाइश यह कहकर खत्म कर दी कि जिस क्षेत्रके लोगोको सलाह दी गई थी वहाँ अर्थात् खेडाके जिलाधीशने उसे एक काम-चलाऊ आधारके रूपमें स्वीकार कर लिया है।

(३) इसके बाद हमने नमकके बारेमे थोडी चर्चा की, जिसे बादमें केन्द्रीय राजस्व निकायके सिलसिलेमें फिर उठाया गया। चर्चाके दौरान मुख्य रूपसे ये मुद्दे पेश किये गये:

(क) श्री गाधी इस बातके लिए व्यग्र है कि सरकारको ५ मार्चके बयानके तत्सम्बन्धी अशको विस्तारपूर्वक समझानेके लिए एक विज्ञप्ति जारी करना चाहिए जिससे कि रियायतके हकदार व्यक्तियोको उसकी रूपरेखाकी और अधिक जानकारी हो सके। मैंने उनको केन्द्रीय राजस्व निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रोके लिए जारी की गई विस्तृत तथा ब्यौरेवार विज्ञप्तियाँ दिखाईं और स्पष्ट किया कि मेरी समझमें केन्द्रीय राजस्व निकायका दृष्टिकोण यह है कि विज्ञप्तियाँ सरकारी विभागके मार्ग-दर्शनके लिए तो आवश्यक है, पर उनमे इतनी पेचीदगियाँ है कि आम जनताको बात समझनेमे उनसे कोई वास्तविक सहायता नही मिल सकती, और वास्तवमेंकई खास कठिनाइयाँ तो अब भी लगातार सामने आती जा रही है और एक उदार तथा व्यावहारिक दृष्टिसे उनका अस्थायी तौरपर समाधान भी किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न प्रश्नोके बारेमे अबतक कोई अन्तिम निर्णय नही हो पाया है, इसलिए ब्यौरेवार विज्ञप्ति जारी करनेका उपयुक्त समय अभी नही आया है और फिर लम्बी-चौड़ी ब्यौरेवार विज्ञप्तिकी किस्मकी कोई भी चीज जारी करनेसे शायद अटकलबाजी के आधारपर कई प्रश्न उठाये जाने लगेंगे जिनको इस समय न उठाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री गाधी इस सबसे सहमत हुए और उन्होने कहा कि मै किसी लम्बी-चौड़ी विज्ञप्तिकी अपेक्षा नही रखता, पर यह अवश्य महसूस करता हूँ कि मुख्य-मुख्य सिद्धान्तोको प्रकाशित कर देना पूरी तरह वांछनीय रहेगा। मैंने उनको सुझाया कि आप एक मसविदा तैयार कर ले और सरकार विचार करेगी कि वह कुछ आवश्यक परिवर्तनोके साथ उसे स्वीकार कर सकती है या नही। उन्होनें ऐसा एक मसविदा तैयार करके मुझे देनेका वचन दिया।

(ख) इसके बाद उन्होने मत्स्य-सरक्षण उद्योगका प्रश्न उठाया। मैंने उनको बतलाया कि मेरे ख्यालसे तो केन्द्रीय राजस्व निकाय इसपर विचार कर ही रहा है और इस सम्बन्धमे वह मद्रास सरकारसे पत्रव्यवहार कर रहा है। उन्होंने जो मुद्दे रखे उनका सक्षिप्त सार यह है:

(१) पूर्वी और पश्चिमी घाटके मछुओंको निःशुल्क नमक पानेकी रियायत पहलेसे मिली हुई है।

(२) पश्चिमी घाटमे मछली जमा करके रखनेका काम ठेकेदार लोग विशेष मत्स्य-क्षेत्रोमे करते है, वहाँ उनको सरकारसे उन्हे टिकाये रखनेके लिए नमक खरीदना पड़ता है। श्री गांधी इस बातपर सहमत हुए कि यह सर्वथा उचित है कि एक बडे पैमानेपर इस तरह मत्स्य-संरक्षणका काम करनेवाले ठेकेदारोको नमककी रियायत देनेकी जरूरत नही।

(३) पर उन्होने कहा कि पश्चिमी घाटमे भी कुछ मछुए हैं जो अपने-अपने घरोमे मत्स्य-सुखानेका काम करते है और वह बडे पैमानेके किसी उद्योगके रूपमें नही बल्कि घरेलू तौरपर होता है, इसलिए ऐसे लोगोको रियायत देना उचित है।

तथ्योकी पूरी जानकारी न होनेके आधारपर मैंने कोई राय व्यक्त करनेसे इनकार कर दिया, लेकिन यह वचन दे दिया कि मै इस चर्चाका संक्षिप्त सार केन्द्रीय राजस्व बोर्डको जरूर बता दूँगा।

(ग) इसके बाद मैंने नमक राजस्वके बम्बई-स्थित जिलाधीश द्वारा भेजा हुआ एक मामला उनके सामने रखा, जिसमें कहा गया था कि शिरोडामे निजी भूमिपर स्थित कुछ कारखानोमे काग्रेस-कार्यकर्त्ता नमक बना रहे है और उन्होंने काफी बडी संख्यामे मजदूर कामपर लगा रखे है और वे ५०० से ६०० मनतक नमक जमा कर लेते है। हम इस बातपर सहमत हुए थे कि नमक सम्बन्धी रियायतका यह मतलब नही लगाया जायेगा कि काग्रेस नमक बनानेवाली एक सस्थाके रूपमें सामने आये और उन्होने स्वीकार किया कि यदि स्थानीय काग्रेस समितियाँ समझौतेमें शामिल किये गये प्रयोजनोके लिए भी नमकका उत्पादन करना शुरू कर देंगी तो स्थिति बड़ी कठिन हो जायेगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि शिरोडामें मजूरी देकर मजदूरोसे नमक तैयार कराया जा रहा है, तो वह भी समझौतेके क्षेत्रमें नही आता, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यदि ऐसी रियायतके हकदार कुछ गाँववाले मिलकर खुद नमक तैयार कर रहे है, और मजूरी देकर मजदूरोसे यह काम न करा रहे हों, तो उनका काम समझौतेके क्षेत्रमे, उसके अनुरूप माना जायेगा, बशर्ते कि वे समझौतेकी तत्सम्बन्धी व्यवस्थाओका पालन कर रहे हो। उन्होने यह भी दावा किया कि ५००-६०० मनतक नमक बनाकर रख लेना समझौतेका उल्लघन ही होगा, यह जरूरी नही, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि सम्बन्धित लोगोको इतनी मात्रामें नमक तो बना ही लेना चाहिए कि वह उत्पादन बन्द रहनेके दिनोमें कम न पडे। उन्होने कहा कि शिरोडामें नमक-उत्पादनसे सम्बन्धित तथ्योकी जानकारी मुझे है, और शायद केन्द्रीय राजस्व निकायको भी अन्तिम रूपसे कोई निर्णय देनेसे पहले कुछ अधिक जानकारी हासिल कर लेनेकी आवश्यकता होगी। यदि तथ्योको देखकर निर्णय यह किया जाता है कि इस प्रकारका नमक-उत्पादन नियम-विरुद्ध नही है तो उसका एक व्यावहारिक हल यह हो सकता है कि स्थानीय आवश्यकताओका ठीक अनुमान लगाकर उत्पादन किये जानेवाले नमककी मात्राकी एक सीमा निश्चित कर दी जाये।

(घ) श्री गांधी इस बातपर सहमत हुए कि पैदल चलकर नमक लानेमें बहुत-से कुलियो द्वारा नमक उठवानेके कामको शामिल नही माना जाना चाहिए।

(४) श्री गाधीने इसके बाद बन्दियोंकी रिहाईके मामलेका जिक्र किया। हमने इसके बारेमे आम और कुछ निष्फल-सी चर्चा की। लगता है कि अब भी उनका ख्याल है कि अभी कुछ ऐसे बन्दी है जिनको क्षमा-दानके निर्णयके अनुसार रिहा कर दिया जाना चाहिए था, पर किया नही गया है। उन्होंने वचन दिया कि वे ऐसे बन्दियोकी एक सूची बनाकर मुझे देंगे। मैंने उनको बतलाया कि पहले दी गई सभी सूचियाँ हम प्रान्तीय सरकारोको भेज चुके है और उनके सम्बन्धमें प्राप्त उत्तरोसे यह स्पष्ट दिखाई पडता है कि प्रान्तीय सरकारोने इस सम्बन्धमे बड़ी ईमानदारीसे

समझौतेका पालन किया है। मैंने पजाबकी सूचीका उल्लेख किया जिसमें ठीक-ठीक जानकारी न होनेके कारण प्रान्तीय सरकार अनेक बन्दियोकी ठीक शिनाख्त करके उनका पता नही चला सकी और जिन ७५ बन्दियोका पता उसने चला लिया था उनमे से ४७ तो सूची भेजनेके पहले ही रिहा किये जा चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री गाधीको दी गई सूचना बिलकुल सही नही थी। मैंने उनको इस बातकी भी याद दिलाई कि प्रान्तीय सरकारोने आमतौर पर प्राविधिक या औपचारिक हिंसाके मामलोमे समझौतेकी व्याख्या काफी उदारतापूर्वक की है और हिंसा भडकानेके जिन मामलोमे ज्यादा सख्तीसे काम लेना पड़ा है उसके काफी उचित कारण मौजूद हैं। मैंने इस अवसरपर उनको यह भी स्मरण दिलाया कि अकेले पजाबमे ही पिछले तीन सप्ताहोमे आतकवादी आन्दोलनसे सम्बद्ध तीन घटनाएँ हो चुकी है — शालीमार-काण्ड, सियालकोटकी घटना और जालधर जिलेमें बिलकुल हालमें हुआ एक बम-विस्फोट। इस विस्फोटके बारेमे उनको जानकारी नही थी और उनको यह जानकर सदमा पहुँचा कि उससे सम्बन्धित दो व्यक्तियोका काग्रेससे सम्बन्ध है। वे इस बातसे सहमत थे कि हिंसा भडकानेके बारेमे प्रान्तीय सरकारका सख्ती बरतना बिलकुल उचित है और उन्होने भारतीय दण्ड सहिताके खण्ड १२४-क और दण्ड प्रक्रिया सहिताके खण्ड १०८ के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमोके प्रश्नपर चर्चा करनेकी कोशिश नही की, जब कि पहले एक बार इसपर काफी विवाद खडा होनेकी नौबत आ गई थी। वे दो मामलोको लेकर चिन्तित थे। एक तो उस सम्पादकका[1] था, जिसको शोलापुरमे सजा सुनाई गई थी। इसके बारेमें उनका आग्रह है कि उसमे न तो हिंसा हुई और न हिंसा भडकाई ही गई थी। दूसरा मामला सूरत जिलेका था, जिसमें एक युवकको आग लगानेके अपराधमे दण्डित किया गया था। उसकी फसल जब्त कर ली गई थी, जिसके बाद उसने फसलमे आग लगा दी थी। इसपर श्री गाधीने इस प्रकार तर्क करनेकी कोशिश की कि समझौतेमे हिंसा जिस अर्थमें शामिल की गई है, उसमे व्यक्तियोके प्रति की गई हिंसाको ही हिंसा माना गया है और इसलिए उस परिभाषाके अनुसार इस घटना-विशेषमे कोई हिंसा नही की गई। जाहिर है कि यह तर्क स्वीकार नही किया जा सकता था। मुझे पता चला कि वे इन दोनों मामलोके बारेमें प्रान्तीय सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

वे यह जानना चाहते थे कि यदि काग्रेस और प्रान्तीय सरकारके बीच कुछ मामलोको लेकर गतिरोधकी स्थिति पैदा हो जाये तो फिर क्या होगा। मैंने कहा कि मशा यही है कि अन्तिम निर्णयका अधिकार प्रान्तीय सरकारको ही रहे, लेकिन अबतक ऐसा कोई मामला सामने नही आया, इसलिए हम वैसी स्थिति पैदा होनेपर ही देख सकते हैं कि क्या होता है। भारत सरकारने अपने पास आये अनेक प्रार्थनापत्रोके बारेमें प्रान्तीय सरकारो से अनुरोध किया है कि वे उन मामलोंसे सम्बन्धित तथ्य सूचित करे, और चूँकि न तो भारत सरकार और न प्रान्तीय सरकारे ही समझौतेके दायित्वका पालन करनेसे कतराना चाहती है, इसलिए ऐसा

१. उनको अब रिहा किया है — एच० डब्ल्यू० एमर्सन।

मानने का कोई कारण नही दिखता कि यदि किसी मामले मे सचमुच कोई भूल हो गई हो तो उसका कोई हल निकल ही नही पायेगा। मैंने उनको सूचित किया कि प्रान्तीय सरकारे समझौतेके इस पक्षको अत्यधिक महत्त्व देती आई है और कुछ प्रान्तोमें तो गवर्नरोने सभी सन्दिग्ध मामलोपर स्वयं पुनर्विचार किया है। मुझे लगता है कि इस विषयको लेकर प्रान्तोंके कांग्रेसी श्री गाधीको काफी परेशान करते रहते है।

(५) इसके बाद साइकिलों और एक मोटर-कारको लेकर बडी विनोदपूर्ण चर्चा हुई जिससे 'यंग इंडिया' के प्रेसका सवाल उठ खड़ा हुआ।

समझौतेके खण्ड १६ के अन्तर्गत सरकार सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जब्त की गई ऐसी सारी चल सम्पत्तिको लौटानेके लिए सहमत हो गई थी जिसका स्वामित्व अवैध नही था और जो समझौता होनेके समय भी सरकारके स्वामित्वमें थी। खेडा जिलेमे एक मोटर-कार जब्त की गई थी और उसे सरकारी कामके लिए प्रयुक्त किया गया था, जो सर्वथा उचित था। मुझे पता चला है कि अब वह कुछ टूटी-फूटी हालतमे अपने मालिकके घरसे कुछ दूरीपर बेकार पडी है। श्री गाधीका कहना है कि उसे वही लौटाया जाना चाहिए, जहाँ उसे जब्त किया गया था। स्थानीय अधिकारी इसे नही मानते और मुझे मालूम हुआ है कि वे इसे मान भी नही सकते क्योकि वे न तो उसे चालू हालतमें लाकर और न ही कबाड़के रूपमें ढोकर उसे वहाँ लौटा सकते है। इस चर्चाके सिलसिलेमें हम मामलेके वास्तविक लक्ष्यपर पहुँचे अर्थात् 'यंग इंडिया' प्रेसके प्रश्नपर। यह छापाखाना काफी कीमतका है और इसे प्रेस अध्यादेशके अन्तर्गत अहमदाबादमे जब्त किया गया था। उसका एक भाग अभी अहमदाबादमे ही है, पर एक हिस्सा बिक्रीके लिए बम्बई भेज दिया गया था। श्री गाधीका दावा है कि उनको अधिकार है कि वे उसे अहमदाबादमें ही वापस ले और उन्होंने इस सिलसिलेमे हाल ही में बम्बई सरकारको लिखा भी है। उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि यदि समझौतेके अनुसार उनको अधिकार न हो तो वे नही चाहते कि सरकार छापेखानेका जो हिस्सा बम्बईमे है, उसे अहमदाबादमें उन्हे देकर उनपर कृपा करे। मैंने वचन दिया है कि हम इस मामलेके वैधानिक पहलू पर विचार करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रान्तीय सरकारको लिखेंगे।[1] उन्होने अपनी ओरसे वचन दिया कि यदि निर्णय उनके ही पक्षमें हुआ, तो वे उसका उपयोग सरकारको परेशानीमे डालनेके लिए नही करेगे, अर्थात् बेकार पडी मोटरकार लौटाने का आग्रह नही करेगे।

(६) उन्होने समझौतेके इसी खण्डका हवाला देते हुए उन शस्त्रोको लौटानेका प्रश्न उठाया, जिनके लाइसेंस सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमें रद कर दिये गये थे। पहले भी वार्ताके दौरान वे इसका उल्लेख कर चुके थे लेकिन मै तब यह नही समझा था कि वे इसी खण्डके आधारपर ऐसी माँग कर रहे है। मै तो यह समझा था कि वे रद किये हुए लाइसेंसोको फिरसे मंजूरी देनेके बारेमें समझौतेकी भावनाके अनुरूप एक अधिक उदार नीति बरतनेका अनुरोध कर रहे है। मैंने उनको

१. बादमें गाधीजी को एक पत्र द्वारा उनका दावा अस्वीकृत किये जानेकी सूचना दे दी गई थी।

वतला दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँतक इस खण्डकी वात है उसके अनुसार तो लाइसेस रद होते ही वे सभी शस्त्र गैर-कानूनी मिल्कियत बन गये थे और उनको रखना गैर-कानूनी हो गया था और उनको जब्त करना उचित था। इसलिए इस आधार पर यह प्रश्न नही उठाया जा सकता। लेकिन यदि खण्ड औपचारिक रूपमें इसपर लागू होता तो भी प्रान्तीय सरकारे स्पष्ट ही उन शस्त्रोको लौटानेपर राजी नही होती जिनके बारेमे उनको शक होता कि वे आतकवादी कामोके लिए इस्तेमाल किये जा सकते है और पंजाब तथा बगालपर तो यह वात खास तौरपर लागू होती है। श्री गाधीने इसे तर्क-सम्मत तथा उचित मान लिया, पर कहा कि कठिनाईसे निकलने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि सभी शस्त्रोको औपचारिक तौर पर लौटा दिया जाये और उनके नये लाइसेंस रद करके शस्त्र वापस ले लिये जाये। मैंने वतलाया कि इससे काफी झमेला खडा होनेकी आशका है। मैंने इसके कानूनी पहलूपर विचार करवानेका वचन दिया।

मैंने बताया कि यदि यह विषय समझौतेके क्षेत्रमे न माना गया, तो फिर लाइसेसोकी दुबारा मजूरी देनेके लिए प्रान्तीय सरकारोको लिखनेमे कई कठिनाइयाँ हैं, और शस्त्र सम्वन्धी कानूनमे जिलाधीशोको स्वय उनके विवेकके आधारपर लाइ-सेसोकी मजूरी देने और उनको रद करनेकी काफी व्यापक शक्तियाँ भी दी गई हैं और यह मुमकिन है कि यदि लाइसेसधारी जिम्मेदार किस्मके व्यक्ति हो तो जिलाधीश लोग सविनय अवज्ञाके दौरान रद किये हुए लाइसेसोके मामलोमें बहुत ही उचित तथा समझदारीका रुख अख्तियार करे, हाँ, लेकिन जिन व्यक्तियोके बारेमे उनको पूरा भरोसा नही होगा, उनको लाइसेसकी मजूरी देनेमे उनका रवैया काफी कठोर तो होगा ही।

(७) इसके बाद उन्होने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान बन्द की गई पेन्शनोको बहाल करनेका मामला उठाया। मैंने कहा कि समझौतेसे पहले इस विषयपर प्रान्तीय सरकारोके साथ चर्चा नही की गई थी और चूँकि प्रान्तीय सरकारे तथा सैनिक पेन्शनोके बारेमे सेना-विभाग भी सैनिको तथा पुलिसवालो की पेन्शने बहाल करने पर निश्चय ही काफी आपत्ति करेगे, इसलिए ऐसी स्थितिमे केवल असैनिक पेन्शनोके साथ कोई रियायत करना कठिन होगा। फिर भी प्रान्तीय सरकारे प्रार्थनापत्र मिलने पर सामान्य तौरपर विधिवत् विचार अवश्य करेगी, परन्तु मेरी समझमे नही आता कि भारत सरकार इस सम्बन्धमे आम किस्मका कोई सुझाव उनको कैसे दे सकती है। श्री गाधीने सैनिको और पुलिसके लोगोकी पेन्शने बहाल करनेके सिलसिलेमे हमारी कठिनाई मान ली और इस सम्बन्धमे अधिक आग्रह नही किया।

(८) श्री गाधीने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेके कारण शैक्षणिक सस्थाओ से निकाले गये लड़को और छात्रोके मामलेका जिक्र किया। उन्होने कहा कि अनेक प्रान्तोमे उनको केवल इस शर्तपर दाखिला दिया जा रहा है कि वे राजनीतिमे भाग न लेनेका वादा करे। उनका ख्याल था कि यह अन्याय है। मैंने उनको सम-झाया कि पजावमे (और शायद अन्य प्रान्तोमे भी) कुछ सरकारी सस्थाएँ पहली वार दाखिलेके समय ही छात्रोसे ऐसी लिखित प्रतिज्ञा करा लेती है, उन छात्रोकी

बात तो दूर जिनको एक बार निकालनेके बाद फिरसे दाखिला दिया जा रहा है। उनको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उनको फिरसे दाखिला मिल तो रहा है, खास तौरपर यह जानते हुए कि प्रान्तीय सरकारें स्कूल-कालेजोंके अनुशासनको कितना अधिक महत्त्व देती है और यही उचित भी है। मैंने इस विषयपर प्रान्तीय सरकारोसे अधिक चर्चा करनेमे कोई सार नही समझा, फिर स्वय भारत-सरकार ही इसके बारेमे ढिलाई करनेको तैयार क्यो न हो; मै नही समझता कि वह भी ऐसा करेगी।

(९) चर्चाका अगला विषय था — उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तकी महत्त्वपूर्ण समस्या। मै उनके साथ एक मामलेको लेकर प्रारम्भिक बातचीत कर चुका था और उनको सरकारी जानकारीके मुताबिक उसके प्रमुख तथ्य बतला चुका था। बादमे श्री हॉवैल भी चर्चामें शामिल हो गये और उन्होने सीमा-प्रान्तकी विशेष प्रकारकी कठिनाइयोसे उनको अवगत करा दिया। प्रारम्भिक बातचीतमे मैंने इन मुद्दोपर खास जोर दिया था:

(१) क्षमा-दानके बादकी अब्दुल गफ्फारकी गति-विधियाँ और उनके भाषण।
(२) समझौतेको एक युद्ध-विराम माननेका उनका बराबर आग्रह और इसलिए इसे आगेकी तैयारीका एक अवसर समझना।
(३) 'लाल कुर्ती' स्वयसेवकोकी लगातार भर्ती, उनका सगठन, कवायद, वगैरा।
(४) अब्दुल गफ्फार द्वारा सीमा-पार अपने प्रचारके विस्तारका प्रयत्न।
(५) मुख्य आयुक्त या स्थानीय अधिकारियोसे मिलनेसे जान-बूझकर उनका अशिष्टतापूर्वक इनकार करते जाना।
(६) उनके द्वारा लगान अदा न करनेका प्रोत्साहन दिया जाना और पेशावर जिलेके भू-राजस्व प्रशासनपर पडा इसका प्रभाव।
(७) वहाँ अपराधोमें जो वृद्धि हुई है।

मैंने श्री गाधीको बतलाया कि अन्य प्रान्तोमे जहाँ सरकार काग्रेस स्वयसेवको की भर्ती सहन कर लेती है और सचमुच पहले सहन करती रही है, उन प्रान्तोमें भी एक सीमातक ही इसको सहन किया गया है, वहाँ भी सरकार स्वयसेवकोकी असीमित भर्ती या प्रशिक्षित स्वयसेवकोकी सस्थाओकी स्थापनाको सहन नही करेगी। निर्णय इस आधारपर नही किया जा सकता कि उनकी तात्कालिक गति-विधियाँ अपेक्षाकृत हानिरहित है या नही। हमे यह भी देखना पडेगा कि उनका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है; और यदि किसी समय हम इस निष्कर्षपर पहुँचे कि वे आगे चलकर शान्तिके लिए भारी खतरा उत्पन्न कर सकती है, तो हमें कोई कदम उठाना ही पडेगा। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हम यह दलील नही मान सकते कि चूँकि किसी प्रान्त-विशेषमें हम आज काग्रेस स्वयसेवकोके विरुद्ध कोई कदम उठाना जरूरी नही समझते इसलिए हम स्वयसेवकोके बारेमे आम तौरपर या जिन प्रान्तोमें हम उनको खतरनाक समझें, उन प्रान्तोमें भी कोई कदम नही उठा सकते, और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तकी परिस्थिति विशेषको देखते हुए उस कबाइली क्षेत्रमें लाल कुर्ती आन्दोलनका गलत अर्थ लगाये जानेके स्पष्ट खतरेको और अफगानिस्तानमें उसके

सम्भावित परिणामोंको समझकर भी हम हाथपर-हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते। श्री गांधीने इन विशेष प्रकारकी कठिनाइयोंको समझ तो लिया पर वे समाचारपत्रोंमें कुछ दिन पहले प्रकाशित हुए अब्दुल गफ्फारके अपने विवरण और उनकी दलीलोंको ज्यादा ठीक मानते हैं। स्वाभाविक है कि इस विवरणमें अब्दुल गफ्फारने सारा दोष स्थानीय प्रशासनपर ही थोपनेका प्रयत्न किया।

इस विषयसे सम्बन्धित और आगेकी चर्चा श्री हॉवेलके इस विवरणमें दी गई है:

"मैं श्री एमर्सनसे तय करके कल दोपहर श्री गांधीसे भेंट करने गया। मेरे वहाँ पहुँचनेसे पहले ही श्री एमर्सन श्री गांधीको उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त जानेकी उनकी इच्छासे विरत कर चुके थे और उनसे वचन ले चुके थे कि वे व्यक्तिगत रूपमें या पत्र द्वारा अब्दुल गफ्फार खाँसे सम्पर्क स्थापित करके उनको इसके लिए तैयार कर लेंगे कि वे यदि अस्थायी तौरपर ही अपना आन्दोलन बन्द करने पर राजी न हों तो कमसे-कम अपने तरीकोंपर एक बार पुनर्विचार तो कर लें। इसलिए मुझे तो बस इतना ही करना रह गया था कि मैं सारी समस्यापर फिर चर्चा करूँ और यही मैंने किया। इसमें मेरा विशेष अभिप्राय यही रहा कि सीमा-प्रान्तमें मैं अब्दुल गफ्फार खाँके कार्यक्रमके खतरे श्री गांधीको जता दूँ। भेंटके दौरान श्री एमर्सन और मैंने श्री गांधीसे जो भी कहा, उसका संक्षिप्त सार यह है:

अब्दुल गफ्फार खाँकी ईमानदारीपर अँगुली उठानेका हमारा कोई मंशा नहीं था, फिर भी हमारा यह ख्याल तो है कि उनकी कार्यविधि ठीक है या नहीं उसमें सन्देह है। उदाहरणके तौरपर यह कि वे मुख्य आयुक्तसे भेंट करनेसे एकदम इनकार क्यों करते आये हैं जबकि मुख्य आयुक्तने अनुकरणीय धैर्यका परिचय दिया और उनके साथ सम्पर्क स्थापित करनेका भरसक प्रयत्न किया है। यदि यह बिलकुल निश्चित है कि आगे चलकर किसी स्थितिमें उनकी पटरी नहीं बैठ सकेगी, तो क्या इसी कारण उनको जबतक पटरी बैठती है तबतक भी साथ-साथ चलनेसे इनकार करना चाहिए? और क्या सीमा प्रान्तके कबाइलियों-जैसे शीघ्र भड़क उठनेवाले उन श्रोताओंके सामने ऐसा उत्तेजनापूर्ण नाटक करना बुद्धिमत्तापूर्ण माना जायेगा जो सभी शस्त्रोंसे पूरी तरह लैस थे और जिनमें से अनेक तो ऐसे मौकेकी ताकमें ही बैठे थे कि बाक्स आफिस लूटनेका मौका मिले? यदि श्री गांधी इसको बुद्धिमानी मानते हों, तो इसके बारेमें हालमें लाहौरमें व्यक्त की गई भाई परमानन्द और सीमा-प्रान्तके अन्य हिन्दुओंकी राय पर तो उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है कि वे लोग इस विषयकी ज्यादा जानकारी रखते हैं। परिस्थितिकी बुनियादी बात यह है, जैसा सीमा-प्रान्तके इन हिन्दुओंने महसूस किया है, कि सीमा-प्रान्तमें जान-मालकी और विशेषकर हिन्दुओंके जान-मालकी सुरक्षा और समाजके स्थायित्वका सारा दारोमदार मौजूदा सरकारके प्रति सम्मानकी भावना बनाये रखनेमें ही है। और यदि सीमा-प्रान्तके कबाइली लोग — जो अपने-आपको किसीसे कम नहीं मानते बल्कि खुले-आम अपने-आपको दूसरोंसे बेहतर बताते नहीं थकते, देखें कि एक स्थानपर अब्दुल गफ्फार खाँ या

दूसरे स्थानपर कोई दूसरा या तीसरे स्थानपर कोई तीसरा नेता कामयाबीके साथ सरकारकी अवहेलना करता है तो फिर उनको भी अवहेलना करनेके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए लाल कुर्ती आन्दोलनको सीमा-प्रान्तसे बाहर न फैलने देना परम आवश्यक बन गया है।

उसे यदि एक बार जड़ें जमानेका मौका मिल गया तो वह निश्चय ही एक जुझारू रूप अख्तियार करनेसे नही चूकेगा, जैसा कि पिछली गर्मियोमें वजीरिस्तानमें हुआ था। यह सगठन अमीनुद्दौला-समर्थक आन्दोलनका रूप ग्रहण कर सकता है जो शाह नादिरको परेशानीमें डाल देगा।

पूरी बातचीतके दौरान जोर इस बातपर नही दिया गया कि कबाइली इलाका सविनय अवज्ञा आन्दोलनके क्षेत्रके बाहर है, क्योकि यह आन्दोलन बन्द हो चुका है या कमसे-कम निस्पन्द तो पड़ा है, या कि वह गाधी-इर्विन समझौतेके अन्तर्गत नहीं आता, क्योकि इससे श्री गाधीको यह सकेत मिल जाता कि आगे संघर्ष बढनेपर कबाइली इलाकेमें भी अपनी गति-विधियाँ फैलाना उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योकि उस इलाकेमे सरकारका पक्ष कमजोर है। बल्कि जोर इस बातपर दिया गया कि सीमा-प्रान्तमे सरकारका विरोध बढ़नेसे जनता और विशेषकर हिन्दुओके जान-मालको खतरा बढ़नेकी सम्भावना है। श्री गांधीसे पूछा गया कि क्या उनकी रायमें यह उचित है कि आज भारत-भरमें जैसा प्रयोग किया जा रहा है वैसा कठिन और अभूतपूर्व प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अपने काम की शुरूआत ही उस बाँध की तोड़-फोड़से करे जो बाढ़के पानीको रोकता है? लगता था कि श्री गाधी इसका सार समझ गये।

हमने सर स्टुअर्ट पीयर्स द्वारा रखे गये बाकी मुद्दे श्री गाधीके सामने रखे और उनसे कहा कि वे इसपर विचार करे कि क्या १३,००० स्वयंसेवकोकी लाल कुर्ती-जैसी एक संस्था खड़ी करनेका वास्तवमे कोई उपयोग है? सबसे हालकी हमारी सूचना यही है कि उसमें १३,००० स्वयसेवक है और यह संख्या भी स्पष्ट ही अनुमान पर आधारित है। अन्तमे, हमने वित्तीय स्थिति, विशेषकर पेशावर जिलेकी वित्तीय स्थितिके बारेमे कुछ विस्तारसे चर्चा की और श्री गाधीको सूचित किया कि वहाँ अपराधोमें इतनी वृद्धि हो गई है कि उसके आँकडे चौंका देते है। उन्होंने जानना चाहा कि पेशावरमे भूमि और जलपर लगनेवाले कर आसपासके पजाबी जिलोकी तुलनामे कितने ज्यादा या कम है, और लगता है कि उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पेशावर जिलेके सिंचाईवाले क्षेत्रकी कृषीय स्थिति उत्तर भारतके किसी भी क्षेत्रकी तुलनामें आमतौरपर काफी अच्छी होनेपर भी वहाँ भूमि और जलपर लगनेवाले करोकी दरें आसपासके पजाबी जिलोके मुकाबिले कहीं कम हैं। श्री गाधीके साथ वार्तामे भाग लेनेवाले लोगोंने इसे पठानोकी दोनो हाथ लड्डू लेनेकी लगातार कोशिशका काफी अच्छा सबूत माना जिसमें पठान लोग सिद्धहस्त है और बहुधा सफल भी हो जाते है। श्री गाधीने इस बातको समझा और इस तथ्यको भी लगान इत्यादि मे उदारतापूर्वक माफियाँ दी जाती रही है, दी जा रही है और आवश्यकता पड़नेपर यथास्थिति दी जाती रहेगी। लगता था कि श्री गांधी इसपर सहमत हो गये

है कि भावी सरकारकी अपनी भू-राजस्व नीति जो भी बने, पर वर्तमान शासन-व्यवस्थामे लगानवसूलीके काममे अत्यधिक हस्तक्षेप करना शायद एक अच्छी कार्य-नीति नही होगी। श्री गांधीकी ओरसे यह वचन दिया गया कि वे यथाशीघ्र अब्दुल गफ्फारखाँको बुलायेंगे और उनके आनेसे पहले उनको तार भी भेजेंगे और पत्र भी लिखेंगे।"

(१०) हमने बहिष्कार और लकाशायरके रुखके बारेमें भी थोडी बातचीत की। लंकाशायरके रुखको लेकर श्री गाधीके मनमें क्रोध इतना नही था जितना कि दुख। उन्होने दावा किया कि विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारसे सम्बन्धित स्थितिमें समझौतेने भारी परिवर्तन कर दिया है, धरनोमें भी बहुत अधिक कमी हो गई है, ब्रिटिश वस्त्रोके विरुद्ध भेदभाव बन्द कर दिया गया है और यदि अब भी कुछ शिकायते सामने आये तो उनपर कुल मिलाकर ही विचार करना चाहिए, उनको इस ढगसे पेश नही करना चाहिए जैसे वे आम स्थितिकी द्योतक हो। उन्होने दावा किया (और मेरा ख्याल है कि ठीक ही था) कि वे समझौतेका सख्तीसे पालन करानेके लिए अपनी ओरसे भरसक कोशिश कर रहे है और उन्होने कहा कि जहाँ भी उसका उल्लंघन हो उसकी सूचना उनको तुरन्त दी जानी चाहिए।

मैंने स्वीकार किया कि उनके कथनमे काफी सचाई है, पर मैंने उनको आम तौरपर चलनेवाली चीजोके अनेक उदाहरण दिये और मैंने सामाजिक दबाव पडनेकी बात विशेष रूपसे उनके सामने रखी। मैंने बताया कि एक आम धारणा यह बन गई थी कि व्यक्तिके काम करनेकी स्वतन्त्रता हासिल नही की गई है और इसी धारणाके कारण लंकाशायरमें कुछ प्रतिक्रियाएँ हुई थी, जो इग्लैंडके लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्त्व की है। मैंने जोर इस बातपर दिया कि ब्रिटिश समाचार-पत्रोमे प्रकाशित होनेवाले समझौतेके उल्लंघनके हर समाचारसे कितनी बडी हानि होती है और मैंने एक उस मामलेपर काफी विस्तारसे बात की जिसकी जानकारी सरकारको मिली थी। संक्षेपमे मामला इस प्रकार है:

"अहमदाबादकी 'ब्रिटिश माल बहिष्कार-समिति' ने दिनाक ७ अप्रैल, १९३१ का एक पत्र 'कानपुर केमिकल वर्क्स', कानपुरको भेजा था, जिसमे विभिन्न प्रश्नोके साथ ये प्रश्न भी पूछे गये थे:

(क) क्या आप निर्माणकी प्रक्रियामे कोई बिटिश सामग्री भी प्रयुक्त करते है?

(ख) क्या आपकी सस्थामे किसी अग्रेज या विदेशीका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है? यदि हाँ, तो कितना?

श्री गेविन जोन्सका इस व्यावसायिक सस्थासे काफी निकटका सम्बन्ध है और उन्होने यह पत्र हमारे पास भेज दिया। हमने इसके बारेमे जाँच कराई और हमे सूचित किया गया कि समितिके सक्रिय कार्यकर्त्ता काग्रेसके सदस्य है। समझौतेके बाद समितिने अपना नाम बदल दिया था, लेकिन लगता है कि उन्होने पहलेके छपे हुए, उसी सरनामेवाले कागजोपर ये नोटिस भेज दिये और अपने प्रश्नोमे ऐसे विषय भी शामिल कर लिये, जो सीधे-सीधे समझौतेके विरुद्ध पड़ते है।"

मैंने श्री गांधीको बतलाया कि इस मामलेमे एक ऐसे अंग्रेजकी व्यावसायिक संस्थापर आक्षेप किया गया है जो गोलमेज परिषदमे भाग लेनेके लिए भेजे जानेवाले शिष्ट-मण्डलके एक सदस्य हैं और जिन्होंने इग्लैंडमे भारतीय पक्षकी जोरदार हिमायत की है। और किसीको आश्चर्य नही होना चाहिए यदि इस प्रकारकी कार्रवाइयोके फलस्वरूप यूरोपीयोके दिमागमे अपने पहलेके रुखके बारेमें कुछ सन्देह पैदा हो जाये और इस मामलेको लेकर ब्रिटिश समाचारपत्रों या ब्रिटिश ससदमें चर्चा चल पडे, तब निश्चय ही इसके परिणाम बडे दुर्भाग्यपूर्ण निकलेगे। श्री गाधीने यह सब स्वीकार किया और इस बातपर खेद प्रकट किया कि इस मामलेकी ओर उनका ध्यान एक बार भी आकर्षित नही किया गया। मैंने उनको बतलाया कि ऐसा तो हम तभी कर सकते थे जब हमे पता चल जाता कि इसका सम्बन्ध काग्रेसके लोगोसे भी है और यह सूचना हमे हालमे ही मिली है। मैंने उनको वचन दिया कि इससे सम्बन्धित पत्र-व्यवहारकी एक प्रति मैं उनको भेज दूंगा और उन्होंने कहा कि वे तुरन्त ही सब ठीक करा देंगे और उसके परिणाम एक पत्रके जरिए मुझे बतला देंगे और यदि सरकार ठीक समझे तो उसकी एक प्रति श्री गेविन जोन्सको भी भेज सकती है।

मै समझता हूँ कि श्री गांधी समझौतेकी बहिष्कार-सम्बन्धी व्यवस्थाओंपर पूरी तरह अमल करानेके लिए चिन्तित हैं और यह तो सही है कि वे विदेशी वस्त्रों के स्थानपर भारतीय वस्त्रोंको लानेके लिए आज भी उतने ही उत्सुक हैं जितने पहले थे और उनको पूर्ण विश्वास है कि यह आन्दोलन अब स्थायी रूपसे चलता रहेगा, पर उन्होंने यह भी भली-भाँति समझ लिया है कि जोर-जबरदस्ती और दबावके तरीके अन्तमे सफल नही हो सकेंगे और यह भी कि भारत और इग्लैंडमें समझौतेके किसी भी दुरुपयोगके जो दुष्परिणाम होंगे वे स्वय आन्दोलनको होनेवाले लाभोसे कही अधिक होगे। फिर भी कुल मिलाकर उन्हे सभी काग्रेस-सगठनो और कार्यकर्त्ताओंको अपने सिद्धान्तोका पाबन्द बनानेके लिए अब भी और बहुत कुछ करना बाकी है; हालाँकि वे इस दिशामे काफी कुछ कर चुके है। यदि इस सम्बन्धमें समझौतेके उल्लघनोके बारेमें प्रान्तीय सरकारे या तो स्वय ही प्रान्तीय काग्रेस सगठनोसे सीधे बात कर ले या स्पष्ट उदाहरण तुरन्त ही गृह-विभागको बतला दें जो उनको श्री गाधीके पास भेज सके तो यह काफी सुविधाजनक रहेगा।

(११) श्री गाधीसे बातचीतके दौरान प्रसगवश अनेक सामान्य प्रश्नोपर भी चर्चा हुई थी और एक बैठकमें तो हमने पूरे समय बडी-बडी समस्याओकी ही चर्चा की थी। उसके दौरान उठाये गये मुद्दोंका साराश नीचे देनेका प्रयास किया जा रहा है।

लगता है, फिलहाल श्री गाधीको शीघ्र ही कोई साम्प्रदायिक समझौता होनेकी कोई आशा नही दिखती और वे जानते हैं कि दोनोके मनमें कितनी कटुता है। और उन्होंने इस समस्याका कोई हल निकले बिना इग्लैंड जानेमें सकोच इसलिए प्रकट किया है कि यदि भारतीय जनतामे अपने अन्दर ही फूट पड़ी हो तो उनका स्वराज्य के लिए आग्रह करना न तो शोभनीय होगा और न उसमें वह औचित्यका बल ही

पैदा हो सकेगा। और इस सम्बन्धमें जो कटाक्ष किये जा रहे है वे भी उनको काफी चुभ रहे हैं। मैंने उनके साथ बात करनेमे यह रुख अपनाया :

(क) यदि भारतमें साम्प्रदायिक समझौता न हो पाया तो श्री गाधीका अपना तर्क-सम्मत निष्कर्ष यही तो होगा कि जबतक समझौता नही हो जाता तबतक सवैधानिक क्षेत्रमें कोई प्रगति नही हो सकती। यदि श्री गांधीको ऐसा लगता भी हो तो सरकार इसे स्वीकार नही कर सकती। सरकारपर बहुधा कूटनीतिपूर्ण चाले चलने का आरोप लगाया जाता है और यदि वह स्वय श्री गाधी द्वारा अपनाये गये दृष्टि-कोणको ही अपना ले तो देश-भरमे एकाएक शोर मचने लगेगा और बडी तीव्रतासे एक राजनीतिक प्रचार-आन्दोलन खड़ा हो जायेगा। इसलिए इस दृष्टिकोणको तो बिलकुल अलग ही रखना चाहिए और सरकारको सवैधानिक प्रगतिकी ओर कदम बढाना ही चाहिए, भले ही पूर्ण सहमतिसे कोई साम्प्रदायिक समझौता न हो पाये। सरकार जब इस मामलेमे इतना आगे बढनेको तैयार है तो फिर श्री गाधी ही क्यों उसके मुकाबले अधिक प्रतिगामी रुख अपना रहे है? और फिर यदि भारतमे कोई समझौता नही हो पाता, तो इसका अनिवार्य अर्थ यह तो नही होता कि इग्लैंडमें भी कोई समझौता नही हो सकेगा। कुछ मायनोमे तो भारतकी अपेक्षा इग्लैंडमें परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल है. विभिन्न हितोके प्रतिनिधि वहाँ लगातार एक-दूसरे के सम्पर्कमे रहेगे, वातावरण ज्यादा ठीक होगा; ब्रिटिश नेता यथासम्भव अधिक से-अधिक सहायता देनेको तैयार है और पिछली बार लन्दनमें एक समझौता लगभग हो ही चुका था। और फिर लॉर्ड इर्विन निश्चय ही सहायता करनेको तत्पर रहेगे। (इस जगह श्री गाधीने सुझाव रखा कि लॉर्ड इर्विन एक मध्यस्थके रूपमें भी काम कर सकते है यह एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जो उनकी कुछ पूर्व-घोषणाओके एकदम खिलाफ पड़ती थी जिनमे कहा गया था कि भारतीयोको अपने मतभेद स्वयं ही दूर करने चाहिए।) यदि परिषद्में काग्रेसका प्रतिनिधित्व हो और उसमें श्री गाधीसे भी काफी बड़े योगदानकी आशा की जा सके, तो लन्दनमे समझौता होनेकी सम्भावना और भी बढ़ जायेगी। जो भी हो, भारतमे ही बने रहकर तो वे किसी प्रकारसे सहायता नही कर सकेंगे और जहाँतक साम्प्रदायिक समस्याकी बात है, स्पष्ट ही इग्लैंड जाना श्री गाधीका एक कर्त्तव्य है।

मैंने पूछा कि उनके मित्र इस मामलेके बारेमे क्या सोचते है। उनके कहनेसे पता चला कि दो-तीन कांग्रेसियोको तो शका है, लेकिन अधिकाशका यही विचार है कि उनको जाना चाहिए। श्री गाधीने स्पष्ट नही बताया कि उन्होने अपने लिए जाने या न जानेका कोई स्पष्ट निर्णय कर लिया है, पर मै निश्चित रूपसे यही समझता हूँ कि साम्प्रदायिक समझौता न होनेसे ही उनका परिषद्मे शामिल होना रुक जाये, ऐसी बात नही।

(ख) मैंने उनसे पूछा कि वे परिषद्के लिए काग्रेसके प्रतिनिधि भेजनेके बारेमे क्या करने जा रहे है और मैंने उनको सुझाया कि यदि वे काग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियतसे जाये तो भी कुछ कांग्रेस-प्रतिनिधियोको अपने साथ ले जाना सुविधा-

जनक रहेगा क्योकि महात्मा होनेपर भी वे एक साथ तीन स्थानोंपर तो मौजूद नही रह सकेंगे। उन काग्रेस-प्रतिनिधियोको उप-समितियोमें नियुक्त किया जा सकता है। मामलेके इस पहलूके बारेमे वे स्पष्ट रूपसे कुछ भी नही कह पाये और उन्होने स्वीकार किया कि गुजरातके स्थानीय मामलोंमें अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण वे गोलमेज परिषद्के सिलसिलेमे किये जानेवाले प्रबन्धके बारेमें कुछ सोच ही नही पाये थे। उन्होने कुछ इस तरहकी बात कही कि काग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें किसी अन्य व्यक्तिको शामिल करनेमें उनको बडा सकोच रहेगा और यह भी कहा कि उनके विचारसे वे अकेले ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अकेले अपने ही विचारोंके सहारे वार्ताको अन्तिम चरण तक पहुँचा सकते हैं। स्पष्ट है कि उनको अनुमान नही है कि चर्चा कितनी ब्यौरेवार होगी और उसमें किस तरहकी, कितनी बडी-बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। दूसरी ओर कुछ काग्रेसियोको व्यक्तिगत रूपसे गोलमेज परिषद्के लिए आमन्त्रित कर लिये जानेपर उनको कोई आपत्ति नही है। वाइसराय महोदयसे पिछली बार मेरी भेंट होनेपर उन्होने यह प्रश्न रखा था और इसीलिए मैंने श्री गाधीसे स्पष्टतया यही प्रश्न पूछा था। वे कहते है कि वास्तवमें लॉर्ड इर्विनने यह स्थिति स्वीकार भी कर ली थी इसीलिए उन्होने श्री मालवीयको आमन्त्रित किया था और श्रीमती नायडू तथा डॉ० अन्सारीको भी बुलानेका इरादा जाहिर किया था। इस तरह श्री गाधीके दृष्टिकोणसे काग्रेसको मुसलमानोंको, या सच तो यह है कि काग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतके सिवाय किसी भी दूसरी हैसियतमें कांग्रेसके किसी भी सदस्यको, आमन्त्रित करनेपर कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा करनेसे उन कठिनाइयोंको हल करनेमें सहायता मिल सकती है जो एक तरहसे निश्चित ही है कि यदि श्री गांधीने काग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि रहनेका आग्रह किया तो हमारे सामने आयेंगी।

(ग) काग्रेस एक दूसरा संवैधानिक प्रश्न यह उठा रही है कि क्या —

(अ) उनको गोलमेज परिषद्के पूर्व गठित की गई उप-समितिमें काम करना चाहिए, और

(आ) क्या उनको ऐसी समितिके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

मेरा ख्याल है कि इस प्रश्नके तूल पकड़नेका कारण उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तकी विषय-समितिसे अहमद शाहका त्यागपत्र देना है। श्री गांधीको उनके त्यागपत्र या नियुक्तिके बारेमे कोई जानकारी नही थी और मै समझता हूँ कि उन्होंने कांग्रेसके आदेशपर वह त्यागपत्र नही दिया था। त्यागपत्र शायद अब्दुल गफ्फारके आदेशपर दिया गया था और मुझे मालूम हुआ कि श्री गाधीका विचार था कि अहमद शाहको अपनी नियुक्तिकी स्वीकृति देने और त्यागपत्र देनेकी बात काग्रेसके सामने रखनी चाहिए थी। वे इस बातसे सहमत हुए कि सारे मामलेके बारेमें पहलेसे एक धारणा बनाकर काम किया गया था और इसे अपने त्यागपत्रका आधार बनाना अहमद शाहके लिए गलत था; लेकिन उनका ख्याल था कि अब उस गलतीको ठीक करनेके लिए कुछ नही किया जा सकता था हालाँकि मैंने उनसे यह भी कहा

था कि वे चाहें तो अपने उत्तराधिकारीके रूपमें किसीका नाम सुझा सकते हैं। वे इस बातसे सहमत हो गये कि ऐसी परिस्थितियोमें सबसे अच्छा यही रहेगा कि स्थान भरा ही न जाये।

कार्य-समिति इस प्रश्नपर सामान्यतया चर्चा करनेके लिए शीघ्र ही एक बैठक करने जा रही है। मैंने बहुत दृढ़तापूर्वक उनसे आग्रह किया कि कार्य-समितिको सदस्यता ग्रहण करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने, दोनो ही मामलोमें सहयोग करनेके पक्षमे अपना निर्णय करना चाहिए। और मैंने अपनी ओरसे यह भी कह दिया कि यदि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाये तो जहाँ सरकारने काग्रेसको प्रतिनिधित्व देनेका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है वहाँ समितियोमे सदस्योंकी नामजदगीके लिए काग्रेसको कहनेमे मेरे विचारसे कोई कठिनाई नही पड़ेगी। लगता था कि इसमें श्री गाधीको यह शंका है कि उन्होने अबतक तो गोलमेज परिषद्मे भाग लेने या न लेनेके बारेमे ही कोई निश्चय नही किया है, फिर ऐसी परिस्थितिमे परिषद्की बैठक के पहले इन समितियोमे शामिल होना ठीक रहेगा या नही। मैंने उनको बतलाया कि लन्दन जानेके बारेमे वे चाहे जो भी अन्तिम निर्णय करे, पर यदि काग्रेस संवैधानिक मामलोमे सहयोग नही करती तो समझौतेका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और प्रमुख उद्देश्य विफल हो जायेगा और यह भी कि बादमे किसी भी कारणसे यदि समझौता ठप्प भी हो जाये, तो इन समितियोमें सहयोग करनेके कारण उनको प्रतिबद्ध नही माना जायेगा। पर मुझे कुछ डर है कि कार्य-समिति इस मामलेमें गलत ढगका निर्णय ही करेगी।

(घ) गुजरात, सयुक्त प्रान्त और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त-जैसे अनेक प्रसंगो को लेकर लगानका प्रश्न भी सामने आया। श्री गाधी पहले तो इस पक्षमें थे कि सरकार और लगान भरनेवालोके बीच काग्रेसको आम तौरपर एक मध्यस्थकी तरह काम करने देना चाहिए लेकिन इस चर्चामे उन्होने अपने उस विचारको मनवानेका आग्रह नही किया, पर लगता है कि अब भी उनका मत है कि काग्रेस सरकारके साथ टक्कर लिये बिना या सरकारको किसी बडी परेशानीमे डाले बिना ही जमीदारो या किसानोके एक मित्रकी हैसियतसे काम कर सकती है और लगान तथा लगान सम्बन्धी मामलोमे उनको परामर्श दे सकती है। मैंने इस सिलसिलेमे जो रुख अपनाया, उससे वे प्रभावित हुए। मैंने उनसे कहा कि ससारकी कोई भी सरकार इसके लिए तैयार नही होगी कि अपने और कर-दाताओके सम्बन्धोमे किसी भी राजनीतिक सस्थाको हस्तक्षेप करनेकी अनुमति दे, फिर जब हस्तक्षेप इस रूपमे हो कि उनको इसके बारेमे परामर्श दिया जाये कि कौन-से कर अदा किये जाये और कौन-से नही। ऐसी कोशिश यदि अफगानिस्तानमें की जाये तो ऐसा प्रचार करनेवालेको तुरन्त ही दीवारके सामने खडा करके तोपसे उडा दिया जायेगा और यदि भारतीय रियासतोमे की जाये तो उसे तुरन्त निष्कासित या बन्दी बना लिया जायेगा और सबसे अधिक उन्नत यूरोपीय देशोमे भी एक शक्तिशाली राजनीतिक दल द्वारा किये जानेवाले इस प्रकारके एक सगठित आन्दोलनके विरुद्ध सरकारके सारे साधन प्रयुक्त

किये जायेगे। भारतमे इसकी विशेष आवश्यकता है कि इस प्रकारके प्रचारसे बचा जाये; मौजूदा आर्थिक परिस्थितियोको देखते हुए और लगान तथा भू-राजस्वके विरुद्ध चलाये गये आन्दोलनके तुरन्त बाद तो यह आवश्यकता और भी बढ गई है। मैंने बड़े ही स्पष्ट शब्दोमे जता दिया कि सयुक्त प्रान्तमें जो-कुछ किया गया है, उस तरहकी कार्रवाइयोको मै व्यक्तिगत तौरपर समझौतेकी समूची भावनाका गम्भीर उल्लंघन मानता हूँ। मैंने समझाया कि प्रान्तीय सरकारे आर्थिक परिस्थितिकी गम्भीरता और भू-राजस्व सम्बन्धी नीतिमे ज्यादा सख्ती न करनेकी आवश्यकताके बारेमे पूर्णतः सतर्क है। तब भी उनके लिए यह निर्णय कर पाना बड़ा कठिन पड़ रहा है कि कौन लोग अदायगी कर सकते है और कौन नही, और यदि इस परिस्थितिमे कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी तो उनका काम और भी पेचीदा हो जायेगा क्योकि उस हस्तक्षेपका एक अनिवार्य परिणाम यह निकलेगा कि अधिकारी लोग शकाशील हो उठेगे कि लगान अदा करनेसे इनकार करनेवाला व्यक्ति सचमुच अपनी असमर्थताके कारण इनकार कर रहा है या काग्रेसकी सलाहने उसे अदायगीसे बच निकलनेकी प्रेरणा दी है। श्री गाधी इस विचारसे सहमत नही हो सके कि सकटकी स्थितिमें पड़े लोगोको देखकर भी काग्रेस अलग खडी रहे, उनकी सहायता न करे, पर मै समझता हूँ कि हस्तक्षेपसे होनेवाली कठिनाइयोको उन्होने समझ लिया और जहाँतक उनकी अपनी बात है लगता है कि निष्क्रियताके कारण गाँवोकी जनतातक पहुँचनेके एक अच्छे अवसरसे वंचित होनेके विचारसे वे इतने अधिक चिन्तित नही है जितने कि इस ख्यालसे कि वे दलित जनताके लिए कुछ भी नही कर पाये। इसको लेकर निश्चय ही झझट खडी होनेकी बडी सम्भावना है। दूसरी ओर, उन्होने जमीदारोपर कोई भी दबाव डालने, अदायगी न करनेकी अपीले जारी करने और काग्रेसके नामपर लगानमे पचास प्रतिशत कटौती करानेकी झूठी आशा दिलाने और व्यक्तिकी सामर्थ्यसे कमकी अदायगी करनेकी सभी कोशिशो की खुले मनसे भर्त्सना की। आशा है कि सर मॉलकम हैलीके साथ होनेवाली उनकी चर्चाके निष्कर्षोसे इस मामलेमे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(ङ) मैंने श्री गाधीको विभिन्न प्रान्तोकी वर्तमान स्थितिसे अवगत करानेका प्रयत्न किया और इसमे भी खास तौर पर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तो, पजाब, सयुक्त-प्रान्त, बिहार, उड़ीसा और बगालकी स्थितिसे। मैंने इस तथ्यपर जोर दिया कि समझौतेके हाल ही बादके परिणामोसे सन्तुष्ट कुछ प्रान्तीय सरकारे अब काग्रेसकी कार्रवाइयोके कारण कुछ शकाशील होती जा रही है। मैंने उनको बतलाया कि हमारे सामने लगभग बिलकुल ही नई तरहकी कठिनाइयाँ है, सवैधानिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, वित्तीय, कृषीय और आतकवादी आन्दोलनसे सम्बन्धित काफी टेढी किस्मकी कठिनाइयाँ हमारे सामने है, लेकिन यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करे तो बहुत सम्भव है कि हम उनको हल कर लेगे, और सहयोग न करे तो फिर भविष्यके लिए कोई आशा नही दिखाई पडती। मैंने कहा कि भारत सरकारकी एक सर्वथा सुनिश्चित और स्पष्ट नीति यही है कि समझौतेपर अमल किया जाये

और उसे भंग न होने देनेके लिए सभी उचित प्रयत्न किये जायें। इस दिशामें कोई भी प्रतिगामी शक्तियाँ उसे पीछे ढकेलनेके लिए सक्रिय नही है। लेकिन साथ ही यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार लगातार सतर्कतासे काम लेती रहे और वह न तो आम तौरपर और न किसी एक क्षेत्रमे ही कोई खतरनाक स्थिति पैदा होने दे सकती है भले ही उसे रोकनेकी कार्रवाईका मतलब समझौतेका खात्मा ही हो। इस सिलसिलेमे सबसे बड़ा खतरा तो काग्रेसकी मनोवृत्ति और इस बातसे है कि काग्रेस एक विपरीत दिशामें लगातार ही यह प्रचार करती रहती है कि लोगोको भावी सघर्षके लिए तैयार रहना चाहिए। स्पष्ट ही इस मनोवृत्तिका प्रभाव अन्यत्र भी पड रहा है। इग्लैडमे होनेवाली प्रतिक्रियाका कारण भी आशिक रूपसे यह बात है और यदि हम उस प्रतिक्रियाको रोक नही पाये तो वहाँ वातावरण सर्वथा प्रतिकूल बन जायेगा। परिषद्मे उठनेवाली सवैधानिक चर्चाके बारेमे, मैंने उनसे कहा कि यदि लन्दनमे उनकी मौजूदगीके दौरान भारतकी अन्दरूनी परिस्थिति इग्लैडकी जनता को अरुचिकर लगी या इग्लैडके लोकमतको उससे ठेस भी पहुँची तो वहाँ उनकी अपनी स्थिति बड़ी अटपटी हो जायेगी। विभिन्न प्रान्तोमे काग्रेसकी ओरसे की जानेवाली राजद्रोहात्मक कार्रवाइयोके अनेक उदाहरण मैंने उनके सामने रखे। मै तो समझता हूँ कि सामान्यतया इसका श्री गांधीके मनपर प्रभाव अवश्य पड़ा। इग्लैडमे होनेवाली प्रतिक्रियाका महत्त्व तो उन्होने महसूस कर ही लिया था और मै तो सोच रहा था कि वे उसके पीछे सक्रिय प्रतिगामी शक्तियोंकी कुछ आलोचना तो करेगे ही, पर उन्होने कोई भी आलोचना नही की। और इसी तरह उन्होने पजाबके गवर्नर महोदयके हालके भाषणमे अख्तियार किये गये रुखपर भी बिलकुल कोई विरोध व्यक्त नही किया। लगता था कि वे मेरे इस मतसे सहमत हो गये है कि उनका भाषण उन कटु तथ्यो या घटनाओका स्वाभाविक परिणाम ही था जिसके लिए बहुत हदतक काग्रेस जिम्मेदार है। उनको एक यह शिकायत अवश्य थी कि मैंने काग्रेसके उद्देश्यो और कार्योपर एक व्यापक रूपसे सन्देह प्रकट किया, जब कि वास्तवमे काग्रेसके उद्देश्य और कार्य सदाशयतापूर्ण है और वह सचमुच शान्तिपूर्ण समाधान चाहती है। यह उन्होने स्वीकार किया कि कुछ खास कार्रवाइयाँ बुरी जरूर थी और उनका वे बिलकुल कोई अनुमोदन नही करते। उन्होने यह भी महसूस किया कि समूची स्थितिको एक अधिक शान्तिपूर्ण धरातलपर ले जानेकी जरूरत है और मुझे आशा है कि वे निश्चय ही इस दिशामे अपने प्रभावका सदुपयोग करेगे। मैंने उनको मद्रास प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया एक परिपत्र दिखाया, जिसकी एक प्रति इस विवरणसे भी सलग्न है। मैंने उनको कहा कि परिपत्रमे एक या दो चीजे ऐसी हो सकती है जिनको अधिक अच्छे शब्दोमे रखना सम्भव रहा हो तथापि यदि काग्रेस मोटे तौरपर उसमे कहे गये सिद्धान्तोके अनुसार अमल करती रहे तो सरकारको शिकायतके लिए कोई गुजाइश ही नही रह जायेगी। मैंने श्री गांधीको यह भी बतलाया कि उन्होने अपने शिमलावाले भाषणमे जो रुख अपनाया है उससे निश्चय ही काफी सहायता मिलेगी और मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे

उसी भावनासे काम करते रहे और अन्य नेताओको भी वैसा ही करनेके लिए प्रेरित करे। मुझे अपने पर पूरा यकीन है कि वे इसका भरसक प्रयत्न करेगे।

(१२) इस विवरणके अन्तमें मैं अपनी कुछ निजी धारणाएँ भी बतला दूं। (वैसे ही यह विवरण बहुत काफी लम्बा हो गया है।)

मैं समझता हूँ कि श्री गाधी समझौतेका पूरा-पूरा पालन करानेके लिए पहलेसे अधिक चिन्तित है, सच्चे हृदयसे चिन्तित है, और वे अपनी पूरी शक्ति इसमे लगा देंगे। कांग्रेसकी ओरसे समझौतेकी बात टूटनेकी सम्भावना बड़े-बडे प्रश्नोको लेकर तो कम ही जान पड़ती है। अधिक सम्भावना तो यही है कि कांग्रेसकी ओरसे यदि बात टूटी तो वह अपेक्षाकृत कम महत्त्वके ब्यौरेसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अरुचिकर प्रश्नोको लेकर ही टूट सकती है। और यदि कांग्रेसकी कार्रवाइयोका रूप विशेषकर देहाती क्षेत्रोमे काफी कुछ सयत हो जाये, तो यह खतरा बहुत कम रह जायेगा, क्योकि तब यह सम्भव और वाँछनीय भी हो सकता है कि स्थानीय अधिकारी लोग कांग्रेसकी कार्रवाईको देखते हुए यहाँ-वहाँ जरूरतके मुताबिक कुछ बातोमें थोड़ी ढिलाई कर सके। यदि यह हो जाये तो उससे वातावरणमे सुधार होगा।

पिछले कुछ महीनोके दौरान श्री गाधीके अपने रुखमें निश्चय ही कुछ नरमी आई है। वे कुछ ठोस किस्मकी कठिनाइयोसे जूझते रहे हैं और उनको रचनात्मक कार्यके बारेमे सोचना पडा है। इस कारण उनकी पहलेसे बनी-बनाई कुछ धारणाओ परसे उनका विश्वास थोडा डिग गया है और वे समस्याके दूसरे पहलूको भी समझने के लिए अब पहलेसे ज्यादा तैयार हैं, हालाँकि मैंने इस मामलेमें उनका रुख सदा ही बहुत मुनासिब पाया है। विभिन्न सरकारी अधिकारियोके साथ उनका निजी सम्पर्क स्थापित होनेसे उनकी सहयोगकी इच्छाको बल मिला है। और यह तो मैं भली-भाँति समझता हूँ कि कांग्रेसको जबतक सरकार और अन्य दलोका प्रभाव और उनकी साख घटाकर स्वय अपना प्रभाव और अपनी ही साख बढ़ानेकी ही पडी है, तबतक कांग्रेसी नेताओके साथ अधिक निकटका सहयोग स्थापित करनेके मार्गमे बडी मुश्किले पड़ेगी और खतरे सामने आयेंगे; लेकिन मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रोमे भी इन मुश्किलो और खतरोसे बचकर चलना सम्भव है, वहाँ निजी सम्पर्क बनाये रखनेसे निश्चय ही स्थिति कुछ आसान बनाई जा सकती है। और जैसी कि मुझे आशा है, श्री गाधी सघर्षशीलताकी मनोवृत्तिमें नरमी लानेका प्रयास करेंगे, और यदि वे इसमे सफल होते हैं तो निश्चय ही स्थिति आसान हो जायेगी। यदि सरकार उनके प्रयासको देखते हुए तब अपनी ओरसे कोई सहयोग नही करेगी, तो हम फिरसे पुराने चक्करमे पड़ जायेंगे और स्थिति फिर बिगडने लगेगी।

इस समय तो श्री गाधी स्वय ही ब्यौरेसे सम्बन्धित छोटी-मोटी चीजोंमे इतने उलझे हुए हैं कि बडे-बड़े प्रश्नोकी ओर उनको जितना ध्यान देना चाहिए वे नही दे पा रहे हैं। सरकारकी ओरसे समझौतेपर अमल न किये जानेके सम्बन्धमें अनेक शिकायते उनके पास आती रहती हैं और हालाँकि उनमे से अधिकाश झूठी होती है, फिर भी शकाओ और सन्देहोकी गुँजाइश तो हो ही जाती है। समझौतेसे उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोका समाधान जितने जल्द हो जाये उतना ही अच्छा रहेगा।

समझौता भंग हो जानेके परिणामोके बारेमें श्री गांधीको कोई भ्रम नही है, वे उनको भली-भाँति समझते हैं। वे समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनको फिर शुरू कर देनेपर सरकार तुरन्त और पूरी सख्तीके साथ कारंवाई करनेपर विवश हो जायेगी और मैंने अनेक अवसरोपर यह बात उनको बहुत ही स्पष्ट शब्दोमें जता दी है। वे इसे सर्वथा उचित मानते है और यदि आवश्यकता पडी तो वे इसके परिणाम भुगतनेके लिए तैयार रहेगे। लेकिन यदि ऐसी स्थितिसे बच सके तो वे दूसरा सघर्ष नही छेड़ना चाहेगे। यह तथ्य और लॉर्ड इर्विनको दिये गये अपने वचनोके प्रति उनकी अपनी दायित्व-भावना ये दो चीजें इस परिस्थितिके सन्दर्भमें अत्यधिक महत्व रखती हैं।

१८ मई, १९३१ एच० डब्ल्यू० एमर्सन

अंग्रेजीकी फोटो-नकलसे: इंडिया ऑफिस रेकर्ड्स

परिशिष्ट ७

गांधीजी के साथ हुई चर्चापर सरमाल्कम हेलीकी टिप्पणी[1]

२० मई, १९३१

आज श्री गाधीके साथ मेरी चर्चा मुख्यत: कृषीय परिस्थितिके बारेमे ही रही, पर कुछ अन्य सम्बन्धित विषयोपर भी बात हुई।

१. रिहाइयोके बारेमे उन्होने ज्यादा बात नही की। वे निश्चय ही मामलोकी कोई सूची अपने साथ लेकर नही आये थे जिनके बारेमे हमारी ओरसे समझौतेका पालन न होनेकी शिकायतें आई हो। मैंने उनसे कह दिया कि यदि कुछ ऐसे मामले हो जिनको आप पेश करना चाहते हो तो मुझे उनके द्वारा उनका मुख्य सचिवके पास भेज दिया जाना उचित लगेगा। इसपर वे राजी हो गये।

२. उन्होंने उन विद्यार्थियोके मामलोका उल्लेख किया जिनको सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेके अपराधमे शालाओसे निकाल दिया गया था या और दण्ड दिये गये थे। मेरे पास पूरे तथ्य तो मौजूद नही हैं, पर प्रान्तके शिक्षा-निदेशकने मुझे सूचित किया है कि उनको दाखिला तभी दिया जा सकता है जब वे लिखित वचन दे कि वे अपनी-अपनी शिक्षा सस्थाओके अनुशासनात्मक नियमोका पालन करेंगे। यह कोई बडा कष्टदायक दायित्व तो नही लगता।, और काग्रेस अन्य कोई स्पष्ट शिकायत नही करती, तो मैं इस मामलेको यही तक रहने दूंगा। बात करते समय ऐसा नही लगा कि श्री गाधी इसे बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हो।

१. देखिए पृष्ठ १९२।

३. उन्होने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेके कारण कुछ लोगोके शस्त्र रखनेके लाइसेस जब्त कर लिये जानेके प्रश्नको कुछ अधिक महत्त्व दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसे कुछ मामले हुए तो थे; हालाँकि मै नही जानता कि हमारे पास प्रधान कार्यालयमे उनके विषयमे कुछ जानकारी है या नही। उन्होने मुझे बतलाया कि गुजरातके कमिश्नरने स्वीकार कर लिया था कि यह विषय समझौतेकी शर्तोके क्षेत्रमे शामिल है और श्री एमर्सनने कहा था कि उनका भी यही ख्याल था; पर वे प्रान्तीय सरकारोको कोई आदेश जारी करनेसे पहले कानूनी सलाह लेना चाहेगे। चाहे तो मुख्य सचिव इस विषयसे सम्बन्धित जिन तथ्योके बारेमें भी निश्चित जानकारी हासिल कर सकते है और साथ ही अर्द्ध-सरकारी तौरपर श्री एमर्सनसे पूछ सकते है जहाँ उनको केवल इसी कारण जब्त किया गया था कि उनको रखनेवाले लोगोने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लिया था, वहाँ शस्त्रोके लाइसेसोको बहाल करनेके बारेमे भारत सरकारकी क्या राय है।

४. मै पहलेही कह चुका हूँ कि चर्चाका मुख्य विषय कृषीय परिस्थिति था। इसपर हमने काफी विस्तारसे बात की और मै अपनी ओरसे किसी भी सिद्धान्तिक विषयपर चर्चा करनेसे बचा रहा, जैसे कि यह प्रश्न कि समझौतेके अन्तर्गत काग्रेसको जनताके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मान्यता पानेका अधिकार है या नही, आदि। और मैंने तुरन्त ही उन जिलोंकी परिस्थितिसे सम्बन्धित तथ्योपर उनके साथ बात शुरू कर दी, जहाँ काग्रेस सबसे अधिक सक्रिय रही थी। मैने उनको बतलाया कि जैसे भी हुआ हो पर अब परिस्थिति ऐसी बन गई है जिससे यह खतरा है कि शायद किसान लोग लगानकी अदायगी करनेसे बिलकुल ही इनकार कर दें और यदि जमीदार उनको विवश करे तो वे शायद हिंसापर उतारू हो जाये। स्वाभाविक ही था कि मैंने चौरीचौराके उदाहरणकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होने तुरन्त प्रतिवाद किया और कहा कि लगानकी अदायगी न करनेके लिए आन्दोलन करनेका मेरा कोई इरादा नही है और जब मैंने इटावा काग्रेस कमेटीके प्रस्तावकी एक प्रति उनके हाथमे दी तो उन्हे कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होने कहा कि मै फौरन इसकी जाँच करूँगा। उन्होने स्वीकार किया कि जिन स्थानोमें जमीदारोने काग्रेसके साथ समझौता कर लिया था उन स्थानोमे काग्रेस किसानोको अदायगी करने पर राजी नही कर पाई। उन्होने कहा कि तहसीलो और थानोमे कोई एक सगठन खडा करनेकी काग्रेसकी कतई कोई योजना नही है और वह तो वास्तवमे किसी तरहका एक समानान्तर शासन-तन्त्र खड़ा करनेके विचारका विरोध करती है। इतनी बात हो चुकनेके बाद, मैंने इन जिलोमे उत्पन्न परिस्थितिके कारण सामने आई वास्तविक कठिनाईकी ओर उनका ध्यान फिर आकर्षित किया। उन्होने कहा कि उसका यही तो हल है कि किसानोको लगानकी अदायगीके लिए राजी करनेमें काग्रेसका कारगर सहयोग प्राप्त किया जाये। लेकिन वे इसका वचन नही दे सके और उन्होने कहा कि जबतक किसानोके सामने रखनेके लिए सरकार द्वारा दी गई छूटकी घोषणा-मात्रसे बेहतर कोई विकल्प काग्रेसके हाथ नही आ जाता तबतक मै किसानोको राजी

करनेके लिए व्यक्तिगत तौरपर भी कोई प्रयत्न नही कर सकता। मेरे कार्यकर्त्ताओने अनेक जिलोकी स्थितिका वारीकीसे अध्ययन कर लिया है और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वर्तमान परिस्थितियोमें किसान लोग लगानकी घटाई गई राशि भी अदा नही कर पायेंगे। उन्होने तो यहाँतक कहा कि इस जाँच-पडतालसे पता चला है कि लगानकी दर इतनी ऊँची है कि सामान्य स्थितिमें भी उतनी अदायगीकी सामर्थ्य किसानोमें नही है, हालाँकि उन्होने स्वीकार किया कि लगानकी ये दरे पुरानी है और वहुत दिनोसे चली आ रही है तथा इस तथ्यको देखते हुए इस निष्कर्षमें शायद कुछ परिवर्त्तन करनेकी जरूरत पड़ सकती है। उनका कहना था कि नीचे दिये गये तीन विकल्पोमें से कोई एक अपनाया जाना चाहिए :

पहला — उन्होने सुझाव दिया (हालाँकि उन्होने इसपर आग्रह नही किया) कि हम कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओ द्वारा इकट्ठे किये गये आँकडोको स्वीकार कर ले और उन्होने विश्वास दिलाया कि ये आँकड़े मोटे तौरपर लगाये गये किसी अनुमानपर नही, वल्कि सचमुच जाँच-पड़ताल करके इकट्ठे किये गये है। मैंने उनको वतलाया कि यह मान लेना तो असम्भव है कि ये सामान्य आँकड़े किसानोंके सभी तवकों और प्रदेशोंके सभी भागोके वारेमें सही हो सकते हैं।

दूसरा — उन्होने सुझाया कि हमारे अधिकारी और भी ठीक-ठीक आँकड़े प्राप्त करनेके उद्देश्यसे हर जिले या डिवीजनमे कुछ चुने हुए कांग्रेसियोके साथ मिलकर सरसरी तौरपर एक जाँच कर डाले।

तीसरा — उन्होने कहा कि यदि सरकारको उक्त दोनों ही विकल्प स्वीकार्य न हो, तो सरकार खुद एक खुली जाँच वैठा दे जिसमे कांग्रेसके लोग किसानोकी लगानकी अदायगीकी सामर्थ्यके वारेमे साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। मैंने उनको वतलाया कि इनमे से किसी भी विकल्पको अपनानेसे विलम्ब होगा और सम्भावना यह भी है कि लगान अदायगीके लिए धन मिल ही न पाये। यदि किसान इस फसलपर लगानकी विलकुल अदायगी न करे तो यह निश्चित ही मानिए कि खरीफके लिए वे एक कौड़ी भी नही देंगे। आप समझते है कि तीन-चार दिनोंमें सरसरी जाँच की जा सकती है, परन्तु यह सर्वथा असम्भव है और आप जिस प्रकारकी सामान्य जाँचकी वात सोच रहे हैं — अर्थात् १९१६ में चम्पारनमें जैसा आयोग गठित किया गया था, वैसा कुछ करनेकी — उसमें तो कई महीने लग जायेंगे। हम इस समय जो भी करेंगे उसका गम्भीर प्रभाव जमीदारोपर ही नही, आगामी अनेक वर्षो तक हमारी अपनी वित्तीय स्थितिपर भी पड़ सकता है। इसलिए इतना दूर-व्यापी प्रभाव डालनेवाली इस सरसरी जाँचकी प्रक्रिया अपनानेके लिए सरकारसे कहना उचित नही है। मैंने उनसे कहा कि मै आपके प्रस्तावोपर विचार करूँगा, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि वसूलीमे विलम्व करनेका परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे वरदाश्त करना कठिन होगा। मैंने यह भी वतलाया कि ऐसे अनेक जिले है जहाँ हमारे अधिकारी समझते है कि अव वसूलीका काम विना किसी वड़ी कठिनाईके चल सकता है और मेरी रायमें तो जहाँ भी हो सके हमें इस आशासे वसूलियाँ

शुरू कर देनी चाहिए कि यदि उनमें कोई कठिनाई नही पड़ी तो आम किसानोके रुखपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमने बातको यहीतक रहने दिया। हो सकता है कि यह कोई बड़ा ही सन्तोषजनक निष्कर्ष न हो, क्योकि मै उनसे सिवा इस बातके और कोई भी बात नही मनवा सका कि वे लगानकी अदायगी न करने-जैसे काग्रेसके किसी भी आन्दोलनको चलाने या उस सम्बन्धमें पच सभाओको गठित करनेके हर प्रयत्नको निरुत्साहित ही करेगे। श्री एमर्सनने मुझे सावधान कर दिया था कि श्री गाधी बड़ी तीव्रतासे अनुभव करते हैं कि काग्रेस किसानो और छोटे जमीदारोकी हिमायतकी अपनी नीतिसे बिलकुल ही विरत नही हो सकती।

५. अधिक विस्तारसे न सही, पर धरनोके प्रश्नपर भी हमने बात की। मैंने उनको आगाह किया कि धरना देनेवाले स्वयसेवक चूंकि मुसलमान दुकानदारोको पक्षमे करनेकी कोशिश नही करते हैं, इसलिए खतरा है कि इसका रूप कही साम्प्रदायिक न बन जाये, और मैंने उनको यह भी बतलाया कि शराबकी बोतले छीनना या जुर्माने करना समझौतेकी भावनाके बिलकुल प्रतिकूल है। वे इससे सहमत हो गये और उन्होने कहा कि मैं इसको निरुत्साहित करनेका भरसक प्रयत्न करूँगा और जुर्माने लेनेके विरुद्ध आदेश तो जारी कर ही चुका हूँ।

एम० हेली

[अंग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य: भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट ७ अ

एमर्सनको सर माल्कम हेलीका पत्र[1]

सयुक्त प्रान्त
२१ मई, १९३१

प्रिय एमर्सन,

आपके १६ मईके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद। श्री गांधीके साथ मेरी चर्चामे सचमुच वह मेरे लिए बडा उपयोगी सिद्ध हुआ। चर्चाके परिणामके बारेमें मै एक विवरण आपको भेज रहा हूँ। मुझे लगता है कि परिणाम कोई बहुत उल्लेखनीय नही रहा। परन्तु सारी चर्चा बडे ही मैत्रीपूर्ण ढगसे चली और मै इस बातसे बडा प्रभावित हुआ कि वे रिहाइयोके बारेमे अपनाये गये हमारे तरीकेके खिलाफ शिकायतो का कोई पुलिन्दा लेकर पूरी तैयारीके साथ आये हो ऐसा नही लगता था। आप

१. देखिए पृष्ठ १९२।

स्वय देखेंगे कि कृषीय परिस्थितिसे सम्बन्धित समस्याके बारेमें उनका रुख आम तौर पर बहुत कुछ वही रहा जो उन्होंने आपके सामने रखा था।

हृदयसे आपका,
एम० हेली

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
सचिव, भारत सरकारका गृह-विभाग

पुनश्च :

मैंने अपने विवरणकी एक प्रति वाइसरायको भेज दी है।

[अंग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य : भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट ८

सर माल्कम हेलीका पत्र[1]

२३ मई, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

आज ही की तारीखका आपका पत्र मुझे अभी-अभी मिला। चूंकि आपने बहुत शीघ्र उत्तर चाहा है, इसलिए मैंने उसपर तुरन्त ही लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है और मैं इस विषयके बारेमे अपनी राय आपको तुरन्त लिख रहा हूँ।

आपके प्रस्तावित घोषणापत्रकी अनेक बातोका मैं स्वागत करता हूँ जैसे कि किसानोको आपकी यह राय कि वे तुरन्त लगान अदा करना शुरू कर दे और किसानो द्वारा की गई हिंसाकी निन्दा और काफी जोरदार शब्दोमे व्यक्त की गई आपकी यह इच्छा कि उनको कोई अवाछित कार्रवाई करके अपने ही हितोको चोट नही पहुँचानी चाहिए। फिर भी मुझे खेदपूर्वक कहना पडता है कि मैं किसी भी रूपमे कुल मिलाकर इस घोषणापत्रको अपनी सहमति नही दे सकता। वह तो एक तरहसे निर्णय ही बन जाता है, यह निर्णय कि प्रान्तके अनेक जिलोमे फसली साल १३३८ के दौरान लगानके मामलेमे कानूनी और गैर-मौरूसी भूमिधरोको रुपयेमें आठ आने और मौरूसी भूमिधरोको रुपयेमे चार आनेकी माफी देना जरूरी हो गया है। मैं मानता हूँ कि घोषणापत्रमे हालाँकि कहा गया है कि कुछ लोग अधिक अदायगी करनेमे भी शायद समर्थ होगे, लेकिन आम तौरपर किसान इसका बस एक यही अर्थ लगायेंगे कि इस तरह उनको हिदायत दी जा रही है कि वे कुल मिलाकर

१. देखिए पृष्ठ २११-१२।

अपनी अदायगी इस स्तरतक ही सीमित रखे। मैने स्वयं जितना देखा-सुना है, उसके आधारपर मुझे तो विश्वास नही होता कि परिस्थितियोको देखते हुए इतनी ज्यादा छूट देनेकी कोई जरूरत है, और मेरी बिलकुल स्पष्ट राय है कि इस राशिके बारेमे छूट देने या अन्य किसी राशिमे कटौती करनेके सिलसिलेमे भी कोई ऐसा नियम नही बनाया जा सकता जो प्रान्तके विभिन्न इलाकोंमे मौजूद बडी ही विभिन्न परिस्थितियोमे समान रूपसे प्रयोगमे लाया जा सके।

मुझे बतलाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित कटौतीके आधारपर हमारे अनेक जिलोमे इस वक्त लगानकी वसूलियोका काम शुरू हो गया है और हालाँकि इस समय यह तो नही कहा जा सकता कि ये वसूलियाँ सभी जगह पूरी-पूरी हो जायेगी या नही, फिर भी मै समझता हूँ कि ठीक नीति यही होगी कि इस आधार पर वसूलियाँ होने दी जाये और सावधानीसे देखा जाये कि उसके क्या परिणाम निकलते है। मैने अपनी बातचीतके दौरान आपको बतलाया था कि इस अवस्था पर किसानोको अदायगी रोकनेके लिए प्रोत्साहित करनेवाली किसी भी कार्रवाईसे क्या खतरा पैदा हो सकता है, क्योकि यदि तुरन्त ही वसूली नही की जायेगी तो बादमे कोई भी अदायगी करानेकी गुजाइश बहुत कम रह जायेगी। और मैने खास तौरपर इसी कारण प्रान्त-भरमे लगान वसूलियोकी मौजूदा स्थितिके बारेमे आम किस्म-की जाँच करानेके सभी प्रस्तावोको निरुत्साहित किया है, क्योकि इस प्रकारकी किसी भी सरसरी जाँचके आधारपर इस अत्यन्त ही जटिल और गूढ प्रश्नका उचित समाधान नही निकाला जा सकता, एक ऐसा जटिल प्रश्न जिससे विभिन्न हित जुडे हुए है और जिसके सम्बन्धमे किये जानेवाले हर निर्णयका प्रभाव सरकारके राजस्व-कोषपर ही नही, बल्कि किसानो और जमीदारोके परस्पर सम्बन्धोपर भी दीर्घकाल तक पडता रहेगा।

शुभ कामनाओ सहित,

हृदयसे आपका,
एम० हेली

श्री मो० क० गाधी
थाकुला, नैनीताल

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य: भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट ८अ

एच० डब्ल्यू० एमर्सनको सर माल्कम हेलीका पत्र[1]

संयुक्त प्रान्त,
२३ मई, १९३१

प्रियवर एमर्सन,

मेरा ख्याल है कि श्री गांधीके साथ हाल ही में हुआ, इसके साथ संलग्न मेरा पत्र-व्यवहार आप तुरन्त देख जायें। उत्तर देनेके लिए मुझे बहुत ही थोड़ा समय मिल पाया था, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उनको आज दोपहर बाद ३ बजेतक हम लोगोंसे फारिग हो सकनेमें कोई अड़चन पड़े। परन्तु स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे प्रस्तावसे सहमत होना मेरे लिए असम्भव था जिसके फलस्वरूप लोगोंको यह लगे कि मेरी और उनकी ओरसे एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया है, विशेषकर इसलिए कि अधिकांश जनता तो उनके मसविदेको एक इस निर्णयके रूपमें ही लेती कि हमने जो छूटें दी हैं वे बिलकुल ही गलत हैं और आवश्यकता कहीं अधिक व्यापक किस्मकी छूट देनेकी है। कह नहीं सकता कि वे इस सिलसिलेमें फिरसे तर्क करेंगे या मुझसे फिर मिलना चाहेंगे या नहीं; परन्तु उनके मुख्य प्रतिनिधि गोविन्दवल्लभ पन्तको टेलीफोनपर जता दिया गया था कि मैंने जो रुख अपनाया है उसमें कोई फेर-बदल करनेके लिए मैं शायद बिलकुल तैयार नहीं हूँ। मैं बहुत सोच-विचारके बाद इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि मेरे लिए बस यही एक मार्ग रह गया था।

हृदयसे आपका,
एम० हेली

पुनश्च :

सर जार्ज लैम्बर्ट यदि अब भी शिमलामें हों, तो कृपया उनको यह दिखला दीजिये।

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल संख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य : भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. देखिए पृष्ठ २११-१२।

परिशिष्ट ९

आर० एम० मैक्सवेलका पत्र[1]

गवर्नमेंट हाउस
महाबलेश्वर
१३ मई, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

गवर्नर महोदय सर फ्रेडरिक साइक्ससे १७ अप्रैलको आपकी भेटके दौरान गवर्नर महोदयने वचन दिया था कि आपके द्वारा उल्लिखित गृह-विभागके कुछ मामलोपर सरकार फिरसे विचार करेगी। अब मैं आपको उस पुनर्विचारके परिणामसे अवगत करा रहा हूँ।

२. मैं सबसे पहले कुछ बन्दियोकी रिहाईके बारेमें दिये गये आपके सुझावको ले रहा हूँ।

(१) आपने कहा था कि शोलापुर मार्शल लॉके जिन बन्दियोको अबतक रिहा नही किया गया है, उनको समझौतेके अनुसार रिहा कर दिया जाना चाहिए था। आपको उस समय सूचित कर दिया गया था कि ऐसे तीन बन्दी है।

श्री राजवाडेके बारेमें आपका यह अनुमान, जैसा आपने श्री कॉलिन्सके नाम पहली तारीखके अपने पत्रमे लिखा था, सही है कि 'कर्मयोगी' के उल्लिखित अंकमें छपे लेखके अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी लेख न्यायालयके सामने पेश नही किया गया था। उस लेखमे कही गई अनेक बाते या तो झूठ थी या इतनी बढा-चढ़ाकर पेश की गई थी (या कहे उन्हे बहुत मामूली मान लिया गया जैसा कि दंगेकी घटनाओंका उल्लेख करते समय) कि वे तथ्योंको देखते हुए बिलकुल ही असत्य बन गईं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्त्व इस बातको दिया गया है कि उस समय शोला-पुरमें मौजूद उन परिस्थितियोंमे उनका प्रकाशन जनतामे लाजिमी तौरपर अधिकारियोके विरुद्ध आक्रोश भडका सकता था और स्पष्ट ही ऐसा करना जनताको वास्तवमे और अधिक हिंसाके लिए भडकाने जैसा था। उनका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि शान्तिकी पुनर्स्थापनाका काम और अधिक कठिन बन गया और इसमें शककी बिलकुल भी गुंजाइश नही कि श्री राजवाडे भी लेख प्रकाशित करते समय पहले ही यह सब भली-भाँति समझते थे। इसलिए सरकार पुनर्विचारके बाद भी अपनी इस रायपर कायम है कि यह ऐसा मामला नही है जिसमे माफी देना उचित होगा।

अन्य दोनो व्यक्तियोको पुलिस-कर्मचारियोकी हत्यासे सम्बन्धित एक मुकदमेके दौरान गवाहोको रिश्वत देकर न्यायके साथ धोखाधडी करनेके अपराधमें सजाएँ दी

१. देखिए पृष्ठ ३५२-५४।

गई थी और सरकार उनके मामलेपर पुनर्विचार करनेके बाद भी यह समझनेमे असमर्थ है कि इस प्रकारका मामला आखिर समझौतेके क्षेत्रमें कैसे शामिल किया जा सकता है या इस प्रकारके व्यक्तियोको कोई क्षमा कैसे कर सकता है।

(२) सरकारने भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १२४-क के अधीन सजा पाये व्यक्तियो के मामलोपर पुनर्विचार कर लिया है। आपने राय व्यक्त की कि जब यह निर्णय किया गया था कि हिंसा और हिंसाके लिए भडकानेके मामलोपर समझौता लागू नही किया जाना चाहिए, उस समय लेख लिखने और भाषण देनेकी बात उसमे शामिल करनेका कोई ख्याल नही था। सरकार इस दृष्टिकोणको स्वीकार करने मे असमर्थ है, क्योकि यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे लेखो और भाषणोसे हिंसाको उत्तेजना मिल सकती है और अक्सर मिली है और वह उत्तेजना वास्तविक होती है, मात्र शाब्दिक या औपचारिक नही और ऐसी उत्तेजना बहुधा हिंसा प्रेरित करनेके अन्य प्रकारोसे कही अधिक खतरनाक और व्यापक होती है। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि जेलमे बन्दी व्यक्ति इस कसौटीपर पूरे उतरते है, और इसलिए सरकारके मनमें इस बारेमे कोई सन्देह नही रह गया है कि उनको माफी न देना सर्वथा उचित था। साथमे मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १२४–कके अधीन दण्डित कोई भी व्यक्ति यदि समुचित क्षमायाचना करे और फिरसे वैसा अपराध न करनेका लिखित वचन दे तो सरकार उसके मामलेमे कुछ रियायत करनेके लिए सदैव तत्पर है, जैसा कि पहले कई मामलोमे वह कर भी चुकी है, लेकिन इस मुद्देका समझौतेसे कोई ताल्लुक नही, क्योकि समझौतेमे सशर्त रिहाईकी कोई व्यवस्था नही की गई है।

(३) आपने बारडोली ताल्लुकेके रतनजी दयारामके मामलेका उल्लेख किया था। आपने कहा था कि उसे अपनी फसलमे आग लगानेके अपराधमे दण्डित किया गया था और इसलिए उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए था।

सरकारको इस मामलेकी छानबीन करनेपर मालूम हुआ कि उसे सजा इसलिए दी गई कि उसने अपने काश्तकारकी फसल जान-बूझकर जला दी थी ताकि उस जमीन का बकाया सरकारी लगान अदा न किया जाये। उसने अपने काश्तकारकी कोई क्षति-पूर्ति नही की, जो यदि की गई होती तो शायद सदयताके आधारपर उसके मामलेपर फिरसे विचार किया जा सकता था। और वह भी समझौतेकी शर्तोसे बिल-कुल अलग एक बात होती, क्योकि मैं बतला ही चुका हूँ कि समझौतेमे सशर्त रिहाई के लिए कोई व्यवस्था नही है। इस बातके अलावा, सरकारका यह भी विचार है कि इस प्रकारकी हिंसापूर्ण शरारतके लिए माफीका कोई आधार नही है।

(४) गवर्नर महोदयका ख्याल है कि आपने कहा है कि नमक सत्याग्रहसे सम्बन्धित अपराधोके लिए दण्डित कुछ ऐसे बन्दी हैं जिनको रिहा नही किया गया है। गृह-विभागको खोजबीनके बाद भी ऐसे किसी मामलेका पता नही चला।

(५) आपने कहा है कि सविनय अवज्ञाके दौरान किये गये कुछ अपराधोके सिलसिलेमे अबतक कुछ मुकदमे चल रहे हैं ऐसा करना समझौतेकी शर्तोके विरुद्ध

है और आपने इस सिलसिलेमे बेलगाँवके एक मुकदमेका उल्लेख विशेष तौरपर किया।

आपको उस समय बतला दिया गया था कि आपने जिस मामलेका विशेष उल्लेख किया है वह उस जिलेके निपानी गाँवका है। उस मामलेके तथ्य इस प्रकार है — १९३० के अप्रैल महीनेमे दो स्थानीय नेताओको सजाएँ सुनाई जानेके बाद हडताल करानेकी गरजसे एक भीड इकट्ठी हो गई और उसने सरकारी तथा कुछ निजी सम्पत्तिको हानि पहुँचाने तथा स्कूलमे लगे राज परिवारके चित्रोको नष्ट करनेके बाद पुलिससे टक्कर ली और उसपर पथराव किया जिसके फलस्वरूप तीन पुलिस कर्मचारी और कुछ ग्राम-सेवक जख्मी हो गये थे। इस प्रकार वहाँ सचमुच एक हिंसा-काण्ड हुआ था और सरकार समझती है कि मुकदमा चलानेके फैसलेमे कोई रद्दोवदल नही की जा सकती।

गवर्नर महोदयसे आपकी वातचीतके समय अन्य विचाराधीन मुकदमे इन लोगोके थे — (क) महादेव कुवेरजी और हीरा वल्लभ, (ख) विष्णु सालि, (ग) शिव मत्तुर। ये सभी लोग सूरत जिलेके थे, जिनपर क्रमश जब्तशुदा फसलोमें आग लगाने, एक पुलिस सिपाहीके साथ बुरी तरह मारपीट करने और एक प्रभारी ग्राम-सेवकको पीटनेके वाद एक जब्तशुदा फसलमे आग लगा देनेके आरोप है। यह स्पष्ट ही हिंसा है और ऐसे मामलो पर पुनर्विचार नही किया जा सकता।

(३) विदेशी व्यक्ति अधिनियमके अन्तर्गत जारी किये गये निष्कासनके आदेशोके सम्बन्धमे सरकारने पुनर्विचार करनेके वाद सभी मामलोमे आदेश वापस ले लिये है। ऐसे छ मामले थे और आदेशका पालन न करनेके अपराधमे बन्दी बनाये गये उन सभी व्यक्तियोको रिहा कर दिया गया है। आपने इस सिलसिलेमे कहा था कि कर्नाटकमें ऐसे ३० मामले है और आपको तब सूचित कर दिया गया था कि सरकारको उनकी कोई जानकारी नही। इसपर आपने गृह-विभागके सचिवको उनका विवरण भेजना स्वीकार किया था। चूँकि आपने विवरण नही दिया है, इसलिए गवर्नर महोदयने मान लिया है कि उनके वारेमे आपको गलत सूचना दी गई थी।

(४) आपने कहा था कि जब्त की गई कुछ चल और अचल सम्पत्ति भी लौटाई नही गई है। गवर्नर महोदयने पता कर लिया है कि अध्यादेश ११ के अन्तर्गत जब्त की गई सभी इमारते वापस कर दी गई हैं। कुछ मामलोमे विलम्बका कारण यह था कि कब्जा लेनेके वास्तविक अधिकारी व्यक्तियोका ठीक-ठीक पता लगाने और सम्पत्ति उन्हे लौटानेका प्रवन्ध करनेमे समय लगना तो जरूरी था।

चल सम्पत्ति लौटानेके बारेमे आजकी ही तारीखके मेरे एक दूसरे पत्रमे स्थिति बतलाई गई है। वह आपके ७ मईके पत्रके उत्तरमे लिखा गया है।

(५) और चिरनरवाले मुकदमेके बारेमें आपने कहा था कि उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। आपको उस समय सूचित कर दिया गया था कि सम्बन्धित व्यक्तियोपर दगा करने, घातक हथियार रखने, डाकेजनी और डाकेजनीके लिए षड्यन्त्र करने और सरकारी कर्मचारियोको उनके कर्तव्य-पालनके दौरान गम्भीर

चोटें पहुँचानेके आरोप हैं और चूँकि उनमें से छः पर हत्याका सीधा, स्पष्ट आरोप है, इसलिए स्पष्ट है कि मुकदमेकी सामान्य प्रक्रियामें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
आर० एम० मैक्सवेल

श्री मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल संख्या ४/१९३१, भाग १।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

परिशिष्ट १०

राय: नवजीवन प्रेसके सवालपर[1]

१३ जून, १९३१

१. (१) सरकार और 'नवजीवन प्रेस' के बीच बहस इस सवालपर है:

"अहमदाबादमें नवजीवन प्रेसकी इमारतसे जब्त किये गये छापाखानेको लौटानेके सिलसिलेमे सरकारके क्या दायित्व है?" यह पूरा सवाल बुनियादी तौरपर कानून [प्रेस अध्यादेशमे] प्रयुक्त शब्दावलीपर निर्भर करता है, जिसमे कहा गया है: "चल सम्पत्ति . . . लौटा दी जायेगी।" वैब्स्टरके अंग्रेजी शब्द-कोषमें "लौटाना" शब्दका अर्थ दिया गया है—"लाना, ले जाना, रखना, या वापस भेजना, बहाल करना। मरेके 'ऑक्सफोर्ड शब्द-कोष' में "लौटाना" शब्दके अनेक अर्थोंमें एक यह अर्थ भी दिया गया है:

"किसी स्थान या व्यक्तिके पास लाना या ले जाना; फिर वापस भेजना; वापस देना या दिलवाना"। इससे स्पष्ट है कि किसी चीजपर काबिज कोई पक्ष (इस मामलेमे सरकार) यदि किसी चल सम्पत्तिको लौटानेके लिए राजी हो जाता है, तो उसका यह दायित्व तभी पूरा हुआ माना जा सकता है जब काबिज पक्ष उस चीजको उसी स्थानपर ले आये या वापस ले जाये जहाँ उसे कब्जेमें लिया गया था और वही उस व्यक्तिको सौंप दे जिससे उसे लिया गया था। इसलिए हमारी राय है कि समझौतेकी शर्तोंसे सौंपनेके स्थानके बारेमें कुछ स्पष्ट न होता हो ऐसी बात नहीं, बल्कि उसमे तो बिलकुल स्पष्ट बतलाया गया है कि सौंपनेका स्थान वही हो सकता है जहाँसे उसे लिया या कब्जेमे किया गया था।

२. एक भारतीय सविधिमे भी "लौटाना" शब्दको इस अर्थमे प्रयुक्त किया गया है कि चीजको उसी स्थानपर वापस ले जाया जाये, जहाँसे उसे लाया गया था। भारतीय वस्तु-विक्रय अधिनियमके खण्ड ४३मे कहा गया है:

१. देखिए पृष्ठ ४०३-६।

"खरीदारके पास वस्तुएँ पहुँचनेपर यदि खरीदार, अपने अधिकारके मुताबिक उनको स्वीकार करनेसे इन्कार करता है और यदि अन्यथा कोई करार न हुआ हो, तो खरीदार उनको विक्रेताको लौटानेके लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह विक्रेताको सूचित कर दे कि वह उनको स्वीकार करनेसे इन्कार करता है"।

यह बिलकुल स्पष्ट है कि "लौटाना" शब्दका अर्थ यही होना चाहिए कि वस्तुओंको उसी स्थानपर वापस किया जाये, जहाँसे वे ली गई थीं, और यह शब्द "वापस करनेका प्रस्ताव" या "जिससे वस्तुएँ ली गई थीं उसको वापस करनेके लिए तैयार होना" के अर्थसे भिन्न अर्थमें, उसके विभेदको ध्यानमें रखते हुए प्रयुक्त किया गया है। इस मामलेमें सरकारने जो कार्रवाई की है वह "वापस करनेका प्रस्ताव" या "पहलेके मालिकको वापस करनेके लिए तैयार होना" ही कही जा सकती है, उसे लौटानेका दायित्व पूरा करना तो नहीं माना जा सकता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, वापस करनेके दायित्वकी अपेक्षा है कि वस्तु उसी स्थान पर उसी व्यक्तितक पहुँचाई जाये जहाँसे और जिससे उसे लिया गया था।

३. हमारी रायमें विक्रेता और खरीदारके बीच वस्तुओंके सम्प्रदानके विषयसे सम्बन्धित खण्डका हमारे सामने पेश इस सवालसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इस मामलेमें लौटानेका कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

४. हम इस दृष्टिकोणसे तो बिलकुल भी सहमत नहीं कि उल्लिखित समझौतेमें "लौटाने"के स्थानके बारेमें कुछ भी नहीं कहा गया, साथ ही हमारी राय है कि इस दृष्टिकोणके अनुरूप भी इस प्रकारके समझौतेमें दायित्वके निर्वाहका स्थान वही हो सकता है, जहाँ वस्तुको लिया या कब्जेमें किया गया था। ऐसे मामलेमें समझौतेके उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर ही स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा और इतना तो स्पष्ट है कि समझौतेका उद्देश्य पूर्ववत् स्थिति बहाल करना है।

५. हम माननेसे इन्कार करते हैं, पर यदि किसी तरह यह मान भी लिया जाये कि इस मामलेके सिलसिलेमें समझौतेमें "लौटाने"के स्थानके बारेमें कुछ नहीं कहा गया है तो भी भारतीय संविदा अधिनियमके खण्ड ४९की व्यवस्थाओंके अनुसार प्रतिज्ञातीको अधिकार प्राप्त है कि दायित्व-निर्वाहका स्थान सुनिश्चित न होनेपर वह स्थान निर्धारित कर सकता है और प्रतिज्ञाता उस प्रतिज्ञा या उसी वचनका उसी स्थानपर निर्वाह करनेके लिए बाध्य होगा (इस मामलेमें प्रतिज्ञा छापाखाना लौटानेकी है), शर्त यह है कि स्थान उचित हो। इस मामलेमें, प्रतिज्ञातीको अधिकार है कि वह दायित्व-निर्वाहका कोई उचित स्थान निर्धारित कर दे और बिलकुल स्पष्ट दिखता है कि जहाँसे वस्तु ली या कब्जेमें की गई थी, वही स्थान उचित और संगत हो सकता है, क्योंकि यह बात आसानीसे समझमें आ जाती है कि कब्जा करनेके बाद अनेक कारणोंसे वस्तुको दूरके किसी स्थानपर हटा देना जरूरी हो सकता है और प्रतिज्ञातीके लिए सर्वथा उचित होगा कि वह उस वस्तुको उसी स्थानपर लौटानेकी माँग करे, जहाँ उसे कब्जेमें किया गया था।

६. इसलिए 'नवजीवन प्रेस' के मामलेमे सरकार द्वारा अपनाये गये रुखको किसी भी दृष्टिसे उचित सिद्ध नही किया जा सकता। उसकी ओरसे समझौतेसे सम्बन्धित दायित्वका निर्वाह तभी पूरा हुआ माना जायेगा, जब वह छापाखाना अहमदाबाद (जहाँ उसे कब्जेमे लिया गया था) पहुँचा दे और उसी व्यक्तिको लौटानेके लिए प्रस्तुत हो, जिससे वह लिया गया था।

भूलाभाई देसाई
डी० एन० बहादुरजी
के० एम० मुन्शी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सख्या २/१९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

सामग्रीके साधन-सूत्र

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली : गाधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय एव पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

'नवजीवन': गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। इसका हिन्दी सस्करण १९ अगस्त, १९२१ से प्रारम्भ हुआ था।

नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद': सम्पादक – काका कालेलकर, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

'बापुना पत्रो – ७ : श्री छगनलाल जोशीने' (गुजराती) : सम्पादक – छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६२।

'बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गाधीने' (गुजराती) : सम्पादक — नारणदास गाधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६४।

'बापुना पत्रो – १० : श्री प्रभावतीबहेनने' (गुजराती) : सम्पादक – काकासाहेब कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६६।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया), नई दिल्ली।

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके रिकार्ड।

'मध्यप्रदेश और गाधीजी': मध्य प्रदेश सरकारका सूचना विभाग, १९६९।

'यग इडिया : गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक।

'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री' (अग्रेजी) : सम्पादक – टी० एन० जगदीशन्, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३।

साबरमती सग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय जिसमे गाधीजी के दक्षिण आफ्रिकी काल तथा सन् १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

'स्टेट्समैन',: कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स': नई दिल्लीसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू'. मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ अप्रैल, १९३१से १७ जून, १९३१ तक)

१६ अप्रैल: अहमदाबादसे बम्बई पहुँचे; लॉर्ड इर्विनको अलविदा; गुजरातमें जब्त-शुदा जमीनोंकी वापसीके सम्बन्धमे काग्रेस-कार्यकर्त्ताओके समक्ष भाषण दिया; और सर एन० वाडिया, एच० पी० मोदी तथा अम्बालाल साराभाई मिल-मालिकोके साथ विदेशी वस्त्रोके पुर्नानिर्यातकी योजनापर चर्चा की।

१७ अप्रैल: लगानके और गुजरातके किसानोकी जब्त की गई सम्पत्तिको लौटानेके बारेमे बम्बईके गवर्नरसे मिले। भारतसे विदेशी वस्त्रोके पुर्नानिर्यातके सम्बन्ध मे भारत सरकार (वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्)के वाणिज्य सदस्य, सर ज्यॉफ्री कॉर्बर्ससे बात की।

१८ अप्रैल: बम्बई निगम द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमे भाषण दिया।
लॉर्ड विलिंगडनने भारतके वाइसराय पदकी शपथ ली।

१९ अप्रैल: अहमदाबाद पहुँचे।

२० अप्रैल: विद्यापीठमे; सत्याग्रह आश्रम गये।

२१ अप्रैल: अहमदाबादमे एक खादी-कार्यकर्त्ताकी सुपुत्री लक्ष्मीका विवाह स्वय सम्पन्न कराया; बारडोलीके लिए प्रस्थान किया।

२२ अप्रैलसे २६ अप्रैल: बारडोली ताल्लुकेमे।

२३ अप्रैल: 'डेली हेरॉल्ड' को तार दिया कि धर्म-प्रचारकोको धर्म-परिवर्तनके लिए अपनाये अपने वर्तमान तरीके त्याग देने चाहिए।

२४ अप्रैल: उन किसानोके साथ चर्चा की जिनकी जब्त-शुदा जमीने सरकारने अन्य व्यक्तियोको बेच दी थी।

२५ अप्रैल: बारडोली पहुँचे; जब्त की गई सम्पत्ति लौटानेके बारेमे सर कावसजी जहांगीर, नरीमान और सरदार गरदा गाधीजीसे मिले। बाबला गाँव गये।

२६ अप्रैल: अकोटी गाँव गये।

२७ अप्रैल: बारडोलीमे, बोरसदके लिए रवाना हुए।

२८ अप्रैलसे १० मई: बोरसदमें।

२९ अप्रैल: खेड़ा जिलेके खातेदारोको सलाह दी कि यदि सत्याग्रह-आन्दोलनके कारण किसीने भारी नुकसान उठाया हो तो उसे कर्ज लेकर लगान-अदायगी करनेकी जरूरत नही।

३० अप्रैल: 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' को भेंट दी।
बारडोलीके किसानोसे मिले।

१ मई: भूटानके महाराजाके भाई गाधीजी से मिले। एच० डब्ल्यू० एमर्सन, 'गृह-सचिव को तार दिया कि खान अब्दुल गफ्फार खाँको गिरफ्तार न किया जाये।

२ मई: समाचार पत्र-प्रतिनिधियोके साथ भेटके दौरान कहा कि काग्रेस-कार्यकर्त्ता गाधी-इर्विन समझौतेका सच्चे हृदयसे पालन कर रहे है।

६ मई: बोचासनमे वल्लभ विद्यालयकी नीव रखी; 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' को भेट दी।

८ मई: कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओ द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रोकी दूकानोपर दिये जानेवाले घरनेके बारेमे समाचार-पत्रोको वक्तव्य दिया।

९ मई: खेड़ा जिलेके काग्रेसी कार्यकर्त्ताओसे मिले।

१० मई: खेड़ाके कलेक्टरसे मिले।

११ मई: खेड़ाके कलेक्टर गाधीजी से मिले; बोरसदसे शिमलाके लिए प्रस्थान।

१३ मईसे १७ मई: शिमलामे।

१३ मई: गाधी-इर्विन समझौतेसे उत्पन्न समस्याओके बारेमे लॉर्ड विलिंग्डन और एच० डब्ल्यू० एमर्सनसे बातचीत की।

१४ मई: सार्वजनिक सभामे भाषण दिया और एच० डब्ल्यू० एमर्सनसे बातचीत की।

१५ से १६ मई: वाइसराय और गृह-सचिवके साथ बातचीत जारी रखी।

१६ मई: सर जी० शुस्टरसे मिले।

१७ मई: मालवीयजी और मुजेने गाधीजीसे बातचीत की; गाधीजी ने एच० डब्ल्यू० एमर्सनसे बात की; पत्रकारोके एक दलके साथ भेट की और नैनीतालके लिए प्रस्थान।

१८ मई: नैनीताल पहुँचे और कृषीय समस्याकी चर्चाके लिए सयुक्त प्रान्तके गवर्नर सर माल्कम हैलीसे मिले।

१९ मई: नैनीतालमे गवर्नरके साथ बात की और सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

२० मई: नैनीतालमे, गवर्नरसे मुलाकात की।

२१ मई: कुमाऊँमे, राजनीतिक पीडितोकी सभामे भाषण दिया।

२२ मई: नैनीतालमे, समाचारपत्र-प्रतिनिधियोसे एक भेटके दौरान घोषणा की कि वे लन्दन जानेकी अपनी योजनाओके सम्बन्धमे कोई भी वक्तव्य देनेमे असमर्थ है।

२३ मई: एच० एस० एल० पोलक, श्रीनिवास शास्त्री और सी० एफ० एन्ड्रयूजको तार दिये कि साम्प्रदायिक समस्याका हल न निकल पाने और कुछ प्रान्तीय सरकारो द्वारा अपनाये गये रुखके कारण उनका भारतसे बाहर जाना कठिन बन गया है; लगानकी माफीके बारेमें जमीदारोसे एक समझौता किया; नैनी-तालसे बारडोलीके लिए ४ बजे शामको प्रस्थान किया।

२५ मई; स्वराज्य आश्रम, बारडोली पहुँचे।

२५ मईसे ८ जून: बारडोलीमे।

२७ मई: सुभाषचन्द्र बोसके साथ विस्तारसे विचार-विमर्श किया।

३० मई: कानपुरके साम्प्रदायिक दंगोमें पुलिस द्वारा गोलीबारी।

५ जून: सूरत गये।

६ जून: बारडोलीमे। अब्दुल गफ्फारखाँ गांधीजी से मिले।

८ जून: जवाहरलाल नेहरू गाधीजी से मिले। शामको जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फारखाँके साथ बम्बईके लिए प्रस्थान।

९ जून: कांग्रेस कार्यकारिणी समितिकी बैठकमे शामिल होने बम्बई पहुँचे जिसमे प्रस्ताव पास किया गया कि गोलमेज परिषद्मे गाधीजी अकेले कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करे।

१० जून: बम्बईमे अपने निवास 'मणि भुवन' तक प्रभातफेरीके लिए आये हुए दलके समक्ष भाषण दिया।

११ जून: बम्बईमे, 'देश-सेविकाओ' और 'हिन्दुस्तानी सेवा दल' के सदस्योकी सभामे भाषण दिया।

१२ जून. बम्बईमे; यूरोपीयोके एक शिष्टमण्डलके सामने अंग्रेजोके प्रति कांग्रेसके रुखका स्पष्टीकरण किया; बोरसदके लिए प्रस्थान।
बोरसद जाते हुए, रास्तेमे मरोलीमे मीठूबहन पेटिट द्वारा चलाये जा रहे कस्तूरबा बुनाई स्कूलका शिलान्यास किया।

१३ जूनसे १७ जून: बोरसदमे।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

ओ

क

घ

च

फ

ब

भ

म

ह